उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड १२२

मंगलवार, २४ मार्च, १९५३ से शुक्रवार, २७ मार्च, १९५३ तक

सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिन्टिंग व स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, (इंडिया)
१९५३ ई०

विषय सूची

खंड १२२

मंगलवार, २४ मार्च, १९५३

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१–४
प्रश्नोत्तर	५–२५
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय-विभाजन	२५
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२—मोटरगाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ४७—विविध (वाहन) विभाग और ४४—उड्डन (स्वीकृत)	२६–५३
अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता (स्वीकृत) ..	५४–६६
अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८२—कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस-सर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	६६–६८
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐंप्रोप्रिएशन बिल), १९५३ (पुरःस्थापित किया गया-विचार स्थगित)	६८–७१
नत्थियां	७२–८९

बुधवार, २५ मार्च, १९५३

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	९१–९५
प्रश्नोत्तर	९५–१०५
संयुक्त प्रान्तीय कृषि आय कर नियम, १९४९ के नियम २८ में प्रस्तावित संशोधन से सम्बद्ध विज्ञप्ति की प्रतिलिपि का मेज पर रखा जाना	१०५
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रिएशन बिल), १९५३ (पारित) ..	१०५–१३२
यू० पी० मोटर विहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ के नियम ३९ में प्रस्तावित संशोधन पर विचार	१३२–१३५
कार्य-सूची के क्रम में परिवर्तन	१३५–१३६
उत्तर प्रदेश कृषि आय कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय, विवाद जारी)	१३६–१६१
१९५३–५४ की वित्त समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना	१६१
१९५३–५४ की सार्वजनिक लेखा समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना	१६१–१६२

विषय	पृष्ठ-संख्या
कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा।	१६२–१६३
आगामी शनिवार को सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में सुझाव	१६३–१६४

बृहस्पतिवार, २६ मार्च, १९५३

उपस्थित सदस्यों की सूची	१६५–१६९
प्रश्नोत्तर	१६९–१८०
विधान सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष सम्बन्धी संकल्प को स्थगित करने का सुझाव	१८०
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय-विवाद जारी)	१८०–२२६
श्रम समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्य-क्रम	२२६
नत्थियां	२२७–२२८

शुक्रवार, २७ मार्च, १९५३

उपस्थित सदस्यों की सूची	२२९–२३३
प्रश्नोत्तर	२३३–२५८
आज़मगढ़, गाज़ीपुर, बलिया, जौनपुर आदि ज़िलों में खेतिहर मज़दूरों अथवा किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२५८–२६१
लेखा समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा	२६१
वित्त समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा	२६१
घूस निवारक विधेयक के सम्बन्ध में सूचना	२६१
श्री राजनारायण, श्री रामनारायण त्रिपाठी तथा श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन (प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी)	२६१–२६५
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय-अस्वीकृत हुआ)	२६५–२८०
कार्यक्रम में परिवर्तन करने का सुझाव	२८१
करघा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प (वापस लिया गया)	२८१–३०२
गांवों में दगड़े बनाने के सम्बन्ध में संकल्प (उपस्थित किया गया)	३०३
नत्थियां	३०४–३११

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

मन्त्री-परिषद्

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल एल० बी०, एम० एल० ए०,मुख्य मन्त्री तथा सामान्य प्रशासन, नियोजन तथा सहकारिता मन्त्री।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल एल० बी०, एम० एल० ए०,वित्त तथा विद्युत् मन्त्री ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मन्त्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए० एल एल० बी०, एम० एल० ए०, उद्योग तथा पुनर्वासन मन्त्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मन्त्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मन्त्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला,एम० एल० ए०, न्याय तथा मादककर मन्त्री।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, बी० एस० सी०, एल एल० बी०, एम० एल० ए०, माल तथा कृषि मन्त्री।

श्री हरगोविन्द सिंह, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मन्त्री।

श्री मोहन लाल गौतम बी० ए० (आनर्स) स्वशासन मन्त्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मन्त्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, परिवहन मन्त्री।

उप-मन्त्री

श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उप-मन्त्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए० एल एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उप-मन्त्री।

श्री फूल सिंह बी० ए०, एल एल० बी०, एम० एल० ए०, योजना उप-मन्त्री।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि उप-मन्त्री।

श्री मुजफ्फर हसन, एम० एल० ए०, कारावास उप-मन्त्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल एल० बी०, एम० एल० ए० सिंचाई उप-मन्त्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उप-मन्त्री।

सभा सचिव

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव।

श्री कृपाशंकर, एम० एल० ए०।

अन्य मन्त्री के सभा सचिव।

(१) श्री बलदेव सिंह आर्य, एम० एल० ए०।

(२) श्री बनारसी दास, एम० एल० ए०।

उद्योग मन्त्री के सभा सचिव।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, एम० ए०, एम० एल० ए०।

माल मन्त्री के सभा सचिव।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, एम० एल० ए०।

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी०, (विस) पी० एच० डी०, एम० एल० ए०।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१—अंसमान सिंह, श्री	बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अज़ीज़इमाम ,श्री	मिर्ज़ापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री	रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्त स्वरूप सिंह, श्री	फतेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज़ खां, श्री	खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री	फतेहपुर (पूर्व)—खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री	मिर्ज़ापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री	उतरौला (दक्षिण)
१०—अली ज़हीर, श्री सैयद	लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री	फतेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेश प्रताप सिंह, श्री	बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ अली खां, श्री	सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राइस, श्री	नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती	फूलपूर (दक्षिण)
१८—ईतिजा हुसैन, श्री	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसरारुल हक, श्री	फ़ीरोज़ाबाद-फ़तेहाबाद
२०—इस्तफा हुसैन, श्री	गोरखपुर (मध्य)
२१—उमाशंकर, श्री	सगरी (पश्चिम)
२२—उमाशंकर तिवारी, श्री	चंदौली (दक्षिण-पश्चिम) रामनगर
२३—उमाशंकर मिश्र, श्री	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेही घाट
२४—उम्मेद सिंह, श्री	उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५—उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री	ऐतमादपुर--आगरा (पूर्व)
२६—ऐजाज़ रसूल, श्री	शाहाबाद (पश्चिम)
२७—ओंकार सिंह, श्री	दातागंज (उत्तर) बदायूं
२८—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९—कमलापति त्रिपाठी, श्री	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०—कमला सिंह, श्री	सैदपुर
३१—कमाल अहमद रिज़वी, श्री	मोहमदी (पूर्व)
३२—करण सिंह यादव, श्री	गुन्नौर (उत्तर)

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३३—करन सिंह, श्री	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
३४—कल्याण राय, श्री	हजर मिलक (उत्तर)
३५—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	चंदौली (उत्तर)
३६—कालिका सिंह, श्री	लालगंज (दक्षिण)
३७—कालीचरण टण्डन, श्री	कन्नौज (उत्तर)
३८—काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री	कादीपुर
३९—किन्दरलाल, श्री	हरदोई (पूर्व)
४०—किशनस्वरूप भटनागर, श्री	खुरजा
४१—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४२—कृपाशंकर, श्री	हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)
४३—कृष्णचन्द्र, गुप्त, श्री	सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४४—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	ललितपुर (दक्षिण)
४५—कृष्ण शरण आर्य, श्री	मिलक (दक्षिण)-शाहाबाद
४६—केदारनाथ, श्री	मुरादाबाद (दक्षिण)
४७—केवल सिंह, श्री	सिकन्दराबाद (पूर्व)
४८—केशभान राय, श्री	बांसगांव (मध्य)
४९—केशव गुप्त, श्री	कैराना (उत्तर)
५०—केशव पाण्डेय, श्री	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५१—केशवराम, श्री	सहसवान (पूर्व)
५२—कैलाश प्रकाश, श्री	मेरठ नगरपालिका
५३—ख्यालीराम, श्री	अमरोहा (पूर्व)
५४—खुशी राम, श्री	पिथौरागढ़-चम्पावत
५५—खूब सिंह, श्री	धामपुर (उत्तर-पूर्व)-(नगीना) पूर्व
५६—गंगाधर, श्री	चमोली (पश्चिम)-पौड़ी (उत्तर)
५७—गंगाधर, जाटव, श्री	फ़ीरोजाबाद- फतेहाबाद
५८—गंगाधर शर्मा, श्री	मिश्रिख
५९—गंगाप्रसाद, श्री	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
६०—गंगाप्रसाद सिंह, श्री	रसरा (पश्चिम)
६१—गजेन्द्र सिंह, श्री	विधूना (पूर्व)
६२—गज्जूराम, श्री	मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)
६३—गणेशचन्द्र काछी, श्री	मैनपुरी (उत्तर)–भोगांव (उत्तर)
६४—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६५—गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६६—गिरजारमण शुक्ल, श्री	पट्टी (दक्षिण)
६७—गिरधारी लाल, श्री	धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
६८—गुप्तार सिंह, श्री	डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
६९—गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री	खजुहा (पश्चिम)
७०—गुरुप्रसाद सिंह, श्री	मुसाफिरखाना (दक्षिण)-अमेठी (पश्चिम)
७१—गुलजार, श्री	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
७२—गेंदा सिंह, श्री	पडरौना (पूर्व)
७३—गोपीनाथ दीक्षित, श्री	इटावा (दक्षिण)
७४—गोवर्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७५—गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री	बरेली नगरपालिका
७६—गौरीराम, श्री	फरेंदा (मध्य)
७७—घनश्यामदास, श्री	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़ रामसनेही घाट
७८—घासी राम जाटव, श्री	बिधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा (उत्तर)
७९—चतुर्भुज शर्मा, श्री	उरई-जालौन (दक्षिण)
८०—चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री	डलमऊ (पूर्व)
८१—चन्द्रभानु गुप्त, श्री	लखनऊ नगर (पूर्व)
८२—चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
८३—चन्द्रवती, श्रीमती	बिजनौर (मध्य)
८४—चन्द्र सिंह रावत, श्री	पौड़ी (दक्षिण) चमोली (पूर्व)
८५—चन्द्रहास, श्री	हरदोई (पूर्व)
८६—चरणसिंह, श्री	बागपत (पश्चिम)
८७—चित्तर सिंह निरंजन, श्री	कोंच
८८—चिरंजीलाल जाटव, श्री	जलेसर-एटा (उत्तर)
८९—चिरंजीलाल पालीवाल, श्री	छिबरामऊ (दक्षिण)-कन्नौज (दक्षिण)
९०—चुन्नीलाल सगर, श्री	बिसौली-गुन्नौर-(पूर्व)
९१—छेदालाल, श्री	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९२—छेदालाल चौधरी, श्री	लखीमपुर (दक्षिण)
९३—जगतनारायण, श्री	नवाबगंज (उत्तर)
९४—जगदीश प्रसाद, श्री	हसनपुर (दक्षिण)-सम्भल (पश्चिम)
९५—जगदीश सरन रस्तोगी, श्री	सम्भल (पूर्व)
९६—जगनप्रसाद रावत, श्री	खैरगढ़
९७—जगन्नाथप्रसाद, श्री	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
९८—जगन्नाथबख्श दास, श्री	रामसनेही घाट
९९—जगन्नानाथ मल्ल, श्री	पडरौना (उत्तर)
१००—जगन्नानाथ सिंह, श्री	बलिया (उत्तर-पूर्व)-बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१०१—जगपति सिंह, श्री	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१०२—जगमोहन सिंह नेगी, श्री	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०३—जटाशंकर शुक्ल, श्री	पुरवा (उत्तर)-हसनगंज

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१०४—जयपाल सिंह, श्री	रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
१०५—जयराम वर्मा, श्री	अकबरपुर (पश्चिम)
१०६—जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	खेन-टेहरी (उत्तर)
१०७—जवाहरलाल श्री	करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
१०८—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर,	कानपुर नगर (पूर्व)
१०९—जुगलकिशोर, श्री	मथुरा (दक्षिण)
११०—जोरावर वर्मा, श्री	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
१११—ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री	गोंडा (पश्चिम)
११२—झारखंडे राय, श्री	घोसी (पश्चिम)
११३—टीकाराम, श्री	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११४—डल्लाराम, श्री	मिश्रिख
११५—डालचन्द, श्री	माट-सादाबाद (पश्चिम)
११६—ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	सिधौली (पश्चिम)
११७—तिरमल सिंह, श्री	कासगंज (उत्तर)
११८—तुलसीराम, श्री	बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
११९—तुलाराम, श्री	औरय्या-भरथना (दक्षिण)
१२०—तुलाराम रावत, श्री	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२१—तेजप्रताप सिंह, श्री	मोदहा (दक्षिण)
१२२—तेजबहादुर, श्री	लालगंज (उत्तर)
१२३—तेजा सिंह, श्री	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२४—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	बहराइच (पश्चिम)
१२५—दयालदास भगत, श्री	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
१२६—दर्शनराम, श्री	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१२७—दलबहादुर सिंह, श्री	सलोन (दक्षिण)
१२८—दाऊदयाल खन्ना, श्री	मुरादाबाद (उत्तर)
१२९—दाताराम, श्री	नकुड़ (दक्षिण)
१३०—दीनदयालु शर्मा, श्री	अनूपशहर (उत्तर)
१३१—दीनदयालु शास्त्री, श्री	रुड़की (पूर्व)
१३२—दीपनारायण वर्मा, श्री	जौनपुर (पश्चिम)
१३३—देवकीनन्दन विभव, श्री	आगरा
१३४—देवदत्त मिश्र, श्री	पुरवा (दक्षिण)
१३५—देवदत्त शर्मा, श्री	बुलन्दशहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)
१३६—देवनदन शुक्ल, श्री	सलीमपुर (पश्चिम)
१३७—देवमूर्ति राम, श्री	बनारस (पश्चिम)
१३८—देवराम, श्री	सैदपुर
१३९—देवेन्द्र प्रतापनारायण सिंह, श्री	गोरखपुर (पश्चिम)
१४०—द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	मुजफ्फरनगर (मध्य)

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१४१—द्वारकाप्रसाद मोर्य, श्री	मरियाहू (उत्तर)
१४२—द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री	फरेंदा (दक्षिण)
१४३—धनुषधारी पाण्डेय, श्री	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४४—धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर (दक्षिण)–अनूपशहर (दक्षिण)
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री	बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)–बरेली (पश्चिम)
१४६—नत्थू सिंह, श्री	आओं (पूर्व) फ़रीदपुर
१४७—नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री	हाथरस
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री	पश्चिमी दून दक्षिण पूर्वीय दून
१४९—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़-चम्पावत
१५०—नरोत्तम सिंह, श्री	दातागंज (दक्षिण)-बदायूं-(दक्षिण पूर्व)
१५१—नवलकिशोर, श्री	आओंला (पश्चिम)
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री	मछलीशहर (उत्तर)
१५३—नाज़िम अली, श्री	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
१५४—नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल (उत्तर)
१५५—नारायणदास, श्री	फैजाबाद, (पूर्व)
१५६—नारायणदीन, श्री	पवायां–शाहजहांपुर (पूर्व)
१५७—निरंजन सिंह, श्री	पीलीभीत (पूर्व)–बीसलपुर (पश्चिम)
१५८—नेकराम शर्मा, श्री	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१५९—नेत्रपाल सिंह, श्री	सिकन्दराराव (उत्तर)-कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१६०—नौरंगलाल, श्री	नवाबगंज
१६१—पद्मनाथ सिंह, श्री	मुहम्मदाबाद–गोहना (दक्षिण)
१६२—परमानन्द सिन्हा, श्री	सोराव (दक्षिण)
१६३—परमेश्वरी राम, श्री	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)
१६४—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	महाराजगंज (उत्तर)
१६५—पहलवान सिंह चौधरी, श्री	बांदा
१६६—पातीराम, श्री	छिबरामऊ (पूर्व)–फ़र्रुख़ाबाद (पूर्व)
१६७—पुत्तूलाल, श्री	ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
१६८—पुद्दनराम, श्री	बांसी (उत्तर)
१६९—पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७०—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	हापुड़ (उत्तर)
१७१—प्रतिपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर (पश्चिम)–जलालाबाद (पूर्व)
१७२—प्रभाकर शुक्ल, श्री	हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७३—प्रभुदयाल, श्री	बस्ती (पश्चिम)
१७४—प्रेमकिशन खन्ना, श्री	पवायां–शाहजहांपुर (पूर्व)
१७५—फ़ज़्लुल हक़, श्री	रामपुर नगर
१७६—फतेह सिंह, श्री	जलेसर-एटा (उत्तर)
१७७—फतेह सिंह राणा, श्री	सरघना (पश्चिम)

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१७८—फूल सिंह, श्री	देवबन्द
१७९—बद्रीनारायण मिश्र, श्री	सलीमपुर (दक्षिण)
१८०—बनारसीदास, श्री	बुलन्दशहर (मध्य)
१८१—बलदेव सिंह, श्री	बनारस (मध्य)
१८२—बलदेव सिंह आर्य, श्री	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
१८३—बलवीर सिंह, श्री	ग़ाज़ियाबाद (दक्षिण)
१८४—बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री	उतरौला (उत्तर)
१८५—बलवन्त सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर (पूर्व)–जानसठ (उत्तर)
१८६—बशीर अहमद हकीम, श्री	सीतापुर (पूर्व)
१८७—बसन्तलाल, श्री	कालपी-जालौन (उत्तर)
१८८—बसन्तलाल शर्मा, श्री	नानपारा (उत्तर)
१८९—बाबूनन्दन, श्री	शाहगंज (पूर्व)
१९०—बाबूराम गुप्त, श्री	कासगंज (पश्चिम)
१९१—बाबूलाल कुसुमेश, श्री	रामसनेहीघाट
१९२—बाबूलाल मित्तल, श्री	आगरा नगर (उत्तर)
१९३—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	टेहरी (दक्षिण) प्रतापनगर
१९४—बिशम्भर सिंह, श्री	सरधना (पूर्व)
१९५—बेचनराम, श्री	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९६—बेचनराम गुप्त, श्री	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९७—बेनीसिंह, श्री	कानपुर तहसील
१९८—बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री	बांसडीह (मध्य)
१९९—बैजूराम, श्री	सिवौली (पश्चिम)
२००—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	कानपुर नगर (दक्षिण)
२०१—भगवतीदीन तिवारी, श्री	जौनपुर (उत्तर)–शाहगंज (पश्चिम)
२०२—भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	बांसगांव (पूर्व)–गोरखपुर (दक्षिण)
२०३—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०४—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	फ़तेहपुर (दक्षिण)
२०५—भगवानदीन वाल्मीकि, श्री	फ़तेहपुर (दक्षिण)–खागा (दक्षिण)
२०६—भगवानसहाय, श्री	तिलहर (दक्षिण)
२०७—भीमसेन, श्री	खुरजा
२०८—भुवरजी, श्री	फूलपुर (पूर्व)–हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२०९—भूपाल सिंह खाती, श्री	अल्मोड़ा (उत्तर)
२१०—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२११—भोला सिंह यादव, श्री	गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२१२—मक़सूद आलम खां, श्री	पीलीभीत (पश्चिम)
२१३—मंगला प्रसाद, श्री	मेजा–करछना (दक्षिण)
२१४—मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री	फर्रुखाबाद (पश्चिम)–छिबरामऊ

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२१५—मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांसी (उत्तर)
२१६—मदनगोपाल वैद्य, श्री	फ़ैज़ाबाद (पूर्व)
२१७—मदनमोहन उपाध्याय, श्री	रानीखेत (उत्तर)
२१८—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
२१९—मलखान सिंह, श्री	कोइल (मध्य)
२२०—महमूद अली खां, श्री	सुआर-टांडा-बिलासपुर
२२१—महमूद अली खां, श्री	सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)-नकुड़ (उत्तर)
२२२—महाजन, श्री सी० बी०	आगरा नगर (पश्चिम)
२२३—महादेव प्रसाद, श्री	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२४—महाराज सिंह, श्री	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२५—महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	हंडिया (दक्षिण)
२२६—महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	मोहनलालगंज
२२७—महीलाल, श्री	बिलारी
२२८—मान्धाता सिंह, श्री	रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२२९—मिजाजीलाल, श्री	करहल (पूर्व) भोगांव (दक्षिण)
२३०—मिहरबान सिंह, श्री	बिधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा (उत्तर)
२३१—मुजफ्फर हसन, श्री	चायल (उत्तर)
२३२—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	पूरनपुर-बीसलपुर (पूर्व)
२३३—मुन्नूलाल, श्री	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
२३४—मुरलीधर कुरील, श्री	बिल्हौर-अकबरपुर
२३५—मुश्ताक अली खां, श्री	सहसवान (पश्चिम)
२३६—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	डुमरिया गंज (दक्षिण)
२३७—मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री	बिजनौर (उत्तर)—नजीबाबाद (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	बनारस नगर (उत्तर)
२३९—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	नगीना (दक्षिण-पश्चिम)-धामपुर (उत्तर पूर्व)
२४०—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री	अमरोहा (पश्चिम)
२४१—मुहम्मद नबी, श्री	बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२४२—मुहम्मद नसीर, श्री	टांडा
२४३—मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४४—मुहम्मद मञ्जूरुलनबी, श्री	सहारनपुर नगर
२४५—मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री	मछलीशहर (दक्षिण)
२४६—मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री	उतरौला (मध्य)
२४७—महम्मद सआदत अली खां, राजा	नानपारा (दक्षिण)
२४८—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व) बांसी (पश्चिम)
२४९—मोहनलाल, श्री	सफ़ीपुर-उन्नाव (उत्तर)

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२५०—मोहनलाल गौतम, श्री	खैर-कोइल (उत्तर पश्चिम)
२५१—मोहन सिंह, श्री	बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)
२५२—मोहन सिंह शाक्य, श्री	अलीगंज (दक्षिण)
२५३—यमुना प्रसाद, श्री	बहराइच (पश्चिम)
२५४—यमुना सिंह, श्री	गाज़ीपुर (मध्य)—मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
२५५—यशोदादेवी, श्रीमती	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५६—रघुनाथ प्रसाद, श्री	मेजा-करछना (दक्षिण)
२५७—रघुराज सिंह, श्री	तरबगंज (पश्चिम)
२५८—रघुवीर सिंह, श्री	बागपति (दक्षिण)
२५९—रणञ्जय सिंह, श्री	अमेठी (मध्य)
२६०—रतन लाल जैन, श्री	नजीबाबाद (उत्तर)—नगीना उत्तर
२६१—रमानाथ खैरा, श्री	महरोनी
२६२—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	मरियाहू (दक्षिण)
२६३—रमेश वर्मा, श्री	किराउली
२६४—राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा	उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६५—राजकिशोर राव, श्री	बहराइच (पूर्व)
२६६—राजकुमार शर्मा, श्री	चुनार (उत्तर)
२६७—राजदेव उपाध्याय, श्री	हाटा (उत्तर)
२६८—राजनारायण, श्री	बनारस (दक्षिण)
२६९—राजनारायण सिंह, श्री	चुनार (दक्षिण)
२७०—राजवंशी, श्री	पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)—देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२७१—राजाराम, श्री	उतरौला (दक्षिण)—कोइल (पूर्व)
२७२—राजाराम किसान, श्री	प्रतापगढ़ (पश्चिम)—कुन्डा (उत्तर)
२७३—राजाराम मिश्र, श्री	फ़ैज़ाबाद (पश्चिम)
२७४—राजाराम शर्मा, श्री	खलीलाबाद (उत्तर)
२७५—राजेन्द्रदत्त, श्री	मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७६—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	बिलग्राम (पूर्व)
२७७—राधामोहन सिंह, श्री	बलिया (पूर्व)
२७८—राम अधार तिवारी, श्री	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर पश्चिम)
२७९—रामअधीन सिंह यादव, श्री	पुरवा (मध्य)
२८०—राम अनन्त पाण्डेय, श्री	बलिया (मध्य)
२८१—राम अवध सिंह, श्री	फरेंदा (उत्तर)
२८२—रामकिंकर, श्री	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम) पट्टी (उत्तर-पश्चिम)

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२८३—रामकुमार शास्त्री, श्री	बांसी (दक्षिण)
२८४—रामकृष्ण जैसवार, श्री	मिर्ज़ापुर (दक्षिण)
२८५—रामगुलाम सिंह, श्री	जलालाबाद (पश्चिम)
२८६—रामचन्द्र विकल, श्री	सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८७—रामचरनलाल गंगवार, श्री	बरेली (पश्चिम)
२८८—रामजी लाल सहायक, श्री	मवाना
२८९—रामजी सहाय, श्री	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२९०—रामदास आर्य, श्री	बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२९१—रामदास रविदास, श्री	अकबरपुर (पश्चिम)
२९२—राम दुलारे मिश्र, श्री	अकबरपुर (दक्षिण)
२९३—रामनरेश शुक्ल, श्री	कुन्डा (दक्षिण)
२९४—रामनारायण त्रिपाठी, श्री	अकबरपुर (पूर्व)
२९५—रामप्रसाद, श्री	राय बरेली—डलमऊ (उत्तर)
२९६—रामप्रसाद देशमुख, श्री	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२९७—रामप्रसाद नौटियाल, श्री	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९८—रामप्रसाद सिंह, श्री	महाराजगंज (दक्षिण)
२९९—रामबली मिश्र, श्री	सुल्तानपुर (पूर्व)–अमेठी (पूर्व)
३००—रामभजन, श्री	मोहमदी (पश्चिम)
३०१—राममूर्ति, श्री	बहेड़ी (उत्तर–पूर्व)
३०२—रामरतन प्रसाद, श्री	रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण–पश्चिम)
३०३—रामराज शुक्ल, श्री	पट्टी (पूर्व)
३०४—रामलखन, श्री	चकिया–चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०५—रामलखन मिश्र, श्री	डुमरियागंज (उत्तर–पश्चिम)
३०६—रामलाल, श्री	बस्ती (पश्चिम)
३०७—रामवचन यादव, श्री	फूलपुर (दक्षिण)
३०८—रामशंकर द्विवेदी, श्री	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
३०९—रामशंकर रविवासी, श्री	लखनऊ (मध्य)
३१०—रामनेही भारतीय, श्री	बबेरी (पश्चिम)
३११—रामसहाय शर्मा, श्री	गरोधा मोठ (उत्तर)
३१२—रामसुन्दर पाण्डेय, श्री	घोसी (पूर्व)
३१३—रामसुन्दर राम, श्री	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१४—रामसुभग वर्मा, श्री	पडरौना (पश्चिम)
३१५—रामसुमेर, श्री	टांडा
३१६—रामस्वरूप, श्री	दूधी-राबर्ट्सगंज
३१७—रामस्वरूप गुप्त, श्री	भोगनीपुर (पश्चिम)–डेरापुर (दक्षिण)
३१८—रामस्वरूप भारतीय, श्री	कुण्डा (दक्षिण)

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३१९—रामस्वरूप मिश्र "विशारद," श्री	महाराजगंज (पश्चिम)
३२०—रामहरख यादव, श्री	बीकापुर (पश्चिम)
३२१—रामहेत सिंह, श्री	छत्ता
३२२—रामेश्वर प्रसाद, श्री	महाराजगंज (पश्चिम)
३२३—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	नैनीताल (दक्षिण)
३२४—लक्ष्मणराव कदम, श्री	मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम) ललितपुर (उत्तर)
३२५—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती,	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२६—लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री	माट-सादाबाद (पश्चिम)
३२७—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	शाहगंज (पूर्व)
३२८—लताफ़त हुसैन, श्री	हसनपुर (उत्तर)
३२९—लालबहादुर सिंह, श्री	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)
३३०—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	बनारस (उत्तर)
३३१—लीलाधर अष्ठाना, श्री	उन्नाव (दक्षिण)
३३२—लुत्फ़ अली खां, श्री	हापुड़ (दक्षिण)
३३३—लेखराज सिंह, श्री	सम्भल (पूर्व)
३३४—वंशनारायण सिंह, श्री	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३५—वंशीदास धनगर, श्री	करहल (पश्चिम)—शिकोहाबाद (पूर्व)
३३६—वंशीधर मिश्र, श्री	लखीमपुर (दक्षिण)
३३७—वशिष्ठ नरायण शर्मा, श्री	गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३३८—वसी नकवी, श्री	महराजगंज (पूर्व)—सलोन (उत्तर)
३३९—वासु देव प्रसाद मिश्र, श्री	कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३४०—विचित्र नारायण शर्मा, श्री	गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४१—विजय शंकर प्रसाद, श्री	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४२—विद्यावती राठौर, श्रीमती	एटा (पूर्व)—अलीगढ़ (पश्चिम)—कासगंज (दक्षिण)
३४३—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	गाजीपुर (पश्चिम)
३४४—विष्णु दयाल वर्मा, श्री	जसराना
३४५—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	मवाना
३४६—वीरसेन, श्री	हापुड़ (दक्षिण)
३४७—वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री	बिलग्राम (पश्चिम)
३४८—वीरेन्द्रपति यादव, श्री	मैनपुरी (दक्षिण)
३४९—वीरेंद्र वर्मा, श्री	कैराना (दक्षिण)
३५०—वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	नानपारा (पूर्व)
३५१—वीरेन्द्र शाह, राजा	कालपी-जालौन (उत्तर)
३५२—व्रजभूषण मिश्र, श्री	दूधी रावर्टसगंज
३५३—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	बिल्हौर-अकबरपुर

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३५४—व्रजवासी लाल, श्री	बीकापुर (मध्य)
३५५—व्रजबिहारी मिश्र, श्री	फूलपूर (उत्तर)
३५६—व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
३५७—शंकरलाल, श्री	कादीपुर (मध्य)
३५८—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	बाह
३५९—शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री	चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३६०—शिवकुमार पाण्डेय, श्री	सिराथू—मंझनपुर
३६१—शिवकुमार मिश्र, श्री	तिलहर (उत्तर)
३६२—शिवकुमार शर्मा, श्री	बिजनौर (दक्षिण)
	धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६३—शिवदान सिंह, श्री	इगलास
३६४—शिवनाथ काटजू, श्री	फूलपुर (मध्य)
३६५—शिवनारायण, श्री	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
३६६—शिवपूजन राय, श्री	मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६७—शिवप्रसाद, श्री	हाटा (मध्य)
३६८—शिवमंगल सिंह, श्री	बांसडीह (पश्चिम)
३६९—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	डुमरियागंज (पश्चिम)
३७०—शिवराजवली सिंह, श्री	खजुहा (पूर्व)—फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३७१—शिवराज सिंह, यादव, श्री	बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
३७२—शिवराम पाण्डेय, श्री	डोरापुर (उत्तर)
३७३—शिवराम राय, श्री	सदर (आजमगढ़) उत्तर
३७४—शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री	करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
३७५—शिववचन राव, श्री	सलीमपुर (उत्तर)
३७६—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	बहराइच (पूर्व)
३७७—शिवस्वरूप सिंह, श्री	ठाकुरद्वारा
३७८—शुकदेव प्रसाद, श्री	महराजगंज (दक्षिण)
३७९—शुगन चन्द, श्री	रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
३८०—श्यामसमनोहर मिश्र, श्री	मलिहाबाद—बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३८१—श्यामलाल, श्री	उतरौला (उत्तर)
३८२—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री	नरैनी
३८३—श्रीचन्द, श्री	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८४—श्रीनाथ भार्गव, श्री	मथुरा (उत्तर)
३८५—श्रीनाथ राम, श्री	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
३८६—श्रीनिवास, श्री	उतरौली (उत्तर)
३८७—श्रीपति सहाय, श्री	राठ
३८८—सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती	कासगंज (पूर्व)—अलीगंज (उत्तर)
३८९—संग्राम सिंह	सोरों (उत्तर) फूलपूर (पश्चिम)

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३९०—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री	सलीमपुर (पूर्व)
३९१—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	गोंडा (पूर्व)
३९२—सत्यनारायण दत्त, श्री	औरय्या-भरथना (दक्षिण)
३९३—सत्यसिंह राणा, श्री	देवप्रयाग
३९४—सत्यानन्द, श्री	सगरी (पूर्व)
३९५—सक़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती	बरेली (पूर्व)
३९६—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	बनारस नगर (दक्षिण)
३९७—सावित्रीदेवी, श्रीमती	मुसाफिरखाना (मध्य)
३९८—सियाराम गंगवार, श्री	फ़र्रुखाबाद (मध्य)—कायमगंज (पूर्व)
३९९—सियाराम चौधरी, श्री	कैसरगंज (मध्य)
४००—सीताराम, डाक्टर	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०१—सीताराम शुक्ल, श्री	हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०२—सुखीराम भारतीय, श्री	सिराथू—मंझनपुर
४०३—सुन्दरलाल, श्री	आओंला (पूर्व)—फरीदपुर
४०४—सुरुजूराम, श्री	सदर (आज़मगढ़) (उत्तर)
४०५—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	हमीरपुर—मौदहा (उत्तर)
४०६—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	बिसवां—सिधौली (पूर्व)
४०७—सुल्तान आलम खां, श्री	कायमगंज (पश्चिम)
४०८—सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री	कानपुर नगर (उत्तर)
४०९—सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री	हाटा (मध्य)
४१०—सेवाराम, श्री	पुरवा (उत्तर)—हसनगंज
४११—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री	सफ़ीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४१२—हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
४१३—हबीबुर्रहमान खां, हकीम, श्री	शाहजहांपुर (मध्य)
४१४—हमीद खां, श्री	कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१५—हरखयाल सिंह, श्री	बागपत (पूर्व)
४१६—हरगोविन्द पन्त, श्री	रानीखेत (दक्षिण)
४१७—हरगोविन्द सिंह, श्री	जौनपुर (पूर्व)
४१८—हरदयाल सिंह पिपल, श्री	हाथरस
४१९—हरदेव सिंह, श्री	देवबन्द
४२०—हरसहाय गुप्त, श्री	बिलारी
४२१—हरिप्रसाद, श्री	बिसलपुर (मध्य)
४२२—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२३—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री	लखनऊ, (मध्य)
४२४—हरिसिंह, श्री	हापुड़ (उत्तर)
४२५—हुकुमसिंह, श्री	कैसरगंज (दक्षिण)

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
४२६—हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री	करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
४२७—होतीलाल दास, श्री	एटा (दक्षिण)
४२८—(रिक्त)	बदायूं (उत्तर)
४२९—(रिक्त)	कैसरगंज (उत्तर)
४३०—(रिक्त)	देवरिया (दक्षिण)
४३१—(रिक्त)	इलाहाबाद नगर (मध्य)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

श्री अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०।

श्री उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल०-एल-बी०।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए०।

सहायक सचिव

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी०।

विशेषाधिकारी

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी०।

अधीक्षक

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०।

श्री भोलादत्त उपाध्याय।

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २४ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३८)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरूप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री

जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री

भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह, खाती, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायन सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरुप मिश्र विशारद, श्री

रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़ अली ख़ां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ससिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम ख़ां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् ललित कलाकारों का भविष्य

*१---श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या स्वाशासन मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि लगभग एक मास के अन्दर सदन के किसी माननीय सदस्य का कोई पत्र उन्हें मिला है जिसमें जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् कवियों, कथावाचकों, गायकों, चित्रकारों, कलाकारों तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं की आर्थिक दशा खराब होने की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---जी हां।

*२---श्री सीताराम शुक्ल---यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रतिलिपि मेज पर रखी जायगी और यह भी बतलाया जायगा कि वह उक्त विषय में क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल गौतम---उपरोक्त पत्र की एक प्रति सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है। स्वायत्त शासन संस्थायें अपनी वर्तमान आर्थिक दशा में इस संबंध में कुछ भी व्यय वहन करने में असमर्थ हैं।

(देखिये नत्थी क आगे पृष्ठ ७२ पर)

श्री सीताराम शुक्ल---क्या सरकार कृपया बतलायेंगी कि महात्माओं, कलाकारों और सार्वजनिक संस्थाओं की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जहां तक स्वायत्त संस्थाओं का संबंध है उनकी आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं है कि उस ओर कोई अमली क़दम उठाया जा सके।

श्री सीताराम शुक्ल---क्या वह खुद सहायता नहीं कर सकते ?

श्री मोहनलाल गौतम---प्रश्न का संबंध डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड और पंचायतों से था उन्होंने अपने पत्र में जो लिखा है उसका उत्तर मैंने बता दिया कि स्वायत्त शासन संस्थायें इस ओर अमली क़दम उठाने में असमर्थ हैं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---क्या इन कलाकारों या इन संस्थाओं की ओर से कोई आवेदन पत्र सरकार की सेवा में आया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार इन कलाकारों और गायकों के लिये कोई एकेडेमी बनाने का विचार रखती है जिससे उनकी कलाओं से समाज को लाभ पहुंच सके ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस प्रकार की थोड़ी सी व्यवस्था तो है और उसको सरकार कुछ सहायता भी देती है।

श्री सीताराम शुक्ल---क्या सरकार को मालूम है कि इन कलाकारों के असंतोष से विरोधी वृन्द लाभ उठा रहे हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसकी सूचना मेरे पास नहीं आई है ?

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अलमोड़ा)—[७ अप्रैल, १९५३ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

दारुलशफा विधायक निवास के फरनीचर के लिये टेण्डर

*३—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दारुलशफा विधेयक निवास में कितने रुपये की कीमत का और कहां से फरनीचर अब तक मंगाया गया?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—विधायक निवास दारुलशफा में दिसम्बर १९५२ के अन्त तक कुल १,७४,८३२ रु० ९ आने की कीमत का फ़रनीचर मय दरियों के मंगाया गया है और उसका विवरण नत्थी किये नक्शा "अ" में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी ख आगे पृष्ठ ७३ पर)

*४—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस फरनीचर के मंगाने से पहले कोई टेण्डर मांगे गये थे?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—इंडियन बाबिन कम्पनी बरेली, माडेल जेल लखनऊ, तथा सेण्ट्रल जेल नैनी से मंगाये गये फ़रनीचर व दरियों के अलावा बाकी सब फ़रनीचर की सप्लाई के लिये टेण्डर मांगे गये थे।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इंडियन बाबिन कम्पनी से टेंडर क्यों नहीं मांगे गये?

श्री हाफ़िज़ मुहम्द इब्राहीम—वह गवर्नमेंट की फैक्टरी है।

मुज़फ्फ़रनगर ज़िले में भारसी पुल से नाला ग्राम तक मार्ग बन्द होने से किसानों को कष्ट

*५—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुज़फ्फ़र नगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि पूर्वी जमुना नहर (मुजफ्फरनगर) की दायीं पटरी के पास का प्राचीन किसानों की गाड़ी का रास्ता बन विभाग ने भारसी पुल से नाला ग्राम पुल तक बन्द कर दिया है?

सिंचाई उप मंत्री (श्री राममूर्ति)—पूर्वी यमुना नहर मुजफरनगर की दांई पटरी के पास का प्राचीन किसानों का रास्ता वन विभाग ने बन्द नहीं किया है अपितु इस रास्ते को तो धीरे धीरे किसानों ने ही अपने खेतों में मिला लिया है। वनविभाग ने तो नहर विभाग की वह भूमि जो इस रास्ते और नहर की दांई पटरी के बीच में थी और जिसे किसानों ने अनधिकृत रूप से गाड़ी के रास्ते के लिये प्रयोग करना आरम्भ कर दिया था, बन्द किया है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस सन के शजरे से और किन कागज़ात से ज्ञात हुआ है कि किसानों ने उस रास्ते को अपने खेतों में मिला लिया है?

श्री राममूर्ति—सन् १९४४ के बाद जब जब गल्ले की कीमत बढ़ने लग गई तो उसके बाद किसानों में एक टेंडेंसी डेवलप हो गई है और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तमाम रास्तों को अपने खेतों में मिलाने की कोशिश की है।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह रास्ता उसी स्थान पर सैकड़ों वर्षों से था ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें जो नक्शा दिया हुआ है उसमें यह लिखा हुआ है कि ८३ मील ४ फर्लांग तक यह रास्ता हमेशा किसानों की जमीन पर चला करता था और उसके अलावा जो जमीन उस नहर और खेतों के बीच में है वह नहर विभाग के हिस्से में है और उस पर थोड़े ही दिन हुए हैं वन विभाग ने अपने पेड़ लगा दिये हैं और रास्ता बन्द हो गया है।

श्री श्रीचन्द--क्या सरकार ने इस संबंध में पैमाइश कराई है ?

श्रीराम मूर्ति--जी हां।

श्री श्रीचन्द--क्या सरकार यह प्रबन्ध करेगी कि खेतों से मिली हुई उस भूमि को किसान छोड़ दें और रास्ता बन जाय ?

श्री राममूर्ति--इस संबंध में अच्छा तो यह हो कि माननीय सदस्य डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मूव करें तो वह इस मामले को देखेंगे। यह हमारे देखने की चीज नहीं है।

*६--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि किसानों को अपना गन्ना कोल्हू तथा गन्ना फैक्ट्री में ले जाने में बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है ?

श्री राममूर्ति--जी हां, इस विभाग की भूमि के अनधिकृत उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा देने से कृषकगण अवश्य कठिनाई का अनुभव कर रहे होंगे।

*७--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार शीघ्र ही इस गाड़ी की लीक का भारसी पुल से ग्राम नाला पुल तक खुलवाने की आज्ञा करेगी ?

श्री राममूर्ति--गाड़ी के इस पुराने रास्ते को खोलना स्वयं किसानों पर ही निर्भर है। इसे खोलने के लिये उन्हें उस भूमि पर अधिकार छोड़ना होगा जो उन्होंने अनधिकृत रूप से अपने खेतों में मिला ली थी।

जौनपुर ज़िले की कुछ कच्ची सड़कों को पक्की करवाने का सुझाव

*८--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जौनपुर जिले में कुछ कच्ची सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से वापस की जा रही हैं ?

निर्माण उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--जी नहीं।

*९--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--यदि हां, तो कब से और किन किन सड़कों को वापिस किया जा रहा है और वे सड़कें कब पक्की की जाने वाली हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह प्रश्न ही नहीं उठता।

*१०--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर की कुछ पक्की सड़कों पर सीमेंट किया जाने वाला है ?

श्रीचतुर्भुज शर्मा--जी नहीं।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और वहां के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर ने जौनपुर की कुछ ख़ास ख़ास सड़कों की मरम्मत कराने के लिये कोई सिफ़ारिश लिखकर भेजी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, ऐसा एक खत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भेजा था लेकिन उनको यह कह दिया गया कि जो ग्रांट उनको दी गई है उसी में से यह कार्य करायें।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वहां की सड़कों की मरम्मत के लिये १९५३-५४ में कितनी ग्रांट दी जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये सूचना की ज़रूरत पड़ेगी।

*११-१३--**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ २१ पर।]

पश्चिमी और पूर्वी जिलों में ट्यूब वेल्स की लागत और सिंचाई की दर

*१४--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि पश्चिमी जिलों में लगे हुए ट्यूबवेलों की लागत प्रत्येक ट्यूबवेल कम से कम और अधिक से अधिक क्या है ?

श्री राममूर्ति--इस प्रदेश में ट्यूबवेल निर्माण सब से पहिले पश्चिमी जिलों में १९३४-३५ में हुआ। उस समय प्रत्येक ट्यूबवेल की लागत कम से कम ११,९०० रुपये थी। तब से यह लागत धीरे धीरे बढ़ती गई। १९४८-४९ में जो कुएं पश्चिमी जिलों में बनें उन पर अधिक से अधिक ३५,६०० रुपये प्रत्येक ट्यूबवेल पर खर्च हुआ।

*१५--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पश्चिमी जिलों के ट्यूबवेलों तथा नहर की सिंचाई की दर अलग अलग क्या हैं तथा गोरखपुर में लगे हुए ट्यूबवेलों की सिंचाई दर कम से कम क्या है ?

श्री राममूर्ति--पश्चिमी जिलों के नलकूपों तथा नहर और गोरखपुर में लगे हुये नलकूपों की सिंचाई की दरों की तफसील मेज़ पर रक्खी हुई विवरण पत्रिका में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी ग आगे पृष्ठ ७४-७५ पर)

*१६--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ बलिया और गाजीपुर में जो ट्यूबवेल्स लगाये जा रहे हैं प्रत्येक की कम से कम लागत क्या होगी एवं सिंचाई की दर क्या होगी ?

श्री राममूर्ति--पूर्वी जिलों में जो नलकूप बनाये जा रहे हैं उनमें से प्रत्येक की लागत ४१,२५० रुपये होगी इस लागत में पानी के वितरण के लिये जो नालियां इत्यादि सिंचाई विभाग को बनानी पड़ेंगी, उसकी भी लागत शामिल है।

जहां तक सिंचाई की दरों का प्रश्न है मैं माननीय सदस्य का ध्यान वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें यह बताया गया था कि इस प्रदेश में सिंचाई की दरें यथासम्भव समान होंगी तथा वर्तमान दरों से ५० प्रतिशत अधिक होंगी। इस ५० प्रतिशत बढ़ती के बाद नलकूपों से सिंचाई की वास्तविक दरें क्या होंगी, इस पर सरकार विचार कर रही है और इस फ़ैसले को सरकारी विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित कर दिया जावेगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय सूचना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९३४–३५ तथा सन् १९४८–४९ में जो ट्यूबवेल्स लगे हैं उनके व्यय में पानी वितरण की नालियां बनाने का व्यय भी शामिल है?

श्री राममूर्ति—जी हां।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक ट्यूबवेल पर कितना खर्चा नालियों पर हुआ?

श्री राममूर्ति—मैं इसके लिये नोटिस चाहता हूं तभी पूरी रकम बतलायी जा सकती है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार को मालूम है कि कुछ प्राइवेट कम्पनियां अपने प्रान्त में जो खर्चा सरकार की तरफ से हुआ है उससे सस्ते रेट पर काम करने के लिये तैयार हैं?

श्री राममूर्ति—मेरे पास इस तरह की कोई नोटिस नहीं है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फ़रनगर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय पश्चिमी जिलों में प्रत्येक ट्यूबवेल पर क्या खर्चा आता है?

श्री राममूर्ति—जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया आज कल ३८ हजार रुपये खर्चा आता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९३४–३५ में जो ट्यूबवेल बने हैं वह किसी एजेन्सी द्वारा बनाये गये हैं?

श्री राममूर्ति—वह अपने विभाग के ज़रिये से ही बनाये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—और यह १९४८–४९ में किस विभाग के द्वारा बनाये गये हैं?

श्री राममूर्ति—वह भी अपने विभाग के ज़रिये से ही बनाये गये हैं जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के ज़रिये से बने हैं उनमें कुछ के लिये फौरन कम्पनीज़ को ठेका दिया गया था।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९३४–३५ में जो ट्यूबवेल बनाये गये उससे सन् १९४८–४९ में बने ट्यूबवेल पर अधिक खर्चा क्यों हुआ?

श्री राममूर्ति—यह तो ज़ाहिर सी बात है। उस वक्त के और आजकल के खर्चे में फर्क है और इसी वजह से आज कल का खर्चा बढ़ गया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय सूचना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में जो ट्यूबवेल्स लगे हैं उनकी सिंचाई दर क्या है?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—वह आपके विवरण पत्रिका में दी हुई है उसको आप देख लें कि गोरखपुर की क्या दर है?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह अन्तर क्यों है?

श्री राममूर्ति—अन्तर का कारण यह है कि गोरखपुर जिले में जो बिजली इस्तेमाल होती है वह डीज़ल स्टेशन से सप्लाई होती है और उसका खर्च हाइड्रोग्रिड से सप्लाई पाने वाले कुओं से बढ़ जाता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि क्या उसके पास इस तरह की शिकायतें आई हैं कि पानी का सरचार्ज और सिंचाई की दर अधिक होने के कारण ट्यूबवेल इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय सिंचाई मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि गोरखपुर ट्यूबवेल्स से सम्बन्धित पानी के विषय में काश्तकारों की कुछ शिकायतें आई हैं कि वहां के कर्मचारियों की गड़बड़ के कारण पानी ठीक समय पर नहीं मिलता?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी शिकायतें इधर-उधर से आया ही करती हैं।

श्री केशव पाण्डेय—सरकार ने उन शिकायतों को दूर करने का क्या उपाय किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जांच की जाती है और जहां तक हो सकता है शिकायतें दूर की जाती हैं।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिस तरह से पश्चिमी जिलों में नदियों से पानी लेकर बिजली तैयार करके सिंचाई के काम में लाई जाती है उसी तरह से पूर्वी जिलों गोरखपुर आदि में भी बिजली बनाकर सस्ती नहीं की जा सकती?

श्री राममूर्ति—अभी गोरखपुर के बारे में कोई ऐसी योजना तैयार नहीं हुई है अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो आपके नोटिस में लाई जायगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि पूर्वी जिलों में जो ट्यूबवेल्स का निर्माण हो रहा है वह किस एजेंसी द्वारा बनवाये जा रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह पूर्वी जिलों में देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आज़मगढ़, बलिया, बनारस, जौनपुर आदि में बन रहे हैं और हमारे विभाग की ओर से ही बनाये जा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ४१ हजार २५० रुपये प्रत्येक ट्यूबवेल की जो लागत है उसमें पानी वितरण की नालियों की क्या लागत होगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह अलग से अभी जोड़ा नहीं जा सका है। अगर इसकी नोटिस मिले तो जोड़ करके अलग से बता दिया जायगा।

*१७–१९—**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)—[७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*२०–२१—**श्री चिरंजीलाल पालीवाल** (जिला फर्रुखाबाद)—[२१ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

माताटीला बांध के निर्माण में लगे हुये मजदूरों की मजदूरी

*२२—श्री लक्ष्मणराव क़दम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बतान की कृपा करेगी कि माताटीला बांध के काम में कितने मजदूर लगे हुये हैं?

श्री राममूर्ति—माताटीला बांध पर इस समय १६०० मजदूर काम कर रहे हैं।

*२३—श्री लक्ष्मणराव क़दम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वहां कुछ कैदी भेजे जा रहे हैं?

श्री राममूर्ति—इस समय जेल के कैदी माताटीला बांध पर नहीं भेजे जा रहे हैं?

*२४—श्री लक्ष्मणराव क़दम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मजदूरों को वहां क्या मजदूरी मिलती है?

श्री राममूर्ति—मजदूरों का दैनिक श्रम वेतन सवा रुपये से २ रुपये तक है। जो मजदूर मिट्टी का काम करते हैं उन्हें सवा रुपये से डेढ़ रुपय तक मिलता है तथा जो पत्थर का काम करते हैं उन्हें डेढ़ से २ रुपये तक मिलता है।

श्री लक्ष्मणराव क़दम—क्या सरकार मजदूरों व उनसे संबंधित लोगों की आबादी का खयाल करते हुये वहां पर नल या कुएं तथा अस्पताल खुलवाने का प्रबन्ध करेगी?

श्री राममूर्ति—अभी तक इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई है जिस चीज की जरूरत महसूस होती है, जो डिपार्टमेंट की नालेज में बात लायी जाती है उसके लिये डिपार्टमेंट इन्तजाम कर देता है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि माताटीला बांध कब तक बन जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—निश्चित रूप से कहना कठिन है। कुछ थोड़ी सी उसमें कठिनाइयां भी हैं। लेकिन हमारा प्रयत्न है कि १९५६ तक उसको बनवा दें।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि बुंदेलखंड में पिपरी नाम के बांध के बनाने में काफी लागत लगी और उसके बाद बन्द कर दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, उसको रोका गया और यह सोच कर कि माताटीला से ज्यादा काम होगा, कुछ थोड़ा सा काम करने के बाद रोका गया। लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि जो पैसा खर्च हुआ वह वेस्ट हुआ। चूंकि प्रारम्भिक कार्य हो चुका है, इसलिए जब चाहें तब बना सकते हैं?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे माताटीला बांध बन जाने से कितने एकड़ सिंचाई हो जायगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा खयाल है कि करीब ४ लाख एकड़।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे इन दोनों बांधों का, माताटीला और पिपरी, कितना आपस में फासला है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पिपरी में कोई बांध नहीं है। न बन रहा है।

*२५-२६—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—[७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

हरद्वार से लक्सर स्टेशन तक पक्की सड़क का निर्माण

*२७—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार का विचार हरद्वार से लक्सर स्टेशन को पक्की सड़क द्वारा मिलाने का है? यदि हां, तो यह योजना कब अमल में आयेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। यह सड़क निर्माण की योजना के द्वितीय चरण में पक्की बनाई जाने के लिये प्रस्तावित है।

द्वितीय चरणवाली योजनाओं पर सरकार प्रथम चरण की योजनाओं की पूर्ति पर विचार करेगी।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह सड़क पहले प्रथम चरण में रखी गयी थी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। नहीं रखी गयी।

आम चुनाव में प्रदेशीय सरकार का कुल व्यय

*२८—श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर)—गत आम चुनाव में प्रदेशीय सरकार को कुल कितना व्यय करना पड़ा?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—निन्यानवे लाख सत्रह हजार सात सौ तीन।

श्री लालबहादुरसिंह—क्या इस धनराशि में बैलट बाक्सेज की कीमत और छपाई वगैरह सब सम्मिलित है?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, जितना कुल रुपया खर्च हुआ मुख्तलिफ चीजों पर वह सब सम्मिलित है।

श्री लालबहादुरसिंह—चुनाव के सम्बन्ध में अफसरों को जो भत्ते दिये गये हैं, उनमें केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार ने किस अनुपात से दिया है?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—उसकी तफसील इस वक्त अलग अलग मौजूद नहीं है। सिर्फ इतना तो है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इतना और हमने इतना दिया।

*२९-३०—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—[७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*३१-३२—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—[३० मार्च, १९५३ के लिये संख्या ५९-६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३३-३५—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—[७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले में नलकूपों का निर्माण

*३६—श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में सन् १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३ में कितने नये ट्यूबवेल बने?

श्री राममूर्ति—बुलन्दशहर जिले में निम्नांकित संख्या में नलकूप बनाकर चालू किये गये—

१९५०–५१	४
१९५१–५२	३
१९५२–५३	२०

*३७—श्री धर्मसिंह—क्या सिंचाई मंत्री उपरोक्त जिले में इस वर्ष कुछ नये ट्यूबवेल बनाने का विचार रखते हैं?

श्री राममूर्ति—जी हां। स्वीकृत योजनाओं के शेष ५ नलकूप १९५३–५४ में बनेंगे।

श्री धर्मसिंह—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वीकृत योजना में जिला बुलन्दशहर में सन् १९५०–५१, १९५१–५२ और १९५२–५३ में कितने ट्यूबवेल्स स्वीकृत हुये थे?

श्री राममूर्ति—१९५१–५२ के अन्दर अब तक ३३६ नलकूप काम कर रहे थे। १९५२–५३ में ३५७ हो गये और १९५३–५४ में ३६२ हो जायेंगे।

जिला फैज़ाबाद में नलकूपों का निर्माण

*३८—श्री रामदास रविदास (ज़िला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ज़िला फैजाबाद में कुल कितने ट्यूबवेल बन रहे हैं और उनसे किन किन तहसीलों में सिंचाई होगी?

श्री राममूर्ति—फैजाबाद में २३६ नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। यह नलकूप तहसील बीकापुर और फैजाबाद में बन रहे हैं।

श्री रामदास रविदास—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि टांडा और अकबरपुर तहसीलों के लिये क्या हो रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अकबरपुर और टांडा के जिलों में अभी नलकूप की तो योजना नहीं है, परन्तु वहां जो घाघरा की पम्प कैनाल है उसके विस्तार की योजना पर सरकार विचार कर रही है।

*३९–४०—श्री दलबहादुरसिंह (ज़िला रायबरेली)—[७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*४१–४३—श्री रामस्वरूप (ज़िला मिर्ज़ापुर)—[६ अप्रैल, १९५३ के लिये संख्या २१–२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४४–४६—श्री ब्रजभूषण मिश्र (ज़िला मिर्ज़ापुर)—[१४ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*४७–४८—श्री कैलाशप्रकाश (ज़िला मेरठ) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २१–२२ पर]

*४९—श्री पुत्तूलाल (ज़िला आगरा) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २२ पर]।

*५०–५१—श्री नागेश्वर द्विवेदी (ज़िला जौनपुर) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २२–२३ पर]

कुमायूं सिंचाई योजना के अन्तर्गत बनाई गई नहरें

*५२--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमायूं डिवीज़न की इरिगेशन स्कीम के अनुसार अब तक बनाई गयी गूलों या छोटी नहरों में से कितनी सफल और कितनी असफल रही हैं ? अगर कोई असफल रही हैं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--साधारणतया प्रत्येक नहर प्रणाली के पूर्ण विकास के लिये ३ से ५ वर्ष तक का समय आवश्यक है। कुमायूं सिंचाई योजना के अन्तर्गत बनाई गई नहरें यद्यपि अभी धीरे धीरे विकसित हो रही हैं फिर भी सिंचाई के उन आंकड़ों से, जो प्रारम्भिक सिंचाई से प्राप्त हुये हैं, पूरी आशा है कि ये सभी योजनाएं सफल होंगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि यह कुमायूं में बनाई गई नहरें और गूलें किन किन स्थानों पर बनी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि ये धीरे-धीरे विकसित होने वाली नहरों की प्रारम्भिक सिंचाई के आंकड़े क्या हैं ?

श्री राममूर्ति--उसका उत्तर तो दिया कि अगर आप विवरण देखना चाहें तो कमरे में आ जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन् , कमरे में जो सूचना है वह तो दूसरी है। मैं प्रारम्भिक सिंचाई के आंकड़े पूछता हूं।

श्री अध्यक्ष--उसके लिये भी उन्होंने वही जवाब दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि यह पाटकोट और पोखराड़ योजनाओं का अन्वेषण कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरा ख़याल है इस वर्ष बरसात के पहले पूरा हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि घंघरेटी और बरघौ में जिस स्थान पर सर्वे किया गया है वह किसी हालत में उचित नहीं था और दूसरे स्थानों पर सर्वे कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यदि कहीं और आपका सुझाव हो कि वहां नहर बन सकती है तो उसका सर्वे गवर्नमेंट करायेगी।

*५३--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमायूं में उपर्युक्त बनाई गूलों या छोटी नहरों द्वारा अब तक अलग अलग (वार्षिक) कितने एकड़ ज़मीन सींची गई है ?

श्री राममूर्ति--माननीय सदस्य इस सूचना को मेरे कमरे में रखी हुई विवरण पत्रिका में देख सकते हैं।

*५४—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार बतायेगी कि भविष्य में कुमायूं इरिगेशन स्कीम के अनुसार घंघरेटी, बरघौ, पाटकोट, पाडली, फतेहपुर तथा पोखराड़ (जिला नैनीताल) में भी छोटी नहरें बनाई जाने की योजना बनी है ? अगर हां, तो वहां कब तक कार्य शुरू हो जावेगा ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई के लिये इन सभी योजनाओं का अन्वेषण किया गया जिसके परिणामस्वरूप घंगरेटी तथा बरघौ नामक योजनाओं को निर्माणक तथा आर्थिक कठिनाइयां होने के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

पाटकोट तथा पोखराड़ योजनाओं पर अभी अन्वेषण जारी है और यदि इनके निर्माण के साधन अनुकूल हुये तो इन्हें बनाया जायेगा।

पाडली नहर योजना को जिला नियोजन समिति के समक्ष विचारार्थ रखने के लिये आदेश दिया गया है। ७५,००० रुपये के आगणित व्यय की फतेहपुर नहर योजना स्वीकृत हो गई है और इसका निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने का आदेश भी दे दिया गया है।

इलाहाबाद ज़िले की सड़कों को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पक्की करने का निश्चय

*५५—**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना**—क्या सरकार बताने की कृपया करेगी कि इलाहाबाद ज़िले की किन-किन सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पिछले ५ वर्षों में इलाहाबाद जिला बोर्ड को वापस किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इन सड़कों का नाम माननीय सदस्य की मेज़ पर रखी हुई तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७६ पर)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिला बोर्ड इलाहाबाद की ओर से कोई आवेदन-पत्र इन सड़कों के रख रखाव के लिए जो पैसा मिलता है, उसके बढ़ाने के सिलसिले में, सरकार के पास आया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी तक ऐसा कोई पत्र नहीं आया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिला बोर्ड इलाहाबाद को इन सड़कों के रख-रखाव के लिए सरकार से कोई अतिरिक्त सहायता मिलती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सन् १९५२ में ३१ हजार रुपया दिया गया था इन सड़कों के लिये और हरसाल बोर्ड को ग्रांट दी जाती है, जो इनका हिस्सा पड़ता है वह दिया जाता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि यह जो सड़कें जिला बोर्ड को वापस दी गई हैं, यह सब कच्ची सड़कें हैं, सीमेंटेड हैं या कंकड़ की हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सब कच्ची सड़कें हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या सरकार इन सड़कों को पक्का करवाने के सिलसिले में कोई कदम उठायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह बता दिया गया है कि योजना बनाई गई है और जो पक्की सड़कों के लिये फर्स्ट फेज में ली गयी हैं वही बनाई जा रही हैं।

*५६--**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना**--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि पंचवर्षीय योजना में इलाहाबाद जिले की किन-किन सड़कों को पक्का करने का या बनाने का निश्चय किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद जिले की जिन जिन सड़कों को पक्का कराने या बनाने का निश्चय किया गया है उनका नाम माननीय सदस्य की मेज़ पर रक्खी हुई तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७७ पर)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों पर कार्य आरम्भ हो गया है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, कुछ पर कार्य आरम्भ हो गया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि इन सड़कों के बनाने का कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह ठीक ठीक तो नहीं बतलाया जा सकता लेकिन आशा है कि बहुत जल्दी पूरा होगा।

पूर्वी जिलों में नलकूपों की जिलेवार संख्या

*५७--**श्री शिवनारायण** (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूर्वी जिलों में कुल कितने ट्यूबवेल्स बनाये जा रहे हैं ? क्या सरकार जिलेवार उसकी लिस्ट मेज़ पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूर्वी जिलों में १६६० नलकूप बनाने का विचार है।

आयोजित १६६० नलकूपों के जिलेवार विवरण की लिस्ट मेज़ पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७८ पर)

*५८--**श्री शिवनारायण**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनमें से ३१ मार्च, सन् १९५३ तक कितने तैयार हो जायंगे ?

श्री राममूर्ति--३१ मार्च, १९५३ तक १३७ नलकूप तैयार हो जावेंगे। मेज पर रक्खी सूची से इन १३७ नलकूपों का भी जिलेवार विवरण मालूम हो जावेगा।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७८ पर)

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर देवरिया और बस्ती में जो ट्यूबवेल तैयार किये जा रहे हैं वे बिजली द्वारा अथवा आयल इंजिन द्वारा चलाये जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी बिजली का पावर स्टेशन वहां का बढ़ भी रहा है, बिजली मिल जायगी तो बिजली से चलाया जायगा।

श्री शिवनारायण---यह जो सूची में जिलावाइज ट्यूबवेल्स का बटवारा हुआ है वह क्षेत्रफल के अनुसार हुआ है या आबादी के अनुसार हुआ है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह प्रश्न कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, इस दृष्टि से तो कोई बटवारा होता नहीं। जरूरत के हिसाब से जहां मुनासिब समझा जाता है कि यहां इस वक्त बनना चाहिये, उस तरह से बटवारा कर लिया जाता है।

श्री शिवनारायण---यह जो सूची हमारे सामने प्रस्तुत है क्या इन्हीं को मैं पूर्वी जिलों में तसव्वर कर लूं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पूर्वी जिले तो ये हैं ही, कोई दूसरे पूर्व के जिले हैं क्या?

श्री रामदास रविदास---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिला भी पूर्वी जिलों में लगता है?

श्री राममूर्ति---फैजाबाद जिला पूर्वी जिलों में जैसा स्ट्रिक्टली कहा जाता है वैसा नहीं लगता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं कि आजमगढ़ जिले में कितने ट्यूबवेल्स मार्च, १९५३ तक बनेंगे?

श्री राममूर्ति---इसमें पांच दिये हुये हैं।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा, जौनपुर, बहराइच और सुल्तानपुर में कार्य अभी तक क्यों नहीं आरम्भ हुआ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कार्य आरम्भ तो सब जगह धीरे-धीरे हो रहा है, जहां नहीं हुआ है वहां सर्वे हो रहा है, और वहां भी आरम्भ होगा। सब स्थानों पर एक साथ कार्य आरम्भ करना आसान नहीं है।

*५९---श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---[२१ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*६०---श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २३ पर]

*६१---श्री बलवन्तसिंह---[१४ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*६२-६३---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २३ पर]

*६४-६५---श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २३-२४ पर]

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में सिंचाई के नये साधन

*६६---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--- क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्दर कौन-कौन से सिंचाई के नये साधन निर्माण किये जाने को हैं?

श्री राममूर्ति--पंचवर्षीय योजना के अधीन तो कानपुर जिले के लिये संप्रति कोई योजना नहीं है पर पन्द्रह वर्षीय योजना के अनुसार रामगंगा डेम बनने पर कानपुर जिले में ८७ हजार एकड़ नई भूमि की सिंचाई की सुविधा उत्पन्न करने की योजना अवश्य है।

श्री मुरलीधर कुरील--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर में सिंचाई के लिये ट्यूबवेल बनाये जा सकते हैं ?

श्री राममूर्ति--जी हां, ट्यूबवेल जरूर बनाये जा सकते हैं।

श्री मुरलीधर कुरील--क्या माननीय मंत्री जी इसके लिये प्रबन्ध कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री राममूर्ति--कानपुर के जिले में २,८५,१०५ एकड़ जमीन में इस वक्त सिंचाई की जा रही है। पहले उन जिलों को लिया जा रहा है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था बहुत कम है इसलिये इस वक्त कोई प्रश्न गवर्नमेंट के सामने कानपुर के लिये नहीं है।

*६७-६८--श्री मुरलीधर कुरील--[१४ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

मुजफ्फरनगर जिले के निर्माण कार्य पर सन् १९५१-५२ में व्यय

*६९--श्री श्रीचन्द--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में निर्माण-कार्य में १९५१-५२ में क्या व्यय हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--८,६२,३९१ रुपये।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कुल व्यय पी० डब्ल्यू० डी० ने किया है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह पी० डब्ल्यू० डी० का खर्चा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है।

*७०--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) में १९५१-५२ में क्या क्या निर्माण-कार्य किये गये और क्या लागत लगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--तहसील बुढ़ाना में १९५१-५२ में जो निर्माण कार्य किये गये तथा उनकी लागत की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७९ पर)

युद्धोत्तर निर्माण योजना के अन्तर्गत जिला खीरी में सड़कों का निर्माण

*७१--श्री रामभजन शर्मा (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि युद्धोत्तर निर्माण कार्य के सिलसिले में जिला खीरी के अन्तर्गत कितनी कच्ची तथा पक्की सड़कें निर्माण की गयीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—युद्धोत्तर निर्माण योजना के अन्तर्गत जिला खीरी में जिन जिन कच्ची तथा पक्की सड़कों का निर्माण किया गया उनके नाम माननीय सदस्य की मेज़ पर रखी हुई तालिका नं० १ में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८० पर)

श्री रामभजन शर्मा—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि तालिका पर जो सड़कों के नाम दिये गये हैं, उनके अतिरिक्त उक्त योजना में और कोई सड़कें शामिल थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इससे तो यही मालूम होता है कि यही सड़कें शामिल थीं।

*७२—**श्री रामभजन शर्मा**—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि वह जिला खीरी तथा शाहजहांपुर के अन्तर्गत पुवायां-मोहम्मदी-मैंगलगंज पक्की सड़क बनवाने का इरादा रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*७३—**श्री रामभजन शर्मा**—ज़िला खीरी के अन्तर्गत पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की कितनी सड़कें हैं और उक्त विभाग ने कितनी सड़कें ज़िला बोर्ड के हवाले कर दी हैं ? क्या सरकार इसका विवरण देने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला खीरी में निर्माण विभाग के अन्तर्गत इस समय जो सड़कें हैं तथा जो सड़कें जिला बोर्ड खीरी को वापस कर दी गई हैं उनके नाम माननीय सदस्य की मेज़ पर रखी हुई तालिका नं० २ में दिये हुये हैं

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८१ पर)

गोरखपुर में निर्माण विभाग द्वारा कार्य

*७४—**श्री केशव पाण्डेय**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में सन् १९५२ में निर्माण विभाग द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य हुए हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय सदस्य की मेज़ पर दो तालिकायें रख दी गई हैं जिसमें सन् ५२ में निर्माण विभाग द्वारा भवनों तथा सड़कों पर किये गये निर्माण कार्यों का विवरण दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ८२–८३ पर)

श्री केशव पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो तालिका हम को दी गयी है उसमें इस वर्ष कुल बनवाने में कितना खर्चा हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

श्री केशव पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सन् १९५२ में निर्माण कार्यों के निमित्त जो बजट रखा गया था उसकी कितनी रकम बाकी बच गयी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये भी नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

*७५—**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २४ पर]

नारंगीबाह घाट में जमुना के ऊपर तथा पिनाहट में चम्बल के ऊपर पुल की आवश्यकता

*७६--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--क्या सरकार नारंगीबाह घाट पर जमुना केऊपर तथा पिनाहट (जिला आगरा) में चम्बल के ऊपर किसी प्रकार के पुल बनाने का विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार को विदित है कि चम्बल के ऊपर पुल व्यापार और पुलिस दोनों के काम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--हो सकता है। जी हां, मालूम है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार उस पर एक पोंटून ब्रिज बनाने पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसकी कुछ चर्चा चली थी। जो चिट्ठी आई थी उस पर विचार किया गया था लेकिन फ़िलहाल इस पर कोई काम नहीं किया जा सकता है।

हैण्डलूम के बने हुए छपे तथा रंगीन कपड़ों पर सेल्स टैक्स

*७७--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार को विदित है कि hand loom के बने हुए छपे तथा रंगीन कपड़े पर sales tax लगाया जा रहा है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--हैण्डलूम के छपे कपड़े पर ३ पाई फी रुपया बहु-स्थानीय उत्तर प्रदेश बिक्री कर (सेल्स टैक्स) लिया जाता है और हैण्डलूम के रंगीन कपड़े पर यह कर नहीं लिया जाता है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रंगीन और छपे कपड़े पर यह भेद किस आधार पर किया जाता है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--कपड़े को रंगने से उसकी कीमत में बहुत थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, और छपने से उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है।

*७८--श्री देवकीनन्दन विभव--[३१ मार्च, १९५३ के लिए स्थगित किया गया]

*७९-८१--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--[७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

रुड़की विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का त्यागपत्र

*८२--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या यह सच है कि रुड़की विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--जी हां। रुड़की विश्वविद्यालय का वातावरण उनके अनुकूल नहीं था।

रुड़की विश्वविद्यालय में प्रति मास प्रति विद्यार्थी का व्यय

*८३--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार बतलायेगी कि रुड़की विश्वविद्यालय में प्रति मास प्रति विद्यार्थी भोजन का, छात्रालय का तथा शिक्षण का पृथक पृथक क्या व्यय होता है ? क्या सरकार इस खर्च में कमी करने का विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--रुड़की विश्वविद्यालय में प्रति मास प्रति विद्यार्थी का खर्च भोजन का शाकाहारी ६२।।=) और अशाकाहारी ७४।≡), छात्रालय का मय सफाई, पानी, बिजली और फर्नीचर के किराये के १२।।।≡) और शिक्षण का २४) होता है।

जी हां, इसके संबंध में जांच करने का इरादा है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार बतायेगी कि व्यय कम करने की जो जांच वह करने का इरादा रखती है वह कब तक हो जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक नया इन्तजाम हो रहा है और मेरे खयाल में इस साल के अन्दर वह हो जायगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--हरिजन विद्यार्थियों से भी क्या वही व्यय लिया जाता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, हरिजनों से भी वही लिया जाता है।

* * * * *

रामपुर जिले में कोसी नदी के लालपुर बांध का कार्य

*११--श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले में कोसी नदी के लालपुर बांध के संबंध में जिस के लिए १९५२-५३ ई० के बजट में ७५,००० रुपये की अनावर्तक धनराशि स्वीकृत की गयी थी अब तक क्या कार्य किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कोसी नहर के लालपुर बांध पर अभी काम आरम्भ नहीं किया जा सका है। बाढ़ में बांध को कोई क्षति न पहुंचे इस उद्देश्य से यह परम आवश्यक प्रतीत हुआ कि माडेल (Model) पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करके बांध की रूपरेखा (Design and alignment) निश्चित की जाये। बहादुराबाद के अन्वेषणालय (Research Station) में इसके लिये बहुत से प्रयोग किये गये हैं। इन प्रयोगों के परिणाम इसी मास (मार्च, १९५३) में विदित होने की आशा है। उसके उपरान्त बांध के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा और आशा की जाती है कि यह कार्य वर्षा ऋतु के पूर्व ही पूर्ण हो जायगा।

*१२--श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले की तहसील शाहबाद के सेफनी क्षेत्र में गांगन नदी का एस्केप न बनने के कारण धान की खेती को नुकसान हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

*१३--श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस एस्केप को कब तक बनाने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गांगन एस्केप के निर्माण का कार्य आरम्भ हो चुका है और वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में समाप्त हो जायगा।

* * * * *

भाकरा नागल बांध से प्राप्त की गई बिजली की दर

*४७--श्री कैलाशप्रकाश (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि भाकरा नागल बांध योजना अधिकारी कुछ विद्युत शक्ति हमारे प्रदेश को देने के लिए तैयार है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां।

नोट--तारांकित प्रश्न ४७-४८ श्रीमती प्रकाशवती सूद ने पूछे।

*४८—श्री कैलाशप्रकाश (अनुपस्थित)—यदि हां, तो कितनी और किस दर पर? वह शक्ति कब तक प्राप्त हो जायेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—लगभग १० हजार किलोवाट। मगर अभी तय नहीं हुआ है कि बिजली किस दर पर और किस समय तक मिल सकेगी।

मद्य निषेध प्रचारकों की नियुक्ति

*४९—श्री पुत्तूलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मद्य निषेध का प्रचार करने के लिये प्रति वर्ष कितने प्रचारक रक्खे जाते हैं और उनको वर्ष में कितने महीने के लिए नियुक्त किया जाता है?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—सरकार ने प्रचारकों की कोई संख्या नहीं नियत कर रक्खी है। जरूरत और बजट में धन का ध्यान रखते हुये उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। कहीं कहीं तो प्रचारक साल भर काम करते हैं और बहुत स्थानों पर कुछ महीनों के लिये ही रखे जाते हैं।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जौनपुर जिले की सड़कों का निर्माण

*५०—श्री नागेश्वर द्विवेदी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जौनपुर जिले में कितने मील नई पक्की सड़कें बनेंगी और वह सड़कें कौन कौन हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पंचवर्षीय योजना में जौनपुर जिले में सरायखेता, जैगहां, दीदारगंज तथा जौनपुर प्रतापगढ़ का पट्टी सिंगरामऊ भाग नयी पक्की सड़कें बनाने के लिये तथा शाहगंज रामनगर पर अरगूपुर खुर्द को शाहगंज दीदारगंज सड़क पर फैक्ट्री तथा कटार को मिलाने वाली सड़क पर सीमेंट कांक्रीट ट्रैक बिछाने के लिये शामिल की गई है और आशा की जाती है कि इन सड़कों पर मध्य की तह में जमाव का काम पूरा हो जायेगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितनी सड़कें पंचवर्षीय योजना में जौनपुर में बतलायी जाती हैं ये कितने मील जौनपुर में पड़ेंगी और कितने मील आजमगढ़ और प्रतापगढ़ में पड़ेंगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सराय खेता, जैगहां, दीदारगंज में ६ मील ४ फ़र्लांग, जौनपुर, प्रतापगढ़, पट्टी सिंगरामऊ में ३ मील ४ फर्लांग और इसके अलावा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ४ मील ४ फर्लांग सीमेंट कांक्रीट ट्रैक शामिल है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंगरामऊ से पट्टी तक कितने दिनों में सड़क तैयार कर ली जायगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सराय मोहद्दी से खटहन तक भी सड़क बनाने की योजना है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो योजना थी वह बतला दी गयी है।

नोट—तारांकित प्रश्न ५०-५१ श्री रमेशचन्द्र शर्मा ने पूछे।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार को यह पता है कि बादशाहपुर से बनारस जाने के लिये सीधी सड़क अभी तक कोई नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जौनपुर से बनारस जाने के लिये सीधी सड़क है और जो आप बतला रहे हैं उस सड़क से केवल ८ मील का फ़र्क़ पड़ता है, वहां एक नेशनल हाई-वे बनी हुई है ।

*५१—**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने बादशाहपुर; जंघई होते हुए लखनऊ और बनारस को सीधा मिलाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी होगी ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई भी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

* * * * *

आगरा जिले में नलकूपों के बनाने का निश्चय

*६०—**श्री पुत्तू लाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष आगरा जिला में कितने नल कूप (tube wells) बनाने का निश्चय किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यदि भारत सरकार से प्रयोगात्मक नलकूपों के निर्माण के लिये आर्थिक सहायता प्राप्त हुई तो आगरा जिले की बाह तहसील, में जहां नहरों से सिंचाई की सुविधा नहीं है, लगभग आठ नलकूप बनाने का विचार है । इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से परामर्श हो रहा है । बाह तहसील में इसके सिवा और नलकूपों के निर्माण के संबंध में एक योजना है जो अभी सरकार के विचाराधीन है ।

* * * * *

बलिया जिले में नलकूप योजना का प्रारम्भ

*६२—**श्री गंगा प्रसाद सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी नलकूप लगाने की योजना जिला बलिया में कब लागू की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह परीक्षण करने के लिये कि आजमगढ़, गाजीपुर तथा बलिया जिलों में नलकूप निर्माण संभव है या नहीं, सरकार ने दिसम्बर १९५० में इन जिलों में चार प्रयोगात्मक बोरिंग के लिये ४७,४०० रु० की व्यवस्था की । इन चार बोरिंग्स में से दो आजमगढ़ में, एक गाजीपुर में और एक बलिया में की गई तथा सफल होने पर उन्हें नलकूल के रूप में परिणत किया गया ।

इसी सफलता के आधार पर सरकार ने वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में २०० नये नलकूप योजना के अन्तर्गत बलिया जिसमें ४० नलकूप निर्माण की स्वीकृत प्रदान की है । नलकूपों की उचित स्थिति जानने के लिये जांच पड़ताल जारी है और समाप्त होते ही योजना पर कार्य शुरू हो जावेगा ।

*६३—**श्री गंगा प्रसाद सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक कितने नलकूप लगे हैं और कहां कहां ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न अब नहीं उठता ।

परगना बिहार जिला प्रतापगढ़ में बकुलाही नदी को रोक कर सिंचाई का प्रबन्ध

*६४—**श्री रामनरेश शुक्ल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि सिया परगना बिहार जिला प्रतापगढ़ में अंग्रेजी शासन काल में बकुलाही नदी को रोक कर सिंचाई का प्रबन्ध किया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अंग्रेजी शासन काल में सरकार की ओर से बकुलाही नदी को रोक कर सिंचाई के लिये परगना बिहार जिला प्रतापगढ़ के सिया ग्राम में सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया था। पर कुछ छोटे छोटे बांध किसानों ने स्वयं बनाये थे।

*६५--श्री रामनरेश शुक्ल (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि बन्धो टूट जाने से यह योजना बन्द है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--किसानों के द्वारा बनाये हुए यह छोटे बांध मरम्मत न होने के कारण टूट गये हैं।

* * * * *

आगरा जिले में सिंचाई के कार्यों के लिए स्वीकृत धन

*७५--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आगरा में सिंचाई के कार्यों के सम्बन्ध में गत वर्ष जो रुपया मंजूर हुआ था वह किस किस तहसील में, कितना कितना और किस किस में खर्च हुआ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् १९५१-५२ में आगरा जिले में कुल १,८५,४९२ रुपया मंजूर हुआ था। माननीय सदस्य मेरे कमरे में रक्खी हुई विवरण-पत्रिका में अन्य सब सूचना देख सकते हैं।

अतारांकित प्रश्न

गाजियाबाद से ओखला होती हुई नई देहली तक सड़क बनाने की योजना

१--श्री धर्म सिंह--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद से ओखला होती हुई नई देहली को सड़क बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)--जी नहीं। गाजियाबाद दिल्ली से नेशनल हाई-वे द्वारा मिला हुआ है।

२--श्री कैलाश प्रकाश--[१४ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

३--श्री रामदास रविदास--[७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

४--श्री केवल सिंह (जिला बुलन्दशहर)--[७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

५--श्री गिरजारमण शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--[७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

मैनपुरी जिले में नहरों से सिंचाई

६--श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले की प्रत्येक तहसील में कितने एकड़ जमीन पर नहर की आबपाशी की जाती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैनपुरी जिले में नहर से सिंचाई का तहसीलवार विवरण इस प्रकार है :

तहसील का नाम	तहसील का कुल रकबा जिस पर खेती होती है	रकबा जो नहर के कमांड में है	औसत रकबा जो सींचा जाता है	रकबा जो नहर के कमांड में है
१--मैनपुरी	१,२८,१५०	६३,४३६	४०,५६६	६४,७११
२--भोगांव	१,८५,६५४	१,२४,६५०	८२,४१६	६१,००४
३--करहल	८३,१५८	४६,५३१	२३,५४२	३३,६२७
४--जसराना	१,२५,३८४	३५,१६४	३२,५२८	६०,२२०
५--शिकोहाबाद	१,३५,५३५	४५,५५१	३२,३३६	८६,६८४
	६,५६,८८१	३,१८,३३५	२,११,३६४	२,३६,५४६

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि अनुदान संख्या ७ और अनुदान संख्या ३१ एक साथ ले ली जायं और इसके लिये २ घंटे का समय रख दिया जाय। इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या २८ के लिये सवा घंटा रख दिया जाय और बाकी समय अनुदान संख्या ४६ के लिये रख दिया जाय।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--श्रीमान्, मैं समझता हूं कि अनुदान संख्या ७ और ३१ एक साथ ले ली जायं और उनके लिये २ घंटे का समय रख दिया जाय और बाकी दोनों अनुदानों के लिये एक एक घंटा रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--आज साढ़े तीन घंटे का समय रहेगा इसलिये बाद के दोनों अनुदानों के लिये १, १ घंटा नहीं बचेगा। इसलिये जो प्रस्ताव पहले पेश किया गया है वह ज्यादा अच्छा रहेगा।

(कुछ ठहर कर)

अनुदान संख्या ७ और ३१ एक साथ ली जायंगी, उनके लिये २ घंटे का समय रहेगा। अनुदान संख्या २८ के लिये सवा घंटे तथा बाकी समय अनुदान संख्या ४६ के लिये रहेगा।

अनुदान संख्या ७ और ३१, जिनके लिये २ घंटे का समय रखा गया है उनमें कटौती के प्रस्ताव के लिये १५ मिनट और बाकी लोगों के लिये ७ मिनट, अनुदान संख्या २८ में कटौती के प्रस्ताव के लिये १० मिनट और अन्य सदस्यों के लिये ५ मिनट, अनुदान संख्या ४६ में कटौती के प्रस्ताव के लिये ७ मिनट और बाकी सदस्यों के लिये ५ मिनट का समय रहेगा।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२—मोटरगाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ४७—विविध (वाहन) विभाग और ४४—उड्डयन

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)——अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७, मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय (लेखा शीर्षक : १२——मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय) के अन्तर्गत ८८,००,००० रुपया की मांग स्वीकृत की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१——वाहन विभाग (लेखा शीर्षक ४७——विविध विभाग और ४४——उड्डयन) के अन्तर्गत ६२,१४,६०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

जहां तक मांग नं० ७ का सम्बन्ध है उसका बहुत ही कम वास्ता इस विभाग से है और मैं समझता हूं कि दूसरे विभागों के सिलसिले में उसकी बाबत यहां पर चर्चा हो गयी होगी।

अनुदान संख्या ३१ के मातहत जो मांग पेश की गयी है उसमें तफसील में जाने की मैं इस समय आवश्यकता नहीं समझता हूं। साधारणतया रोडवेज का काम आप लोगों के सामने काफी अच्छी तरह इतना आता है कि विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। यह विभाग करीब ४, ५ साल पहले शुरू हुआ था और इसकी बहुत ही छोटी शुरुआत शुरू हुई हुई और इस बीच में इसने धीरे धीरे जो उन्नति की वह मैं समझता हूं कि इस विभाग के लिये सराहना का विषय हो सकता है। लेकिन हम अभी भी महसूस करते हैं कि इसके अन्दर बहुत भारी खामियां हैं, बहुत से प्रबन्ध ऐसे हैं जो कि अभी नहीं हो पाये हैं लेकिन उनके वास्ते समय की आवश्यकता होगी, रुपये की आवश्यकता होगी और वह धीरे धीरे ही हो सकती है। हमारे सामने जो सबसे बड़ी कमी महसूस की जाती है वह यह है कि यह विभाग जब शुरू किया गया था तो इस आशा से किया गया था कि बहुत जल्द यातायात की इस इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया जायगा। लेकिन बदकिस्मती से कुछ कानूनी दिक्कतें ऐसी उठीं कि इसका काम रुक गया और फिर कुछ वजूहात से तवज्जह इधर कम दी जा सकी और सब से ज्यादा दिक्कत जो हमारे सामने आयी वह यह रही कि जो लोग इस व्यवसाय में पहले से काम करते थे उन लोगों को हटाना इतना आसान नहीं था। गो जिस समय यह ऐक्ट पास हो गया कि इस कार्य को राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय, उसके बाद जिन लोगों ने इस काम में फिर प्रवेश किया उसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी सरकार के ऊपर नहीं आती है लकिन फिर भी चाहे गलतफहमी के मातहत, चाहे किसी वजह से जिन लोगों ने इस विभाग में प्रवेश किया उन लोगों को हटाने से जो तकलीफ हो सकती है वह ऐसी है जिसको सरकार नजरअन्दाज नहीं कर सकती है। इसलिये हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसकी जो आयोजना की गयी है वह इस दृष्टि से की गयी है कि हम बहुत जल्दी इस काम को अपने हाथ में ले लेंगे लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से वह काम सारा का सारा या अधिकांश हम अपने हाथ में नहीं ले सके। इसलिये जो संगठन था, जो व्यवस्था की गयी थी वह कुछ आज के काम की दृष्टि से ज्यादा है और जब तक हम और काम को अपने हाथ में नहीं ले लेते हैं तब तक खर्च के अनुपात में हमारा काम कम रहेगा। इसलिये यह जरूरी है कि पहले काफी सड़कों को हम अपने हाथ में ले लें ताकि हमारे खर्च का अनुपात कम हो जाय। सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे सामने है वह यह है लेकिन जैसा मैंने अर्ज़

किया था कि जो लोग पहले से इस व्यवसाय को करते थे या बीच में इस काम में आ गये थे उनको एकदम हटा दिय देना बहुत आसान नहीं है। बदकिस्मती से जो कानून इस दिशा में बनाया गया है उसमें यह ऐंटिसिपेट नहीं किया गया था, यह विचार नहीं किया गया था कि एक दिन नेशनलाइजेशन का काम भी इस दिशा में किया जा सकता है। अभी तक ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। अभी जो हाल ही में नया कानून बनने जा रहा है उसमें भी नेशनलाइजेशन की कोई गुंजायश नहीं थी और ऐसा विश्वास था कि एक इंडिपेंडेंट कारपोरेशन के मातहत यह काम लिया जाय। हमारी स्टेट को इसके लिये काफी जद्दोजहद करनी पड़ी ताकि नेशनलाइजेशन के वास्ते भी उस ऐक्ट में गुंजायश रखी जा सके। बहुत लोगों का यह ख्याल है कि जो काम भी सरकार की ओर से किया जायेगा वह खर्चीला होना ही चाहिए, उसमें बदइन्तजामी भी होनी ही चाहिए। मुझे थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ जब कुछ स्टेट प्रतिनिधियों ने यह रुख अख्तियार करके यह बात कही। मुझे बड़ी ही एक अजीब सी बात मालूम होती है क्योंकि अगर स्टेट का काम इनएफिसियेन्ट और खर्चीला होता है तो जिन विभागों का ताल्लुक जनता से ज्यादा है अगर उनका प्रबन्ध सरकार के हाथ में जायेगा तो बड़ा गलत होगा इसलिये हमारी सरकार और हमारी ओर से यह पक्ष रखा गया। क्या हमारा राष्ट्रीय चरित्र इतना गिरा हुआ है कि हम अच्छा काम तभी करते हैं जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये करते हैं और यदि सार्वजनिक या स्टेट के नाम से करते हैं तो वह अच्छा हो नहीं सकता तथा सुचारु रूप से नहीं चल सकता। अगर यह बात है तो यह राष्ट्रीय सरकारों पर ही नहीं है बल्कि हमारे राष्ट्र पर और सारे समाज पर बड़ा भारी धब्बा है। इस राय को कम से कम इस प्रदेश की सरकार तो तैयार नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दृष्टिकोण की गुंजायश वहां रखी गयी है। अब जो कानून बन रहा है उसमें इसके लिये स्थान है। लेकिन उसमें भी ऐसी कोई गुंजायश नहीं रखी जा सकी जिससे स्टेट राष्ट्रीयकरण करे तो इन लोगों को दूसरे स्थान मुहैया कर सके अथवा ऐसा कुछ तो कर सके कि जिनके पास काफी काम है उनका कुछ संकुचित कर दे और जिनके पास सिर्फ एक गाड़ी है उनके लिये गुंजायश रख दें ताकि राष्ट्रीयकरण से जो तकलीफ होने वाली है और जो तकलीफ अनिवार्य है क्योंकि जहां तक इस स्टेट का ताल्लुक है यह निश्चय हो चुका है कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। जैसा मैं अर्ज कर चुका हूं कि हमारे खर्चे ज्यादा हैं, या तो हम निश्चय करें कि हम इस प्रयोग को खत्म करते हैं तो हम अपने खर्च को कम कर सकते हैं और काम कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा निश्चय कायम रहा जैसा कि रहना चाहिये और जैसा मेरा ख्याल है कि सदन के सभी सदस्य चाहेंगे कि यह कायम रहे तो यह आवश्यक है कि हम काम को और बढ़ायें। इससे जो परिणाम होने वाला है उससे कुछ लोगों को इस काम से हाथ धोने पड़ेंगे। इस काम के सिलसिले में जो तकलीफ हैं वह सिर्फ कुछ आदमियों पर सारी की सारी पड़ जाय उचित नहीं होगा और अवांछनीय होगा। इसलिये थोड़ी थोड़ी दिक्कतें बांट ली जायं और कुछ ऐसा प्रबन्ध किया जा सके कि धीरे धीरे लोग अपना दूसरा प्रबन्ध कर सकें और फिर इससे हट सकें। यदि इस बीच में और सड़कें बन जाती हैं या यातायात में उन्नति हो जाती है तो इन लोगों को दूसरे रास्ते मिल जायेंगे। यह कठिनाई है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारे खर्चे का अनुपात है। आज यह अनुपात कम हो हमारा विभाग इस जरूरत को अच्छी तरह से अनुभव करता है लेकिन यह सारा काम हमारे ही विभाग का नहीं है इसमें दूसरी परिस्थितियां भी हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है कभी कभी बीच बीच में मामले हाईकोर्ट तक चले जाते हैं और उनके लिये भी रुकना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि हाईकोर्ट का इसमें क्या निश्चय होता

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

हैं। जहां तक जनता की सहानुभूति पाने का सवाल है और जहां तक कम खर्च में विभाग को चलाने का प्रश्न है वह भी इस विभाग के सामने रहा। हम लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि जब स्पेयर पार्ट्स और पेट्रोल का खर्चा हमारा बढ़ गया तो कुछ किराया भी बढ़ाया जाय और एक बार इसकी सूचना भी दी गयी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि दूसरे प्रकार से बचत करके और कुछ खर्चों को कम करके इस कमी को पूरा कर लिया जाय तो वह शायद ज्यादा वांछनीय होगा। इससे आम तौर से जो हम लोगों ने किराया बढ़ाया था वह कम कर दिया है। हम यह भी सोच रहे हैं कि भविष्य में हम किरायों को नोटिफिकेशन जारी करके पूर्ववत् कम कर दें जिससे कि उससे ज्यादा किराया कोई ले ही न सके। सर्विसेज के समय से चलने का जहां तक ताल्लुक है उसकी ज्यादातर कोशिश की जाती है और मैं यह मानता हूं और मानता ही नहीं हूं बल्कि यह जानता हूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो समय उन गाड़ियों के चलने का लिखा जाता है, वह बिल्कुल सही नहीं होता मगर साधारणतया हमारी गाड़ियां काफी समय से चलती हैं। जहां २५, ३० गाड़ियां रोज चलती हैं वहां यह मुमकिन भी नहीं कि गाड़ियां ज्यादा लेट की जा सकें, लेकिन जहां तक एक, दो सर्विसेज हैं और जो देहातों में चलती हैं; और जहां दूर का काम रहता है, वहां मुमकिन है कि समय का कभी कभी उल्लंघन हो जाता हो। यह मुझे मालूम है कि पसेन्जर्स के साथ काफी अच्छा सलूक किया जाता है। मैं यह नहीं कहूंगा अभी व्यवहार ऐसा हो गया है कि उस पर पूरा सन्तोष किया जा सके लेकिन फिर भी मुझे यह इत्मिनान होता है और मुझे यह विश्वास है कि जो आज हमारे ड्राइवर्स, क्लीनर्स, कन्डक्टर्स और दूसरे स्टेशन इंचार्ज इत्यादि हैं उनके व्यवहार में, आचरण में काफी सज्जनता और शिष्टता आ गई है। हमारे विभाग की तरफ से समय-समय पर कर्टसी वीक मनाया जाता है और हम उस समय यह ख्याल नहीं करते हैं कि उसमें किसी खास वर्ग के नेता हों, बल्कि उसमें हर प्रकार के और हर पार्टी के गण्यमान लोग जो भी हों वे बुलाये जाते हैं और इसके लिये उनके पास एप्रोच की जाती है। और इस सिलसिले में हमारी क्या आवश्यकतायें हैं और क्या हमारे लिये वांछनीय है, इसके ऊपर उपदेश देने के लिये उनसे कहा जाता है। इसका काफी अच्छा असर हुआ है और कई सालों से हमारा विभाग इन सप्ताहों को मनाता आया है। मैं यह जानता हूं कि सिर्फ सप्ताह मनाने से ही काम नहीं चलता है, बल्कि जो एक सप्ताह होता है वह काम सारे साल होता रहे। तो जब उन्हें जज किया जाय तो यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे यहां काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वे भी समाज से ही आते हैं और यह नामुमकिन है कि समाज का सिर्फ एक अंग इतना अच्छा हो जाय कि कोई भी दोष उसके अन्दर न रह जाय। ऐसी कल्पना करना थोड़ा अव्यावहारिक होगा। मैं समझता हूं कि हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिये। फिर भी कोई मैं यहां सफाई देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। जो दोष हमारे बतलाये जायेंगे मैं उनको नम्रता के साथ सुनूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे विभाग का ज्यादातर यह दृष्टिकोण रहा है कि जो शिकायतें की जाती हैं वे शिकायतें आम तौर से सही ही होंगी। शिकायत करने वालों का कोई स्वार्थ न होगा, उन्होंने अपने मतलब से शिकायत न की होगी। जो हमारे यहां कम्पलेन्ट बुक्स रखी जाती हैं उनका भी मैं निरीक्षण करता हूं और मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे अधिकारियों का साधारणतया जो रुख रहा है, वह यह रहा है कि जो शिकायत की गई है वह सच्ची है और दोष हमारे अपने आदमियों का है। कम से कम हमारे आदमियों का वह दोष है कि जो शिकायत करने वाला है उसको उससे कोई अप्रिय व्यवहार जरूर मिला होगा तभी उसने शिकायत करने का कष्ट उठाया है। जहां तक मैं अपने देश के लोगों को जानता हूं उनमें इतनी उदारता है कि एक

गेरुवे कपड़े वाले को देख कर ही उनका मस्तिष्क झुक जाता है और करोड़ों और अरबों रुपये का खैरात इस वर्ग के वास्ते होता है। मन्दिरों में और तीर्थ स्थानों में कितने अनाचार कहीं होते हैं यह सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हमारे देशवासियों के अन्दर इसके लिये एक स्थान है। कत्ल हो जाते हैं, डकैतियां पड़ जाती हैं लेकिन गवाही के लिये जब आदमियों की जरूरत होती है तो कोई उस के लिये तैयार नहीं होता है। मेरे अपने विभाग में ऐसा होता है कि कभी कभी किसी ड्राइवर के उतावलेपन से गाड़ी चलाने से बच्चे को चोट लग गयी लेकिन उस के घर वालों ने अदालत में जा कर कह दिया कि ड्राइवर का कोई कसूर नहीं था और यह गलती शायद बच्चे की थी। तो यह दृष्टिकोण हमारे देश की जनता का है। इसलिये मैं यह इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि अगर वह शिकायत करते हैं तो हम यह जरूर समझेंगे कि उसमें कुछ न कुछ कमी हमारा रही है। इसके लिये एक प्रार्थना मैं और करना चाहता हूं। वह यह है कि वह जो प्रयोग किया जा रहा है यह सिर्फ कांग्रेस सरकार की हाबी है ऐसा न समझना चाहिये। यह राष्ट्रीयकरण का एक बहुत बड़ा भारी प्रयोग है। मैंने जैसा अभी अर्ज किया दिल्ली में एक खास रुख था कि कोई भी राष्ट्रीय योजना सफल नहीं हो सकती है। इस दृष्टि से हम इस को कुछ ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। यह एक ऐसा उद्योग है जो नेशनल एंटरप्राइज है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसका राष्ट्रीयकरण किया जाय तो हमें उससे बहुत मदद मिलेगी। जहां तक इस काम को प्राइवेट आपरेटर्स के ऊपर छोड़ते हैं वहां अगर हम दस गाड़ियों से काम चलाते हैं तो प्राइवेट आपरेटर्स ३० या और उनसे भी ज्यादा रखते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिये यह मान लें कि प्राइवेट आपरेटर्स गैर नहीं हैं और सरकार दूसरी चीज नहीं है। व्यापक दृष्टि से अगर हम देखें तो हम पायेंगे कि वास्तव में जो प्राइवेट आपरेटर्स का पैसा लगता है वह भी राष्ट्र की सम्पत्ति है। हमारे अपने देश में यह उद्योग धंधा नहीं है। हमारे यहां मोटर्स नहीं बनती हैं और उससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि हमारे यहां जो छोटे छोटे अंग (पुर्जे) हैं वह भी नहीं बनाये जा सकते हैं। और न बनाये जा रहे हैं। ऐसी हालत में हम देश की बड़ी भारी पूंजी बाहर भेज देंगे तो यह बहुत घातक होगा। इसलिये हमें देखना चाहिये कि कम से कम गाड़ियों में हमारा काम चले और उन गाड़ियों से हम अधिक से अधिक काम लें। इस दृष्टि से भी प्राइवेट आपरेटर्स के हाथ से काम ले लेना वांछनीय होगा। अगर हां वे लोग यूनियन बना कर ऐसा प्रबंध करें कि एक गाड़ी कम से कम ८० या १०० मील रोज चले तो उसमें बचत होगी लेकिन आज दुर्भाग्य से अधिकतर ऐसा होता है कि एक दिन में ३० या ४० मील वह चलीं, फिर दूसरे दिन कुछ नहीं। ३०-४० मील रोज से कोई गाड़ी अधिक नहीं चलती है। तो इस मोटे हिसाब से जहां हमारी एक गाड़ी लगती है वहां प्राइवेट आपरेटर्स की तीन गाड़ियां चलती हैं। यह सब से बड़ी दिक्कत है। इस के अलावा फुटकर जो आपरेटर्स काम करते हैं उनके पास छोटे-छोटे पार्ट्स को रिकंडीशन करने की सहूलितें नहीं होती हैं और इस तरह बाहर से माल मंगाया जाता है तो इसमें भी देश का बहुत सारा रुपया चला जाता है। अगर बड़ी संस्थायें इस काम को चलायें तो वे अपना वर्कशाप बना सकती हैं, गाड़ियों को ठीक रख सकती हैं, पुर्जे बना सकती हैं, । उससे हमारा रुपया ही नहीं बचता है लेकिन हमारे काम करने वालों के अन्दर टेक्निकल नालेज और बढ़ती है। यह भी देश की सम्पत्ति है। अगर हमें ऐसे कामों को आगे बढ़ाना है तो हमारी बड़ी भारी पूंजी होने वाली है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी सहूलियतें हैं जो रोडवेज या बड़े पैमाने पर काम करने वाली संस्थायें ही दे सकती हैं। मिसाल के लिये शेड्स बनाना, मुसाफिरों के आराम के वास्ते बैंचेज रखना, पंखे लगाना, पानी पीने का इंतजाम करना, कैंटीन्स लगाना इसी तरह से वर्कर्स के लिये मकान बनवाने की दूसरी सहूलियतें देने का हमने प्रयत्न किया है। मैं जानता हूं कि हम सब जगह यह चीजें नहीं कर सके हैं लेकिन फिर भी जिन्होंने थोड़ा भी चीजों को नजदीक से देखा है वे जानते हैं कि रोडवेज की सर्विसेज और प्राइवेट आपरेटर्स की सर्विसेज में कितना बड़ा अन्तर है। जो प्रबंध रोडवेज की तरफ से

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

हो चुका है वह इतना है कि अन्तर जाहिर कर सकता है लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूं कि हम अभी तक जितना हमें करना था नहीं कर सके हैं। हमने शुरू में जो पहली गाड़ी चलायी थी वह एक दरख्त के नीचे खड़ी कर के चलायी थी और आज जो लोग उस जमाने से काम कर रहे हैं वे बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोगों ने इस रोडवेज़ को दरख्त के नीचे खड़ा करके कायम किया था लेकिन आज ईश्वर की कृपा से हमारे विभाग के कार्यकर्ताओं की मेहनत से यह मुमकिन हो सका है और सारी सहूलियतें दी जा चुकी हैं और इस साल दी जा रही हैं और अगर यह काम इसी तरह से उन्नति करता रहा तो हम और भी ज्यादा दे सकेंगे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी इस दिशा में जो त्रुटियां हैं जहां भी जो भी आवश्यकतायें महसूस की जाती हों उन्हें सदस्य हमें बताते जायेंगे और हम नम्रतापूर्वक तथा धन्यवादपूर्वक स्वीकार करेंगे। एक शब्द में और कह देना चाहता हूं कि शिकायतें आती हैं कि रोडवेज़ में करप्शन बहुत ज्यादा है और टिकटलेस ट्रेवेलिंग बहुत ज्यादा है, बिना पैसा दिये लोग चलते हैं। कुछ दरजे तक यह बात सही है। अगर बिलकुल सही होती तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी आमदनी है वह ज़ीरो होती लेकिन आज हमारा काम लाभ के साथ चल रहा है और लाभ सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम अपनी गाड़ियों के वीयर एंड टीयर और डेप्रिसियेशन का पचीस प्रतिशत निकालते हैं, इतना ही नहीं है कि हमारा जो कैपिटल लगा हुआ है उस पर इंटेरेस्ट देते हैं बल्कि इनके अलावा तीन परसेंट के क़रीब मुनाफा हमारे यहां हो जाता है। यह और भी ज्यादा हो सकता है और मैं समझता हूं कि अगर सेवा कर के हम जनरल रेवेन्यू में ४०, ५० लाख रुपया दे सकें तो यह ताज्जुब की बात न होनी चाहिये। और न कोई बुरी बात होगी क्योंकि अगर हम इस तरह से सेवा कर के पैसा ले सकें तो दूसरी तरह से उस दर्जे तक टैक्सेशन करके लेने की ज़रूरत न रहेगी। लेकिन इस काम को हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने काम को थोड़ा बढ़ा लें और हमें जनता का सहयोग मिले। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमारी गाड़ियां खुले आम सड़कों पर चलती हैं। हर एक गाड़ी में, २०, २५ आदमी चलते हैं और वे सब जनता के आदमी हैं। ये गाड़ियां जनता की हैं और पैसा भी जनता का है। मैं तसलीम करता हूं कि कुछ दरजे तक आज जनता के अन्दर यह अहसास नहीं हो पाया है और उसमें बहुत हद तक यह हमारी कमी है लेकिन इस कमी की वजह से जनता का नुक़सान हो यह वांछनीय नहीं है। कम से कम वह लोग जो इसमें ट्रेविल करते हैं उनके सामने अगर राष्ट्र के धन की चोरी होती है तो उनका फर्ज है कि वे उनको रोकें और उसका बड़ा आसान तरीक़ा है। हर एक बस के अन्दर और हर एक स्टेशन के ऊपर कम्प्लेंट बुक्स रहती हैं और अगर बस का नम्बर नोट कर लिया जाय और जो लोग उसमें बैठते हैं वह अपना नाम दर्ज कर दें या अपना पता लिख कर भेज दें तो बड़ी आसानी से जिस ड्राइवर ने या जिस कंडक्टर ने चोरी की है उसको हम पकड़ सकते हैं और उसके ऊपर ऐक्शन ले सकते हैं। मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि कितनी ही बार ऐसा किया भी गया है और ऐक्शन लिये गये हैं। तो इसमें अगर जनता का सहयोग मिले और जनता सहयोग दे सकती है क्योंकि दूसरे मामलों में जनता महत्व देती है उसमें जनता इजाजत नहीं देती कि कोई बदतमीजी सड़क के ऊपर की जाय। इतनी बहनें सड़क के ऊपर चलती हैं, इतने छोटे बच्चे सड़क के ऊपर चलते हैं, उनके पास सामान रहता है लेकिन मजाल नहीं है कि कोई उनके हाथ से सामान छीन ले। कभी कभी चोरी छिपे से ऐसी घटनायें होती हैं तो सारा समाज उस पर चौंक उठता है और उस पर एतराज़ करता है। यही दृष्टि अगर रोड-वेज़ के साथ भी हो तो मुमकिन नहीं है कि सब के सामने चोरी की जा सकें। अगर हमारे यात्रियों का सहयोग हमको प्राप्त हो तो मैं यह आशा करता हूं कि बहुत ज्यादा उन्नति इस विभाग में इस दिशा में हो सकती है। लेकिन यह ख्याल नहीं करना चाहिये कि इस दिशा में सुधार नहीं हुआ है। मैंने खुद न मालूम कितनी गाड़ियों का अपने आप चेक किया है और हमारे साथियों ने भी कई बार गाड़ियों को चेक किया है लेकिन एकाध बार को छोड़ कर साधारणतः बिना टिकट के रोडवेज़ की गाड़ियों में हमको आदमी नहीं मिले हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि बिना टिकट आदमी मिलते ही नहीं हैं। एकाध गाड़ी पर हम जा पाते हैं और दिन भर में

हमारी गाड़ियां लाखों मील का सफर करती हैं। ऐसी हालत में जितनी हमने देखीं वह पर्याप्त हैं यह कहना गलत होगा। हमारा दूसरा स्टाफ भी जो चेक करने के लिये रखा गया है उनकी ओर से भी ऐसी शिकायतें आती हैं और उन पर ऐक्शन लिया जाता है इनकी तादाद काफी होती है। इस विषय में निर्णय करने में काफी देर होती थी और उसमें हमको हानि भी उठानी पड़ती थी। इसलिये अब हमने हिदायत कर दी है कि हर मामले में अधिक से अधिक ३ महीने का समय लगाया जाय। अव्वल तो १ या २ महीने में ही समाप्त कर दिया जाय और ज्यादा से ज्यादा ३ महीने का समय लगाया जाय। अगर ३ महीने से ज्यादा समय लगाया जाय तो उसकी रिपोर्ट हमारे दफ्तर को की जाय।

यह कुछ सुधार हैं जो जरूरी हैं। और किये जा रहे हैं मैं अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहता। बाद में जो बातें उठायी जायेंगी, जो एतराजात किये जायंगे उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा लेकिन यह प्रार्थना जरूर करूंगा कि अगर सुझाव देने की इच्छा रहेगी तो उससे हमारा सब का हित है। वैसे मुझे कोई शिकायत नहीं है और क्रिटिसिज्म करने की दृष्टि से क्रिटिसिज्म किया जाय वह हमारे सिर माथे पर होगा लेकिन सदन का जो समय है वह अमूल्य समय है अगर कोई सुझाव दिया जायगा तो उस पर विचार हो सकता है और उससे लाभ होगा। मैं इन थोड़े से शब्दों के साथ इन दोनों अनुदानों को सदन की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं और आशा करता हूं कि इनको सदन स्वीकार करेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से अनुदान संख्या ७ और अनुदान संख्या ३१ पर एक एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

माननीय मंत्री जी ने जो ४० मिनट का समय इस सदन का बिगाड़ा मुझे आशा थी कि हम उनसे इस वाहन विभाग के बारे में कुछ बातें सुनेंगे लेकिन उन्होंने कुछ प्रकाश नहीं डाला। इस प्रान्त के इतिहास में यह सब से पहला मौका है कि जब इस वाहन विभाग के लिये एक मंत्री अलग से रखा गया है। पहले यह होता था कि जो मंत्री और डिपार्टमेंट का भी काम करते थे यह ट्रान्सपोर्ट उन के साथ पिछलग्गू सा लगा रहता था लेकिन अब एक मंत्री अलग से इस विभाग के लिये मुकर्रर किया गया। हम आशा करते हैं कि इस प्रान्त में वाहन विभाग का संचालन समुचित रूप से होगा लेकिन उसके सिलसिले में हमारे मंत्री जी ने हमको कुछ नहीं बताया कि उन्होंने इस साल के अन्दर इस विभाग में क्या किया। अफसोस है कि माननीय मंत्री जी ने रोडवेज़ का कुछ क़िस्सा सुना कर और रोडवेज के नेशनलाइजेशन की कुछ बातें कह कर हमारा दिल बहलाने की कोशिश की जिससे हम लोगों को कोई संतोष नहीं हो पाया। एक भी चीज़ मंत्री जी ने हमको नहीं बतायी कि इस साल के अन्दर उन्होंने क्या किया। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन के सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि इस साल के अन्दर माननीय मंत्री जी ने क्या किया। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुछ रीजन्स का दौरा किया है। जिस रोडवेज़ की वह बात करते हैं उन्होंने वहां जाकर देखा क्या? देखा यह कि हमारी मोटर बसेज़ चलती हैं उनकी गद्दी स्प्रिंग वग़ैरह ठीक हैं या नहीं जो घंटी कन्डक्टर बजाता है वह ठीक है या नहीं। इस के अलावा जैसा कि उन्होंने बतलाया कि कहीं कहीं कभी उन्होंने रास्ते में किसी बस को चेक कर लिया और वह ऐसा काम था कि जिसको एक साधारण आदमी भी कर सकता है। मैं मंत्री जी से आशा करता था कि वह ट्रांसपोर्ट विभाग के करप्शन वगैरा की तरफ जरूर ध्यान देंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग ऐसा है जिस पर देश की तरक्की निर्भर करती है और इसी से हमारे सारे मूवमेंट होते हैं और पंचवर्षीय योजना जो हमारी है उस को ठीक से चलाने का सारा भार ट्रांसपोर्ट विभाग पर ही आकर पड़ेगा लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया। अगर मंत्री जी इतने ही चेकिंग के अलावा और भी कुछ

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

काम ध्यान से करते और देखते कि किस तरह से रात को गाड़ियां माल लेकर चलती हैं और किस तरह से पुलिस वाले घूस लेते हैं। अगर वह रात में कभी जाकर देखे होते तो उनको मालूम होता कि होता क्या है। एक ट्रक जो ७५ मील के एरिया में चलती है उस ७५ मील के एरिया में जितने थाने और जितने चौरास्ते पड़ते हैं उन सब में इन लोगों को रुपया देना पड़ता है। उन की हालत यह है कि देते हैं तब चालान और नहीं देते हैं तब चालान और इसी लिये वह समझते हैं कि २ रुपया दे दो और १५० मन की जगह पर वह लोग २५०, २५० मन लेकर चलते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सूबे में कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो २५० मन से कम लेकर चलती हो, एक भी गाड़ी आप को ऐसी नहीं मिलेगी जो २५० मन से कम ले जाती हो और पुलिस को रुपया न देती हो। मालूम नहीं कि आप के स्क्वेड्स वाले क्या ड्यूटी देते हैं। कभी मंत्री जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हम तो बड़ी आशा करते हैं कि यह विभाग हमारे माननीय मंत्री जी न सम्भालते और वह किसी और विभाग को सम्भालते तो वह ज्यादा काम कर सकते थे। इस विभाग से तो उन्हें कुछ निरुत्साह सा हो गया है और कुछ ज्यादा दिलचस्पी.......

श्री अध्यक्ष---इस तरह किसी मंत्री जी के उत्साह की बात पर ज्यादा जोर न दिया जाय, आप यह कह सकते हैं कि मंत्री जी क्या करें और क्या न करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---आशा तो उन से बहुत थी अध्यक्ष महोदय, परन्तु जब हमने यह रिपोर्ट को पढ़ा तो बड़ा दुःख हुआ। उस में बड़ी इन्टरेस्टिंग बात है और शुरू ही में आप देखें कि वह रिपोर्ट इस तरह से शुरू होती है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटीज अपने अपने रीजन में काम करते रहे। इस तरह से शुरुआत की गयी है कि रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटीज अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कोई दिमाग़ तो नहीं ख़राब हो गया था, अरे वह तो काम करते ही हैं इस में शुरू में लिखने की क्या बात थी। आगे उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोई भी प्रगति का पुनरावलोकन करने और साथ ही कार्यक्षमता बढ़ाने के उपाय ढूंढ़ निकालने के लिये हेडक्वार्टर्स में रीजनल ट्रान्सपोर्ट अफ़सरों की समय समय पर बैठकें होती रहती हैं। तो वह लोग जब हेडक्वार्टर्स में बैठते हैं तो क्या सोचते हैं? मैं समझता हूं कि यह ग़लत है कि वह लोग बैठ कर हेडक्वार्टर्स में कार्यक्षमता बढ़ाने के उपाय सोचते हैं वह तो इस में ही रहते हैं कि किस की गाड़ी रोकी जाय किस की जगह अपनी गाड़ी लगायी जाय। मैं मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि वह आंकड़े लेकर हिसाब लगा कर देखें कि जो टैक्स अभी १४०० रुपया फी गाड़ी का लगाया गया है उससे तमाम पब्लिक कैरियर इस सूबे के बन्द हो जायंगे और अगर वह कम नहीं किया जायगा तो वह टैक्सेज नहीं पे हो सकेंगे क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब है और उसको एफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं।

अब रही राष्ट्रीयकरण की बात। यह राष्ट्रीयकरण जो रोडवेज का हुआ है उसे देख कर बड़ा दुःख हुआ है। राष्ट्रीयकरण तो उसको कहते हैं कि जिससे राष्ट्र की जनता का लाभ हो, उस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका फायदा हो। माननीय मंत्री जी बतलायें कि इससे जनता का कोई खास फ़ायदा हुआ? कर्मचारियों का फायदा हुआ? कोई पब्लिक रेवेन्यूज बढ़ीं। १४ करोड़ रुपया इस पर लगा हुआ है, मैं बजट को ज्यादा नहीं समझ पाया। माननीय मंत्री जी ने अपने मेमोरेंडम में जो प्रोफार्मा अकाउन्ट उपस्थित किया है, पृष्ठ ८४ पर उस में लिखा हुआ है नेट लास आर गेन। मैं कहता हूं कि यह ब्याज कहां पर लिखा है? मैंने सारा बजट ढूंढ़ डाला लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। माननीय मंत्री जी बता दें कि वह ब्याज का हिस्सा कहां पर है? अगर ब्याज न लगाया जाय तो इस चार करोड़ के इनवेस्टमेंट पर १५ लाख रुपये सालाना की आमदनी हुई। और अगर ब्याज लगाया जाय तो चार करोड़ की आमदनी १२ लाख रुपये ब्याज हुआ। तो यह ब्याज भी तो उसमें से निकलना चाहिये। और अगर ब्याज जोड़ा जाय तो चार करोड़ के बिजनेस में पांच लाख रुपया सालाना की आमदनी करना मैं समझता हूं कि किसी राष्ट्रीयकरण के लिये शोभनीय नहीं मालूम होता है। इस में सब आइटम तो हैं, पे आफ एफिसर्स, पे आफ इस्टैब्लिशमेंट, एलाउंसेज ऐंड आनरेरिया,

कम्पेंसेटरी डिअरनेस ऐंड कास्ट आफ लिविंग एलाउंस, कंटिजेंसीज़, डेप्रीसिएशन, मेंटिनेंस, ऐंड रिपेअर्स आफ बिल्डिन्ज, रिनिवल्स ऐंड रिप्लेसमेंट्स फ्राम डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड, उमाउंट ट्रांसफर्ड फ्राम डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड, सब है, लेकिन इंटरेस्ट का कहीं पता नहीं है। माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इंटरेस्ट कहां है ताकि उसके हिसाब से हम देख लें।

अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रान्त हिन्दुस्तान का एक ऐसा प्रान्त है जहां पर सब से ज्यादा मोटर टैक्स वसूल होता है। सारे देश में ५२ करोड़ रुपया मोटर टैक्स से वसूल होता है। जो मोटर वेहिकिल टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी, १९५० में बैठी थी उसकी जो रिपोर्ट आयी उसको हमारी सरकार कार्यान्वित करने को तैयार नहीं है। टैक्स ज्यादा बढ़ाने से क्या होता है, एक तो पब्लिक को उसके लिये ज्यादा पैसा देना पड़ता है और उससे कोई खास सहूलियत भी पब्लिक को नहीं मिलती है। टैक्स का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। ९० परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी पड़ती है। उसके बाद सेंट्रल पेट्रोल ड्यूटी, एक रुपये में छः आने पर गैलन, फिर एक्साइज ड्यूटी पड़ती है। फिर सेल्स टैक्स मोटर और मोटर ऐससरीज का खर्चा। एन्ट्रेंस फी हर म्युनिसिपैलिटी के अन्दर पड़ती है। टैक्सेज आन गुड्स पर माइं। रोड टैक्स और लाइसेंस फी। इस तरह से १४ सौ फी गाड़ी को हमारे यहां देना होता है। अध्यक्ष महोदय, लड़ाई के पहले १९३९ में जो लारी तीन हजार पांच सौ रुपये में मिलती थी आज वही गाड़ी २५ तीस हजार रुपये क़ीमत में मिलती है इसके अलावा हमारे टायर्स के दाम बढ़ गये हैं। तेल की कीमत बढ़ गयी है। इसके अलावा आपरेशनल का कास्ट बहुत बढ़ गयी है। १९३९ में तीन आने फी मील आपरेशनल कास्ट पड़ती थी। अब इस वक्त आपरेशनल कास्ट ११ आने से लेकर १४ आने फी मील पड़ती है। आपरेशनल कास्ट चार सौ गुना बढ़ गयी है। लेकिन इसमें जो किराया बढ़ा है वह ७५ फीसदी बढ़ा है यानी चार पाई पहले था और सात पाई हो गया है। एक पाई सुना है और बढ़ा है। कोरिया की लड़ाई के हो जाने से, डिवैलुएशन हो जाने से ५० फीसदी आपरेशनल कास्ट और बढ़ गयी है। यह जो इतना टैक्स लगाया जा रहा है इससे ला आफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स काम करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि इस साल के अन्त में जो वह उम्मीद करते हैं ज्यादा टैक्स वसूल होगा उस में वह बिलकुल विफल होंगे। सब की गाड़ियां खड़ी रहेंगी जब तक कि कोई इस तरह का सरकारी हुक्म न लगाया जाय कि गाड़ियां जबरदस्ती चलानी पड़ेंगी।

हमारे माननीय मंत्री जी ने नेशनलाइजेशन की बड़ी तारीफ़ की। मैं एक बात जरूर स्वीकार करूंगा जिससे हमें कुछ तसल्ली है और वह यह है कि हमारे प्रान्त में जो ट्रिब्युनल बैठता था, यानी जो अपील रीजनल ट्रांसपोर्ट आथारिटी के खिलाफ होती है ट्रिब्यूनल में आती है पहले उस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन चूंकि वह उससे ताल्लुक़ रखते थे इसलिये उनसे किसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब उसके चेयरमैन लीगल रेमेम्बरेंसर साहब बना दिये गये हैं। जब से वह उस कमेटी के चेयरमैन हो गये हैं। कम से कम उस ट्रिब्यूनल में कानूनन सुनवाई होती है जिसके लिये यह सरकार धन्यवाद की पात्र है। अब रहा सवाल अध्यक्ष महोदय रीजन का। रीजन का सारा काम रीजनल अथारिटीज करती हैं जो कि सेमी–जुडीशियल बाडीज हैं और इंडिपेंडेंट बाडीज हैं। फिर मैं यह नहीं समझता हूं कि ट्रांसपोर्ट विभाग में इतना रुपया क्यों खर्च किया जाता है। मेरी राय हमेशा से है कि अब ऐडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में कोई ऐसा काम नहीं है। सारा रीजन का काम रीजनल अथारिटीज़ करती हैं। अपीलें सुनने का काम अब ट्रिब्यूनल के पास चला गया। तो मेरा सुझाव यह है कि ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर जो हैं उनके अंडर एक असिस्टेन्ट कमिश्नर हों जो रीजन वालों से कंटैक्ट रखें और ऐडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन यहां से दे दें।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

मैं यह तो नहीं कहता कि रोडवेज़ को बन्द कर दिया जाय। मैं तो चाहता हूं कि जो कुछ रोडवेज़ इस वक्त चल रहा है उन को एक जगह स्टेबिलाइज कराया जाय। उन में सब से ज्यादा आमदनी कराई जाय और चलाने की बात की जाय। और सारा कंसेंट्रेशन रोडवेज की तरफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का लगे।

सहयोग की बात मंत्री जी ने कही। मुझे दुःख होता है जब सभी मंत्री सहयोग की बात करते हैं। रोडवेज की जो कमेटियां बनीं तो हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का एक भी मेम्बर किसी रीजनल बोर्ड में नहीं लिया गया। तीन मेम्बर तो कुमायूं में ही मौजूद हैं, मगर एक भी कभी नहीं भेजा। न हमें उन में जाने का शौक है कि हमें उनमें भेजा जाय। यह तो मैंने इसलिये कहा कि हमसे सहयोग की बात कही जाती है और इधर यह हाल है। तो मैंने नीयत बतलाई कि इस हुकूमत की नीयत क्या है। यहां पर कह दिया कि सबका सहयोग चाहते हैं। आओ पानी पिओ। तो अगर पानी पीना है तो अपने पास से पैसा खर्च करके पीयेंगे, जहां सफर करते हैं तो पीते ही हैं। क्या सहयोग हमारी सरकार हमसे चाहती है ?

तो यह तो रही सहयोग की बात। हमने कहा कि हम नेशनलाइजेशन के लिये हैं, हम राष्ट्रीयकरण के लिये हैं, लेकिन हम असली राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। इस तरीके से नहीं जिस तरीके से कि रोडवेज़ चलाया जा रहा है और उसी को राष्ट्रीयकरण कह कर चलाया जाता है। यह तो वास्तव में सरकारी-करण है। राष्ट्रीयकरण यह नहीं है। जिस दिन राष्ट्रीयकरण सही मानों में रोडवेज का होगा उस दिन हमारा पूरा सहयोग उनके साथ होगा।

और बहुत सी बातें मुझे कहनी थीं। खैर, और सुनने के बाद मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जो हमारा सहयोग लेंगे। हमारा सहयोग तो उनके साथ है। यह दूसरी बात है कि हम क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन क्रिटिसाइज करना तो हमारा काम है और हम बहुत सी खामियां उस डिपार्टमेंट की बता सकते है। मुझे धमंड है कि मैं ट्रांस्पोर्ट विभाग के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूं और मंत्री महोदय से भी ज्यादा जानता हूं और उन्हें बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन वह सुनने के लिये तैयार हो जायं। वहां तो यह है कि अफसरों ने सलाम कर दिया तो वह खुश हो गये। अगर वह यह काम बन्द कर दें और हमारी सलाह भी लें तो वह इस प्रदेश की बहुत कुछ भलाई कर सकते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री परिवहन द्वारा इस सदन में उपस्थित हुआ है और उसके संबंध में जो कटौती का प्रस्ताव माननीय मदनमोहन जी उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत हुआ है, मैं उस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए उस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्रीमन्, अपने काफी देर के भाषण के बाद माननीय मदनमोहन जी उपाध्याय ने स्वयं ही अनुभव किया कि वे जो कुछ कह रहे थे वह राष्ट्रीयकरण के उस मौलिक बुनियाद के विरुद्ध जा रहा था जो समाजवादी प्रथा और समाजवादी सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में निहित है। इसलिये हमने इस दिशा में जो कुछ किया उसको उन्होंने सरकारी-करण' का नाम देकर और राष्ट्रीयकरण न कह कर कुछ गोल सी बात कही, जिससे यह प्रतीत हुआ कि राष्ट्रीयकरण के लिये तो उपाध्याय जी का सहयोग मौजूद है, लेकिन किसी तथाकथित 'सरकारीकरण' के लिये जो हमने रोडवेज के रूप में किया है उससे उनका विरोध है। मैं ऐसा समझता हूं कि राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीयकरण के वे मूलभूत सिद्धांत जो उस तरह की सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत संभव होते हैं, जो आज हमारे यहां मौजूद हैं, उन सभी दृष्टिकोणों से रोडवेज का कार्य पूर्णरूपेण राष्ट्रीयकरण का कार्य

है। समाजीकरण उसका हुआ या नहीं हुआ यह भिन्न प्रश्न है। समाजीकरण के फलस्वरूप मजदूर को उसकी सम्पत्ति की उत्पत्ति करने वाले लोगों के जो आपसी संबंध होंगे उनका क्या रूप होगा यह भी एक भिन्न प्रश्न है, एक दूसरा प्रश्न है और उस प्रश्न को लेकर रोडवेज के कार्य की निन्दा की जाय और वह भी राष्ट्रीयकरण के आधार पर की जाय तो मैं समझता हूं कि वह उचित न होगी। इसलिये मैं माननीय उपाध्याय जी से यह निवेदन करूंगा कि खास कर अल्मोड़ा में जल्दी से जल्दी जितनी भी बसें आज चलती हों वह स्वयं प्राइवेट मोटर मालिकों को समझा कर कहें कि गांधी जी की उस मूलभूत विचारधारा के अनुसार जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने पास जो कुछ सम्पत्ति हो, चूंकि सम्पत्ति ही सब विषाद की जड़ है, इसलिये उसको त्यागकर समाज के हवाले कर दो, और उस सिद्धांत को तो अब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी मानने का दावा करती है अतः मुझे विश्वास है कि अल्मोड़ा में, जहां से हमारे प्रजा सोशलिस्ट भाई चुन कर आये हुये हैं, वहां से एक नया स्वरूप हमारे इस राष्ट्रीय करण के कार्य को मिल सकेगा।

लम्बे टैक्सों की बात कही गई और यह कहा गया कि रोडवेज के होने की वजह से तो जनता को और कोई विशेष, फायदा हो या न हो लेकिन प्राइवेट आपरेटरों के ऊपर जो वजन भिन्न भिन्न तरह की ड्यूटीज के रूप में आया है वह असहनीय है। वह समझते हैं कि शीघ्र ही ऐसा होने वाला है कि बसें और ट्रकें प्राइवेट आपरेटरों की, उनके दरवाजे पर खड़ी रहेंगी ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उपाध्याय जी से आपके द्वारा कि कोई भी बस या ट्रक खड़ी होने वाली और खड़ी रहने वाली नहीं है। यह सही है कि लड़ाई के जमाने में जो पैसा कमाया है, जिस हिसाब से पैसा कमाया है, उस हिसाब से कमाना तो आज संभव नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया की हालतें आज के सभी व्यवसायों पर असर डाल रही हैं जिसकी वजह से सड़कों पर चलने वाले यातायात के साधन जो हैं उन पर आज दबाव कम है। तो यही कारण है कि मोटर का काम कुछ कम है। इसका कारण टैक्स नहीं है। यह तो मान्यता इस सिद्धांत को मिल चुकी है और हमेशा हमारी सरकार की ओर से भी मिली है, टैक्स का दबाव ऐसा डाला जाय जैसे कि फूल,से शहद लेने वाली मधुमक्खी फूल से शहद निकाल लेती है बिना फूल को नुकसान पहुंचाये हुए। यह बुनियादी सिद्धांत जो टैक्सेसन का है उसको देखते हुए मैं ऐसा समझता हूं कि जो वजन आज प्राइवेट आपरेटरों पर टैक्स के रूप में आया है, वह असहनीय नहीं है। हां अल्मोड़े की तरफ क्या हालत है, यह मैं नहीं कह सकता। माननीय परिवहन मंत्री जी से यह जरूर कहूंगा कि अल्मोड़े की तरफ का ख्याल करके वहां के आपरेटरों पर कुछ दया कर दें तो कुछ हर्ज नहीं होगा।

जहां तक ताल्लुक है, रोडवेज की कार्य प्रणाली के सिलसिले में दो बातें कहना चाहता हूं। सेंट्रल वर्कशाप कानपुर में अपरेंटिसशिप की ट्रेनिंग जो दी जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के स्किल्ड और सेमी-स्किल्ड कैटेगरीज के वर्क्स को सिखाने का कार्य रीजन के हेडक्वार्टर्स पर भी हो सकता है और वह जितनी ज्यादा और जितनी तेजी के साथ सिखाने का कार्य करेंगे उससे वह दिक्कत जो आज इस तरह के कर्मचारियों के मिलने को है जैसा कि पैम्फलेट से मालूम होता है, दूर हो जायेगी। मुझे विश्वास है कि सेंट्रल वर्कशाप कानपुर में जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसका प्रसार भिन्न भिन्न स्थानों में सारे प्रांत में किया जायगा।

अब मुझे सिर्फ यह बात कहनी है और वह उस बात से संबंध रखती है जो माननीय मंत्री जी ने मजदूर और वहां के अधिकारियों के संबंध के सिलसिले में अपने भाषण में कही उन्होंने कहा कि तीन महीने के अन्दर अन्दर मजदूरों की बातों का फैसला हो

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुना]

जाता है और तीन महीने के अन्दर यदि न हुआ तो सरकार के पास इसके कारण मालूम हो जाते हैं। हमारे सभी अफसरान सुन रहे हैं, माननीय मंत्री जी भी सुन रहे हैं, मैं दावे से कहता हूं कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर में छः छः महीने से केस पड़े रहते हैं और जनरल मैनेजर वगैरह परवाह नहीं करते कि वह जवाब तक दें उन रेफरेंसेज का जो कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहां से इस संबंध में होते हैं। मेरे बिल्कुल कहने का अर्थ यह नहीं है कि जो मजदूर गड़बड़ी करें उसे निकाला न जाय लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं जैसे कि कहावत भी है कि (Justice delayed is Justice denied) तो रोडवेज के प्रबंध में ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कि लोगों का असंतोष न बढ़े। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसकी ओर ध्यान देंगे।

श्री दीनदयालु शास्त्री--श्रीमन्, मैं वाहन-विभाग के इन दोनों अनुदानों का समर्थन करता हूं। पांच मिनट के समय में अधिक कहना उपयुक्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष--सात मिनट हैं आपके लिये।

श्री दीनदयालु शास्त्री--लेकिन मैं भी कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी की सेवा में पेश करना चाहता हूं आज से करीब १५ वर्ष पहले हरिद्वार में एक हवाई अड्डा था और वहां से बद्रीनारायण को हवाई जहाज चला करते थे। वह हवाई कम्पनी जो कि हवाई जहाज बद्री नारायण ले जाती थी प्राइवेट कम्पनी थी। तीन चार वर्ष तक वह कम्पनी चली और उसके बाद डाइरेक्टर महोदय का देहान्त हो जाने से वह कम्पनी बन्द हो गयी। मेरा सुझाव यह है कि हरिद्वार में हवाई अड्डा स्थापित किया जाय और वहां से बद्री नारायण की यात्रा शुरू की जाय। उन चार वर्षों का मेरा अनुभव यह है कि उन चार वर्षों में बहुत यात्री हवाई यात्रा द्वारा बद्रीनारायण पहुंचे थे। उस कम्पनी ने हरिद्वार में और गोचर में दो जगह हवाई अड्डा स्थापित किया था। पिछले दिनों प्रांतीय सरकार ने एक योजना बनाई थी। उस योजना के अनुसार बद्रीनारायण में भी हवाई अड्डा कायम होना था। मैं नहीं जानता कि उस योजना पर कोई अमल हुआ है या नहीं लेकिन मैं यह जानता हूं कि इस प्रांत की सबसे बड़ी सेवा अगर वाहन विभाग करे तो वह यही हो सकती है कि हरिद्वार से बद्रीनारायण तक हवाई यात्रा का प्रबंध किया जाय।

कुछ दिन पहले वाहन विभाग के भूतपूर्व मंत्री माननीय लालबहादुर शास्त्री जी की सेवा में मैंने यह प्रश्न पेश किया था कि हरिद्वार की म्युनिसिपैलिटी ने चार या पांच वर्ष पहले एक प्रस्ताव द्वारा सरकार से यह निवेदन किया था कि हरिद्वार म्युनिसिपैलिटी में जिन दिनों मेले होते हैं, तांगे और रिक्शे के दाम इतने बढ़ जाते हैं कि यात्रियों को बड़ा कष्ट होता है, इसलिये सरकार या तो हरिद्वार की म्युनिसिपैलिटी को अपनी मोटरें चलाने की सुविधा दे या सरकार अपनी रोडवेज के द्वारा मोटरें चलाने की व्यवस्था करे। माननीय शास्त्री जी ने दो वर्ष पहले मुझसे यह कहा था कि इस पर सरकार विचार कर रही है कि जल्द ही इसका प्रबंध किया जाय। पिछले साल वाहन विभाग की ओर से इसका प्रबंध हुआ था और जगह जगह स्टेशन बनाने का प्रबंध हुआ था। लेकिन उसके बाद न जाने क्यों वह स्कीम बन्द कर दी गयी। अब ऐसा लगता है कि वह स्कीम चालू नहीं होगी। मेरा कहना यह है कि बैसाखी से लेकर दशहरा तक जो हरिद्वार की मौजूदा आबादी है उससे आठ दस गुना अधिक हो जाती है और उन दिनों जो यात्रियों को कष्ट होता है उसके लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बसेज का प्रबंध किया जाय। मैं यह भी कहता हूं कि हरिद्वार से देहली, हरिद्वार से सहारनपुर, हरिद्वार से देहरादून तक जो बसें चलती हैं, उनके समय में यदि थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाय तो इससे भी सुविधा मिल सकती है और नयी मोटरों की आवश्यकता नहीं रहती।

माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि हमने पिछले दिनों किराया बढ़ाया था लेकिन अब हम किराये को नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं अपना कुछ अनुभव बतलाना चाहता हूं। हरिद्वार म्युनिसिपैलटी में ज्वालापुर कसबा भी शामिल है। अगर आप दिल्ली से हरिद्वार जायं, तो ज्वालापुर का किराया जो रास्ते में पड़ता है ज्यादा है और हरिद्वार का किराया कम है। इसी प्रकार यदि आप हरिद्वार से सहारनपुर जायं तो सहारनपुर से ज्वालापुर का किराया अधिक है लेकिन हरिद्वार का कम है। यह एनामली नहीं होनी चाहिये। यदि किराया बढ़ाना ही है तो कायदे से बढ़ाना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि बीच वाले कस्बों का किराया ज्यादा हो जाय और अन्त वाले कस्बों का किराया कम हो जाय। यह कहा जा सकता है की तीर्थ पर पहुंचने के लिये यह सुविधा दी गयी है परन्तु हरिद्वार और ज्वालापुर एक ही म्युनिसिपैलिटी के अन्दर हैं, इसलिये उनमें भेद नहीं किया जाना चाहिये, या तो ज्वालापुर से उतना ही किराया होना चाहिये जितना हरिद्वार से है, या हरिद्वार से क्योंकि ज्वालापुर पांच मील दूर है इसलिये उसके अनुसार किराये में कमी होनी चाहिये। मेरा अनुभव पिछले ४,५ वर्षों का यह है कि हरिद्वार में जो सेवा वाहन विभाग ने की है उसके लिये उसकी तारीफ की जानी चाहिये। मैं नहीं जानता कि यहां सदन में कितने ऐसे सदस्य हैं जो कि हरिद्वार की भीड़ का अनुभव कर सके हैं लेकिन वहां पर अचानक किसी न किसी मेले में तीन चार लाख आदमी आ जाते हैं। उनको न तो रेलवे जल्दी निकाल सकती है और न जो प्राइवेट कम्पनियां थीं वह भी निकाल पाती थीं लेकिन पिछले तीन चार सालों से रोडवेज ने जो प्रबंध हरिद्वार में किया है वह ऐसा अच्छा प्रबंध किया है कि जल्द ही वह यात्री स्नान करने के बाद वहां से चले जाते हैं और मेरा खयाल है कि इस प्रकार का प्रबंध स्थायी रहे तो हम रोडवेज की तारीफ ही करेंगे और हमेशा जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिये उत्साह ही मिलेगा। मेरे मित्र माननीय उपाध्याय जी ने जो बातें कही हैं कि आमदनी रोडवेज में जो है वह बहुत कम है मैं समझता हूं कि ऐसे उद्योगों में जोकि जनता के लाभ के लिये हैं अगर उनमें लाभ कम होता है तो भी वे किये जाने चाहिये। कामर्शियल डिपार्टमेंट के बजाय यदि हम यह समझें कि जिस प्रकार डाकखाना जनता की सेवा करता है और नाममात्र की ही बचत कर पाता है उसी प्रकार यदि हमारे प्रांत की रोडवेज कम बचत के साथ जनता की ५१ जिलों में सेवा द्वारा अधिक से अधिक सुविधा दे सकती हैं तो उस नाम मात्र की बचत की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मेरा ख्याल है कि यदि रोडवेज इस दृष्टि से अपना काम करती है तो हमें उनकी तारीफ करनी चाहिये बलिक यह समझना चाहिये कि वहां पर लाभ बहुत कम हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दो अनुदान इस भवन के सामने हैं उनके विषय में मैं अपने विचार रखता हूं। मैंने माननीय मंत्री महोदय के भाषण को बहुत गौर से सुना मुझे प्रसन्नता होती है कि माननीय मंत्री जी इस बात को मानते हैं और सुझाव भी चाहते हैं कि हम लोग, इस सदन के और जनता के लोग उनके विभाग की अपनी कठिनाइयों को और अपनी विचार धारा को उनके सामने रखें तो उनको वे अच्छी तरह से सुनेंगे और अमल में लायेंगे। यह जानकर मुझे दुख हुआ कि जिस मंत्रिमंडल ने जमीदारी प्रथा को जिस के सहारे एक करोड़ आदमी रहते थे उनको नष्ट कर दिया फिर राष्ट्रीयकरण करने के लिये जो हजारों आपरेटर्स हैं उनको खत्म करने के लिये सोच रही है लेकिन उनमें कुछ आपत्तियां हैं, और उनमें कुछ कठिनाइयाँ पड़ेंगी। मैं समझता हूं कि अगर प्रांत के हित में और जनता के हित में कोई कार्य उठाया

[राजा वीरेन्द्र शाह]

जाता है और राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है तो यह हिचकिचाहट माननीय मंत्री जी को और उस मंत्रिमंडल को नहीं होनी चाहिये, यह शोभा की बात नहीं मालूम होती है। अगर आप समझते हैं कि हां, यह चीज ऐसी है कि जिस पर राष्ट्रीयकरण किया जाय, इससे जनता को भी फायदा है और हमारे प्रांत को भी लाभ है उसमें रुकावट से या दिलशिकमी के साथ काम को करने से मैं समझता हूं कि लाभ नहीं है। आज श्रीमन्, जनता बड़े संकट में पड़ी हुई है और वह यह है कि इधर तो सरकार ने अपनी ओर से रोडवेज चलाई हैं, उससे वह सुविधा पहुंचाना चाहती है उसी के साथ साथ जो प्राइवेट ओनर्स हैं उनकी तरफ गवर्नमेंट का कुछ ज्यादा रुझान नहीं है कि कहां पर प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं और कहां पर नहीं चलती हैं। मैं अपना अनुभव रखना चाहता हूं कि आर टी० ओज० के दफ्तर जो हैं वहां परमिट देना तो जानते हैं लेकिन परमिट कैन्सिल कर० नहीं जानते हैं। वहां पर इस तरीके का काम होता है कि वहां पर जितनी दरख्वास्तें पब्लिक की, प्रधानों की या जिलाधीशों की आती हैं उनपर सुनवाई नहीं होती है। वह दरख्वास्तें दफ्तर की फाइलों में नीचे पहुंच जाती हैं लेकिन आर० टी० ओज० उन पर कोई दएक्शन नहीं लेते हैं। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो जिलों में बहुत दूर हैं, खुद मेरा गांव जो ४२ मील की दूरी पर है, और ऐसे-ऐसे गांव हैं कि जहां चार-चार परमिट दिये गये हैं लेकिन कोई भी लारी नहीं चलती है उससे जनता को बहुत कष्ट होता है। न तो आप राष्ट्रीयकरण करते हैं और न जो प्राइवेट ओनर्स हैं उनको आप हिदायत देते हैं, न उनको आप सजा देते हैं और न उनके परमिट कैन्सिल करते हैं। या तो वहां दूसरे परमिट दिये जावें या रोडवेज चलाई जावें। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि आर०टी०ओज० के दफ्तरों में हालांकि आपने मोटर का टैक्स काफी बढ़ा दिया है, उसे भवन ने पास किया है और हम उसे मानते हैं, लेकिन फिर भी इतनी काफी रकम हो जाने के बाद सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिये कि क्या यह जरूरी है कि रीजनल ट्रांस्पोर्ट के यहां ही यह लाइसेंस बदले जावें। जिस तरह पहले जिलों में रजिस्ट्रियां होती थीं आज वह तो नहीं है और किसी को तकलीफ नहीं होती थी। आज तो हर जगह लोगों को ३,३ और ४,४ दिन भटकना पड़ता है टैक्स बढ़ गया और उसके बाद भी हर तीन महीने उसके लिये तकलीफ उठानी पड़ती है। मंत्री महोदय का फर्ज है कि लोगों की इन दिक्कतों को भी वह देखें। मैं जानता हूं कि वहां आर० टी० ओज० के दफ्तरों में इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। आप कहते हैं कि पोस्ट से भेज दीजिये। मैं मानता हूं लेकिन सरकार को यह मालूम होना चाहिये कि लोगों को यह विश्वास नहीं है कि पोस्ट से वह चीज होकर लौट आवेगी या नहीं। हमें यह नहीं मालूम है कि कितनी रजिस्ट्रियां पोस्ट द्वारा हुईं अगर कुछ हुई होतीं तो हम समझ सकते थे कि ऐसा करने से काम में सुविधा होगी।

रोडवेज के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि यह जरूर है कि इनसे जनता को पहले के मुकाबिले में आराम है और यह इसी से साबित है कि हर जगह की सरकार के पास दरख्वास्तें आती हैं कि हमारे यहां रोडवेज चलाइये और हमारी लाइन ले लीजिये। लेकिन मैं सरकार से कहता हूं कि वह आधा काम न करें। जैसे आपने जमींदारी अबालिशन को सारे प्रांत में लागू किया है इसी तरह इसका भी सारे प्रांत में राष्ट्रीयकरण करके प्रांत का फायदा कीजिये। दो तरह की चीज चलने पर जनता को कष्ट होता है। जैसा हमारे उपाध्यायजी ने बतलाया ४ या ५ लाख हमारे प्रांत के लिये जहां ६० करोड़ का बजट हो। कोई लाभ नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार निडर होकर इस कार्य को आगे बढ़ावे और जो अपने देश की तरक्की चाहते हैं वे सब उसके साथ हैं और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस चीज को आगे बढ़ावेंगे।

श्री भूपाल सिंह खाती (ज़िला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों अनुदानों का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। मैं वास्तव में सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं कि उसने यातायात के राष्ट्रीयकरण से प्रदेश की जनता का लाभ किया है। मेरे मित्र श्री मदनमोहन जी उपाध्याय ने कुछ बातें कटमोशन के सिलसिले में कहीं। मैं यह नहीं कह सकता कि यह उनकी व्यक्तिगत राय थी या उनकी पार्टी का प्रोग्राम था। जहां तक मुझे लगा, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जैसे कि अगर कोई व्यक्तिगत मोटर मालिक भी अपनी वकालत करता तो इतनी गन्दी बातें नहीं करता।

श्री अध्यक्ष--ये शब्द आपको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए कि गन्दी बातें किसी सदस्य की हैं।

श्री भूपाल सिंह खाती--मैं वापस लिये लेता हूं। जिस तरह से उन्होंने व्यक्तिगत मोटर मालिकों को सपोर्ट किया उससे मैं यह नहीं समझा कि वास्तव में वे राष्ट्रीयकरण के या सरकारी रोडवेज के ख़िलाफ हैं या वह व्यक्तिगत मोटर मालिकों के हितों की रक्षा कराना चाहते हैं।

श्री मदनमोहन जी ने फ़रमाया कि अभी तक केवल जहां खर्चा चौगुना बढ़ गया है किराये में ·७५ की वृद्धि हुई है। इससे उनका क्या अर्थ था यह मैं नहीं समझा। क्या वह यह चाहते हैं कि किराया चौगुना बढ़ा दिया जाय। ट्रांसपोर्ट विभाग की रिपोर्ट शायद उन्होंने पढ़ी होगी, जो कुछ भी किराया अभी तक है उसे यहां की जनता ज्यादा महसूस करती है और पहिले साल के आंकड़े यह दिखलाते हैं कि पैसेंजर ट्रैफिक में १२ प्रतिशत की कमी हुई है। मैं तो यह कहूंगा कि यातायात के राष्ट्रीयकरण होने से जो लाभ इस प्रदेश की जनता को हुआ है उस पर उन्होंने निगाह नहीं डाली। यदि इस प्रान्त में रोडवेज ऐसी चीज़ कायम न की जाती तो क्या श्रीमन्, यह मुमकिन था कि जो आज कानपुर में सेंट्रल वर्कशाप है वह क़ायम हो पाती? जिस योजना के अन्तर्गत हम आटोमोबाइल इंजीनियर्स यहां पर पैदा कर रहे हैं और कितने ही और तरह के टैक्नीशियन्स पैदा कर रहे हैं ये व्यक्तिगत मोटर मालिकों के समय में हो पाते? आज जो स्थान-स्थान पर रीजनल सेंटर्स में, लखनऊ, मेरठ, बरेली गोरखपुर, काठगोदाम आदि जगहों में जो छोटे छोटे वर्कशाप बने हुए हैं और जिस तरह से इस प्रदेश की टेक्निकल योग्यता में उन्नति हुई है क्या वह व्यक्तिगत मोटर मालिकों के ज़माने में हो पाती? आज जब हम यह चाहते हैं कि हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा हो तो इस बात की जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा वर्कशाप्स और सेंट्रल वर्कशाप्स और तरह-तरह के काम करने वाले टैक्नीशियन्स पैदा करें। यह तभी हो सकता है जब हम यातायात का राष्ट्रीयकरण करें।

दूसरी बात मैं, श्रीमन् आपके द्वारा उपाध्याय जी को कुछ चार, पांच साल पहले की भी याद दिलाना चाहता हूं। जिस वक्त निजी मोटर मालिकों का राज्य इस प्रदेश में था तो क्या कोई समय था मोटरें छूटने का, क्या इस बात की कोई सीमा थी कि एक मोटर में कितने आदमी बैठाये जायंगे? और उस पर भी दरोगा साहब के घर के सामने दो घंटे मोटर रुकी हुई है, और कोई दूसरे साहब हैं उनके घर के सामने रुकी हुई है न छूटने का समय, न पहुंचने का समय और न इस बात की ही कोई सीमा थी कि कितने आदमी उसके अन्दर भर दिये जायं। ऐसी आफ़त थी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को सफ़र करने की कि आदमी डरता था। आज जब लोग यहां से कानपुर जाना चाहते हैं तो खुशी खुशी कहते हैं कि रेलगाड़ी का कौन बवाल करे,

[श्री भूपालसिंह खाती]

रोडवेज़ में बैठ कर चलेंगे। तो यह जो लाभ रोडवेज़ ने हमारे प्रदेश को पहुंचाया यह सब के सामने मौजूद है।

कुमायूं में जो के० एम० ओ० यू० और रोडवेज का सवाल है वहां पर केवल एक रोडवेज़ को ही स्थान देना चाहिये और के० एम० ओ० यू० संस्था को काफी दिन सरकार ने पनपने दिया है और अब इसकी आवश्यकता मैं नहीं समझता। सन् १९३७–३८ में सरकार का ऐसा ज़रूर ख्याल था कि व्यक्तिगत मोटर मालिकों को अगर संगठित कर दिया जायगा तो शायद कुमायूं के उद्योग धंधों में कुछ तरक्की हो जाय, लेकिन इन १५, २० सालों में हमने देखा कि कुछ कमजोरियां तो कुमायूं में जरूर बढ़ीं लेकिन फायदा उससे कुछ नहीं हुआ। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वहां पर रोडवेज़ को ही क़ायम रखा जाय। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो दूसरा सुझाव यह है कि आज श्रमधन की बात चल रही है जिसमें मनुष्यों से कहा जाता है कि मोटर सड़क निर्माण करें। तो मैं तो यह कहूंगा कि बजाय ऐसे लोगों को यह काम देने के, जो कोई श्रमधन नहीं देते हैं ऐसे लोगों को यह काम दिया जाय जैसे गांव सभाएं, सहकारी संघ आदि।

एक प्रश्न यहां के भोटिये लोगों का है। वे लोग पहले बकरियों द्वारा दूकान से अपना गुजारा करते थे। अब जहां-जहां सड़क निर्माण हो रही है वहां यह रोज़गार ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं तो सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि मोटरों की परमिट देने की नीति ऐसी बनाये जिससे ग्राम-सभाओं को, सहकारी समितियों को और भोटिये लोगों को वह मिले ताकि जो कम्यूनिस्टों का ज़ोर उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है वह कम हो और साथ ही श्रमधन के लिये लोगों को उत्साह दिलाया जा सके।

इसके साथ ही साथ मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि कुछ इसमें ज्यादा देख-रेख की आवश्यकता है। अभी काठगोदाम में २३ गाड़ियां ४८ हजार रुपये में बेची गयीं अगर वे एक-एक करके नीलाम की जातीं तो अवश्य ही ज्यादा रुपया आता।

इसके अतिरिक्त वर्कशाप में चोरियां ज्यादा होती हैं। अक्सर प्राइवेट मोटर ओनर्स इस बात के लिये उन लोगों को विवश करते हैं कि वे वहां से पुर्जे और अन्य सामान चोरी करके उनके हाथ बेच दें। इसलिये इसकी देखरेख की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। पिछले आंकड़े बतलाते हैं कि मार्च, ५१ से लेकर अप्रैल ५२ तक १२ लाख रुपया मुनाफा हुआ तथा अप्रैल ५२ से सितम्बर ५२ तक १ लाख ४० हजार रुपया ही मुनाफा हुआ है। यह हो सकता है कि खर्चा ज्यादा बढ़ गया लेकिन उसमें देखरेख की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि किसी भी हालत में इतना खर्चा नहीं बढ़ सकता कि ६ लाख रुपया मुनाफा के बजाय केवल १ लाख ४० हजार ही रह जाय।

कुमायूं रोडवेज़ के सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि वहां पर रेस्ट हाउसेज़ बन रहे हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान हलद्वानी मोटर स्टेशन की ओर दिलाना चाहता हूं जहां से हजारों आदमी गर्मी में नीचे ऊपर जाते हैं। ऐसी जगह यात्रियों के लिये शेड का ज़रूर इन्तजाम होना चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)— अध्यक्ष महोदय, जब से गवर्नमेंट की रोडवेज चलना शुरू हुई है तब से दो बातों में तो अवश्य सुधार हुआ है, यह सबको मानना ही पड़ेगा। एक तो यह कि उसके जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका व्यवहार पहले बस ओनर्स से १०० गुना ज्यादा अच्छा है, वे काफी शिष्टता से व्यवहार करते हैं। दूसरी बात यह है कि रोडवेज की बसेज़ में ओवर लोडिंग नहीं होता और अब लोग काफी आराम से सफर करते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि नेशनलाइजेशन से

जितनी सुख-सुविधा की अपेक्षा थी उतना अभी नहीं हो पाया है। मुझे इसका मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि हमारे वर्क शाप्स की ऐफीशियेंसी कम है। वह इतना ऐफीशियेंट नहीं है कि जहां रोडवेज़ की सड़कें खराब हैं वहां पर गाड़ियों को ऐसी हालत में रख सकें कि ब्रेक डाउन्स कम हों। जिस प्रकार कि कर्मचारी लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिये ऐजीटेशन करते हैं, हड़ताल करते हैं उसी प्रकार बसेज़ भी ठीक तरह देख-भाल न होने पर रास्ते में स्ट्राइक कर देती हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि वर्कशाप में से गाड़ी निकली और ५ मील या ४ मील पर जाकर खड़ी हो गयी ऐसा वर्कशाप की इनऐफीशियेंसी के कारण ही हो सकता है। अगर १००/५० मील जाकर कोई डिफेक्ट हो तब तो यह ख्याल किया जा सकता है कि कोई दूसरी वजह होगी। बहुत सी गाड़ियों में खास कर आगरा जिले में जो गाड़ियां टार रोड के अलावा सड़कों पर चलती हैं उनकी हालत कहीं-कहीं ऐसी है कि मालूम होता है कि एंजिन आगे चला जायगा और बाकी बाडी पीछे रह जायगी। कहने का मतलब यह है कि गाड़ियों की मरम्मत और बदलने की सख्त ज़रूरत है।

इसके बाद मुझे इसके डायरेक्शन के बारे में भी कुछ कहना है। इस डिपार्टमेंट से मेरा सम्बन्ध कुछ पहले से रहा है और मैं सदैव इसके ड्युअल फंक्शन के विरुद्ध रहा हूं। यह विभाग एक तो कामर्शियल फंक्शन करता है दूसरे गवर्नमेंट की तरफ से वह ऐडमिनिस्ट्रेशन करता है मैं नहीं जानता किन कारणों से अभी रोडवेज़ को कामर्शियल तौर पर संचालन के लिये टैक्नीकल प्रबन्धकों के हाथ में नहीं दिया जा सका है और अब भी वह उसी डिपार्टमेंटल बेसिस पर चल रहा है। इसका नतीजा यह है कि जितनी ऐफीशियेंसी होनी चाहिये उतनी नहीं हुई और मुनाफा भी कम हुआ है।

एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी मुझे यह कहना है। जैसा कि श्री वीरेन्द्रशाह जी ने कहा मेरी भी यह बात समझ में नहीं आती कि छोटी-छोटी बातों के लिये जैसे कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल कराने के लिये सैकड़ों मील दूर आफिस में जाना पड़ता है। किसी वक्त टाइम एक्सपायर होने को होता है उस वक्त हम चाहते हैं और इसकी ज़रूरत होती है कि हम अपने लाइसेंस को इसकी मियाद के भीतर रिन्यू करा लें, लेकिन अगर तीन चार रोज पहले नहीं जाते तो देर से पहुंचने पर उसमें पेनाल्टी लगने की सम्भावना रहती है। तो यह बात भी समझ में नहीं आती कि इसमें सेंट्रलाइजेशन क्यों हुआ जब कि बार-बार डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही जाती है। मैं समझता हूं कि यह ऐडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी गलती हुई जब कि डिस्ट्रिक्ट से उठा कर यह छोटी सी चीज़ रिजन के हाथ में दे दी गयी। रिजनल कमेटी जितनी ऊपर बढ़ती जायगी उतनी देर में लोगों को जवाब मिलता है। देर में काम होता है, जब चेकिंग होती है तो कहना पड़ता है कि लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रीजनल आफिस चला गया है। लेकिन वहां से रसीद नहीं आयी।

इसी तरह से दूसरी बात जो इस सम्बन्ध में मुझे कहनी है वह यह है कि जिन सड़कों पर अब भी प्राइवेट गाड़ियां चलाई जाती हैं वहां की दशा तो बहुत ही शोचनीय है। वहां खूब डटकर ओवर लोडिंग होती है। उन सड़कों पर भी जहां सरकारी रोडवेज की गाड़ियां चल रही हैं वहां भी कुछ लोग बिना रजिस्ट्रेशन कराये और बिना परमिट के अपनी गाड़ियां चलाते हैं जिससे रोडवेज को काफी नुकसान होता है। रोडवेज वाले कहते हैं कि हमारे हाथ में कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह का सेट अप है उसमें यह एक अजीब चीज मालूम होती है कि ऊपर तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजेरियल दोनों फंक्शन एक ही आदमी के हाथ में हों जिसके मैं खिलाफ हूं लेकिन नीचे आकर यह अलहदा हो जाते हैं और यह देखने को मिलता है कि बिना परमिट और रजिस्ट्रेशन के लोगों की धड़ाधड़ गाड़ियां चल रही हैं। मैं समझता हूं कि इससे रोडवेज

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

का बहुत काफी नुकसान हो रहा है लेकिन कोई इसको देखने वाला नहीं है। पुलिस अपने कारणों से नहीं बोलती और रोडवेज के कर्मचारी कहते हैं कि हमारे हाथ में कोई ताक़त नहीं है। तो यह एक अजीब स्थिति है। मैं नहीं जानता कि ऐनफोर्समेंट स्क्वैड इस सम्बन्ध में कितना कर पाते हैं। हमने जो राष्ट्रीयकरण का कार्य अपने हाथ में लिया था उससे हमें काफी आशा थी और अब भी आशा है और इस विचार से हम चाहते हैं कि रोडवेज एक उदाहरण हमारे सामने उपस्थित करे। उसे न केवल एफिशिएंट बल्कि माडेल इम्पलायर भी होना चाहिये ताकि रोडवेज के कर्मचारियों की जो बहुत सी तकलीफें अब तक रही हैं वे भी न रहें। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को देखते हुए कि हमारे यातायात विभाग का नेतृत्व इस देश के प्रमुख रचनात्मक कार्यकर्ता के नेतृत्व में सुरक्षित है फिर भी हमें देखने में आता है कि हमारे यातायात विभाग की विचित्रता में कोई कमी नहीं आई। एक ओर सन् १९५१-५२ में मोटर वेहिकिल ऐक्ट से २३ लाख रुपये की आमदनी हुई है तो सन् १९५३-५४ में २८ लाख की आमदनी होने जा रही है। इसी प्रकार यू० पी० रोड फंड से सन् १९५१-५२ में १ करोड़ ४० लाख की आमदनी हुई थी और १९५३-५४ में वह १ लाख ५२ हजार होने जा रही है। दूसरी तरफ जहां एक ओर गवर्नमेंट रोडवेज के काम में ६० लाख रुपये की बढ़ोत्तरी करने जा रही हैं वहां बसों की संख्या में कमी हो गयी है। पहले ३,३३५ बसें चलती थी और अब ३,३०४ साल में चलेंगी। हमें सोचना है कि आखिर किस प्रकार स्थिति को सुधारा जा सकता है और मुनाफा किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। मेरे विचार में जब तक जिन व्यक्तियों के जरिये रोडवेज का काम चलता है उनकी स्थिति को नहीं सुधारा जाता है तब तक रोडवेज की स्थिति नहीं सुधरेगी। बजाय इसके कि रोडवेज के निम्न कर्मचारियों को सहायता दी जावे, कोई इन्क्रीमेंट दिया जाता या उनको परमानेंट किया जाता हम देखते हैं कि अप्वाइन्टमेंट डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसकी वजह से जितने भी टेम्परेरी हैं उनकी सर्विसेज टर्मिनेट की जा रही हैं और उनसे नये एग्रीमेंट लिये जा रहे हैं यह बात रोडवेज में आजकल जारी है। मेरा ऐसा विचार है कि इस तरह नोटिस देने से संविधान की धारा ३११ का उल्लंघन हो रहा है जिसमें सिविल के परमानेंट और टेम्पोरेरी कर्मचारियों के साथ डिस्क्रेमनेशन किया गया है। आज स्थिति यह है कि इस टर्मिनेशन आर्डर के लिये एक महीने का भी नोटिस नहीं दिया गया है और जितने भी असिस्टेंट रीजनल मैनेजर हैं वे घूम-घूम कर जल्दी से टेम्पोरेरी कर्मचारियों से दस्तखत अग्रीमेंट पर करवा रहे हैं, यह हालत है। क्या भरोसा हो सकता है कि कोई कर्मचारी यह समझे कि अब तो एक महीने के नोटिस से हमारी सर्विस टर्मिनट हो सकती है वह कैसे इस भावना से रोडवेज के काम को सफल बनवा सकते हैं। यह हो सकता था कि जो एक साल से अधिक नौकरी कर चुका है उसको परमानेंट किया जाता लेकिन उसके खिलाफ ही कार्यवाही हो रही है। इस तरह जो डिस्मिसल और सस्पेन्शन के नियम हैं उनमें भी कोई निश्चितता नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह बताया था कि जो चार्ज लगाता है वह फैसला नहीं करता है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे पास इसकी मिसाल मौजूद है जहां स्वयं जनरल मैनेजर ने चार्ज लगाये हैं और उसी ने खुद उस कर्मचारी को डिस्मिस भी किया। आवश्यकता तो इस बात की थी कि जितने लेबर सम्बन्धी कानून हैं और जितनी कान्सलेशन की मशीनरी है उसकी फैसीलिटी रोडवेज कर्मचारियों के लिये भी लागू हो जानी चाहिए। गवर्नमेंट ने खुद कानपुर बिजली

कम्पनी के कर्मचारियों को यह फैसीलिटी दी है जब कि वह कम्पनी सरकारी है और उसके नौकर भी सरकारी नौकर हैं। वहां के जितने भी मामले लेबर डिस्प्यूट सम्बन्धी होते हैं वे लेबर कानून के द्वारा हल किये जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि इन रोडवेज कर्मचारियों को भी यह फैसीलिटी न दी जाय।

दूसरी तरफ इन जेनरेल मैनेजरों की वजह से रोडवेज के कर्मचारी बहुत परेशान रहते हैं। वे यह सोचते हैं कि अगर जरा भी जेनरेल मैनेजर नाराज हो जायेगा तो सब कुछ उसी के हाथ में है। तो यह इन्टर रीजनल ट्रान्सफर का सवाल है। तो उसमें होता यह है कि उसी रूट पर इस बात के नाम पर कि वहां यूनियन कायम किया जा रहा है और यह समझ कर कि वहां गलत सिद्धान्त बरता जा रहा है और वे राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को असफल बनाना चाहते हैं, तो उनको एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रान्सफर किया जाता है। और यही नहीं इसके लिये वह इस्तीफा देने को मजबूर हो जाते हैं। इसके लिये कई मिसालें हमारे फ़ेडेरेशन की तरफ से माननीय मंत्री जी के सामने पेश की गई हैं। जब तक इस तरह की व्यवस्था रोडवेज के कर्मचारियों की रहेगी, तब तक मैं समझता हूं कि हम किसी प्रकार भी रोडवेज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और वह सफल नहीं हो सकता है। माननीय मन्त्री जी को इस बात की गलतफ़हमी है और उनको इस बात का ख्याल है कि रोडवेज का यूनियन या फेडरेशन आज राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को असफल बनाना चाहता है, मगर हमारा यह उद्देश्य नहीं है बल्कि रोडवेज कर्मचारियों के यूनियन बनाने का यह उद्देश्य है कि वे अपनी कलेक्टिव रेसपोन्सिबिलिटी को समझते हैं और राष्ट्रीयकरण के महत्व को भी समझते हैं और इसके लिये वे समझते हैं कि आज यह आवश्यक है और इस देश की गरीबी को देखते हुए हमें राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को सफल बनाना चाहिये और हमारे देश की जो सड़कें हैं उनको सब प्रकार से सहयोग देने के लिये ही हमारे यूनियन की रचना हुई है। हमारे यूनियन की रचना हड़ताल करने की गरज़ से नहीं हुई है। दूसरी तरफ़ जेनरेल मैनेजर और उनके अत्याचारों के उदाहारण सरकार के सामने हैं और होता यह है कि वह लोगों को एक रीजन के बजाय दूसरे रीजन में डाल देते हैं और एक, दो आने के करेक्शन के लिये ड्राइवरों और कन्डेक्टरों को हटा दिया जाता है। ३३ रुपये माहवार उन कन्डेक्टर्स की पे है और जब कि सारे कर्मचारियों को इन्क्रीमेंट मिलता है लेकिन रोडवेज के क्लीनरों को एक पैसा भी इन्क्रीमेंट नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ माईलेज एलाउन्स की बात है तो उसमें भी महीनों बीत जाते हैं, मगर उनको मिलता नहीं है। साथ ही साथ ओवर टाइम के बारे में यह है कि ड्राइवर १२/१२ और १३/१३ घंटे एक दिन में काम करते हैं, मगर मैं माननीय मन्त्री जी से कहता हूं कि उनको एक पैसा भी एलाउन्स नहीं दिया जाता है। पिछले साल डिपार्टमेंट टेक्निकल पे ड्राइवर के लिये मुकर्रर की गई थी लेकिन वह कितनों को मिली, उसके बारे में मैं माननीय मन्त्री महोदय जी से जानना चाहता हूं। जो बजट में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो वह कितनों को मिलती है। यह एक बुनियादी प्रश्न है कि जब तक रोडवेज के सभी कर्मचारी परमानेन्ट नहीं किये जाते हैं और जबतक उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं की जाती है या जबतक डिस्प्लिन के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं होती, तब तक मैं समझता हूं कि रोडवेज में तरक्की नहीं हो सकती है।

श्री बलवंत सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र श्री उपाध्याय जी की बातों को सुना मगर मुझे अफ़सोस है कि जैसी उन्होंने राष्ट्रीयकरण की परिभाषा की, उसमें वे अपने मूल सिद्धान्त जो सोशिलस्ट पार्टी के हैं, उनको भूल गये। हर एक आदमी इस बात को जानता है कि यदि इस बात को देखा जाय कि किस चीज में अधिक से अधिक लाभ और ज्यादा मुनाफा है, तो यह जो हमारे पूंजीपति लोग हैं वह इस बात को कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा मुनाफा दे सकते हैं। अगर यह देखा जाय कि अमेरिका में जो बड़े-बड़े फार्म्स हैं

[श्री बलवन्त सिंह]

और रूस में जो राष्ट्रीय फार्म्स हैं उनके अन्दर किस में मुनाफा ज्यादा है तो मैं यह कहूंगा कि आंकड़े इस बात को जाहिर करते हैं कि अमेरिका के अन्दर जो बड़े-बड़े फार्म्स हैं उनमें रूस के राष्ट्रीय फार्मों से ज्यादा मुनाफा होता है। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाय कि जिस चीज में ज्यादा मुनाफा होता है वह चीज राष्ट्रीयकरण में अच्छा फ़ायदा देगी, मगर यह बात नहीं है। यह नहीं समझना चाहिये कि अगर रोडवेज़ में अधिक मुनाफा नहीं हुआ तो इसी सिद्धान्त से राष्ट्रीयकरण में यह न माना जाय। मैं तो यह कहूंगा कि सबसे पहली बात जो किसी भी योजना के लिये विचार में रखनी चाहिये वह यह है कि किस चीज़ में सबसे अधिक लाभ वहां की जनता को है।

जिस चीज़ में सबसे अधिक जनता का लाभ हो चाहे हमारे प्रदेश को पैसे की शक्ल में राष्ट्रीयकरण की योजना से जो रोडवेज में हमारी सरकार ने की है कुछ लाभ अधिक नज़र नहीं आता लेकिन कौन इस बात को कह सकता है कि उससे हमारी जनता को जो कि उनमें ट्रेवल करती है उनको अधिक लाभ नहीं हुआ। हर एक कोई जानता है कि किस प्रकार से पहले ओवरलोडिंग हुआ करता था और वह खत्म हो गया। थोड़े ही दिनों में कितनी सुविधायें रोडवेज से ट्रेवल करने वाले लोगों को हुई जो पहले नहीं होती थीं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपने इस सिद्धान्त को अधिक से अधिक व्यापक रूप में बढ़ाये। तमाम की तमाम पक्की सड़कों पर सरकार अपनी रोड़वेज को चलाये और सिर्फ कच्चे रास्तों पर प्राइवेट बस ओनर्स रहें।

मैं अपने भाई उपाध्याय जी की बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि अब बसेज़ पर टैक्सेशन ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन कौन ऐसा प्राइवेट ओनर है जो इस बात की दरख्वास्त नहीं देता कि मुझे एक और परमिट दे दी जाय। रात दिन हम परमिट् के लिये क्लेमर देखते हैं। यह इस बात को साबित करता है कि अब भी उनको ज्यादा मुनाफा हो रहा है। जिस समय सरकार परमिट देती है वह इस बात का ख्याल रक्खे कि जिन रास्तों पर उनकी बसेज चलती हैं और जिन रास्तों को हमारी जनता ने अपने श्रमधन से बनाया है उसमें बस ओनर्स का भी कान्ट्रिब्यूशन हो क्योंकि वे उन लोगों की मशक्कत के जरिये से इतना फायदा उठाते हैं। इन बातों के बाद मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इसमें शुबहा नहीं कि जो शिकायत इस समय हमारे कुछ भाइयों की तरफ से हुई कि हमारे इस रोडवेज के मौजूदा मैनेजमेंट में कुछ खामियां जरूर हैं और वे पूरी की जा सकती हैं। अगर बजट के आंकड़ों को देखा जाय तो उनसे साफ जाहिर हो जाता है कि ९९ लाख २७ हज़ार के ऊपर की रक़म ऐसी है जो नौकरों या अधिकारियों की तनख्वाह में दी जा रही है और उस सबके होते हुए हम यह जानते हैं कि उतना अच्छा सुपरविजन नहीं हो पाता जितना कि होने चाहिये। तो माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस चीज को जरा अच्छी तरह से देखें कि जितना निरीक्षण इस समय होता है वह इतना काफी नहीं है। अगर अच्छी प्रकार से निरीक्षण किया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे और अच्छा सुधार हो सकता है। इसके लिये मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार जेलों के लिये अवैतनिक निरीक्षक होते हैं उसी प्रकार से वे अपनी इन बस सर्विसेज के लिये अवैतनिक निरीक्षक रक्खें। इससे मैं समझता हूं कि बहुत लाभ होगा कम से कम डर तो रहेगा और कोई भी अवैतनिक निरीक्षक जब निरीक्षण करेगा तो उसकी शिकायत पर चालान वगैरह हो सकेंगे। इस प्रकार से जो दिक्कतें निरीक्षण न होने की वजह से हैं उनको हम दूर कर सकेंगे।

एक और सुझाव मैं माननीय मन्त्री के सामने रखना चाहता हूं। वह यह कि बाहर से जो सामान हम मंगाते हैं उसमें हमारे देश का, हमारे प्रान्त का बहुत सा रुपया बाहर जाता है। इस प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिये कि छोटे-छोटे पुर्जे हम अपने यहां अपनी बसेज के और गाड़ियों के यहीं बनायें। इसके साथ ही साथ हम यह भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम पूरी गाड़ियां बाहर से मंगायें, हम उनके पार्ट्स मंगा कर उनको यहां असेम्बिल करें ताकि जो दूसरी कम्पनियां फायदा उठा रही हैं वह मुनाफा हमारे जो मौजूदा वर्कशाप्स हैं

से उठायें इस बजट के देखने से पता चलता है कि हमारे यहां ट्रेनिंग के उपयुक्त साधन नहीं हैं, अगर ट्रेनिंग के हम उपयुक्त साधन उपलब्ध करने का प्रयत्न करें तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ लाभ हमारे प्रदेश को होगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में माननीय परिवहन मन्त्री जी के सुन्दर और विनम्रतापूर्ण भाषण को सुनकर मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। मैं जानता हूं कि उनके ऐसे कर्मठ और विधायक कार्य में प्रवीण व्यक्ति के हाथ में जब यह विभाग सुपुर्द किया गया है तो यह निश्चित ही है कि यह आगे चल कर फलता फूलता और विकसित होता रहेगा। बहुत ही मधुर शब्दों में मन्त्री महोदय ने यह तसलीम किया है कि जहां पर यह विभाग बहुत सुन्दर कार्य कर रहा है परन्तु साथ ही साथ उसमें खामियां भी हैं। उपाध्यक्ष जी, जिन-जिन वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण किया जाता है उसमें यह विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता कि कितने रुपये पैसे का लाभ होता है। बल्कि यह देखना होता है कि राष्ट्रीयकरण से हम कितना जनहित कर सकते हैं। अत: जनहित का तो जीता जागता नमूना यों ही दिखाई पड़ता है कि समस्त उत्तर प्रदेश में बसों का एक जाल सा बिछा हुआ है और उसके जरिये से हम अपनी मंजिल तक बड़ी आसानी तथा सुविधा से पहुंच जाते हैं। एक बात जरूर है कि जहां पर राष्ट्रीयकरण करने का उद्योग और प्रयास हम कर रहे हैं संयोग से शैशवास्था में हमारा यह ट्रांसपोर्ट विभाग है। भय है कि उसमें नाना प्रकार की व्याधियां आ सकती हैं और इसमें कुछ कुछ आई भी हैं। उनके निराकरण के लिये हमारे मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि जो भी उचित आलोचना सदन में की जावेगी उनको वे उदारतापूर्वक सुनेंगे और मानेंगे।

मान्यवर एक बात मुझे कहनी है कि जो बसें हमारे प्रदेश के विभिन्न भागों में चलाई जा रही हैं उसके लिये चलाने वालों को उतना मोह, और प्रेम उनसे नहीं है जैसा कि उनकी वैयक्तिक सम्पति अगर होती तो होता। अतः इसका नतीजा यह हो रहा है कि जितनी भी सड़कों पर आज हमारी बसें चल रही हैं प्रायः सब बहुत ही बुरे तरीके से चलाई जा रही हैं। अच्छा तो यह होता कि सड़कों का विभाग भी माननीय परिवहन मन्त्री के अधीन होता क्योंकि उनका उनसे सीधा सम्बन्ध है और वे अपने निजी अनुभव से उन्हीं सड़कों को लेते जिन पर वे बसों को नेशनलाइज करना चाहते हैं। परन्तु नतीजा यह हो रहा है कि बसें ज्यादा दिन न चल कर थोड़े ही दिनों में टूट-फूट जाती हैं। इस सम्बन्ध में असावधानी से चलाना और सड़कों का खराब होना मुख्य कारण हैं।

जहां तक ऊंचे अफसरों का सम्बन्ध है सभी अनुभवी व्यक्ति उनके कार्यशैली को जानते हैं। इस विभाग में जितने ऊंचे आफिसर्स हैं ज्यादातर नौकरशाही से आये हैं। अतः उनका व्यवहार कार्य एक दिन में कदापि नहीं सुधर सकता। विभाग के न्यून वर्ग के लोग जो हैं उनकी दशा बहुत ही शोचनीय है। मुझे पूर्ण आशा है कि मन्त्री महोदय के होते हुये यह हालत उनकी सुधरेगी जो न्यून वर्ग के कर्मचारी हैं जैसे ड्राइवर, कंडक्टर्स, और फिटर्स आदि उनके साथ सुन्दर व्यवहार नहीं होता। उनकी साधारण सी गल्ती पर साधारण दंड न दे कर डिसमिसल आर्डर दुर्भाग्य से दे दिया जाता है। मैं इसे अनुचित समझता हूं क्योंकि वे भी हमारे देश के भाई हैं और उनमें बहुत से अभी नये लोग भी हैं। अगर उनमें थोड़ी बहुत कमजोरी है तो थोड़ा शान्ति के साथ सम्हालने की अवश्यकता है। अतः मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आप इस ओर देखें और एक सुन्दर आदर्शपूर्ण उदाहरण उपस्थित करें ताकि न्यून वर्ग के कर्मचारियों के साथ अन्याय न होने पावे। साथ ही जिनका समय आ गया हो उन्हें मुस्तकिल (परमानेन्ट) कर दिया जाय। निम्न वर्ग के कर्मचारियों के साथ वह ऐसा व्यवहार करें और ऐसा तरीका निकालें कि जिससे वह सुविधा प्राप्त कर सकें और सुगमता से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। यही कारण है कि मैं मन्त्री जी का ध्यान इस दिशा में आकर्षित करना चाहता हूं कि जिससे छोटे कर्मचारियों के साथ विशेष रूप से उदारता से व्यवहार किया जाय और उन पर विशेष ध्यान रखा जाय।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

रही बात यह कि साधारण जनता के ठहरने के वास्ते जितना इन्तजाम होना चाहिये था उतना नहीं है इसको माननीय मन्त्री जी ने खुद स्वीकार किया है। ठहरने की शिकायत अभी भी मौजूद है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने बस्ती जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। बांसी एक प्रमुख मुकाम है। वहां बसेज के ठहरने के लिये एक संकुचित जगह है। वहां पर कोई भी, ड्राइवरों तथा कर्मचारियों के लिये ठहरने का माकूल इन्तजाम नहीं है। वह बस स्टेशन भी ऐसी जगह पर बनाया गया है कि जिससे लोगों को दिक्कत होती है और खसूसन आजकल जब कि गर्मी आ रही है और ऊपर से बरसात आ रही है। यह स्थान बांसी कचहरी है। उनके लिये कोई शेडों का प्रबन्ध समुचित ढंग से होना चाहिये और ठहरने का इन्तजाम भी होना चाहिये। मैं माननीय मन्त्री जी को उनके अपने महत्वपूर्ण भाषण के लिये बधाई देता हूं और चाहता हूं कि अपने प्रयास में वह कामयाब हों।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आज सदन को यह बता देना चाहता हूं कि यह विभाग उस महान् व्यक्ति के हाथ में है जिसने स्वतः इस सदन के समक्ष इस बात को स्वीकार किया है कि इस विभाग में कमियां हैं। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि हमारे जितने भी विभाग चल रहे हैं उनमें हमारे मन्त्री जी का विभाग बहुत सुन्दर तरीके पर चल रहा है। वैसी बात नहीं है जैसा कि विरोधी बेंच की तरफ से बतलाया गया कि फिजूल खर्चा होता है। हम जानते हैं कि माननीय मन्त्री जी खुद जाकर गाड़ियों को चेक करते हैं। उस मन्त्री के बारे में विरोधी बेंच के लोग कहते हैं कि एक गाड़ी चेक कर ली होगी। यह क्या मामूली बात है कि एक मिनिस्टर खुद जाकर किसी गाड़ी को चेक करता है तो यह कौन सी कम बात है। मैं ठंडे दिल से विरोधी बेंच से यह पूछना चाहता हूं कि सब गाड़ियां तो चेक नहीं की जा सकती हैं।

एक बात यह कही गयी कि उनकी सर्विसेज को परमानेन्ट कर दिया जाय। मैं भी इस बात को मानता हूं कि उनकी सर्विसेज को मुस्तकिल कर दिया जाय। यह जरूर होना चाहिये लेकिन जहां पर सुई की जरूरत हो वहां पर सुई से काम लिया जाय और जहां पर तलवार की जरूरत हो वहां पर उससे भी काम लिया जाय। जहां पर जरूरत हो वहां पर छोटे कर्मचारियों के ऊपर भी नजर जरूर रखी जाय। जैसा कि अभी हमारे शास्त्री जी ने कहा कि किसी छोटी मिस्टेक पर किसी का डिस्मिसल नहीं होना चाहिये। उनको समझाया जाय और सलाह दी जाय। मैं इसकी तरफ माननीय मन्त्री जी की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और उनके विभाग के जो कमिश्नर और सेक्रेटरी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इस बात की तरफ ध्यान दें। हमारे मन्त्री जी निहायत कर्मठ आदमी हैं और वह अपने विभाग में सुन्दरता से कार्य कर रहे हैं और वह गांधी जी के फालोवर हैं। लेकिन हमारे अपोजिशन के भाइयों को यह भी मद्देनजर रखना चाहिये कि हमारे पास मशीनरी जो है वह पुरानी है फिर भी बराबर चेष्टा की जा रही है कि हमारा काम सुन्दरता के साथ और ठीक हो। मैं उपाध्याय जी से कहना चाहता हूं कि मैंने उनकी स्पीच को सुना और उनकी बातों से व्यक्तिगत बातें टपकती थीं जैसा कि उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो। मैं बड़े अदब से उनसे यह कहना चाहता हूं कि नेशनलाइजेशन का जो इस हाउस में जिक्र किया गया गवर्नमेंट ने तो पहले उसकी नींव रख दी है। हमारे मन्त्री जी स्वयं इस सिद्धान्त को मानने वाले हैं और वह उसी मार्ग पर चल रहे हैं "उरूजे कामयाबी पर कभी हिन्दोस्तां होगा"। वैसे ही हमारा यह रोडवेज चल रहा है। मैं गवर्नमेंट से यह कहूंगा कि अगर सरकार चाहे तो साल भर या ६ महीने के लिये पब्लिक बसेज के पैरलल गवर्नमेंट बसेज को भी चलाया जाय और यह पब्लिक की डिमान्ड है। मैं इसकी मिसाल देता हूं कि इंग्लैंड में जो सिटीजन हैं वह भी वहां बिजनेस को अपने हाथ में लिये हुये हैं। जो पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी में आये थे और फिर उनकी हुकूमत बन गई। उपाध्याय जी ऐसी बातें करें कि जिससे देश का उत्थान और भलाई हो। लाइसेंस के बारे में कहा गया वाकई डिपार्टमेंट में जो लाइसेंस कैंसिल करने की बात है उसमें यह होना चाहिये कि

उसको नोटिस दे दिया जाय कि वह इतना रुपया जमा कर दे और उसे दफ्तर में टक्कर न खाना पड़े। डिपार्टमेंट में करप्शन है यह तो सब मानते हैं। मैं सरकार से अपील करूंगा कि रोडवेज़ की स्कीम जरूर सुन्दर है और वह चलाई जाय और पब्लिक को भी मौक़ा दिया जाय और सड़कों पर पब्लिक भी कुछ बस चला सके तो अच्छा होगा।

दूसरे पब्लिक कैरियर्स की बात कही गयी कि प्राइवेट केरियर्स २०० और २५० मन बोझ लाद कर चलते हैं और पुलिस को २ रुपया देकर यह काम किया करते हैं। मालूम होता है कि उपाध्याय जी बसेज़ का काम करते हैं और उनके यहां भी बसेज़ २ रुपया पुलिस को देकर ज्यादा माल ले जाती हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि करप्शन को दूर करना केवल सरकार का या सरकारी कर्मचारियों का ही कर्तव्य नहीं है बल्कि पब्लिक का भी फर्ज है कि वह रिश्वत न दे और सरकार से कोआपरेट करे। मिर्जापुर के बस स्टेशन पर पानी पीने का ठिकाना नहीं है। मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि बाई एण्ड बाई तरक्की हो रही है और सब कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि रोडवेज की गाड़ी का समय फिक्स कर दिया जाय और वह ठीक समय पर चला करें।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आभार मानता हूं कि जिन सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करने की कृपा की है उन्होंने बहुत ही सहानुभूति और सहृदयता के साथ इस विभाग की आलोचना की है। उसमें एक ही अपवाद हो सकता है और मैं समझता हूं कि उसके लिये किसी को शिकायत न होगी और वह हमारे मित्र उपाध्याय जी हैं, क्योंकि उनका वसूल है कि वह थोड़े से प्रहसन और मज़ाक के लिये थोड़ा अवसर इस सदन को समय-समय पर देते रहे। सब से जरूरी चीज़ मेरी दृष्टि में यहां जो कही गई थी और जो मैं स्वयं अपने भाषण में कहना चाहता था लेकिन समयाभाव के कारण न कह सका और वास्तव में वह सप्लीमेंट्री बजट के समय कहने की चीज़ थी, इसीलिये मैंने इस वक्त उसकी चर्चा नहीं की थी। वह बात है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो। जब हम राष्ट्रीयकरण की बात कहते हैं और जब मैं अपने रोडवेज़ के अन्दर यूनियनों का बनना बहुत खुशी की नज़र से नहीं देखता हूं तब जो मेरी भावना है वह मैं सदन को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। राष्ट्रीयकरण का सवाल छोटी दृष्टि से केवल मुनाफे की दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिये। मुनाफे की दृष्टि से भी अगर हिसाब लगाया जाय तो रोडवेज़ ने अच्छा रिकार्ड स्थापित किया है। बदकिस्मती से बजट में जो आंकड़े दिये जाते हैं उनको हम सब समझ नहीं पाते हैं, न तो हम सारा अध्ययन करते हैं और न सारी जानकारी हमारे सामने रहती है। हम लोगों में से जो लोग अध्ययन करने की कोशिश करते हैं वह भी ठीक से नहीं समझ पाते। मेरे डिपार्टमेंट के बजट को समझने में भी अगर किसी को कुछ ग़लतफ़हमी हुई है तो मैं उनको दोष नहीं दे सकता हूं क्योंकि वास्तव में जो चित्र बजट में दिया गया है वह सही भी नहीं है। सही चित्र मैं सदन के सामने पेश करता हूं। यह आडिटर जनरल की आडिट की हुई जो हमारी बैलेंस शीट है उसके आधार पर यह आंकड़े हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--हमें मिल सकती है यह ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--किसी भी समय सदन के उठने के बाद दी जा सकेगी। इसमें इंटरेस्ट निकालने के बाद जो साढ़े तीन प्रतिशत लगाया जाता है, रोडवेज को, १९५१-५२ में १२ लाख ५२ हजार २१ रुपये का लाभ है। मैं यह समझता हूं कि तीन प्रतिशत से ज्यादा ही होगा कम नहीं है। इसके अलावा यह हिसाब रखने का जो तरीका है तो अगर सिर्फ रोडवेज का काम आप समझना चाहें तो उसमें अन्याय

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

होगा। । लेकिन जब गवर्नमेंट की दृष्टि से हम देखते हैं तो गवर्नमेंट का जो काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है, वह ग्रामदनी दिखलायी नहीं गयी है। इसके अलावा जो मुनाफा होता है वह जनरल रेवेन्यूज में चला जाता है। अगर उसको कैपिटल में से घटा दिया जाय तो हमारे नाम जो रकम निकलती है वह कम हो सकती है। हम इस डेप्रीसिएशन का जो पैसा जमा करते हैं जो एक करोड़ ७० लाख से ज्यादा है उसके लिए अगर इंटरेस्ट दिया जाय और जो दूसरे और फंड हैं अगर उन सबका इंटरेस्ट लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि यह इंटरेस्ट की भी रकम कम हो जाय और हमारा मुनाफा ज्यादा हो। जो अब तक रोडवेज ने जमा किया है। कैपिटल एकाउंट के बरखिलाफ वह तीन करोड़ के लगभग होता है। हमने सरसरी हिसाब लगाया है उसमें पांच, सात या दस लाख का फर्क हो सकता है। मैंने यह प्रार्थना की है विभाग से कि वह बिल्कुल सही हिसाब लगा कर दे। ऐसी हालत में जहां तक मुनाफे का सवाल है उस दृष्टि से भी रोडवेज का काम बहुत निन्दनीय नहीं कहा जायगा। लेकिन जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा कि सिर्फ मुनाफे की दृष्टि से रोडवेज के काम को परखना उचित नहीं होगा। उसका मुख्य उद्देश्य है जनता की सेवा करना, ठीक समय पर गाड़ी देना, ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देना, कम से कम खर्च में चलाना। यह सबसे बड़ा और पहला काम रोडवेज का है, केवल पैसा कमाना नहीं है बल्कि समाज के एक अभाव की पूर्ति करनी है। उसकी एक सेवा करनी है। इस दृष्टि से आप देखें तो उसमें मुनाफे का प्रश्न तो गौण हो जाता है। लेकिन इस राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को मैं खूब अच्छी तरह महसूस करता हूं। हम इसको तब तक नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक इसमें काम करने वाले इसे अपना काम न समझें। इस काम को बढ़ाने में वह गौरव का अनुभव करें, यह समझें कि राष्ट्र की एक चीज बनाने जा रहे हैं, यह भाव उनके अन्दर उत्पन्न हो। जिस तरह से एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह अपनी बसेज को ठीक उसी तरह समझें जैसे कि एक बच्चे को समझते हैं। यही शब्द मैंने एक वर्कशाप में, रोडवेज के स्थान पर खुद कर्मचारियों से कहे थे। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यह भावना विभाग के अन्दर बढ़ती जा रही है। मैं यह भी अनुभव करता हूं कि बड़े और छोटे कर्मचारियों में जब तक भ्रातृत्व का भाव नहीं होगा यह बहुत बड़ा महान् प्रयास सफल होने वाला नहीं है। माननीय सदस्य यह न समझें कि हमारे अन्दर यह विचार नहीं है। मैंने उन चीजों का जिक्र, जो चीजें कर्मचारियों के बारे में कही गयीं, इसलिये नहीं किया था कि शायद विभाग की ज्यादा तारीफ करना शोभा नहीं देता। लेकिन उसकी वजह से ग़लतफहमी हो, या उसकी वजह से दुर्भावनाएं बढ़ें तो उनका जिक्र करना मैं समझता हूं कि अनुचित न होगा। मेरे विभाग ने मुझे अभी बतलाया कि गत वर्ष नयी सुविधाएं देने की वजह से शायद रोडवेज को ६ लाख के करीब का बेशी खर्चा कार्यकर्ताओं के लिये करना पड़ेगा। उनकी वर्दियों का सवाल था। साल भर में उनको एक ही वर्दी मिलती थी। विभाग ने अब फैसला किया है कि उनको दो वर्दी साल में मिलनी चाहिये। उनकी तनख्वाहें कम हैं, काम उनका ज्यादा है। तनख्वाहें शायद साधारणतः आज की समाज व्यवस्था में निम्नश्रेणियों की कम हैं, यह मानने में न सरकार को हिचक होगी, न किसी दूसरे को। लेकिन सवाल यह है कि हम कहां तक उस कमी को पूरा कर सकते हैं? हमारे विभाग ने उन सारी असुविधाओं को मानते हुए, उनके आगे सर झुकाते हुए अब यह कोशिश की कि किसी तरह से हमारे जो काम करने वाले हैं उनकी आमदनी बढ़ सके।

हमारे विभाग में एक इनाम देने की प्रथा थी। उसे डेवेलप किया गया, उसे बढ़ाया गया। यह कोशिश की गयी कि हर एक ड्राइवर जो साधारणतः अच्छा काम कर सके तो वह सौ रुपये से सवा सौ रुपया तक प्राप्त कर सके। हर एक ड्राइवर जो टेक्निकल

ट्रेनिंग प्राप्त कर ले और छोटी मोटी अपने एंजिन की मरम्मत कर ले, उसे दुरुस्त कर ले, तो उसको पांच रुपया अधिक दिया जाय। एक दूसरी स्कीम जिस पर अभी विचार चल रहा है, उसके मातहत यह किया जा रहा है कि जो ड्राइवर्स खास काबलियत हासिल कर लेंगे, खास योग्यता प्राप्त कर लेंगे, तो उनकी तनख्वाह काफी ज्यादा कर दी जायगी, जो साधारण से काफी अधिक होगी। एक यह भी प्रथा जारी की गयी है कि टायर्स अगर गाड़ियों के ज्यादा चलें, एंजिन्स ज्यादा माइलेज दें, अगर हमारी बैटरी ज्यादा चले, वर्कशाप के कर्मचारियों में काम करने में अगर ब्रेकडाउंस कम हों तो उन्हें इनाम दिया जाय। और जब पिछली बार इस सदन ने सप्लीमेंट्री बजट पास किया था तो उसमें इसका प्रावीजन किया गया था।

इन सुधारों का क्या परिणाम हुआ? अगर पहले हमारे एंजिन्स का ४५ हजार मील का ऐवरेज आता था तो अब ५० हजार मील उनका आने लगा है। इसी तरह से तीन चार हजार मील के करीब टायर्स का माइलेज बढ़ गया है। पेट्रोल ज्यादा माइलेज देता है। पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो गया है। ब्रेकडाउन पहले ६ हजार के माइलेज पर होते थे, अब करीब १० हजार माइलस पर हैं।

हम तस्लीम करते हैं कि हमारी बहुत सी सड़कें खराब हैं और यह बदकिस्मती की बात है कि हम उन सड़कों को दुरुस्त नहीं कर पाते हैं। हमारी जिन बसों की काफी अच्छी बाडीज होती हैं वह वहां जाकर के चकनाचूर हो जाती हैं और उन पर ब्रेकडाउन्स का परसेंटेज बढ़ना, स्पेयर पार्ट्स का खर्चा बढ़ जाना खास चीज है और अनएवाइडेबिल है। उसे हम दूर नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे संतोष है कि इस तरफ, इस दृष्टि में सुधार हुआ है।

कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार के सिलसिले में जहां हर एक दृष्टि से उन्हें मदद देने का सवाल है, जहां उनको समय पर तनख्वाह मिल सके, उनको माइलेज अलाउंस मिल सके और दूसरी सुविधाएं उनको मिल सकें, वहां यह भी कोशिश की जाती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। यह प्रश्न उठाया गया कि मैंने एक बार इस हाउस में यह निवेदन किया था कि जो इल्जाम लगाने वाला अफसर है और जो फैसला करने वाला अफसर है वह दोनों अलग अलग हैं। मेरा ख्याल है जहां तक वाकयात का ताल्लुक है, ठीक ही कहा था। जो इल्जाम लगाने वाले हैं वह हैं जो इंसपेक्ट करते हैं, चेक करते हैं और ओरिजिन वहीं से शुरू होता है। वह शिकायत रीजनल मैनेजर के सामने रखते हैं। तब रीजनल मैनेजर एक मुंसिफ की तरह से, एक जज की तरह से उसका फैसला करते हैं कि इस पर क्या ऐक्शन लिया जाय। तो इस तरह से वो अथारिटीज हो जाती हैं और जो इंटेंशन है, वह पूरा हो जाता है। लेकिन इतने पर भी उसकी अपील होती है और मैं सदन को यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमने इस विषय में यहां तक अब कर दिया है कि टाइम लिमिट वगैरा की जो रुकावटें थीं उनको भी हटा करके सैकड़ों केसेज फिर से रिवाइज किये और उनमें जहां तक मुमकिन था वहां तक फैसला उनके पक्ष में दिया और अगर खास गुंजायश थी भी नहीं तो भी इस बात का खयाल करके कि उन्होंने एडीक्वेट (काफी) तकलीफ उठा ली है, अब उनको एक मौका और दिया जा सकता है, इस तरह से मौके दिये गये हैं। ज्यादा विस्तार से कहना शायद जायज न होगा, लेकिन कोशिश यह की जाती है और मैं खास तौर से जब रीजन्स में जाता हूं तो वर्कर्स से सीधे मिलता हूं, उनको विश्वास दिलाता हूं, उनकी शिकायतें सुनता हूं और हत्तुलइमकान कोशिश करता हूं कि उनको दूर करूं। एक बहुत आसान और सस्ता तरीका हमने यह सीख लिया है कि जो भी

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

ग़ल्ती हो उसके लिये अपने जो कर्मचारी हैं उनको दोषी ठहरायें। मैं समझता हूं कि यह हमारी शान और हमारे गौरव के अनुकूल नहीं है। मैं बहुत ज्यादा झूठ बोलने का आदी नहीं हूं। यह मैं शायद नहीं कह सकता कि कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता या मैं झूठ नहीं बोलता हूं लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि झूठ न बोलूं। मैं जब यह कहता हूं कि मेरे विभाग के काम करने वालों से मुझे पूरा सहयोग मिलता है और मैं उनकी शिकायत नहीं कर सकता, तो इसमें मैं सिर्फ किसी दूसरी दृष्टि से यह कहता हूं, शिष्टाचार की दृष्टि से कहता हूं, यह न समझा जाय। जहां रामकुमार जी ने बहुत स्नेह के साथ मेरे विभाग की बाबत कहा, वहां मैं उतनी ही नम्रता के साथ उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस भ्रम को दूर करें। ग़ल्ती शुरू में, बीच में और आख़िर में अगर है तो मेरी है। मैं समझा नहीं सकता हूंगा, खुद नहीं समझता हूंगा, अपनी बात को उतनी काबलियत के साथ और असर के साथ नहीं रख सकता हूंगा, अगर मेरी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन मैं अपने आपको शायद इतना अयोग्य भी नहीं समझता हूं कि मैं अपनी बात को न समझा पाता हूं। अपने विभाग की तरफ से कोई अपोज़ीशन कोई रुकावट मैंने अभी तक अनुभव नहीं की है, अगर कभी करूंगा तो उसके इज़हार करने में भी मुझे कोई शर्म नहीं होगी। साथ ही मैं यह मानता हूं कि अगर मेरे पहले भाषण को ध्यान से सुना गया होता तो मैंने खुद तसलीम किया था कि जिन चीजों की अभी जरूरत है वह हम सब कर नहीं पाये, और जितना आज सदन में कहा गया उससे कहीं ज्यादा गुंजायश है इम्प्रूवमेंट की, सुधार की और उन्नति करने की। मुझे जरा भी शक नहीं है कि मैं कोई बात छिपा करके न सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाता हूं, न अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता हूं, लेकिन उस तरफ हम बेखबर हैं यह इससे नतीजा न निकाला जाय। हम उन्नति अवश्य करेंगे अगर हमें समय मिला, अगर हमारे मित्रों का हमें सहयोग मिला और खास तौर से इसलिये सहयोग मिला कि इसे पार्टी पालिटिक्स का अखाड़ा न बनाया जाय और इसको सचमुच में एक नेशनल इंटर प्राइज समझा जाय। नेशनल इंटरप्राइज के बड़े नाम से अगर शिकायत है तो कोई छोटा नाम दिया जाय, लेकिन इसे ऐसा नाम दिया जाय जिसमें सब मिल करके सहयोग दे सकते हैं और जिसमें पूर्ण सहयोग और गौरव बिला पार्टी के लिहाज के सब प्राप्त कर सकते हैं।

मैं जितने विश्वास के साथ आज रोडवेज की बाबत कह सकता हूं, शायद उतने विश्वास के साथ दूसरे जो प्राइवेट आपरेटर्स हैं उनकी बाबत नहीं कह सकता हूं। मैंने उनको देखा भी कम है। इसके अलावा वे इतना बिखरे हुये हैं कि उनके खुद मालिक आज उनका कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनका कोई संगठन आज नहीं है। जिम्मेदारी हमारी है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अनुदान का समय समाप्त हो चुका है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रार्थना करनी है कि मेरे ही विभाग का एक और अनुदान है, उसका कुछ समय इधर दे दिया जाय अगर इसमें सदन को कोई आपत्ति न हो।

श्री उपाध्यक्ष—कितना और समय माननीय मंत्री जी लेंगे?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मैं समझता हूं कि अगर उसमें कतई कम कर दिया जाय तो इसमें समय हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—यह सदन की अनुमति से होगा। मैं समझता हूं कि समय मिलना बड़ा कठिन है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बाकी चीज उस समय निवेदन करूंगा जब दूसरी ग्रांट होगी। इस समय तो मैं इतना ही अर्ज किये देता हूं कि इसी तरह से एनफोर्समेंट का जहां तक सवाल है इसीलिये वह कठिन है। जब इस हाउस के सदस्य ही यह कहते हैं कि चाहे ईमानदारी के साथ चलाया जाय या बेईमानी के साथ चलाया जाय, दोनों सूरतों में रिश्वत देनी पड़ती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि घूस दी ही क्यों जाय। फिर तो न देना ही अच्छा है। लेकिन फिर भी जब जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा कहते हैं तो मैं महसूस करूंगा कि जरूर उसमें शिकायत है और मैं कह सकता हूं कि मुझे अभी इतना विश्वास नहीं है कि मैं यह कह सकूं कि हां, वहां पर अंगुली रखने की जगह नहीं है। बाकी मैं सब सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। मौका मिला तो दूसरे अनुदान के समय निवेदन करूंगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज ज्यादा समय तो शिष्टाचार में ही चला गया और इसलिये कुछ बातें कम हो पाईं। मैंने पूछा था कि वह ब्याज जो इस कैपिटल आउटले पर जायगा वह कहां इस बजट में दर्ज है तो मुझे बड़ा दुःख हुआ जब उन्होंने यह कह कर छोड़ दिया कि इसमें गलत छपा हुआ है। जो चिट्ठा उन्होंने ए० जी० का दिखाया वह तो पारसाल का था। इस साल का बजट चल रहा है, आप इस साल क्या ब्याज देंगे, वह कहां है। पुरानी बातें कहते हैं और इस तरह से स्टैटिस्टिक्स के गोलमोल जाल में मुझे डालना चाहते हैं। उससे मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई। मैं समझता हूं कि प्रान्त में जो इतनी बड़ी इन्डस्ट्री है जिसको कि नेशनलाइजेशन कहते हैं उसकी सारी बातें साफ-साफ क्यों नहीं हमारे सामने लाई जाती हैं कि ऐसा होना चाहिये और हम ऐसा चाहते हैं।

अब रहा यह कि एक गलतफहमी इस हाउस के अन्दर हो गई है कि मैं राष्ट्रीयकरण के खिलाफ हूं जैसा माननीय बलवन्त सिंह और बहुगुना जी ने कहा। मेरा यह कहना है, और मैं अब भी कहता हूं, कि एक पर्टीक्यूलर स्टेट को गवर्नमेंट उस उद्योग की मालिक हो जाय, इसे राष्ट्रीयकरण नहीं कहा जा सकता। ओनरशिप बाई ऐ स्टेट आफ एन इन्डस्ट्री को तो हम लोएस्ट फार्म आफ सोशलाइजेशन कहते हैं। हाल ही में जो वार्ता श्री जयप्रकाश नारायण जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुई उसमें जो फोर्टीन प्वाइंट प्रोग्राम जयप्रकाश जी ने रखा था उसमें उन्होंने साफ इस बात को कहा था—

"One tendency of the state, in other words, of the minister and officers, is to concentrate all power in their hands in the name of efficiency. This cannot but be destructive of the values of socialism. The beaurocracy is is not interested in those values and nationalisation might merely end up in state capitalism which is a horrible prospect. I should add that even from the point of view of production and efficiency, beaurocratisation of industry would be disastrous. Efficiency and production would both rise if the workers were made willing and equal partners in the enterprise."

[राज्य की और दूसरे शब्दों में, मंत्रियों एवं प्राधिकारियों की प्रवृत्ति क्षमता के नाम पर समस्त शक्ति अपने हाथों में समाहार करने की है यह समाजवाद के महत्त्व के लिए हानिकारक ही हो सकता है नौकर-शाही ऐसी महत्त्व की चीजों में दिलचस्पी नहीं रखती और राष्ट्रीयकरण राज्य पूंजीवाद में ही समाप्त हो सकता है जो कि एक भीषण आपत्ति है। मैं यह भी कह दूं कि उत्पादन और क्षमता के दृष्टिकोण से भी उद्योगों का नौकरशाही के अधीन करना घातक होगा। क्षमता एवं उत्पादन बढ़ सकते हैं, यदि मजदूरों की उस उद्योग में दिलचस्पी पैदा की जाय और उन्हें समान भागी बना दिया जाय।]

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

इस सोशलाइजेशन की मैं बातें करता हूं। मेरा ख्याल यह था कि माननीय मंत्री भी उत्तर की तरफ कुछ ध्यान देते तो शायद वह उस नैशनेलाइजेशन के बारे में जिसे हम चाहते हैं सफाई के साथ कह सकते। लेकिन मैंने तो फिर भी यह कहा था कि जो कुछ आपने ढर्रा चला रखा है, जिसे आप राष्ट्रीयकरण कहते हैं, यह तभी कामयाब हो सकता है जब आप उसे सुचारु रूप से चलावें। हिटलर ने भी बड़े-बड़े कारखाने अपने कब्जे में कर लिये थे, तो वह नैशनलाइजेशन तो नहीं कहा जा सकता। जब आप नैशनलाइजेशन करते हैं तो मुसाफिरों के आराम कोऔर कम किराये को भी देखना आपका काम है। सभी माननीय सदस्यों ने यह कहा कि मोटर के काम में सरकार को मुनाफे की क्या जरूरत है। जब हमारे प्रान्त में मोटर विहिकिल्स ऐक्ट लागू है, रूल्स बने हैं, तो क्यों नहीं सारे प्रान्त के अन्दर प्राइवेट आपरेटर्स भी जनता को इस किस्म की सहूलियतें दें जो कि रोडवेज दे रही है? उनसे भी दिलवाई जावें। मैं यह सजेस्ट करूंगा कि सारे प्रान्त में प्राइवेट आपरेटर्स की यूनियन बने, डिस्ट्रिक्टवाइज बने और अगर डिस्ट्रिक्टवाइज नहीं बन सकती तो लाइन पर बने और जो इस काम को न करें उनके परमिट कैंसिल कर दिये जायं और एक स्टेज ऐसा आ सकता है जब माननीय मंत्री जी सारे ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज करें। उसके लिये आखिर तैयारी करनी है। तो यह काम था माननीय मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी के व्यक्तित्व का जहां तक सवाल है उसमें मुझे आक्षेप करने की कोई बात नहीं है। लेकिन चाहिये यह था कि आप भू-दान यज्ञ वगैरह में काम करते, उसमें हम लोग भी मदद देते, ट्रांस्पोर्ट में कहां आप चले गये। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मदनमोहन जी मजाक करते हैं। ठीक है यह गवर्नमेंट ही सारी मजाक की हो रही है। मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि आंकड़ों की गलत छपाई हुई है। मुझे अफसोस है कि मंत्री जी मेरी बातों की सफाई नहीं दे सके।

हमारे एक मित्र माननीय भूपाल सिंह खाती जी ने कुछ बातें कह दीं। उन्होंने कहा कि मदन मोहन जी ने बड़ी गन्दी वकालत या कुछ ऐसा ही शब्द इस्तेमाल किया। मुझे दुख है। मैं तो उनकी वकालत कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने भी पोलिटिकल सफ़रर्स के नाम पर एक ठेले का परमिट लिया है जो कि पांच आदमियों के बीच म एक है। उसम भूपाल सिंह जी का भी १/५ हिस्सा है।

(श्री भूपाल सिंह खाती के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—क्या आप कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं?

श्री भूपाल सिंह खाती—जी हां।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—उपाध्यक्ष महोदय, जो परमिट उन्हें मिली है वह पांच आदमियों के बीच एक है।

(श्री भूपाल सिंह खाती के खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—पर्सनल एक्सप्लेनेशन वह दे सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—श्रीमन्, उनका कोई प्वाइन्ट आफ़ आर्डर नहीं है। मैं बैठा नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, उसी संस्था के माननीय भूपाल सिंह जी भी मेम्बर हैं जिसका मैं हूं। कम्पनी से उन्होंने कहा कि हमें एक फ़्री पास दे दो। कम्पनी ने कहा कि पास नहीं दे सकते हैं इसलिये उन्होंने कम्पनी के खिलाफ कहा। श्री बहुगुना जी ने पहाड़ की कुछ बातें कहीं। पहाड़ के बारे में मैं यह कहता हूं कि हमारे प्रान्त में जो मोटरें चल रही हैं उनमें हमारे पहाड़ की मोटरें सब से अच्छी तरह चल रही हैं। हमारे यहां जितने सिंगिल आपरेटर्स हैं उन्होंने एक पूलिंग सिस्टम पर कम्पनी बनायी है और रोडवेज से भी ज्यादा सहूलियत हमारे हयां पहाड़ में है। कुमायूं मोटर ओनर्स यूनियन के बारे में कुछ कहना यह तो उपाध्यक्ष

महोदय भी खाती जी की एक आदत सी हो गयी है। सारे प्रान्त में वह तो एक आइडियल चीज है यह कहना कि साहब, वकालत करते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं खड़ा होता हूं बोलने के लिये तो भूपाल सिंह जी उधर से खड़े होते हैं और मुझको ही अटैक करने की कोशिश करते हैं। अपनी-अपनी कमजोरी हर एक जानता है। मैं भी इस मामले में कुछ जानकारी रखता हूं और ट्रांस्पोर्ट के मामले को समझता हूं और हर चीज में चैलेंज करने के लिये तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय शिवनारायण जी ने भी कुछ बातें कहीं उनका क्या जवाब दूं। मैं आगरे का एक अखबार पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि अगर रोडवेज की यूनियन बन गयी तो मैं खुदकशी कर डालूंगा। शायद उनके कहने का मतलब यह था कि रोडवेज के वर्कर्स परेशान क्यों हों, यह उनका उद्देश्य था। यानी अगर उनकी सारी मांगें पूरी हो जायंगी तो उनको यूनियन बनाने की क्या जरूरत। लेकिन मुझे अफसोस है, उपाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी को खुदकशी करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी हालत सुधरने वाली नहीं है। और अगर उन्होंने खुदकशी कर डाली तो इस प्रांत में बड़ी गड़बड़ी मच जायगी। शिवनारायण जी तो हैं ही और भी बहुत से लोग हैं जो उम्मीद लगाये हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी खुदकशी न करें। यूनियन को बनने दें उसको पनपने दें ताकि वह अपनी मांगें आपके सामने रखें। हम भी आपका साथ देंगे लेकिन अगर आप चाहें, आप तो यहीं कहते हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट की जब कोई कमेटी वगैरह बनती है तो सारे के सारे कांग्रेस के लोग उसमें ले लिये जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि ट्रांसपोर्ट इस प्रान्त की सब से बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री पर हमारे प्रान्त का आगे का निर्माण निर्भर करता है। पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को सलाह दूंगा कि उन्हें कोई और डिपार्टमेंट लेना चाहिये और अगर यही उनके कब्जे में रहा तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले बजट के आने तक माननीय मंत्री जी इस डिपार्टमेंट को एक आइडियल डिपार्टमेंट बनायेंगे और हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। रोडवेज में कर्मचारियों में असंतोष है। कांग्रेस वाले कुछ करते नहीं हैं? हम उनका साथ न दें तो फिर कौन दे। पहले ड्राइवर को आप ६० रुपये पर रखते थे, अब ४५ रुपये पर रखना शुरू कर दिया। क्यों नहीं रोडवेज को आप परमानेंट कर देते। अगर उनकी नीयत ठीक है तो रोडवेज डिपार्टमेंट को परमानेंट कर दीजिये ताकि सब मजदूरों और कर्मचारियों को आराम पहुंचे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ७ के अन्तर्गत एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय (लेखा शीर्षक १२-मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय) के अन्तर्गत ८८,००,००० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान ३१ के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—वाहनविभाग (लेखा शीर्षक ४७-विविध विभाग और ४४ उड्डयन) के अन्तर्गत ३,६८,४५,००० रु० की मांग स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या २८-लेखा शीर्षक ४२-सहकारिता

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—सहकारिता के आधार पर ऋण:-लेखा-शीर्षक ४२—सहकारिता के अन्तर्गत ६२,१४,६०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मुझे सहकारिता के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना है क्योंकि देश के सभी लोग उससे पूरे तौर पर परिचित हैं। सहकारिता के आन्दोलन में पिछले कुछ समय से काफी प्रगति हुई है। जो पुस्तक-विभाग की ओर से बांटी गई है उसके आंकड़ों को देखने से भी माननीय सदस्यों को यही मालूम होगा कि इस कारबार में काफी तरक्की हुई है। सहकारिता का कारोबार इस शताब्दि के प्रारम्भ में ही शुरू हुआ परन्तु सन् १९४७ से जो कार्य इस विषय में हुआ है उसमें पहिले से बहुत फर्क हो गया है। पहिले केवल ऋण समितियां हुआ करती थीं। उसके बाद बहुधंधी समितियां कायम की गयीं जिनका असर जनता के ऊपर काफी अच्छा हुआ इसके अतिरिक्त उनका काम भी काफी हुआ। आज कुछ लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, यही नहीं बाहर के देशों में भी सहकारिता के खिलाफ कुछलोग होते हैं जिनमें कुछ तो बड़े-बड़े पैसे वाले हैं और कुछ वैस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं लेकिन यहां (इस देश में) उतने आदमी उसके खिलाफ नहीं हैं। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे देश की हालत सहकारिता के लिये बहुत ही अनुकूल और उपयुक्त है। सहकारिता जितनी इस देश के लिये उपयुक्त है उतनी और किसी देश के लिये मेरे ख्याल से नहीं है क्योंकि यहां गरीबी है, पैसे की कमी है, कैपीटल नहीं है इसलिये जरूरत इस बात की है कि हम थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके बड़े से बड़े कामों को कर सकें, जिनको थोड़े पैसे वाले कर नहीं सकते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि हम सभी थोड़ा-थोड़ा धन जमा करके अपने देश की उन्नति करें और जितनी भी हमारी योजनायें हैं उनको सफल बनायें। सहकारिता पर कहने की बातें तो बहुत सी हो सकती हैं परन्तु समय बहुत कम है और थोड़ी देर बाद कुछ लोगों की नजरें इधर होंगी कि अब काफी देर हो रही है। फिर जवाब भी देना है इसलिये मैं उसके बारे में बहुत अधिक न कह कर पारसाल जो मैंने बजट के वक्त पर कुछ कहा था उसके सिलसिले में कुछ कह देना चाहता हूं। पारसाल मैंने यह कहा था कि थोड़े समय के अन्दर ही मैं कुछ सूद कम करने की कोशिश करूंगा। मैं माननीय सदस्यों की इत्तिला के लिये बतलाना चाहता हूं कि हमारे यू० पी० कोआपरेटिव बैंक ने अपने सूद की दर में जो कि सेंट्रल बैंक और डिस्ट्रिक्ट बैंक्स को दिया करते थे उसमें कमी कर दी है। इस बात की हमारी कोशिश हो रही है कि सेंट्रल बैंक या डिस्ट्रिक्ट बैंक्स जिस दर से अब तक रुपया दिया करते थे उसमें कमी कर दें और ७ फीसदी से अधिक पर रुपया वह सोसाइटी को न दें और वह फिर ६ फी सदी से अधिक पर जनता को न मिलें। ६ फीसदी भी बहुत अधिक है, कोशिश हमारी यह होगी कि आइन्दा चल कर इसको भी कम करें। हमारा लक्ष्य ६ फीसदी तक पहुंचने का है। मैंने पारसाल यह भी कहा था कि मैं यह कोशिश कर रहा हूं कि आडिट का काम अलग कर दूं जिसमें सही तरीके से सोसाइटी की गड़बड़ियों की जांच हो सके और जो इधर इधर इमबेजलमेंट और एकाउन्ट की गड़बड़ी दिखलाई पड़ती है वह दूर हो। उसमें भी हमें कुछ सफलता हुई है और हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के जरिये एक आदमी मिल गया है और अब आइन्दा से फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी देख-भाल करेगा। उसका रिआर्गनाइजेशन हो रहा है, कार्यवाही शुरू हो गयी है और मुझे आशा है कि जो थोड़ी बहुत स्लैकनेस एकाउन्ट में दिखलाई पड़ती है, गड़बड़ी सुनाई पड़ती है वह आइन्दा से आपको सुनाई नहीं पड़ेगी।

मैंने अपने दौरे में जहां कहीं मैं गया वहां यह देखा कि एलेक्शन के सिलसिले में अक्सर लोगों की शिकायतें रहा करती हैं। कोई कहता है कि एलेक्शन एक साल से नहीं हुआ, कहीं डेढ़ साल से नहीं हुआ, कहीं दो साल से नहीं हुआ और कहीं ऐसी बात हुई कि जो उनके चुनने वाले मेम्बर थे उनमें कहीं वृद्धि हो गयी है, कहीं घट गये हैं, इस तरह की चीजें काफी सुनाई पड़ती हैं जिससे उसका पालिटिक्स पर असर पड़ता है। तो कोशिश ऐसी की जा रही है कि आइन्दा ऐसी नौबत न आवे। अभी तक जो मेम्बर थे उनकी एक लिस्ट रहा करती थी जो वहीं जिले में रह जाती थी। अब कार्यवाही इस प्रकार की की जा रही है कि उसकी एक लिस्ट सूबे

के दफ्तर में भी आ जावे ताकि फिर उसमें कोई बदलाव का मौका न हो। इस तरह से एलेक्शन के बारे में जो थोड़ा बहुत तजुर्बा हुआ है उसकी बिना पर यह कोशिश हो रही है कि कुछ ऐसी चीजें बन जाय जिससे करीब-करीब फूल प्रूफ (Fool proof) एलेक्शन हो जाय और लोगों की जो शिकायतें रहा करती हैं वह न रहें।

कुछ लोगों की यह शिकायत भी रहा करती है कि यह आफिसर काम खराब कर रहा है, इनका यहां से ट्रांसफर कर दिया जाय, उनका वहां ट्रांसफर कर दिया जाय अब इसके लिये कुछ उसूल बना दिये गये हैं कि लोगों की पोस्टिंग कहां की जाय कैसे की जाय और क्यों की जाय। उसके हिसाब से सब की पोस्टिंग अगले महीने या मई से शुरू कर दी जायगी और उसके बाद ही ३० जून के लगभग एलेक्शन पूरे सूबे में हो जायगा जिसमें किसी को ऐसा मौका न हो कि नयी जगह पर आये हुए किसी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, या किसी अफसर से दोस्ती करके या उनकी सिफारिश से काम कर सके। फिर नये ढंग से हम पूरे सूबे में नये वातावरण में काम कर सकते हैं। कंज्यूमर्स सोसाइटियों की हालत कंट्रोल के टूटने से कुछ खराब हो रही है लेकिन हमारी कोशिश है कि इनके लिये ऐसे साधन इकट्ठे किये जांय जिससे काम बराबर चलता रहे। इस सिलसिले में हमने टाटा से भी कुछ सामान अच्छे टर्म्स पर लेने में सफल हुए हैं और जो सामान हमें वहां से मिलेगा उसे हम देहात की सोसाइटियों को भी देंगे। इससे उनका लाभ होगा। इसके अलावा सिन्दरी फरटीलाइजर का काम जो कि अभी तक हमारे हाथ में नहीं था अब हमें ७ हजार टन मिल गया है जिसका वितरण हम सोसाइटियों के जरिये करने वाले हैं। इसके अलावा अभी तक हम कोयले का काम नहीं करते थे लेकिन अब कोयले का काम भी करेंगे और उसके जरिये बहुत से काम जो करने वाले हैं उन में से एक बड़ा काम यह है कि हम सूबे में १५ सौ भट्ठे खोलना चाहते हैं। इस वक्त हमारे दो सौ (२००) भट्ठे चल रहे हैं लेकिन हम तीन वर्ष के अन्दर करीब १५ सौ भट्ठे खोलना चाहते हैं अगर हमें कोयला मिलता रहे और जिसकी हमें आशा है कि वह मिलेगा तो हम एक बड़ा भारी परिवर्तन सूबे के अन्दर कर सकेंगे। जितने भी विकास के काम होते हैं उनमें ईंटों की जरूरत होती है और वे आज ३० और ४० रु० हजार के हिसाब से मिलती हैं लेकिन हमारी स्कीम के अनुसार हम २१ या २२ रु० हजार के हिसाब से उस मुकाम में देंगे जहां काम होगा। इसी तरह से हम बड़े-बड़े कारखानों से भी बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हमारी ऐसी हैसियत है कि हमारे पास ३६ हजार सोसाइटियां हैं। तो जिसके पास हजारों बड़ी-बड़ी दूकानें हों या हजारों सीड स्टोर हों और वितरण करने की आसानी हो उस से बातचीत करने के लिए वे (बड़े कारखाने वाले) मजबूर होंगे तथा उनको हमें अच्छे टर्म्स देने होंगे। लेकिन अब तक हमारा ध्यान इस तरफ नहीं था इसलिये हम कंट्रोल के झगड़े में पड़े रहे और दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया, अब दूसरी तरफ ध्यान देंगे और आशा है कि हम उसमें पूरे कामयाब होंगे। अब मैं और थोड़ी सी बातें भी बताना चाहता हूं कि उनमें हम क्या करने वाले हैं। एक तो जरूरी काम जो हम करने वाले हैं वह यह है कि सूबे के अन्दर हम बहुत से बीज भंडार बनाने वाले हैं। अभी तक इन की संख्या ९५० है लेकिन इनसे हम पूरे तौर से सूबे की सेवा नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ३ या ४ वर्ष के अन्दर हम इतने बीज भंडार अपने यहां बढ़ायें और खास कर ए क्लास के बीज बढ़ायें जिससे हम तमाम सूबे को बीज पूरे तौर से दे सकें। इसमें काफी रुपये की आवश्यकता होगी करीब १७ करोड़ रुपया ३ या ४ वर्ष में खर्च होगा। लेकिन जो हमारी स्कीम है अगर वह कामयाब हो गयी तो इससे भी बहुत कम पैसों में काम चल जायेगा। हम इस पर सोच रहे हैं और एक्सपेरीमेंट के तरीके पर काम करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हर एक गांव में लोग शेयर होल्डर बनें यानी गांव में हर एक आदमी कम से कम १० सेर अनाज का शेयर होल्डर बन जाय। वह अपने ही गांव में किसी माननीय व्यक्ति के पास इसे जमा कर दे फिर हम सब को इकट्ठा करके उसी गांव में उसका वितरण कर सकें। अगर इस कार्य में हम कामयाब हो गये तो शायद जितना खर्चा हमने सोचा है उससे कम में काम हो

[श्री मंगला प्रसाद]

जायेगा। हम यह समझते हैं कि हमारी तरक्की खास कर गांवों में तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम लैंड मार्गेज बैंक न खोलें और काफी तादाद में उद्योग-धंधे न खोलें। अगर हम उनकी फाइनेंशियल मदद कर सकें तो हमारे काम में काफी प्रगति हो सकती है।

इसलिये हम यह भी चाहते हैं कि लैन्ड मार्गेजेज बैंक्स चारों तरफ खोलें एक दिन मेरे दफ्तर में मद्रास के कोआपरेटिव इन्श्योरेन्स के कुछ लोग आये और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी मदद कीजिये। अपने सूबे में हम इसको क्यों न चलायें, यह बात मुझे फौरन स्ट्राइक हुई। जहां साढ़े छ: करोड़ की जनता और २८ लाख हमारे मेम्बर हैं और कई हजार कर्मचारी हैं तो हम क्यों न अपने इस काम को शुरू करें और इस तरह के कैपिटल से हम अपने यहां नई योजना क्यों न जारी करें। अमेरिका की तरक्की इन्श्योरेन्स के रुपये से हुई थी। हमारे यहां भी इन्श्योरेन्स का ठीक तरह से काम हो तो हमारे पास काफी रुपया इकट्ठा हो जायेगा और उसके जरिये से हम और कामों में काफी तरक्की कर सकते हैं और यह रुपया हम देहात के लोगों से लेना चाहते हैं। १ सौ २ सौ, ५ सौ या ७ सौ का उनको इनश्योर कर लें और उन्हीं लोगों के हाथ में इसका प्रबन्ध सौंप दें तो इसमें वे काफी दिलचस्पी लेंगे और इस तरह से उनकी उन्नति भी हो जायगी। एक काम हम और एक्सपेरीमेंट के रूप में करना चाहते हैं। और वह मद्रास में काफी कामयाबी के साथ चल रहा है, वह है वेयर हाउसेज के बारे में। हमारे गांव के लोग जो सामान पैदा करते हैं उनके डिस्ट्रिब्यूशन और वितरण का कोई प्रबन्ध नहीं है। वह बेचारे दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हैं और इस तरह से झगड़े में पड़ कर वह सस्ते में अपना माल मार्केट में दे देते हैं। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिये और उनका माल उचित दाम में बिकवाने के लिये हम जगह-जगह पर वेयर हाउसेज (Ware Houses) बनायें और उनका सामान उसमें जमा करें और उनका हिसाब-किताब करके ४० या ५० फ़ीसदी कीमत दे दिया जायेगा और माल बिक जाने पर उनको पूरा दाम दे दिया जायेगा। इस प्रकार की योजना चलाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस में रिजर्व बैंक भी काफी सहायता करने वाला है। सरकार की तरफ़ से कुछ रुपये मिले थे जिनसे हम ट्यूबवेल्स बना रहे हैं। हमारे ट्यूबवेल्स १४, १५ हजार रुपये में बन जाते हैं हमें ३०० ट्यूबवेल्स जून तक बनाने हैं उसमें ८० बना चुके हैं और बकिया गालिबन हम जून तक बना लेंगे। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने कर्मचारी हैं और हमारे डाइरेक्टरर्स हैं उनसे हम आशा करते हैं कि वे सहकारी बैंक्स में थोड़ा रुपया जमा करने और करवाने की कोशिश करें। हम यह आदत डालना चाहते हैं कि जिनके पास रुपया है वह बैंक में १०, २०, ३० या ५० रुपया जमा करें और यही बात हम किसानों से भी कहना चाहते हैं कि वह इस तरह से रुपया जमा करें और फिर बाद में जरूरत पड़ने पर वापस लें। मैं समझता हूं कि इस काम में अगर हम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ें तो थोड़े दिनों के अन्दर हमारी जो पैसे की दिक्कत है वह दूर हो जायगी फिर हम काफी रुपया गांव में खर्च कर सकते हैं और किसानों को भी दे सकते हैं।

हम यह भी चाहते हैं कि सोसाइटीज की तादाद हमारे यहां काफी बढ़े। ३१,००० हमारी सोसाइटीज हैं और हम करीब १/४ गांवों में पहुंच सके हैं। हम चाहते हैं कि कोई गांव ऐसा न बचे जिसमें हमारी सोसाइटी का कुछ न कुछ काम न हो।

कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग ऐक्ट आपके सामने आ रहा है। उसके बनते ही हमारी कोआपरेटिव फार्मिंग बहुत जोरों से चल सकती है। कई प्रकार की कोआपरेटिव फार्मिंग्स होती हैं। ऐसी भी हैं जिनमें कि किसान की जमीन उसके हाथ में रहेगी, पैदावार का वही मालिक होगा खाली जो मीन्स आफ प्रोडक्शन हैं उस सबको इकट्ठा करके वे कारोबार कम खर्च में चला सकते हैं। इससे लोगों की दिक्कतें दूर हो सकती हैं। डेनमार्क में यही प्रथा सफल हुई है।

सहकारिता की प्रगति के लिये प्रोपेगेंडे की बहुत जरूरत है। मैं साथियों को खास तौर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे इस काम में काफी हाथ बटाया। आज इस सूबे में जहां कहीं

देखो इसकी चर्चा होती है और पार्लियामेंट के मेम्बरों में भी इस बात का जिक्र होता है कि कोआपरेटिव का काम यू० पी० में अच्छा हो रहा है। एक बड़े अमीर आदमी, मिल मालिक मेरे पास आये उन्होंने कहा कि अब तो कोआपरेटिव का ही काम चलने वाला है। उन्होंने कहा कि हमें बताइये कि कैसे कोआपरेटिव में शामिल हो सकते हैं। यह प्रेस वालों की वजह से, हमारे स्टाफ की और माननीय सदस्यों की मदद से काम हो सका है। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि उनकी मदद के बिना यह काम चलने वाला नहीं था अब भी अगर इस नेक काम में तरक्की करनी है और अगर हम चाहते हैं कि २० वर्ष का काम ५ वर्ष में करें तो हमें सहकारिता को बढ़ाना होगा तभी हम सफल हो सकते हैं। मैं यह मानता हूं कि अभी बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं लेकिन उन सबको दूर करने के लिये सबके सहयोग की आवश्यकता है। शायद किसी को यह शिकायत मुझसे नहीं हो सकती कि मैंने किसी से मदद लेने में हिचकिचाहट की या रुकावट डाली चाहे वह किसी पार्टी से सम्बन्ध रखता हो। उनको मैंने एनकरेज ही किया है। मैं अपील करूंगा कि सब इस नेक काम में मेरी मदद करें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। श्रीमन्, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया यह सही है कि उनकी इच्छा और उनके मुख से जो बातें निकला करतीं हैं वे सहयोग की हुआ करती हैं। मगर सहयोग की बातें होते हुये सहयोग नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं कि इस पर हम इस सदन में जरा विचार करें। अपने भाषण में दो मुख्य बातें माननीय मन्त्री ने कहीं एक बात तो उन्होंने यह कही कि चुनाव में बहुत गड़बड़ियां हुआ करतीं हैं और अक्सर लोग शिकायत करते हैं जिससे कोआपरेटिव की उन्नति नहीं हो रही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि कंट्रोल उठाने के बाद कंज्यूमर्स सोसाइटीज धीरे-धीरे टूटने जा रही हैं। अगर तमाम बातों को छोड़ दें और जितने फीगर्स उन्होंने रक्खे हैं कई लाख के उनके ऊपर न जांय और अगर हम यह मान लें कि उनकी तमाम बातें सही हैं तो क्यों कंट्रोल के टूट जाने के बाद कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटियां टूटने लगीं और क्यों जनता को बराबर शिकायतें हुआ करती हैं? इस पर हम जरा मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करें तो अच्छा है। मुझे खुशी है कि यहां पर हमारे सम्मानित मन्त्री विचित्र नारायण जी भी हैं और यहां पर कुछ बातें उन्होंने भी कही हैं। एक तो सबजेक्टिकली (भावगत जगत) यह होता है कि सब लोग ईमानदार हों, सब में साहस हो और जोखिम उठाने की क्षमता हो लेकिन एक दूसरी बात भी आबजेक्टिव (वस्तु-स्थित) होती है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें मनुष्य को बेईमानी करने की गुंजायश नहीं रहती। तो जब हमारे तमाम सम्मानित मन्त्रीगण इस सदन में बराबर कहते हैं कि हमारा नेशनल करेक्टर (राष्ट्रीय चरित्र) गिर गया है तो इस बात के जानते हुये भी क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाती जिससे गिरे हुये नेशनल करैक्टर के रहते हुये भी लोग बेईमानी न करें। आज जहां २०–२० वर्ष की पुरानी सोसाइटीज मृत रूप में काम कर रही हैं वहां यह भी साथ साथ रहे कि चेयरमैन किसी सोसाइटी का २०–२५ वर्षों से वही होता जाय और तमाम तिकड़में अपने को चैयरमैन बनाने के लिये करे और उसके जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं वे भी इसके लिये कोशिश करें तो यह तो अच्छी बात नहीं है और सरकार ने इसके लिये कोई प्रयत्न नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि विधान के अन्दर कोई ऐसी तब्दीली की जाय जिसमें यह हो जाय कि जो कोई व्यक्ति चेयरमैन हो वह दो वर्ष से ज्यदा कोआपरेटिव का चेयरमैन नहीं रह सकेगा। जब यह पता चल जायगा कि वह दो वर्ष से ज्यादा नहीं रह सकेगा तो ईमानदारी से काम करेगा ताकि फिर आ सके। दूसरी बात है माननीय मन्त्री जी स्वत: दबी जबान से कबूल करते हैं कि कोआपरेशन का जो आधार है उसकी तरफ जनता में प्रेरणा नहीं है। चाहे इनकी संख्या कुछ लाख और कुछ हजार हो लेकिन साढ़े छः करोड़ की आबादी है उसमें कितने प्रतिशत कोआपरेटिव के जरिये से काम करते हैं। और चाहे राजनीतिक, चाहे सामाजिक और चाहे आर्थिक ढंग हो

[श्री राजनारायण]

सहकारिता के भाव से लोग कार्य नहीं करते और यही कारण है कि सन् १९०५ से चलता हुआ यह पुराना सहकारी आन्दोलन अपनी मृत प्राय अवस्था से उभर नहीं पाया है।

एक बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बहुत से मित्र यहां हैं। शिवनारायण भी हैं और बहुत से लोग हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो सबसे बड़ी बाधा कोआपरेटिव मूवमेंट में वह है हमारे यहां जाति पांति की प्रथा तथा उस भावना की वृद्धि। मैं साफ तौर से बताना चाहता हूं कि हमारे पास रिपोर्ट आई है कि मिर्जापुर बनारस से लगा हुआ और इन दोनों के बार्डर पर शाहंशाहपुर में कोआपरेटिव खेती होती है लेकिन वह बिल्कुल जातीय आधार पर विकसित नहीं होती है। जो पिछड़ी हुई जातियां हैं वह तो काम करती हैं और खेत में हल चलाती हैं, कुदाल गोड़ती हैं मगर जो अपने को ऐसा समझ बैठे हैं कि हल चलाना हमारा काम नहीं है वह कुछ नहीं करते। हमारा हिन्दुस्थान ही एक ऐसा देश है जिसमें ऐसे लोग भी हैं, ऐसी जातियां भी हैं जो यह मानती हैं कि हल चलाना उनका काम नहीं है। लेकिन यह सब होते हुये भी हमने इधर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर प्रयत्नशील हो और निकट भविष्य में अगर वह इस विषमता को दूर करने का प्रयत्न नहीं करती तो हमारा देश बहुत जल्दी अंधकार में चला जायगा। मैं गांधी जी का एक कोटेशन पढ़ना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा है:--

"The secret of successful co-operative effort is that the members must be honest and know the real merit of co-operative and it must have definite progressive goal. Thus holding a certain sum of money in Co-operative for the sake of making more money by charging exhorbitant rates of interest is bad goal. But Co-operative Farming or Dairing is undoubtedly a good goal promoting national interest."

[सफल सहकारी उद्योग का रहस्य यह है कि उसके सदस्य ईमानदार हों और सहकारी संस्था के वास्तविक गुणों को समझें और उसका निश्चित प्रगतिशील लक्ष्य होना चाहिये। इस प्रकार जब सहकारी संस्था में रुपया बढ़ाने के लिये रखा जाय तो ब्याज की अत्यधिक दर रखना बुरा लक्ष्य है। किन्तु सहकारी ढंग पर खेती करना या दुग्ध का व्यवसाय करना निःसन्देह अच्छे लक्ष्य हैं जिनसे राष्ट्रीय हित की उन्नति होती है।]

क्या यह गवर्नमेंट गांधी जी की इस कसौटी पर ठीक उतरती है। जब मैं इस कसौटी पर इसको देखता हूं तो यह मालूम होता है कि सरकार का गोल (लक्ष्य) बैड (खराब) हो गया है। मैं इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों को यह दिखलाना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि हमने रेट आफ इन्टरेस्ट (ब्याज की दर) घटा दिया है। उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव के जरिये से १५ फीसदी रेट आफ इन्टरेस्ट लिया जाता था। दुनियां के किसी भी हिस्से में और किसी भी देश में और किसी भी सूबे में इतना हाई रेट (ऊंचा ब्याज दर) नहीं था। अब उन्होंने कहा कि इसको ९ फीसदी कर दिया है। मैं माननीय मन्त्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि मद्रास में ६। से ६।। तक है, बम्बई में ६। है, उड़ीसा में ८ है, पंजाब में ६ है, मध्यभारत में ९ है, मैसूर में ७ है, हैदराबाद में ६। है और हमारे उत्तर प्रदेश में १०।। से १५। तक है। हमारा प्रान्त तो बहुत प्रान्तों से पीछे रह गया है। बिहार, मद्रास और बम्बई को आप देखें कि वहां पर क्या रेट उन्होंने रखा है। इन तमाम सूबों में कम रेट आफ इन्टरेस्ट रखा गया है। तो हमारी यह सरकार जो कोआपरेटिव के मामले में बहुत प्रयत्नशील अपने को कहती है वह इतना हाई रेट क्यों रखती है। जब सरकार इतना ज्यादा उन गरीब किसानों से लेगी तो फिर वह कैसे अपना काम कर सकते हैं। श्रीमन् बातें तो बहुत थीं लेकिन मैं एक दो जरूरी बात इस रिपोर्ट में हैं उनको ही आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के लिये इसमें लिखा है कि:

"Thus the immediate need in our State is to lower down the borrowing as well as lending rate. The Gadgil Committee in 1945 set limits of 6 1/4

per cent and 4 per cent. for Current and development finance, to the primary societies which seems impossible till the Central Banks are so reorganised that they become in a position to attract more deposit at cheaper rates."

[इस प्रकार हमारे राज्य में तत्काल आवश्यकता इस बात की है कि उधार लेने या ऋण देने की दरें कम हों। १९४५ में गाडगिल कमेटी ने प्रारंभिक सोसाइटियों के लिये चालू और अर्थ-विकास के लिये ६ १/४ फीसदी और ४ फीसदी की सीमा रखी थी, यह तब तक असंभव है, जब तक कि सेंट्रल बैंक इतन संगठित न हो जांय कि वे सस्ती दरों पर अधिक डिपाजिटों को आकृष्ट करने की स्थिति में हों।]

इसमें जो सिफारिश की है वह यही है कि ६। से ४ परसेन्ट तक रेट होना चाहिये। सन् १९४५ ई० में गाडगिल कमेटी ने निश्चय के साथ सरकार से यह निवेदन किया था कि ४ फीसदी से लेकर ६। फीसदी तक रेट कर दिया जाय। अब माननीय मन्त्री जी ९ फीसदी करते हैं तो फिर किस तरह से कोआपरेटिव में सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं यह समझता हूं कि वह उनकी आशा केवल दुराशा मात्र है।

श्रीमन्, अभी हमारे यहां माननीय मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में कोआपरेटिव का एक जलसा हुआ था। सहकारी वभाग के उसमें सभी लोग इकट्ठे हुए थे। उसमें स्वागताध्यक्ष ने कुछ बातें कहीं थीं। मैं उनको ही आपके सामने रखना चाहता हूं। उस सहकारी विभाग के जलसे में रिजर्व बैंक के भी प्रतिनिधि आये थे। तो उसको भी मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। रिजर्व बैंक करीब १२॥ करोड़ रुपया देता है जिसको खेती के उद्योग में आसानी से लगाया जा सकता है। उन्होंने उस पर आपत्ति की है और मैं उसको यहां पर रखता हूं। उस १२॥ करोड़ रुपये में से हमारे उत्तर प्रदेश को केवल २०, २५ लाख मिलता है जब कि मद्रास को ४ करोड़ और बम्बई को ५ करोड़ रुपया दिया जाता है। जब इतनी भारी रकम उन प्रदेशों को दी जाती है तो यह हमारा प्रान्त जो कि सारे देश का पांचवा हिस्सा है उसको केवल २०-२५ लाख रुपया ही क्यों मिलता है। इससे यह मालूम होता है कि यहां पर कोई कोआप-रेटिव की योजना नहीं है। माननीय मंत्री जी समय-समय पर यहां पर सहयोग की बात करते हैं लेकिन उनको कार्यरूप में परिणत करना कुछ कठिन मालूम होता है। एक बात माननीय स्वागताध्यक्ष जी ने कही कि अगर यह ३, ४ तरीके से काम किया जाय तो सहकारी विभाग में ज्यादा काम हो सकता है। वह इसके खिलाफ है कि कोआपरेटिव के कर्मचारी प्लानिंग विभाग में मिला दिये जांय। क्योंकि उस दशा में कर्मचारी अपना सारा ध्यान सोसाइटीज के तरक्की करने के लिये नहीं दे सकते। दूसरी कमी बतलायी कि सोसाइटी इस वजह से तरक्की नहीं कर पाती कि उनके सुपरवाइजर बहुत ज्यादा काबिल नहीं होते हैं। वह किसी पार्टी विशेष की लोगों की सिफारिश पर रखे जाते हैं। इसके विषय में मैं आपको एक भट्ठे की बाबत निवेदन करना चाहता हूं जहां-जहां कोआपरेटिव भट्ठे खुले हैं वहां पर जो सुपरवाइजर्स हैं या जो छोटे कर्मचारी हैं वह सब किसी न किसी वहां के पदाधिकारी के लगाये हुये रिश्तेदार वगैरा ही होते हैं। अगर आपको कोआपरेटिव भट्ठे सही मानों में देखना है तो आप अदलतरा गांव में जा कर देखें जहां पर वहां के लोगों ने स्वयं यह मूवमेंट अपना चलाया है और वह ईंट बना रहे हैं और कई लाख ईंट वह बना चुके हैं लेकिन दुख की बात है कि उनको कोयला नहीं मिल रहा है बड़ी जातियों वाले उन लोगों पर जुल्म ढाते हैं और उन्होंने यह तय कर लिया है कि अगर वह चाहते हैं कि कम रेट लेकर वह उनका काम करते रहें तो वह अब नहीं करेंगे और वह महज अपने इनिशियेटिव (प्रेरणा) पर ईंट बना रहे हैं लेकिन अगर सच्ची प्रेरणा से कोई सहकारी कार्य करता है तो उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाता है।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले तो माननीय मंत्री जी को और इस विभाग के कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं इस विभाग

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

के कार्य के लिये। जैसा कि बजट के अंकों से स्पष्ट दिखलाई देगा कि इस विभाग में जितनी भी फ़ज़ूलखर्ची थी वह इस साल के बजट में कम की गई है और साथ में जहां आवश्यकता थी वहां उसके लिये रुपया ज्यादा भी रखा गया है। इसका बजट गत वर्ष ७१ लाख ६२ हजार का था और इस साल का बजट ६२ लाख १४ हजार का है। इस तरह से इसमें कमी की गई है। सब से यह अधिक बधाई की बात है क्योंकि जहां भी अपव्यय हो रहा है उसे कम करने की जरूरत है और इस विभाग ने उस काम को किया है। साथ में ५०,००० रुपये की बढ़ोत्तरी भी इस विभाग ने की है स्टाफ़ की ट्रेनिंग के लिये। ताकि अच्छे कर्मचारी सूबे में सहकारी विभाग के लिये मिल सकें। अभी अभी विरोधी दल की ओर से जो बातें कही गई हैं मैं समझता हूं कि वह शायद अंकों की गलत फ़हमी के कारण से ही उठाई गई हैं। दूसरे प्रदेशों की जो ब्याज की दर ५, ६, ७ फीसदी की बतलाई गई है वह ब्याज की दर सोसाइटीज़ के लिये है जिनको सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक से जिस दर पर सोसाइटीज़ को कर्जा दिया जाता है। इंडिविजुअल मेम्बर्स के लिये ९ फीसदी की या उससे कम की दर किसी भी प्रदेश में नहीं होगी और ९ फीसदी के ब्याज की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसके लिये श्री राजनारायण जी ने यहां तक आपत्ति की कि सोसायटियां मर जायंगी। ९ फीसदी का ब्याज देहात में एक नीची दर का ब्याज है।

सहकारी विभाग के बजट की मांग के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा में २४ मार्च को श्री रामस्वरूप गुप्त ने कहा कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में मैं यह कहूंगा कि यह ठीक है कि जो बहुत सी सोसाइटियां पैदा हो गई थीं वह सिर्फ इसलिये कि कंट्रोल की चीजें उनको दी जाती थीं सहकारी सोसाइटी के नाम पर और वह फेल हो गईं, लेकिन इसके मानी यह हैं कि सहकारी समितियों की सच्ची उन्नति तो उसकी स्वाभाविक उन्नति से ही होगी। जहां लोग स्वयं सोसाइटियां बनायें और उनमें उसके भाव हों और काम करें वहीं पर सोसाइटीज़ उठ सकती हैं और उनको आगे बढ़ाने की हमें कोशिश करना चाहिये।

आज जो सोसाइटियां बनाई गई हैं और जो जिलों में इनटेन्सिव ब्लाक बना रखे हैं वहां ३०, ३०-४०, ४० गांवों की एक कोआपरेटिव यूनियन बना रखी है लेकिन जो गांव वाले स्वयं सोसाइटी बनाना चाहें उनके लिये कोई इन्तजाम नहीं है यह आवश्यक है कि हम उनको भी कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने दें और उनको भी वही सुविधायें दें बीज वग़ैरह की जो कोआपरेटिव या यूनियन ब्लाक को देते हैं। एक सुझाव मैं यह करूंगा कि कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने की शिक्षा हमें स्कूल कालेज के विद्यार्थियों को देना चाहिये और शिक्षा विभाग और कोआपरेटिव विभाग के इंसपेक्टर्स को हमें आदेश देना चाहिये कि हायर सेकेंडरी स्कूलों और इन्टर डिग्री कालेजों में इसको प्रोत्साहन दें कि वहां भी कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जांय। इसी तरह से पाठ्यक्रम में भी सहकारिता का विशेष पाठ होना चाहिये और यह तत्काल करना चाहिये।

मेरा एक सुझाव और है वह यह कि एग्रीकल्चर फार्मिंग सोसाइटी की हमारे सूबे में कम से कम संख्या है। जहां मलटीपरपज़ सोसाइटीज़ की हजारों की संख्या है और ब्लाक यूनियनें भी बहुत अधिक हैं। परन्तु कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ की संख्या तो उंगली पर गिनने लायक ही है और हमें अपने यहां कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ का रूप ही बदलना पड़ेगा। अभी हम किसान से कहते हैं कि वह अपनी जमीन हमारी सोसाइटी में दे दे और फिर तुम्हारा कोई अधिकार बाकी न रहेगा और इसी वजह से कोई जमीन नहीं देता है। अगर उनका यह रूप हो कि जमीन तुम अपने पास रखो और खेती करो लेकिन जिन बातों में बहुत से किसान मिल कर

सहकारिता कर सकते हैं जैसे बीज की खरीद है, मेन्योरिंग है, पानी का प्रबन्ध है, औजारों की खरीदारी है, उपज को बेचने का काम है इन सब में तो सहकारिता वह कर सकते हैं। और इसके आधार पर कोआपरेटिव सोसाइटी बनायी जाय तो हमारे प्रान्त का किसान बहुत बड़ी संख्या में सहकारिता आन्दोलन में आ जायगा और उससे वह लाभ उठायेगा।

श्री भगवती प्रसाद शुकल (जिला बाराबंकी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं माननीय मंत्री जी को इस कोआपरेटिव मूवमेंट के सिलसिले में अच्छा कार्य करने के लिये धन्यवाद दूं मैं निश्चय ही यह बात कहना चाहता हूं कि उनके विभाग का कार्य जिस रूप में होना चाहिये और जितनी हम सब को आशा उसकी उन्नति के लिये और शीघ्र उन्नति के लिए, द्रुत गति से चलने की है वह नहीं हो रही है। उसका जो विशेष कारण है वह मूल सिद्धान्तों के ही खिलाफ मेरे विचार से हो रहा है। यदि हम कोआपरेटिव मूवमेंट को देखें जहां से यह प्रारम्भ होता है, रासडेल, जहां पर मुट्ठी भर निवासियों ने इस आन्दोलन को चलाया और इसको यह रूप दिया जो कि आज संसार के सामने एक आदर्श आन्दोलन के रूप में है, और अपने देश के इस आन्दोलन को देखें तो जहां वह आन्दोलन पहले नीचे से चलता था आज यह आन्दोलन ऊपर से चलता है। पहले ग्रामवासी स्वयं ही एक संस्था बना कर उसे कोआपरेटिव की लाइन पर अपनी जरूरत की चीजों के लिये उसे चलाते थे और आज का यह कोआपरेटिव मूवमेंट सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही लदा हुआ है। आज जो संस्थाएं बनती हैं, सहकारी संस्थाएं, वह गांव से स्वयं नहीं निकलतीं। उन्हें सरकारी अधिकारी जाकर बनाते हैं। इस प्रकार सिद्धान्तों का ही एक बहुत बड़ा भेद हो गया है और इसी कारण से मेरे विचार से जिस तीव्र गति से सहकारी आन्दोलन को हमारे प्रान्त में चलना चाहिये वह नहीं चल रहा है। निश्चय ही इस आन्दोलन में आज गति आयी है जैसा कि दो एक साल में जाहिर हुआ है। लेकिन फिर भी यथेष्ठ प्रगति नहीं हुई है।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

सब से ज्यादा जो सफलता हुई है वह गन्ना मार्केटिंग यूनियनों के संगठन के कार्य में हुई है। हमने देखा कि १९५०-५१ में जितना गन्ना मिलों को दिया गया उसका ८८ फीसदी गन्ना यूनियनों के द्वारा दिया गया। और १९५१-५२ में देखा कि पूरे गन्ने का ९१ फी सदी उन्हीं यूनियनों द्वारा दिया गया। तो दरअसल जिस तरह से गन्ना की यूनियनों का काम हो रहा है कि ९१ फी सदी गन्ना उन्हीं के द्वारा बेचा गया इस तरह से जब हमारे राज्य की सहकारी संस्थाएं कार्य करने लगेंगी तो हम समझेंगे कि दरअसल सहकारी आन्दोलन ने तरक्की की है और कुछ कार्य किया है।

बीज गोदामों की संख्या १९५१-५२ में बराबर रही है। कोई उसमें वृद्धि नहीं हुई है। दरअसल जो बीज गोदाम आज देहातों में हैं बिल्कुल सुपरवाइजरों के हाथ में हैं। वह जो डाइरेक्टर्स होते हैं। उसका एक मैनेजिंग डाइरेक्टर होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आफिशियल्स का इतना बड़ा बोझ है कि सब कुछ सुपरवाइजर के ही हाथ में है। और उसका नतीजा यह है कि बीज गोदाम के मुलाजिमों में एक अच्छा खासा ऐसा प्रतिशत है जो एम्बेजेलमेंट करते हैं और झूठी इंट्रीज वहां की जाती हैं। वहां जंजीरें की एक प्रथा सी है कि जो आदमी बीज लेता है उसकी दो आदमी जमानत करते हैं। होता असल में ऐसा है कि गांव में जो होशियार लोग होते हैं वह जाकर बीज ले आते हैं और दो फर्जी नाम जामिनदारों के हो जाते हैं। जो

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल]
गल्ला लेकर आते हैं वह गल्ला देते नहीं। जो अन्य जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं उनसे गल्ला वसूल किया जाता है। नतीजा यह होता है कि इसके लिये बड़ी चीख पुकार होती हैं, एक परेशानी होती है और इन गल्ले गोदामों का नाम बदनाम होता है और सहकारिता बजाय उन्नति करने के इस तरह से बदनाम होने के कारण अवनति के पथ पर चल पड़ती है। अब हमें, यह जो गल्ला गोदामों में एम्बैजिलमेंट हो रहा है, जो पैसे का हिसाब ठीक से नहीं रखा जा रहा है उसके लिये ध्यान देना चाहिये। ताकि इनकी संख्या बढ़े।

जहां तक सहकारी समितियों की संख्या की बात है, ३६,१७९ सहकारी समितियां हैं जिनकी कि सदस्य संख्या २८,४४,००० है। अगर हम अपने प्रान्त की जनसंख्या को देखें तो गांव में ५,४५,९०,०४३ व्यक्ति रहते हैं हम देखेंगे कि इस मूवमेंट के जहां तक गांव में जाने की बात है वह एक प्रकार से नगण्य है। इसमें बहुत बड़ा कार्य करने की जरूरत है और तभी हम इसको उन्नति के मार्ग पर ले जा सकेंगे और प्रत्येक ग्रामवासी तक पहुंच सकते हैं।

हम यह भी देखते हैं कि गांवों में जैसे पहले महाजन हुआ करते थे, आज भी महाजन हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम ब्याज के रूप में लेते हैं। वह आध आने से लेकर दो आने प्रति रुपये तक होता है। गांव वालों को कोई त्राण उनसे नहीं मिल सका है जब तक कि सहयोगी समितियों द्वारा कोई कर्जा देने की व्यवस्था न की जाय और परगने या तहसीलों में आफ़िसेज बैंक के न बनाए जाँय। जो यूज़री थी, जो अधिक ब्याज लेने की प्रथा थी वह तभी दूर हो सकेगी।

एक नया लेजिस्लेशन चकबन्दी का आने वाला है। इसमें भी बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य इन सहकारी समितियों द्वारा किया जा सकता है और यदि हम उन्हें चलाएं तो निश्चय ही सहकारी समितियों का एक स्थायी स्थान प्रान्त में हो जायगा और हम निश्चय ही उन्नति कर सकेंगे।

श्री मंगला प्रसाद—माननीय राजनारायण जी ने कुछ सजेशंस दिये हैं और कुछ आपत्तियां भी की हैं। उन्होंने यह कहा कि हर साल जो चुनाव हुआ करते हैं उनमें पुराने ही लोग चुनकर आ जाते हैं। कोई ऐसा कायदा होना चाहिये कि दो साल के बाद वह न चुने जाँय, कोई दूसरे चुने जांय। यह भी एक विचारणीय चीज है और इस पर विचार मैं करूंगा।

कञ्ज्यूमर्स सोसाइटीज के टूटने की बात भी उन्होंने कही। मेरा ख्याल है जिस तरह से हमने अब काम करना शुरू किया है उसमें अब कंज्यूमर्स सोसाइटीज अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। आज हम सोच रहे हैं कि कौन-कौन से वह तरीके हैं जिन्हें हम अख्तियार करें जिससे स्टोर्स को कंट्रोल का सामान न मिलने पर भी कायम रख सकें। मुझे आशा है कि इसमें हमें काफी कामयाबी होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सहकारिता की तरफ लोगों की प्रेरणा कम है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि देश में जितना इसके लिये प्रचार होना चाहिये, जितनी इसकी जानकारी होनी चाहिये, जितना इसके लिये प्रेम और बलिदान लोगों को करना चाहिये वह अभी तक नहीं हो रहा है। हम इस तरफ अग्रसर हैं और बढ़ रहे हैं और मुझे आशा है कि इस आने वाले साल के बाद जब हम मिलेंगे तो कम से कम यह बात हम नहीं कह सकेंगे कि हमारे इस सूबे के अन्दर लोग पूरे तौर से सहकारिता के बारे में वाकफियत नहीं रखते। हमको सब बातों के कहने का मौका नहीं है क्योंकि वक्त कम है अगर हम बोलते रहते तो जितनी आपत्तियां लोगों ने की हैं शायद उनका जवाब

पहले ही हो जाता। लेकिन यह मुमकिन नहीं था। जितनी दिक्कतें साथियों ने हमें बताई हैं उन सबका ज्ञान मुझे पूरे तौर से है। मैं अपने अफसरों की मदद से और जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं उनकी मदद से उन खराबियों को दूर करना चाहता हूं। सहकारिता का इतना बड़ा कारोबार है, इसमें खराबी तो थोड़ी बहुत रहेगी ही, लेकिन मैं यह समझता हूं कि एक साल के बाद आप इस संस्था को काफी संगठित देखेंगे, इस पर काफी कंट्रोल होगा। कमियां और खामियां इसमें जो आप आज पा रहे हैं वे नहीं मिलेंगी। आये दिन जो आप सुनते कि एम्बेजिलमेंट हो गया, यह खराब हो गयी, वह खराब हो गई, वह नहीं होगी। जहां कहीं एम्बेजिलमेंट होगा उसके लिये जो वहां के अफसरान होंगे वे जिम्मेदार होंगे। अगर कहीं पर एम्बेजिलमेंट होता है तो उससे यह प्रिज्यूम किया जायगा कि उनकी देखरेख कम है, जितना उनको सुपरविजन करना चाहिये उतना वे नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ-साथ यह भी सही है कि जहां यह बातें नहीं होंगी, जहां कहीं अच्छा काम होगा, वहां जब तरक्की का वक्त आयगा तो उनका ख्याल किया जायगा। अगर काम खराब होगा तो सजा मिल सकती है और अगर काम अच्छा होगा तो तरक्की मिल सकती है। अब हर आफिस के लिये टार्जेट मुकर्रर किया गया है कि इतना इतना काम इनको करना है और इस तरह से करना है। अगर हम हर एक डिपार्टमेंट की चीजों को कहना शुरू करें तो शायद सवा घंटा भी काफी न हो। मैं समझता हूं कि राजनारायण जी यह जानकर खुश होंगे कि हम आगे चलना चाहते हैं, सबका सहयोग ले करके चलना चाहते हैं, सही काम करना चाहते हैं और ईश्वर ने चाहा तो हम कामयाब भी होंगे। जहां तक नौ फीसदी सूद का सवाल है, यहां पर आप यह देखेंगे कि १५ फीसदी से ९ फीसदी पर आना कम नहीं है, और एक दम चलने से गिर पड़ने की बात हो जाती है। यहां पर भूमिधर और सीरदार बना दिये गये हैं, उनको हम रुपया दे सकते हैं या नहीं यह अभी तय नहीं है। आज हम चाहते हैं कि बैंक से चार करोड़ अगर बम्बई और मद्रास ने लिया है तो हम दस करोड़ लें और लोगों को दें, लेकिन अभी यही नहीं तय हुआ कि कर्जे के वापस लेने में क्या किया जा सकता है। इसमें काफी दिक्कत महसूस हो रही है वरना यह चीज बहुत आगे बढ़ गई होती। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो सका तो कानून में बदलाव करके उसकी सफाई कर लेंगे और फिर उसके बाद रुपया हम बैंक से ले करके किसानों को काफी तादाद में दे सकेंगे। रिज़र्व बैंक से यह बात हम तय भी कर चुके हैं।

माननीय रामस्वरूप गुप्त जी ने स्कूल और कालेजेज के सिलसिले में सुझाव दिया। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं और स्कूल और कालेजेज में काफी कोआपरेटिव सोसाइटीज खुल रही हैं। इस तरफ हमारा ध्यान है। अगर कोई स्वयं कहीं कोई यूनियन और सोसाइटी बनाना चाहता है तो हम उसको मंजूर करेंगे, उसकी मदद करेंगे और मदद करने के बाद जो उनकी आवश्यकताएं होंगी, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री भगवती प्रसाद जी ने कहा कि सन् १९५०-५१ या १९५१-५२ में बीज गोदाम बढ़े ही नहीं। उनको शायद नहीं मालूम है कि सन् १९५०-५१ में ही हमको यह तमाम बीज गोदाम मिले थे, उनका इन्तजाम करना कोई आसान काम नहीं था। दूसरे साल सन् १९५१-५२ में ३८१ ऐसे बीज गोदाम थे जिनमें एक हजार मन से कम गल्ला था। उनको रेड्यूस करके अब सिर्फ १८० गोदाम ऐसे रह गये हैं जिनमें एक हजार मन से गल्ला कम है। कोशिश इस बात की हो रही है कि किसी में कम न रहे। इस साल के लिये जो बने हमने अपना टार्जेट रखा है उसके अनुसार दो सौ बीज

[श्री मंगला प्रसाद]

गोदाम और बढ़ेंगे। यह भी उन्होंने कहा कि २८ लाख मेम्बर इस सूबे के लिये बहुत कम हैं। मैंने तो पहले ही मान लिया था कि ३६ हजार गांव २५ फीसदी होते हैं। ३६ हजार गांवों में हमारी सोसाइटीज बनी हुई हैं। अगर हम २८ लाख को ४ या ५ से ज़रब करें तो इतने तो हमारे मेम्बर्स हो ही गये। लेकिन हम एक भी ऐसा गांव नहीं छोड़ना चाहते जहां हमारी सोसायटी न हों। हमने अपने टारगेट में यह रखा है कि हर यूनियन में कम से कम २०० मेम्बर्स बढ़ जावें। इस तरह से लाखों की तादाद में मेम्बर्स बढ़ेंगे। हम रुपया भी बढ़ा रहे हैं। हर चीज़ में प्रगति करना चाहते हैं। अगर हम अपनी प्रगति की तारीफ़ करने लगें तो उसकी बहुत लम्बी फ़ीगर्स दे सकते हैं और करोड़ों रुपये की बातें कर सकते हैं। लेकिन उसको न करके हमने पिछले बजट में जो वादा किया था और आयन्दा जो करना चाहते हैं उन बातों को आपके सामने रख दिया। हमने अपनी कोई तारीफ़ नहीं की बल्कि यह कहा कि हम अपनी कमी को दूर करेंगे और उसमें हम सबका सहयोग चाहते हैं। इसमें शक नहीं कि चाहे कोई कितनी ही अच्छी उद्देश्यवाली संस्था हो जब तक उसमें अच्छे और ईमानदार कार्यकर्ता नहीं होंगे उसकी प्रगति मुमकिन नहीं है। हमारी यह कोशिश रही है कि जितने अच्छे आदमी मिलें उन्हें तैयार करें कि वह सहकारिता में शामिल हों। अच्छे आदमी आम तौर से इसमें शामिल नहीं होते क्योंकि वे समझते हैं कि कौन इस झंझट में पड़े और बेकार की गालियां खावे। इसलिये वे दूर रहते हैं और बहुत से हमारे माननीय सदस्य भी उससे दूर हैं। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि वे इसमें शामिल हो जावें और इसमें लिपट जावें। अधिकारी और कार्यकर्ता मिल कर काफी आगे इस काम को बढ़ा सकते हैं। हमको तो अपने अधिकारियों को बधाई देने में खुशी होती है क्योंकि कुछ हमारे ऐसे अधिकारी हैं जो कि २४सों घंटे इस काम में लगे रहने के लिए तैयार हैं और लगे रहते हैं, जैसे कि हम एक कार्यकर्ता की हैसियत से लगे रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर इस प्रकार के वातावरण में हम चले तो इस काम में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं।

मैं आशा करता हूं कि हमारे राजनारायण जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मंत्री जी से पहले ही निवेदन कर चुका था कि आबजैक्टिव सिचुएशन (वस्तु स्थिति) पैदा करें लेकिन उसके लिये उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। सही है वह सहयोग चाहते हैं मगर उनको सहयोग नहीं मिलेगा जब तक कि आबजैक्टिव सिचुएशन पैदा नहीं होगी। जबकि ६५ करोड़ का बजट था तब तो आपने ७१,९२,६०० रुपया मांगा था और अब जबकि ७६ करोड़ का बजट है तो ६२,१४,६०० रुपया ही रह गया। तो आप खुद देख सकते हैं कि वह घटता चला जाता है और फिर हमसे चाहते हैं कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। मैं आपको बतलाऊं कि सन् ४६ में गवर्नमेंट आफ इंडिया की ओर से एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन श्री आर० जी० सरैया थे। उन्होंने सही मानों में दो बातों की ओर ध्यान दिलाया एक तो शासकों की मुक्त व्यापार संबंधी दृष्टिकोण और चारों तरफ से आप कोआपरेटिव को दबाकर फ्री ट्रेड एंटरप्राइज को चलाना चाहते हैं तो वह बहुत बुरा बाधक है कोआपरेटिव के फरदर (आगे विकास के लिये) फिर कोआपरेटिव का काम खाली क्रैडिट का जो रह गया है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि गोरखपुर और देवरिया इन जिलों में एक भी आदमी कोआपरेटिव यूनियन का सदस्य नहीं रहना चाहता। एक मूवमेंट चल गया है यह लज्जा की बात है कि कोआपरेटिव मूवमेंट के लिये जो २ करोड़ रुपया उनका २ आना फी मन गन्ने पर कटकर कोआपरेटिव बैंक में आया क्या आज तक उस बैंक ने उसका कायदे से हिसाब दिया? बराबर उसकी यहां चर्चा चली और उस तरफ हमने मंत्री जी का ध्यान दिलाने की कोशिश की। (वस्तु स्थिति पैदा करेंगे) आब्जेक्टिव सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे और कहेंगे कि सहयोग दीजिये। सहयोग तो हम चाहते हैं कि दें।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--(जिला कानपुर) श्रीमन्, यह नयी बात कही जा रही है इस वक्त जिसको पहले राजनारायण जी ने नहीं उठाया था।

श्री अध्यक्ष--अब वैसे तो उत्तर में नया प्रश्न उठाना मैं रोक नहीं सकता लेकिन एटिकेट की बात मैंने कह दी थी कि नहीं उठाना चाहिये।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि आब्जेक्टिव सिचुएशन पैदा करें माननीय मंत्री जी। उसी के बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने सुना नहीं था। तो माननीय मंत्री जी को यह देखना चाहिये कि आखिर कोआपरेटिव यूनियन्स की तरफ से जनता हटती क्यों चली जा रही है। उस 'क्यों' को खोजना चाहिये और उसका इलाज करना चाहिये।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से यहां तक निवेदन करदूं कि सरकार के डिपार्टमेंट के प्लानिंग विभाग और कोआपरेटिव विभाग एक करके चलाये जा रहे हैं। मैंने मुख्य मंत्री और स्वागताध्यक्ष के भाषणों के अंश पढ़ दिये। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि दोनों विभागों को मिला दिया जाय और स्वागताध्यक्ष का कहना है कि इन दोनों विभागों को कतई न मिलाया जाय। तो पहले सरकार के अन्दर जो परस्पर द्वन्द है उस इंटरनल कंट्राडिक्शन को तो दूर करें। अगर वह रिमूव (दूर) हो जायगा तो काम बन पायेगा वर्ना नहीं बन पायेगा। मैं तो श्रीमन्, चाहता था कि कुछ थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाय ताकि मैं भी कुछ कह सकूं।

श्री अध्यक्ष--आज तो साढ़े चार बजे मुझे बन्द करना ही पड़ेगा चाहे उस बीच में कोई बोलता भी हो। नियम के अनुसार साढ़े चार बजे खत्म करना है। आज बजट अनुदानों का आखिरी रोज है।

श्री राजनारायण--तो श्रीमन्, मैं अब विशेष न कह कर आपकी आज्ञा से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि उनकी भावना, उनकी बुद्धि पर हमको विश्वास है मगर उनकी यह सद्बुद्धि, उनकी पवित्र भावना अपनी जगह पर रखी रह जायगी अगर जैसा कि मैंने कहा कि आब्जेक्टिव सिचुएशन वह पैदा नहीं करेंगे। इसलिये आब्जेक्टिव सिचुएशन पैदा करना इस समय नितान्त आवश्यक है जैसा कि मैंने गांधी जी के कोटेशन को भी पढ़ कर सुनाया। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुये अगर काम होगा तो कोआपरेटिव का आंदोलन बढ़ेगा।

श्री मंगलाप्रसाद--अध्यक्ष महोदय, एक बात की तरफ श्री राजनारायण जी ने खास तौर से ज्यादा जोर दिया कि जो कांफ्रेंस हमारी हुई थी उसमें रिसेप्शन कमेटी के सदर ने कुछ कहा और पंत जी ने कुछ कहा। उसके बारे में मैं यह समझता हूं कि जिस तरह से हमारा काम आज चल रहा है उसमें हम हजारों और आदमियों से काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो बीज बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सैचुरेशन प्वाइन्ट तक पहुंच जाय और हर किसान को हम बीज दे सकें उसमें जो हम तमाम सेक्रेटरीज से मदद लेना चाहते हैं वह मुमकिन नहीं था अगर हम कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं करते। जो अब हमारा तरीका है उसमें यह है कि जितने लोग हमें मिल सकते हैं वे सब मिल कर काम करेंगे क्योंकि काम दोनों का एक ही है, अलग नहीं है और जहां रोजगारी बात है, जहां ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में पूरे तौर से कारोबार है तो वे अपने अलग भी काम करेंगे, दोनों चीजें साथ चलेंगी, कोई भेद भाव नहीं है। अब रहा यह कि पंत जी ने कुछ और कहा और चेयरमैन साहब ने कुछ और कहा तो पंत जी ने जो कुछ कहा था वह बहुत ही सोच समझ कर कहा था और सदर साहब ने तो अपनी एक राय

[श्री मंगला प्रसाद]

जाहिर की थी और फैसला वही हुआ जिस तरह से आज काम हो रहा है। इसी को साफ करने के लिये मैंने दो लफ्ज आपके सामने कहने जरूरी समझे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ८२—कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—सहकारिता के आधार पर ऋण-लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता के अन्तर्गत ६२,६४,६०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

परिवाहन मन्त्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६—कृषि इंजीनियरिंग सरकारी बस सर्विसों पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत (लेखा शीर्षक ८२—राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजीलेखा के अन्तर्गत ८३,७४,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, अब इतना समय नहीं है कि विस्तार से इसके विषय में कुछ बताऊं। विभाग की ओर से जो नोट दिया गया है उसमें सब बातों को बता दिया गया है फिर यदि कोई प्रश्न उठाया जायगा तो उसका उत्तर दे दिया जायगा।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित अनुदान में एक रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का जो उद्देश्य है वह तो आपके सामने ही है। बस सर्विसों के बारे में कई अनुदानों के साथ चर्चा की जा चुकी है और यह साबित करने की कोशिश की गयी है कि बस सर्विसेज का सोशलाइ-जेशन अथवा राष्ट्रीयकरण हुआ है और जनता को उससे लाभ हुआ है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि किसी भी उद्योग धंधे को समाजीकरण तभी कह सकते हैं जब उसके कर्मचारियों के दिल में कोई आर्थिक बेचैनी न हो, चाहे घाटा हो या नफा हो चाहे जैसा काम चल रहा है वैसा कि चलता रहे, वर्कर समझे कि हमारे साथ ईमानदारी हो रही है मगर बस सर्विसों के बारे में ऐसी भावना नहीं है। बजट की किताब में एक जगह बस सर्विसों का जिक्र है वहां कुछ स्टेशनों पर रुपया रखने के लिये लोहे की तिजोरियों इत्यादि के लिये रुपया मांगा गया है वहां यह बताया गया है कि १० हजार से लेकर ७ हजार रुपये तक की रोजाना की बस सर्विसों से आमदनी होती है। मैं हिसाब लगाता हूं तो मेरी समझ में नहीं आता कि आमदनी कुल ३६ लाख रुपये की सालाना होती है तो कैसे एक जगह बस सर्विसों से आमदनी बताई गयी है कि ३ करोड़ से ज्यादा है। मैं समझना चाहूंगा कि क्या मामला है क्या इन आमदनियों को जोड़ कर रखा गया है? मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको साफ करेंगे।

इसके अतिरिक्त सरकारी छापेखानों की बात भी है। बेतहाशा रुपया छपाई में खर्च किया जाता है। जिले के कलेक्टर भी छपाई के लिये बेकार खर्च करते हैं। मेरे ही जिले में केवल एक साल को छोड़कर एक ही छापेखाने से सारे कागजात छपवाये गये उसमें कितना कागज खर्च हुआ इसकी जिले में काफी तरह तरह की शोहरत है। दूसरे प्रेस वाले एक राशन कार्ड को लेकर हमारे पास आये उन्होंने कहा कि इस राशन कार्ड को हम ३ पैसे में छाप कर दे सकते हैं। जबकि उसका मूल्य ६ पैसा लिखा गया है। मैंने कलेक्टर साहब से पूछा कि यह क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि आजमगढ़ में कोई और प्रेस है नहीं तो मैं उसको भी दे देता। इस तरह से छापे के मामले में जनता का पैसा बेरहमी से खर्च हो रहा है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे उसको भी रोकने की कोशिश करेंगे ताकि सुचारू ढंग से काम चल सके।

जहां तक वर्कशाप्स की बात है, कानपुर वर्कशाप के बारे में एक किस्सा चल गया है जगह जगह वहां किस तरह से माल की चोरी हो जाया करती है गेट पर दरबान बैठा हुआ है, फिर भी माल की चोरी हो जाती है और किसी वर्कशाप की बात तो मैं जिम्मेदारी से नहीं कह सकता लेकिन मेरे नजदीक जो आजमगढ़ का रोडवेज वर्कशाप है उसी के बारे में बात करता हूं कि जब हमारे साथी श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने सवाल किया था कि आजमगढ़ का वर्कशाप कितने में बना, और कितनी बार गिरा, तो उसमें कितना फिर पैसा लगा, कब बना, उसका जो जवाब मिला उसका साफ मतलब यह था कि वहां कोई रोडवेज का मकान बना नहीं है। तो इस तरह की बातों से बड़ा दुख होता है। यहां गवर्नमेंट को खबर कुछ और मिलती है, जवाब में हमें कुछ और मिलता है, जिले में कुछ और ही हो रहा है। यह बात बड़ी दुखदायी है। पब्लिक के पैसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कानपुर वर्कशाप की तो बात ही छोड़ दीजिये, उसकी तो बात निराली है।

गवर्नमेन्ट ने ४ लाख ९५ हजार रुपया मांगा है, ३३ बाडीज के लिये। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि एक बाडी में ज्यादा से ज्यादा डेढ़ हजार रुपया लगता है, गवर्नमेंट के बनवाने में उसका खर्च ३ हजार हो सकता है या ४ हजार ही मान लीजिये। मगर करीब ३३ बाडीज पर हिसाब लगाते हैं तो ४ लाख ९५ हजार में एक बाडी पर करीब १५ हजार रुपया खर्च बैठता है। जैसा कि पूर्वी जिलों के सदस्यों को मालूम होगा और मैंने स्वयं बनारस के मशहूर कारीगर पाखंडी को देखा है। उसकी बाडी गवर्नमेंट की बाडी से किसी तरह कमजोर नहीं होती है वह दो तीन हजार में बनती है और आप बाहर के एक इंजीनियर को बुला कर ३ हजार रुपया मासिक देते हैं जो कानपुर वर्कशाप में है। इस तरह से तीन हजार रुपये मासिक देकर जो आपने उसे कारखाने के अन्दर रखा है और कार्य की दृष्टि से वह अनुपयोगी सिद्ध है

उससे राष्ट्र के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। यही नहीं बल्कि मंत्री जी ने एक आडिट रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। मेरे पास भी एक आडिट रिपोर्ट मौजूद है। उस वर्कशाप के बारे में आडिटर ने आबजेक्शन किया है कि इस इंजीनियर की कोई टूरिंग ड्यूटी नहीं है मगर मालूम नहीं कि इसने पेट्रोल में इतना रुपया क्यों फूंका। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उसका भी मुझे जवाब देंगे। और जो दो चार सवाल मैंने किया है उसका भी जवाब मुझे मिलना चाहिये। कंटूर बंधियों की बात भी कही गयी है। उसके लिये इस साल २ लाख रुपया रखा गया है। पिछले साल ८ लाख रुपया रखा गया था लेकिन इस साल गनीमत है कि दो लाख रुपया ही रखा गया है।

श्री अध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

अब मैं नियम पढ़ देता हूं--

"On the last day of the days allotted under sub-rule (1), half an hour before the close of the usual sitting of the day, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connextion with the demands for grants; and this procedure shall not be anticipated by any motion for adjoinment or be interrupted in any manner whatsoever, nor shall any dilatory motion be moved in regard thereto."

[उपनियम (१) के अन्तर्गत बंटित दिनों के अंतिम दिन उपवेशन की साधारण समाप्ति के आधा घंटा पूर्व अध्यक्ष अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में आवश्यक अवशिष्ट विषयों के निस्तारण के निमित्त प्रत्येक प्रश्न तत्काल मतदान के लिए रखेगा और इस प्रक्रिया में कार्यवाही को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया जा सकेगा और न किसी प्रकार की बाधा ही डाली जायगी और न उसके संबंध में कोई विलम्बकारी प्रस्ताव ही किया जायगा]

तो इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब मैं इसको वैसे का वैसा पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९--कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत (लेखा शीर्षक ८२--राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा) के अन्तर्गत ८३,७४,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--जब तक विनियोग बिल तकसीम किया जाता है इसके पहले मैं कल के लिये सूचना देता हूं और विशेषकर श्री नारायण दत्त तिवारी जी को। उन्होंने एक दफे कहा था कि यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २१ के अनुसार जो नियम बने उन्हें सदन का मत व्यक्त करने के लिये मेज पर रख दिया जाय और उसके ऊपर सदन की राय प्राप्त करने के बारे में विचार होना चाहिए। उन्होंने पूछा था कि कोई समय दिया जायगा। मैंने परिवहन मंत्री जी से इस विषय में बातचीत की थी और वे कल के लिये तैयार हैं कि उन पर मत व्यक्त किया जाय।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल), १९५३

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाबवाला, मैं सन् १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

देखिये नत्थी "ड" आगे पृष्ठ..८४-८९...पर।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमान् जी, मुझे एक वैधानिक आपत्ति इस एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर विचार करने के सम्बन्ध में है और जो आपत्ति है कि इस पर विचार किया जाय वह नियम १५८(२) के अनुसार है और मैं समझता हूं कि आप इसके अन्तगत अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे। पहली आपत्ति यह है कि पिछले एप्रोप्रिशन रिपोर्ट में जो शिकायत सरकार की एप्रोप्रिशन के सम्बन्ध में आई है उनके अनुसार मैं इस बिल में अमेन्डमेंट करना चाहता हूं धारा १५८ के प्राविज़ो के अनुसार। तो मेरे इस संशोधन को ड्राफ़्ट करने के लिये समय की आवश्यकता है। नियम १५८ प्राविजन में है :

"Provided that no amendment shall be proposed to an Appropriation Bill which will have the effect of varying the amount of altering the destination of any grant made under Article 203 of the Constitution."

[परन्तु किसी विनियोग विधेयक पर कोई ऐसा संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जायगा जिसके परिणाम स्वरूप संविधान के अनुच्छेद २०३ के अन्तर्गत दिये गये अनुदान की धनराशि में या उसके उद्देश्य में परिवर्तन हो जाय।]

मैं आल्टर या वैरी नहीं करूंगा लेकिन एप्रोप्रिएशन किये जाने के सम्बन्ध में संशोधन करना चाहता हूं। लेकिन इसके लिये ड्राफ्टिंग के लिये समय चाहिये, तो कल इस पर विचार किया जाय तो अच्छा हो। दूसरी आपत्ति जो है वह यह है कि इस एप्रोप्रिएशन बिल के प्रतिष्ठित या विचार किये जाने के सम्बन्ध में हमारे एजेन्डा में कहीं नहीं लिखा है। सदस्यों के पास जो एजेन्डे हैं उनमें इस बिल के विचार करने के बारे में कहीं नहीं लिखा है। तीसरी बात जो मेरे एतराज की है वह यह है कि ९५ के अनुसार इस वक्त इस पर विचार नहीं होना चाहिये और उसका जो प्राविजो है उसमें यह स्पष्ट है कि तीन दिन किसी भी बिल के लिये होंगे। जब तीन दिन नहीं, तो कम से कम एक दिन का मौका हमें अवश्य दिया जाना चाहिये। यही आपत्तियां मेरी हैं और मुझे आशा है कि आप इनको मन्जूर कर लेंगे और धारा १५८ (२) के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष--नियम १५८ के अनुसार आपको अमेन्डमेंट मूव करने का अधिकार है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मगर इसके लिये समय चाहिये।

-श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब वाला, मुझे तो मेरे ख्याल में उन दिनों के याद दिलाने की जरूरत है कि इस ऐवान में यह एक मुस्तिकल प्रैक्टिस इस्टेबिलश हो चुकी है कि यह एप्रोप्रिएशन बिल फौरन ला करके पास किया जा सकता है और चूंकि अब तक पास किया जाता रहा है। जहां तक किसी अमेन्डमेंट को करने का हक़ है कि उसके मुताल्लिक यह बहस हो सकती है कि वह अमेन्डमेंट करे या न करे। मगर इस बिल को रखने में किसी किस्म की रुकावट नहीं है। अमेन्डमेंट करने के लिये मेरे नजदीक किसी किस्म की रुकावट नहीं है और जो बिल मैंने पेश किया है उसके लिये कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। यह प्रेक्टिस रही है और मेरा ख्याल है कि यह इस वक्त विचार होना चाहिये और जिस वक्त कोई साहब अमेन्डमेंट पेश करेंगे, उसका जवाब मैं उस वक्त दूंगा कि वह होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि वह अमेन्डमेंट मूव करना चाहते हैं, मगर बिल अभी तकसीम किया गया है, तो उसके लिये जो समय की जरूरत है वह माननीय मन्त्री देने को तैयार हैं? और उन्होंने यह भी बतलाया है कि वह अनुदानों के आंकड़े 'वरी' या 'आल्टर' नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कोई शाब्दिक परिवर्तन करना चाहते हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—इसके लिये मैं तैयार हूं और जब अमेन्डमेंट सामने आयेगा, उस वक्त अर्ज करूंगा।

श्री अध्यक्ष—उनको पढ़ने का वक्त भी मिलना चाहिये जिसमें वह पढ़ सकें तो क्या आप कल इस पर विचार करने के लिये तैयार हैं?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—कल नहीं। आज इस वक्त लिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मैं वित्त मन्त्री जी से आजिजी से अर्ज करूं कि जब मैं इसको पढ़ नहीं पाऊंगा तो मैं उनकी सेवा में क्या अमेंडमेंट पेश कर सकूंगा। मैं यह दरख्वास्त कर रहा था कि पिछली दफा एप्रोप्रिएशन बिल में जो गल्तियां रह गई थीं उनको ए० जी० ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उसकी भाषा ठीक नहीं होती। तो मैं अमेंडमेंट रखना चाहता हूं लेकिन उसके लिये समय चाहिये। मैं उसमें कोई अटरेशन या वेरियेशन इन फिगर्स में नहीं करूंगा केवल भाषा में थोड़ा इधर उधर परिवर्तन करना चाहता हूं और उसके लिये मुझ समय चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी से कि अगर कल इसको लिया जाय तो कोई ऐसी वैधानिक कठिनाई होती है, जिसमें एप्रोप्रिएशन बिल आज ही पेश होना चाहिये, कल नहीं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—टाइम का सवाल है। इस बजट के इन टाइम पास हो जाने का सवाल पैदा होता है। असल में आज यह बिल यहां से पास हो जाय तो फिर इसको अपर हाउस में टेबिल पर रखना है। उसके बाद वहां डिसकशन होना है। उसके बाद वहां किसी किस्म का अमेंडमेंट हो तो वह यहां आयेगा और कंसीडर होगा। फिर वह यहां से पास होगा। उसके बाद गवर्नर साहब की मोहर लगेगी। इस सब के लिये इतना वक्त नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मैं आपकी आज्ञा से वित्त मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इसके पहले जब कि बजट इस तरह पास हुआ था तो सही ह कि उस वक्त परिपाटी यही थी, सदन में ऐसी प्रथा रही है लेकिन जब से नया कांस्टीट्यूशन बनाया गया ह उसके अन्दर वह पहली बार का बजट था और श्रीमन् आपको स्मरण होगा कि बीच में एक दिन का समय रह गया था लेकिन इस मर्तबा अभी ६ दिन का समय है। उस मर्तबा एक दिन के अन्तर से तो कार्यवाही पूरी हो सकती थी लेकिन अब जबकि ६ दिन का समय है इसमें मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत इस बिल के जहां जहां जाने की प्रथा है वहां वहां जाने में नहीं होगी और टाइम के भीतर लौट कर यह आ सकता है और माननीय मन्त्री जी को कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। इसलिये पुन: आपके जरिये माननीय वित्त मन्त्री जी से अपील करता हूं कि इसको कल पर रक्खें। कल जो संशोधन हम देना चाहेंगे वह भी दे सकेंगे और उस पर विचार विनिमय भी हो सकेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आपके जरिये माननीय वित्त मन्त्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इसको मान लें।

श्री अध्यक्ष—कल ११ बजे सबेरे विचार होने में तो आपको कोई एतराज नहीं है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाब के जरिये अर्ज करूं कि मैं अपने दोस्त से अपील करता हूं कि जितनी कोई बात माकूलियत से कर सकता हूं उसमें करने के लिये मैं तैयार हूं लेकिन यह बात ठीक नहीं है कि इतना समय बाकी है कि वह पूरा दिन कल का लें। यह गलत है कि अभी कई रोज बाकी हैं इस काम को खत्म करने के लिये। यह मैं कर सकता हूं कि अगर इस बिल को कल दोपहर तक खत्म कर दिया जाय तो कौंसिल की सिटिंग दो बजे से होती है वहां २ बजे कल टेबिल पर इसका रखना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--हम इसको कल ११ बजे ले सकते हैं और १ बजे या सवा बजे तक खत्म कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि कल इसको पहला आइटम ले लिया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--जनरल डिस्कशन जो है वह आज शुरू हो जाय।

श्री अध्यक्ष--अगर एक दफा कंसीडरेशन शुरू हो जाय तो आगे भी आप बैठ सकते हैं। यह हो सकता है कि माननीय वित्त मन्त्री अपनी स्पीच आज दे दें और अमेंडमेंट कल आ जायं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मैं तो दो लफ्ज अर्ज करूंगा चाहे इस वक्त कह लूं या कल कह दूं।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ मार्च, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५ पर)

प्रतिलिपि

बस्ती,
२९ जनवरी, १९५२ ई०।

आदरणीय,

मन्त्री जी महोदय,

विनम्र निवेदन है कि जमींदारी प्रथा के टूटने के कारण कवि, कथा-वाचक, गायक, चित्रकार आदि कलाकारों की आर्थिक दशा खराब हो गई है, इतना ही नहीं बल्कि सच्चे सन्तों, फ़कीरों और महात्माओं एवं अनेक उपयोगी शिक्षण संस्थाओं की हालत भी बदतर होती जा रही है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, म्युनिसिपल बोर्डों और ग्राम पंचायतों को सरकार आदेश करे कि वे कलाकारों को बुला कर जनता का मनोरंजन और गुणियों को पुरस्कृत करें तथा महात्माओं एवं संस्थाओं को समुचित सहायता प्रदान करें ताकि विरोधी वृन्द उनके असन्तोष से लाभ न उठा सकें।

भवदीय,
सीताराम शुक्ल,
एम० एल० ए०।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

नक्शा 'अ'

दिसम्बर, १९५२ के अन्त तक लखनऊ स्थित विधायक निवासों के लिये खरीदे गये फर्नीचर का ब्यौरा :—

वस्तुओं के नाम	अग्रवाल टिम्बर स्टोर्स, लखनऊ	रुहेलखंड वुड वर्क, बरेली	गोयल एण्ड कम्पनी, लखनऊ	वजीर अली एन्ड सन्स, बरेली	इन्डियन बौबिन कम्पनी, बरेली	मॉडल जेल, लखनऊ	सेन्ट्रल जेल, नैनी	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१—चारपाइयां	२००	—	—	—	३००			५००
२—बिना हत्थे की कुर्सियां	२००	—	—	—	५००	—	—	७००
३—शृंगार मेज की कुर्सियां	२००	—	—	—	—	—	—	२००
४—बेड साइड लौकर्स	२००	—	—	—	—	—	—	२००
५—लिखने की मेज	—	९६	—	—	३५०	—	—	४४६
६—शृंगार मेज	—	६०	—	—	१७५	—	—	२३५
७—आलमारियां	—	१०३	—	—	१६२	—	—	२६५
८—औकेजनल टेबिल्स	—	—	४९	—	—	—	—	४९
९—बाथ ग्रिट्स	—	—	—	—	२५०	—	—	२५७
१०—सेमी ईजी चेयर्स	—	—	—	२००	२५०	—	—	४५०
११—पेग रेल्स	—	—	—	४००	५००	—	—	९००
१२—चाय की मेज	—	—		—	४००	—	—	४००
१३—विज़िटिंग कार्ड बोर्ड	—	—	—	—	१	—	—	१
१४—नोटिस बोर्ड	—	—	—	—	१	—	—	१
१५—की बोर्ड	—	—	—	—	१	—	—	१
१६—नेम बोर्ड	—	—	—	—	१	—	—	१
१७—रोड इन्डीकेटर	—	—	—	—	१	—	—	१
१८—दरियां	—	—	—	—	—	३४०	—	३४०
१९—निवाड़	—	—	—	—	—	—	३५ मन १ सेर	३५ मन १ सेर

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

पश्चिमी जिलों की नहरों व नलकूपों तथा गोरखपुर में लगे हुये नलकूपों पर अलग-अलग सिंचाई दर

फ़सल	प्रति एकड़ तोड़ (flow)		प्रति एकड़ डाल (lift)		नहर का नाम
१	२		३		४
	रु०	आ०	रु०	आ०	
चावल	६	०	२	८	निचली गंगा तथा आगरा नहर।
गेहूं और जौ	५	०	२	८	ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर और फीडर नलकूप।
मटर	४	०	२	०	,, ,, ,,
चना	२	८	१	४	,, ,, ,,
चावल	७	८	३	०	ऊपरी गंगा नहर एवं फीडर नलकूप।
गन्ना	१५	०	७	८	ऊपरी गंगा तथा पूर्वीय गंगा नहरें।
गन्ना	१३	०	६	८	निचली गंगा तथा आगरा नहरें।
चावल	७	८	३	१२	आगरा नहर, देहली और गुड़गांव ज़िला।
गेहूं और जौ	५	४	२	१०	,, ,, ,,
मटर	३	१२	१	१४	,, ,, ,,
चना	३	४	१	१०	,, ,, ,,
गन्ना	१०	०	५	०	,, ,, ,,
चावल	७	८	३	१२	दून नहरें
गेहूं और जौ	५	०	२	८	,, ,,
मटर और चना	५	०	२	८	,, ,,
गन्ना	१५	०	७	८	,, ,,

फ़सल	प्रति एकड़ तोड़ (flow)		प्रति एकड़ डाल (lift)		नहर का नाम
१	२		३		४
	रु०	आ०	रु०	आ०	
चावल	४	०	२	८	बिजनौर की नहरें
गेहूं और जौ	२	८	१	८	,, ,,
गन्ना	४	८	२	८	,, ,,
गन्ना	२६,०००		गैलन प्रति रु०		राजकीय नलकूप
दूसरी फसलें	३८,०००		गैलन प्रति रु०		राजकीय नलकूप

जो सिंचाई दर नहरों तथा नलकूपों पर दिये गये हैं उन पर २५ प्रतिशत चावल पर व जूट पर और ५० प्रतिशत दूसरी फसलों पर सरचार्ज लगाया जाता है। चरई फसल (फाडर क्राप) पर कोई सरचार्ज नहीं लगाया जाता है—

गोरखपुर जिले में नलकूपों पर सिंचाई दर

गन्ना	८,५००	गैलन प्रति रु०
चावल	१६,०००	गैलन प्रति रु०
दूसरी फसलें	१३,०००	गैलन प्रति रु०

ऊपर दी हुई दरों में सरचार्ज सम्मिलित है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

पिछले पांच वर्षों में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस की गई सड़कें--

		मील	फ०
१--सिराथू-धाता	बी० आर०	८	
२--मंझनपुर-खराई	बी० आर०	७	
३--मंझनपुर-सिराथू	ओ० डी० आर०	९	
४--सराय आकिल-खरारी	बी० आर०	९	
५--सराय आकिल-महिला	बी० आर०	१०	
६--मूरतगंज-चिरवा	ओ० डी० आर०	७	
७--करछना नया खंडार	ओ० डी० आर०	१०	
८--वार हंडिया	ओ० डी० आर०	१०	३
९--वार जंघई	ओ० डी० आर०	६	४
१०--वार प्रतापपुर	ओ० डी० आर०	६	४
११--फूलपुर-प्रतापपुर	ओ० डी० आर०	६	
१२--फूलपुर-सिकन्दरा	बी० आर०	८	
१३--सोरांव-सिकन्दरा	बी० आर०	८	
१४--इलाहाबाद-माखनपुर	ओ० डी० आर०	६	
१५--सराय सलेम से असराबी खुर्द	ओ० डी० आर०	८	
१६--खोंडार-कुरांव	ओ० डी० आर०	१२	
१७--मेजा रोड रेलवे स्टेशन से खोंडार।	ओ० डी० आर०	९	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

इलाहाबाद जिले में निर्माण-विभाग द्वारा पक्की करने या बनाने के लिये ली गयी सड़कें--

नयी सड़कें--

१--इलाहाबाद, घुरघुर, बारा, करवी, बांदा	..	१४ मील
२--इलाहाबाद, लालगंज, उन्नाव	..	१५ मील
३--भरतगंज प्रतापपुर	..	५७ मील

पुनर्निर्माण-- ..

४--कड़ा-सिराथू	५ मील ५ फर्लांग।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ व ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

असेम्बली की वर्तमान बैठक के ५वें मंगलवार के लिये श्री शिवनारायण द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५७ व ५८ के उत्तर से सम्बन्धित सूची।

जिले के नाम	पंचवर्षीय योजना में आयोजित	३१ मार्च, १९५३ तक चालू होने वाले नलकूप
गोंडा	१५०	—
बहराइच	१५०	—
गोरखपुर	१२५	३६
बस्ती	१६०	५२
देवरिया	११५	३०
आज़मगढ़	१६०	५
गाज़ीपुर	१२०	३
बलिया	१००	२
जौनपुर	११०	—
बनारस	९०	[illegible]
फैजाबाद	१८०	१५
सुल्तानपुर	२००	—
योग ...	१,६६०	१३७

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

सूची

श्री श्रीचन्द द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न सं० ७० के सम्बन्ध में —

नाम सड़क	निर्माण कार्य	लागत
		रु०
मुज़फ्फरनगर-बुढ़ाना सड़क	मील ८ तथा ६ में पहला कोट पेंट किया गया मील १३-१४ में एक एक पुलिया तीन फीट स्पैन की बनाई गई	११,८५१
	भूमि का मवाजा चुकाया गया	५२,२५६
कांधला-राजपुर (कच्ची सड़क)	मील १.४ तक में ६ पुलियां बनाई गईं	४,२०६
	भूमि का मुवावजा चुकाया गया	५,१६३
	उपरोक्त सड़कों की मरम्मत कराई गई	१,४८१

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर)

तालिका नं० १

युद्धोत्तर निर्माण योजना के अन्तर्गत जिला खीरी में जिन-जिन कच्ची तथा पक्की सड़कों का निर्माण किया गया उनके नाम :—

पक्की सड़कें—

	मील	फर्लांग
(अ) नयी सड़कें—		
१—शाहजहांपुर गोला	११	४
२—लखीमपुर निघासन	१०	६
३—लखीमपुर ऐरा ईसानगर	१५	४
(ब) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पक्की सड़कों का पुनर्निर्माण—		
१—खीरी मंगली पुरवा	१०	८
२—खीरी खतीमी	२१	८
३—खीरी ऐरा	१२	५
४—शाहजहांपुर गोला	१९	२
(स) सीमेंट कांक्रीट ट्रैक—		
१—गोला से कुकरा स्टेशन	६	६
२—गोला से सिकन्दराबाद	७	—
(द) कच्ची सड़कें—		
१—खोरिया फूलबिहार	६	—
२—रभियन बिहार निघासन	१२	—
३—बेलरेन सिंगाई कलां निघासन	१२	—
४—सिकन्दराबाद बिलहारी	२	३
५—अलीगंज भादर	४	—
६—बिजुहा फीडर	८	—
७—भीरा बिजुहा	८	—
८—पलिया कलां बेला	५	—
९—कुकरा ककरा रेलवे स्टेशन	४	—
१०—मैलानी रेलवे फीडर	३	—
११—पसजवां बारखेरिया	४	—
१२—औरंगाबाद मंगलगंज स्टेशन	४	—
१३—मितौली औरंगाबाद	८	—
१४—रमियन बिहार ईसानगर हुसेनपुर	२५	—
१५—फूलबिहार श्रीनगर	२	२
१६—खौरिया बड़ागांव	१	६
१७—मुहम्मदी रामपुर मिश्र	४	—
१८—पनहापुर इञ्चौलिया	३	—
१९—बिजौली रजागंज रेलवे स्टेशन	२	.
२०—मितौली लखीमपुर	१४	

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर.)

तालिका नं० २

जिला खीरी में निर्माण विभाग के अन्तर्गत इस समय जो सड़कें हैं तथा जो सड़कें जिला बोर्ड खीरी को वापस कर दी गई हैं उनके नाम :—

(अ) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कें हैं :—

	मील	फर्लांग
(क)—पुरानी पी० डब्ल्यू० डी० की पक्की सड़कें—		
१—शाहजहांपुर सीतापुर	१६	—
२—सीतापुर लखीमपुर	८	—
(ख) जिला बोर्ड से ली हुई पक्की सड़कों का पुनर्निर्माण—		
१—खीरी मंगलीपुरवा	१०	२
२—खीरी खातिमा	२१	२
३—शाहजहांपुर गोला	१२	५
४—शाहजहांपुर गोला	१९	२
(ग) नयी पक्की सड़कें—		
१—शाहजहांपुर गोला	१२	—
२—लखीमपुर निघासन	१०	६
३—लखीमपुर ईसानगर	१५	४
४—पलियां त्रिकुलियां	६	३
(घ) नये सीमेंट कांक्रीट ट्रैक—		
१—गोला से कुकरा स्टेशन तक	६	६
२—गोला से सिकन्दराबाद	७	—

बनिम्नलिखित कच्ची सड़कें) जिला बोर्ड को वापस कर दी गई हैं :—

तालिका नं० १ में (द) में दी हुई सभी कच्ची सड़कें जिला बोर्ड को वापस करदी गयी हैं।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

तालिका नं १

उन भवनों के नाम, जिन पर सन् ५२ में काम किया गया:--

उस विभाग का नाम, जिसके भवन हैं	भवन का नाम
१—जेल	गोरखपुर जिले में क्रिमिनल ट्राइब सेटिलमेंट के भवन में परिवर्तन इत्यादि।
२—चिकित्सा	गोरखपुर जिले में एक्स सर्विस मेन के लिये जिला अस्पताल में ६ मरीजों के वार्ड का बनाना।
३—निर्माण	गोरखपुर में इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के नए कार्यालय का बनाना।
४—रोडवेज़	गोरखपुर में बस स्टेशन का बनाना तथा रोडवेज़ वर्कशाप की मिट्टी से भराई।

इनमें क्रम संख्या १ और २ पर लिखे गये कार्य पूरे हो चुके हैं।

तालिका नं० २

सड़कों का नाम तथा उन पर सन् ५२ में निर्माण विभाग द्वारा किये गये कार्यों का विवरण

सीमेंट कांक्रीट ट्रंक—	
सिसवा शिवदत्त चोपरा	४ फ० में मिट्टी का काम
पौहरिया कवेसर	१ मील में पुल व पुलियों का काम
कच्ची सड़कें—	
महराजगंज फरेंदा ओ० डी० आर०	१ मील में पुल व पुलियों का काम
मोहनपुर फरेंदा ओ० डी० आर० नौतनवां तूतीबारी	" " "
निचलौल ओ० डी० आर०	१ मील में मिट्टी का काम
निचलौल सिसवा बाजार ओ० डी० आर०	३ मील में पुल व पुलियों का काम
अन्य कार्य—	
कसिया से भगवान बुद्ध के मृत्यु स्थान तक एक पक्की सड़क बनाना	यह कार्य चालू है।
गोरखपुर शहर की म्युनिसिपल सीमा के अन्दर नेशनल हाई-वे के १६५ व १६६ मीलों का रंगना	यह कार्य चालू है। बोल्डर्स और टार जमा किया जा रहा है।

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६९–७१ पर)

१९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल)

---

३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिए-शन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए,

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम।

१—यह अधिनियम १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५३–५४ के लिये २,२०, २३,२१,९०० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं के सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग २,२०,२३,२१,९०० रु० (दो अरब, बीस करोड़, तेईस लाख, इक्कीस हजार, नौ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज़ ऐंड पर्पज़ेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क—राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउन्ट)—			
१	कृषि आय-कर (ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) की उगाही (कलेक्शन) पर व्यय	२,३२,६००	...	२,३२,६००
२	मालगुजारी	२,८६,७६,७००	...	२,८६,७६,७००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	१,०७,६५,०००	...	१,०७,६५,०००
४	स्टाम्प	५,०१,६००	...	५,०१,६००
५	बन (फ़ारेस्ट)	१,२६,८४,७००	...	१,२६,८४,७००
६	रजिस्ट्री	१३,७२,६००	...	१३,७२,६००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	८८,००,०००	...	८८,००,०००
८	अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय	२७,५०,७००	...	२७,५०,७००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इर्रिगेशन) के निर्माण कार्य	२,२८,१६,०००	...	२,२८,१६,०००
१०	सिंचाई (इर्रिगेशन) स्थापना पर व्यय	२,२४,००,०००	...	२,२४,००,०००
११	रुड़की इंजीनियरिंग विश्व-विद्यालय	१५,३६,२००	...	१५,३६,२००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	३,१०,२२,८००	१०,४२,८००	३,२०,६५,६००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय	२,६६,०७,१००		२,६६,०७,१००
१४	गांव सभाएं और पंचायतें	६२,५०,२००	...	६२,५०,२००
१५	न्याय प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन आफ़ जस्टिस)	१,२२,६५,०००	२४,९०,८००	१,४७,५५,८००
१६	जेल	१,१२,३४,०००	...	१,१२,३४,०००
१७	पुलिस	७,१६,००,०००	...	७,१६,००,०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज़ ऐंड पर्पज़ेज़)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१८	वैज्ञानिक विभाग (साइन्टिफ़िक डिपार्टमेंट्स)	..	..	..
१९	शिक्षा	८,५४,७७,,२००	..	८,५४,७७,२००
२०	चिकित्सा (मेडिकल)	२,४५,९२,५००	..	२,४५,९२,५००
२१	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)	१,४१,७६,०००	..	१,४१,७६,०००
२२	कृषि-सम्बन्धी विकास और खोज (एग्रिकल्चरल डेवलपमेंट ऐंड रिसर्च)	१,७०,१०,२००	..	१,७०,१०,२००
२३	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐंड कालोनाइज़ेशन)	१,५६,३३,३००	..	१,५६,३३,३००
२४	ग्राम सुधार (रूरल डेवलपमेंट)		..	
२५	पशु-चिकित्सा (वेटेरिनरी)	१,२६,१४,७००	..	१,२६,१४,७००
२६	विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	१,५७,६७,२००	..	१,५७,६७,२००
२७	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय	७३,०६,६००	..	७३,०६,६००
२८	सहकारिता के आधार पर ऋण	६२,१४,६००		६२,१४,६००
२९	उद्योग	१,०४,७२,६००	..	१,०४,७२,६००
३०	श्रम (लेबर) और संख्या	२५,०६,४००	..	२५,०६,४००
३१	वाहन (ट्रांस्पोर्ट) विभाग	३,६८,४५,०००	..	३,६८,४५,०००
३२	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	३,४६,६०,१००	२,८५,२००	३,४६,४५,३००
३३	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)	२६,००,१००	..	२६,००,१००
३४	सार्वजनिक-निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय	३८,०७,४००	..	३८,०७,४००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३५	नागरिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान (ग्रांट्स-इन-एड आफ़ सिविल वर्क्स)	३५,०८,१००	..	३५,०८.१००
३६	दुर्भिक्ष सहायता (फ़ेमीन रिलीफ़)	१३,७८,५००	१६,००,०००	२९,७८,५००
३७	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें और भारतीय शासकों को निजी खर्चे	८,१५,८००	..	८,१५,८००
३८	बुढ़ौती (सुपरऐनुएशन) भत्ते और पेंशनें	१,८५,४४,३००	१,३२,०००	१,८६,७६,३००
३९	लेखन-सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई	८३,३७,२००	..	८३,३७,२००
४०	विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जेज)	९,७०,२८,४००	१,०००	९,७०,२९,४००
४१	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान	५४,५५,२००	..	५४,५५,२००
४२	असाधारण व्यय (एक्स्ट्रा आर्डिनरी चार्जेज)	३,१५,७१,८००	..	३,१५,७१,८००
४३	योजना और एकीकरण	१,९५,६६,२००	..	१,९५,६६,२००
	ऋण (डेट) और अन्य दायित्वों (आब्लिगेशन्स) पर ब्याज	..	५,४१,८०,४००	५,४१,८०,४००
	ऋण को कम करना (रिडक्शन) या उससे बचना (अवायडेंस)	..	२३,५६,८४,१००	२३,५६,८४,१००
	प्रतिकर और पुनर्वासिन अनुदान बन्ध	..	८०,२५,००,०००	८०,२५,००,०००
	योग 'क'	७५,०७,४६,९००	१,०९,७९,१६,३००	१,८४,८६,६३,२००

ख—राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय—

४४	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन	३,४१,३०,०००	..	३,४१,३०,०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज़ ऐंड पर्पज़ेज़)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४५	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले)	१,५६,८०,०००	...	१,५६,८०,०००
४६	औद्योगिक विकास (इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट)	१,१५,१६,५००	...	१,१५,१६,५००
४७	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले)	१,४६,८८,३००	...	१,४६,८८,३००
४८	विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत	३,६२,१४,७००	...	३,६२,१४,७००
४९	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज़), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ़ ऐंड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत	८३,७४,६००	...	८३,७४,६००
५०	पेंशनों की संराशि (कम्युटेड वैल्यू आफ़ पेंशन्स)	१९,८५,०००	२५,०००	२०,१०,०००
५१	राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की योजनाएं	१६,९२,१०,०००	...	१६,९२,१०,०००
	योग 'ख'	३२,२३,९९,१००	२५,०००	३२,२४,२४,१००

ग—ऋणों और अग्र-ऋणों (लोन्स एन्ड ऐडवांसेज)का भुगतावा (डिस्बर्समेंट)—

५२	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (ऐडवांसेज़)	३,१२,३४,६००		३,१२,३४,६००
	योग 'ग' ..	३,१२,३४,६००		३,१२,३४,६००
	कुल योग ..	१,१०,४३,८०,६००	१,०९,७९,४१,३००	२,२०,२३,२१,९००

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मंडल में एक विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों के लिए जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से हो सके।

हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए०पी० २ एल० ए०–१९५३–८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २५ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूराम कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री

रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री

सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यवली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद खां, श्री
हर दयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रस्ताव

*१---श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष के बजट की नयी मांगों में पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों के २५ प्रतिशत पदों को स्थायी किये जाने का प्रस्ताव रखा गया था ?

*२---यदि हां, तो उन्हें नयी मांगों में सम्मिलित न किये जाने का क्या कारण था, और क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के हित में उक्त पदों को इसी बजट में स्थायी घोषित करने के प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम) ---शासन का यह मत है कि इन प्रश्नों का जन हित में उत्तर देना उचित न होगा।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या मंत्री महोदय कृपापूर्वक बताने का कष्ट करेंगे कि कितने कर्मचारियों को स्थायी रूप देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन निकट भविष्य में है और यदि है तो कब तक ?

श्री मोहन लाल गौतम---शासन के सभी अस्थायी कर्मचारियों का प्रश्न सरकार के सामने उपस्थित है और उसमें यह फैसला कब तक होगा इसका जवाब ठीक-ठीक नहीं दिया जा सकता।

तारांकित प्रश्न

ग्राम पंचायतों का चुनाव

*१---श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पंचायतों के जो चुनाव फरवरी सन् १९५२ में होना चाहिये थे वह क्यों स्थगित किये गये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—पंचायत निर्वाचन फरवरी सन् १९५२ में इसलिये नहीं हो सके कि पंचायत राज अधिनियम में अनेकों संशोधनों की आवश्यकता पर शासन विचार कर रहा था और बिना संशोधन किये चुनाव कराना उचित न था।

*२—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या यह सत्य है कि वह एक वर्ष के लिए स्थगित किये गये थे? यदि हां, तो फिर अभी तक उनके न कराने का क्या कारण है और अब कब कराये जावेंगे?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, निर्वाचन फरवरी सन् ५३ में भी नहीं हो सके क्योंकि संशोधक विधेयक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो सका था। यथासम्भव शीघ्र ही विधेयक विधान मंडल में प्रस्तुत किया जावेगा और उसके स्वीकार होने के पश्चात् चुनाव कराये जावेंगे।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त विधेयक विधान सभा में कब तक पेश हो जावेगा और चुनाव कब तक हो जावेंगे?

श्री मोहनलाल गौतम—विधेयक बहुत जल्द विधान सभा में उपस्थित हो जावेगा और चुनाव कब होंगे यह उसी समय बताया जा सकेगा जब कि विधेयक पेश हो जाय और स्वीकार हो जाय और उसके बाद चुनाव का टाइम टेबिल बने।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनका बहुत जल्दी से क्या मतलब है क्या इसी सेशन में यह बिल आयेगा या बाद में पेश होगा?

श्री मोहनलाल गौतम—बहुत जल्दी से मतलब यह है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उसमें कोई देर न हो। यह विधान सभा का सेशन तो दो अप्रैल तक है और इसमें वह आसकेगा इसमें मुझे संदेह है।

*३—श्री लक्ष्मण राव कदम—[१६ मार्च, १९५३ ई० को इस प्रश्न का उत्तर संख्या ५५ के अन्तर्गत दिया गया]।

प्रान्त के कुष्ट रोग के मरीजों के इलाज का प्रबन्ध

*४—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के कुष्ट रोग के मरीजों के इलाज के लिये प्रान्त में कहां कहां पर विशेष प्रबन्ध किया गया है?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—प्रान्त के कुष्ट रोग के मरीजों के इलाज के लिये निम्नलिखित चिकित्सालय हैं :—

(१)—कुष्ट चिकित्सालय, नैनी, इलाहाबाद।
(२)—कुष्ट चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
(३)—कुष्ट चिकित्सालय, चन्दोग, अल्मोड़ा।
(४)—कुष्ट चिकित्सालय, जमूरतगंज, फैजाबाद।
(५)—कुष्ट चिकित्सालय, देहरादून।
(६)—कुष्ट चिकित्सालय, रुड़की, सहारनपुर।
(७)—कुष्ट चिकित्सालय, कानपुर।
(८)—कुष्ट चिकित्सालय, मुरादाबाद।
(९)—कुष्ट चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
(१०)—कुष्ट चिकित्सालय, खीरी।

(११) कुष्ट चिकित्सालय, बहराइच।
(१२) कुष्ट चिकित्सालय, श्रीनगर, गढ़वाल।
(१३) कुष्ट चिकित्सालय, आगरा।
(१४) कुष्ट चिकित्सालय, लखनऊ।
(१५) कुष्ट चिकित्सालय, गोरखपुर।
(१६) कष्ट चिकित्सालय, बनारस।

उपरोक्त चिकित्सालयों के अतिरिक्त बनारस, कानपुर, तथा देवरिया में अस्पतालों में भी कुष्ट रोग के मरीजों के इलाज के लिये क्लीनिक्स (Clinics) है। मुनी की रेती (जिला टेहरी-गढ़वाल) में भी ऐसी क्लीनिक (Clinic) गांधी स्मारक निधि द्वारा खोली गई है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार अनिवार्य रूप से राज्य में प्रान्त के कुष्टियों का इलाज कराने की योजना पर विचार करेगी?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जितने कुष्टियों के अस्पताल बताये हैं उनमें से कितने कुष्टि उसमें रहते हैं।

श्री बनारसी दास—यह जो १६ चिकित्सालय हैं उनमें कुल मिलाकर १,२८८ रोगियों के रहने का प्रबन्ध है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन अस्पतालों में जो कुष्टि भिखारी हैं वे भी भरती किये जाते हैं?

श्री बनारसी दास—जी हां। इसके लिये किसी प्रकार की कोई तमीज नहीं होती कि वह भिखारी है या नहीं। जो भी कुष्ट रोग से पीड़ित होते हैं वह उसमें दाखिल किये जाते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बतलायेगी कि जो लिस्ट उसने अस्पतालों की दी है उसमें कितने सरकारी हैं और कितने गैर सरकारी?

श्री बनारसी दास—इसमें जितने क्लिनिक्स हैं उनको छोड़कर बाकी सभी गैर-सरकारी हैं और सरकार उनको प्रतिवर्ष अनुदान देती है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार बतलायेगी कि जितने बिगड़े हुए कुष्टि हैं उनको कम्पलसरीली इन अस्पतालों में भरती करने की योजना सरकार बनायेगी?

श्री बनारसी दास—इसका उत्तर तो दिया जा चुका है कि अभी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में कुष्ट रोग से कितने लोग पीड़ित हैं?

श्री बनारसी दास—इसकी संख्या तो बतलाना कठिन है कि प्रान्त के अन्दर कितने कुष्ट के रोगी हैं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या यह बतलाना संभव हो सकेगा कि प्रदेश के किस भाग में अधिक लोग कोढ़ के रोगी हैं?

श्री मोहनलाल गौतम--पंचायत निर्वाचन फरवरी सन् १९५२ में इसलिये नहीं हो सके कि पंचायत राज अधिनियम में अनेकों संशोधनों की आवश्यकता पर शासन विचार कर रहा था और बिना संशोधन किये चुनाव कराना उचित न था।

*२--श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या यह सत्य है कि वह एक वर्ष के लिए स्थगित किये गये थे? यदि हां, तो फिर अभी तक उनके न कराने का क्या कारण है और अब कब कराये जावेंगे?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, निर्वाचन फरवरी सन् ५३ में भी नहीं हो सके क्योंकि संशोधक विधेयक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो सका था। यथासम्भव शीघ्र ही विधेयक विधान मंडल में प्रस्तुत किया जावेगा और उसके स्वीकार होने के पश्चात् चुनाव कराये जावेंगे।

श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त विधयक विधान सभा में कब तक पेश हो जावेगा और चुनाव कब तक हो जावेंगे?

श्री मोहनलाल गौतम--विधेयक बहुत जल्द विधान सभा में उपस्थित हो जावेगा और चुनाव कब होंगे यह उसी समय बताया जा सकेगा जब कि विधेयक पेश हो जाय और स्वीकार हो जाय और उसके बाद चुनाव का टाइम टेबिल बने।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनका बहुत जल्दी से क्या मतलब है क्या इसी सेशन में यह बिल आयेगा या बाद में पेश होगा?

श्री मोहनलाल गौतम--बहुत जल्दी से मतलब यह है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उसमें कोई देर न हो। यह विधान सभा का सेशन तो दो अप्रैल तक है और इसमें वह आसकेगा इसमें मुझे संदेह है।

*३--श्री लक्ष्मण राव कदम--[१६ मार्च, १९५३ ई० को इस प्रश्न का उत्तर संख्या ५५ के अन्तर्गत दिया गया]।

प्रान्त के कुष्ट रोग के मरीजों के इलाज का प्रबन्ध

*४--श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के कुष्ट रोग के मरीजों के इलाज के लिये प्रान्त में कहां कहां पर विशेष प्रबन्ध किया गया है?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--प्रान्त के कुष्ट रोग के मरीजों के इलाज के लिये निम्नलिखित चिकित्सालय हैं :--

(१)--कुष्ट चिकित्सालय, नैनी, इलाहाबाद।
(२)--कुष्ट चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
(३)--कुष्ट चिकित्सालय, चन्दोग, अल्मोड़ा।
(४)--कुष्ट चिकित्सालय, जमूरतगंज, फैजाबाद।
(५)--कुष्ट चिकित्सालय, देहरादून।
(६)--कुष्ट चिकित्सालय, रुड़की, सहारनपुर।
(७)--कुष्ट चिकित्सालय, कानपुर।
(८)--कुष्ट चिकित्सालय, मुरादाबाद।
(९)--कुष्ट चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
(१०)--कुष्ट चिकित्सालय, खीरी।

(११) कुष्ट चिकित्सालय, बहराइच।
(१२) कुष्ट चिकित्सालय, श्रीनगर, गढ़वाल।
(१३) कुष्ट चिकित्सालय, आगरा।
(१४) कुष्ट चिकित्सालय, लखनऊ।
(१५) कुष्ट चिकित्सालय, गोरखपुर।
(१६) कुष्ट चिकित्सालय, बनारस।

उपरोक्त चिकित्सालयों के अतिरिक्त बनारस, कानपुर, तथा देवरिया में अस्पतालों में भी कुष्ट रोग के मरीजों के इलाज के लिये क्लीनिक्स (Clinics) है। मुनी की रेती (जिला टेहरी-गढ़वाल) में भी ऐसी क्लीनिक (Clinic) गांधी स्मारक निधि द्वारा खोली गई है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार अनिवार्य रूप से राज्य में प्रान्त के कुष्टियों का इलाज कराने की योजना पर विचार करेगी?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जितने कुष्टियों के अस्पताल बताये हैं उनमें से कितने कुष्टि उसमें रहते हैं।

श्री बनारसी दास—यह जो १६ चिकित्सालय हैं उनमें कुल मिलाकर १,२८८ रोगियों के रहने का प्रबन्ध है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन अस्पतालों में जो कुष्टि भिखारी हैं वे भी भरती किये जाते हैं?

श्री बनारसी दास—जी हां। इसके लिये किसी प्रकार की कोई तमीज नहीं होती कि वह भिखारी है या नहीं। जो भी कुष्ट रोग से पीड़ित होते हैं वह उसमें दाखिल किये जाते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बतलायेगी कि जो लिस्ट उसने अस्पतालों की दी है उसमें कितने सरकारी हैं और कितने गैर सरकारी?

श्री बनारसी दास—इसमें जितने क्लिनिक्स हैं उनको छोड़कर बाकी सभी गैर-सरकारी हैं और सरकार उनको प्रतिवर्ष अनुदान देती है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार बतलायेगी कि जितने बिगड़े हुए कुष्टि हैं उनको कम्पलसरीली इन अस्पतालों में भरती करने की योजना सरकार बनायेगी?

श्री बनारसी दास—इसका उत्तर तो दिया जा चुका है कि अभी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में कुष्ट रोग से कितने लोग पीड़ित हैं?

श्री बनारसी दास—इसकी संख्या तो बतलाना कठिन है कि प्रान्त के अन्दर कितने कुष्ट के रोगी हैं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या यह बतलाना संभव हो सकेगा कि प्रदेश के किस भाग में अधिक लोग कोढ़ के रोगी हैं?

श्री बनारसी दास—यह तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि इस रोग के लोगों का इलाज ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। अभी गोरखपुर में एंटी लेप्रोशियेट यूनिट कायम किया गया है जिसका काम यह है कि वह गोरखपुर, देवरिया, बहराइच और गोंडा इन चारों जिलों में कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों का इलाज करें और इस प्रकार के और भी यूनिट अधिक से अधिक संख्या में कायम करने का सरकार का इरादा है जिससे पता चल सकेगा कि प्रान्त में कितने कुष्ट रोग के रोगी हैं और क्या व्यवस्था उनके इलाज की की जा सकती है।

*५—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[८ अप्रैल, १९५३ के लिए स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में नवीन औषधालयों की आवश्यकता

*६—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जौनपुर जिले के अन्तर्गत सन् १९५२ व १९५३ ई० में कितने औषधालय खुले ?

श्री बनारसी दास—जौनपुर जिले में १९५२ व १९५३ में कोई आयुर्वेदिक या यूनानी औषधालय नहीं खोला गया। केवल जलालपुर में मई १९५२ में एक ऐलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित हुआ है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जलालपुर के अस्पताल की इमारत सरकारी है या किराये पर ली गई है ?

श्री बनारसी दास—अभी तक सरकारी नहीं है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर की किसी दूसरी तहसील में भी दवाखानों के खोलने पर कोई विचार किया गया है ?

श्री बनारसी दास—जौनपुर के अन्य ४ एलोपैथिक औषधालय हैं, १० आयुर्वेदिक औषधालय हैं। अगले वर्ष तमाम प्रान्त की आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद यह निश्चय किया जायगा कि आया जौनपुर में और अस्पतालों के खोलने की आवश्यकता है या नहीं।

*७—श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)—[२२ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*८-९—श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ १०२-१०३ पर।]

*१०-११—श्री रामनरेश शुक्ल—[३१ मार्च, १९५३ के लिये संख्या १४-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]

जौनपुर जिले में सुजानगंज औषधालय के लिए डाक्टर की आवश्यकता

*१२—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के सुजानगंज अस्पताल में डाक्टर कब से नहीं है और वहां डाक्टर कब भेजा जायगा ?

श्री बनारसी दास—२७-९-१९५२ से वहां डाक्टर नहीं है। जल्द से जल्द भेजने की कोशिश की जा रही है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां से डाक्टर किन कारणों से और किन परिस्थितियों में हटाये गये ?

श्री बनारसी दास---एक तो वहां सबसे बड़ा कारण यह है कि जो स्थान है वहां का जलवायु ठीक नहीं है और वहां पर डाक्टर के रहने के लिये भी कोई स्थान नहीं है। इसीलिये डाक्टर वहां जाने में आनाकानी करते हैं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस किराये के मकान में ही डाक्टर के रहने के लिये अच्छी व्यवस्था कर दी गयी थी ?

श्री बनारसी दास---अभी मैंने उत्तर में कहा कि वहां पर डाक्टर के रहने के लिये कोई व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब से वहां पर डाक्टर नहीं है तब से वहां रोगियों की संख्या बढ़ी है ?

श्री बनारसी दास---यह तो उसमें बतलाया गया है कि २७-९-५२ तक है इसलिए वह जो आंकड़े हैं वह तो तमाम साल के हैं। यह तो जाहिर है कि सन् १९५२ में संख्या अवश्य बढ़ी है, सन् ५१ के मुकाबले में।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या सरकार यह बतलायेगी कि अगर स्थानीय लोग चन्दा एकत्रित करके आधी रक़म देने के लिये तैयार हो जायं तो क्या सरकार वहां पर अस्पताल भवन बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास---सरकार अवश्य उस प्रस्ताव पर विचार करेगी।

*१३---श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या सरकार को पता है कि सुजानगंज का अस्पताल एक किराये के मकान में है ?

श्री बनारसी दास---जी हां।

*१४---श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या सरकार बतायेगी कि इस अस्पताल में रोगियों की वार्षिक संख्या पिछले तीन वर्षों में क्या थी ?

श्री बनारसी दास---१९५० में ९,३९४; १९५१ में ९८२१; और १९५२ में १०२०९

*१५---श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)---[१० अप्रैल, १९५३ के लिये संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अल्मोड़ा ज़िले में पिथौरागढ़ अस्पताल का प्रबन्ध

*१६---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि पिथौरागढ़, जिला अल्मोड़ा में जनता के प्रयत्न से अस्पताल तथा ऐक्सरे मशीन का प्रबंध हो चुका है ? यदि हां, तो क्या वहां सरकार ने किसी डाक्टर की नियुक्ति कर दी है ?

श्री बनारसी दास---जी हां।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक्टर की नियुक्ति कब हुई थी और कब वहां पर भेजा गया ?

श्री बनारसी दास--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

"पटरी दूकानदार संघ" बलिया की म्युनिसिपल्टी के खिलाफ़ शिकायत

*१७--श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--क्या स्वशासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि "पटरी दुकानदार संघ" बलिया की ओर से प्रस्ताव अपनी तकलीफ़ों की बाबत उनके पास भेजा गया है? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मोहनलाल गौतम--ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है

श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पटरियों के दुकानदारों को वहां की म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ शिकायत है कि उनकी दूकान पटरियों से हटाई जा रही हैं?

श्री मोहनलाल गौतम--इस प्रकार की कोई शिकायत या सुझाव नहीं प्राप्त हुआ तो इस वक्त यह कहना कि उनकी क्या क्या शिकायतें हैं मुश्किल है।

१९४९ की यू० पी० आरफ़ेनेज ऐण्ड विडोज़ कमेटी की रिपोर्ट

*१८--डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (जिला कानपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४९ ई० में U. P. Orphanages and Widows Home Committee स्थापित की गयी थी उसकी रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई और उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या इसी कमेटी के सिपुर्द भिखारियों का मसला तय किया गया था?

श्री मोहनलाल गौतम--यह कमेटी सन् १९४८ में स्थापित की गयी थी और उसकी रिपोर्ट सन् १९४९ ई० के अन्त में प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट की कुछ सिफ़ारिशें सरकार ने स्वीकार की थीं, पर आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे कार्यान्वित नहीं हो पाईं। इस समय एक State Adhoc Board बनाने एवं उस संबंध में कुछ कर्मचारी नियुक्त करने के लिये १९५३-५४ के बजट में प्रबंध किया जा रहा है। इस संबंध में एक Bill भी बनाया जा रहा है।

जी हां, किन्तु इस पर रिपोर्ट सन् १९५१ ई० में प्राप्त हुई थी।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सिफारिशों में ज्यादा रुपये का खर्चा नहीं था क्या उनमें से कुछ सिफारिशें मंजूर की गयी थीं और क्या वे कार्यान्वित की गई हैं?

श्री मोहनलाल गौतम--इस वक्त एक स्टेट एडहाक बोर्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने है और १९५३-५४ के बजट में उसके लिये इन्तजाम किया गया है। स्टेट एडहाक बोर्ड, उन तमाम बातों पर किस तरह से अमल किया जाय जिन पर खर्चा नहीं है, विचार करेगा और उनको कार्यान्वित करने की कोशिश करेगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--जो सिफारिशें मंजूर की गयी थीं वह क्या-क्या सिफारिशें थीं?

श्री मोहनलाल गौतम--उसमें एक सेन्ट्रल विडो होम बनाने की बात थी, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह काम नहीं हो सका। जहां तक सुपरवीजन की बात है एड-हाक बोर्ड उसको करेगा।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--क्या मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि यह बिल कब तक यहां आ जायगा और अभी कितना समय इसमें लगेगा?

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय मेरे लिये समय निश्चित करना मुश्किल है।

श्री देवकीनन्दन विभव (ज़िला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि वह यहां के भिखारियों के लिये कोई इंडस्ट्रियल होम बनाने की योजना पर विचार कर रहे हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—जो हिस्सा भिखारियों से संबंधित इस रिपोर्ट का है उस पर विचार हो रहा है और अभी उसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस रिपोर्ट में कोई ऐसी भी जानकारी करायी गयी है कि इस प्रदेश में कितने भिखारी और विधवायें हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—यह तो रिपोर्ट पढ़ने से मालूम हो सकता है।

*१९—डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—क्या यह सत्य है कि इन्हीं मसलों पर विचार करने के लिये फिर किसी कमेटी का निर्माण किया जा रहा है? उस कमेटी के सदस्य तथा चेयरमैन कौन हैं और उनके points of reference क्या हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

टांडा म्युनिसिपल बोर्ड को सड़कों के लिए सरकारी सहायता

*२०—श्री रामदास रविदास (ज़िला फैज़ाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५०-५१ ई० में टांडा म्युनिसिपल बोर्ड को सड़क बनाने के लिये कितना रुपया दिया गया था? उस रुपये से कितनी लम्बी और कितनी चौड़ी सड़क बनवायी गयी?

श्री मोहनलाल गौतम—सन् १९५०-५१ ई० में कुछ नहीं दिया जा सका।

श्री रामदास रविदास—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इसके पहले भी कुछ रुपया म्युनिसिपल बोर्ड टांडा को दिया गया था?

श्री मोहनलाल गौतम—१९४९-५० में २०,००० रुपया दिया गया था।

श्री रामदास रविदास—क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि उस रुपये से कितनी लम्बी चौड़ी सड़क बनायी गयी?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये सूचना चाहिये।

*२१—श्री लक्ष्मणराव कदम—[१ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

बलिया ज़िले की सिकन्दरपुर-खेती सड़क की मरम्मत की आवश्यकता

*२२—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (ज़िला बलिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बलिया ज़िले की सिकन्दरपुर-खेती सड़क को जिस पर पांच टाउन एरियायें स्थित हैं, सरकार पी० डब्ल्यू० डी० में लेने का विचार कर रही है?

श्री मोहनलाल गौतम—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री बैजनाथप्रसाद सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि इस सड़क की दशा अत्यन्त शोचनीय है?

श्री मोहनलाल गौतम—हो सकता है।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—क्या सरकार कृपा करके इस सड़क की मरम्मत के लिये कुछ स्पेशल ग्राण्ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बलिया को देने पर विचार करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बलिया यदि इस प्रकार का कोई सुझाव सामने रखेगा तो उस पर विचार किया जायगा।

*२३—**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह**—[१ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

सिकन्दरपुर-बलिया सड़क को पक्की बनाने की आवश्यकता

*२४—**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दरपुर-बलिया सड़क को, जो फर्स्ट फ़ेज की पक्की सड़कों में है पी० डब्ल्यू० डी० के सुपुर्द कब किया जावेगा और उस पर कब काम शुरू होगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह प्रश्न अभी सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग में विचाराधीन है।

म्युनिसिपल बोर्ड कोंच के नव-निर्वाचित चेयरमैन पर आरोप

*२५—**श्री चित्तर सिंह निरञ्जन** (जिला जालौन)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड, कोंच के नव-निर्वाचित चेयरमैन पर वे आरोप जिनके कारण वे १९४७ में हस्ब दफ़ा ४० (३) म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट के अन्तर्गत सदस्यता से पृथक कर दिये गये थे अब भी कायम हैं ? यदि हां, तो सरकार उन पर क्या विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं।

*२६—**श्री चित्तर सिंह निरञ्जन**—क्या सरकार को यह विदित है कि उक्त चेयरमैन और म्युनिसिपल बोर्ड, कोंच के दरम्यान कई मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं ? यदि हां, तो ये मुक़दमात कितने और किस क़िस्म के हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—चेयरमैन और बोर्ड के दरम्यान दो मुक़दमे चल रहे हैं। पहला इस प्रकार है कि बोर्ड ने श्री महन्त चतुर्भुज दास को, जो अब चेयरमैन हैं, एक मकान बनाने की स्वीकृति दी थी। एक साल बाद बोर्ड ने उक्त स्वीकृति वापस ले ली और उनको मकान गिराने की नोटिस दी। इस पर मुक़दमा चल गया। दूसरा मुक़दमा बोर्ड ने महन्त जी के विरुद्ध चलाया। उसका फ़ैसला कुछ तो उनके पक्ष में हुआ कुछ विपक्ष में। महन्त जी ने इसकी अपील कर रक्खी है।

*२७-२९—**श्री देवमूर्ति राम** (जिला बनारस)—[१ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*३०-३१—**श्री देवकीनन्दन विभव**—[८ अप्रैल, १९५३ क लिये स्थगित किये गये।]

*३२—**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ-१०४ पर।]

*३३—**श्री हमीद खां** (जिला कानपुर)—[८ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

* * * * *

आगरा इम्प्रूमेंट ट्रस्ट की स्थापना तथा उस पर व्यय

*८—**श्री पुत्तूलाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई और उस पर प्रतिवर्ष क्या व्यय किया गया है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ८ श्री हरदयाल सिंह पिपल ने पूछा।

श्री मोहनलाल गौतम—आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना २२ मार्च, १९४९ को हुई थी। उस पर प्रतिवर्ष निम्नांकित व्यय किया गया—

सन्		रु०
१९४९–५०	..	७४,०५७
१९५०–५१	..	१,७१,५४८
१९५१–५२	..	१,६०,१९०
१९५२–५३	..	१,७८,९०७
(२८–२–५३ तक)	कुल ...	५,८४,७०२

*९—श्री पुत्तूलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा किन-किन चीजों का निर्माण किया जा चुका है ?

श्री मोहनलाल गौतम—आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा अपने कार्य-काल में निम्नलिखित कार्य किये गये हैं—

(१) नगर को अव्यवस्थित विकास से बचाने तथा आधुनिक वैज्ञानिक ढंग पर विकसित करने के उद्देश्य से मास्टर प्लान के निर्माण के हेतु नगर का अंकद्योतक तथा सामाजिक व आर्थिक परिमाप (statistical and socio Economic survey) तथा जनता के आवास एवं कार्यक्षेत्र संबंधी अन्यान्य आंकड़ों का संकलन।

(२) उपरोक्त वर्णित संकलित तत्वीय ज्ञान के आधार पर सरकार के नगर तथा ग्राम नियोजक की सहायता से नगर के विकास के लिये मास्टर प्लान की रचना।

(३) जनता को सुन्दर, स्वच्छ और हवादार आवास स्थल प्रस्तुत करने के लिये निम्नलिखित १६ योजनायें नियमानुसार बनाई गईं। जिनमें से प्रथम ९ योजनायें सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं—

(१) सिविल लाइन्स विस्थापित पुनर्संस्थापन योजना,

(२) खन्दारी सड़क विकास योजना (भवन निर्माण के लिये),

(३) पश्चिम ईदगाह विकास योजना (भवन निर्माण के लिये),

(४) रकाबगंज विकास योजना (भवन निर्माण के लिये),

(५) राजा की मंडी सड़क योजना (मुख्यतः पार्क बनाने के लिये),

(६) नाई की मंडी सड़क योजना (भवन निर्माण के लिये),

(७) फटी धरती सड़क योजना (निर्धन व्यक्तियों के भवन निर्माणार्थ),

(८) उत्तर विजय नगर विकास योजना (भवन निर्माणार्थ),

(९) छीपीटोला (सब्जीमंडी) विकास योजना (सब्जी तथा फलों की मंडी बनाने की योजना),

(१०) महात्मा गांधी मार्ग (भरतपुर भवन) हाउसिंग स्कीम (भवन निर्माण की योजना),

नोटः—तारांकित प्रश्न ९ श्री हरदयाल सिंह पिपल ने पूछा।

(११) जयपुर भवन विकास योजना (भवन निर्माणार्थ),

(१२) यमुना किनारा सड़क योजना (सड़क चौड़ी करना तथा नदी के दृश्य को सुन्दरतम् और क्रीड़ास्थल बनाने के हेतु),

(१३) नगला फकीर चन्द विकास योजना (सामान्य सुधार योजना),

(१४) हरिजन कालोनी विकास योजना (हरिजनों के लिये भवन निर्माणार्थ),

(१५) सराय रुस्तम खां विकास योजना,

(१६) बिल्लोचपुरा सड़क योजना (भवन निर्माणार्थ),

इन योजनाओं में से राजा की मंडी सड़क योजना मुख्यतः सघन क्षेत्र के निकट पार्क बनाये जाने के लिये थी। यह पार्क प्रायः तैयार हो चुका है। शेष योजनायें भवन निर्माण के लिये भूमिखंड प्रस्तुत करने के लिये बनाई गई हैं।

उपरोक्त योजनाओं में से पहिली चार योजनाओं के लिये भूमि अधिकृत की जा चुकी है और इन योजनाओं में वृक्षारोपण, सड़कें, जल कल इत्यादि प्रस्तुत करने का कार्य या तो हो चुका है अथवा हो रहा है। सिविल लाइन्स विस्थापित पुनःस्थापन योजना में ३ भूमिखंड, खन्दारी सड़क विकास योजना में २९ भूमिखंड, रकाबगंज विकास योजना में ७ भूमि खंड तथा पश्चिम ईदगाह विकास योजना में २२ भूमिखंड नीलाम द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को भवन निर्माणार्थ उठाये जा चुके हैं। उत्तर विजयनगर विकास योजना में सम्मिलित खाली, बन्जर और काश्त की भूमि का अभी-अभी अधिकरण किया गया है। शेष ४ स्वीकृत योजनाओं में भूमि अधिकरण की कार्यवाही हो रही है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितने मकान निर्धन व्यक्तियों के लिये बनाये गये हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी सूचना चाहिये।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इन योजनाओं में जिस पार्क के निर्माण का जिक्र है उसमें कितनी रकम लगायी गयी है?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी सूचना चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार के पास ऐसे कोई रिप्रेजेंटेशन आये थे कि यमुना किनारे प्राइवेट लोगों ने जबर्दस्ती घाटों पर कब्जा कर लिया है?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी सूचना चाहिये।

* * * * *

विलीन रामपुर राज्य में स्टैण्डर्ड वेट्स लागू किये जाने का सुझाव

*३२—श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलीन रामपुर राज्य के विलीनीकरण से अभी तक स्टैण्डर्ड वेट्स (Standard Weights) वहां क्यों नहीं प्रचलित किये गये हैं?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—उत्तर प्रदेश सरकार के वेट्स एंड मेजर्स ऐक्ट, १९४७ ई० के अनुसार अभी कहीं स्टैन्डर्ड वेट्स लागू नहीं किये गये हैं। अतः विलीन रामपुर राज्य में अभी तक स्टैण्डर्ड वेट्स लागू न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गेंदा सिंह--कौन-कौन से स्टैण्डर्ड वेट्स ईस प्रदेश में इस वक्त प्रचलित हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य--८०-८० के वेट्स अपने प्रदेश में इस समय प्रचलित हैं।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम पंचायतों का चुनाव

१-श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पंचायतों का चुनाव सन् १९५३ में होने वाला है?

श्री मोहनलाल गौतम--यदि पंचायत राज अधिनियम का संशोधक विधेयक सन् १९५३ में विधान मंडल से पास हो जावेगा तो उसके पश्चात् चुनाव हो सकेंगे।

संयुक्त प्रांतीय कृषि आय-कर नियम १९४९ के नियम २८ में प्रस्तावित संशोधन से सम्बद्ध विज्ञप्ति की प्रतिलिपि का मेज पर रखा जाना

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--अध्यक्ष महोदय, मैं १९४८ के संयुक्त प्रांतीय कृषि आय-कर ऐक्ट की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार संयुक्त प्रांतीय कृषि आय-कर नियम, १९४९, के नियम २८ में प्रस्तावित संशोधन से संबद्ध माल विभाग की विज्ञप्ति संख्या २८९३/१ (सी) ११०--सी--५२, दिनांक २९ जनवरी, १९५३ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल) १९५३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--माननीय वित्त मंत्री इस पर कुछ भाषण करना चाहते हैं, यह जो आपने कल अपना विधेयक पेश किया था?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)--मैंने अर्ज किया कि कोई भाषण नहीं देना था। एक बात जरा सी कह दी थी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन के सामने पेश किया है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो परम्परा इस सदन की आज तक चली आई है उसके हिसाब से बजट पर बहस करने के लिये करीब २० दिन इस सदन के माननीय सदस्यों को मिलते हैं। इस सदन के माननीय सदस्य अब २२८ से ४३० के करीब हो गये हैं और अनुदान संख्या भी काफी है और इस प्रांत का बजट भी अब सन् १९३९ से जो कि १३ करोड़ का था, अब ७८ करोड़ रुपये का हो गया है। इसमें इतना ज्यादा समय नहीं मिल सकता है कि जिससे इस सदन के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने विचार प्रकट कर सकें और साल में यही एक ऐसा अवसर आता है जबकि हम जनता की तकलीफों को या और चीजों को सरकार के सामने रख सकते हैं।

आज इस विधेयक को ऐसी जल्दी से यहां पर लाया गया है कि ३१ मार्च बहुत जल्दी आने वाला है और कौंसिल का इजलास भी बुला लिया गया है। मेरी प्रार्थना माननीय वित्त मंत्री जी से यह है कि अगले समय जब भी बजट इस सदन में पेश किया

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

जाय तो काफी पहले से बजट के अनुदानों पर बहस हो जाय, ताकि जो कुछ बाकी रह जाय या कुछ और विचार इस सदन में माननीय सदस्य इस बजट पर प्रकट करना चाहें तो जब यह बिल इस सदन के सामने आता है उस समय अपने विचारों को प्रकट कर सकें और हमें समय मिल सके कि हम कुछ पूर्ति उसमें कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के जरिये से आज हम से यह आज्ञा मांगी जा रही है कि इस प्रांत की सरकार को हम अपने कांसालिडेटेड फंड से रुपया खर्च करने के लिये मंजूरी दें। मैं चाहता तो अवश्य था और हम लोग चाहते थे कि इतना ही रुपया नहीं अगर कुछ और रुपये की जरूरत हमारी सरकार को होती तो हम इस प्रांत की उस गरीब जनता से जो कि टैक्स के रूप में या दूसरे करों के रूप में वसूल किया जाता उसे उसी जनता की भलाई के लिये खर्च करने के लिये इजाजत दे देते। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन चीजों के लिये आज यह रुपया मांगा जा रहा है, जिन विभागों के लिये आज यह रुपया मांगा जा रहा है, उन सब में रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। हमारी एक पब्लिक एकाउंट्स कमेटी है, जो उत्तर-प्रदेश के फाइनेंसेज पर देखरेख करने के लिये रहती है। इस कमेटी की पारसाल की जो रिपोर्ट है उस पर इस सदन में पहले हमें कुछ वादविवाद करने का मौका किसी कारण नहीं मिल सका, पर आज का दिन मैं समझता हूं कि इसके लिये उपयुक्त होगा कि बताया जाय कि किस तरह से जो रुपया हम इस प्रांत की सरकार को खर्च करने के लिये देते हैं, वह रुपया मनमाने तरीके पर इस प्रांत की सरकार खर्च कर रही है। अध्यक्ष महोदय। पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट पारसाल अलग-अलग अनुदानों पर निकली थी उसको यदि मैं पढ़ूं तो उसमें काफी समय इस सदन का नष्ट हो जायगा मैं नहीं चाहता कि मैं उसको पढ़ूं, पर एक बात मैं आपके जरिये इस सदन के माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट ने अपना बजट बनाते समय कभी इस बात का खयाल नहीं किया कि उनको असल में कितने रुपये की आवश्यकता उस डिपार्टमेंट के खर्च के लिये होती है। अध्यक्ष महोदय, बजट को एक सुन्दर रूप देने के लिये हरएक डिपार्टमेंट अपनी नयी-नयी स्कीमें ला करके बजट में रख देता है, और जब बजट पेश होता है उस वक्त यह मालूम होता है कि कितना अच्छा और कितना सुन्दर बजट इस प्रांत का है कि जहां हजारों ट्यूबवेल्स लगेंगे, जहां हजारों स्कूल खुलेंगे, जहां हजारों अस्पताल खुलेंगे और न जानें क्या क्या होगा। लेकिन जब साल के आखिर में, अध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि जितना रुपया अलग-अलग विभागों के लिये रखा जाता है वह खर्च नहीं किया जाता है, सब विभागों में बचत रहती है, और बड़े ताज्जुब की बात यह रहती है कि जो डैफिसिट बजट रहता है वह साल के अन्त में सरप्लस में टर्न हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि पारसाल पी० डब्लू० डी० ने बजट में गढ़वाल अल्मोड़ा जिले के लिये ८ लाख रुपया सड़कों के लिये रखा था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस ८ लाख में एक पैसा भी नहीं खर्च किया गया। इस साल भी बजट में ८ लाख रुपया रखा गया है लेकिन मुझे आशा नहीं है कि इस साल भी सरकार इस रुपये को खर्च करेगी। यदि सरकार इसी तरह से हमारे प्रांत के लोगों को भुलावे में डालना चाहती है, तो वह ८ लाख के बजाय एक करोड़ रख सकती है, लेकिन देखना यह है कि जो रुपया रखा जाता है वह खर्च होता है या नहीं। सप्लीमेंटरी बजट के समय माननीय वित्त मंत्री जी से मैंने कहा था कि अक्तूबर का महीना आ गया है लेकिन जिन सड़कों के लिये आपने रुपया मंजूर किया था उन सड़कों पर अभी काम शुरू नहीं किया गया है। इस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि अक्तूबर के पहले कभी काम नहीं होता है। उसके बाद अक्तूबर गया, नवम्बर गया, दिसम्बर गया, जनवरी गया, फरवरी गया, और मार्च भी खत्म हो रहा

हैं, लेकिन उन सड़कों के ऊपर अभी तक टेंडर भी नहीं 'काल' किये गये हैं। यह हैं हमारे प्रांत की हालत। आखिर यह रुपया पास कराया किस लिये जाता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वे सब विभागों को इस बात की हिदायत दें कि जितना रुपया हम मंजूर करते हैं, जितना रुपया हम अलग-अलग विभागों को देते हैं। वह साल के अन्त तक खर्च हो जाय और ठीक तरह से खर्च हो और जब बजट के एस्टीमेट्स शुरू में बनाये जायं, और उन्हीं के लिये रुपया मांगें जिनको पूरी स्कीम गवर्नमेंट के सामने हो।

अध्यक्ष महोदय, रेशम के कपड़े के कारखाने के सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई और पांच लाख रुपया एक ब्रिटिश फर्म को दे दिया गया, उससे कोई लिखत-पढ़त भी नहीं की गयी। कुछ एक्सपर्ट्स बुलाये गये और उन एक्सपर्ट्स से नकशे आदि बनवाने के बाद उनको पांच लाख रुपया दे दिया। फिर वह स्कीम खत्म हो गई और हमारा ५ लाख रुपया मिलना मुश्किल होगा। इसलिये जब तक स्कीम पक्की न हो जाय और सारा प्रोग्राम उसके चलाने का न बन जाय, तब तक किसी मद के लिये हमसे रुपया नहीं मांगना चाहिये। मुझे दुख होता है।

जब मैंने माननीय मुख्य मंत्री के मुंह से बजट के जनरल डिस्कशन के समय यह सुना था और बड़े-सुन्दर शब्दों में उन्होंने फरमाया था, कि क्या यह प्रांत वही प्रांत नहीं है जहां कि हम कल्याणकारी राज्य स्थापित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सुन्दर चित्र उस समय उन्होंने हमारे सामने रखा था। मैं उसके विपरीत आज एक चित्र यहां रखना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि क्या यह वही प्रांत नहीं है जहां हमने हजारों अस्पताल खोले हैं। मैं कहूंगा कि क्या यह वही प्रांत नहीं है जहां सैकड़ों अस्पताल, अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों ऐसे हैं जिनमें न दवा है, न डाक्टर है, न चारपाई है और अगर पंखे लगे हैं तो पंखे चलाने वाला कोई नहीं है और अगर बिजली के हैं तो वे चलने वाले नहीं हैं। क्या यह वही कल्याणकारी राज्य है जिसमें माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि हजारों स्कूल हमने बच्चों के पढ़ने के लिये खोल दिये हैं? क्या इस प्रांत में हजारों स्कूल ऐसे नहीं हैं जिनके मकानों पर छत नहीं हैं, जिनमें बच्चों के बैठने के लिये दरी या टाट का टुकड़ा नहीं और जहां के अध्यापक आज अपनी मांगों के लिये, अपनी छोटी सी तनख्वाह के लिये इस सरकार के पुराने जी० ओ० के मुताबिक अपनी तनख्वाह हासिल करने के लिये आज सत्याग्रह करके हमारे प्रांत की जेलों को भर रहे हैं और लखनऊ में आकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्या यह हमारे कल्याणकारी राज्य के लिये शोभा की बात है? क्या यह वही कल्याणकारी राज्य है जिसके लिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमारे यहां बहुत सी नहरें बनाई गई हैं, लेकिन उनमें आज पानी नहीं चढ़ता है? ट्यूबवेल्स लगे हैं पर पानी ऊपर को नहीं खिचते हैं। क्या यह वही प्रांत नहीं जिसमें आज लाखों आदमी ऐसे हैं जिन्हें अपने पीने के लिये पानी लाने के लिये मीलों जाकर पानी हासिल करना पड़ता है और सरकार ने उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की है? क्या यह वही प्रांत, वही कल्याणकारी राज्य नहीं है जहां के लोग आज भी भूखों मर सकते हैं, जहां कि पूर्वी जिलों में भुखमरी से लोग भूखों मर गये? हमारे यहां के ज्यादातर किसान गन्ना बोते हैं तो क्या यह वही कल्याणकारी राज्य नहीं है जहां के किसानों का गन्ना सरकार ने १ रुपया १० आने मन के हिसाब के बजाय ८ आने मन पर मिल वालों को दिलवा कर उनका गन्ना पिरवाया? इससे जो १० करोड़ रुपया हमारे प्रांत के किसानों का मिलवालों के पास है वह आज तक इस सरकार ने नहीं दिलवाया है। उस दस करोड़ का ब्याज कहां गया।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे बिल के ऊपर आ जावें। यह केवल बजट का डिस्कशन नहीं है?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये इन बातों को कह रहा था कि ये सारी मदें हैं जिनके लिये रुपया हमसे मांगा जा रहा है। इसलिये मैं उन चीजों को गिना रहा था कि उनके लिये रुपया दिया जाय या नहीं। मैं यह नहीं चाहता हूं कि ऐसी

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

नहर बनाई जाय जिसमें पानी ही न चढ़े। मैं इसके बारे में लम्बा चौड़ा नहीं जाऊंगा। समय बहुत कम है पर २ या ३ बातें जो हमारे इस कल्याणकारी राज्य में हो रही हैं उन्हें कहे बगैर मैं नहीं रह सकता। आज हमारी शिक्षा की पद्धति, आज हमारे अध्यापक वर्ग जो हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो हमारे आगे के राष्ट्र का निर्माण करेंगे, वे आज प्रांत में अपनी तनख्वाहों के लिये सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे प्रांत के जो गरीब मेहतर लोग थे उन्होंने अपनी तनख्वाह के लिये एक प्रांत व्यापी हड़ताल की उसको भी इस सरकार ने दबा कर खत्म कर दिया। हमारे प्रांत के पटवारियान थे। आज इतने पटवारियों को एक साथ इस्तीफा देने पर हमारी सरकार ने मजबूर किया। आज हमारे यहां लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है और हमारे यहां लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं और यह सरकार जमीनें उनको दे रही है जिनके पास जमीन है और जिनके पास जमीन नहीं है उनको यह सरकार जमीन नहीं देती है। इसका उदाहरण आपको तराई भाबर में मिलेगा जहां बड़े-बड़े जमींदारों को जिनकी यहां जमींदारी खत्म की गयी है चार-चार हजार एकड़ जमीन दी गयी है।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे प्रांत में पुलिस का आतंक बहुत बढ़ रहा है और कम से कम बांदा जिले में सबसे ज्यादा है और उस पुलिस के लिये आज यह सरकार रुपया मांगती है। वहां की पुलिस का जो आतंक है, अध्यक्ष महोदय, वह इससे पता लगता है। एक अखबार है जिसमें लिखा है—"पुलिस के अत्याचारों का राज्य, बांदा में पुलिस के कारनामों की रोमांचकारी कथा"। हमारे इस सदन के बांदा के माननीय सदस्य इस बात की ताईद करेंगे कि वे बांदा में बिना बंदूक के नहीं जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे माननीय पहलवान सिंह भी अपने कंधों पर दो नली बंदूक लेकर बांदा स्टेशन पर निकलते हैं तो लोगों को ताज्जुब होता है कि उनको ऐसे जाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी। वहां का कोई एम० एल० ए० आज सुरक्षित नहीं है। वहां पर आतंक इतना ज्यादा है कि आज एक कान्फ्रेंस में हुकूमत ने लखनऊ में वहां के डी० आई० जी० वगैरह को बुलवाया है। मैं वहां के एक पुलिस अधिकारी का जवाब सुनाता हूं। हाल ही में एक रिपोर्ट आयी है कि वहां के डी० एस० पी० साहब ने विन्ध्याचल यात्रा पर जाने के लिये यूनियन की मोटर मांगी थी वह ठीक टाइम पर नहीं पहुंची जिस पर उन्होंने जो कुछ कहा उसकी रिपोर्ट आयी है—

"मुझे देखते ही डिप्टी महोदय ने कहा कि तू यहां क्यों आया, क्या मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगा"। उस पर मैंने नम्रतापूर्वक कहा कि लारी अभी तक वापस नहीं आ सकी है। इस पर डी० एस० पी० साहब ने यह कहा कि "तू खद्दर की कमीज और टोपी पहन कर मुझ पर रोब डालने आया है।" फिर यह भी कहा कि "उन्हें श्री पांडे जी स्टेशन आफिसर करवी के यहां चित्रकूट जाना है उनका नाम तुमने सुना है। वह तुम सब लोगों को ठीक कर देगा। वह तुम्हारा चचा हमारा इंतजार कर रहा होगा। तुम सब लोग दरोगा लोगों से ही ठीक होते हो।"

श्री अध्यक्ष—मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि बिल के ऊपर आप नहीं आ रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अब आया, अध्यक्ष महोदय, यह इसलिये कह रहा था कि एक साल के बाद मौक़ा मिलेगा। मुझे कोई काम रोको प्रस्ताव न लाना पड़े इसलिये कह रहा था।

श्री अध्यक्ष—तो मैं क्या उम्मीद करूं कि साल भर तक कोई नहीं आयेगा?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—वहां के बहुत क़िस्से ही क़िस्से हैं। मैं कहां तक वर्णन करूं इस बारे में। वहां की लड़कियों के ऊपर जो बलात्कार पुलिस वालों ने किये हैं उससे

तो यह मालूम होता है कि हमारे प्रान्त में अराजकता के अलावा कोई चीज़ नहीं है। इसका इलाज इससे नहीं होगा कि एक पुलिस आफ़िसर दूसरी जगह बदल दिया जाय। मैं तो माननीय गृह मंत्री से यह कहूंगा कि वहां के सारे पुलिस आफ़िसरों को बनारस में ले जाकर रख दें, ताकि पुलिस का जो व्यवहार है उससे बनारस की जनता भी कुछ फ़ायदा उठा सके और हमारे विरोधी दल के नेता भी उससे कुछ फायदा उठा सकें क्योंकि आप भी बनारस के रहने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब बिल पर आ रहा हूं कि रुपया किस तरह से ख़र्च किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी सदन में यह बतलाया था कि हमारे यहां जो दो बड़े-बड़े उद्योग धंधे हैं, एक प्रिसेशन इन्स्ट्रूमेंट्स फ़ैक्टरी और दूसरे सीमेंट फ़ैक्टरी, उन पर रुपया किस तरह से खर्च किया जा रहा है उस पर भी हमें ध्यान रखना है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अवश्य प्रार्थना करूंगा कि वे इसकी जांच अवश्य करें, इस की देख-रेख अवश्य रखें। सिर्फ प्रेस्टिज के लिये ही वे बराबर इन बड़ी फैक्टरीज को आगे चालू करने की कोशिश न करें। उस दिन माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा था कि उड़ीसा की फैक्टरी में सीमेंट बन रही है और वहां जो सीमेंट बन रही है उससे तो हम बहुत बढ़िया सीमेंट बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सीमेंट फैक्टरी जो उड़ीसा में है, उसकी सारी सीमेंट हीरा कुंड डाम में जो कि हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा डाम है उसी में लग रही है। उड़ीसा की सीमेंट फैक्टरी के खड़े होने में एक साल लगा, लेकिन हमारी मिर्जापुर की सीमेंट फैक्टरी को तैयार होने में ४ साल हो गये, लेकिन अभी तक वह तैयार नहीं हो पायी है और मुझे विश्वास है कि वैसे तो कोई भी फैक्टरी हो, अगर करोड़ों रुपये उस पर खर्च किये जायें और कई साल का टाइम लगाया जाय तो कोई न कोई फैक्टरी खड़ी हो ही जायगी। अध्यक्ष महोदय, क्या यह हमारे प्रान्त के लिये कोई गौरव की बात है?

इसके अलावा एक और चीज़ है जिस पर रुपया बिना पूछे हुए, बिना लोगों की राय लिये हुए बुरी तरह खर्च किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यही लखनऊ में म्यूजियम पर विचार किया जाय तो वहां के क्यूरेटर साहब ने जहांगीर के घड़े के नाम से दो चांदी के घड़े यहीं पर ख़रीद लिये हैं। अगर जांच की जाय तो मालूम होगा कि इस फेंट पेंटिंग में कोई सत्यता नहीं है। वही घड़ा यहां पर बाज़ार में एक-एक हज़ार रुपये में मिल सकता है। लेकिन क्यूरेटर साहब ने मन-मानी करके जहांगीर के घड़े के नाम से दोनों घड़े १० हज़ार रुपये में ख़रीदे हैं। तो इस तरह से जो भी खर्चा हो वह ठीक तरह से हो, इसकी देख-रेख अवश्य होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपने जो कल सवा बजे तक ख़त्म करने की बात कही थी, उसी हिसाब से बोलें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट और एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स की कुछ बातें मैं इस सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं पढ़ना चाहता हूं। सब से पहले तो अध्यक्ष महोदय, हमारे जंगलात विभाग में ठेके के सिलसिले में जो गड़बड़ी हुई है उसकी कुछ बातें आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं।

"पहली मद जिस पर समिति ने विचार किया, वन विभाग के संबंध में थी। सन् १९२२ ई० में सरकार ने एक फर्म के साथ खैर के पेड़ों की बिक्री के लिये २५ साल की अवधि के लिये एक इकरारनामा लिखा था। इकरारनामे कि शर्तों में यह निर्दिष्ट था कि सरकार उक्त फर्म के हाथ प्रति वर्ष निश्चित न्यूनतम मोटाई वाले १६,००० खैर के पेड़ ३ रु० प्रति पेड़ के हिसाब से बेचेगी और जब फर्म का शुद्ध मुनाफा १२ प्रतिशत से अधिक होगा तो सरकार को उसमें से हिस्सा मिलेगा। ठेके की अवधि में इन दरों और शर्तों के संशोधन के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरे लोगों के हाथ खैर के पेड़ बेचने से औसत मूल्य सरकार को मिला वह ठेके की दर अर्थात् ३ रुपया प्रति पेड़ से कई गुना अधिक था और १९४३-४४ के अन्त तक सरकार को जो हानि हुई वह हिसाब लगाने पर २७ लाख रुपये से अधिक आती है।"

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—यह किस साल की रिपोर्ट है?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—यह लास्ट इयर की रिपोर्ट है। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की आखिरी रिपोर्ट जो सदन के सामने रखी गयी है उसी से मैं पढ़ रहा हूं। तो इस तरह से २७ लाख रुपया हमारे फारेस्ट डिपार्टमेंट का नुक्सान हुआ। इस पर कमेटी की यह राय थी "समिति ने यह विचार प्रकट किया कि जहां तक संभव हो सरकार की ओर से दिये गये या लिखे गये ठेके या इकरारनामे अल्प अवधि के लिये होने चाहिये और उनमें यह शर्त होनी चाहिये कि यदि सरकार आवश्यक समझे तो वह ठेके की दरों में संशोधन कर सकती है।"

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, लिखा गया है कि "भविष्य में पथ-प्रदर्शन के लिये समिति के विचार नोट कर लिये गये हैं"। ये विचार बराबर नोट कर लिये जाते हैं, लिख लिये जाते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब भी इस किस्म के एग्रीमेंट्स कर लिये जाते हैं जो सालों के होते हैं जिससे हमारे सूबे को इस चक्कर में काफी रुपये का नुक्सान होता है। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, जो रुपया विविध अनुदानों के लिये मांग लिया जाता है वह पूरा खर्च नहीं किया जाता। जन-स्वास्थ्य विभाग को ही ले लीजिये। हम चाहते हैं कि इस विभाग में ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च हो, दवाइयों में ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च किया जाय लेकिन उसकी हालत यह है—

"जन-स्वास्थ्य बजट के उपशीर्षक 'घ' ग्रामोत्थान योजनाओं के अन्तर्गत १,६८,५०० रुपये की मूल नियत धनराशि में से केवल ६५,०७४ रु० की धनराशि उद्योग में लायी गयी और ८३,९२६ रुपया की जो बचत हुई वह समर्पित नहीं की जा सकी।"

जो भी रुपया किसी कार्य के लिये रखा जाता है वह पूरा उस कार्य के लिये खर्च नहीं किया जाता जिसके बारे में कमेटी का यह कहना है कि—

"समिति ने यह महसूस किया कि इस उपशीर्षक से किये जाने वाले व्यय पर नियंत्रण शिथिल रहा।"

इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य के लिये ऐसा होता है कि अलग-अलग विभागों में बिल्डिंग्स बनती हैं और अलग-अलग विभाग अपनी-अपनी बिल्डिंग्स अपने आप बनाते हैं। इसके बारे में कमेटी यह महसूस करती है कि अलग-अलग विभाग अपनी-अपनी बिल्डिंग्स पूरी नहीं कर पाते इसलिये वह रुपया बच जाता है। अतः उसका इंतजाम पी० डब्लू० डी० के जरिये से ही होना चाहिये, चाहे बिल्डिंग्स किसी भी डिपार्टमेंट की हों।

इस प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग में ही एक रक़म १३,२४,४०० रुपया की रखी गयी है जिसमें से केवल ६,६४,४१८ रुपया खर्च किया गया है और आधी रक़म बिना उपयोग में लायी हुई बच गयी।

इसी प्रकार से कृषि-विभाग के बारे में समिति लिखती है कि "समिति को यह सूचित किया गया कि १.७ लाख मूल्य की बेकार सामग्रियां पहले ही बेची जा चुकी थीं और ४.८ लाख रुपये की बेकार तथा फालतू सामग्रियां शेष रह गयी थीं"। इससे विभाग को नुक्सान हुआ इसलिये इसका भी आयन्दा ध्यान रखना चाहिये कि बची हुई वस्तुयें शीघ्र और ऊंचे से ऊंचे दामों पर बेची जायं।

श्री अध्यक्ष—इस बिल के संबंध में आप के बोलने का जो दौर रहा है उस के बारे में मुझे यह कहना है कि एप्रोप्रियेशन बिल्स के बारे में स्पीकर के अधिकार सुरक्षित हैं, यथा—

"The speaker may suspend the operation of any rule for the timely passing of such bills".

इसलिये आप इस पर अपनी नजर रक्खें कि औरों को भी बोलना है, यह न हो कि आप ही बोलते रहें और दूसरों को बोलने का मौक़ा न मिल सके।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं क़रीब-क़रीब ख़त्म ही कर रहा हूं। ये तो मैंने थोड़ी सी अनियमिततायें बतलाईं, जो रुपये को खर्च करने में विभागों की ओर से की जाती हैं और जिनको मैं माननीय सदन के सदस्यों के सामने रखना चाहता था। अगर उसके ऊपर पूरे तौर पर टीका टिप्पणी की जाय तो एक बहुत लम्बी चौड़ी चीज़ हो जाय। माननीय वित्त मंत्री जी से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि हम उनका साथ देने को तैयार हैं और हम चाहेंगे कि उनके विभाग से यह आदेश सब विभागों को चले जायं कि जितना रुपया मंजूर किया जाता है वह सिर्फ़ दिखलाने के लिये ही नहीं है उसको पूरी-पूरी तरह उन योजनाओं में खर्च किया जाय जो उनके लिये बनाई गई हैं। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष इस सदन को यह मौक़ा न होगा कि वह ऐसी शिकायत फिर कर सके और जो भी रुपया यह सदन मंजूर करे उसको इस प्रान्त के लोगों की भलाई के लिये खर्च किया जाय। अब बहुत अधिक न कह कर मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह आशा करूंगा कि वह यह न समझें कि हम जो क्रिटिसिज्म करते हैं वह केवल क्रिटिसिज्म के लिये ही करते हैं। यदि हम क्रिटिसिज्म न करें तो उनकी हुकूमत ठीक तरह से नहीं चल सकती है। हम कभी भी ग़लत तरीक़े से क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते हैं। हम वही कहते हैं जिससे हम समझते हैं कि प्रान्त का भला होगा। जहां तक ऐड-मिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ है हम उस पर उतने हावी नहीं हो सकते हैं जितने कि वित्त मंत्री जी। उनको तो पुराना २६ साल का तजुर्बा है। हम लोग तो नये-नये हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो आंकड़ों को ग़लती बजट में बतलाई, १० लाख रुपये वाली बात शिक्षा के संबंध में उसको मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। इसलिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसे ग़लत आंकड़े हम लोगों को न बतलायें। हम तो इस सदन में बिल्कुल नये हैं। हम तो उन्हीं को अथारिटी समझते हैं। कल ही एक माननीय मंत्री ने कह दिया कि बजट ग़लत है क्योंकि उनके आंकड़े उससे नहीं मिलते हैं। लेकिन यह तो ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है। सबको सोच समझकर यहां आना चाहिये। माननीय मंत्री जी को पढ़कर यहां आना चाहिये। हमें भी उस में टीका टिप्पणी करनी होती है। हम भी पढ़कर आते हैं और खास कर हमारे माननीय नारायणदत्त जी तो उसकी छानबीन कर डालते हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझूंगा कि माननीय मंत्री जी हमारे बुजुर्ग हैं वह यह न समझें कि मैं कोई द्वेष, भाव से यह कह रहा हूं। हमारे प्रान्त का ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो, हमारा प्रान्त सचमुच कल्याणकारी हो, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उस ओर इस प्रान्त की जनता को ले जायंगे।

श्री पहलवान सिंह चौधरी (जिला बांदा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र उपाध्याय जी ने मेरा नाम लिया है.........

श्री अध्यक्ष--आपका नाम मैंने नहीं लिया है। आप कृपा कर के बैठ जायं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चन्द बातें भवन के सामने कहना चाहता हूं जब कि हम लोग..........

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि बहुत से लोग बोलना चाहते हैं इसलिये दस मिनट से अधिक समय कोई न ले।

राजा वीरेन्द्रशाह--श्रीमन्, मुझे यह अर्ज करना है कि सरकार को बजट पास करा कर यह समझ लेना चाहिये कि सरकार आज विरोधी दल की कोई बात न मानकर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर देश या प्रान्त के निर्माण के लिये वह इतना बड़ा बजट और इतना बड़ा खर्चा मंजूर करवा रही है, तो मैं सरकार को आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर बहुत अधिक है। इसलिये और अधिक है कि आपने कोई भी विचार या कोई भी सुधार जो विरोधी दल की तरफ से भवन में पेश किया गया उसको नहीं माना। सरकार को मालूम होना चाहिये कि इससे सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

[राजा वीरेन्द्र शाह]

ऐसी हालत में जब कि हमारा प्रान्त और देश एक असाधारण स्थिति में से गुज़र रहा है उस समय इतनी बड़ी रक़म का खर्च करना कोई असाधारण या मामूली चीज़ नहीं है। अगर हमारी जनता का एक भी पैसा फिज़ूल खर्च होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी इसलिये होगी कि वह इतने बहुमत से आई है और बजट में बगैर एक नुक़ता लगाए हुये उसे पास करवा लेती है। श्रीमन्, मैं आपके ज़रिये सरकार को याद दिला देना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में दो एक करों का ज़िक्र किया था। मैं अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि इतने बड़े बजट में इतनी बड़ी रक़म आप पास करवा रहे हैं और मंत्री ने आज एक सूचना दी है कि ३ करोड़ ३० लाख रुपया उसे नहर रेट को बढ़ा कर और किसानों पर कर लगा कर मिलेगा और उससे वह विकास कार्य की पूर्ति करेगी। तो मैं श्रीमन्, आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि इतने बड़े बजट में ३ करोड़ ३० लाख रुपया तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके लिये उचित नहीं है कि आप उन पर टैक्स लगायें, उनको परेशान करें, जो खुद इस बात। परेशान हैं। मैं मानता हूं कि इस वक्त गल्ले के रेट की वजह से सरकार यह कह सकती है कि नहर रेट कम है लिहाजा यह नहर का रेट बढ़ा दिया जाय। ३ करोड़ ३० लाख रुपये की रक़म जो कि हमारे मंत्री जी ने तजवीज की है आगे से नहर रेट बढ़ाकर किसानों पर लगायेंगे। मैं उसके लिये अदब से कहना चाहता हूं कि जिस तरह अपने भाषण में उन्होंने बतलाया कि सरकार ने पिछले साल यह टैक्स लगाना चाहा था, लेकिन वह न लगा सकी। सरकार को यह मालूम होना चाहिये कि जो रक़म किसानों से या ग़रीब जनता से वह इस टैक्स के रूप में लेगी वह ग़रीब किसान इतने परेशान हैं कि वह इस टैक्स को किसी तरह से अदा नहीं कर सकते। मैं अदब से सरकार को बतलाना चाहता हूं कि इतने बड़े बजट में ऐसी कोई रक़म नहीं मालूम होती जिससे आपकी कोई स्कीम रुक जाये। मैं समझता हूं कि इतने सदस्य जो यहां बैठे हुये हैं वह इस बात को समझेंगे कि इस टैक्स के लगाने से ग़रीब किसानों को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। श्रीमन् मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम लोगों को भय इसलिये है कि सरकार स्कीमें रखती है और स्कीमों पर खर्च भी होता है। जैसा कि हमारे बुन्देलखंड में फोरी डैम बनाया गया। तो श्रीमन्, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि एक स्कीम शुरू कर दी जाती है और उस पर काफी खर्च होने के बाद कहा जाता है कि इससे अच्छी दूसरी स्कीम निकल आयी है और उस स्कीम को बन्द किया जाता है और दूसरी स्कीम पर खर्च किया जाता है। तो श्रीमन्, मैं आपके ज़रिये से सरकार को बताना चाहता हूं कि अब ऐसा समय नहीं है कि इस रुपये को इस तरह बरबाद किया जाये। हमारे पास इन प्रयोग (एक्सपैरीमेंट्स) के लिये रुपये नहीं हैं। हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो गयी है कि हमें किस तरीके से किस चीज़ को चलाना है। ऐसे समय में उन्हीं स्कीमों को लिया जाये जिससे देश का फायदा हो। ऐसा न हो कि एक स्कीम को छोड़कर दूसरी स्कीम को चलाकर हम देश का रुपया बरबाद करें।

तीसरी चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सड़कों और अस्पतालों के लिये जो रक़म मंजूर हुई है और हम देखते हैं कि बहुत से रुपये मंजूर कर लिये जाते हैं, लेकिन वह ठीक तरह से खर्च नहीं होते या किसी और जगह पर खर्च कर लिये जाते हैं तो मैं सरकार से अदब से प्रार्थना करूंगा कि देहाती क्षेत्रों में जहां से सबसे ज्यादा टैक्स हमारे प्रान्त में आता है उसके ऊपर सरकार को अधिक से अधिक रुपया खर्च करना चाहिये। वहां के लिये जितने अस्पताल मंजूर हुये हैं उतने ही खोले जायं। वहां की सड़कों के बनाने के लिये सरकार को इजाज़त देनी चाहिये कि वहां की सड़कें अच्छी तरह से बनायी जायं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिये से सरकार को बतलाना चाहता हूं कि बहुत सी सड़कें ऐसी रह गयी हैं कि जो ज़िले के अन्दर हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार से ऊपर हैं। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि सरकार इस पर भी पुनर्विचार करेगी और तीन महीने के अन्दर या छः महीने के अन्दर यह देखेगी कि कहां पर खर्च होना चाहिये और कहां पर खर्च नहीं होना चाहिये। आप यह देखेंगे कि इस सप्लीमेंटरी बजट में कई रकमें ऐसी हैं, जो कि फिज़ूल ही खर्च की जा रही हैं। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बजट पास होने के यह माने नहीं हैं कि वह सभी रक़में खर्च की जायं जो कि बजट

में रखी जाती हैं। बजट के यह माने हैं कि जो रक़में हम मंज़ूर करते हैं उनको अच्छी तरह से ख़र्च किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से थोड़ा सा समय लेकर एप्रोप्रिएशन के सिद्धान्तों के बारे में निवेदन करूंगा। पिछले सालों से एप्रोप्रिएशन के बारे में बिल हमारे सामने आते रहे हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में कि आलोचनायें आडीटर जनरल या एकाउन्टेंट जनरल को करनी हैं, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। जो डिटेल्ड ग्रान्ट्स दी गयीं और जो डिस्बर्समेंट हुआ और उससे जो सेविंग हुई उनके ऊपर जब दृष्टिपात करते हैं तो उससे यह मालूम पड़ता है कि सेविंग के मामले में हमारे विभाग कितनी ग़लती करते हैं। पिछले चार साल से लगातार हमारे यहां सरकार एप्रोप्रियेशन में सेविंग करती चली आ रही है और उसकी संख्या पिछले सालों में इस तरह से रही कि --

वर्ष		रु०
१९४५-४६	..	९,८०१
१९४६-४७	..	१,६६,४९८
१९४७-४८	..	३,२२,७८५
१९४८-४९	..	१,०६,५०१
१९४९-५०	..	१,०३,२०८

इस प्रकार से यह बचत रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो डिपार्टमेंट डिस्बर्समेंट करते हैं तो उनके ऊपर ऐसा कंट्रोल होना चाहिये कि न तो उसमें कोई सेविंग हो और न उसमें एक्सेस ही आवे। एक मिसाल इसकी और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अनसरेण्डर्ड मनी के बारे में जब मैं देखता हूं तो जो विभाग बचत करते हैं वह सालों तक सरेण्डर नहीं करते हैं। जब ए० जी० के यहां से आब्जेक्शन होता है तो उसकी परवाह नहीं करते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि सरेण्डर एक्सेस भी हो जाता है। जितना बजट में रुपया नहीं दिया जाता है उससे ज्यादा वह सरेण्डर करते हैं। तो यह गम्भीर आरोप है कि बचत तो कम की जाय लेकिन समर्पण ज्यादा किया जाय। मिस्लेनियस चार्जेज़ में बचत तो ५९ लाख बताई गई है लेकिन सेरेन्डर जो रक़म की गयी वह ६८ लाख है। इसी प्रकार से कैपिटल आउट ले आन एग्रीकल्चरल स्कीम के लिये १७ लाख बचत बताई गयी लेकिन ५६ लाख सरेण्डर किया गया। इसी तरह से आउट ले आन सिविल वर्क्स नाट मेट फ्राम रेवेन्यू में ५७ लाख रुपये की बचत बतायी गयी और जो सरेण्डर किया गया वह १ करोड़ १९ लाख रुपया है। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिये।

एक बात और मैं रिएप्रोप्रियेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि बजटिंग के करते समय हमारे विभाग ज्यादा इस्टीमेट कर लेते हैं और उसमें भी किसी और मद के लिये वह एप्रोप्रियेशन कर लेते हैं या ऐसे एप्रोप्रियेशन को बनाते समय सही इस्टीमेट नहीं निकालते हैं और जिस अनुदान के लिये रुपया लिया गया है उसको दूसरे अनुदान में खर्च कर दिया जाता है। सप्लाई डिपार्टमेंट में १९ लाख रुपया रिएप्रोप्रियेशन किया गया लेकिन उस मांगे हुये अनुदान में उसी अनुदान को घटाकर दिखलाया गया कि ४ लाख रुपया किसी और अनुदान पर ख़र्च हुआ।

इसी प्रकार से मेडिकल परपज़ के लिये ग्रांट ली गयी और उसमें भी ऐसा ही किया गया। मुझे आशा है कि मंत्री जी भविष्य में इस प्रकार की गलतियों को न होने देने के लिये चेष्टा करेंगे।

एक और बात मैं बजटिंग के बारे में कहना चाहता हूं कि विनियोग में ३ करोड़ ३० लाख रेवेन्यू का एक स्पेशल फंड बनाकर उसको कैपिटल एक्सपेंडीचर में डाल दिया गया। इसको कैपिटल रेवेन्यू की लायबिलटी बना दिया गया। इससे वास्तविक जांच नहीं हो सकती है। किसी रक़म को कैपिटल एक्सपेंडीचर की लायबिलटी और किसी को कैपिटल रेविन्यू लायबिलटी बना देना ग़लत है। तो हमको फाइनेन्स की दृष्टि से इस के ऊपर दृष्टि रखनी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]
चाहिये। यह दोनों चीजें अलग-अलग हैं और अलग मदों के लिये ही वह धन स्वीकृत किया जाता है।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक एकाउण्ट कमेटी की रिपोर्ट, जो हमारे, सामने रखी जाय वह तब रखी जाय जब एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट की रिपोर्ट हमारे सामने आ जाय। अभी हमारे सामने पब्लिक एकाउण्ट कमेटी की रिपोर्ट रखी गयी थी लेकिन जिस रिपोर्ट की वह रिपोर्ट है वह हमारे सामने नहीं रखी गयी। अगर हमारे सामने एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट नहीं रहता है तो हम उसको अच्छी तरह से देख नहीं सकते हैं। इसलिये आइन्दा से ऐसा प्रबंध किया जाय कि एप्रोप्रियशन एकाउन्ट की रिपोर्ट भी हमको मिल जाय तब एकाउण्ट कमेटी की रिपोर्ट दी जाय। मुझे आशा है कि भविष्य में जो फाइनेन्स के सिद्धान्त हैं उनको हमारी सरकार के सब विभाग अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब स्पीकर साहब, मैं यह सोचता था कि इस बिल की बाबत जो कुछ कहा जायगा उसके जवाब में गवर्नमेंट को उस तरह की बातों की तरफ कोई ध्यान देने की जरूरत न होगी जो वक्तनफवक्तन सुनने में आती रहती हैं मगर मुझे अफसोस है कि जो बातें कही गईं वह उसी तरह की थीं और शायद मैं यह मुनासिब न समझूं कि उनका जवाब देने में इस सदन का वक्त लूं। एक बात यह कि २० दिन तक इस बजट की बहस हो, जैसे कि अब के हुई या इससे ज्यादा हो इसलिये कि अब तादाद मेम्बरान की बढ़ गई, और खर्च की रकम भी बढ़ गई है, इसलिये वक्त ज्यादा होना चाहिये यह एक बात कही गई। यह मामला कि बजट पर कितने दिन बहस हो कुछ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। जो रूल्स हैं वह इसी हाउस के बनाये हुये हैं यह सदन अपनी कमेटी बनाता है, उसके जरिये से रूल्स बनते हैं, कमेटी की रिपोर्ट पेश होती है, यहां पास होती है, और उसमें कोई खास दखल गवर्नमेंट का नहीं होता और उन्हीं रूल्स के मुताबिक कार्यवाही होती है। तो जहां तक वक्त के काफी होने का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि जो इस वक्त का तजुर्बा है और जितनी तकरीरें पिछले साल और इस साल बजट के जनरल डिस्कशन में हो सकीं और जिन ग्रांट्स पर बहस हुई उनमें जितनी तकरीरें इस एवान में हो सकीं उनको देखने से मैं तो यह राय कायम करने से मजबूर हूं कि वक्त काफी नहीं है। इसके अलावा एवान के हाथ फिर भी खुले हुये हैं और इस मामले में खासतौर से गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट या मजबूरी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि एक साहब ने जो शायद अलमोड़े के मेम्बर हैं अपनी तकरीर में एक बिलकुल दूर उफतादा बात जिसका कोई भी वास्ता आज नहीं था हालांकि उसका जवाब दिया जा चुका था, लेकिन चूंकि उसके कहने की मन्शा किसी गलतफहमी को पैदा करना हो सकता है इसलिये मैं मजबूरन उसकी तरफ दोबारा चन्द लफ्जों में इशारा किया चाहता हूं। अभी एक दस करोड़ रुपये की रकम की तजवीज थी और तकरीर में मुझे कुछ हिदायत थी कि मैं ऐसा न किया करूं, तो मैं इस किस्म की हिदायत के लिये शुक्रिया अदा करूं, अगर वह कहते हैं तो न किया करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी गलत कोशिश करने से बचता रहूं। जब किसी के पास एतराज करने का मवाद न हो और वह चाहता हो कि कोई न कोई बात कह दूं तो जो कुछ वह कहता है अच्छे टेस्ट

म नहीं होता और उसका वह असर भी नहीं होता, जो तकरीर करने वाले चाह रहे थे कि हम उस आलोचना को औरों की आलोचनाओं की रोशनी में लें। दस लाख रुपये की बात यह थी कि मैंने बतलाया था कि यह जो कहा जा रहा है कि एजूकेशन में सिर्फ इतना ही रुपया दिया गया है, तो दस लाख रुपये की रकम और है, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये रखी हुई थी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये जो १२ लाख रुपये की रकम थी उसके अन्दर यह रकम थी। वह तो मेरे दोस्त बस्ती के इधर से, मेरे कांग्रेस के भाई हैं, तकरीर कर रहे थे। उनको मैंने बतलाया था। वह इस खयाल में थे कि जितना रुपया उस जगह था बस उतना ही रुपया दिया गया है। मैंने उनको बतलाया कि नहीं, वह इतना रुपया दूसरी जगह भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये मौजूद है। मुझे मालूम नहीं कि क्या मैंने धोखा दिया, क्या फरेब किया, क्या गलती की, किस तरह से बजट के खिलाफ बात हो गयी। बहरहाल जो कुछ भी हो, मैं एक बात को मानने के लिये तैयार हूं और मानने के लिये तैयार ही नहीं हूं बल्कि मैं यह यकीन दिलाता हूं कि मैं हमेशा उसको एक बहुत ही जरूरी बात समझता हूं और वह यह कि वह तो लफ्ज ही इस्तेमाल किये जाते हैं हमारे गाढ़े पसीने की कमाई का पैसा, मैं उसको उलट करके कहता हूं कि गाढ़े पसीने की कमाई तो दूर रही अगर आपके पास से मुफ्त आया हुआ पैसा भी गवर्नमेन्ट लेती है तो गवर्नमेंट का फर्ज है कि उसको जायज तरीके पर खर्च करे, गवर्नमेंट उसको जाया नहीं होने देगी, उसमें किसी किस्म का नुक्सान नहीं होने देगी। मैं इसको मानता हूं और जिसने भी जिस नीयत से मशविरा दिया, आदमी मुख्तलिफ नीयतों से देखता है। कभी किसी आदमी को नुक्सान पहुंचाने की गरज से नेक मशविरा दिया जाता है, कभी फायदा पहुंचाने की गरज से मशविरा दिया जाता है। मगर बहरहाल अगर कोई चीज नेक हो तो मैं उसको नेक समझूंगा और जिसके मुंह से निकलेगी मैं यह नहीं देखूंगा कि वह आदमी कौन है। उस आदमी के ऊपर मुझको कहां तक जाना चाहिये मैं यह देखूंगा कि वह बात क्या है जो कही गयी है। लिहाजा इस बात को सुन कर मैं इसके मानने को बिलकुल तैयार हूं कि गलती करना ओवरबजेटिंग करना, अंडरबजेटिंग करना, रुपया रख कर बचा लेना, रुपया गलत खर्च करना, यह सब बातें गलत हैं, यह नहीं होनी चाहिये, और इस बात की पूरी कोशिश गवर्नमेंट करे, करती है, और करती रहेगी कि ऐसा न हो। मगर हां, इस सिलसिले में मैं एक बात हाउस के कंसीडरेशन के लिये अर्ज कर दूं। यह ऐप्रोप्रिएशन रिपोर्ट, यह आडिट रिपोर्ट, यह पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट क्या यह दुनिया का सिलसिला खत्म हो जायगा ? क्या वह कोई दिन आयेगा जब कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जरूरत नहीं रहेगी। अगर यह हो जायगा कि कहीं किसी जगह पर, किसी इंसान से, किसी हिसाब करने वाले से और किसी खर्चा करने वाले से किसी जगह के ऊपर कोई गलती हो ही नहीं और उस एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट के तैयार होने का मौका ही न हो, किसी पब्लिक एकाउण्ट्स रिपोर्ट या आडिटर की रिपोर्ट में ऐतराज का मौका ही न रहे तो इन आडिटर साहबान की क्या जरूरत होगी, उस मुहकमे की क्या जरूरत होगी। जब आदमी इतना फरिश्ता बन जायगा। यह तो सिलसिला बराबर जारी रहेगा और म आज कितनी ही कोशिश करूं कि अच्छा से अच्छा काम यहां पर कर दूं, लेकिन मेरे दोस्त के हाथ से न वह किताब जायगी और न उसके मिस इंटरप्रिटेशन से वह जायंगे। यह तो जारी रहेगा। आदमी हमेशा कोशिश करता है, और बराबर कोशिश की जायगी।

एक दोस्त ने फरमाया कि साहब पहले कहा था कि डेवलपमेंट लेवी लगायेंगे और फिर नहीं लगाया। अब के कहा है कि इर्रीगेशन रेट्स बढ़ायेंगे, अब वह मशविरा देते हैं कि उसके ऊपर अमल न किया जाय। वह तो मैंने उनके मशविरे से किया नहीं था कि उनके मशविरे से डेवलेपमेंट लेवी वापस ले ली हो। उसमें तो मैं यह देखूंगा कि जिस काम के लिये पैसे की जरूरत है अगर वह काम चल सकता है तो इस पैसे को क्यों लूंगा। अगर मुझ पर कोई तकाजा भी करते कि साहब इर्रीगेशन रेट्स जो बढ़े हैं उन्हें

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

तो जरूर बढ़ाना चाहिये और वसूल करना है और मैं तजुर्बे से यह मालूम करता कि मुझे इनके बढ़ाने की जरूरत नहीं है तो मैं तब भी यह करता और अब भी यही करूंगा और उसी जरूरत से गाइड होऊंगा कि जितना रुपया इस स्टेट को खर्च करने के लिये चाहिये है और उसको लेना जरूरी है तो जरूर लिया जायगा। अगर नहीं जरूरी है तो नहीं लिया जायगा। इसलिये उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो उस मशविरे की कोई खास जरूरत ऐसी नहीं है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मशविरा नेक है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वह मशविरा नेक देने वालों के लिये होगा, लेकिन अगर मैं यहां पर कोई लफ्ज इस्तेमाल कर दूं तो मुमकिन है कि वह गलत हो और चेयरमैन साहब कह दें कि यह अनपार्लियामेंटरी लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है। लिहाजा लफ्ज पर बहस करने के लिये इस वक्त मौका नहीं है। वरना वैसे तो, हर चे अज दोस्त भी रसद नेकोस्त, मेरे दोस्त मेरे सामने बैठे हैं। उनकी तरफ से जो मशविरा आयेगा वह नेक ही होगा और मैं उसे सर पर रखने के लिये हरदम तैयार हूं।

तो जो कुछ भी हो इस बजट में और जैसा भी यह है वह तो काफी बहस किया जा चुका। एक-एक ग्रांट के ऊपर उसकी रकमें जो मुख्तलिफ हैं वह सब इस विधेयक में लिखी हुई हैं और उनका टोटल दिया हुआ है और उस रकम के खर्च करने की इस हाउस से इजाजत मांगी गयी है। उस इजाजत के मांगने में एक छोटी सी चीज और अर्ज करूंगा कि आप इसमें गलतियां जरूर देखिये और कौन लफ्ज गलत है वह भी देखिये, लेकिन एक बात मत पकड़िये और अगर उसके पकड़ने की नौबत आये तो मुझसे जरूर पूछ लीजियेगा। यानी कि अगर इस बजट में एक लाख रुपया हम रखें और ९० हजार उसमें से खर्च कर दें और १० हजार बच जाय, या उसमें से ८० हजार खर्च कराकर के उस काम को पूरा कर दें और २० हजार रुपया उसमें बच जाय। तो ऐसी सूरत में जब रकम हम बचायेंगे तो लैप्स तो फिर भी होगा। सिर्फ सामने यह आ जाय कि इतना रुपया लैप्स हो गया तो उसके तो काजेज होंगे, वजूह होंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि कब्ल इसके कि इस किस्म के एतराज उठायें जायं मुझ से जरूर तहकीक कर ली जाय और अगर तकलीफ करके मुझसे लैप्स की वजूह मालूम करना चाहें तो इस मौके पर मेरे लिये यह मुमकिन नहीं कि इस थोड़े से वक्त में उस तमाम मैटिरियल को यहां पढ़ कर सुना दूं। इसलिये मेरी मजबूरी है उन बातों को कहने में मैं बाद में उसका जवाब देकर मुतमैयन कर सकता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस दरख्वास्त पर अमल होगा और साथ ही मैं हाउस से भी इजाजत चाहूंगा कि इस बिल को पास करके गवर्नमेंट को उस रुपये को खर्च करने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल) पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५३-५४ के लिये २,२०,२३,२१,९०० रु० का दिया जाना।

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं के संबंध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग २,२०,२३,२१,९०० रु० (दो अरब, बीस करोड़ तेईस लाख, इक्कीस हजार, नौ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष---अब मेरे पास कई संशोधन इस विधेयक के बारे में आये हैं। मैं खंड के हिसाब से लेता चला जा रहा हूं क्योंकि अभी-अभी मेरे सामने ये आये हैं।

श्री नारायण दत्त जी का पहला संशोधन इस प्रकार है---

धारा २ की दूसरी पंक्ति में शब्द "समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर" के बाद शब्द "उत्तर प्रदेशीय सरकार के विभिन्न संबंधित विभागों व अधिकारियों को" जोड़ दिये जायं।

यह मैं अवैध करार देता हूं, इस दृष्टि से कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक है इसलिये क्योंकि इन रकमों को विभाग "अधिकारी" और "सरकार" यह सभी मिलकर ही खर्च करेंगे और उन्हीं को खर्च करना पड़ेगा। ये शब्द जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि "फलां को खर्च करने के लिये" इसलिये इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

दूसरा जो है धारा २ की पंक्ति में शब्द व अंक में "दी गई सेवाओं" के स्थान पर निम्न लिखा जाय---

"व ३ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों"

इसको वे कृपा करके पेश करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि धारा २ की पंक्ति २ में शब्द व अंक में "दी गई सेवाओं" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय---

"व ३ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों"

श्रीमन्, अगर इस धारा २ को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि "ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ मे दी हुई सेवाओं के सम्बन्ध में करने पड़े। इसमें स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं का जिक्र दिया हुआ है। जब हम स्तम्भ २ देखते हैं तो कालम २ में "सेवायें और प्रयोजन" शब्द रखे गये हैं, यानी "सर्विसेज" ही नहीं है, "सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज" भी शामिल हैं। इस धारा में "पर्पजेज" शब्द शामिल नहीं किया गया है। इसलिये धारा २ में सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज आना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात जरूरी यह है कि जब हम इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को देखते हैं, तो उसमें दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है---

"यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष" १९५३-५४ के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से हो सके।"

तो "राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों" यानी चार्जड जो ग्रांट्स हैं उनका कहीं जिक्र इस धारा २ में नहीं है। अगर हम शेड्यूल के कालम ३ को देखते हैं, तो उसमें दूसरा जो आइटम है वह "राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय" के संबंध में है। मेरे विचार में यदि इसको भी हम इस विधेयक में स्पष्ट कर दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। इस तरह सब बातें स्पष्ट हो जायंगी और धारा इस प्रकार हो जायगी---

"ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ व ३ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों के संबंध में करने पड़ें।"

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इससे इस विनियोग विधेयक का सारा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त आवश्यक है और इस बिना इस धारा का प्रयोजन ही अधूरा रह जाता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—आप संशोधन पूरा पढ़ करके सुना दीजिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—"व ३ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों ।"

श्री अध्यक्ष—इतना ही जोड़ा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसको जब मैं पूरा पढ़ूं, तब समझ में आयेगा।

श्री अध्यक्ष—पढ़िये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—"ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ व ३ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों के संबंध में करने पड़ें।"

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, आपकी अनुमति से इस संशोधन में थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं। मेरा अनुरोध है कि "नम्बर ३ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों" "प्रयोजनों", शब्द तो स्वीकार कर लिया जाय, उसके बाद "तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों" यह वाक्य अनावश्यक है। इसकी बार बार व्याख्या कर दी गयी है और इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि केवल "प्रयोजन" शब्द स्वीकार कर लिया जाय ।

मैं यह चाहता हूं कि नं० ३ में दी हुई सेवाओं तथा प्रयोजनों के संबंध में करने पड़ें, यह रहे "और तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों" यह निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—तो इसका मतलब यह है कि "३ में दी हुई सेवाओं" ये शब्द आने की जरूरत नहीं हैं? उसमें तो "२ में दी हुई सेवाओं" है और उनका कहना है "२ व ३ में दी हुई सेवाओं ।"

श्री परिपूर्णानन्द—मेरा निवेदन यह है कि २ में इन्होंने जो सेवाओं तथा प्रयोजनों रखा है, यहां तक तो स्वीकार कर लिया जाय, बाकी निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—इसका कारण तो बताइये ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मेरा, अनुरोध यह है कि यह ग्रांट्स यू० पी० सर्विसेज के लिये दी हुई हैं और इनका पूरा स्पष्टीकरण इस अनुसूची में दे दिया गया है। इसलिये कोई कारण नहीं है कि उसकी यहां पर पुनः व्याख्या की जाय। इसलिये यह वाक्य अप्रासांगिक और अनावश्यक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे आश्चर्य है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ऐसे वित्तवेत्ता ने मेरे इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया। आखिर, हम राज्य की संचित निधि पर भारित जो व्यय हैं उन्हें वोट से तो स्वीकार नहीं कर सकते पर विधान की धारा के अनुसार उन पर बहस हो सकती है और आम विवाद के समय ऐसी बहस हुई थी। एप्रोप्रियेशन बिल में अगर उसके वोट लेने की आवश्यकता न होती तो इसको शेड्यूल

३, कालम ३ में क्यों जोड़ा जाता ? ये भी सेवाओं और प्रयोजनों से संबंध रखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जैसे सामान्य प्रशासन के कारण व्यय में १० लाख ४२ हजार रुपया रखा गया हैं, जो काफी हैं और उनके कार्यों से संबंधित है, क्या यह प्रयोजन नहीं है ? फिर न्याय प्रशासन में जो २४ लाख रुपया रखा गया है, क्या यह प्रयोजन और सेवाओं से संबंधित नहीं है ? इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय के लिये २ लाख ८५ हजार रुपया, ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज ऋण को कम करना, और प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान बंध हैं जिसके लिये ८० करोड़ रुपया रखा है तो क्या यह सबसे बड़ा प्रयोजन, जो इस प्रांत की सरकार ने जमींदारी खत्म करने के सिलसिले में रखा हैं, क्या यह प्रयोजन नहीं है ? इसलिये इसे स्पष्ट न करना अन्ततः एक प्रकार से विधेयक को अधूरा करना है। इसलिये मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को पूर्णतया स्वीकार कर लें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं तो जो कुछ थोड़ा बहुत समझा उसकी बिना पर यह अर्ज करता हूं कि उस तरमीम के बाद इस तरमीम में जो उन्होंने बाकी रखा वह रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--मैं दोनों संशोधनों को अलग-अलग लेता हूं । पहले नारायणदत्त जी का लेता हूं। प्रश्न यह है कि धारा २ की पंक्ति ३ में शब्द व अंक में "दी गई सेवाओं" के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जाय:--

"व ३ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब मैं परिपूर्णानन्द जी ने जो संशोधन किया है उसे पेश करता हूं।

प्रश्न यह है कि धारा २ की पंक्ति ३ में शब्द व अंक "२ में दी हुई सेवाओं" के पश्चात् "और प्रयोजनों" ये शब्द जोड़ दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, क्या यह मेरे संशोधन में संशोधन था या उनका अपना ओरिजिनल संशोधन ?

श्री अध्यक्ष--मैंने इस तरह से पेश किया जिसमें लोगों की समझ में आ जाय, कहीं गड़बड़ी न हो जाय वोट देते वक्त । इसलिये मैंने अलग-अलग ले लिये ।

अब इसके बाद तीसरा संशोधन माननीय नारायणदत्त जी का है, चौथा भी है और पांचवां भी है और मदनमोहन जी और राजनारायण जी का हैं। जो एक प्रकार के ही हैं । तीसरा संशोधन इस प्रकार है --

"पर प्रतिबन्ध यह है कि इतने रुपये को या उसके किसी भाग को निकालने और काम में लाने के संबंध में संबंधित विभाग और अधिकारी उन सभी निर्देशों का पूर्णतया पालन करेंगे जिन्हें समय-समय पर उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षा रिपोर्टों और उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति ने निर्णय तथा इंगित किया है ।" यह इस विधेयक से मेल नहीं खाता। विधेयक केवल रुपये के लिये इजाजत देने वाला है। अब इसका किस तरह से खर्चा होगा यह रूल्स वगैरह इसमें ले आना ठीक नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं थोड़े में बतला दूं।

श्री अध्यक्ष—यह इतना स्पष्ट है कि उसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं एक के लिये कुछ समय दे दूंगा उस समय आप बतला दीजियेगा । इसके बाद का संशोधन इस प्रकार है—

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि उपर्युक्त रकम की पूर्ति के लिये किसानों पर तथा अन्य गरीब जनता पर किसी भी प्रकार का नया कर भार नहीं बढ़ाया जायगा और सिंचाई की नहर रेट आधा कर दी जायगी ।"

यह भी उसी प्रकार मेल नहीं खाता । अब उसके बाद का संशोधन इस प्रकार है—

"किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त रक़म की पूर्ति के लिये किसानों पर तथा अन्य गरीब जनता पर किसी भी प्रकार का नया कर भार नहीं बढ़ाया जायगा।"

यह भी उसी प्रकार मेल नहीं खाता है और इसमें स्पष्ट यह भी आपत्ति है कि कोई भी कर जब बढ़ाया जाता है तो बग़ैर सदन की मर्जी के नहीं बढ़ाया जाता है। तो किसी दूसरे विधेयक के द्वारा हमेशा के लिये सदन के लिये रुकावट पैदा करना कि वह कर नहीं लगा सकता कुछ अनुचित सा होगा। तो इस तरह मैंने तीनों को अवैधानिक करार दे दिया। लेकिन मैं थोड़ी सी इजाजत देता हूं माननीय नारायणदत्त तिवारी जी को कि संशोधन नंबर ३ जो आपने रखा यह किस प्रयोजन से रखा है यह आप बता दें। "अधिकारी इन सभी के निर्देश का पूर्णतया पालन करेंगे" इन बातों का संबंध आप विधेयक से कैसे जोड़ते हैं? दो, तीन मिनट में ही आपको जो कुछ कहना है वह कह दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पहले मैं संशोधन रख दूं ?

श्री अध्यक्ष—संशोधन रखने की तो बात ही नहीं है, उसको तो मैं असंगत समझ रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं श्रीमन् इसलिये इसको संगत समझता हूं क्योंकि पिछले वर्षों में भी इस प्रकार के विनियोग विधेयक आये थे और उनके अनुसार राज्य के विभागों को रुपया निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया था और तीसरी धारा में विनियोग विधेयक की हमेशा यह बतलाया गया था कि यह निकालने और काम में लाने का अधिकार उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं। तो इस संबंध में विभागों में एप्रोप्रिएशन और रिएप्रोप्रिएशन के संबंध में जो नियम बने हैं इस धारा की भावना के अनुसार उनका कोई भी लाभ नहीं। इस संबंध में मैं आडिट रिपोर्ट और पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी में जो एकाउण्टेण्ट जनरल साहब ने स्टेटमेंट दिया उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह तो स्पष्ट बात है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन करने में कोई गलती भी हो तो इस लिए इस विधेयक में यह चीज आ जानी चाहिये इसका क्या तुक है यह स्पष्ट नहीं है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो विधेयक में लाने के लिये संगत इस प्रकार है कि इसके विधेयक में आने से यह हो जायगा कि आडिट रिपोर्ट में एकाउण्टेण्ट जनरल द्वारा जो बार-बार चेतावनी दी जाती है और पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी जो इस सदन की है वह बार-बार आलोचना करती है कि इस प्रकार खर्च नहीं होने चाहिये उसको ध्यान में रक्खा जायगा, ताकि महालेखापाल को इस बात की शिकायत न हो कि यह कंट्रोल रखने के अधिकार का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं कि कहां व्यय हो रहा है। कोई उनकी चेतावनी का ध्यान नहीं रखता। बार-बार चेतावनी दी गई, बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन सरकार ने उनकी राय पर कोई अमल नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--लेकिन यहां पर यह संगत नहीं बैठता। पहले जितनी त्रुटियां इन्तजाम में हुई हैं उनको दूर करना इसमें संभव नहीं है। इसके लिये तो दूसरा ही विधेयक लाना पड़ेगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता था और वह यह कि वित्त मंत्री जी ने अपने संभाषण में यह बताया था कि सिंचाई के रेट्स में डेढ़ गुनी वृद्धि कर दी गयी है लेकिन जब मैं नियमावली को पढ़ता हूं तो उसमें केवल यह दिया हुआ है

"Have the effcet of varying the amount or altering the destination of any grant made.

[जिसका किसी अनुदान की धनराशि को बदलने या उसके उद्देश्य में परिवर्तन लाने का प्रभाव हो।]

ऐसा ही हम नहीं कर सकते लेकिन अगर हम कोई ऐसा संशोधन पेश करते हैं, जो अन्य विधेयकों में हो सकता है तो वह लिया जाना चाहिये क्योंकि वित्त मंत्री जी ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी है कि नहर के रेट्स डेढ़ गुने होंगे। इसलिये कम से कम उतना अंश जो इससे संबंधित है वह रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--सदन को सब अधिकार हैं अगर कोई भी मंत्री या वित्त मंत्री कोई टैक्स का रेट तय करें तो उनको वह काट दे, और इसके लिये मंत्रियों को बाध्य होना पड़ेगा लेकिन इस विधेयक के सिलसिले में इसका कोई तुक नहीं मिलता। भवन के नियम के उक्त प्राविजनों में जो दिया गया है वह उन नियमों के अलावा है जो कि साधारण अवस्था में संशोधन पेश करने के नियम हैं। यानी एप्रोप्रियेशन बिल में ऐसे संशोधन भी नहीं होंगे। संशोधन के जो नियम हैं उनमें ३,४ बातें बताई गयी हैं। नियम १७७ इस प्रकार है--

"177 (i) An amendment must be relevant to the subject matter of the motion to which it is proposed."

["१७७(१) प्रत्येक संशोधन उस प्रस्ताव के विषय से सुसंगत होना चाहिये जिस पर वह प्रस्थापित किया जाय।]

इसके बाद पांचवीं उपधारा इस प्रकार है--

"(5) The Speaker may at any stage disallow an amendment or refuse to put an amendment which is in his opinion frivolous.,,

[अध्यक्ष किसी प्रक्रम में किसी संशोधन को, जो उसकी राय में निरर्थक हो, अननुज्ञापित कर सकता है या उस पर मत लेना अस्वीकार कर सकता है।]

यानी व्यर्थ या अनावश्यक न होना चाहिये। वैसे तो ये प्रतिबन्ध ही लागू होने चाहिये लेकिन मैं इसको सब्जेक्ट मैटर की दृष्टि से भी रेलेवेंट नहीं समझता, इसलिये इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

योग। ३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ की पहली पंक्ति में से एक शब्द 'जिन' और दूसरी पंक्ति में से एक शब्द 'उन' निकाल दिया जाय। यह एक शाब्दिक संशोधन है, जो धारा की सुन्दरता को बढ़ा देता है।

श्रीमन्, खंड ३ इस प्रकार है--

"३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।"

इसमें शब्द "जिन जिन" और "उन उन" रखे गये हैं जो इससे पहले किसी विधेयक में नहीं रखे गये। मैंने इससे पहले जो अनुपूरक विधेयक पास हो चुके हैं उनको पढ़ने की चेष्टा की लेकिन उनमें भी केवल शब्द 'जिन' और 'उन' का प्रयोग हुआ है। इसलिये मैं चाहता हूं कि ये निरर्थक शब्द निकाल दिये जायं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मान्यवर, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया है, आपकी अनुमति से मैं उसका विरोध करता हूं। इसका कारण श्रीमन्, स्पष्ट है और वह यह है कि उन-उन धनराशियों का जो ऊपर के वाक्य में आया है, कहा गया है। जिन-जिन नहीं आया है। इसलिये वह माननीय नारायण दत्त जी को खटक तो रहा है लेकिन मुझे खेद है वह ठीक नहीं जंचता और इन शब्दों का अपनी जगह पर रहना आवश्यक है अन्यथा स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, माननीय परिपूर्णानन्द जी अगर अंग्रेजी का अनुवाद पढ़े होते तो शायद मेरी बात उनकी समझ में आ सकती।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मैंने पढ़ा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अगर वे अंग्रेजी में ह्विच ह्विच, और ह्वाट ह्वाट, इस प्रकार की शब्दावली के इस्तेमाल करने के आदी रहे हों तो मैं नहीं कह सकता अगर इंगलिश में ह्विच ह्विच और ह्वाट ह्वाट नहीं लिखा जाता तो जिन-जिन और उन-उन लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बात को तो वे भी समझते होंगे इसलिये मैं इस संबंध में विशेष नहीं कह सकता।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, अगर ह्विच ह्विच और ह्वाट ह्वाट की बात होती तो मैं उस अमेंडमेंट को जरूर मान लेता, लेकिन ऐसा है नहीं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ३ की प्रथम पंक्ति में से शब्द "जिन" और दूसरी पंक्ति में से शब्द "उन" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धारा ३ में यह संशोधन करना चाहता हूं ।

"इस अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में 'साधारणतया' उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं। इसके आगे इतना और जोड़ दिया जाय।"

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि सर्व श्री पंडित गोविन्द वल्लभ पंत......

श्री अध्यक्ष--यह तो आपने मेरे पास नहीं भेजा है ?

श्री मदन मोहन उपाध्याय--मैंने दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। यह तो दूसरा है। यह आपका संशोधन नहीं था। वह अलग से संशोधन आया था। इसमें इतना है कि शब्द, साधारणतया' जोड़ दिया जाय और प्रतिबन्ध क बाद में स्वतंत्रत रूप में आयेगा ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--तो श्रीमन् यह शब्द 'साधारणतया' जोड़ दिया जाय। इस संबंध में मुझे बहुत अधिक नहीं कहना है। अगर इस 'साधारणतया' शब्द के जोड़ने में इस सदन को कोई शक हो तो श्री जयराम वर्मा और श्री श्रीचन्द से भी इस संबंध में राय ले ली जाय कि यह ठीक है कि नहीं।

श्री अध्यक्ष--उनकी जगह श्री परिपूर्णानन्द जी बतलायेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मान्यवर, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ कि आपने अन्त में क्या कहा।

श्री अध्यक्ष--संबंध के बाद 'साधारणतया' शब्द जोड़ दिया जाय। यही प्रश्न है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--श्रीमन्, यहां पर शब्द 'साधारणतया' की कोई आवश्यकता ही नहीं है। समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं। साधारणतया का अर्थ आर्डिनरिली होता है। तो यहां पर एक्स्ट्रा आर्डिनरिली की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--इनका मतलब यह है कि उन प्रयोजनों के अलावा गवर्नमेंट किसी विशेष अवस्था में खर्च कर सकती है, ऐसा अधिकार दे दिया जाय ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--श्रीमन्, यह भी ऐक्ट के नियम के विरुद्ध होगा ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत विभाग वाले एक मद की रकम दूसरे में खर्च कर देते हैं जो कि वे कर नहीं सकते। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका अधिकार दे दिया जाय कि जैसे अगर पुलिस का बजट हो तो वह दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर भी खर्च हो सके। इसलिये साधारणतया जो जिसके लिये वह रकम है उस पर तो खर्च होगा ही लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो दूसरे मद पर भी वह खर्च किया जा सके यह कानूनी अधिकार उनको दे दिया जाय। हमारे ही यहां एक सड़क का रुपया दूसरी सड़क पर खर्च किया गया है । इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर शब्द "साधारणतया" जोड़ दिया जाय ताकि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को कोई एतराज वगैरह करने का मौका न मिले।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ३ की पंक्ति ४ में शब्द 'संबंध' के आगे शब्द 'साधारणतया' जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं--

धारा ३ के अंत में 'के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं' के स्थान पर निम्न शब्द लिखे जायं--

"तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों के लिये ही किया जायगा, जो अनुसूची के स्तम्भ २ व ३ में दिये हुये हैं।"

जैसा अन्त में "उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं" में इसको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं यानी उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों के लिये ही किया जायगा जो अनुसूची के स्तम्भ दो व तीन में दिये हुये हैं। जैसा स्तम्भ दो और तीन का जिक्र धारा २ में किया गया है उसी प्रकार हम चाहते हैं कि स्तम्भ दो व तीन धारा तीन में भी लिख दिये जायं। वित्त मंत्री जी से पुनः मैं निवेदन करूंगा कि वह हमारे प्रयोजन को समझने की चेष्टा करें और धारा २ में दिये हुये स्तम्भ दो व तीन का इसमें भी जिक्र करना अत्यन्त आवश्यक है। जब तक इस शेड्यूल और कालम तीन का जिक्र इस धारा में नहीं आयेगा तब तक हम उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये खर्च नहीं कर पायेंगे जिनका जिक्र इस शेड्यूल में किया गया है क्योंकि शेड्यूल जो है वह इस विधेयक का एक अंग है और जब तक हम स्पष्टता नहीं बतलाते कि हमारी मंशा किस कालम से और किस अनुदान से है तब तक मैं समझता हूं कि धारा का रूप स्पष्ट नहीं हो पायेगा। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से माननीय वित्त मंत्री जी से दोबारा प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मुझे खेद है कि ऐसे सब संशोधन जो इस सदन के सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं उनसे स्पष्टतया यह प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों को एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके संबंध में कुछ नियम होते हैं।

श्री अध्यक्ष--शब्द 'माननीय सदस्यों' का अर्थ सब सदस्यों से होता है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मेरा अर्थ माननीय सदस्य से है। उनको कुछ जानकारी नहीं है इसलिये उन्होंने ऐसे दो तीन संशोधन उपस्थित किये इसके लिये कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। संविधान की धारा २०२, २०३ के अनुसार ग्रांट पेश होती हैं और उनको स्वीकार किया जाता है और उनको खर्च किया जाता है और एप्रोप्रियेशन बिल में उनको दिखाया जाता है। संविधान की धारा २६६ के अनुसार तो स्पष्टतः यह आदेश मिलेगा कि कंसालिडेटेड फंड में जो रकम स्वीकार हो चुकी है उसको उसी प्रकार जिस प्रकार उसका नियोजन स्वीकार हो चुका है उसी प्रकार खर्च होगा। और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता है। अगर इसको एक ऐसा अनुच्छेद कर दें जिसका तात्पर्य यह होता है कि हम इस धारा में एक क्वालिफाइंग सेंटेंस लगा रहे हैं हमारे संविधान में इस संबंध में जो नियम हैं उनके विपरीत कार्य होगा। सदन जो ग्रांट्स जिस रूप से खर्च करने के लिये मंजूर कर चुका है वह किसी और रूप में खर्च हों यह असंभव है और आशा है कि माननीय सदस्य इन दोनों धाराओं को देखने के बाद इस संशोधन को अनावश्यक समझेंगे और उसे वापस ले लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो स्पष्टतया ग्रांट्स को अलग रखा गया और एक्सपेंडीचर को अलग रखा गया है। कहीं पर भी यह मिला नहीं दिये जाते हैं। विधान में अलग-अलग लिखे गये हैं। जो आप ने २६६ बताया तो वह कांसालीडेटिड फंड्स आफ स्टेट की परिभाषा है और वह विधेयक से रिलेवेंट नहीं हैं। तो फिर अगर इसको पढ़ने के बाद माननीय परिपूर्णानन्द जी इसको उपस्थित करने के लिये तैयार हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी। अगर वह इसको गौर से पढ़ें तो मैं समझता हूं..........

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने तो बहुत गौर से इस बात को सुनने की कोशिश की और समझना चाहा कि आखिर तरमीम में क्या है और क्या परिवर्तन होने वाला है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस तरमीम को लाने से खराबी हो जायेगी। इस लिये मैं तो इस अमेंडमेंट को मंजूर करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--कैसे खराबी हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ३ के अन्त में "के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं" के स्थान पर निम्न शब्द लिखे जायें--

"तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों के लिये ही किया जायेगा जो अनुसूची के स्तम्भ २ व ३ में दिये हुये हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--धारा ३ में ३ संशोधन मेरे पास आये थे--अन्य दो निम्न प्रकार के हैं--

(अ) धारा ३ के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिये जायं--

"पर प्रतिबंध यह है कि उपर्युक्त धनराशियों का विनियोग करते समय संबंधित विभाग व अधिकारी उन सभी निर्देशों का पूर्णतया पालन करेंगे जो व्यय के नियन्त्रण, व्यय वृद्धियों व बचतों के शमन, बची हुई और समर्पित की जाने वाली धनराशियों के समानीकरण आदि के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक लेखों समिति के विनियोग लेखों के संबंध में विचार करते हुये, समय-समय पर इंगित व निर्णीत की हैं"।

(ब) धारा ३ के अन्त में निम्नांकित बढ़ा दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सदन के नेता व विरोधी दल के नेता, वित्त मंत्री श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, श्री सम्पूर्णानन्द जी गृह मंत्री, श्री मदन मोहन उपाध्याय, चैयरमैन पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी, श्री बालेन्दुशाह तथा एकाउण्टेण्ट जैनरल, की उपसमिति अनुसची में दिये हुये सेवाओं तथा प्रयोजनों में परिवर्तन भी कर सकती है और उन पर खर्च होने वाली रकम के खर्च प्रणाली को भी व्यवस्थित कर सकती है"

तो अनावश्यक तथा असंगत होने से मैं उनको अवैध करार देता हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ३ उस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क– राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउंट)--			
१	कृषि आय–कर (ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) की उगाही (कलेक्शन) पर व्यय ..	२,३२,९००	..	२,३२,९००
२	मालगुजारी	२,८६,७६,७००	..	२,८६,७६,७००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	१,०७,९५,०००	..	१,०७,९५,०००
४	स्टाम्प	५,०१,६००	..	५,०१,६००
५	वन (फ़ारेस्ट) ..	१,२६,८४,७००	..	१,२६,८४,७००
६	रजिस्टरी ..	१३,७२,६००	..	१३,७२,६००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	८८,००,०००	..	८८,००,०००
८	अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय	२७,५०,७००	..	२७,५०,७००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य	२,२८,१६,०००	..	२,२८,१६,०००
१०	सिचाई (इरिगेशन) स्थापना पर व्यय	२,२४,००,०००	..	२,२४,००,०००
११	रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय	१५,३६,२००	..	१५,३६,२००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	३,१०,२२,८००	१०,४२,८००	३,२०,६५,६००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रकाशन (एडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय	२,६६,०७,१००	..	२,६६,०७,१००
१४	गांव सभाएं और पंचायतें ..	९२,५०,२००	..	९२,५०,२००
१५	न्याय प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन आफ़ जस्टिस)	१,२२,६५,०००	२४,९०,८००	१,४७,५५,८००
१६	जेल	१,१२,३४,०००	..	१,१२,३४,०००
१७	पुलिस	७,१६,००,०००	..	७,१६,००,०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१८—वैज्ञानिक विभाग (साइन्टिफ़िक डिपार्टमेंट्स)	..	..	..	..
१९—शिक्षा	.. ..	८,५४,७७,२००	..	८,५४,७७,२००
२०—चिकित्सा (मेडिकल)	..	२,४५,९२,५००	..	२,४५,९२,५००
२१—जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)		१,४१,७६,०००	..	१,४१,७६,०००
२२—कृषि सम्बन्धी विकास और खोज (एग्रिकल्चरल डेवेलप्मेंट ऐन्ड रिसर्च)	..	१,७०,१०,२००	..	१,७०,१०,२००
२३—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐंड कालोनाइजेशन)	..	१,५६,३३,३००	..	१,५६,३३,३००
२४—ग्राम सुधार (रूरल डेवेलप्मेंट)		..	..	..
२५—पशुचिकित्सा (वेटेरिनरी)	..	१,२६,१४,७००	..	१,२६,१४,७००
२६—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	..	१,५७,६७,२००	..	१,५७,६७,२००
२७—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय	.. ..	७३,०९,६००	..	७३,०९,६००
२८—सहकारिता के आधार पर ऋण	..	६२,१४,६००	..	६२,१४,६००
२९—उद्योग	.. ..	१,०४,७२,६००	..	१,०४,७२,६००
३०—श्रम (लेबर) और संख्या	..	२५,०९,४००	..	२५,०९,४००
३१—वाहन (ट्रांस्पोर्ट) विभाग	..	३,६८,४५,०००	..	३,६८,४५,०००
३२—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	..	३,४६,६०,१००	२,८५,२००	३,४९,४५,३००
३३—यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित)	..	२६,००,१००	..	२६,००,१००
३४—सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय	..	३८,०७,४००	..	३८,०७,४००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३५	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ़ सिविल वर्क्स)	३५,०८,१००	..	३५,०८,१००
३६	दुर्भिक्ष सहायता (फ़ेमीन रिलीफ़)	१३,७८,५००	१६,००,०००	२९,७८,५००
३७	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें और भारतीय शासकों को निजी खर्चे	८,१५,८००	..	८,१५,८००
३८	बुढ़ौती (सुपरऐनुएशन) भत्ते और पेंशनें	१,८५,४४,३००	१,३२,०००	१,८६,७६,३००
३९	लेखन-सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई	८३,३७,२००	..	८३,३७,२००
४०	विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जेज)	९,७०,२८,४००	१,०००	९,७०,२९,४००
४१	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान	५४,५५,२००	..	५४,५५,२००
४२	असाधारण व्यय (एक्स्ट्रा आर्डिनरी चार्जेज) ..	३,१५,७१,८००	..	३,१५,७१,८००
४३	योजना और एकीकरण ..	१,९५,६६,२००	..	१,९५,६६,२००
	ऋण (डेट) और अन्य दायित्वों (आब्लिगेशन्स) पर ब्याज	..	५,४१,८०,४००	५,४१,८०,४००
	ऋण को कम करना (रिडक्शन) या उससे बचना (अवायडेंस)	..	२३,५६,८४,१००	२३,५६,८४,१००
	प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान बन्ध	..	८०,२५,००,०००	८०,२५,००,०००
	योग 'क' ..	७५,०७,४६,९००	१,०९,७९,१६,३००	१,८४,८६,६३,२००

ख-राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय—

४४	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन ..	३,४१,३०,०००	..	३,४१,३०,०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज़ ऐन्ड पर्पजेज़)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४५	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले) ..	१,५६,८०,०००	..	१,५६,८०,०००
४६	औद्योगिक विकास (इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट) ..	१,१५,१६,५००	..	१,१५,१६,५००
४७	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले) ..	१,४६,८८,३००	..	१,४६,८८,३००
४८	विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत ..	३,६२,१४,७००	..	३,६२,१४,७००
४९	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज़), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ़ ऐन्ड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..	८३,७४,६००	..	८३,७४,६००
५०	पेन्शनों की संराशि (कम्युटेड वेल्यू आफ़ पेंशन्स) ..	१९,८५,०००	२५,०००	२०,१०,०००
५१	राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की योजनायें	१९,६२,१०,०००	..	१९,६२,१०,०००
	योग 'ख' ..	३२,२३,९९,१००	२५,०००	३२,२४,२४,१००
	ग—ऋणों और अग्र-ऋणों (लोन्स ऐन्ड एडवान्सेज) का भुगतावा (डिस्बर्समेंट)			
५२	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (एडवांसेज़) ..	३,१२,३४,६००	..	३,१२,३४,६००
	योग 'ग' ..	३,१२,३४,६००	..	३,१२,३४,६००
	कुल योग ..	१,१०,४३,८०,६००	१,०९,७९,४१,३००	२,२०,२३,२१,९००

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १

संक्षिप्त शीर्षनाम १--यह अधिनियम १९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

१९५३ ई०का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)

३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

श्री अध्यक्ष--प्रस्तावना में श्री नारायणदत्त तिवारी का संशोधन है। इसमें यह है कि प्राक्कथन की द्वितीय पंक्ति में शब्दों "व्यय के लिये" व कतिपय धनराशियों के बीच में शब्द "उत्तर प्रदेशीय सरकार के विभिन्न संबंधित विभागों व अधिकारियों को" जोड़ दिये जायँ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर इस प्राक्कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय तो इसमें इस प्रकार से है कि "३१ मार्च, सन् १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय।" मैं चाहता हूं कि "व्यय के लिये" और कतिपय धनराशियों के बीच में "उत्तर प्रदेशीय सरकार के विभिन्न संबंधित विभागों व अधिकारियों को" जोड़ दिये जायं। अगर उत्तर प्रदेशीय सरकार हम नहीं रखते हैं तो हमको यह मालूम नहीं होता कि अधिकार किसको दिया गया है। २ अरब २० करोड़ रुपये का भुगतान का अधिकार किसको है, किस विभाग के हाथ में या राज्य सरकार को है, इस बात का पता नहीं चलता है। जब तक ये शब्द जो मैंने अभी जोड़ कर बतलाये हैं इसके अन्दर नहीं जोड़े जाते हैं तो यह बिलकुल स्पष्ट नहीं होता कि अधिकार किसको है। कानून स्पष्ट होना चाहिये जिससे सब लोग उसको आसानी और सुविधा से समझ सकें। अगर यह शब्द जोड़ दिये जाते हैं तो यह बिलकुल साफ़ हो जायगा और यह शब्द उचित और आवश्यक है। इसी प्रकार से ३१ मार्च, सन् १९५४ ई० को समाप्त होने वाले साल के व्यय के लिये उत्तर प्रदेशीय सरकार उसके विभिन्न संबंधित विभागों को भी इसका अधिकार रहता है कि वह व्यय कर सकें। इसलिये इन शब्दों का यहां पर आना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम संबंधित अधिकारियों और विभागों को इसमें नहीं रखते हैं तो हमारी इतनी बड़ी डिटेल इस बजट में है और ५२ अलग २ अनुदान हैं तो उसमें कठिनाई पैदा हो सकती है। इसलिये मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जब तक इन शब्दों को, जो मैंने अभी अपने संशोधन में बतलाये हैं अगर इनको नहीं जोड़ा जाता है तो यह मालूम नहीं हो सकेगा कि किसको अधिकार है ? इसलिये इन शब्दों का यहां पर जोड़ा जाना परम आवश्यक है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि मालूम होता है कि नारायणदत्त जी को एप्रोप्रियेशन बिल का अर्थ ही नहीं मालूम है अन्यथा वह इस संशोधन को यहां पर न लाते। यदि वह धारा २६६,२७२ और १९९ को देखेंगे तो मालूम होगा कि एप्रोप्रियेशन किसको कहते हैं और उसके क्या रूल्स हैं। इसलिये वे २६६,२७२,१९९ और २८३ को भी मिला कर पढ़ लें तो मालूम हो जायगा कि इस प्रकार के जो बिल होते हैं वे किसी न किसी प्रकार के नियमों से संबंधित होते हैं। उनमें बहुत से स्पष्टीकरण की और इधर-उधर के शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अगर वे गौर से देखेंगे तो मालूम होगा कि इन वाक्यों के जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा और ये अनावश्यक और अनर्गल हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--इससे ज्यादा मैं और अर्ज करना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष--मैं संशोधन के पेश करने की आवश्यकता नहीं समझता। नारायणदत्त जी ने जो इतना कहा है उस में उन्हें सिर्फ यह शंका लगती है कि वह रुपया जो मंजूर किया जाता है उसे कौन खर्च करेगा क्योंकि प्रस्तावना में यह नहीं कहा गया है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार के विभिन्न विभाग खर्च करें या अधिकारी खर्च करें। अब उनके दिल में मालूम नहीं क्या शक है कि सरकार और संबंधित अधिकारियों को छोड़कर कोई तीसरा भी खर्च कर सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। अगर ये शब्द न डाले जायं तो भी इसमें आगे चल कर दिया हुआ है जिससे स्पष्ट होता है कि यह विधेयक किस लिये है और यह धन किस-किस प्रयोजनों के लिये खर्च होगा? और यह माना ही जाता है कि सरकार तथा जो विभागीय अधिकारी इसमें रहते हैं उन्हीं के जरिये खर्च होगा। अलावा इसके माननीय नारायणदत्त जी ने वह अधिकार सरकार से छीन कर सिर्फ विभागों को ही देने का प्रयास किया है। इसलिये विधान के हिसाब से भी यह अवैधानिक है, इन सब कारणों से मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) को पारित किया जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमन्......................

श्री अध्यक्ष--जो अमेंडमेंट हुआ है उसी पर आप बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण--श्री नारायणदत्त जी का जो एक संशोधन माननीय परिपूर्णानन्द जी की विशेष दूरदर्शिता के फलस्वरूप स्वीकार हो पाया है, उसी के महत्व को सामने रखते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सेवाओं और प्रयोजनों पर इस बजट की रक़मों को हम खर्च करने लगें तो पिछली बार जो ग़लतियां और खामियां हुई हैं उनको दुहराया न जाय। श्रीमन्, मुझे इस समय कुछ कहने की आवश्यकता इसलिये हुई कि मैं देखता हूं कि हमारे राज्य सरकार के मुख्य मंत्री जी भी यहां पर उपस्थित हैं। पारसाल भी जब विनियोग विधेयक पर चर्चा चल रही थी मैंने ख़िदमत में इन्हीं बातों को निवेदन किया था कि ४९-५० की जो रिपोर्ट पास हुई थी उसमें १९,६४३ आपत्तियां देखी गयी थी और भिन्न-भिन्न मदों और सेवाओं और प्रयोजनों पर जो खर्चा हुआ था उसमें १४ करोड़ की रक़म (आपत्ति के अन्दर थी) इन्वाल्व्ड थी और बाद में अपने भाषण के दौरान में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर यह बताया था कि जांच की गई और वह १४ करोड़ की रक़म अब कम होकर ६ करोड़ के रूप में आ गयी है और आगे चल कर शायद इसका हिसाब-किताब ठीक से देखा जाय तो वह रुपया भी बिलकुल खत्म हो जायेगा और सारा मामला ठीक हो जायगा। तो जैसा आप ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में सवा बजे के पहले ही इसको समाप्त कर देना है तो तीन मिनट का समय जो रह गया है उसी में यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर इस तरह का कोई अंकुश लगावें जिससे जो समय-समय पर रक़में नहीं लिखी जाती हैं वहीं ठीक समय पर लिखा जाय, और सेवाओं और प्रयोजनों के कामों में यह जो आमदनी आती

[श्री राजनारायण]

है वह सरकार देखे कि नियमित रूप से राज्य व्यापार में और और दूसरी मदों से कितनी रक़म आई। यह ठीक से ब्योरा नहीं दिया जाता है। सरकारी और ग़ैर सरकारी मदें अलग-अलग हैं मगर निजी पूंजी को भी उसी में मिला दिया जाता है। इस तरह से यह बड़ा दोष माना गया है। जो भारत का सब से बड़ा प्रदेश है और जो कुल देश का १/५ है, जो सब से बड़े राज्य का सबसे बड़ा बजट है, उसमें तो और ज्यादा मुस्तैदी और देखभाल से चीजें साफ़-साफ़ रखना चाहिये। इतना ही कहने के बाद मैं इस आशा को ले कर बैठता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी आगे इस पर ध्यान रखेंगे।

एक बात और कह देना चाहता हूं और वह यह है कि जब बजट अधिवेशन शुरू हुआ था तो उससे एक महीना पहले ही मैंने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री के पास भेजा था कि हम लोगों को, जो-जो राज्य सरकार के व्यापार हुये हैं, उन सब का ख़र्च, मुनाफ़ा वग़ैरा का हिसाब और उस का पूरा ब्योरा हमें दिया जाय, वह पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को भेज दिया गया था। परन्तु खेद है कि बजट अधिवेशन के ६ दिन के बाद उस पत्र क उत्तर माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से आया कि यह तो २ साल पहले के एकाउन्ट बजट में आते हैं और इस समय उन की चर्चा करना जरूरी नहीं है, इसलिये हम समझते हैं कि उनके लिये इतनी मेहनत करना इस वक्त आवश्यक नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब अगला बजट आये तो हमारे सामने इस तरह का पूरा चित्र आना चाहिये चाहे उस रूपमें रखने में उन्हें कुछ दिक्क़त हो। जैसे इस बजट के कुछ आंकड़े माननीय मदनमोहन जी ने रखे थे और बाद में माननीय वाहन मंत्री जी ने फिर दूसरा बजट ला कर रखा और उन्होंने कहा कि बजट के आंकड़े ग़लत हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की बात दोहरायी न जाय। आइन्दा ऐसी चीज़ हमारे सामने न आनी चाहिये कि मंत्री जी कहें कि बजट ग़लत है। और बहुत विचार के बाद बजट हमारे सामने आना चाहिये और हर मद के पूरे आंकड़े हमारे सामने आने चाहिये।

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कभी नहीं कहा कि बजट के आंकड़े ग़लत हैं। मैंने तो केवल यह अर्ज़ किया था कि उनके समझने में कुछ दिक्कत मालूम होती है और सही चित्र का पता नहीं चलता है और इसलिये मैंने दूसरे आंकड़े दिये थे।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाब स्पीकर साहब, मैं तो अभी गवर्नमेंट की तरफ़ से पूरी बात जिम्मेदारी की बाबत हिसाब और रुपये के ख़र्च की अर्ज कर चुका हूं और उस को दोहराना नहीं चाहता। एक बात फिर दोहराई गयी इसके मुताल्लिक़ कि जो आडिट एतराज थे उस पर भी मुख्य मंत्री जी ने इसी हाउस में सब का जवाब बतला दिया था, रिपोर्ट सुना दी थी। अब उसको मैं फिर दोहराऊं तो वक्त सर्फ करना बेकार है, उसकी जरूरत नहीं है और जवाब देने की कोई बात नहीं है। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि इसको पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, (एप्रोप्रियेशन बिल) जैसा कि वह इस सदन से संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

यू०पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ के नियम ३९ में प्रस्तावित संशोधन पर विचार

श्री उपाध्यक्ष—यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २१ के अनुसार यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ के नियम ३९ में प्रस्तावित संशोधन पर, जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर १९ फरवरी, १९५३ को रखी गयी थी, सदन द्वारा मत प्रकाशन।

जो माननीय सदस्य मत प्रकाशन करना चाहें तो वह कर सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी शुक्रवार के दिन माननीय राजस्व मंत्री ने जब एग्रीकल्चरल टैक्स से संबंधित विधेयक विचारार्थ रखने को कहा था तो उस दिन हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से उसे विचारार्थ न रखने का निवेदन किया था और माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि इस पर २४ तारीख को निश्चय करेंगे। तो २४ तारीख को कोई बात आयी नहीं और आज के कार्यक्रम में यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट को देखा। जो रिपोर्ट उस वक्त रखी गयी थी उसको हम लोगों ने बहुत तलाश भी किया था कि पढ़ें, मगर वह मिली नहीं। मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा कि इसको किसी दूसरे दिन ले लें ताकि वह रिपोर्ट जो १६ फरवरी को रखी गयी थी, इसको प्राप्त कर के अध्ययन कर सकें। तब अपने मत का प्रकाशन करें। इस लिये आप की आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वह सही माने में सदन के मत का प्रकाशन होने देना चाहते हैं तो हमारी प्रार्थना पर ध्यान दें और हमको इतना समय दें कि हम उस का अध्ययन कर सकें और तब अपने मत का प्रकाशन करें।

परिवहन मंत्री श्री विचित्रनारायण शर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, यह इतनी छोटी सी चीज है कि वास्तव में पहले ही दिन मैं चाहता था कि यह प्रश्न न उठता। यह तो बहुत छोटा सा टेकनिकल सवाल था और वह यह था कि जिस समय रूल्स बने थे तो यह ख्याल था कि "पब्लिक सर्विस मोटर वेहिकिल्स" में गुड्स कैरियर्स भी आते हैं। लेकिन बाद में इंटरप्रिटेशन में शक होने लगा कि इसमें सिर्फ पब्लिक वेहिकिल्स आती हैं, गुड्स कैरियर्स नहीं आते हैं। उस ग़लतफ़हमी को दूर करने के लिये इस बात की जरूरत हुई कि रूल्स में गुड्स कैरियर्स और वेहिकिल्स बढ़ा दिया जाय। इसमें किसी सिद्धांत का परिवर्तन नहीं है। जो प्रैक्टिस पहले थी जिसमें कुछ डाउट था, उस डाउट को सिर्फ साफ किया गया है। इस में कोई नयी चीज नहीं की जा रही है। मैं समझता हूं कि इसके लिये समय की आवश्यकता नहीं। मैंने निवेदन किया था कि जिन माननीय सदस्यों को आपत्ति हो उन से पूछ लिया जाय और अगर जरूरत हो तो विचार किया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट रखी गयी थी वह रिपोर्ट है ही नहीं। यह हो सकता है जैसा कि माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि बिलकुल टेकनिकल संशोधन है। लेकिन अगर वह समझते हैं कि टेकनिकल है तो फिर सदन के द्वारा मत प्रकाशन की बात ही क्यों करते हैं। उसको अपने ही से समझ लें। लेकिन अगर वह चाहते हैं कि सदन अपने मत का प्रकाशन करे तो हमें उसको पढ़ना ही पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कोई रिपोर्ट नहीं रखी गयी थी। सिर्फ जरा सा रूल रखा गया था।

श्री उपाध्यक्ष—अगर माननीय सदस्य चाहें तो उनकी जानकारी के लिये मैं उसको पढ़ दूं।

After the words "public service motor vehicles" in line 1 of clauses (d) and (e) of Rule 39 of the said rules insert the words "and goods vehicles."

"गुड्स वेहिकिल्स" भी इसमें शामिल किया गया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—मन्त्री जी जरा समझा दें तो पता चलेगा कि उसका मतलब क्या है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह विषय तो उपाध्यक्ष महोदय, इतना छोटा सा है कि पहले जो रूल्स थे उन में सिर्फ "पब्लिक सर्विस मोटर वेहिकिल्स" यह शब्द आते थे और उन से यह मतलब निकलता था कि उस में "गुड्स कैरियर्स" यानी ट्रक्स वगैरा भी शामिल हो जाते थे, और जो "स्टेज कैरेजेज" जिस में पैसेंजर्स बैठते हैं वह भी शामिल हो जाते थे। बाद में एक दूसरा ऐक्ट आ जाने की वजह से एक दूसरी गलतफहमी पैदा हो गयी और खास तौर से हमारे प्रान्त में नहीं, दिल्ली में यह गलतफहमी हुई, जिसकी वजह से जो मोटर गुड्स ट्रक्स थे उनको इसके परव्यु से एक्सक्लूड कर दिया गया। इसलिये हमने अपने रूल्स में यह संशोधन कर दिया ताकि यह गलतफहमी न रहे। इसलिये यह रखा गया कि "गुड्स कैरियर्स" भी इसमें शामिल कर दिये जायं। इतना ही क्लाज इसमें बढ़ा दिया गया और कोई नयी चीज नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मन्त्री जी ने इस को समझाने के लिये जो बात कही वह तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई। मेरा मतलब यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि जब सफाई करनी ही है तो सब चीज की सफाई कर ली जाय वरना फिर कनफ्यूजन आ जायगा इस में। इसलिये मेरा संशोधन इसमें यह है कि कन्फ्यूजन को दूर करने के लिये जब रूल्स में संशोधन कर ही रहे हैं तो "पब्लिक सर्विस मोटर वेहिकिल्स" जहां लिखा है उसके आगे "स्टेज कैरेजेज ऐन्ड गुड्स वेहिकिल्स" रख दिये जायं। इसके बाद तो मैं समझता हूं कि कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें गुड्स कैरेजेज भी आ जायंगे और स्टेज कैरेजेज भी आ जायंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूरत यह है कि यह अमेंडमेंट माननीय सदस्यों की दिक्कत को हल करने के लिये नहीं किया गया था बल्कि जो वाकई डिफिकल्टीज रेज की गयी हैं उनको हल करने के लिये किया गया था और जिस क्वार्टर से यह रेज की गयी थीं वह डिफिकल्टीज इससे बिलकुल सैटिस्फाइड हो जाती हैं क्योंकि यह दिक्कत और सिफारिश उन्होंने ही पेश की थी। इसके अलावा पब्लिक सर्विस मोटर वेहिकिल्स में सिर्फ स्टेज कैरेजेज और ट्रक्स ही नहीं आते हैं बल्कि ट्रैक्टर्स और दूसरी चीजें भी आती हैं जिनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं इसलिये जो जरूरी शब्द है वह हमको रखना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सदन ने अपना मत प्रकट कर दिया है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इतना ही मत प्रकट कर दूं कि हमने तो अपना मत प्रकट नहीं किया। हम को जो आवश्यक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिये वह माननीय मन्त्री जी ने नहीं रखी। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह कोई सदन का मत प्रकाशन न माना जाय। माननीय मन्त्री जी जो कुछ चाहें कर लें। हम अपना मत प्रकट नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष—आप चाहें तो अपना मत प्रकट कर सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम को जो वाहन विभाग से एक बित्ते का कागज मिला वह यह है कि "यूनाइटेड प्राविन्सेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ (१९३५ की ऐक्ट संख्या ५) की धारा (३) के प्रदत्त अधिकारों. . . ." तो जब तक हम १९३५ के ऐक्ट को न देखें और १९३५ के ऐक्ट संख्या ५ की तीसरी धारा को न देखें, उसके द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं उनको न देखें तब तक उपाध्यक्ष महोदय, हम कैसे अपने मत को प्रकाशित कर सकते हैं। इसी लिये मैंने कहा है कि अगर सही, जैनुइन, डिस्कशन कराना और सदन के मत को प्रकाश में आना आवश्यक है तब तो उसके सम्बन्ध में जितनी सामग्री है वह सब उपलब्ध होनी चाहिये, वरना इस तरह से मत का प्रकाशन करना अपरिपक्व अवस्था में होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस परिस्थिति में नहीं हैं कि हम अपने मत को प्रकाशित कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न पहले ११ फरवरी, १९५३ को रखा गया था और उसके बाद आज फिर यह रखा गया है और इसमें केवल एक छोटा सा संशोधन है। उसकी सूचना

भवन को दी गयी है। इस पर जिन माननीय सदस्यों ने चाहा अपना मत प्रकट किया। इसके अलावा कुछ काम इस में होना भी नहीं है।

कार्य-सूची के क्रम में परिवर्तन

श्री उपाध्यक्ष---नम्बर ६, माननीय मुख्य मन्त्री

मालमन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको स्थगित करके यह जो नम्बर ८ पर है कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, इसको ले लिया जाय तो ज्यादा सुविधा होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, पहले वही लिया जाय जो अजेंडा में है।

श्री उपाध्यक्ष---भवन को यह देखना चाहिये कि जब यहां किसी विषय के लिये तैयारी नहीं है, तो दूसरे को ले लेने में क्या नुकसान है। सिर्फ आर्डर चेंज किया जाता है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था और आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैंने शुक्रवार के दिन आपत्ति उठाई थी कि यह २५ को नहीं आ सकता, तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस दिन कहा था कि २४ तारीख को इस पर विचार किया जायगा अगर प्रोसीडिंग देखी जाय तो उसमें मिलेगा और मैं समझता हूं कि विधान सभा के जो सचिव हैं उनको स्मरण होगा कि २४ तारीख को हम बतलायेंगे कि २५ तारीख को इसपर विचार होगा या नहीं होगा। २४ तारीख को कोई बात ऐसी नहीं कही गयी कि २५ तारीख को यह लिया जायगा या नहीं। हमने उसी दिन आपत्ति की थी कि नियमित रूप से जितने दिन हमें अध्ययन करने के लिये दिये जाने चाहिये उतने दिन दिये जायं। यह विधेयक ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स से सम्बन्धित है, यदि इसमें छोटी भी गलती हो गई तो इससे बहुत से किसान मारे जायंगे। २४ तारीख को यह व्यवस्था नहीं हुई कि २५ तारीख को इस पर विचार होगा, इसलिये हमने इस पर अपने संशोधन भी नहीं दिये हैं। हमको अपने संशोधन देने का मौका न मिले और इस पर सदन में इस प्रकार विचार विनिमय हो जाय, यह बड़े दुख की बात होगी। इस लिये आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें मौका दिया जाय और इसे दूसरे दिन ले लिया जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को मेज पर रखे हुये कई दिन हो गये हैं। जब अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि २५ तारीख को यह विधेयक इस भवन के सामने प्रस्तुत किया जायगा, तो माननीय राजनारायण जी ने यह एतराज किया था कि अभी हमने देखा नहीं है। नहीं, वह तो पहले ही जब रखने की बात थी, तब माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनकी आपत्ति पर यह कहा था कि २५ तारीख को रखा जायगा।

श्री राजनारायण---यह नहीं कहा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---अच्छा उन्होंने कहा कि २४ तारीख को हम देख लेंगे। २४ तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस पर विचार किया होगा और उन्होंने आज की तारीख में एजेंडा पर रख दिया है। कोई कारण नहीं है कि जब इतने दिनों से माननीय सदस्यों की मेज पर रखा जा चुका है, काफी मौका मिल चुका है, कोई लम्बा विधेयक नहीं है, छोटे-छोटे संशोधन हैं, फिर भी इसको स्थगित किया जाय और अनावश्यक रूप में भवन का समय बर्बाद किया जाय! यह मुनासिब नहीं मालूम होता है कि कोई कार्य न हो। जब अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि २४ तारीख को इस पर विचार कर लेंगे, तो उन्होंने इस पर विचार करके ही यह आज्ञा दी होगी कि इसको २५ तारीख के लिये एजेंडा पर रखा जाय। इसलिये यह एतराज उचित नहीं मालूम होता है और सदन से मेरा यह निवेदन है कि इस पर विचार होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं जरा कारण बतलाना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी यह चाहते हैं कि इसका कोई कारण नहीं है कि इस पर आज क्यों न विचार किया जाय? अगर माननीय मन्त्री जी इधर रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि अभी सवा बजे हमने ऐप्रोप्रिएशन बिल पास किया है। कल तक एक साथ कई-कई अनुदानों पर विचार चल रहा था। यह भी माननीय मन्त्री जी से छिपा नहीं है कि एक-एक दिन में चार-चार अनुदान लिये जा रहे थे और सदस्यों को उन अनुदानों के लिये तैयार होना पड़ता था। ऐप्रोप्रिएशन बिल के लिये भी माननीय सदस्यों को बहुत तैयारी करनी पड़ी ताकि आर्थिक साधनों की दृष्टि से उचित रूप से रुपया व्यय हो सके। इसके बाद जहां तक माननीय अध्यक्ष ने उस दिन आज्ञा दी, उसके अनुसार उनकी यह इच्छा नहीं थी कि आज २५ तारीख के दिन इस पर विचार हो। उनके कहने का अभिप्राय, जैसा मैं समझा यही था कि २४ तारीख को वे बतला देंगे कि २५ तारीख के दिन यह न लिया जा कर किसी दूसरे दिन लिया जायगा। तो इसलिये मेरा आपसे निवेदन यह है कि बजाय कृषि आयकर विधेयक के, एजेंडा पर जो बिल इससे पहले इवैकुई इंटेरैस्ट का है वह ले लिया जाय। इससे समय का कोई दुरुपयोग नहीं होगा और सदन को समय भी मिल जायगा कि वह इस बिल पर ठीक से विचार कर सके।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक, २१ तारीख को सरक्यूलेट हुआ था और जबसे अब तक इतना काफी समय मिला है कि जो माननीय सदस्य इस पर बहस करना चाहें वह कर सकते हैं। इसे टालना मुझे तो मुनासिब नहीं मालूम होता है। मैं समझता हूं कि यह छोटा सा विधेयक है और ४ दिन सरक्यूलेट हुये हो गये हैं जो कि काफी समय था।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मेहरोत्रा जी ने बताया है, २१ तारीख को यह सरक्यूलेट हुआ और अब तक काफ़ी समय हो गया है। लेकिन हमारे विरोधी दल के मित्र न जाने क्यों इसे टालना चाहते हैं। यह कोई पेचीदा बिल नहीं है और न इसमें अहम बात है। मैं तो यह उचित समझता हूं कि इसे टालना उचित नहीं है और इस पर विचार होना चाहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—इसके पोस्टपोन करने में जो सरकारी पक्ष से आपत्ति हो रही है मेरी समझ में उसका कोई कारण नहीं है। अगर आज न सही तो कल यह ले लिया जाय तो इसमें समय का कोई नष्ट किया जाना नहीं है। इतना तो अवकाश देना ही चाहिये कि अपोजीशन को कोई शिकायत या दिक्कत न हो।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कार्य के क्रम को निश्चित करने का अधिकार गवर्नमेंट को होता है और उन्होंने अपनी सुविधा के मुताबिक यह कार्यक्रम निश्चित किया है। इतना ही नहीं, यह विधेयक बहुत अर्से से सदन के सामने है और बहुत छोटा सा विधेयक है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि आज ही इस पर विचार हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इवैकुई इन्टैरेस्ट बिल इससे पहले मेज पर रखा जा चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—तो फिर सहूलियत के लिये ही तो आगे पीछे किया जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। मेरी राय है कि इस पर विचार हो।

*उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

*२१ मार्च, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मुझे आपत्ति है कि नियम ९५ के प्रतिबन्ध के अनुसार हमको ३ दिन इस पर विचार करने का पूरा मौका नहीं मिला है। जिन दिनों बजट ग्रांट्स होती हैं उन दिनों और किसी चीज पर विचार करने का अवसर या समय इस सदन को नहीं मिलता है। हमको ३ स्पष्ट दिन मिलने चाहिये। इस पर मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसके मानी तो यह नहीं हैं कि भवन में नहीं लिया जा सकता है। विचार तो घर में बैठकर भी करते हैं। जब वह सरक्यूलेट हो चुका है इतने दिन पहले, तब तो यह कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधित विधेयक कृषि आय कर का जो इस भवन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है उसका एक कारण यह है कि गवर्नमेंट को जो थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज या दिक्कतें कार्य रूप में परिणत करने में सामने आयीं उनका लिहाज करके इसका उपस्थित किया जाना जरूरी हो गया। इसके सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा यह बतला देना चाहता हूं कि कृषि आय कर ३ हजार रुपये वार्षिक आमदनी पर लगाने का नियम है। उस ३ हजार रुपये की आमदनी के सम्बन्ध में अभी तक ऐसा था कि ५० एकड़ से कम की आराजी अगर हो और ५० रुपये से कम वार्षिक आमदनी हो तो उस पर कृषि आय-कर नहीं लगता था। लेकिन एक महत्वपूर्ण संशोधन इसमें यह जरूर है कि अब बजाय ५० एकड़ के ३० एकड़ का सुझाव इसमें रखा गया है। यानी ३० एकड़ से नीचे की आराजी पर कृषि आय-कर नहीं लगेगा। तो ३० एकड़ से ऊपर भूमि पर अगर तीन हजार से अधिक आमदनी हो तो कृषि आय-कर लगेगा। उस कृषि आय-कर के लगाने के दो तरीक़े होते हैं। एक तो आमदनी ३ हजार की हुई या कितनी हुई, इसे देख लेना और दूसरे यह कि जो उसकी रेंटल वैल्यू है उसको देख लेना। अभी तक कानून में यह है कि उसका साढ़े साथ गुणा लगा कर देखा जाय कि उसकी आमदनी कृषि आय कर लगाने के योग्य है या नहीं। यानी एसेसी को इस बात का आप्शन दिया गया कि आया उसकी जो रेंटल वैल्यू है उसका साढ़े सात गुणा क़बूल कर ले या जो उसकी वास्तविक आमदनी है तीन हजार की या उससे ऊपर की उसका हिसाब दे दे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—इसको जरा और साफ़ कर दीजियेगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जो रेंटल वैल्यू है उसका साढ़े सात गुणा आय-कर की इन्कम मान करके चाहे वह दे दे कृषि आय-कर या जो तीन हजार की आमदनी होती है उस पर दे। तो उस साढ़े सात गुणा को बढ़ा कर अब साढ़े बारह गुणा कर दिया गया है।

श्री राजनारायण—यह स्पष्ट नहीं हुआ जरा फिर साफ़ कर दीजिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जो रेवेन्यू का साढ़े सात गुणा कृषि आय-कर लगाने की एक सीमा निर्धारित की गयी उसके बजाय इस संशोधन विधेयक में यह रखा गया है कि साढ़े सात गुणा की जगह पर साढ़े बारह गुणा कर दिया जाय।

श्री राजनारायण—किसका साढ़े बारह गुणा?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जो रेंट या रेवेन्यू या लोकल सेस का हिसाब लगाया गया है उसका साढ़े सात गुणा की जगह साढ़े बारह गुणा कर दिया जाय।

श्री राजनारायण—मल्टीपुल का अर्थ क्या दूना होता है या हिस्सा होता है? मैं समझता हूं माननीय मन्त्री मल्टीपुल को "इन्टू (×)" समझ गये हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मल्टीपुल या गुणा। मैं तो समझता हूं कि मल्टीपुल गुणा है। तो साढ़े सात गुणा के बजाय साढ़े बारह गुणा इसमें रख दिया गया है।

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

अब २० एकड़ से ऊपर की जो भूमि है उसकी आमदनी अगर ३ हजार से ऊपर की है तो उस पर कृषि आयकर लगेगा। उसको मल्टीपिल का भी आप्शन दिया गया है यानी रेवेन्यू रेंट पर जहां पहिले साढ़े सात गुना लगाया जाता था वहां अब साढ़े बारह गुना लगाया जायगा और यह सहूलियत असेसी को दी गयी है।

किसी-किसी की तरफ से फ्राड्यूलेन्ट ट्रांसफर्स कर दिये गये हैं और ये ट्रांसफर्स कृषि-आयकर से बचने के लिये किये गये हैं वे ट्रान्सफर न माने जाकर सम्मिलित परिवार की प्रापर्टी समझी जायगी और उस पर कृषिआयकर टैक्स लगेगा।

इसके अतिरिक्त एक बात और की गयी है कि अब तक ४ किस्तों में वसूल करने की बात थी उसके बजाय खरीफ और रबी के अनुसार दो ही किस्तें कर दी गयीं हैं।

इसके अलावा पहले यह रखा गया था कि जो म्युनिसिपल टैक्स होगा उसको आमदनी में से निकाल दिया जायगा लेकिन कहीं कहीं असेसीज़ को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स अथवा और कोई स्थानिक कर देना होता है, इसलिये अब म्युनिसिपल टैक्स के बजाय स्थानिक कर उस रकम में से निकाल देने की बात रखी जा रही है।

इसमें एक भ्रम यह भी था कि अगर किसी के पास सन् ५२ में इतनी भूमि थी जिस पर टैक्स लगाया जा सकता था लेकिन सन् ५३ में उसके पास उतनी भूमि नहीं रही जिस पर कृषि आयकर न लग सकता हो, या बिलकुल ही भूमि नहीं रही तो वह कह सकता है कि मेरे पास भूमि नहीं है। लेकिन इसमें एक भ्रम यह रहता था कि लोग सन् ५३ में भूमि न होने से ५२ के कर से भी बचने की कोशिश करने लगे। अतः यदि सन् ५३ में भूमि नहीं भी हो लेकिन अगर सन् ५२ में उसके पास भूमि थी तो उसको सन् ५२ का टैक्स देना होगा। इसी को इस "व्यक्ति" की डिफीनीशन में साफ कर दिया गया है।

यही खास-खास संशोधन इस विधेयक के जरिये से रखे गये हैं जिनके विषय में कोई एतराज भी किसी साहबान को नहीं होंगे। एतराज की बात केवल ३० एकड़ और साढ़े बारह गुना के बारे में कुछ किये गये हैं। बाकी और किसी किस्म का एतराज नहीं हुआ है। ३० एकड़ और साढ़े बारह गुना के बारे में ही संशोधन रखे गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न। क्या माननीय मंत्री जी उन संशोधनों का जिक्र कर सकते हैं जो अभी पेश ही नहीं हुए ?

श्री उपाध्यक्ष--मैंने कह दिया कि नहीं करना चाहिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यह कहना चाहता था कि ३० एकड़ और साढ़े बारह गुना पर ही एतराज करने की गुंजाइश हो सकती है बाकी तो टैक्नीकल दिक्कतें उन्हीं को साफ करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। मैं आशा करता हूं कि भवन इसको स्वीकार करेगा।

श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो विधेयक उपस्थित किया है उसके उद्देश्य और कारणों को देखते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैंने इससे पूर्व भी श्रीमन्, आपसे और आपके द्वारा माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य से यह निवेदन किया था कि इस विधेयक का गहरा अध्ययन होना चाहिये, लेकिन उसके जवाब में कह दिया गया कि यह तो छोटा सा बिल है, मामूली बातें इसमें हैं, इतना अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है ? और इस सदन के एक सदस्य जो मिर्जापुर से आते हैं उन्होंने भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किये थे। मगर माननीय मौर्य जी ने जिस तरह से उद्देश्य और कारणों का स्पष्टीकरण किया, उनके स्पष्टीकरण के बाद भी मुझे उनके उद्देश्य और कारणों को समझने में काफी दिक्कत हो रही है और मैं समझता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्यों को भी होनी चाहिये। अब एक बात मैं यह जानना चाहता हूं, चाहता तो मैं यह था कि पहले ही

माननीय मौर्य जी इसको साफ कर देते लेकिन मैं उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि यह जो एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स लगाने का विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है इसके दो स्वरूप होते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि जहां पहले ५० एकड़ एरिया का सवाल था कि वह अपनी खेती के अन्दर रखता है या नहीं रखता है, अब उसको घटा कर ३० एकड़ कर दिया जाय। श्रीमन्, मैं माननीय मौर्य जी और माननीय राजस्व मंत्री जी को यह पहले ही बतला देना चाहता हूं कि जहां तक ३० एकड़ एरिया करने की मंशा है इस पर हमसे बढ़ कर प्रसन्नता शायद उनको न हो। तो इस पर मैं बाद को आऊंगा। फिर दूसरी बात माननीय मौर्य जी ने यह कही कि ३० एकड़ तो होगा ही मगर ३ हजार रुपये से कम जो प्रोड्यूस वल्यू (उत्पादन मूल्य) होता है अगर ३ हजार के ऊपर होगा तब तो उसके ऊपर एग्रीकल्चरल इनकम-टैक्स लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा। श्रीमान्, मैं समझता हूं कि यह जो दिमाग का घपला उसी घपले के फलस्वरूप ऐसे विधेयक प्रस्तुत हो जाया करते हैं। अगर सही माने में इस घपले को सरकार को दूर करना है तो उनको कुछ प्रोड्यूस वैल्यू के मापने का तरीका ठीक कर लेना चाहिये। अगर ३० एकड़ है तो ३० एकड़ के ऊपर जो जमीन रखने वाले हैं अगर उनकी प्रोड्यूस वैल्यू ३ हजार के ऊपर नहीं होगी तो जैसा कि माननीय मौर्य जी ने हमें अभी बतलाया, मैं समझता हूं कि सरकार उन पर कोई कृषि कर नहीं लगायेगी। एक तो इसकी कोई सफाई होनी चाहिये थी जो मौर्य जी ने नहीं किया। और अगर ३० एकड़ से कम भी जमीन रखने वाले हैं और वह जमीन अच्छी है या शहर की ऐसी जमीन है या ऐसे स्थान की जमीन है जिसका प्रोड्यूस वैल्यू ३ हजार से ऊपर हो जायगा तो क्या उनको छोड़ दिया जायगा? इसकी सफाई माननीय मौर्य जी ने नहीं दी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और अब माननीय राजस्व मंत्री जी भी आ गये हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि वे जनरल डिस्कशन में जाने के पहले ही उद्देश्य और कारणों की जानकारी करा दें और जो हमारे सवालात हैं उनका स्पष्टीकरण कर दें। तब हम ऐसी परिस्थिति में आ जायेंगे कि उद्देश्य और कारणों के जनरल डिस्कशन में अच्छी तरह से भाग ले सकें। इसलिये उद्देश्य और कारणों के जनरल डिस्कशन में भाग लेने के पहले मैं आपके जरिये माननीय राजस्व मंत्री श्री चरणसिंह जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे सवालात उनकी खिदमत में पेश किये गये हैं उनको ज़रा साफ कर दें। उसकी सफाई हो जाने के बाद फिर जनरल डिस्कशन में मैं अपने विचार आपके द्वारा सदन की खिदमत में पेश करूंगा।

(कुछ देर ठहर कर)

श्रीमन्, मैंने पहले निवेदन किया था और आपके द्वारा मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस बीच में मैंने मौर्य जी से दो सवाल किये थे लेकिन माननीय मौर्य जी ने उसका स्पष्टीकरण नहीं किया। अब माननीय राजस्व मंत्री जी भी सदन में प्रस्तुत हैं और मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो दो शंकायें हैं उनका समाधान कर दें। एक तो यह है कि ३० एकड़ जो जमीन रख रहा है तो ५० एकड़ की जो पहले एरिया थी उसको सरकार अब ३० एकड़ कर रही है तो ३० एकड़ जमीन जोतने वाले की प्रोड्यूस वैल्यू अगर ३ हजार से कम रहेगी तो क्या वह कृषि कर से वंचित रह जायगा? या जो ३० एकड़ से कम जमीन जोतने वाला है और उसकी प्रोड्यूस वैल्यू अगर ३ हजार से ऊपर हो जायगी तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? ये मेरे दो सवाल थे और मैं माननीय मंत्री जी की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि इसको वे जरा साफ कर दें तो जेनरल डिस्कशन में अपने विचार प्रकट करने में अच्छा रहेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको साफ कर दें, उसके बाद ही मैं जेनरल डिस्कशन में आपके आदेशानुसार फिर आगे चलूंगा।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहला ऐक्ट था या ऐक्ट की धारा इस सिलसिले में थी वैसा ही है बिल्कुल, सिर्फ ५० एकड़ का ३० एकड़ हो गया है। यानी ३० एकड़ से कम वाला कोई किसान है और उसकी ५० रुपये लगान की आमदनी है और उसकी खेती से आमदनी मिल कर ३ हजार हो जाती है तो टैक्स लगेगा और अगर नहीं होती है तो नहीं लगेगा।

श्री राजनारायण—श्रीमान्, जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने स्पष्ट किया और जैसा कि इससे पहले माननीय मौर्य जी ने इस सदन में अपने मत को प्रकाशित किया उसके देखते हुए अब मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि सरकार को यह सुझाव दे सकूं कि सरकार जरा निश्चयात्मक कदम उठाये। इस कृषि-कर के संबंध में मैं यह साफ़ कह देना चाहता हूं कि ३० एकड़ जमीन जोतने वाले जो हैं ३० एकड़ के ऊपर जितनी भी रकम उनको पैदा होती है, कर का विधेयक लाकर सरकार उनकी सारी आमदनी ले ले तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। माननीय वित्त मंत्री को खुशी होना चाहिये क्योंकि उनको अपनी विकास योजनायें कार्यान्वित करने के लिए सदन में बार-बार भिन्न-भिन्न तरह के करों को लाने की जरूरत न पड़े और गरीबों, अकिंचन और जो दरिद्र हैं उनके ऊपर कर का भार डालने की जरूरत न पड़े। मैं निवेदन करता हूं कि जब यह कृषि-कर का विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है और संशोधन के लिये लाया गया है तो इससे जितनी भी आमदनी इस सरकार को निकालने की गुंजाइश हो सकती है उतनी आमदनी इसको निकालनी चाहिये। श्रीमान्, मैं इस सरकार को बतला देना चाहता हूं कि कृषि कर हमारे प्रदेश में बहुत बाद में लगाया गया है। इसकी ओर सरकार ने बहुत देर से ध्यान दिया। यहां के संयुक्त दल के सदस्य या और कोई सम्मानित सदस्य जिनका उसमें व्यक्तिगत या निजी मामला पड़ता हो वह कोई एतराज करें तो दूसरी बात है नहीं तो इस बिल को बहुत पहले आ जाना चाहिये था। यू० पी० में यह कृषि कर विधेयक १९४८ में आया जब कि आसाम में १९३९ में, बंगाल और उड़ीसा में १९४७ में आया। हमारे अन्य प्रान्तों की सरकारें कृषि कर के जरिये आमदनी करने की ओर प्रयत्नशील थीं और दत्तचित्त थीं। उन्होंने इस तरीके को अपना कर राजस्व को बढ़ाया और अब इस सरकार को इसमें क्या आपत्ति है? इसलिये अब यह सरकार एक निश्चित कदम उठाये। अगर सरकार के दिमाग में ३ हजार की बात है तो वह ३ हजार की रकम चाहे ३० एकड़ का एरिया कल्टीवेट करने से हो या कम एरिया कल्टीवेट करने से हो, उसके ऊपर जो आमदनी हो तो उसके ऊपर टैक्स लगाये। अगर दोनों बात होती हैं तो भिन्न-भिन्न स्तर के अधिकारियों को रखने की आवश्यकता होती है, भिन्न-भिन्न तरीके से जांच पड़ताल करने की जरूरत पड़ती है। अन्ततोगत्वा कृषि कर के संबंध में मेरी निजी राय यह है और पहले भी इस सदन में अपने जजबात का इज़हार किया है, और मैं समझता हूं कि माननीय रणंजय सिंह को भी इसकी जानकारी होगी जो कि इस सदन के माननीय सदस्य हैं कि १७ हजार या १० हजार से हट कर अपील में १ हजार या डेढ़ हजार रकमें हो गई हैं। मैं यहां पर कहना तो नहीं चाहता था लेकिन अब माननीय राजस्व मंत्री जी की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं कि किन्हीं विशेष कारणों से ऐसे लोगों के कृषि कर को खत्म कर दिया गया जिनके पास काफी प्रोड्यूस वैल्यू (आमदनी) हुई थी। तीस-तीस, चालीस-चालीस हजार उनकी आमदनी होते हुए भी उनके ऊपर कृषि कर नहीं लगा।

यह तो उन्हों ने अपने खानदान को कई भागों में विभक्त करके उसे ३० या ५० एकड़ जो पहले था पैदावार को कागज में कम लिख दिया था या कोई और कारण हुआ होगा। मगर श्रीमान् मैं पुर्ननिवेदन करना चाहता हूं राजस्व मंत्री जी से कि वह एक डेफीनैट पालिसी अख्तियार करें। अगर सरकार ३ हजार की आमदनी प्रोड्यूस वैल्यू को मानती है और चाहती है कि उस पर एग्रीकल्चरल टैक्स होना चाहिये तो उस तीन हजार की वैल्यू रखने से सरकार को क्या दिक्कत है? आखिर यह डबल डीलिंग क्यों है?

श्री चरण सिंह—डबल डीलिंग के माने तो धोखा देना है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी।

नीको पर फीको लगे बिन अवसर की बात,
जैसे बनत न युद्ध में रस शृंगार सुहात।

में डबल डीलिंग के माने धोखा देना नहीं समझता। तो मैं अर्ज कर रहा था, श्रीमान्, कि सारे सूबे को कई भागों में विभक्त कर लिया जाये और देखा जाय कि कौन सी जमीन की उत्पादक शक्ति कैसी है। एवरेज फरटिलेटी, औसत उत्पादकता के सिद्धांत को आधार बनाया जाये और यह देखा जाय कि किस-किस जमीन में कितनी पैदावार होती है। मुझे एक बात की खुशी हो रही है कि सदन में जो बार-बार हम ने चर्चा की कि सरकार का विधेयक किसी भी रूप में आये तो उस में कैपेसेटी टू पे देखनी चाहिये। कैपेसिटी टू पे देने की क्षमता शायद माननीय राजस्व मंत्री के दिमाग में आई कि कैपेसिटी टू पे ५० एकड़ से ३० एकड़ भी हो सकती हैं। हमने सदन में कहा था कि ३० एकड़ मैक्सीमम होल्डिंग की सीमा बांध देनी चाहिये। ऐसे लोगों के पास जिनके पास जमीन नहीं है बेसिक होल्डिंग ५ एकड़ से ६ एकड़ हो जाना चाहिये। श्रीमान् हम जो व्यवस्था बता रहे हैं अगर उसके अनुसार सरकार इस विधेयक को रखेगी तो निश्चित रूप से हमारे प्रान्त में एक विद्रोहात्मक शक्ति पैदा हो जायेगा। मोटी तरह से वही आदमी विद्रोही होता है—

१—जिसका आर्थिक शोषण हो,
२—राजनैतिक उत्पीड़न हो,
३—दरिद्रवस्था हो,
४—उत्पादक वर्ग हो,

५—निजी सम्पत्ति के बंधन से मुक्त हो कर संगठित हो और अपने संगठन द्वारा विरोधी तत्वों को झुका सकता हो।

यही पांच शरतें हैं जिनसे पीड़ित होकर कोई तबका विद्रोह करने की क्षमता रखता है। अगर देखा जाये तो आज हमारे देश में वह तबका हरिजन है। पिछड़ी जातियां हैं जिनके पास कोई साधन जीविकोपार्जन का नहीं रह गया है। उनके अन्दर विद्रोह की क्षमता हो सकती है। लेकिन जो आदमी ३० एकड़ से ऊपर जमीन रखता हो या ५० एकड़ से ऊपर जमीन रखता हो, और माननीय मंत्री जी समझें कि उसके अन्दर विद्रोह करने की क्षमता है तो यह असंभव है। अगर वह करेगा तो माननीय मंत्री जी के डर से ही करेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जब सब बातों को ठीक तरीके से समझ कर यह जो प्रगतिशील प्रणालियां हैं उनको अख्तियार करें। हर दृष्टिकोण से हमारी इस बात को देखें। मैं समझता हूं श्रीमन् कि वह इन विषयों पर गहराई के साथ विचार करेंगे और समझ कर इसमें जो इंटरनल कंट्रेडिक्शन रह गये हैं उनकी तरफ भी ध्यान देंगे और वे इंटरनल कंट्रेडिक्शन्स यही हैं कि पहली शर्त तो पूरी होनी चाहिये। मैं अपने मित्र मौर्य जी की तवज्जह दिलाऊंगा कि पहले तीस एकड़ की शर्त पूरी करनी चाहिये और उसको पूरा करने के बाद फिर तीन हजार की प्रोड्यूस वैल्यू की शर्त को पूरा करना चाहिये। माननीय मौर्य जी अपने प्रथम भाषण में तीस एकड़ वाली शर्त को साफ नहीं कर पाये हैं और माननीय राजस्व मंत्री जी अगर मेरे समझने में कोई गल्ती है तो उसको दूर कर लेंगे। इसमें लिखा हुआ है :—

> "अधिनियम की धारा ६ कि उपधारा (२) खंड (क) के अनुसार व्यक्तिगत काश्त के क्षेत्र का मूल्य मौरूसी दरों के अनुसार लगाये जाने की व्यवस्था की गयी है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग में मौरूसी दरें मंदी के दिनों में नियत की गयी थीं और उनसे सामान्यतः भूमि के उत्पादन मूल्य का पांचवां भाग ही व्यक्त होता है। इस प्रकार आरम्भ में साढ़े सात का जो गुणा (multiple) निश्चित किया गया था वह बहुत ही कम था। इसलिये यह प्रस्ताव है कि उस गुणा को बढ़ा कर साढ़े बारह कर दिया जाय।"

यानी कहने का मतलब यह है कि जो मौरूसी दर तै किया गया कि प्रोड्यूस वैल्यू का वह पांचवां हिस्सा होता था अब आगे चल कर वह साढ़े सातवां हिस्सा हुआ और इसमें अब साढ़े बारहवां हिस्सा रह जायगा। यह तो ठीक है लेकिन इसका मतलब यह होगा कि पहले की बनिस्बत इस समय जो कम भी लगान देने वाले होंगे उसका साढ़े बारह गुना करके तीन हजार तक भी पहुंच सकते हैं। तो थोड़ी सी इसमें गुंजाइश आती है। माननीय मौर्य

[श्री राजनारायण]

जी की आकृति और विकृति को और उनकी भ्रकुटिविलासिता को देखकर मैं यह समझ रहा हूं कि वे गहराई के साथ समझने लगे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस साढ़े बारहवें हिस्से को तीस एकड़ के साथ कैसे मेल खिलायेंगे तीस एकड़ वाली बात तक गवर्नमेंट आ गई इसके लिये मुझे खुशी है। हमारे बारबार हैंकिल करने से यह सिद्धांत तो गवर्नमेंट ने मान ही लिया यानी "रसरी आवत जात तें सिल पर परत निशान," अगर पत्थर पर भी बारबार रस्सी आवे जावे तो निशान बनकर रहता है। तो आपने तीस एकड़ के सिद्धांत को तो मान ही लिया इसकी तो मुझे खुशी है लेकिन मैं चाहता हूं कि तीस एकड़ को एवरेज खेती अंकित कर देना चाहिये और इसके साथ तीस एकड़ और तीन हजार में तारतम्य स्थापित करना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि एक ओर जुल्म हो जाय और दूसरी ओर रियायत हो जाय तो इस जुल्म और रियायत की गुंजाइश नहीं आने देना चाहिये। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा, और वह केवल इसी विधेयक में ही नहीं लागू होगा वरन् सरकार की जितनी गतिविधि होती है वह सब पर लागू होगी। हम यह चाहते हैं कि ऐसा सीधा सादा कानून बनायें जिसके अन्तर्गत किसी को भी बेईमानी करने की गुंजाइश न रहे और अगर कानून इतना पूर्ण न हो पाये तो बेईमानी करने की गुंजाइश कम होती चली जाय। क्योंकि सरकार के मंत्रिगण इस सदन में बारबार इस बात का चर्चा किया करते हैं कि हमारा जो नेशनल करेक्टर है वह पतन के गर्त में गिरता चला जारहा है। तो जब परिस्थिति का उनका विश्लेषण यह है तो उस विश्लेषण को देखते हुये ऐसा विधेयक क्यों नहीं बनाया जाता कि कोई आदमी अगर बेईमानी भी करना चाहे तो वह कर न पाये? श्रीमन्, टक्साल गृह में कुछ आदमी काम करते हैं कि जिनके दिमाग में यह भावना चलती है कि हम वहां से कुछ मुद्रा ले लें लेकिन वहां के नियम ऐसे हैं कि वह नहीं ले जा सकते हैं। इसलिये अगर वह बेईमानी करने की इच्छा भी रखता हो और चुराने की भावना भी रखता हो तो उसके लिये हमारे कानून ऐसे हों, इस तरह की जांच पड़ताल हो, और इस तरह का पहरा बैठा हो कि वह वैसा न कर सकें। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक के जरिये से ऐसी गुंजाइश पैदा कर दे कि कोई बेईमानी का उसको मौका न मिल सके। माननीय माल मंत्री यहां पर अभी नहीं थे अब मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमारे इस निवेदन को मान लें क्योंकि कभी-कभी वह हमारी बात को ध्यान से सुन लेते हैं और मैं यह जानता हूं कि वह वस्तुस्थिति के गुणदोष का विचार करके उस पर विवेचन करते हैं। आज मुझे दुख हुआ जब कि माननीय मौर्य जी ने जिस भावना को लेकर इस विधेयक को यहां पर प्रस्तुत किया, हमको उनकी भावना से विरोध नहीं है लेकिन सदन में बारबार हमारी जो भावना है उनको हमने बतलाया है कि ३० एकड़ की सीमा निर्धारित की जाय, डाइरेक्ट टैक्सेशन (सीधा कर) लगाया जाय, डेथ ड्यूटी (मृत्यु कर) लगे। उन्होंने इस बात को गलत समझा कि हम जो समय चाहते हैं वह समय इसलिये चाहते हैं कि हम उनके रास्ते में बाधक हों। हम तो उनकी सहूलियत पैदा करने के लिहाज से समय चाहते थे और आन्तरिक परस्पर विरोध की परिस्थिति को मिटाने के लिये समय चाहते थे। सरकार का बहुमत है वह चाहेगी तो इस विधेयक को पास करा लेगी। मगर श्रीमन्, मैं बिलकुल दावे के साथ कहता हूं और माननीय राजस्व मंत्री जी की खिदमत में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संकट अपनी जगह पर बना रहेगा और इसकी पूर्ति के लिए राजस्व मंत्री जी को निकट भविष्य में कोई न कोई विधेयक लाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वह इस पर ध्यान दें। जमींदारी अबालीशन संशोधन बिल पर हम थोड़ा सा समय चाहते थे और उसके लिये उनसे निवेदन किया था। उस निवेदन को न मानने की वजह से उनको ३ बार संशोधन करने के लिये वह बिल लाना पड़ा था। उसी तरह से इसके लिये भी हालत पैदा होगी। उनको यह अधिकार है लेकिन जो परिस्थिति बतलायी गयी है उस परिस्थिति का उनको सामना करना पड़ेगा और उस परिस्थिति का सामना करने के लिये एक समुचित विधेयक इस सदन के सामने लाना पड़ेगा, और इस तरह से बार-बार संशोधन लाने से सदन का समय नष्ट होता है। इस अवसर पर मैं फिर राजस्व मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि

अब सामान्य डिस्कशन हो रहा है, १,२ घंटा का समय मिल जाय तो इस पर हम विचार कर लें। हम ऐसे संशोधन कर सकते हैं कि जो ३ हजार और ३० हजार का विरोधाभास है वह हल हो जायगा। मैं चाहता हूं कि कुछ समय मिल जाय तो उनकी खिदमत में अपने विचार उपस्थित कर दूं और फिर आगे वह उसी के अनुसार व्यवस्था करें।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि विरोधी दल के नेता इस विधेयक को समझे नहीं हैं और उन्होंने जो विवाद और समालोचना की है वह असल में उस पर नहीं है। उनके विचार में जो आया सो कह दिया। इस विधेयक में ४,५ बातें हैं। एक तो यह है कि पहले कृषि कर अधिनियम के अनुसार यह तरीका था कि आमदनी पर कर लिया जाता था, या करदाता के लगान का जो परता होता था, जो जमीन उसके पास है उस जमीन के परते से जो लगान आता था उसके ७ १/२ गुने को आमदनी मान कर कर लिया जाता था। मगर एक बात यह थी कि अगर उसने एक दफा यह तरीका तय कर लिया कि मैं आमदनी पर कर दूंगा तो फिर वह बदल नहीं सकता था कि मैं अपने परते पर देना चाहता हूं। अगर इस साल आमदनी पर दिया है तो अगले साल भी उसको आमदनी पर ही देना होगा, और इसी तरह से तीसरे साल भी देना होगा। और अगर वह परते से देना तय कर लेता था तो आगे भी उसको हर साल परते से देना होता था। इसको परिवर्तित करने का अधिकार केवल बोर्ड आफ रेवेन्यू को ही था, उसका मौका करीब-करीब आता ही नहीं था। इसलिये यह पाबन्दी कि करदाता ने जो तरीका एक बार पसन्द कर लिया है वह फिर बदला नहीं जा सकता। उस पावन्दी को हटा दिया गया है। अब कृषि करदाता को यह अधिकार है कि वह एक वर्ष में आमदनी पर कर दे और दूसरे वर्ष में चाहे तो परते पर दे दे। इसलिये इसमें अब भारी सुधार हो गया है। पहले जो बहुत बड़ी गड़बड़ी होती थी, और जिसकी वजह से कहीं-कहीं अन्याय होता था और कहीं-कहीं सख्ती होती थी वह अब जाती रही है। अगर कोई करदाता समझता था कि हमारे हिसाब को सही नहीं माना जाता है और अधिकारी जो चाहे उस पर लगा देते हैं और उसी को मानना पड़ता है और व्यर्थ की मुकदमेबाजी होती है। इसी प्रकार वह चीज भी अब हटा दी गई है। अब लगान के हिसाब से पर्ते पर देगा और कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। एक बड़ी भारी चीज इसमें यह हुई है।

दूसरा परिवर्तन इसमें यह हुआ कि पहले बाग़ों में जो खर्च दिया जाता था वह केवल १२ प्रतिशत आमदनी पर दिया जाता था, यानी जो आमदनी है उसका २ आना रुपया काट दिया जाता था। उसमें भी कभी-कभी बहुत अन्याय होता था। जो बागात शहरों में होते थे उनमें खर्च ज्यादा होता था। जिनको शहर के बागात का अनुभव है वह जानते हैं कि नगरों के बागात में बहुत अधिक खर्च होता है और बाज-बाज साल तो खर्च ज्यादा और आमदनी कम होती है। इसीलिये इस विधेयक में यह रखा गया है कि बागात का खर्च और आमदनी इसी तरह से लगाई जायगी जिस तरह से किसान के खेत की उपज का हिसाब लगाया जाता है। उसका सारा खर्च लगाया जाता है और वह आदमनी में से काट दिया जाता है। इसी तरह से जो बागात की आमदनी और खर्च हैं दोनों को आपस में मिनहा करने के बाद ही आमदनी कायम की जायगी।

तीसरा परिवर्तन इसमें यह हुआ है कि पहले जो कर नियत होता था वह ४ किस्तों में लिया जाता था, लेकिन अब वह केवल २ किस्तों में ही लिया जायगा। एक तो उस समय जब नोटिस दिया जायगा और बाकी जो आधा बचा वह उसके ६ महीन के बाद लिया जायगा।

अब रह गई ३,००० रुपये वाली बात। इसमें मालूम होता है कि माननीय राजनारायण जी को कुछ मुग़ालता हुआ है वह यह है कि अगर किसी किसान के

[श्री रतनलाल जैन]
पास ३० एकड़ जमीन से कम है और वह लगान जो उसकी किसी प्रकार वसूल होता है वह ५० रुपये से ज्यादा न हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ३० एकड़ से कम वाली जमीन, बशर्ते कि करदाता को ५० रुपये से ज्यादा लगान वसूल न होता हो तो उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जायगा। अगर ३० एकड़ से जमीन ज्यादा है या ५० रुपये से ज्यादा आमदनी लगान से होती है तब ही उसका हिसाब लगाया जायगा, वर्ना नहीं। इससे छोटे-छोटे किसान जिनकी ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है और जिनको लगान भी वसूल नहीं होता है उन पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसलिये हमारे भाई का जो भ्रम है वह दूर होना चाहिये। इसमें अब का कानून बहुत स्पष्ट है और उसमें कोई धोखे या दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी के पास ३० एकड़ से जमीन कम है तो वह साफ बच गया और उससे कोई कर नहीं लिया जायगा सिर्फ उन्हीं से लिया जायगा जिसके पास ३० एकड़ से अधिक जमीन है, वह चाहे आमदनी का हिसाब दें या पर्ते पर दें।

पहले जो पर्ता लगान का था उससे ७ १/२ गुना लगान करके आमदनी स्थिर की जाती थी। अब इसे कृषि कर के द्वारा पर्ता लगान से १२ १/२ गुना आमदनी स्थिर की जावेगी। अगर किसी की आमदनी कृषि के ऊपर उसके परते के लिहाज से मान लीजिये पांच सौ रुपया आती है तो साढ़े सात गुना के हिसाब से उसकी ३७५० हुई। मगर अब इस कृषि कर के द्वारा आमदनी बजाय साढ़े सात के साढ़े १२ मानी जायगी। अगर मान लीजिये कि पांच सौ उसकी आमदनी है जो कि परते से आती है, तो साढ़े बारह गुने के हिसाब से उसकी साढ़े ६२ सौ रुपये की आमदनी कायम कर ली जायगी। इसके लिए कारण यह है कि जब यह परते कायम हुये थे उस वक्त एक सस्ते का जमाना था। १९४० से पहले ये परते कायम हुये हैं और उस वक्त गेहूं पन्द्रह बीस सेर एक रुपये का मिलता था। हरएक चीज बहुत सस्ती थी, इसलिये उसका परता भी कम कायम हुआ था। अगर १५ बीस सेर नहीं था तो १२ तेरह सेर सही। बहरहाल लड़ाई से पहले अनाज बहुत सस्ता था इसलिये उसका परता भी उस वक्त कम कायम किया गया था। परते में यह ध्यान रखा गया कि जो आमदनी किसान की है उसका पांचवां हिस्सा लगा कर परता कायम किया गया। इसलिये साढ़े सात गुने से ज्यादा आमदनी नहीं आती थी। गवर्नमेंट ने यह सोचा कि चूंकि उस जमाने में यह परता कायम हुआ है कि अब जब अनाज सस्ता था, परते का रेट भी सस्ता था, इसलिए साढ़े १२ कर दिया जाय गोकि मेरे विचार में अगर यह साढ़े १२ के बजाय दस होता तो ज्यादा अच्छा था। खैर यह दूसरी बात है। मैंने यह आपसे अर्ज किया कि इस तरह से चूंकि पहले जमाने में जब मंदी थी परता भी हल्का था। इसलिये अगर अब परते से साढ़े १२ भी लगाया जाता है तो वह ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा जिसको हम अनुचित कह सकें। इसलिये मैंने जो-जो बात इस कानून में समझी वह आपके सामने रख दीं। मैं आशा करता हूं कि श्री राजनारायण जी को जो बहुत कुछ संदेह इस विधेयक के सम्बन्ध में था उनका बहुत कुछ संदेह दूर हो जायगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार ने उत्तर प्रदेश कृषि आय कर संशोधन विधेयक उपस्थित किया है, जहां तक उसका उद्देश्य है, जो त्रुटियां रह गयी थीं, यह कुछ कानूनी दिक्कतें थीं, उनको दूर करने का जो मैं समर्थन करता हूं। लेकिन वहां सरकार ने इस बात की चेष्टा की है कि इसको और बढ़ा दिया जाय, इसका स्कोप बढ़ा कर कुछ आमदनी और की जाय उसका मैं विरोध करता हूं।

श्रीमन्, एक तरफ तो हमारी सरकार जोरों से प्रचार करती है कि हम अधिक अन्न पैदा करें, किसानों को प्रोत्साहन दिया जाय, फार्म होल्डर्स को हर तरह से इमदाद दी जाय कि वह देश में अधिक अन्न पैदा करें, उसके साथ-साथ आप

इस विधेयक में यह देखते हैं कि सरकार की पचास लाख की आमदनी को बढ़ाने के लिए यह छोटा सा विधेयक पेश किया गया है। दरों के मल्टिपिल को बढ़ा देना, और पचास एकड़ के बजाय तीस एकड़ तक यह टैक्स लगाना, इसका नतीजा यह होगा कि जहां आप अपने उद्देश्य में यह कहते हैं कि हमको अन्न अधिक पैदा करना चाहिए, वहां अगर आप इस तरह से छोटे-छोटे किसानों के जो फार्म्स हैं उन पर यह टैक्स लगाएंगे तो बजाय प्रोत्साहन के बड़ा भारी धक्का उनको मिलेगा। मैं नहीं देखता कि ५० लाख से सरकार को कितना बड़ा लाभ हो जायगा? इस ५० करोड़ के फायदे से तो सरकार का उधर अन्न बढ़ता वह ज्यादा अच्छा था। जब कि सरकार करोड़ों रुपया और अरबों रुपया विदेश में देती है सिर्फ अन्न खरीदने में, तो अगर उधर अन्न बढ़ा कर उस रुपये को बचाएं और कर न लगाएं और उसके बजाय मदद दें तो और अधिक फायदा आप देश का करेंगे और इस प्रान्त का भी करेंगे। हमारे मित्र सोशलिस्ट भाइयों के दिमाग में भूत सा सवार है कि ३० एकड़ होना चाहिये। हमारा मतलब यह है कि ३० एकड़ तो हो लेकिन उससे इतनी आमदनी तो हो सके कि वह टैक्स दे सके और तभी आप लीजिये। आपको यह भी तो देखना चाहिये कि हर चीज आज गिरां है। कपड़े का दाम दूना हो गया है, बैल की कीमत आज क्या हो गयी है? मान लिया कि अनाज की कीमत बढ़ी हुई है तो बहुत से भाई समझते हैं कि अनाज तेज है इसलिये आमदनी ज्यादा हुई, इसलिये उससे टैक्स लेना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि अभी जमींदारी खत्म होने के बाद जो एक्स-जमींदार हैं उन्होंने थोड़ा सा धंधा शुरू किया, अपने फार्म पर रुपया लगाया, और फार्म्स पर काम करना चाहते हैं तो आपको तो उनकी मदद करनी चाहिये। यह उचित नहीं है किसी प्रकार से कि छोटे-छोटे लाभ के लिए सरकार इतना बड़ा धक्का उनको पहुंचाए। आप किसी की उन्नति में कितनी बड़ी बाधा पहुंचाने जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को यह किसने राय दी कि छोटी सी रकम बढ़ाने के लिए इसका मल्टिपिल बढ़ा दिया जाय और ५० एकड़ के बजाय ३० एकड़ पर लगा दिया जाय। ३० एकड़ वाले कोई बड़े जमींदार नहीं हैं। छोटे-छोटे किसान हैं। और अगर उन्होंने ३० एकड़ कर लिया है तो वह अपने परिश्रम और अपने पैसे से किया है। किसी ने जमीन उनको इनाम में नहीं दी है। आप चाहते हैं कि उन पर टैक्स लगा कर उनको धक्का पहुंचाएं, तो मैं इसका विरोध करता हूं और आपके जरिये फिर सरकार से अनुरोध करूंगा कि जहां तक त्रुटियों का सवाल है इस कृषि आय-कर बिल में उसको तो आप पास कीजिये, लेकिन जहां आपने ५० एकड़ से ३० एकड़ घटाया है और मल्टिपिल बढ़ाया है उसका मैं विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इन दोनों चीजों को हटा दें तो मैं इसका समर्थन करूंगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आज सदन के सामने यह बात बताना चाहता हूं कि यह जो टैक्सेशन लग रहा है और ५० एकड़ की बजाय जो ३० एकड़ पर किया गया, यह अनुचित नहीं है। हम अपने सोशलिस्ट भाई श्री राजनारायण जी को भी बताना चाहते हैं कि जब मैंने उनकी तकरीर सुनी तो मुझे दुःख हुआ कि वह भी विरोध करने लगे।

श्री राजनारायण—हमने विरोध नहीं किया। आप ग़लत कहते हैं।

श्री शिवनारायण—खैर, ३ हजार पर तो आप कहते हैं...

श्री राजनारायण—३ हजार से भी मैंने नहीं कहा। आप ग़लत कहते हैं।

श्री शिवनारायण—खैर, श्रीमन्, यह जो ३० एकड़ पर टैक्सेशन लग रहा है तो ३० एकड़ उन्हीं लोगों के पास है जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने जमींदारी कानून बनने के समय अपने रिश्तेदार और नातेदारों को अपने खाते को बांट दिया। उन्हीं

[श्री शिवनारायण]

पर यह लगाया गया है। किसी किसान के पास ३० एकड़ ज़मीन नहीं है। बमुश्किल तमाम में तो कम से कम अपने ज़िले की बात बताता हूं कि ज्यादा से ज्यादा किसी के पास चार बैल की खेती है किसी के पास दो बैल की खेती है, और इससे बेशी किसी किसान के पास नहीं है। ज्यादा खेती बड़े-बड़े ज़मींदारों के पास है जिनके पास तीस-तीस, चालीस-चालीस बीघा ज़मीन परती पड़ी हुई है। राजा साहब के यहां पड़ती ज़मीन पड़ी रहती है और हमारे प्रधान मंत्री जी को देश विदेश से अन्न की भीख मांगनी पड़ती है, क्योंकि आप अकर्मण्य हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। हरिजनों का नाम लिया गया लेकिन कोई हमें खेत देता नहीं है। हमारा जो टेन परसेंट का रिज़र्वेशन है वह भी नहीं पूरा होता है। जिस दिन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का बजट चल रहा था मैंने अपोजीशन का विरोध किया था, लेकिन किसी पत्र में छप गया कि मैंने हरिजनों का जो हक है उसका विरोध किया। मैंने उसका विरोध नहीं किया वह तो हमारा हक है। अगर बाबू राजनारायण सिंह और राजा साहब देश का कल्याण चाहते हैं, और ग्रो मोर फूड कैम्पेन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको हरिजनों के लिये ज़मीन का प्रबन्ध करना चाहिये। खाली गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। हम आपके पुराने साथी हैं, नये नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूं राजा साहब उसको ग़ौर से सुन सकते हैं कि हमने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ तलवार खींची थी। हम उसके अगवाड़े नहीं बरते हैं, पिछवाड़े वरते हैं। जैसा आप करेंगे वैसा आप भुगतेंगे। कमाते हम हैं और खाते आप हैं। हमारे भाई हल चलाते हैं, मजदूरी करते हैं और राजा साहब खाते हैं और बंगलों में मजा उड़ाते हैं। मैं आज हाउस को बतला देना चाहता हूं कि यह जो टैक्सेशन हो रहा है यह एक बहुत सुन्दर कदम है। हम समाज को बराबर ले आना चाहते हैं, छोटों को ऊपर लाना चाहते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट सोशलिज्म को देश में धीरे-धीरे फैला रही है, सबको बराबर करना चाहते हैं, लेकिन किसी का एकदम गला दबाना नहीं चाहते हैं।

कल हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पर जुमलाकशी की गयी, यद्यपि उनका इस सदन में सब से उत्तम विषय था। टैक्सेशन का जब विरोध होता है तब गवर्नमेंट कहां से चलेगी। नो गवर्नमेंट विदाउट टैक्सेशन क्या कोई सरकार बिला कर के चल सकती है? आपने कोई सुझाव पेश किया? राजस्व मंत्री जी कहां से ले आवें, वे अपने घर से नहीं देंगे। आज टीचर्स की हड़ताल चल रही है लेकिन यह उपाय नहीं बताया गया कि उनके लिये रुपया कहां से आयेगा। मैं फिर कहता हूं कि यह एजीटेशन D.B. में होना चाहिये। हम अध्यापकों के पक्ष में हैं, लेकिन जहां से मिलना हो वहां से मांगना चाहिये। मैं राजनारायण जी से कहूंगा कि जब असाढ़ में खेत में हेंगा होने को होता है तब पड़ोसी से कहा जाता है कि हेंगा हमारे खेत में दे दो। वैसे ही हमारे हरिजनों का नाम ले लिया जाता है। आप ने तो कुछ किया नहीं। मैं श्री राजनारायण जी से पूछना चाहता हूं कि गंगापुर में आपने कितना इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन किया, आपने अपनी ज़मींदारी और सीर से कितनी ज़मीन हरिजनों को दे दी। राजा साहब मैं दूर नहीं रहता हूं, मैं आप के यहां जा करके देखूंगा। मेरी कांस्टिट्युएंसी आप से सटी हुई है, नदी पार करके मैं आपके यहां पहुंच जाऊंगा। यह जो बिल आया है, इसमें सिर्फ संशोधन करना है, कृषि आय कर हम लगा रहे हैं। हर प्रकार का कर आवश्यकतानुसार लगाना पड़ता है। आवश्यकता के लिये प्रत्येक कार्य करना पड़ता है। यदि किसी के शरीर में फोड़ा हो जाय तो बिला आपरेशन के काम नहीं चल सकता है। जब से स्वतंत्रता हुई है तब से हम सारी मुसीबतें उठा रहे हैं, सूखा हुआ, भुखमरी हुई, और तमाम चीज़ें हुईं। हमारी गवर्नमेंट ने जनता को चरी खिला करके जिलाया, और मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि जनता ने चरी खा करके हमको वोट दिया। हमने माननीय हुकुम सिंह के एलेक्शन में देखा कि वहां

समान रखने लोग इकट्ठा हो गये लेकिन किसान ने असली फैसला किया । कहना यह है कि सदन में जितनी बातें कीजिये उस पर अमल किया जाय, सिर्फ गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। हमको और आपको मुल्क की भलाई करनी है। हमको बाहर से अन्न मंगाने में दुःख होता है, हमारा रुपया बाहर की कम्पनियों के हाथ में जाता है। हम और आप मिल करके खेती करें और बांट करके खायें, यह हमारी डिक्लेयर्ड है। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि मुल्क की भलाई हो और हम मिल करके देश का उत्थान करें। प्रत्येक गांवों में, शहरों में और हर जगह आज क्रिटिसिज्म चलता है। मैं आज पुनः सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अध्यापकों का जो प्रश्न है वह तय किया जाय और उस पर विचार किया जाय, और केवल इन्हीं की कथा न रहे कि ये हमदर्द हैं हम भी उस्तादों को इस तरह समझते हैं, उनको गैर नहीं समझते हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह अनुरोध करूंगा कि जितनी बात यहां की जाय वह सुन्दर की जाय। मैंने अभी समझा था कि राजनारायण जी ने कोई स्टैंड लिया होगा। तीस एकड़ का उनका नारा था वह चल रहा है। आप सपोर्ट कीजिये और वह चलेगा। सोशलिस्ट प्रोग्राम जितना था, वह कांग्रेस ने लिया। अब वे सोशलिस्ट भाई प्रजासोशलिस्ट हो गये। तो हिन्दुस्तान में अब कोई सोशलिस्ट तो रहा नहीं, अब तो वे प्रजासोशलिस्ट हो गये। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि यह जो बिल है और जो टैक्सेशन है यह उचित ढंग से किया जायगा। जिनकी आय तीन हजार की आमदनी है या जिनकी आराजी ३० एकड़ से ज्यादा है उनसे यह टैक्स लिया जायगा, नीचे वालों से नहीं लिया जायगा। यह भी सरकार ने आश्वासन दिया है कि जहां पर पत्थर पड़ेंगे वहां यह कर माफ कर देंगे। हम यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में पत्थर न पड़ें और आपत्ति न आये और हमारा देश सुखी और समृद्धशाली बने।

श्री राजनारायण—श्रीमन् एक आपत्ति मुझे यह है कि माननीय शिवनारायण जी ने "बाबू राजनारायण सिंह" कहा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि "बाबू" शब्द भी हमारे लिए घृणित है और "सिंह" शब्द भी मैंने सन् १९४२ से निकाल दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—तो आपने सूचना दे दी। अब आगे से वह इस्तेमाल नहीं करेंगे।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, अगर उनको दुःख हुआ है तो मैं इन शब्दों को वापस लेता हूं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा दुर्भाग्य है कि माननीय सदस्य बस्ती की ब्रिलिएंट ओरेटरी के बाद आपने मेरा नाम पुकारा और मुझे मालूम नहीं कि उस ऊंचे पैमाने की ओरेटरी सुनने के बाद माननीय सदस्य इस मूड में होंगे भी या नहीं कि वे कुछ मेरे भी चन्द शब्द सुनें।

श्रीमन्, इस विधेयक में जैसा कि माननीय सभा सचिव ने कहा पांच, छः बातें जिनकी वजह से यह संशोधन विधेयक यहां लाया गया है। इसमें कुछ तो ऐसी ग़लत-फ़हमियां या गलतियां या त्रुटियां पहले विधेयक में थीं उनको ठीक करने के लिये कुछ और ऐसी चीजें इसमें रखी गयी हैं जिससे किसी तरह की कोई बेईमानी न की जा सके सरकार के साथ। परन्तु इसके साथ-साथ इस अवसर से यह भी फ़ायदा उठाया गया है कि सरकार के कोष में कुछ अधिक रुपये भी आ जायं। श्रीमन्, जहां तक फ़ाडुलेंट ट्रान्सफर का सवाल है इस विधेयक में जो यह प्राविजन किया गया है उससे मैं सहमत हूं। जहां तक यह साफ किया गया है कि अगर १९५२ में जमीन

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

थी और १९५३ में नहीं है तो १९५२ का टैक्स उसको देना ही पड़ेगा उससे भी मैं सहमत हूं। परन्तु आगे जो मुझे आपत्ति है उसमें जो कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूं उसका भार भी माननीय सभा सचिव ने मेरे ऊपर से बहुत हल्का कर दिया है। उन्होंने स्वयं कहा कि संयुक्त दल की ओर से जो कुछ आपत्तियां हैं, अमेंडमेंट्स का भी जिक्र उन्होंने किया, मैंने उनके शब्द नोट कर लिये थे, "एतराजों की कुछ गुंजायश है"। श्रीमन्, इससे साफ यह जाहिर होता है कि सरकार हमारी यह सोचती है कि अगर किसी पुराने वर्ग के किसी सदस्य की ओर से....

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—एतराजों की गुंजायश में क़बूल थोड़े ही कर रहा हूं कि आपके जो अमेंडमेंट्स हैं वे मान लिये जायं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—मैंने यह कभी नहीं कहा कि माननीय सभा सचिव मेरी आपत्तियों को क़बूल करेंगे। वह तो क़बूल कर ही नहीं सकते क्योंकि अभाग्यवश वह उधर बैठे हुये हैं और सरकार की कुर्सियों पर बैठे हैं और सरकार की ओर से यह विधेयक है तो मेरी आपत्तियों को उनके क़बूल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं तो यह कह रहा था कि उनके ये शब्द थे कि "एतराजों की गुंजायश है" तो श्रीमन्, जहां तक एतराजों का सवाल है मैं माननीय सदस्य बस्ती को यह इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि मैं काश्तकारों के पीछे खड़े होकर या काश्तकारों का नाम लेकर अपनी आपत्तियों को कैमोफ्लाज नहीं करूंगा। मैं जमींदार वर्ग का था, जमींदारों का प्रतिनिधित्व करता था, उनका प्रतिनिधित्व करते हुये चार साल तक मैं अपर हाउस में रहा और मुझे गर्व है इस बात का। इस समय चूंकि इस विधेयक से उन्हीं पुराने जमींदारों का नुकसान होने जा रहा है इसलिये साफ़-साफ़ कह रहा हूं कि उन जमींदारों की ओर से इस पर आपत्ति करता हूं, काश्तकारों का नाम मैं नहीं लेता हूं। इसलिये कि मैं उससे सहमत हूं कि ५० एकड़ या ३० एकड़ के काश्तकार शायद बहुत कम होंगे। परन्तु मैं वहां पर सहमत नहीं हूं जहां उन्होंने अपने भाषण में करीब १५० मर्तबा "राजा साहब, राजा साहब" का नाम लिया है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई राजा साहब इससे एफैक्ट नहीं होंगे क्योंकि शायद ही कोई ऐसे राजा साहब हों, १ या २ इस प्रान्त भर में, जिनके पास ५० या ३० या ४० एकड़ हो। उसको भी ५० या ३० एकड़ कर दी जाय तो राजा साहबों को भी इससे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि हर एक के पास शायद १०० या १५० एकड़ होगा। अब नुक्सान किसका होता है? उनका होता है जिनको हर माननीय सदस्य ने यह मान लिया था कि बेचारा वह गरीब जमींदार पिसा जा रहा है जो छोटा जमींदार कहलाया जाता है। परन्तु क्या किया जाय यह अबालीशन आफ जमींदारी का सिस्टम इतना खराब है कि इसके अन्दर चाहे जो कोई पिस जाय हमको तो अबालीशन आफ़ जमींदारी करना है। परन्तु उस रोड़े के हटने के बाद और उस घुन के पिस जाने के बाद अब जिसके पास थोड़ा सा रह गया है जबकि वह किसी प्रकार का शोषण नहीं कर सकता, जब वह किसी प्रकार का इंटरमिडियरी नहीं है, जबकि उसकी सारी सम्पत्ति खोई जा चुकी है और अगर मान लीजिये कि उसके पास ४० या ३० एकड़ सम्पत्ति रह गई है और आप यहां ५० से ३० एकड़ कर रहे हैं तो इसके मानी यही होते हैं कि आपसे यह भी नहीं देखा गया कि वह छोटा जमींदार जिससे आपने सब कुछ ले लिया है जिसके पास ३५ एकड़ है तो उसे इनकमटैक्स न देना पड़े। सरकार की ओर से कहा गया कि चूंकि जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में ३० एकड़ रह गया है इसलिये वह यहां भी ३० एकड़ रख रही है। क्या मैं उनसे बग्रदब पूछ सकता हूं कि एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स में और जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में ३० एकड़ की समानता देने का क्या मतलब है? अगर एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स में आप रखते १०० एकड़ और जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में रखते १० एकड़ तो क्या इनकांग्रुइटी है? कारण केवल यही है कि इस सरकार से यह भी न देखा गया कि २० एकड़ का जो अन्तर है जिससे छोटे जमींदारों

को कुछ लाभ होता, वह दरवाजा उनके लिये बन्द कर दिया गया है। श्रीमन्, यहां पर ७ १/२ और १२ १/२ गुने लगान पर बहुत बहस हो चुकी है और जब मैंने माननीय नेता विरोधी दल का इस पर भाषण सुना तो मुझे बड़ी दया आई जबकि वह यह कह रहे थे कि उन्होंने इस बिल को पढ़ा ही नहीं है और समय नहीं मिला है और वह बेचारे डायलेटरी टैकटिक्स नहीं कर रहे थे। वह सत्य कह रहे थे कि उन्होंने सचमुच नहीं पढ़ा। ७ १/२ या १२ १/२ के मानी यह होते हैं कि अगर कोई अपनी जोत या इनकम का हिसाब नहीं रखता तो जितना रेंट होता है उसका ७ १/२ गुना वह पहले दे देता था अब सरकार ने उसे १२ १/२ गुना कर दिया है। कहा यह जाता है कि जब यह हियरडिटरी रेट्स लगाये गये थे तो उस समय लड़ाई चल रही थी और गल्ला महंगा था। परन्तु जो माननीय सदस्य इस विधेयक का साथ दे रहे हैं या सरकार एक बात भूल गई कि गल्ला सस्ता तो था परन्तु कृषि आयकर का विधेयक सन् १९४८ में लगाया गया था। सन् ४८ में लड़ाई को खत्म हुये कितने साल हो गये थे और कितने दिन तक गल्ला महंगा रह चुका था यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं। तो सन् ४८ में यह मूल विधेयक बनाया गया था उस समय सरकार को आपत्ति नहीं हुई कि गल्ला अब तो महंगा बिक रहा है और पड़ता लगाया गया था सस्ते गल्ले के समय, इसलिये इसे १२ १/२ गुना लगाया जाय। श्रीमन्, उस समय क्या आपत्ति थी कि साढ़े बारह गुना नहीं किया गया और अब इसको इस तरह से बढ़ाया जा रहा है। अगर सरकार यह कहती कि पहले गलत हिसाब लगाया गया था जिसको अब ठीक किया जा रहा है। उनकी इस बात में भी कोई तत्व नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो सन् ४८ में ही साढ़े बारह गुना कर दिया गया होता लेकिन श्रीमन्, यह एक और तलवार उसी जमींदार पर चलाई जा रही है जिसके पास अब केवल थोड़ी सी खेती बाकी रह गयी है। क्योंकि बड़े-बड़े जमींदारों से तो इसका कुछ वास्ता इसलिये नहीं हो सकता कि उनके पास तो स्टाफ है, वे तो अपना हिसाब रखते हैं, और उसको तैयार करवा भी सकते हैं। ये तो केवल छोटे जमींदार ही हैं जिनके पास स्टाफ नहीं है, और न संपत्ति ही है और वह अपनी सहूलियत के लिये इसको मंजूर कर लेता था कि बार बार कहां हिसाब देते फिरेंगे, या कहीं कोई हिसाब गलत न हो जाय, यह साढ़े सात गुना देने के लिये तैयार हो जाता था। तो यह तलवार छोटे जमींदारों के ऊपर ही चलाई गयी है। मेरी यह समझ में नहीं आता कि उस समय किस हिसाब से यह साढ़े सात गुना रखा गया था, मेरा तो ख्याल है कि यह काफी समझ बूझ कर रखा गया होगा, काफी पूछताछ कर रखा गया होगा फिर अगर ऐसी बात है तो उस समय क्यों साढ़े सात गुना ठीक था और अब उसके बजाय साढ़े बारह गुना क्यों रखा जा रहा है। अगर सरकार यह कहे कि हिसाब में गलती हुई तो अगर उस हिसाब में गलती की वजह से छोटे जमींदारों को कोई थोड़ा बहुत फायदा हो गया, उसके जीवन निर्वाह के लिये कुछ बच गया तो फिर क्यों कर साढ़े सात गुना से बढ़ाकर साढ़े बारह कर दिया जा रहा है। पहले हमेशा यह कहा जाता रहा कि बड़े जमींदार तो केवल थोड़े से हैं फिर जो अधिकतर छोटे जमींदार हैं उन पर यह तलवार क्यों चलाई जा रही है। फिर केवल १०:१५ लाख रुपये के लिये २० लाख जमींदारों के ऊपर तलवार चलाना कहां तक ठीक है यह मैं सरकार के ऊपर ही छोड़ता हूं।

इसके बाद श्रीमन् सभा सचिव महोदय ने ४ किस्तों के बारे में जिक्र किया तथा इस बिल के जो ऐम्स एंड आबजेक्ट्स हैं उनमें भी यह लिखा हुआ है कि ४ के बजाय दो किस्त सुविधा के लिये रखी गई हैं श्रीमन्, यह सरकार यहां इस मैजारिटी में बैठी हुई है, जैसा चाहे विधेयक लाये, जैसा चाहे आर्डर निकाले लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वह कामन-सेंस को क्यों छोड़ती जा रही है। अगर सरकार की सुविधा की बात होती तब तो कुछ समझ में भी आ सकता था लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वह हम लोगों को क्या बेवकूफ समझती है या यह समझती कि हममें बिल्कुल अक्ल ही नहीं है जो यह समझने लगें कि ४ किस्तों के बजाय २ किश्तों में सुविधा होगी।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

जिसको ४ हजार रुपया देना है उसको एक-एक हजार करके चार मर्तबा देने में सुविधा अधिक होगी या दो-दो हजार करके दो मर्तबा देने में अधिक सुविधा होगी ? माननीय वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं वरना मैं उनसे पूछता कि अगर मिनिस्टरों की तनख्वाह एक ही इनस्टालमेंट में साल भर की दे दी जाय तो वे किस तरह से अपने बजट को चलायेंगे। हर एक आदमी का अपने-अपने घर का बजट होता है। किसी का १५ हजार का बजट होता है, किसी का १० हजार का बजट होता है, किसी का ५ हजार का बजट होता है। तो वे अपने बजट के हिसाब से ही दे सकते हैं। वे समझते हैं कि कुछ खरीफ की फसल से आमदनी हो जायगी, कुछ रबी की फसल से आमदनी हो जायगी, कुछ इधर उधर से हो जायगी, इस तरह से ४ इनस्टालमेंट में देने में उनको अधिक सुविधा होती है जब कि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि दो इनस्टालमेंट में उसे अधिक सुविधा होगी। श्रीमन्, ये आपत्तियां थीं जो मैंने बतलायीं। दो तीन बातें जो इसमें सरकार की ओर से लायी गयीं हैं वे ऐसी थीं जिनको देखते हुये मुझे इस विधेयक का सपोर्ट करना चाहिये था परन्तु जो आपत्तियां मैंने आपके सामने रखी हैं उनको देखते हुये मुझे दुख है कि मैं इस विधेयक का साथ नहीं दे सकता।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने उन भाषणों में जो कि सदन में अभी तक हुये हैं यह देखा गया कि कुछ लोग इस विधेयक का विरोध इसलिये करना चाहते हैं क्योंकि यह विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है। और दूसरे लोग इस विधेयक का समर्थन इसलिये करना चाहते हैं क्योंकि वे सरकार की तरफ से ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए हैं। परन्तु मैं यह बतला देना चाहता हूं कि यह विधेयक जो प्रस्तुत है उसके जरिये जो सरकार अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती है क्या उसका असर जनता के ऊपर पड़ेगा और खास कर उस क्लास के ऊपर जिसको कि वह अदा करना पड़ेगा आया वह नुक्सानदायक होगा और इस हद तक होगा कि उन लोगों के साथ बेइन्साफी कही जायगी। मैं समझता हूं कि हमारे भाई जो कि गरीबों के हमदर्द हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वे निष्पक्ष भाव से इस समस्या पर विचार करने की कृपा करें। वे देखें कि गरीब तबके के लोग जिनके पास छोटी-छोटी जमीनें हैं, और जो ३० एकड़ से कम हैं वे तो इस विधेयक में बरी कर दिये गये हैं। उन छोटे लोगों के ऊपर कोई भी टैक्सेशन बढ़ाने की कोशिश नहीं की गयी है। इसलिये यों कहना कि गरीबों का कोई ख्याल यह विधेयक नहीं करता है यह तो स्पष्ट गलत दिखलाई देता है। अब वे लोग जो कि दे सकते हैं, जो कि आसूदा हालत में हैं और इस जमानें में जब कि सरकार ने लाखों करोड़ों रुपये इस प्रान्त के अन्दर बहाया है और किसानों की हालत सुधारने की बहुत कुछ कोशिश की गयी है, नहरें खुदवाई गयी हैं, कुवें खुदवाये गये हैं, और दूसरी-दूसरी सुविधायें उनको उपलब्ध करायी गयी हैं तो मैं समझता हूं कि जब कि सरकार आर्थिक संकट में है और जब कि हमें इस प्रदेश की आय को बढ़ाना है तो जो यह कहते हैं कि छोटी-छोटी आमदनी के जो जरिये हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिये मैं समझता हूं कि यह तो उनकी बिलकुल गलत दलील है। हमें यह देखना है कि छोटी-छोटी आमदनी पर कर लगाने से हमारे उत्तर प्रदेश की आमदनी बहुत हद तक बढ़ सकती है तो मैं समझता हूं कि इस तरह का ग्राउन्ड पेश करना अनटेनेबिल हुआ करता है। और मैं यह समझता हूं कि ऐसी हालत में जिस प्रकार कि सरकार इस वक्त तुली हुई है टैक्सेशन बढ़ाने के लिये और बहुत से दूसरे-दूसरे टैक्सेशन सरकार ढूंढ़ रही है और लगा रही है तो उस हालत में मैं समझता हूं कि जो यह विधेयक लाया गया है यह बिलकुल जायज है और इसके खिलाफ कोई आवाज उठाना अनुचित है। मैं समझता हूं कि हर माननीय सदस्य इस बात को महसूस करता है कि इस सरकार को चालू रखने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। केवल मंत्रिमंडल ही इसके लिये जिम्मेदार नहीं है जितने एम० एल० ए० साहबान चुने गये हैं उन सब पर इसकी जिम्मेदारी पड़ती है जिनको मुल्क का इंतजाम करने के लिये, मुल्क में नई व्यवस्था चलाने के लिये हमारी जनता ने इस सदन में भेजा है। इसलिये यों न समझ कर कि यह मंत्रियों का ही काम है कि वे टैक्सेज लगायें और कहां-कहां लगायें और हमारी

जब मर्जी हो हम उनका विरोध करें और जब मर्जी हो हम सपोर्ट करें। मैं समझता हूं कि इस तरह का स्टैंड लेना बिलकुल गलत होगा। हमें तो यही देखना है कि सरकार की जो मांग है वह अनुचित है या नहीं और काल, देश, पात्र और समय की मांग इस समय क्या है। अगर उसको ठीक समय पर सरकार नहीं सुनती तो मैं समझता हूं कि सरकार वह महान गलती करेगी और आज जबकि हमें अपनी आमदनी बढ़ाना है और सरकार चुपचाप बैठ जाय और उसको स्वयं न ढूंढे तो मैं समझता हूं कि और सरकार समुचित व्यवस्था उसकी नहीं कर पाती है तो वह मुल्क के अन्दर अव्यवस्था को प्रोत्साहन देगी। हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि सरकार को बहुत से रुपये की आज जरूरत है। हमारे छोटे छोटे कर्मचारी मुसीबत में हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दो राय भी इस सदन में नहीं हो सकतीं कि उन छोटे नौकरों की तनख्वाहों को न बढ़ाया जाय। यहां पर कहा गया कि प्राइमरी स्कूलों के जो मास्टर्स हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को बहुत गहरी दृष्टि से देखने की जरूरत है। आज केवल मास्टरों का ही प्रश्न नहीं, मास्टरों से भी छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की बहुत बड़ी तादाद हमारे इस प्रदेश में है उनको कम से कम पेट भरने के लिये मोटा अनाज और पहनने के लिये मोटा कपड़ा और अपने बाल बच्चों के भरणपोषण लायक तनख्वाह तो अवश्य मिलनी चाहिये। ऊंचे दर्जे के लोगों को अच्छा पहनने और खाने को मिले लेकिन गरीबों को मोटा अनाज और कपड़ा अवश्य मिलना चाहिये। तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार उसके लिए कोई जरिया नहीं ढूंढती तो वह खतरे में है और वे साहबान जिन्होंने इस मुल्क की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने लिये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी वे सरकार को इस कार्य में मदद नहीं देते तो वे अपने कर्त्तव्य को अच्छी तरह नहीं समझते। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, यह जो एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं। बिल बहुत छोटा सा है और इसकी जो मंशा है वह बहुत साफ है। बिल की मंशा इतनी ही है कि अब तक एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स की वसूली में जो दिक्कतें आती थीं या जो इस टैक्स को इवेड किया करते थे चन्द लूपहोल्स की वजह से उनको खत्म किया जाय और साथ साथ यह भी देखा जाय कि जो एसेसीज हैं उनकी सुविधायें कम न हों। इस संबंध में जो विरोधी दल के माननीय नेता ने अपना भाषण दिया उसको तथा अन्य सदस्यों के भाषणों को मैंने काफी ध्यान से सुना। माननीय नेता विरोधी दल की सबसे पहली शिकायत तो यह थी कि जब कि और सूबों में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स काफी पहले लागू हो चुका था तो क्या वजह थी कि हमारे इस प्रदेश में यह जल्दी नहीं लगाया गया और हो सकता है कि उनकी बात ठीक हो कि यह टैक्स पहले से लगाया जाना चाहिये था लेकिन मेरा विचार है कि आज उसकी शिकायत करना इस स्टेज पर जब कि एक अमेंडिंग बिल हाउस के सामने हो और सन् ४८ से वह लागू हो चुका हो ज्यादा मुनासिब बात नहीं थी। उसके बाद उन्होंने एक बात यह कही कि ३० एकड़ की जो मियाद रखी है उससे कम की जो जोतें हों उन पर टैक्स नहीं लगाया जायगा और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि ३ हजार रुपये की आय जिसकी होगी उस पर टैक्स लगेगा तो क्या वजह है कि ३० एकड़ से कम की जिसकी जोत है और उसकी आमदनी ३ हजार से अधिक हो तो उसके ऊपर टैक्स क्यों न लगाया जाय। जहां तक सिद्धांत की बात है यह शायद अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन व्यावहारिक कुछ दिक्कतें हैं। अगर कोई मियाद न हो तो यह संभव है कि जो एसेसिंग अथारिटीज हैं वह किसी भी काश्तकार को यह नोटिस दे सकती हैं कि तुम अपनी आमदनी का

[श्री नवलकिशोर]

हिसाब हमारे सामने पेश करो और उसमें काफी संख्या में किसान ऐसे हो सकते थे जिनको काफी दिक्कतें पेश होतीं। इसलिये इस परिस्थिति में यह उचित था कि कहीं न कहीं कोई सीमा बांधी जाय। इसलिये ५० एकड़ से घटा कर सीमा ३० एकड़ पर रख दी गई। इसके बाद उन्होंने यह फरमाया कि बहुत से लोग इनकम टैक्स से बच जाते हैं। मिसालन उनके दिमाग में कुछ बातें आई जैसे कि ३० एकड़ वाली। इस अमेंडिंग बिल की मंशा यह है कि जो लोग अधिकतर लूपहोल्स के कारण बच जाते थे और जैसा उन्होंने स्वयं कहा कि कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों और बीवी बच्चों के नाम अपनी जमीनें ट्रांस्फर कर दीं और इस तरह से उसकी आमदनी को कम दिखा दिया। इस विधेयक में यह चीज भी है कि इस तरह के जो ट्रांसफर्स हैं उनको सरकार नहीं मानेगी और जो टोटल एकड़ जमीन उनके पास होगी उसकी आय के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जायगा तो इस शिकायत के लिये काफी बचत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जैसी कि उनकी एक आदत सी है उन्होंने यह भी अपने भाषण में कहा कि जमीन का वितरण होना चाहिये। उस सिलसिले में यह भी कहा कि ऐसा न होने पर जो खेतिहर मजदूर हैं वह विद्रोह कर सकते हैं। सो उसका जवाब में श्रीमान् नहीं देना चाहता यह आये दिन की बातें हैं और ऐसा कहना उनका स्वभाव सा हो गया है। मगर हां, जो उन्होंने अन्त में यह कहा कि सरकार को यह देखना चाहिये कि बेईमानी की कम से कम गुंजाइश हो जानी चाहिये सो ठीक ही है, हर सरकार का यह फर्ज है पर Human Nature as it is अगर मानव स्वभाव जैसा वह है, और हमारा जो नैतिक स्तर आज है उसको देखते हुए तमाम इप्रकाशंस के बावजूद भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि ऐसी कोई गुंजाइश अपनी जगह पर बाकी नहीं रहेगी।

इसके बाद श्रीमान् और माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। माननीय वीरेंद्र शाह जी ने कहा कि जो छोटे छोटे काश्तकार हैं उनको इससे बहुत बड़ी हानि पहुंचेगी क्योंकि बजाय ५० एकड़ के सरकार ने ३० एकड़ की सीमा बांध दी है। मुझे खुशी है कि उन्हीं की पार्टी के दूसरे माननीय मित्र ने इसका खंडन कर दिया। हमारे इस प्रान्त में ३० एकड़ जमीन के काश्तकार जिनको हम वाकई में किसान या काश्तकार कह सकते हैं वह बहुत कम हैं। ज्यादातर छोटी छोटी होल्डिंग्स के काश्तकार हैं और इसको उन्होंने स्वयं ही ज्यादा स्पष्ट कर दिया कि जो हमारे यहां भूतपूर्व जमींदार भाई थे जो अब भूमिधर हैं उनके ऊपर ही इसका अधिक असर पड़ता है। उन्होंने यह एतराज भी किया कि इससे ग्रो मोर फूड कम्पेन को भी हानि पहुंच सकती है। तो मेरा ऐसा विचार है कि यह उनकी भ्रान्ति है। ग्रो मोर फूड पर इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, टैक्सेशन से इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। इंडस्ट्री पर टैक्सेशन होता है तो उससे इंडस्ट्रीज़ बन्द नहीं हो जाया करतीं, तो एग्रिकल्चर पर टैक्सेशन होने से ग्रो मोर फूड में कमी आ जाय इसको मैं नहीं मानता। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह नहीं देख सकी कि जो जमींदार भाई खेती करके अपना पेट भर रहे थे उनको शान्ति से रहने दिया जाय मगर उनकी यह आमदनी भी सरकार को खटकी। मैं इस विषय में केवल यह कह देना चाहता हूं कि जो और व्यापारी तबका है उसके ऊपर भी जब वह टैक्स लगाया जाता है इतने हजार की आय के ऊपर तो कोई वजह नहीं है कि एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स खेती करने वालों पर न लगाया जाय। एक बात यह कही गई कि साढे ७ गुना से साढे १२ गुना किया गया है। इसका कारण बिल में यह लिखा हुआ है कि साढे सात गुना जब पहले था तब कीमतें कम थीं और चूंकि, अब कीमतें बढ़ गई हैं इसलिये वह भी पहले से ज्यादा बढाया गया है। इसके खंडन में एक बात उन्होंने यह कही की चूंकि यह कानून सन् १९४८ में आया था तो कीमतें तो उस से पहले ही बढ़ चुकी थीं इसलिये यह साढे बारह गुना तभी होना चाहिये था। मैं मान लेता हूं कि यह त्रुटि उस समय ओवर साइट के कारण रह गई थी और अब उसी त्रुटि की कमी इस संशोधन द्वारा पूरी कर दी गई है। यह भी कहा गया कि इस साढे बारह गुना के करने से छोटे २ जमींदारों को नुक्सान होगा। क्योंकि उनकी आमदनी कम होगी। तो श्रीमान मुझे यह कहना है कि यह जो

आपत्ति उठाई गई है वह निर्मूल है क्योंकि हर एलैसी को आप्शन किया गया है कि अगर वह चाहे तो अपनी आमदनी दिखा दे और चाहे तो साढे बारह गुना के हिसाब से दे दे यही नहीं बल्कि हर साल वह अपनी सुविधा के अनुसार दो में से एक आप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मेरा यह निवेदन है कि यह एक छोटा सा विधेयक है और इसे स्वीकार किया जाय।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े आश्चर्य के साथ इस कृषि आय कर विधेयक पर वादविवाद को सुनता रहा। जैसा कि श्री राजनारायण जी ने बताया मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूं। जिनके ऊपर बीती है वह स्वयं समझ सकते हैं और चाहते हैं कि ऐसी किसी पर विपत्ति न आये। उदाहरण के तौर पर मैं अपना हिसाब पेश करता हूं। जुलाई, १९४९ में १३,३६५ रु० ८ आने लगाया गया। फिर अपील में ४,३७० रु० ५ आने कम हुआ और इस तरह से ८,९९५ रुपये ३ आने रह गया। १२ अक्तूबर सन् १९४९ में १७,१५० रुपये लगाया गया। अपील से मार्च, १९५० में २,४९३ रु० ११ आने रह गया और इस तरह से १४,४५६ रुपये ५ आने कम हुआ। मेरे ऊपर अब १७,१५० रुपये लगाया गया तो मैंने कहा कि ग्रो मोर फूड कम्पेन चल रहा है और एक ट्रैक्टर का मूल्य ले लिया गया तब कहा गया कि अपील कर दी जाये, कम हो जायेगा। गत वर्ष की आय पर ११,०७८ रु० ८ आने लगाया गया। अगर इस वर्ष का हिसाब लिया जाता तब कम बैठता छूट हो गयी थी, ओले पड़े थे अतः बिना हिसाब लिये इतना लगा दिया गया। इस प्रकार से बातें होती हैं। सरकारी अफसर कहते हैं कि ऊपर से आदेश आते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के आदेश रोके जायं। सरकारी अफसर समझते हैं कि अगर ज्यादा कर लगायेंगे तो उनकी पदोन्नति होगी। ३० एकड़ तो तभी किया जाता जब कि अन्न बहुत महंगा हो जाता। लेकिन ऐसी दशा में जब कि अन्न सस्ता होने लगा है ५० एकड़ की जो आय होगी वह ३० एकड़ की आय से भी कम होगी। तो ऐसे समय में ऐसा संशोधन किस विचार से हो रहा है यह भी मेरी समझ में नहीं आता। अब जमींदार नहीं रहे और उनके ऊपर वादविवाद उठाना पुरानी बात का पृष्ठपेषण करना है। यहां यह देखना है कि जो कर लगाया जा रहा है उसका प्रभाव किन पर पड़ेगा। अब तो सभी किसान हैं। कोई छोटे, कोई बड़े, कोई सीरदार, कोई अधिवासी और कोई भूमिधर आदि। तो इससे यह स्पष्ट माना जायगा अब तक यह जमींदारों पर लगता था लेकिन अब जब जमींदार नहीं रहे तो अब किसानों पर, बड़े किसानों पर यह कर लगेगा। तो क्या जमींदारों के उन्मूलन होने के बाद अब किसानों का उन्मूलन होगा और अगर उनका भी उन्मूलन हो गया तो फिर उसके बाद कौन शिकार होगा। क्या तीस एकड़ के बाद फिर १० एकड़ और १५ एकड़ वालों से भी वसूल किया जायगा? मेरे यहां अमेठी राज्य में ही ऐसे बहुत से काश्तकार हैं जिनके पास कई सौ बीघा काश्त है और अभी उनमें कई भूमिधर भी नहीं हुये हैं और बहुत से भूमिधर भी ऐसे हैं जो सौ सौ बीघे खेती करते हैं। तो पहले अगर यह जमींदारों के लिये था अब बड़े काश्तकारों के लिये है और यह कुछ नहीं है सिवाय रुपया जुटाने के लिये एक उपाय सोचा गया है और तनिक भी ध्यान इस बात का नहीं दिया गया है कि किस पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह कृषि आय कर महा भयंकर सिद्ध होगा, इसमें संदेह नहीं है। मैं तो पहले भी कहा करता था कि जमींदारी एक जिम्मेदारी है और कभी कभी भी खत्म हो सकती है। तो वह जमींदारी भी खत्म हो गयी है और अब यह कृषि आयकर महा-भयंकर सिद्ध होगा। मैं माननीय राजस्व मंत्री से यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे सरकारी कर्मचारीगण यह कभी नहीं कहें कि सरकारी हुक्म है इसलिये वह किसी के ऊपर अधिक से अधिक लगा देते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि अपीलें आवश्यक होती हैं और उसके लिये वकील करना पड़ता है, समय लगता है, रुपया जमा कर देना पड़ता है। इसके

[श्री रणंजय सिंह]

अतिरिक्त दो किस्तों की बात क्यों लगाई गई है एक ही किस्त में सारा लगान ले लिया जाया करे। यह इतनी बड़ी कृपा क्यों की जा रही है। इसके अलावा साढ़े बारह गुना की बातें हो रही हैं वह भी ठीक नहीं है। मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये यदि पांच गुना ही बढ़ाया जाय तो उतना अधिक न होगा। और मैं यह भी जानता हूं कि यह किसानों के लिये किया गया है और काश्तकारों का माननीय सदस्यों को पूरा ध्यान रखना चाहिये। अब जमींदारों का प्रश्न तो रह नहीं गया अब तो सभी काश्तकार हैं उन्हीं का अब प्रश्न है और उनको जितनी भी सुविधा दी जा सके, अच्छा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह किसानों के लिये किया जा रहा है। काश्तकार तो आज वैसे ही बहुत सी चीजों के लिये परेशान हैं और खाने पीने और कपड़े की बहुत सी परेशानियां उनको हैं, कोई वस्तु उनको सस्ती नहीं मिलती है। उनको आज बहुत ही परिश्रम से अपनी रोटी के लिये कमाना पड़ता है। उनके ऊपर किसी न किसी तरह से एक के ऊपर एक कर लगते जा रहे हैं। आज बहुत से किसान इतने परेशान हैं कि अगर सच्चाई के साथ पूछा जाय तो उनके ऊपर कोई कर न लगाया जाना चाहिये। आज जब कि चकबन्दी की योजना बन रही है तो सरकार को किसान के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिये। मैं भी एक काश्तकार ही हूं और मैं कोई जमींदार नहीं हूं। बहुत से लोग कह देते हैं कि मैं कोई बड़ा ताल्लुकेदार हूं या क्या हूं मैं तो एक काश्तकार ही हूं और बहुत पुराना काश्तकार हूं और मैं तो अमेठी राज का युवराज बहुत दुःख के समय में हुआ और ईश्वर की कृपा से मेरे पिता भी अभी जिन्दा हैं और मैं जो काश्तकार हूं पुराना काश्तकार हूं और मेरी काश्तकारी ३० एकड़ से ज्यादा की है। मैं जो कह रहा हूं वह कोई अपने लिये नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि उनको काश्तकारों की दशा पर ध्यान देना चाहिये और उनको हर प्रकार की सुविधा देनी चाहिये और जिससे उनको कठिनाई न पड़े, तीसरी धारा के बारे में मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि यह धारा 'सबजूडिस' है और हाई कोर्ट में पेश है और इसीलिये, इस पर वादविवाद न होना चाहिये और अगर इसके अर्थ बदले ही जाते हैं तो वह आगे के लिये लागू होने चाहिये। एक प्रस्ताव यह है कि अगर उसकी स्त्री अलग हो गई और खेत जोत रही है तो उसको जोत का कर देना होगा। जहां तक कहा जाता है कि काश्तकारों और उनके शिकमी काश्तकारों के सम्बन्ध में ऐसा होता है कि जो खेत जोते, बोवे जिसके हल बैल मजदूर हों वही मालिक माना जाता है और अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें अभी समाज सुधार होना है। देहातों में यह होता रहता है किसी का झगड़ा हुआ अलग हो गया घर से और अलग काम करने लगा और इधर उधर बट गया तो वह कर देता रहे और उसकी जिम्मेदारी रहे यह बड़ी विचित्र सी बात मालूम होती है। इसलिये जो परिवर्तन किये जा रहे हैं उनमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उनसे किसानों को कोई असुविधा न हो और हमें काश्तकारों की सुविधा और सहूलियत की ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि इस सदन के माननीय सदस्यों में से कितनों ने इस विधेयक के उद्देश्यों में से दूसरे उद्देश्य की तरफ ध्यान दिया है। इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य इस प्रकार से है "धारा ४ में विहित ५० एकड़ की सीमा को घटा कर ३० एकड़ कर देने का भी प्रस्ताव है क्योंकि १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में भविष्य के लिये अनुकूलतम खाते के क्षेत्रफल की सीमा ३० एकड़ रखी गयी है।" मैंने खेद के साथ में यह सुना, श्रीमन् कि इस विधेयक का विरोध इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने किया। विधेयक सचमुच छोटा है। किन्तु इसके पीछे

जो भावना है उसको यदि समझने का प्रयास किया जाता तो संभवतः इस विधेयक का कोई विरोध न होता। सदन के कुछ सदस्यों द्वारा यह आवाज उठायी गयी, पहले भी उठायी जाती थी, आज भी उठायी जाती है कि किसी के पास भी ३० एकड़ से अधिक न रखा जाय। मैं सदन के सामने यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे भी व्यक्तियों की सम्मति में यह अनुकूल नहीं ग़लत है कि इस देश में जहां पर कि ३८ करोड़ की जनसंख्या के पीछे १६ करोड़ एकड़ भूमि जोतने के लिये हो, जिस देश की औसत आमदनी आज भी २ सौ रुपये के लगभग हो और जिस देश की तुलना नित्यप्रति रूस, चीन और जापान तथा अमेरिका से करें, जिन देशों में औसतन प्रत्येक व्यक्ति के पीछे पांच एकड़ भूमि है, उसमें यदि यह मांग की जाय कि यहां के किसी खेतिहर के पास तीस एकड़ से अधिक भूमि न हो सम्भवतः यही नहीं कि अनुचित नहीं है यह न्यायानुकूल भी है। मैंने स्पष्ट रूप से और जोरदार शब्दों में सदा इस मांग का स्वागत और समर्थन किया है और मैं निश्चित रूप से यह बात कह सकता हूं कि यह सरकार भी इस मांग को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहती। यह विधेयक उसी का प्रमाण है जिससे यह निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि सरकार की दृष्टि में भी यह तीस एकड़ का खाता ही उचित और न्यायानुकूल है। अब केवल प्रश्न यह है कि आखिर तीस एकड़ के खाते तक किस मार्ग से पहुंचा जाय। जो कुछ जमींदारी विनाश के समय हुआ और जो आज समस्या इस राज्य सरकार के सामने है। वह स्पष्ट रूप से सामने है। जब कभी भी किसी की भूमि स्थगित करने का प्रश्न उठता है जब यह प्रश्न उठता है कि भूमि के अधिकारों को सरकार द्वारा ले लिया जाय, तो हमारे सामने विधान की धारायें हैं, उनके अनुसार कुछ मुआविजा देना चाहिए। सरकार के पास मुआविजा कहां है। कौन सा ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा धन लेकर कम्पेंसेट किया जाय और जिसके पास तीन एकड़ से ज्यादा भूमि है उसको हस्तगत कर लिया जाय। तो उसका दूसरा मार्ग यह हो सकता है कि टैक्सेशन के द्वारा यह असम्भव कर दिया जाय कि किसी के पास तीन एकड़ से ज्यादा भूमि रहे। मैं यह नहीं जानता सरकार इसको किस दृष्टि से सामने रखती है और कौन किस दृष्टि से इसको सामने रखता है। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट यह कहता हूं कि यह उस गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है जिसके द्वारा हम कह सकें कि किसी के पास तीस एकड़ से अधिक भूमि न हो और जिनके पास हो उनके लिए मैं आवाज उठाता हूं कि वह अधिक टैक्स दें जिससे उनके पास तीस एकड़ से अधिक भूमि न रहे। आज केवल साढ़े बारह गुना कर का सवाल है यदि आवश्यकता हो तो इससे ज्यादा बढ़ा दिया जाय।

मेरे मित्र टैक्सेशन की बात को ले आते हैं। कहते हैं कि खेतिहर पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि वह अपने दृष्टिकोण को बदलें। यह खेतिहर पर टैक्स नहीं है। यह उन लोगों पर टैक्स है जो तीस एकड़ से अधिक भूमि रखते हैं। इस निर्धन देश में जहां पर कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जिनके पास एक चप्पा भूमि नहीं है और जिन्होंने सदा ही खेती का काम किया है जिन्होंने कहीं साझा किया, कहीं मजदूरी की और जो आज आए दिन दाने-दाने के लिये तरसते हैं उनके साथ अब कोई खाता न करवाएं, साझा न करवाएं, मजदूरी उनसे न करवाएं कि कहीं ऐसा न हो कि अगर किसी को साझे में दखल देने के लिये बुलाया गया तो उसी का खाता न हो जाय। तो जब हमारे जमींदार साहबान जिनकी मैं बहुत वक़अत करता हूं, जिनकी सम्पत्ति ऐहिक दृष्टि से, आज के मैटिरियलिस्टिक प्वाइंट से हमने छीनी, उनके प्रति सहानुभूति होते हुये भी मैं उनसे कहता हूं कि वह समझने की कोशिश करें।

मेरे एक मित्र ने ८ लाख की आमदनी पर एक टैक्स देने का जिक्र किया। मैं नहीं जानता कि अब वह अपने हृदय में यह विचारते हैं या नहीं कि आज इस निर्धन देश की औसत आय कितनी है, पर मैं तो उन्हीं की न्याय दृष्टि के लिए उनके सामने

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

रखता हूं कि आखिर क्या बात है। क्यों वह ८ लाख की आय पर किसी टैक्सेशन की, टैक्स देने की शिकायत करते हैं। आठ लाख की आय वाला व्यक्ति तो हमारे यहां बहुत बड़ा व्यक्ति है। वह चाहे कुछ भी हों, उनके बड़प्पन के लिये मुझे कोई रोष, दुःख या घृणा नहीं, किन्तु मैं उनके सामने रखता हूं कि यह उनके लिये कौन सा न्याय है कि वह इस ग़रीब देश में ८ लाख की आय रखते हैं ? किसी भी व्यक्ति के लिये यहां यह गुंजायश नहीं है कि वह इस निर्धन देश में इतनी आय रखता है।

मेरे दूसरे मित्र ने ग़लती से यह सोचा कि यह जमींदारों के ऊपर कुठाराघात है। उन्होंने जिक्र किया कि जितने जमींदार हैं, जिनकी सम्पत्ति हम लोगों ने छीनी, उनके अधिकारों पर भी कुठराघात किया जा रहा है। मैं उनसे कहता हूं कि वह ग़लत समझ रहे हैं और जब वह जमींदारों का जिक्र करते हैं तो उन्हें इतिहास के पन्नों का जिक्र करना चाहिये, जमींदारी का प्रश्न नहीं उठता, वह तो बीती हुई यादगार बनी रहेगी कुछ दिनों तक। आज की स्थिति में जमींदारों का कोई प्रश्न नहीं। आज तो प्रश्न यह है कि जिस व्यक्ति के पास ३० एकड़ से अधिक भूमि है, मैं उम्मीद करता हूं कि वह भूमि उससे छीन ली जायगी। मैं नहीं चाहता कि इस समय किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा भूमि हो। (कोलाहल) मैं इन आवाजों का आदी नहीं हूं और मैं चाहता नहीं कि मैं एक एक का उत्तर दूं। मैं नहीं चाहता कि जब ८ लाख का जिक्र किया जाय तो साथ में डालमिया साहब का भी जिक्र हो। यह कहा जाय कि कांग्रेसमैन के पास ज्यादा भूमि है। उनको समझना चाहिये कि वह भूमि उनसे भी छिनेगी। ऐसा तो नहीं है कि इस विधेयक के द्वारा कांग्रेस मैन को कहीं अलग कर दिया गया हो। ऐसा भी नहीं है कि डालमिया साहब को इस विधेयक के द्वारा किसी एक्सेप्शनल नोट में लिख दिया गया हो। तो यह सब थोथी बातें हैं और उनका एक एक का उत्तर देना अनुचित है।

लेकिन एक चीज मैं सदन के सामने रखूंगा जिनको मैं चाहता हूं कि मंत्रिमंडल विचारे। कुछ स्थल ऐसे हैं जैसा कि बुंदेलखंड का स्थल है, जिसमें कि एक काश्तकार होता है। यह सही है कि वहां लगान कम है और भूमि अधिक है, किन्तु मैं नहीं जानता कि उनके पास इतने साधन हैं कि वह इतना कर दे सकेंगे। उनको भी क्या आप उसी स्थान पर रखेंगे जिनमें कि आपने दूसरे खेतिहरों को रखा है? मैं मंत्रिमंडल से नम्र निवेदन करता हूं कि वह इस पर अलग से विचार कर लें कि उनकी स्थिति क्या होगी।

जहां पर सुरेश प्रकाश जी ने कहा कि दो बार में टैक्स लेने का उसूल, उनकी दृष्टि में कोई सदस्य इस सदन में नहीं है जो उसे मंजूर कर सके, तो मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि मैं उन सदस्यों में से एक हूं और उसका कारण यह नहीं कि मैं इधर बैठा हूं और वह उधर बैठे हैं, लेकिन मैं उनसे नम्रतापूर्वक कहता हूं कि वह जरा इस पर विचार करें कि यह दो दफा देने की व्यवस्था क्यों आई ? उनको अपने को उन खेतिहरों से अलग करना पड़ेगा जिनकी दो फसलें होती हैं। मासिक रूप से मुझको कोई आय होती है तो मैं उस आय के कर को तीन इंस्टालमेंट में दूं या दो में दूं या ४ में दूं, तो मेरे लिए तो वह चीज कोई महत्व नहीं रखती। लेकिन जिस खेतिहर को केवल वर्ष में दो बार आय हो, यदि आप उससे तीन दफा या चार दफा कर लें, तो मैं समझता हूं कि यह उसके साथ अन्याय है। वह इसलिये कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय के अनुसार अपने खर्च का लेखा जोखा करता है। उसको यह विचारना पड़ता है कि अपनी आय को वह किस प्रकार, कब और कैसे खर्च करे। प्रत्येक व्यक्ति मेरे समान या उनके समान या और किसी भाई के समान इतना लेखा जोखा रख नहीं पाता जिससे वह पूरे तौर पर यह विचार सके कि एक इंस्टालमेंट मेरा मार्च में ड्यू है, दूसरा फिर बाद में तीन महीने बाद, तीसरा उसके तीन महीने

बाद और चौथा उसके चार महीने बाद आयेगा। तो वह प्रत्येक के लिये अपने पास के उस पैसे को बचा के रख सके। ऐसी दशा में मैं श्रीमन् उनसे ही पूछ लूं कि आप यदि दो बार की व्यवस्था करते हैं, जब कि दो बार उसके पास आय होती है, वह दोनों बार अपनी आय में से निकाल कर कुछ बचा हुआ धन इसके लिये दे दे, तो वह अनुचित होगा या उचित इसको वही विचारें। मेरी दृष्टि में यह उचित ही होगा कि वह इस प्रकार दो बार करके अदा कर दे सके।

मेरे मित्रों में से किन्हीं मित्रों ने इस विधेयक के कुछ दूसरे स्थलों पर भी कहा और खास तौर से उन्होंने जिस चीज पर विशेष जोर दिया, यद्यपि मैंने उसका जिक्र श्रीमन् के सन्मुख अभी किया, वह साढ़े १२ गुना वाली बात थी। उन्होंने कहा कि यह साढ़े सात से बढ़ा करके साढ़े १२ गुना किया गया है। मैंने अभी इसका उत्तर दिया। गल्ले के भाव के सम्बन्ध में यद्यपि बात ठीक है कि उस समय के और आज के भाव में कुछ अन्तर है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं नहीं जानता कि सचमुच सरकार इसको इस दृष्टि से देखती है या नहीं। मैं तो चाहता हूं कि यह जो साढ़े १२ गुना वाली बात है इसको कुछ और बढ़ा दीजिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस तर्क में यह भावना नहीं है कि आप टैक्स अधिक लगायें, किन्तु भावना यह है कि तीस एकड़ से अधिक जोतों को समाप्त कर दीजिये। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ और निवेदन करना नहीं है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्त को बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने एक निहायत शानदार तकरीर इस सदन के सामने फरमाई। लेकिन अफसोस यह है कि बहुत सी बात या तो वह समझने का साहस नहीं रखते हैं या देखते हुये भी उसे मानने के लिये तैयार नहीं हैं। अभी मेरे मित्र ने यह फरमाया कि एक सज्जन के पास ८ लाख की जायदाद है और अगर उसे कुछ देना होता है तो उसे किस तरह से आपत्ति होती है, यह शायद वह नहीं समझ पाये। आज हजरतगंज की सड़कों पर वह घूमता है और उसके तन पर वस्त्र नहीं है, पेट में अन्न नहीं है तो वह हमारे आचार्य जी से पूछ सकता है कि यह टोपी धोती और कमीज जो आपके ऊपर है यह भी एक नैसेसिटी नहीं, बल्कि लक्जरी है। (हंसी) मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि यह हंसनेवाली बात नहीं है, समझने की कोशिश कीजिये। यदि आपका बहुमत है तो यह न समझिये कि जो कुछ आप कहते हैं वही ठीक है बल्कि दूसरों को भी कहने और सुनाने का अधिकार है। हमारे कांग्रेसी भाई यह समझते हैं कि जमींदारों की जमींदारी छीन लेने से या किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमींन है तो उसे टैक्स का देनदार बनाने से वह मुल्क की तरक्की कर रहे हैं लेकिन वह यह नहीं समझते कि इससे प्राइवेट प्रापर्टी की सैंक्टिटी नष्ट-भ्रष्ट होती है। मैं समझता हूं कि वे भूल करते हैं और वह ऐसी भूल है कि वह केवल हमारे समाजवादी नेताओं तक ही नहीं पहुंचते या हमारे विरोधी दल के नेता तक ही नहीं पहुंचते, बल्कि वह रूस तक पहुंचने की इच्छा कर रहे हैं और अपने माननीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी वह अगर शिक्षा देने का साहस नहीं कर सकते तो यह अवश्य करते हैं कि उनको यह बतला दें या यह सलाह दें कि जो कुछ हमारे नेताओं की फारन पालिसी है वह न्यूट्रल रहने की, वह बिला वजह बेकार है। यह हो सकता है कि मैं जो कुछ जमींदार होने के नाते यहां कहूं वह उन्हें बुरा लगे या वह उसे सुनने के लिये तैयार न हों। लेकिन वह आज कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं। वह आज हर एक जमींदार को और जमींदार ही नहीं बल्कि हर काश्तकार को जिसके पास ३० एकड़ या ज्यादा जमींन है मजबूर कर रहे हैं कि वह जावें उनके साथ बल्कि जो उनके बड़े भाई हैं माननीय नेता विरोधी दल के उनके साथ जावें। हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा था कि वह तैयार नहीं हैं

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

इस बिल के लिये, यह ठीक है। लेकिन उसके बाद विवश होकर उनको कुछ न कुछ अपना मत प्रकट करना पड़ा। सचिव महोदय इसके लिये तैयार नहीं थे कि वह इसे दूसरे दिन के लिये टालते। रुलिंग हो चुकी है, लिहाज़ा उस पर मुझे अधिक कहने का साहस नहीं है और अधिकार नहीं है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि मंत्रि महोदय को आपत्ति भी हुई तो वह डबल डीलिंग के समझने में। मैं समझता हूं कि हमारे नेता ने डबल डीलिंग इस बिल के साथ भी की है। बग़ैर समझे आपने यह भी कह दिया कि ३० एकड़ से ज्यादा जिसके पास ज़मीन हो वह नेशनेलाइज़ करली जाय। फैवरिट टर्म हैं, सोशलाइज़ेशन और नेशनैलाइज़ेशन कर लिया जाय। माननीय सचिव जी ने कहा कि यह बहुत निर्दोष बिल है, यह बहुत मामूली सी बात है कि जहां ७ १/२ गुना था वहां १२ १/२ गुना कर दे रहे हैं और जहां ५० एकड़ था वहां ३० एकड़ कर देते हैं।

श्रीमन्, यह मैं बता दूं कि भूतपूर्व ज़मींदार कुछ भी हो सकता था लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं था। यह अगर आप उन को समझाना चाहते हैं कि यह आप उन के हित के लिये कहते हैं तो यह आप की भूल है। यही नहीं, दूसरी बात और भी कह गुज़रते हैं। इस विधेयक में है श्रीमन् कि चार क़िस्तें थीं यह मुनासिब नहीं थीं, ये दो कर दी जांय। बच्चों को अगर आप यह समझाते तो उनको भी शायद यह चीज समझ में न आती फिर प्रौढ़ लोगों को यह चीज समझाना कहां तक उचित है मैं नहीं समझता। श्रीमन्, इससे किसी की नीयत पर छींटे डालने का मेरा अभिप्राय नहीं है बल्कि मुझे यह कहना है कि जिस सिद्धांत से मल्टीपुल प्रोड्यूस और वैल्यू में भिन्नता ला रहे हैं इसका परिणाम भविष्य में चल कर यह होगा कि स्लम्प जब था और हेरिडिटरी राइट पर वह किया गया, अगर यही प्रिन्सिपिल ठीक है तो आज इसके माने यह होंगे कि भूमिधरों से जो वादा सरकार करती है कि ४० साल तक कोई इनहान्समेंट नहीं होगा यह ग़लत होगा। अगर यह सिद्धांत मान लिया जाय कि एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स के लिये वह रेट कम था तो यह भी माना जा सकता है कि जो आज काश्तकार लगान देता है कि उस स्लम्प के आधार पर वह कम है लिहाज़ा आप उनसे ले सकते हैं और वह प्रिविलेज्ड क्लास जिसको आपने भूमिधर और शेषनाग और क्या-क्या बना कर रखा है वह तो ४० साल तक आप के शिकंजे में पड़ेगा नहीं। जमींदारों के ऊपर हर तरह से छींटें आते हैं। वे अब मर चुके और मैं समझता हूं कि अब उन को भूल जाना चाहिये। लेकिन लोगों में एक आदत सी हो गयी है कि वोट भी मिलेगा तो भी जमींदारों को गाली देने से ही मिलेगा। अब और कुछ तो रहा नहीं है। सन् ३७ में जो कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी उसके किसी हद तक हम भी जिम्मेदार हैं कि हमने इन कांग्रेसी भाइयों को गद्दी पर पहुंचाया क्योंकि कुछ तो हमारी ग़लतियों की वजह से और कुछ हमारे छोटे ज़मींदारों की भूल की वजह से जिनको यह कहा जाता था कि ढाई सौ से नीचे वाले तो हमारे भाई हैं।

श्री शिवनारायण--आप की इजाज़त से मैं राजा साहब को बता देना चाहता हूं कि आप ने कभी हमारा साथ नहीं दिया।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन्, इन को कोई अधिकार नहीं है बोलने का। इन माननीय सदस्य ने भी कुछ बातें कहीं लेकिन उनका जवाब देना तो मैं समझता हूं कि स्तर को बहुत नीचे गिरा देना है और उस अभिशाप के लिये मैं कदापि तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि "स्तर को बहुत नीचे गिरा देना है" ये शब्द आप को इस्तेमाल नहीं करने चाहिये। इस तरह से एक दूसरे का अपमान करना है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन्, यह अपमान नहीं। मैं वास्तव में यह हृदय से कह रहा हूं। इसमें अन्तर होता है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष--लेकिन ये शब्द आप को नहीं कहने चाहिये।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन् जो कहें वह आज्ञा शिरोधार्य है। मैं वापस लेता हूं। लेकिन यह मैंने हृदय से कहा था, अपमान करने की मेरी नीयत नहीं थी।

आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इस बिल पर विचार कर लें और यह जो साढ़े १२ गुणा और ३० एकड़ सब्स्टीट्यूट है यह हानिकारक है जमींदारों के लिये ही नहीं बल्कि काश्तकारों के लिये भी क्योंकि आप यह अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस प्रदेश में काश्तकार भी ऐसे हैं जिनके पास ३० एकड़ से अधिक ज़मीन है। यह मैं मानता हूं कि ऐसे काश्तकार कम हैं लेकिन हैं ज़रूर। अगर यही रवैया हमारी सरकार का आगे रहा तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का मर्जर स्वयं आप लोगों की करतूतों से आ जायगा। और इससे ज्यादा आप बहुत दूर तक चले जायंगे। हमको केवल अब यही कहना है कि अब अन्याय और अत्याचार काफ़ी हो चुके हैं और अब वह सीमा आ गयी है जिसका उल्लंघन करना श्रेयस्कर नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--श्रीमन्, मैं क्लोज़र मूव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--अभी एक और साहब बोल लें।

श्री रामसुभग वर्मा (ज़िला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के सामने जो कृषि आय कर विधेयक प्रस्तुत है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह बतलाया जा रहा है कि यह विधेयक छोटा सा विधेयक है लेकिन मेरा कहना तो यह है कि किसानों के लिये पहाड़ है। श्रीमन्, हमारा देश कृषि प्रधान देश है लेकिन फिर भी खेती के लिये कोई उपयुक्त साधन नहीं हैं। श्रीमन्, आज कल जो पहले खेती में पैदावार होती थी उससे वह बहुत कम हो गयी है। खास कर देवरिया ज़िले में आज से पहले जब यहां अंग्रेजों का राज्य था तो वहां पर खेती से इतनी पैदावार होती थी कि ३ महीने रबी की फसल से और ३ महीने ख़रीफ़ की फ़सल से वहां पर ६ माह का गुज़ारा हो जाता था तथा ६ महीने के लिये ग़ल्ला बाहर से मंगाना होता था लेकिन ४,५ वर्षों के लगातार वर्षा, सूखा, ओले और पछुवा तथा अन्य कारणों से वहां की फ़सल नष्ट होती रही है। फिर भी दिन पर दिन अनेकों प्रकार के करों का बोझा किसानों के ऊपर लादा जा रहा है। किसान इस समय करों से इस प्रकार ऊबा हुआ है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीक़े से रावण के राज्य में सारे करों के बाद देवताओं पर एक कर लादा गया था और वह यह कि खून जमा करो उसी प्रकार किसानों पर अब यह कर लादा जा रहा है। एक तरफ तो किसान अपने आप को लगान के चुकाने में असमर्थ समझ रहा है दूसरी तरफ उसके ऊपर कृषि आय कर का बोझ लादा जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आता कि वह उसको किस प्रकार से संभाल पाएगा। मैं आपके द्वारा यह भी बतलाऊं कि खेती कई प्रकार की होती है यानी दुमट, बांगर, रेतीली और धूसी जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की पैदावार होती है। यहां यह रखा गया है कि टैक्स ३० एकड़ से ऊपर की जोत पर लगाया जायगा लेकिन मैं तो यह देखता हूं कि ६० एकड़ में भी लोगों के खाने का गुज़ारा नहीं होता है। बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जिनमें २० एकड़ में इतनी पैदावार हो जाती है जितनी दूसरी ६० एकड़ में भी नहीं होती। इसके बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप कृषि आय कर लगाना ही चाहते हैं तो कृषि आय कर लगाने से पहले आप उस खर्चे को काट दीजिये जो वह ज़मीनों के ऊपर खर्च करता है, बीज के दामों को छोड़ दीजिये, लगान को छोड़ दीजिये, घर की और जितनी ज़रूरतें जैसे कपड़ा, खाना, लड़कों की पढ़ाई, श्राद्ध और विवाह आदि हैं उनका खर्चा आप उसमें से निकाल दीजिये, बाक़ी जो बचे उस पर अगर आप कृषि आय कर लगायें तो मुमकिन हो सकता है।

श्रीमन्, मैं यह बतला रहा था कि आज तक किसान ३ महीने रबी और ३ महीने ख़रीफ़ की पैदावार से इस प्रकार किसी न किसी तरह वह अपना गुज़ारा ६ महीने तक करता था लेकिन आज चार पांच वर्ष से ऐसी हालत हो गयी है कि न वे अपने बीज की क़ीमत ही जो किसी के यहां से लाते

[श्री रामसुभग वर्मा]

हैं चुका पाते हैं न खाद ही जो किसी सोसाइटी से या कहीं से लाते हैं उसकी ही क़ीमत चुका पाते हैं और न जिससे हल खरीदते हैं उसका ही दाम दे पाते हैं। उनके ऊपर दिनों दिन क़र्ज़े का बोझ लदता जा रहा है। जमींदारों की बात जो बतलायी गयी है तो जमींदार खत्म होने के बाद वे भी एक प्रकार के किसान ही हो गये हैं और जो उनके ऊपर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वे ३० एकड़ से ज्यादा जमींन अपने पास नहीं रख सकते हैं तो जिस वक्त आप ने यह चीज की उसी वक्त जमींदारों ने अपने खानदान में अपनी जमींनों का बटवारा कर दिया और बीस-बीस एकड़, तीस-तीस एकड़ कर दिया। तो फिर आप किस पर कर लगायेंगे? वे लोग जो पहले अपनी खेती करते थे तो वे कोई मवेशी व बैल नहीं रखते थे। वे दूसरों से हरी ले लेकर अपने खेतों को जोतवा लेते थे। वे अपनी जमींदारी के गांव से एक-एक दिन सौ-सौ हल लेकर अपने खेतों को जोतवा लेते थे और उन्हीं के ज़रिये उनकी खेती होती थी लेकिन अब तो जमींदारी खत्म होने के बाद उनको हरी मिलती नहीं है। उनकी हालत तो उस सांप की हो गयी है जिसके दांत तोड़ कर सपेरा अपने पास रखता है ताकि वह काटने न पावे। वही हालत आज जमींदारों की भी हो गयी है। वे खेती तो करा नहीं पाते हैं लेकिन एक बार अपने खेतों में हल घुमवा देते हैं ताकि सरकार कहीं परती जमीन समझ कर उस पर क़ब्ज़ा न कर ले। मगर वास्तव में उनको जमींन परती ही पड़ी रहती है। इस तरह से उनकी आमदनी भी ऐसी है जिसके ऊपर वे कर नहीं दे सकते हैं। जो खेत वाले थे वे आज बिना खेत हो गये हैं। जिन के पास पैसे हैं उन्होंने उन खेत वालों से पैसे के बल पर उनकी खेती ले ली है। इस तरह से किसानों की हालत पहले से खराब हो गयी है। उनकी मालीहालत ऐसी हो गयी है जिसको वे संभाल नहीं पाते हैं। उनके पास खेत नहीं हैं जिससे वे बेकार पड़े रहते हैं। हमारे प्रान्त में या कहीं भी पहले खेती करने वाले कुछ थोड़े से लोग थे। पहले खेती कम होती थी लेकिन चूंकि उर्वरा शक्ति अधिक थी इसलिये पैदावार ज्यादा हुआ करती थी। अब ज्यों-ज्यों प्रान्त की या देश की आबादी बढ़ती जाती है त्यों-त्यों लोग बेकार होते जाते हैं और अब उनकी निगाह गयी है खेती की तरफ। जो लोग मेहनत करके खेती करते थे, जो जंगलों को काट-काट कर उनको खेत बनाये, वे आज बिना खेत के हो गये हैं, जिनके पास खेती थी वह खींच कर दूसरों के पास चली गयी। उसको पैसे वालों ने हड़प लिया है। मैं आप को बतलाऊं कि ज्यादा से ज्यादा जो खेती में लगे हुये थे वे आज बेकार हैं और वे अपनी रोज़ी के लिये बाहर चले जाते हैं, चम्पारण चले जाते हैं और वहां जा कर अपने पेट भरने का प्रबंध करते हैं। इस तरह से उनकी बेकारी बढ़ती जाती है, उनको शादी ब्याह भी करने पड़ते हैं, श्राद्ध करने पड़ते हैं, और भी दूसरी जरूरियात की चीजें उनकी बढ़ती जाती हैं और खेती की पैदावार घटती जाती है और उसके बाद भी सरकार उन पर अनेकों प्रकार के टैक्स लगाती जा रही है। मैं समझता हूं कि आप जितना भी टैक्स लगाते हैं उन सारे टैक्सों का भार किसानों के ऊपर ही जा कर पड़ता है, दूसरों पर नहीं पड़ता है। जो माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुये हैं उनके ऊपर इसका क्या भार पड़ेगा? जो खेती करने वाले हैं उन्हीं के ऊपर सारा टैक्स लगाया जाता है अगर वह दियासलायी भी खरीदता है तो उस पर भी उसे ही टैक्स देना पड़ता है, या बाजार से जो चीजें भी खरीदता है उस पर उसे ही टैक्स देना पड़ता है। मैं तो कहता हूं कि कम से कम सरकार को चाहिये कि वह किसानों को इस कृषि कर से अवकाश दे और बड़े-बड़े लोगों पर ही जो फार्म बनाये हुए हैं उन्हीं पर, ३० एकड़ से अधिक जोत वाले हैं, कृषि कर लगाये। और अगर लगाती ही है तो मेरा एक सुझाव है कि खेती करने वालों की कृषि में जितनी लागत लगती है उस लागत को छांट कर, लगान को निकाल कर, घर में जो शादी ब्याह, श्राद्ध वगैरह का खर्चा है उसको छांट कर, लड़कों की पढ़ाई का जो खर्चा है उसको छांट कर, इस प्रकार से जो बकिया आमदनी हो उसी पर वह कर लगावे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को और किसी तरह पर जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के विरोध में कुछ बातें कही हैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा न तो कोई टैक्स या कर बढ़ाया जा रहा है और न कोई नया कर लगाया जा रहा है। ३ हजार की आमदनी पर, जैसा कि मूल विधेयक में है, कृषि आय कर लगाये जाने का कानून था, वही तीन हजार की आमदनी पर अब भी कर लगाया गया। श्री राजनारायण जी को इस संबंध में, जैसा कि मैंने उनके भाषण से समझा, कुछ भ्रम है। यह ३० एकड़ की बात जो कही गयी है तो वह यह है कि जिनके पास ३० एकड़ से कम जमीन होगी और साथ ही साथ ५० रुपये से उनकी कम आमदनी होगी तो उनके ऊपर कोई कृषि आय कर नहीं लगाया जायेगा। यानी उनकी आमदनी का कोई ब्यौरा नहीं लगाया जायेगा। अगर उनके पास ३० एकड़ से कम भूमि है और ५० रुपये से उनकी कम आमदनी है तो उनको नोटिस भी जारी नहीं होगा। लेकिन अगर ३० एकड़ से कम भूमि है और ५० रुपये से ज्यादा रेवेन्यू है तब उनकी आमदनी देखी जायगी। अगर तीन हजार रुपये से आमदनी ज्यादा है यानी अगर इस तरह से ३० एकड़ से कम भी भूमि है लेकिन ५० रुपये से ज्यादा रेवेन्यू है तो भी उनकी आमदनी देखी जायेगी। अगर ३ हजार रुपये से उनकी आमदनी कम होती है चाहे उनके पास जितनी भी भूमि हो लेकिन तीन हजार से आमदनी कम होती है तो भी उनके ऊपर कोई आयकर नहीं लगेगा। इस तीन हजार की जांच के लिये दो तरीके रखे गये हैं। पहला तरीका यह है कि अगर तीस एकड़ से उसके पास भूमि ज्यादा है और ५० रुपये से रेवेन्यू ज्यादा है.....

श्री अध्यक्ष--अब तो बहुत समय लग जायगा। मैं समझता हूं कि आप अपनी स्पीच अगले रोज जारी रखें।

१९५३-५४ की वित्त समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--वित्त समिति की सदस्यता के लिये निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम निर्देशित किये गये हैं:--

१--श्री भूपाल सिंह,
२--श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा,
३--श्री कालिका सिंह,
४--श्री विष्णुशरण दुब्लिश,
५--श्री सुगनचन्द,
६--श्री वीरेन्द्र वर्मा,
७--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल,
८--श्री वंशीधर मिश्र,
९--श्री मुहम्मद अदील अब्बासी,
१०--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल,
११--श्री नारायण दीन,
१२--श्री धर्मसिंह,
१३--श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट,
१४--श्री नारायण दत्त तिवारी,
१५--श्री पुत्तूलाल,
१६--श्री हरदयाल सिंह पिपल, व
१७--श्री उल्फत सिंह चौहान।

२६ मार्च, १९५३ को १ बजे तक नामों की वापसी का अन्तिम समय नियत किया गया था यदि इस समय के भीतर ३ नाम वापस नहीं हुये तो २७ मार्च, १९५३ को ११ से ३ बजे तक विधान वाचनालय में निर्वाचन किया जायगा।

१९५३-५४ की सार्वजनिक लेखा समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--सार्वजनिक लेखा समिति के २० स्थानों के लिये २३ नाम आये हैं। वे इस प्रकार हैं:--

१--श्री मदन मोहन उपाध्याय,
२--श्री सुखीराम भारतीय
३--श्री बेचनराम गुप्त

[श्री अध्यक्ष]

४—श्री शिवमंगल सिंह कपूर
५—श्री रामजी सहाय
६—श्री रामस्वरूप गुप्त
७—श्री जयराम वर्मा
८—श्री देवदत्त शर्मा
९—श्री लक्ष्मण राव कदम
१०—श्री रतन लाल जैन
११—श्री रामस्वरूप
१२—श्री दाऊ दयाल खन्ना
१३—श्री गोवर्धन तिवारी
१४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी
१५—श्री जयपाल सिंह
१६—श्री शिवदान सिंह
१७—श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह
१८—श्री अब्दुल मुईज खां
१९—श्री नाजिम अली
२०—श्री महाराजकुमार बालेन्दुशाह
२१—श्री त्रिलोकी नाथ कौल
२२—श्री रामबली मिश्र
२३—श्री कुंवर कृष्ण वर्मा

२६ मार्च, १९५३ को एक बजे तक नामों की वापसी का अन्तिम समय नियत है। यदि निर्धारित समय तक इस समिति से तीन नाम वापस नहीं लिये गये तो २७ मार्च, १९५३ को ११ बजे से तीन बजे तक विधान वाचनालय में एतदर्थ निर्वाचन किया जायेगा।

कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष—अब सात जो स्थायी समितियां हैं। इनके चुनाव होने थे। इनमें ज्यादा नाम थे। अब इन लोगों ने नाम वापिस ले लिये हैं। जिन लोगों ने नाम वापिस लिये हैं उनके नाम मैं पढ़ कर सुना देता हूं। उनके अतिरिक्त जो सदस्य रह गये हैं, वे चुने गये।

	सामान्य प्रशासन समिति	इसमें श्री झारखंडे राय और श्री जोरावर वर्मा ने अपने नाम वापस ले लिये और जो बाक़ी १४ सदस्य हैं वे चुने गये।
(भवन तथा सड़कों की स्थायी समिति)	सार्वजनिक निर्माण विभाग स्थायी समिति	१५ नामों का नामांकन हुआ था। श्री जोरावर वर्मा ने अपना नाम वापिस ले लिया। बाक़ी १४ सदस्य चुने गये।
	वन स्थायी समिति	इसमें १५ सदस्य नामजद हुये थे। श्री जोरावर वर्मा ने अपना नाम वापिस ले लिया। बाक़ी १४ सदस्य चुने गये।

कृषि तथा पशुपालन स्थायी समिति	इसमें १५ नाम नामजद हुये थे। श्री लुत्फ अली खां ने अपना नाम वापिस ले लिया। बाक़ी १४ आदमी चुने गये।
पुलिस स्थायी समिति	इसमें १६ नाम आये थे और उनमें से दो नाम वापिस लिये गये। श्री जोरावर वर्मा और श्री तेज बहादुर सिंह ने अपने नाम वापिस ले लिये। बाक़ी १४ चुने गये।
विकास व नियोजन स्थायी समिति	इसमें भी १५ सदस्यों की नामजदगी हुई थी। इनमें से श्री झारखंडे राय ने अपना नाम वापिस ले लिया। बाक़ी १४ सदस्य चुने गये।
शरणार्थी समिति	इसमें १५ सदस्यों की नामजदगी हुई थी। श्री उल्फत सिंह चौहान ने अपना नाम वापिस ले लिया। बाक़ी १४ सदस्य चुने गये।

श्रम तथा उद्योग स्थायी समितियों से त्याग-पत्र

अब एक सूचना और भी देनी है। श्रम और उद्योग स्थायी समितियों से निम्नलिखित सदस्यों के त्यागपत्र प्राप्त हुये हैं। श्रम समिति से श्री शिवराम पांडेय और श्री जवाहर लाल ने और उद्योग समिति से श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना ने त्यागपत्र भेज दिये हैं।

पुलिस समिति से त्याग-पत्र

श्री सूर्य प्रसाद जी अवस्थी ने पुलिस समिति से अपना इस्तीफा दे दिया है।

इनके इस्तीफे के कारण ४ स्थान रिक्त हो गये हैं और इनके चुनाव के लिये जो कार्यक्रम होगा वह इस प्रकार है :—

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय—२७ मार्च, १९५३ ई० को १ बजे तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा—२७ मार्च, १९५३ ई० को २ बजे तक।

नाम वापस लेने की अंतिम तिथि और समय—३० मार्च, १९५३ ई० को ३ बजे तक।

निर्वाचन की तिथि, समय तथा स्थान, यदि आवश्यक हुआ तो बाद में घोषित कर दिया जायगा।

आगामी शनिवार को सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में सुझाव

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—एक बात अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि मेरा प्रस्ताव है कि सदन अगले शनिवार को भी बैठे ताकि एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स अमेंडमेंट बिल पर विचार हो सके और मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस सिलसिले में एक मत होंगे कि हम चकबन्दी के बिल को पास करके उठें लेकिन यह तभी संभव है जब कि हम शनिवार को इस एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स अमेंडमेंट बिल को पास कर दें। अगर हम शनिवार को नहीं बैठते तो वह सोमवार को होगा और फिर उस के बाद चकबन्दी बिल के लिये समय कम रह जायगा और वह पास नहीं हो सकेगा क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि फिलहाल हमारा इरादा यह है कि यह बैठक २ अप्रैल को स्थगित कर दी जाय, एडजर्न कर दी जाय। इसलिये अगर माननीय सदस्यों को स्वीकार हो तो हम शनिवार को भी बैठ जायं।

श्री अध्यक्ष—शनिवार को तो शायद महावीर जयन्ती की छुट्टी है, इसका भी विचार कर के अगर सदन उस दिन बैठना तय करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—तो कल इसको देख लिया जायगा।

श्री चरणसिंह—कल तो नानआफ़िशियल डे है।

श्री अध्यक्ष—तो यह संकल्प सदन की आज्ञा से तो नानआफ़िशियल डे को भी आ सकता है। अच्छा यही होगा कि आप विचार करके कल उसे पेश कर दें।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ मार्च, १९५३।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३ एल० ए०—१९५३—८१०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २६ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६५)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर प्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराबल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाजरसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुजशर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्दसिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री

बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अदील खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री

रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल शर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ससिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर

सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[२० अप्रैल, १९५३ के लिये संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

शामली तथा कांधला, मुजफ्फरनगर में शरणार्थियों का पुनर्वासन

*२—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शामली तथा कांधला, मुजफ्फरनगर में शरणार्थियों की जनसंख्या क्या है और उनके रहने की क्या व्यवस्था की गई है ?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)—शामली तथा कांधला में उदवासितों की जनसंख्या क्रम से लगभग १,१०० और ६०० है। उदवासितों को निष्क्रांत सम्पत्ति के अतिरिक्त और भी मकान रहने के लिये मिले हैं और राजकीय सरकार ने उनके लिये नये मकान निर्माण करने की भी व्यवस्था की है।

*३—श्री श्रीचन्द—क्या इन पुरुषार्थियों के रहने के मकान भी बनवा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां, राजकीय सरकार ने उदवासितों के लिये शामली में ६७ मकान बनवाये हैं और ४८ मकान बनवाये जा रहे हैं। कांधला में वित्तीय वर्ष १९५२-५३ की सरकारी निर्माण योजना के अन्तर्गत शीघ्र ही २४ मकान बनवाये जा रहे हैं।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कांधला में यह क्वार्टर्स कब तक तैयार हो जायेंगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जल्द तैयार हो जायेंगे ।

*४---श्री श्रीचन्द---यदि उपर्युक्त दोनों स्थानों में से किसी स्थान पर कुछ मकान बन गये हैं, तो उन पर क्या लागत लगी और प्रत्येक मकान का क्या किराया लिया जाता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---शामली में जो ६७ मकान बने हैं उनमें से १७ दो कमरे वाले मिले हुये दूकान व मकान टाइप के मकानों पर जमीन की लागत सहित ४८,०११ रुपया व्यय हुआ और ५० सी टाइप वाले एक कमरे के मकानों पर लगभग १,०५,००० रुपया जमीन का मूल्य सहित व्यय होगा। लागत के हिसाब से दो कमरे वाले मकानों का फाइनल रेण्ट (Final rent) १३ रु० १ आना फी मकान माहवारी निकलता है। पर अभी अस्थायी किराया (provisional rent) ८ रुपया माहवार फी मकान लिया जा रहा है। एक कमरे वाले मकानों पर जो ज्यादा अच्छे बने हैं और जिन पर लागत अपेक्षाकृत ज्यादा आई अस्थायी किराया १० रुपया माहवार फी मकान लिया जा रहा है। अभी इनका फाइनल रेंट (Final rent) नहीं तय हुआ है।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी इन क्वार्टर्स के एस्टीमेट्स की नकलें और नक्शे ब्लू प्रिंट पर मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---बहुत अच्छा मंगा दिये जायेंगे ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फ़रनगर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कांधला, शामली तथा मुजफ्फ़रनगर में कितने शरणार्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक मकान नहीं मिले हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---कोई भी नहीं ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फ़रनगर)---क्या सरकार को मालूम है कि मुजफ्फ़रनगर में पुरुषार्थियों को जो मकान दिये हैं उन में से २४ फ्लैट खाली पड़े हुये हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---इसकी सूचना की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग विकास

*५---श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के जिन आठ स्थानों में कुटीर उद्योग क्लास चल रहे हैं उनमें कितने कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं और किन किन कुटीर उद्योगों की शिक्षा उन्हें दी जा रही है ?

*६---क्या सरकार बतायेगी कि इन कुटीर उद्योग शिक्षा क्लासों के सिलसिले में सरकार कितना कितना रुपया, किन-किन शिक्षालयों को देती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---'उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग विकास, १९५२-५३, नामक हिंदी बुकलेट के पृष्ठ ९६ पर उल्लिखित जिन आठ स्थानों में ट्यूशनल क्लासेस चल रहे हैं उनमें जितने जितने विद्यार्थी जिन जिन उद्योगों में शिक्षा पा रहे हैं तथा उन क्लासेस के सिलसिले में जितना रुपया व्यय होता है उसकी सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२७ पर ।)

*७—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार ने इन शिक्षा क्लासों के निरीक्षण के लिये कोई विशेष निरीक्षक भी रखे हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इन क्लासों का निरीक्षण सरकारी पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि इन कुटीर उद्योग क्लासेज में कितना उत्पादन होता है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसकी इत्तिला इस वक्त नहीं दी जा सकती।

श्री रामस्वरूप गुप्त—क्या इसमें उत्पादन का काम होता भी है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जहां पर प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं वहां उत्पादन का काम होता है।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योग शिक्षा क्लासेस में जो विद्यार्थी उनकी शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको कुछ मासिक सहायता भी दी जाती है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां, उनको स्टाइपेंड दिया जाता है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतलायेंगे कि वे ८ स्थान कौन कौन से हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जो फेहरिस्त आपको दी गई है उसमें हैं।

श्री अध्यक्ष—फेहरिस्त उनके पास नहीं है। आप पढ़ देंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मिर्जापुर, आजमगढ़, बनारस, कानपुर, बहराइच, बलिया और गोरखपुर जिलों में हैं।

श्री रामस्वरूप गुप्त—क्या सरकार ने कोई ऐसा लेखा तैयार करवाया है कि इन क्लासेस में शिक्षा पाये हुये कितने विद्यार्थी काम में लग गये हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसकी फेहरिस्त तो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन कोशिश पूरी की जाती है कि यह सब विद्यार्थी काम में लग जायं।

नैनीताल तराई-भावर के छोटे गन्ना उत्पादकों के गन्ने की बिक्री के लिये योजना

*८—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल तराई-भावर केन यूनियन के संचालक गोकुलनगर मिल के लिये स्थानीय छोटे छोटे गन्ना उत्पादकों के गन्ना को न लेकर रामपुर जिला के तहसील बिलासपुर के बड़े-बड़े फार्मों से गन्ना लेते हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि चिमनी फार्म के प्रोप्राइटर को ५० हजार मन गन्ने की स्पेशल पुर्जी इशू की गई है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--नोटिस की जरूरत है।

*९--श्री बद्री नारायण मिश्र--यदि हां, तो क्या सरकार छोटे गन्ना उत्पादकों के गन्ने की बिक्री के लिये कोई योजना बना रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--यह प्रश्न ही नहीं उठता।

*१०-१२--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--[१० अप्रैल, १९५३ के लिये संख्या ३१-३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१३-१४--श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)--[२३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५-१७--श्री रामभजन शर्मा (जिला खीरी)--[१६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

दुद्धी तहसील, जिला मिर्जापुर में भूसुड़ का आतंक

*१८--श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार को विदित है कि मिर्जापुर जिले की दुद्धी तहसील में भूसुड़ का (एक प्रकार का हिंसक जानवर जिसे स्थानीय भाषा में कोरी भी कहते हैं) उपद्रव, जो गत वर्ष प्रारम्भ हुआ था पिछले दिसम्बर मास से पुनः प्रारम्भ हो गया है, और म्योरपुर के पास, आसनडीह (अभनी के पास) तथा कुदरी में (किरबिल के पास) मनुष्यों पर उसके घातक हमले हुये हैं?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)--गत वर्ष इस जानवर के हमले दुद्धी तहसील के कुछ गांवों में म्योरपुर, अभनी व किरबिल के पास हुये थे। इस साल ऐसे हमलों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*१९--श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार भूसुड़ द्वारा साल भर के भीतर मारे गये तथा घायल किये गये सभी व्यक्तियों की सूची मेज पर रखेगी, तथा उनके परिवार वालों के पालन-पोषण का प्रबंध करेगी?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--जैसा अब तक मालूम है मारे गये व्यक्तियों की संख्या १६ और घायलों की संख्या ६ है। सहायता के बारे में कोई नियम नहीं है, न कोई रकम अभी तक रखी गई है।

*२०--श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार उक्त भूसुड़ को मारने के लिये कोई सफल कदम उठायेगी?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--इन जानवरों के मारने के लिये पुरस्कार की घोषणा की गई है। शिकारियों की पार्टियां भी बनाई गई हैं और बन्दूकों का प्रबंध कर दिया गया है। गत वर्ष एक जानवर मारा भी गया है और फिर हिदायतें जिला अधिकारी को जा रही हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिकार की पार्टी के लिये किन-किन व्यक्तियों के ग्रुप बनाये गये थे ? उन्होंने क्या प्रयत्न किया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---शिकारियों की कई पार्टियां बनायी गयी हैं पहले भी आप ने सवाल भेजे थे तब भी हिदायतें भेजी गयी थीं कि उनकी मदद से उस जानवर को मारें और घायल करें ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (ज़िला जौनपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि केवल शिकारियों को ही बन्दूकें दी जायंगी या वहां के ग्रामीणों को भी ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---यहां से ज़िला मैजिस्ट्रेट को हिदायतें दी गयी थीं कि वह उन ग्रामों के रहने वालों को बन्दूकें दें और लाइसेंस भी वहां आज़ादी से दें ताकि लोग खुद भी अपनी हिफ़ाज़त कर सकें ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि सरकार इन हताहत होने वाले लोगों को कोई रक़म स्वीकार करेगी ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---कोई ख़ास दरख्वास्त आये जिसमें किसी आदमी के लिये ऐसा हो कि उसकी हालत को देखते हुये ज़रूरत हो तो ख़ास तौर पर सोचा जायगा, लेकिन बजट में ऐसी कोई रक़म नहीं रखी गयी है ।

सरकारी कर्मचारियों के कार्यकाल में वृद्धि के नियम

*२१---श्री लक्ष्मणराव कदम (ज़िला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन कर्मचारियों की नौकरी की मियाद पूरी हो जाती है उनको extension या दूसरी नौकरी देने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---सरकार की यह नीति है कि विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त और जब कि सार्वजनिक हित के लिये यह आवश्यक हो अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की नौकरी की अवधि बढ़ाई न जाय और पुर्नानियुक्ति न की जाय ।

राजा वीरेन्द्रशाह (ज़िला जालौन)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस समय कितने सरकारी कर्मचारी जिनको एक्सटेन्शन मिला है, काम कर रहे हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---इसके बारे में एक सवाल पूछा गया था । तब आंकड़े जमा किये गये थे । तो अक्तूबर ५२ तक, कुल मुलाज़िम जिनका फिर तकर्रुर किया गया था उनकी संख्या १५६ थी ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (ज़िला गोंडा)---क्या गवर्नमेंट यह बतायेगी कि गुज़िश्ता साल कैबिनट का कोई फैसला हो चुका था कि अब से किसी को एक्सटेंशन न दिया जाय?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---कैबिनेट का वही फैसला हुआ था जो कि जवाब में बतलाया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिन सरकारी कर्मचारियों की मियाद खत्म हो जाती है उनके बारे में जो दो नोटिफिकेशन निकले हैं नम्बर २३० और २२७ वे परस्पर विरोधी हैं?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---किस साल के ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---इसी साल के ।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--अगर परस्पर विरोधी हैं तो उनमें जरा सोचने समझने की जरूरत होगी वरना दोनों का मतलब एक ही निकलेगा।

तमकुही रोड चीनी मिल और भटनी केन यूनियन क्षेत्र में गन्ना पेरने का प्रबन्ध

*२२--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि तमकुही रोड चीनी मिल और भटनी केन यूनियन के क्षेत्र में कितने एकड़ गन्ना इस वर्ष खेतों में था और उनमें से अब तक कितना किस मिल को गन्ना दिया जा चुका है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी--तमकुही रोड चीनी मिल के क्षेत्र में इस वर्ष सोसाइटी के सदस्यों का कुल १०,७९५ एकड़ गन्ना था जिसमें से अब तक ११.८७ लाख मन गन्ना उक्त मिल को सप्लाई किया जा चुका है। भटनी केन यूनियन के क्षेत्र में सोसाइटी के सदस्यों का २.१६ हजार एकड़ गन्ना था जिसमें से १.१६ लाख मन गन्ना खलीलाबाद मिल को सप्लाई किया जा चुका है।

*२३--श्री गेंदासिंह--क्या उपर्युक्त दोनों स्थानों पर केन यूनियन के बार-बार यह प्रयत्न करने के बाद भी कि गन्ने का ठीक-ठीक अनुमान लगा कर उसके पेरने का बन्दोबस्त कर दिया जाय, अब तक कोई बन्दोबस्त नहीं हो सका है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जी नहीं, उपर्युक्त दोनों स्थानों पर पूरे गन्ने को चीनी मिलों में पिरवाने का बन्दोबस्त किया जा चुका है।

श्री गेंदासिंह--यह आंकड़े जो माननीय उद्योग मंत्री जी ने बताये वह पिछली किस तारीख तक के हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी--यह किस वक्त इन्फारमेशन मांगी गयी है, हफ्ते भर पहले की बात है ?

श्री गेंदासिंह--यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह ११.८७ लाख मन गन्ना तमकुही मिल को जो सप्लाई किया गया वह किस तारीख तक सप्लाई किया गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी--मैंने कहा कि तारीख तो मैं नहीं बतला सकता कि किस तारीख को सप्लाई किया गया, लेकिन यह एक हफ्ते पहले की ख़बर है।

श्री गेंदासिंह--भटनी मिल के पास कितने एकड़ गन्ना था और कब तक उसके खत्म हो जाने की उम्मीद है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--इत्तिला यह है कि जितना गन्ना है कुल पेर लिया जायगा, कोई बचेगा नहीं और यह कि किस तारीख को वह खत्म होगा यह तो नहीं कहा जा सकता।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि भटनी का गन्ना खलीलाबाद मिल को सप्लाई किया जाता था और उस मिल ने इन्कार कर दिया है कि वह पूरा गन्ना नहीं लेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--ऐसी कोई सूचना तो मेरे पास मौजूद नहीं है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--भटनी मिल कितने दिन से बन्द है और उसके कब तक चलने की संभावना है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--उसके लिये नोटिस हो तो दरियाफ्त कर सकते हैं।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भटनी मिल में इस वर्ष कितने एकड़ गन्ना पेरा गया था जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जो मैंने बतलाया था वह यह था कि भटनी मिल में १६ हज़ार एकड़ गन्ना था जिसमें से १·१६ हज़र मन गन्ना खलीलाबाद मिल को सप्लाई किया जा चुका है।

श्री गेंदासिह--माननीय उद्योग मंत्री जी का मैंने ध्यान जो प्रश्न छपा हुआ है उस तरफ दिलाया था कि कितने एकड़ गन्ना भटनी मिल में था और क्या वह पेरा गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--यह तो इस वक्त नहीं बतलाया जा सकता।

श्री गेंदासिह--तमकुही मिल के बारे में यह बतलाया जा सकता है कि वहां कब तक गन्ना खत्म हो जायगा?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जो इत्तिला मेरे पास है कि कोई गन्ना बाक़ी नहीं रहेगा, सब पेरा जायगा, तो उसकी कोई तारीख नहीं कि कब तक पेरा जायगा।

श्री गेंदासिह--क्या यह सही है कि भटनी मिल का गन्ना खलीलाबाद को ही सप्लाई किया जायगा और किसी दूसरी मिल को नहीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी--जैसा मैंने कहा, कुल गन्ना पेरा जायगा। अगर नहीं पेरा जा सकेगा तो उसका इन्तजाम होगा कि उसे दूसरी जगह भेजा जाय, लेकिन मैं इतना ही बतला सकता हूं कि कुल गन्ना पिर जायगा।

तमकुही क्षेत्र में ओला पड़ने से ईख की फसल को क्षति

*२४--श्री गेंदासिह--क्या इसकी सूचना सरकार को है कि तमकुही क्षेत्र में अधिकांश गांवों में ओला पड़ने से ईख की फ़सल को नुक़सान पहुंचा था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां।

*२५-२६--श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़)--[१६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

सचिवालय में हिन्दी टाइपराइटरों का प्रयोग

*२७--श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सचिवालय में कितने टाइपराइटर हैं और उनमें कितने हिन्दी के हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--७८८ और १९५।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि अंग्रेज़ी और हिन्दी के टाइपराइटर किस एजेंसी के द्वारा खरीदे जाते हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--यहां से तो स्टोर परचेज़ डिपार्टमेंट के ज़रिये खरीदे जाते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि उन्होंने कोई ऐसा लक्ष्य निश्चित कर लिया है कि अमुक सन् तक सारे टाइपराइटर हिन्दी में हो जायेंगे ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--अब जो आगामी साल आ रहा है उसमें उम्मीद है कि ६० टाइपराइटर्स हिन्दी के खरीदे जायंगे और अंग्रेज़ी का कोई नहीं ख़रीदा जायगा।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में कितने टाइपिस्ट हैं, जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों टाइप जानते हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह टाइपिस्ट का सवाल नहीं है, टाइपराइटर का सवाल है।

श्री गुप्तारसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब हिन्दी के टाइपराइटरों की इतनी कमी है तो इतने कम ख़रीदने का कारण क्या है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---जितना रुपया मंजूर था उसी के अन्दर खरीदे गये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि पटना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने हिन्दी का एक टाइपराइटर ईजाद किया है जिससे स्टेशनरी का खर्चा आधा हो जाता है और इसी कारण बिहार गवर्नमेंट ने उस मेक को पसन्द करके सारे वही टाइपराइटर खरीदे हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---उसका मुझे जाती इल्म तो है नहीं, आप कह रहे हैं तो सही होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आज़मगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दी और अंग्रेजी टाइपराइटरों का अलग-अलग मूल्य कितना-कितना है ?

श्री गोविन्दवलभ पन्त---अलग-अलग किस्म के दोनों होते हैं और उन की क़ीमतें अलग-अलग होती हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि वे इस टाइपराइटर के संबंध में बिहार गवर्नमेंट से पत्र-व्यवहार करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---मैं समझता हूं कि जो माल बनाता है वह खुद कोशिश करता है कि उसकी बिक्री हो। यह बोझा उसी पर छोड़ना चाहिये बजाय इसके कि उनको हम तकलीफ़ दें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उसे मालूम है या नहीं कि आगरा में एक कारखाना है जो सिर्फ सौ रुपये में अंग्रेज़ी के टाइपराइटर को हिन्दी में बना देता है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---आगरा की बातें मुझे बहुत मालूम नहीं रहतीं।

*२८---श्री गुप्तारसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस साल कितने टाइपराइटर ख़रीदे गये हैं और उनमें हिन्दी के टाइपराइटरों का क्या अनुपात है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---इस साल ६० टाइपराइटर ख़रीदे गये जिनमें ३२ हिन्दी के और २८ अंग्रेजी के हैं।

सरकारी कार्यालयों के लिये बरेली से फर्नीचर खरीदने का आदेश

*२९---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या हर एक जिले के सरकारी कार्यालयों के लिये उनके अधिकारियों को बरेली ही से फ़र्नीचर मंगाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्यों, किससे तथा उसकी क़ीमत कौन तय करता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—प्रदेश के सरकारी कार्यालयों के लिये फर्नीचर को इंडियन बाबिन कंपनी, कलक्टरबकगंज (बरेली) से ख़रीदने के लिये आदेश दिया गया है जिसका कारण यह है कि इस कंपनी का प्रबंध सरकार करती है और सरकार ने इसके अधिकतर शेयर खरीद कर इसमें बहुत सा धन लगाया है। इसके अलावा यहां का बना माल दूसरी फर्मों के मुक़ाबले में अधिक बढ़िया तथा मजबूत होता है। सरकारी विभागों की ओर से राजकीय सेण्ट्रल वुड वर्किंग इंस्टीट्यूट, बरेली के प्रिंसिपल महोदय उनके आर्डरों को कार्यान्वित कराने के लिये माल को अपनी देखरेख में बनवाते हैं जिससे वह बढ़िया और मजबूत होता है और उसकी क़ीमत उचित होती है।

*३०-३२—**श्री कृष्णशरण आर्य** (ज़िला रामपुर) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ १७८-१७९ पर]

*३३—**श्री पुत्तूलाल** (ज़िला आगरा)—[३१ मार्च, १९५३ ई० के लिये संख्या २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

तराई-भावर में गन्ने को पेरने का प्रबंध

*३४—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि तराई-भावर क्षेत्र में आबादी तथा खेती बढ़ जाने के कारण सट्टे से बचे हुये लाखों मन शेष गन्ने को पिरवाने का वह क्या प्रबंध कर रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—सरकार ने तराई भावर क्षेत्र में सट्टे से बचे हुये गन्ने को पिरवाने के लिये २ लाख ३८ हज़ार रुपये से अधिक तकावी के रूप में मंजूर किया है जिससे गन्ना उत्पादक कोल्हू और क्रशर (Crusher) लगा सकें और शेष गन्ना पेर लें। हाल ही में एक और विशेष योजना बनाई गई है जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र से गन्ना बिलारी, न्योली, बरेली व बहेड़ी मिलों को भिजवाया जा रहा है। आशा है कि तराई भावर का पूरा गन्ना मिल जायगा।

*३५—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि तराई-भावर में गन्ने की पैदावार बढ़ाने की हेतु वह क्या सहायता दे रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—तराई भाबर के गन्ना विकास क्षेत्र में गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिये सरकार ने ट्यूब वेल (Tube well) पंपिंग सेट (Pumping set) आदि सिंचाई के साधनों पर १६ हज़ार रुपये की तकावी मंजूर की है और ४० हज़ार रुपया क़र्जा भी दिया है। नये कुओं के निर्माण, पुराने कुओं की मरम्मत, तालाब, गूल इत्यादि खुदवाने एवं साफ करने के लिये आर्थिक सहायता दी जा रही है। खाद तथा उन्नत किस्म के गन्ने के बीज भी बांटे जा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिलारी, न्योली और बहेड़ी वग़ैरह का गन्ना किसी विशेष योजना के अनुसार गन्ना मिलों को भिजवाया जा रहा है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जितना भी बचेगा और जितना पेरा जा सकेगा सब भेज दिया जायगा। आशा यही है कि कुल गन्ना पिर जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सट्टे से बचा हुआ कुल गन्ना तराई भावर में कितना है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसके तो फ़ीगर्स मौजूद नहीं हैं कि कुल कितना गन्ना सट्टे से बचा हुआ है लेकिन यह जरूर है कि जो गन्ना बचेगा उसके लिये सब इन्तजाम किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि इस बचे हुये गन्ने को पिरवाने की समस्या को देखते हुये सरकार ने बाजपुर में एक शुगर फैक्ट्री बनवाने या ट्रान्सफ़र कराने का निश्चय किया है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जी हां, कोशिश की जा रही है कि वहां एक फैक्ट्री बन जाय।

श्री गेंदासिंह--बाजपुर की फ़ैक्ट्री के लिये क्या कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई दूसरी फैक्ट्री उठाकर वहां लगाई जायगी?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--कोशिश यह है कि कोई कारखाना जो बेकार पड़ा है उसे काम में लाया जाय।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि सरकार के किसी विभाग ने इस बात का अन्दाज़ा नहीं लगाया था कि इस इलाक़े में कितना गन्ना पैदा होगा?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--हां, अन्दाज़ा लगाने का कोई सवाल नहीं उठ सकता आखिर कोई किसी को गन्ना पैदा करने से रोक नहीं सकता। अगर कोई करे तो उसके ख़िलाफ़ प्रोटैस्ट हो कि क्यों रोका जा रहा है।

श्री गेंदासिंह--क्या इस इलाक़े में ऊख सुधार विभाग की ओर से कोई कार्य हुआ है या नहीं और यदि हुआ है तो कितना?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--यह बात मैं नहीं बतला सकता। दरियाफ्त कर लूं।

*३६-३८--**श्री राम सुन्दरपाण्डेय**--[२३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*३९-४०--**श्री रामस्वरूप गुप्त**--[२३ अप्रैल, १९५३ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

ज़िलाधीश को अध्यक्ष, जिला बोर्ड से मिलने के सम्बन्ध में आज्ञा

*४१--**श्री जगदीशप्रसाद (ज़िला मुरादाबाद)**--क्या यह सही है कि सरकार ने एक इस प्रकार की आज्ञा जारी की थी कि जब कोई ज़िलाधीश नये ज़िले में चार्ज ले तो वह वहां के अध्यक्ष ज़िला बोर्ड से मिले? यदि हां, तो वह आज्ञा कब निकाली गयी?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--जी हां, यह आज्ञा दिनांक नवम्बर २५, १९४८ को जारी की गई।

श्री जगदीशप्रसाद--क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस आज्ञा के साथ कोई ऐसे नियम बनाये गये थे जिससे सरकार को पता चलता रहे कि इस आज्ञा का पालन हुआ या नहीं?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--यदि कोई हिदायत की जाती है तो उम्मीद की जाती है कि उसके मुताबिक कार्यवाही होगी। इसके अलावा चेयरमैनों को भी इसकी इत्तिला दी गई थी लेकिन किसी बात की शिकायत उनके पास से नहीं आई कि इसके मुताबिक कार्यवाही नहीं हुई।

* * * * *

रामपुर की रज़ा तथा बुलन्द चीनी मिलों से प्राप्त शकर महसूल

*३०--**श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर की रज़ा तथा बुलन्द शुगर कम्पनियों से Sugar Cess गत तीन वर्षों में पृथक्-पृथक् कितना प्राप्त हुआ है?

नोट--तारांकित प्रश्न ३०-३२ श्री गेंदासिंह ने पूछे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--रामपुर की रज़ा तथा बुलन्द चीनी मिलों से ईख का कर गत तीन वर्षों में २३,४४,४३० रुपया २ आना ६पाई प्राप्त हुआ जैसा कि नीचे दिया गया है--

	रु०	आ०	पा०
आर्थिक वर्ष ४९-५०	९,३४,३८५	१४	०
आर्थिक वर्ष ५०-५१	६,७७,१९४	११	३
आर्थिक वर्ष ५१-५२	७,३२,८४९	९	६
कुल	२३,४४,४३०	२	६

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मिलों से तीन वर्षों में सरकार का कितना पावना था ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--अलग-अलग इन मिलों से कितना प्राप्त हुआ इसका तो इस वक्त पता नहीं है ।

श्री गेंदासिंह--इन मिलों पर सरकार का कितना केन सेस था क्या यह नहीं बतलाया जा सकता ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--३०,३४४ रुपया तो रज़ा मिल की तरफ और ३१,३०१ रुपया बुलन्द मिल की तरफ बकाया है ।

श्री गेंदासिंह--यह पता नहीं कि इतना बकाया था या कुल पावना था ?

श्री अध्यक्ष--उनकी समझ में बात आ गई ।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--बतलाया यह गया था कि कुल २३ लाख रुपया था पूछा यह गया कि अलग-अलग मिलों पर कितना था, उसका जवाब दिया गया कि इसके आंकड़े नहीं थे । लेकिन बाकी कितना है वह मैंने बतला दिया है ।

रामपुर के राजकीय प्रेस की मशीनों का मूल्य

*३१--श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर के राजकीय प्रेस में क्या क्या मशीनें, अनुमानतया कितने मूल्य का टाइप तथा अन्य सामान है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--राजकीय प्रेस रामपुर में १८ मशीनें, जिनमें विक्टोरिया अंग्रेजी मशीन, फोनिक्स मशीन, लीथो आटोमेटिक और लीथो फरनीवल इत्यादि हैं । लगभग ३०,००० रु० की हैं । इसके अतिरिक्त टाइप के सामान लगभग २६,००० रु० के हैं । फर्नीचर और फिटिंग लगभग २,५०० रु० का है तथा फुटकर सामान २,४०० रु० का है ।

*३२--श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त प्रेस सरकार के अधिकार में आने से अब तक उसका उपयोग तथा प्रबन्ध किस प्रकार किया गया है तथा उससे सरकार को क्या लाभ अथवा हानि हुई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--इस प्रेस को अधिकार में लेने के बाद इसके उचित उपयोग और प्रबन्ध पर विचार हो रहा है । प्रश्न का दूसरा भाग पैदा नहीं होता है ।

अतारांकित प्रश्न

जिला कलेक्टर के टी० ए० पर प्रतिबन्ध

१--श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फ़रनगर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कलेक्टर के टी० ए० पर कोई प्रतिबन्ध है कि इतने से अधिक एक महीने में नहीं ले सकता ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--जी नहीं, सरकारी काम के लिये जिला कलेक्टर जो दौरे करते हैं उनके लिये वह टी० ए० नियमों (Travelling allowance rules) में दिये गये दरों पर टी० ए० पाते हैं।

विधान सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष सम्बन्धी संकल्प को स्थगित करने का सुझाव

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे संकल्प नम्बर ३ के विषय में कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष--अभी तो संकल्प नम्बर ३ आया नहीं है। क्या कहना है आपको?

श्री नेकराम शर्मा--मुझे यह कहना है कि इसमें अभी अमेंडमेंट्स के लिये समय नहीं मिल पाया है। दूसरे इसमें वैधानिक आपत्ति है। इसलिये मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इस संकल्प को फिर किसी समय के लिये स्थगित कर दिया जाय या हम लोगों को समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--संशोधन के लिये मैं समय अवश्य दूंगा। बात यह है कि कल ही मैंने इसका फैसला किया कि (प्राइमाफेसी) यह वैध है और इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। यदि इसके ऊपर माननीय सदस्य को अगर कोई वैधानिक आपत्ति है तो जिस वक्त यह संकल्प विचार के लिये पेश होगा उस वक्त माननीय सदस्य आपत्ति उठा सकते हैं। कल तक का समय मैं इसके लिये दूंगा कि जो संशोधन लाना चाहते हैं वे कल तक ले आयें क्योंकि दो रोज़ तो बहस होगी ही। तो कल तक संशोधन के लिये समय दे दिया जायगा।

*उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--माननीय गृह मन्त्री जी झारखण्डे राय जी के प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव हमारे सामने श्री झारखण्डे राय जी के द्वारा रखा गया है उसको हम किसी भी हालत में स्वीकर नहीं कर सकते और मेरा ऐसा विश्वास है कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुये सभी माननीय सदस्य इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमें इसको मंजूर नहीं करना चाहिये। पहली बात तो यह है कि पिछले लगभग एक महीने के भीतर किसी न किसी रूप में यह प्रश्न इस सदन के सामने सवालों के द्वारा और बजट पर वादविवाद के द्वारा आया है कि राजनीतिक क़ैदियों का एक अलग वर्ग बनाया जाय और मैंने इस बात को स्पष्ट करने का एक नहीं अनेक बार प्रयत्न किया है कि हम इस बात को स्वीकार क्यों कर नहीं सकते। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि राजनीतिक क़ैदियों का अलग वर्ग बनाना किसी प्रकार से सम्भव नहीं है। ऐसी शायद ही कोई दफ़ा हो जिसको खासतौर से राजनैतिक दफ़ा कहते हों। हां, जैसा मैंने पहले कहा कभी कोई ऐसा मौका आ जाता है कि ऐसी कोई दफ़ा जिसको किसी माने में राजनीतिक दफ़ा नहीं कह सकते वह भी राजनीतिक दफ़ा बन जाती है जैसे मैंने मिसाल दी थी साल्ट ऐक्ट की। उस ऐक्ट के अन्दर कोई राजनीतिक बात नहीं है। उस कानून को लोग चोरी की नियत से या और किसी नीयत से तोड़ा करते हैं। लेकिन अगर किसी वक्त ऐसा हो जाय जैसा कि हमारे देश के इतिहास में आज से पहले हो चुका है, महात्मा जी द्वारा, जवाहरलाल जी द्वारा, सरदार पटेल जी, आचार्य नरेन्द्रदेव जी या यहां बहुत से लोग बैठे हुये हैं इस तरह के आदमी जब कानून को तोड़ने लगें तो जाहिर है कि कोई भी गवर्नमेंट उस वक्त क्यों न हो उसको एक विशेष प्रकार से व्यवहार करना पड़ जाता है। तो यह तो एक विशेष अवस्था है लेकिन साधारण

(*देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२८ पर।)

† ९ जनवरी, १९५३ की कार्यवाही से क्रमागत।

तौर पर किसी भी गवर्नमेंट के लिये यह जानना मुश्किल होता है कि किसी के दिल में किसी काम के करने का उद्देश्य क्या है? इसका फैसला तो केवल भगवान ही कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। यह किसी प्रकार भी नहीं जाना जा सकता और न कोई अदालत ही इस बात को तय कर सकती है कि कोई काम राजनैतिक उद्देश्य से किया गया है या और किसी मोटिव से। इसलिये साधारण तौर पर तो अपराध ही देखा जाता है और उसी के अनुसार दंड का विधान भी है। जहां तक नियत का सवाल है उसको भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अतः यह एक साधारण सी बात है कि जिसके कारण हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि पोलिटिकल क़ैदियों की अलग बैरक्स बनाई जायं।

इसके अतिरिक्त जिस रूप में यह प्रस्ताव आया है वह तो बहुत ही घातकरूप है और ऐसा प्रस्ताव तो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर आप माननीय सदस्य के शब्दों को देखें जो उन्होंने इसमें रखे हैं और उसके साथ ही साथ देश के इतिहास को देखें तो उन दिनों में आपको अत्यन्त ही भिन्नता दिखाई देगी। हमारे देश के इतिहास में जो राजनैतिक आन्दोलन हुये हैं और समय समय पर उनके टैक्निक में जो परिवर्तन होते रहे हैं उनमें हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने किसी मौके पर कोई गल्ती की हो लेकिन उसका जो मूल मंत्र 'अहिंसा' रहा है, वह हमारी एक खास चीज थी। इस बात को हम लोग तथा उस तरफ के वे लोग, जिन्होंने राजनैतिक आन्दोलनों में भाग लिया है, भलीभांति जानते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने, हमारे जो आन्दोलन सन् ३२, ३९ और ४२ में हुये, जब हमारी औरतों की बेइज्जती हो रही थी, हमारी करोड़ों रुपये की जायदाद तबाह हो रही थी, उस समय हमारे विरोधियों का साथ दिया और देश के बड़े बड़े नेताओं को कम्युनिस्ट पार्टी ने गालियां दीं और आज भी उनका हमारे देश की आजादी से कोई ताल्लुक है या नहीं इसको तो मैं ठीक तरह से नहीं जानता लेकिन यह ज़रूर है कि वे देश को पकड़ कर विदेशियों के पैरों में डाल देना चाहते हैं। परन्तु जिनको देश की आजादी से प्रेम रहा है, देश की आजादी के आन्दोलनों में जो शरीक रहे हैं वे इस बात को जानते हैं कि हमारा मूलमंत्र अहिंसा है।

अब यह जो अधिनियम रखा गया और इसकी जो परिभाषा रखी गयी है उसमें कहीं भी अहिंसा का नाम नहीं रक्खा गया। इसमें तो सिर्फ यह रखा गया है "हर किस्म के आदमी के लिये जो किसी भी सर्वमान्य राजनैतिक पार्टी का मेंबर रहा हो, किसी भी मजदूर किसान या अन्य किसी राजनैतिक आन्दोलन के सिलसिले में, जो उसने राजनैतिक उद्देश्य से किया हो, अगर उसको जेल भेजा जाय" अब उद्देश्य क्या है यह जाना नहीं जा सकता। इसके अलावा इसी सदन में ५, ६ रोज़ हुये श्री झारखंडेराय जी ने एक सवाल बलिया के क़ैदियों के बारे में किया था जिन पर डकैती और खून के मुकद्दमे चल रहे हैं, उनके मुताल्लिक उन्होंने सवाल किया कि उनके साथ विशेष रूप से पोलिटिकल कैदियों सरीखा बर्ताव क्यों नहीं किया गया। यह ज़ाहिर बात है कि वे उस पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं जो पार्टी अहिंसा में विश्वास नहीं रखती लेकिन अगर वे इस बात को मान लेते हैं कि वे अहिंसा में विश्वास रखते हैं तो फिर मतलब ही हल नहीं हो सकता क्योंकि बहुत से ऐसे भी मौके आयेंगे जब कि उनकी पार्टी के किसी मेम्बर पर चोरी, डकैती या खून का मुकद्दमा चले क्योंकि उनकी पार्टी में ऐसी कोई रोक नहीं है कि ऐसे लोग उसके मेंबर नहीं हो सकते और अगर ऐसा रख दिया जाता है तो उनका मतलब सिद्ध नहीं होता। कोई सामूहिक आन्दोलन हो, विद्यार्थी आन्दोलन हो, मजदूरों का आन्दोलन हो तो किसी भी काम में किसी आदमी का क्या उद्देश्य था इस बात को तो मैजिस्ट्रेट भी नहीं बता सकता, वह तो सिर्फ ईश्वर ही बता सकता है। अगर कोई पार्टी बगैर टिकिट लिये सफर करने के लिये कहती है और ऐसी कोशिश करके यह कहा जाय कि यह तो पोलीटिकल मोटिव से किया जा रहा है तो फिर इसका फैसला कैसे होगा। इसको भी लोग कह सकते हैं कि हमारा राजनैतिक उद्देश्य है। इस तरह से किसी का खेत काट लिया जाय और किसी आदमी को सोते हुये मार डाला जाय तो यह कैसा राजनैतिक उद्देश्य है? आखिर इस उद्देश्य को मैजिस्ट्रेट कैसे जान सकता

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

है ? इस बिना पर वह कोई फैसला नहीं कर सकता है। ऐसी हालत में यह बिल किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हुये हैं वे भी जानते हैं कि जब कोई आदमी कोई अपराध करता है तो देखा जाता है कि उसकी शिक्षा कैसी है, आम तौर पर उसका रहन सहन कैसा है, किस तरीके से वह रहता है और उस तरीके से वह सुपीरियर क्लास में रखा जाता है और उसे हर तरीके की सुविधायें दी जाती हैं। लेकिन जिस रूप में यह बिल रखा गया है उसके बारे में हमें सोचना है कि जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे समाज का आधार है उसके यह बिलकुल खिलाफ पड़ता है जो चाहते हैं कि हर किस्म के क्राइम करने वाले को पूरी तरह से उसकी सजा दी जाय वे कभी इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। इसलिये मैं अपील करता हूं कि यह बिल किसी तरह से भी स्वीकृत नहीं होना चाहिये। संशोधन के लिये तो एक लफ्ज यहां बदला जा सकता है, एक लफ्ज वहां बदला जा सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि इस बिल में संशोधन नहीं हो सकता। क्योंकि संशोधन होने से मूल प्रस्ताव का जो मतलब है वही खत्म हो जायगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन सर्वसम्मति से इस बिल का विरोध करेगा और इसको अस्वीकार करेगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री झारखंडेराय का जो विधेयक प्रस्तुत है उसके उद्देश्य और कारणों पर जो सामान्य विवाद चल रहा है उस पर मैंने इसके पूर्व ही जो माननीय गृह मंत्री जी का छोटा भाषण हुआ और आज का जो भाषण हुआ उसको बहुत ध्यान से सुना और उन्होंने एक अपील भी हम लोगों से की। जब से वह अपील आयी तब से भी मैं बराबर उस पर चिन्तन करता रहा कि आखिर इस पर क्या रुख लिया जाना चाहिये। यह सही बात है कि जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने इस सदन को बतलाया, मैं उनकी बातों से कतई इत्तफाक करता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का जिस तरह का रवैया रहा है वह हिंसक रहा है और राष्ट्रीय आन्दोलन की लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी का कतई कोई हाथ नहीं रहा। दुनिया की राजनीति में अगर इसका ख्याल किया जाय और देखा जाय तो इतने प्राचीन काल से अगर कोई राजनैतिक पार्टी किसी मुल्क में काम करती रही है और जिसने राष्ट्र का साथ नहीं दिया है तो उसकी एक बेजोड़ मिसाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया की मिलती है। १९२४ ई० में कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में आयी। इसका बाकायदा दफ्तर भी खुला, सन् २४ से २८ तक कम्युनिस्ट पार्टी महात्मा जी को एजेंट आफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म कहती रही। और जो प्राचीन कांग्रेस थी, यहां पर श्रीमन्, मैं विभेद कर देना चाहता हूं कि जब मैं कांग्रेस शब्द कहूं तो उससे सम्मानित सदस्य पुरानी कांग्रेस समझा करें। नयी कांग्रेस को तो मैं कांग्रेस पार्टी कहा करता हूं। यह कांग्रेस नहीं रह गयी है।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)--एक कांग्रेस का इतिहास है जब कि आप थे और दूसरा इतिहास है जब से कि आप गये।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं माननीय गृह मंत्री जी से ही ज्यादा निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मै माननीय गृह मंत्री और माननीय सम्पूर्णानन्द (मंत्री के पूर्व) भी उनके विचारों को पढ़ता रहा हूं अन्तर्राष्ट्रीय विधान की एक छोटी मोटी पोथी माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने लिखी है जिसमें हिंसा और अहिंसा की विवेचना की गयी है और दुनिया के तमाम स्वातंत्र्य संग्राम की विवेचना करते हुये एक जगह कहीं, मुझे ठीक स्मरण नहीं है एक छोटी लड़ाई जो शायद फिजी में हुई उसी में वे कुछ-कुछ अहिंसा पा सके हैं। माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने जैसा कि मैं समझ पाया हूं अहिंसा को सिद्धांत के रूप में ग्रहण नहीं किया है। अब माननीय सम्पूर्णानन्द जी अहिंसा सिद्धांत को कितनी दूर तक ग्रहण करते हैं यह सही बात है जैसा कि वह कहते हैं कि किसी का कैसा दृष्टिकोण है राजनैतिक है या कुछ और है इसको भगवान जाने, उस पर मैं जाना भी नहीं चाहता। लेकिन यह उद्देश्य और कारण जो विधेयक में रक्खे गये हैं उनके संबंध में

सरकार की ओर से पूर्णतया यह मनोवृत्ति अख्तियार की जाय कि वह आये ही नहीं और उसका विरोध किया जाय, ऐसा मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि इसमें जहां तक किसी पार्टी को बढ़ाने का मौका मिले और वह पार्टी हिन्सा का तरीका पसन्द करती हो उसका संशोधन कर दिया जाय और उसी उद्देश्य को रखते हुए मैंने इसमें संशोधन दिया है और मैं समझता हूं कि मेरे इन संशोधनों के रखने से जो भाव माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने व्यक्त किये हैं उनकी पूर्ति हो जायगी। मैं श्रीमन् सामान्य वादविवाद पर आना चाहता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी ने १९३०–३२ के आन्दोलन की मुखालिफत की और तिरंगे झंडे को फाड़ा। एक तरफ जहां ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म की पुलिस तिरंगे झंडे को फाड़ रही थी दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी भी ऐसा ही कर रही थी। आगे सन् ३६ में उनकी पालिसी बदलती है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा विधेयक पर आ जायं और पार्टियों का विश्लेषण न करें।

श्री राजनारायण—गृह मंत्री ने चर्चा कर दी थी लिहाजा सदन में यह भाव न हो कि मैंने जो संशोधन पेश किये हैं उससे मैं कम्युनिस्ट पार्टी की टेक्निक (कार्यप्रणाली) का समर्थन करता हूं, इसलिये उचित समझा कि कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में मैं जो विचार रखता हूं उनको थोड़े में अर्ज कर दूं। इसलिये मैं पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी की नीति ३६ में बदली और ३६ के बाद सब लोग जानते हैं कि ३९ में वह कांग्रेस के साथ थी और दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस में थीं, कांग्रेस सम्मिलित मोर्चा थी और कांग्रेस पार्टी तब नहीं बन पाई थी। जब द्वितीय विश्वव्यापी युद्ध शुरू हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी ने हल्ला मचाया कि यह इम्पीरियलिज्म वार है (साम्राज्यशाही युद्ध)।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके इस तरह भवन का समय न लें। माननीय गृह मंत्री ने कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिया तो उसका इस विधेयक से संबंध यह था कि उन्होंने हिंसा और अहिंसा में फर्क बतलाया लेकिन ऐसा नहीं किया कि उस पार्टी के इतिहास का यहां बयान शुरू कर दिया हो और न यह कहा कि किस वक्त वह कांग्रेस में रहे और किस वक्त उनका ताल्लुक नहीं रहा। अगर हिंसा और अहिंसा के विषय में आप कहना चाहें तो कहिये।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, मैं इस अहिंसा हिंसा के बारे में यह और निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपकी आज्ञा से—श्रीमन् मैं निवेदन कर दूं माननीय मुख्य मंत्री जी जा रहे हैं अगर थोड़े समय तक और बैठे रहें तो अच्छा होता।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मैं जरूर बैठा रहता लेकिन १२ बजे मेरे यहां एक कमेटी है जिसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया के मिनिस्टर आये हुये हैं। इसलिये चाहता हूं कि राजनारायण जी मुझे इजाजत दे दें कि मैं चला जाऊं।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन् मैं यह कहना चाहता था कि किसी भी पार्टी की वर्तमान नीति हिन्सक है या अहिन्सक उसका मापदंड पूर्णतया उसका पिछला इतिहास नहीं हो सकता। मैं ५ मिनट में खत्म कर दूंगा, इसलिये संक्षेप में कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी ने ३९ में तो इम्पीरियलिस्टिक वार डिक्लेयर (साम्राज्यवादी युद्ध घोषित किया) की लेकिन जब हिटलर और रूस की गोल्डन चेन आफ फ्रेन्डशिप टूट गई तो वह पीपुल्स वार (जन-युद्ध) हो गई और वह इम्पीरियलिस्टिक वार पीपुल्स वार में परिणित हो गई। यहां पर मैं हिन्सा और अहिंसा के डिफ्रेनसियेशन (अन्तर) को रखना चाहता हूं। केवल पीपुल्स का नाम लेने से ही यह समझ लेना कि हम अहिंसक हैं, यह गलत है। मेरा जो एनालीसिस (विश्लेषण) है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो प्रोग्राम है उन दोनों में बहुत कम फर्क रह गया है और मैं कांग्रेस पार्टी को हिंसात्मक पार्टी मानता हूं। जो सरकार यहां पर प्रतिष्ठित हो और अध्यापकों के साथ इस तरह के जुल्म किये जायं

[श्री राजनारायण]

और वह सरकार अपने को अहिंसावादी कहे और महात्मा गांधी की अहिंसा का ढोंग रचे, मैं उसका परदा फाश करना चाहता हूं। बुलन्दशहर में जो सत्याग्रह हुआ था तो क्या कोई कह सकता था कि वह हिन्सात्मक सत्याग्रह था। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि राजनैतिक उद्देश्य किसी का कोई भी हो इसमें सरकार नहीं जाना चाहती है। सरकार की यह कसौटी है कि जो कोई भी आन्दोलन होगा वह उसको हिन्सक आन्दोलन ही समझेगी। हिन्सक आन्दोलन के प्रति सरकार को जो रुख अख्तियार करना चाहिये वह सभी को ही करना चाहिये। इसलिये श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पुरानी पार्टियों के इतिहास का विवेचन किया जाये तो मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि कांग्रेस ने अभी तक अहिन्सा को सिद्धांत रूप से ग्रहण नहीं किया और यही कारण है कि द्वितीय संग्राम आरम्भ होने के पहले महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया क्योंकि कांग्रेस का फैसला था उस वार (युद्ध) में मदद देने का और गांधी जी कहते थे कि उस वार में मदद देने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती। कांग्रेस और सोशलिस्टों में भी मतभेद था। वे दोनों उस लड़ाई के विरोध में थे मगर कांग्रेस का जो स्वरूप था वह स्वरूप दोनों से भिन्न था। इन दोनों की भिन्नता के बारे में श्री सम्पूर्णानन्द ने जेल से छूटने के बाद सन् ४५ में एक लेख (कांग्रेस साम्राज्यशाही की ओर) निकाला, बहुत से लोगों ने कहा कि श्री सम्पूर्णानन्द को ऐसा लेख नहीं लिखना चाहिये था लेकिन जहां तक मेरा संबंध था मैं उस लेख को पढ़ कर गदगद हो गया। क्योंकि श्री सम्पूर्णानन्द जी ने कांग्रेस पार्टी का जो विवेचन किया था वह बिलकुल सही था। लेकिन आज इस विधेयक के संबंध में माननीय गृह मंत्री का विवेचन हम सुनते हैं तो.....

श्री अध्यक्ष--गृह मंत्री ने कांग्रेस पार्टी का विवेचन नहीं किया।

श्री राजनारायण--अभी इस विधेयक के बारे में माननीय गृह मंत्री ने जो विवेचन किया और उसके बारे में हम लोगों से भी साथ देने की अपील की। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री के साथ विचार विनिमय करूं। इसलिये हमें वह बता दें कि आखिर हम कौन से आन्दोलन को करेंगे। प्रान्तीय प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के जो सदस्य हैं और जो कांग्रेस पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं वह अर्जुन सिंह बदौरिया को अच्छी तरह से जानते होंगे। इटावा में उनका अनशन चल रहा था। अनशन के समय वह नैनी जेल, इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिये गये। २३ तारीख को उन्होंने वहां के जिला मैजिस्ट्रेट से यह कहा कि उन को छोड़ देना चाहिये जमानत पर वह इसलिये तैयार हुए थे कि २७ तारीख को वहां के डायरेक्टर कोआपरेटिव का चुनाव था। अगर अर्जुन सिंह बदौरिया छूट जाते तो कांग्रेस पार्टी जिसको चुनना चाहती थी वह हरगिज न चुना जाता। इसलिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने.........।

श्री अध्यक्ष--यह जरा असंगत सा हो रहा है।

श्री राजनारायण--इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह अहिंसक की भावना व्यक्त करेंगे तो हमारे लिये एक मुश्किल बात हो जायेगी।

कांग्रेस पार्टी का सारा कार्यक्रम और कांग्रेस सरकार का जो आज रिप्रेशन (दमन) का तरीका है वह सब एक हिंसा में विश्वास रखने वाली सरकार का है और अगर सरकार वह तरीके अख्तियार करती है जो एक हिंसा में विश्वास रखने वाली सरकार कर सकती है तो हमारे लिए यह कैसे संभव है कि हम उसमें उनके उन कार्यों में सहयोग करें। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम अहिंसक हैं। जहां तक हमारा संबंध है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने बिलकुल मुक्तकंठ से कहा है बिना किसी विघ्न-बाधा के घोषणा की है कि हम पीसफुल डिमोक्रेटिक मीन्स (शांतिमय जनतांत्रिक प्रणाली) में विश्वास करते हैं और उन पीसफुल डिमोक्रेटिक मीन्स में हम सत्याग्रह को

भी रखते हैं, जनरल स्ट्राइक (आम हड़ताल) को भी रखते हैं, संघर्ष को भी रखते हैं, मगर पीसफुल (शांति) रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं श्रीमन् अभी-अभी कल मैंने माननीय गृह मंत्री जी को फोन द्वारा सूचित किया था कि आज भी सी० आई० डी० के लोग हमारे कमरे के चक्कर लगाया करते हैं (यानी बी ब्लाक के ९८ नम्बर के कमरे में मैं रहता हूं) कि कहीं कोई आदमी आता है तो कोई अध्यापक तो नहीं आता-जाता है और जब ऐसा होता है तो परेशानी हो ज.ती है। इस विधेयक का जो उद्देश्य है, श्रीमन्, जो इसके कारण हैं उनसे मैं सहमत हूं, मैं चाहता हूं कि इन उद्देश्यों और कारणों की अच्छी तरह से विवेचना करके इस विधेयक के अन्दर जो ऐसी बातें हों, जो हिंसा में विश्वास करने वालों को प्रबल करती हों उनका संशोधन कर दिया जाय और उसके बाद यह विधेयक स्वीकार किया जाय। मैं यह मानता हूं और जब मैं इस विधेयक को स्वीकार करने की बात संशोधन के साथ कहता हूं तो इसको मैं साफ कर देना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी की ईमानदारी में और उनकी नीति में हमें कोई अविश्वास नहीं है और मैं समझता हूं कि जैसा श्री सम्पूर्णानन्द जी जो आज माननीय गृह मंत्री के स्वरूप में इस सदन में विद्यमान हैं उनके विचारों को जब मैं पढ़ता हूं तो यह स्पष्ट दीखता है कि वह मुल्क के उत्थान की जिस तरह से गुंजाइश हो वह निकालना चाहते हैं चाहे वह प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी का सहयोग लेकर हो और चाहे कांग्रेस को छोड़कर। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में दोनों में कोई अन्तर नहीं रह गया है तो वे उसको समझें। आज श्रीमन् कम्युनिस्ट पार्टी भी तो किसी प्रश्न पर यह नहीं कहती है कि वह हिंसा में विश्वास करती है, वह यह नहीं कहती कि वह जनतंत्रवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं करती बल्कि वह तो न्यू डिमोक्रेसी, डिमोक्रेटिक फ्रीडम और डिमोक्रेटिक मेथड शब्दों का प्रयोग करती है। श्रीमन्, ये शब्द ऐसे भ्रामक हो गये हैं कि वह भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके अपनी रीति-नीति को चलाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके सेन्ट्रलाइजेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन और दमन और सब कुछ चलाना चाहती है और उसी के साथ-साथ कहना चाहती है कि वह गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखती है। श्रीमन्, मैं तो इस नतीजे पर आ गया हूं कि सही माने में अगर कोई पीसफुल है और अहिंसक है तो उसके लिये भी पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस सरकार ने दमनचक्र चलाया है, काले कानून बनाये गये हैं। मैं चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी अपनी सरकार द्वारा बनाये हुए काले कानूनों को देखें और दमनचक्रों को देखें जो चलाये गये हैं। मैं तो दिल से चाहता हूं कि श्री सम्पूर्णानन्द जी अगर वह पीसफुल हैं और उनकी सरकार पीसफुल तरीके से चलती है तो मैं उनका साथ दूं और उसी के लिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इस बिल को मान लें और मेरा जो संशोधन है उसको भी वह मान लें। उनको यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि अगर वह मेरे संशोधन को मान लेंगे तो प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य गिर जायगा। गिर जाने दें प्रस्तावक के उद्देश्य को, हमारा उद्देश्य तो पूरा होगा, माननीय गृह मंत्री जी का उद्देश्य तो पूरा होगा और अगर हमारा और उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है और प्रस्तावक का उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो उनको छोड़ दें और हमेशा तो वे उनको छोड़े ही रहते भी हैं फिर इस वक्त क्या नई बात हो जायगी अगर वह उनको छोड़ दें। श्रीमन्, मैं एक बात बता दूं। मैं अच्छी तरीके से आज भी नहीं जानता कि माननीय झारखंडेराय जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य पूर्णरूपेण से हो गये हैं या नहीं। मेरा और झारखंडेराय जी का साथ रहा है और उन्होंने बराबर कम्युनिस्ट पार्टी को एक गद्दार पार्टी कहा है।

श्री अध्यक्ष--आप फिर व्यक्तिगत जा रहे हैं। वे सदन में अपनी पार्टी के अकेले सदस्य हैं और मुझे उनका संरक्षण करना पड़ेगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी से कहूंगा कि झारखंडेराय जी के नाम से ही वह न समझ लें कि वह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और अगर वह होंगे

[श्री राजनारायण]

तो सदन में साफ कह देंगे कि वह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और कम्युनिस्ट पार्टी की बाबत उनकी राय अब भी वही होगी। स्टेलिन की मृत्यु के बाद भी उनकी पार्टी की राय नहीं बदली है और अगर राय बदल भी जाय और वह हमारी इस व्यवस्था को मान लें, हमारी नीति को मान लें तो वह भी आ सकते हैं। केवल नाम को देख कर ही यह न समझ लें कि श्री झारखंडेराय कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी हैं और इसी कारण से विरोध न करें। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे संशोधन को ध्यान से पढ़ लें और उससे अगर वह मेल खाते हैं तो बिल को आने दें और अपनी तरफ के सदस्यों को भी वह बाहर से प्रभावित कर सकते हैं और इस तरह से मेरे संशोधन सहित यह विधेयक पास हो सकता है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इसका अभिप्राय यह है कि जो अभियुक्त, दंडित या नजरबन्द हों और अगर वह किसी राजनैतिक संस्था से संबंध रखते हों तो उनके साथ एक विशेष प्रकार का बरताव किया जाय। जैसा कि मंत्री जी ने कहा प्रश्न यह उठता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार के अभियोग में नजरबन्द या दंडित किया गया है, अगर वह डकैत है या खून के मामले में पकड़ा गया है, या लूट के मामले में पकड़ा गया है तो यह प्रश्न उठाना और इस प्रकार की मांग रखना कि केवल इसलिए कि वह किसी राजनैतिक संस्था से संबंधित है उसके साथ एक विशेष प्रकार का बरताव किया जाय, मेरे विचार में सर्वथा अनुचित है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा श्री झारखंडेराय से पूछूंगा कि क्या वह बतला सकते हैं कि जिस संस्था से उनका व्यक्तिगत संबंध है और उस देश में जहां से वह संस्था विशेष रूप से संबंधित है, अर्थात् सोवियट रशा में, राजबंदियों के साथ किस प्रकार का बरताव किया जाता है। क्या वहां भी राजबंदियों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है? क्या उनको भी इसी प्रकार की सुविधा दी जाती है जिनकी मांगें उन्होंने यहां रखी हैं? आज हमारे यहां एक विधान है और उस विधान के अन्तर्गत एक व्यक्ति या संस्था को अधिकार है अपनी मांगें जनता के सामने रखे और अपनी बात कहे और बहुमत से जनता की राय प्रकट करके अपनी बात मनवाएं। लेकिन अगर कोई संस्था कानून को तोड़ती है या भंग करती है तो एक बड़ा गम्भीर प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि उस व्यक्ति का कहां स्थान हो। अगर कोई अनुचित कार्य करने वाला आदमी किसी संस्था से संबंधित है और वह कोई राजनैतिक मांग लेकर या राजनैतिक संस्था की आड़ में नियमों को तोड़ता हो तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आज वह बात नहीं रही जो सन् ४७ के पहले थी। सन् ४७ के पहले देश का रूप दूसरा था और देश की स्वतंत्रता के लिए जो मांगें रखी जाती थीं वह एक दूसरे रूप में रखी जाती थीं और उस कार्यसिद्धि के लिए जो बातें लोग रखते थे उनका रूप ही दूसरा होता था लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया तो यह कहना कि बंदियों को चाहे वह कानून के भंग करने वाले हों, चाहे वह हिंसा के रूप को सामने लायें या अहिंसा के रूप को सामने लायें, उनको सुविधा दी जाय, यह एक अनुचित मांग है। हमारे यहां कचहरियां हैं वहां भी फैसले होते हैं तो उन में जज को संकेत करने का अधिकार है कि जेल में दंडितों को किस प्रकार से रखा जाय और उनके साथ कैसा बरताव किया जाय। इसी तरह से डिटेन्यूज के लिये भी सुविधा मिलती है। लेकिन एक इस प्रकार का विधेयक रखना और उसको कानून का रूप देना कि अगर कोई व्यक्ति एक संस्था से संबंधित हो तो चाहे जो कुछ करे उसके सब खून माफ हों। डकैती करे, चोरी करे, लेकिन केवल इसलिये कि वह एक राजनैतिक संस्था से संबंधित है, उसके साथ दूसरा व्यवहार किया जाय, उसके साथ विशेष प्रकार का बरताव किया जाय। मैं समझता हूं कि यह सर्वथा अनुचित है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री पद्मनाथसिंह (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं और माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में जिस मंतव्य का प्रकाशन किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं नहीं समझता कि माननीय झारखंडेराय

जो क्लासलेस सोसाइटी में विश्वास करते हैं वह जेलों के अन्दर एक सुपीरियर क्लास के निर्माण करने पर क्यों इस प्रकार उद्यत हैं, जोर दे रहे हैं। माननीय झारखंडेराय देश में नागरिक जीवन में कोई भेद नहीं रखना चाहते हैं। नागरिकों में से ही लोग जेल में जाते हैं। कोई चोरी करके जाता है, कोई हत्या करके जाता है।

समाज-शास्त्र के जानने वालों के अनुसार जितने भी अपराध होते हैं उनके पीछे मूलभूत कारण सामाजिक दोष हुआ करते हैं। किसी न किसी सामाजिक दोष के प्रति विरोध करने में या सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में, या अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने में जब आदमी लगता है तो वह विवश हो कर चोरी करता है, हत्या करता है, डाका डालता है, और तब वह जेल जाता है। उसी प्रकार राजनीतिक उद्देश्य से भी जो प्रभावित होते हैं वे भी किसी उद्देश्य से प्रभावित हो कर जेलखाने जाना चाहते हैं। अन्तर केवल इतना होता है कि एक जेल में जाना चाहता है और दूसरा विवशतापूर्वक जेल में भेजा जाता है। तो जब नागरिकों में कोई भेद नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी की नीति में प्रत्येक नागरिक देश में एक ही श्रेणी का है तो जेल में एक प्रकार के अपराध में और दूसरे प्रकार के अपराध में भेद उत्पन्न करने के लिए जब कहा जाता है तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है यह विधेयक एक विशेष राजनीतिक उद्देश्य के प्रचार के लिए और जनता का अधिक से अधिक सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए लाया गया है। मैं समझता हूं कि देश में आज कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जो कार्य हो रहे हैं, विशेष कर कुछ पूर्वी जिलों में, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग काम कर रहे हैं उसके संबंध में मैं माननीय झारखंडे राय और सदन के दूसरे माननीय सदस्यों के सामने एक विशेष बात रख देना चाहता हूं। इन पूर्वी जिलों के कम्युनिस्टों के कार्य की विशेष चर्चा पत्रों में भी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, १८४८ में क्या कहा था। १८६४ में कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा था। अगर इन सौ वर्षों के अन्दर कहीं कम्युनिस्ट पार्टी की प्रणाली में अन्तर हुआ है, इसकी भी अवहेलना करके हमारे देश के जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं और विशेष कर आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर के कम्युनिस्ट, वह टिनैंट्स में भी लड़ाई लगा कर दो वर्गों में उनको बांट देना चाहते हैं। अगर ऊंची जाति का तीन रुपये का काश्तकार है तो वह कैपिटलिस्ट क्लास का मानते हैं, मगर वह ब्राह्मण, लाला या भूमिहार है और अगर २० रु० का काश्तकार चमार है तो वह पोलीटरिएट मानते हैं। पूर्वी जिलों में यह आन्दोलन है। इस तरह के आन्दोलन से जो लोग साथ-साथ सहानुभूति से रहते थे, अपने उद्योग से सार्वजनिक जीवन का उत्थान करते थे उनमें वे शोर मचा कर, होली खेलने में अपनी पार्टी की प्रगति समझते हैं। इसलिये पूर्वी जिलों में न कि केवल उनमें ग़रीबी बढ़ रही है बल्कि रचनात्मक कार्यों में जो प्रगति होनी चाहिये उसमें बड़ा विरोध उत्पन्न हो रहा है। मैं इस संबंध में केवल एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। पिछले जनवरी के महीने में जब निर्माण सप्ताह आरंभ हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह जा करके जो तार बांधते थे, सड़कें बनाते थे, बांध बांधते थे और अन्य निर्माण के कार्य करते थे उन लोगों ने कहा कि यह तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिये काम हो रहा है और इससे देश का कोई कल्याण नहीं। यह उनकी पुरानी परिपाटी रही है। जैसे कि उन्होंने पिछले स्वतंत्रता आन्दोलन में लड़ाई को पापुलर वार कह कर के देश की आजादी की लड़ाई को रोका था उसी तरह से देश के निर्माण के कार्य में भी ये बाधा डालना चाहते हैं। माननीय राजनारायण जी के उस मत से सहमत हूं कि इतने दिन से जो पार्टी काम कर रही है वह इस कदर अनपापुलर और देश के हित के प्रतिकूल काम कर रही है और देश के आदमियों और देश की सभ्यता के प्रतिकूल काम कर रही है और देश के कल्याण में जगह-जगह पर अवरोध उपस्थित करती है। मैं नहीं कहता कि कम्युनिज्म बुरी चीज है या रशिया में वह कैसा काम कर रहा है, लेकिन इस देश में और इस प्रदेश में वह जो काम कर रहे हैं वह इस वक्त निर्माण के

[श्री पद्मनाथ सिंह]

विरुद्ध काम है, जिसका अगर सही और प्रत्यक्ष रूप देखना है तो गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ में देखा जा सकता है।

मैं एक दूसरी बात भी ध्यान में रखता हूं कि अगर पूर्वी जिलों में जहां के लोग बहुत ग़रीब हैं वहां भी डाके और हत्याओं की संख्या कम नहीं है और वहां पर डाकू और हत्यारे काम करते रहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पार्टी के नाम पर उनको शेल्टर प्रदान करते हैं। वह लोग कम्युनिस्ट पार्टी की आड़ में, नारे में, शेल्टर ले रहे हैं और उनके साथ नारा लगाते हैं, अपनी जान बचाते हैं और उन्होंने एक उपद्रव की परिस्थिति पैदा कर दी है। मैं चाहता था कि माननीय सदस्य इस परिस्थिति को समझें और मैंने उनकी पार्टी के मेम्बरों से बात की, लेकिन वह ध्यान नहीं देते और अपनी पार्टी को ठीक रास्ते पर नहीं ले जाना चाहते।

माननीय गृहमंत्री जी ने अभी-अभी कहा था कि जब कांग्रेस आन्दोलन कर रही थी तो उसका उद्देश्य अहिंसा का था, उसका एक डिस्सिप्लिन और तरीका काम करने का था। सब से पहला काम कांग्रेस यह करती थी कि अपना त्याग और बलिदान करे, अपनी आत्मा को कांग्रेसमैन सर्च करते थे और अपने दिल को टटोलते थे, लेकिन आज इन पार्टी के सदस्यों से बात की जाती है तो वह मखौल उड़ाते हैं और अपने को सर्च करना नहीं चाहते हैं, अपनी पार्टी के लोगों के कार्यों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। मैं उनके उद्देश्य से कुछ सहमत हो सकता हूं, लेकिन जो कार्यप्रणाली उनकी है वह इतनी ग़लत है, लोगों को इतना परेशान कर रही है कि कुछ क्षेत्रों में तो लोगों के जीवन को मटियामेट कर रही है, विशेषकर आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, बस्ती में। उन्होंने साधारण जीवन को इस क़दर परेशान कर दिया है कि साधारण आदमी का रहना मुश्किल हो गया है। तो जिन लोगों को ये शेल्टर देते हैं, जो हत्या करके या डाका डाल कर आते हैं, ऐसे लोगों को अगर जेल में सुपीरियर क्लास मिलेगा तो उस से किस सिद्धान्त और उद्देश्य का प्रतिपादन हो सकेगा और शासन कहां तक चल सकेगा। तो मैं समझता हूं कि न तो किसी सुपीरियर क्लास के क्रियेट किये जाने की जरूरत है और न नागरिकों से भिन्न कोई दूसरा नागरिक दल बनाने की जरूरत है, न जेल में और न जेल के बाहर और न ऐसे लोगों को शेल्टर देना वांछनीय है जो समाज विद्रोही और देशद्रोही हैं।

मैं इन शब्दों के साथ विधेयक का विरोध करता हूं और माननीय गृह मंत्री ने जो-जो भाव प्रकट किये थे उनका समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। अटामिक एज में, जब संसार में नैशनलिज्म की दीवारें बरबाद होती और टूटती हुई नजर आ रही हैं और इंटरनैशनलिज्म का दुनिया के अन्दर विकास होता हुआ वह चारों तरफ फैल रहा है, मैं समझता हूं कि बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो कि अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिये क्वेश्चनेबिल मीन्स अडाप्ट करती हैं, आज उनको किसी भी प्रकार का दर्जा दिया जाना या उनकी इमदाद किया जाना वह तो मानवता के विकास के लिये एक अभिशाप सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि आज के संसार में किसी भी देश का इकोनामिक आइसोलेशन हो तो उस देश का स्थायित्व रह नहीं सकता। जब अमेरीका और दूसरे बड़े-बड़े आर्गेनाइजेशन्स इस संसार के अन्दर इकोनामिक डेवलपमेंट के लिये दुनिया के सभी कोनों को ऐडवांस करने का दावा पेश करते हैं, मैं समझता हूं कि वे लोग जो अपनी कंट्री के हितों को वाइलेंट मीन्स से अचीव करना चाहते हैं, उनकी आज इमदाद करना मानवता के लिये अभिशाप साबित होगा। इसलिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि जैसे माननीय राजनारायण जी ने इस सदन में अपनी दलीलें पेश की हैं, वे कहते हैं कि कांग्रेस आर्गेनाइजेशन्स और कांग्रेस पार्टी इस मुल्क में बिलकुल वाइलेंट हो गयी है और उसके लिये नानवाइलेंट शब्द कहना बिलकुल ग़लत है, मान लीजिये कि वे सही दलील और तक़रीर पेश कर रहे हैं तो उन्हीं की दलील और तकरीर के मुताबिक जब वे कम्युनिस्टों पर अटैक करते हैं कि दरअसल कम्युनिस्टों ने

इस मुल्क के अन्दर वह रोल प्ले किया है जो कि इस मुल्क के लिये घातक रहा है और आज भी वे कम्युनिस्टों के रोल को घातक समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि जब वे इस तरह की दलील पेश करते हैं तो उनके पांव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वे ज़मीन के ऊपर धड़ाके के साथ गिरते हुये नज़र आते हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने बहस की जड़ को ही काट दिया और इस दलील को पेश करके वे चाहते हैं कि यह सदन उनका साथ दे, मैं नहीं समझता कि किस तरह यह सदन उनका साथ दे सकता है। मैं कहता हूं कि जो वाइलेंस करने वाले बन्दी है, उनकी मदद करने के लिये जब यह विधेयक है, तो उसका अमेंडमेंट हो कैसे सकता है। जो विधेयक एक ग़लत संस्था के हितों को एडवांस करने के लिये बनाया गया है, उसका अमेंडमेंट करना ही बेसिकली रांग है। अगर विधेयक ग़लत है तो उसका अमेंडमेंट उससे ज्यादा ग़लत है। इसलिये राजनारायण जी का जो भाषण इस सदन में हुआ है वह इतना ग़लत और इतना ख़राब है कि उसका कोई स्टैंड इस सदन के अन्दर हो नहीं सकता। जिन साहबान ने इस विधेयक को पेश किया है, वे कहते हैं कि चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, सरकार को उनको राज-नैतिक क़ैदी या बन्दी समझ कर पूरी सुविधायें देना चाहिये। मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने कभी रूस की हूत आत्माओं की किताब पढ़ी है या नहीं। वे कम्युनिस्ट जो कहते हैं कि संसार में चारों ओर मानवता का विकास करना चाहते हैं और दुनियां की ग़रीबी को मिटाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका प्रोग्राम अच्छा है, उनका प्रिंसिपल अच्छा है, उससे हम इत्तिफाक करते हैं, परन्तु जो उन्होंने मीन्स एडाप्ट किये हैं, रूस में उन्होंने जिस क़दर इंसानियत पर जुल्म किये हैं, उन्होंने दुनिया के अन्दर जो एक त्रास पैदा किया है, उसको संसार कभी भूल नहीं सकता। इसलिये मैं यह समझता हूं कि आज यूं कहना कि कम्युनिस्टों के तरीके अच्छे हैं, यह मानवता के लिये शोभा नहीं देता है। इस विधेयक के लिये मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्दर इंटेलिजेंटली काम नहीं किया गया है। इसके अन्दर यह डेफिनीशन होनी चाहिये कि किस प्रकार के राजनीतिक बन्दियों के लिये प्रोटेक्शन चाहते हैं। जो विधेयक उस विधेयक के मकसद और परिभाषा को सही-सही रूप में सदन में उपस्थित नहीं करता और जो माननीय सदस्यों के विश्वास को प्राप्त नहीं करता, उस विधेयक को सुनने के लिये भी माननीय सदस्यों से अपील करना मैं समझता हूं कि समय का अपव्यय करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री धर्मदत्त वैद्य (ज़िला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री झारखण्डेराय जी द्वारा प्रस्तावित इस राजबन्दी विधेयक का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हमारे देश और प्रदेश में राजनैतिक पार्टियों की आड़ में अपराधों की जो संख्या बढ़ती जा रही है उस पर इस विधेयक का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज स्वतंत्रता के बाद जब हम अपने देश में राष्ट्रनिर्माण का कार्य करने जा रहे हैं और अपने देश में अहिन्सात्मक तरीक़े से रामराज्य स्थापित करने का विचार सामने रखते हैं, उस समय इस प्रकार के विधेयक को इस भवन में पास कर के हम अपने देश और प्रदेश के अन्दर हिंसात्मक तरीक़ों द्वारा जो घृणित अपराध किये जाते हैं उन को प्रोत्साहन देना कभी भी सहन नहीं कर सकते। हम यह नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश में कोई भीषण से भीषण अपराध करे और उसके बाद यदि वह अपने आपको किसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य घोषित कर दे तो वह उन अपराधों पर पर्दा डाल सके और जनता में इस प्रकार के घृणित अपराध करने के लिये प्रोत्साहन मिले। हमारे प्रदेश में थोड़े दिन पहले रामगढ़, ज़िला नैनीताल में एक बैंक में भीषण डकैती हुई और इस प्रकार की भीषण डकै-तियों के अपराधियों को यदि हम राजनैतिक बन्दी कह कर उनके साथ अच्छा बर्ताव करें तो यह हमारे लिये और मानवता के लिये कितना भयंकर हो सकता है, इस पर हमें विचार करना है। आज प्रदेश के अन्दर जहां तहां पूर्वी ज़िलों में जिस प्रकार से राजनैतिक पार्टियों की आड़ में जो डकैतियां और भीषण अपराध निरन्तर बढ़ते चले जा रहे हैं हमें आज उन्हें रोकना है। परन्तु इस प्रकार के विधेयक को यहां पास कर के उन्हें रोकना तो दूर रहा, उनको और उलटे प्रोत्साहन देना होगा। हमने ९०० वर्षों के बाद अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया है और इसके पीछे हमारा एक उच्चतम और उज्ज्वल इतिहास रहा है। हमारे देश में पूज्य बापू ने हमें एक आदर्श बताया

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

है जिसे हमने सामने रख कर सत्य और अहिंसा का प्रचार करके अपने देश के अन्दर एक समृद्धि-शाली रामराज्य की स्थापना का स्वप्न देखा है। आज तो हमें जहां तक हो सके, इस प्रकार के अपराधों को यथासंभव रोकने का प्रयत्न करना चाहिये। हम देखते हैं कि हमारे देश की आज बहुत सी राजनैतिक पार्टियां इन बातों पर विचार नहीं करतीं कि किस प्रकार के व्यक्ति उनकी पार्टी में आते हैं किन्तु अपनी पार्टी का बल बढ़ाना चाहती हैं।

मैंने अपने जिले में और दूसरे जिलों में बहुत से लोगों को देखा है कि भीषण से भीषण अपराध करने वालों के सामने जब गिरफ्तार होने का और जेल जाने का प्रश्न आता है तो वे अपने आपको किसी विशेष पार्टी से संबंधित घोषित कर देते हैं और अपने अपराधों को उस पार्टी की आड़ में छिपाने का प्रयत्न करते हैं। कभी भी हम अपने देश के अन्दर उन हिंसात्मक तरीक़ों को प्रोत्साहन नहीं दे सकते जिनके द्वारा हमारे देश की मानवता, स्वतंत्रता और सुख छीने जाने का प्रयत्न किया जा रहा हो। हां, यह ठीक है, हम यह चाहते हैं कि ऐसा अपराधी जो वास्तव में जो राजनीतिक अपराधी हैं, जिसे देश से प्रेम है, उसको जेल में किसी प्रकार का कोई अमानवीय कष्ट न दिया जाय किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे देश के अन्दर इस प्रकार के भीषण और अमानवीय अपराध करने वाले लोगों को प्रदेश की पार्टियां आश्रय दें और उनके अपराधों को छिपाने का प्रयत्न किया जाय, उन को छुड़ाने का प्रयत्न किया जाय। यह कदापि सहन नहीं किया जा सकता है और जो राष्ट्र अपने देश के अन्दर यह समझता है कि जनता को सच्चा सुख और शान्ति मिले वह कभी भी इस बात को सहन नहीं कर सकता।

इस विधेयक के द्वारा उन लोगों को जो भीषण से भीषण अपराध करते हैं और पार्टी की आड़ में अपने उन अपराधों को छिपाने का प्रयत्न करते हैं या उन पार्टियों की शक्ति से वहां के पुलिस अधिकारी और अदालतों पर विशेष प्रकार का प्रभाव डाल कर अपने आपको राज-नैतिक बंदी घोषित करके अपने भीषण अपराधों से मुक्त हो कर पुनः अपराध करने की चेष्टा करते हैं और अपनी शक्ति और दल को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। हम सदा इस चीज़ को रोकना चाहते हैं और इस बिल के द्वारा हम कदापि उनको प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं। इस लिये माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया है, मैं समझता हूं कि वह उनका भाषण वास्तविकता को लिये हुये हैं और वास्तव में अपने प्रदेश में जो उनके ऊपर जनता की शान्ति और रक्षा की जिम्मेदारी है, उसको वह पूर्णतया समझते हैं और इसी बात को सामने रख कर उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है और मैं समझता हूं कि यहां इस विधेयक को यदि पास किया गया तो राजनैतिक पार्टियों की आड़ में होने वाली भीषण अपराधों की संख्या बढ़ेगी और बुरे क़िस्म के लोग जो आज भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिये पार्टियों में घुस कर इन अपराधों को करना चाहते हैं, इस विधेयक के पास होने से उनकी भी संख्या बढ़ेगी और उनको बल मिलेगा और हमारे प्रदेश की शान्ति भंग होगी, और अच्छे आदमियों का शान्ति से निर्वाह होना कठिन हो जायगा, भले आदमियों का रहना मुश्किल हो जायगा।

आज हम देखते हैं कि गांवों के अन्दर जो लोग इस किस्म के हैं उन लोगों ने मुख्तलिफ क़िस्म की पार्टियों में घुस कर, रंग बिरंगी टोपियां लगाकर, पुलिस अधिकारियों और जिला अधि-कारियों पर उचित अनुचित दबाव डाल कर अपने अनुचित कार्यों को बढ़ाना चाहते हैं और ज़िला अधिकारियों के सामने जब शिकायत की जाती है और उनसे कहा जाता है तो वह कहते हैं कि हम क्या करें, वह फलां पार्टी के सदस्य हैं, उससे उनका संबंध है। उसके नेता भी हमारे पास आये थे और आपकी सरकार सभी पार्टियों की अस्तित्व मानती है और सभी पार्टी के लोगों को वह मान्यता देती है। इस लिए जिला अधिकारी जो ऐसे लोगों के अनुचित कार्य हैं, उनको रोकना चाहते हैं, लेकिन इन पार्टियों के बल पर, उनकी ताक़त पर जो यह उद्दंड कार्य होते चले जा रहे हैं, उनको रोकने में वे असमर्थ रहते हैं। यदि इस विधेयक को पास कर दिया गया तो

ऐसे लोगों को इससे और भी ज्यादा बल मिलेगा कि वह यहां पर तो भीषण से भीषण अपराध करें और वहां अपने आपको राजनैतिक बन्दी घोषित करके और साल दो साल की नजरबंदी की सज़ा भुगत कर हमारे प्रदेश के नेता बनें, तो यह हमारे लिये बड़ी गिरावट की बात होगी। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम रामराज्य का जो स्वप्न देख रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी सरकार हमारे प्रदेश को बनाना चाहती है, क्या वास्तव में हम इस विधेयक को पास करके अपने इस स्वप्न को पूरा कर सकेंगे? क्या वास्तव में जिस प्रकार से हम अपने राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, अपने राष्ट्र का उत्थान करना चाहते हैं, इस विधेयक को पास करके अपने राष्ट्र के निर्माण में सफल हो सकेंगे। मेरा तो यह विश्वास है कि यदि हमने इस विधेयक को यहां पास किया तो हमारे देश के अन्दर एक विशेष प्रकार की अशान्ति फैल जायगी और भले आदमियों के लिये जीवन निर्वाह करना दूभर हो जायगा। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का ज़ोरदार शब्दों में विरोध करता हूं और मुझे आशा है कि भवन के सभी माननीय सदस्य इस विधेयक का विरोध करेंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल (ज़िला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध इसलिये करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं कि चूंकि वह माननीय झारखण्डेय राय जी द्वारा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं आया हुआ है और इसका विरोध मैं इसलिये भी करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं कि चूंकि इसका आधा तिहाई समर्थन माननीय नेता विरोधी दल ने किया है।

(इस समय १.२ बज कर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री सुल्तान आलम खां पीठासीन हुये।)

बल्कि अधिष्ठाता महोदय, मैं इसका विरोध इस कारण से करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि यह उन तमाम सिद्धांतों के विरुद्ध है जिन पर आज पचासों साल से यह भारत चलता आया है। मुझे वह दिन याद है, नेता विरोधी दल आज चाहे सिर अपना हिला लें, जब उनके दल ने और इस दल ने एक तरीक़े से ख़्वाब देखा था और एक रास्ते पर वर्षों चल करके एक लक्ष्य की प्राप्ति की थी। यह सच हो सकता है कि उन तमाम स्वप्नों को देखते समय हमने और उन्होंने इस बात को देखा था कि भारत की आजादी केवल एक सीमा की आजादी नहीं है, भारत की आजादी जहां तक मैंने समझा है, अधिष्ठाता महोदय वह भारत के इन्सान की आजादी है और उस इंसान की आज़ादी में बहुत सी बातें आया करती हैं जिसमें उसकी कल्चरल आजादी हो सकती है, उसकी आर्थिक आजादी हो सकती है, जहां उसके विकास के सारे साधन प्रस्तुत हो सकते हैं और इन बातों को देखते हुये हम और वह एक साथ आगे बढ़े थे और यहां यह कहना उचित होगा, मैं इस बात के लिये उन्हें दोष नहीं देता अगर वह यह शुबहा करते हों कि शायद जिस प्रकार का नक्शा हमने देखा था उसके बनाने के रास्ते पर आज मौजूदा सरकार नहीं है। यह मतभेद हो सकता है। लेकिन जहां तक इस पार्टी का संबंध है और हममें से हर व्यक्ति यह विश्वास करता है कि जिस प्रकार का चित्र हमने देखा था या बनाया था उसके जाने की तरफ हम प्रति दिन और प्रतिक्षण अग्रसर होते जा रहे हैं। तो इस बात को मानते हुये, इन विचारों को अपने सामने रखते हुये अब हमें देखना है बुनियादीतौर पर कि आया यह विधेयक हमें उस तरफ़ आगे ले चलने के लिये कुछ सहायक होता है या नहीं होता है। भारत ने एक कांस्टीटुएंट असेम्बली का निर्माण किया और उसका निर्माण करने के बाद सार्वभौम अधिकार उसको दिया और उस विधान परिषद् ने देश के सारे नागरिकों को यह अधिकार दिया कि जो कुछ भारत की सत्ता है वह भारत के प्रत्येक नागरिक में निहित हो और उसने यह अधिकार दिया कि भारत की जनता को यह अधिकार है कि वह जिस प्रकार की सरकार चाहे अपने निर्वाचन द्वारा उसका निर्माण करे। तो अधिष्ठाता महोदय, इस मूल सिद्धांत को सम्मुख रखते हुये मैं अब यह सोचता हूं कि किसी प्रकार का आन्दोलन करना इस देश में १५ अगस्त, सन् १९४७ ई० के बाद वह किसी हुकूमत के खिलाफ़ नहीं है बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक के विरुद्ध वह आन्दोलन है।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

हमारे सामने एक खुला हुआ रास्ता है जिसके हामी हमारे नेता विरोधीदल भी हैं, वह रास्ता है जनतांत्रिक प्रणाली का जिसके अनुसार देश की जनता को अधिकार है कि वह ५ वर्ष के पश्चात् अर्थात् जब समय आये सरकार को बदल दे। मैं यह नहीं कहता कि इस सरकार में कोई दोष नहीं है या आगे नहीं होने वाले हैं लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर जनता जो ख्वाब देखती है अगर वह उसका ख्वाब पूरा नहीं होता तो जिसके द्वारा उसका वह ख्वाब पूरा होता हो, उसको प्रतिष्ठित कर सकती है। लेकिन आज १५ अगस्त के बाद किसी भी प्रकार का आंदोलन हो चाहे हिंसात्मक या अहिंसात्मक सबको अहिंसात्मक ही कहा जाता है और यह भी सत्य है कि जो इसमें विश्वास करते हैं वे भी पूरी तौर पर इसके हामी नहीं हैं क्योंकि जितनी ईमानदारी से इसका प्रयोग पहले होता था, जो इसका स्वरूप पिछले संघर्षों में देखा गया था वह इस समय नहीं देखा जाता। जो अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते थे वे वैसा ही करते भी थे और जो विश्वास नहीं करते थे वे साफ तौर पर कहते थे कि हम इस तरीके में विश्वास नहीं करते हैं। जब हमारा आंदोलन चला तो जयप्रकाश नारायण जी ने साफ कह दिया कि मैं इसको इस तरह से देखता हूं लेकिन आज की परिस्थिति कुछ दूसरी ही है वह यह कि जो अहिंसा में विश्वास न भी करने वाला है वह भी कहता है कि मैं जो आंदोलन करता हूं वह अहिंसात्मक आंदोलन है। जब इस देश में ऐसी स्थिति है तो फिर यह और भी आवश्यक हो जाता है कि जितने भी आंदोलन होते हैं वह किसी सरकार के खिलाफ नहीं होते बल्कि वह आंदोलन देश की जनता के विरुद्ध हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का बुनियादी तौर पर विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और यह मानता हूं कि ऐसा कोई आंदोलन करना जनतंत्र के विरुद्ध आंदोलन करना है। वह जनतंत्र के खिलाफ इसलिये है कि जिस रास्ते पर चलने के लिये जनता ने अधिकार दिया है अगर उस रास्ते को हम गलत साबित कर देते हैं यानी जो डैमोक्रेटिक वे आफ थिंकिंग का जो रास्ता है अगर वह गलत साबित हो जाता है तो देश में एक भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वह इस प्रकार के हिंसात्मक आंदोलन को अहिंसात्मक रूप देकर हिंसात्मक और अहिंसात्मक आंदोलनों में विश्वास करने वाले लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और अन्त में जनतांत्रिक प्रणाली गलत साबित हो जायगी उसके खराब साबित होने से देश की जनता को यह विश्वास हो जायगा कि डैमोक्रेटिक वे आफ थिंकिंग से देश की बुराइयां दूर नहीं हो सकतीं और नतीजा यह होगा कि वह दूसरा ही रास्ता अनुसरण करने लगेगी। वह रास्ता क्या होगा? वह टोटेलीटोरियन, अराजकता, डिक्टेटरशिप अथवा एक ही पार्टी की हुकूमत का रास्ता होगा या जनता के कुछ लोगों का एक गिरोह बन जायगा जो हुकूमत को अपने अधिकार में रखेगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं यहां विदेशी देशों पर छींटाकशी करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन मुझे मजबूरन यह कहना पड़ता है कि जिस देश की जनता के सबसे ज्यादा अधिकार समझे जाते हैं, हर एक आदमी को उसके पूरे अधिकार प्राप्त है, ऐसा माना जाता है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां की जनता को अपने बारे में कुछ भी सोचने का अधिकार है? क्या उनको कोई सरकार बदलने का अधिकार है? वहां की जनता को सत्याग्रह करने या और किसी आग्रह के करने का अधिकार है? यह कैसे हुआ? अगर इसके इतिहास पर हम गौर करें, अगर इसके इतिहास पर हम विचार करें तो मेरे विचार में अधिष्ठाता महोदय यह मालूम होता है कि जनता में वह मनोवृति पैदा की गयी कि प्रजातंत्र के रास्ते में अविश्वास पैदा हो। प्रजातंत्र के रास्ते में अविश्वास एक दिन में या एक घटना से नहीं हुआ करता है। प्रजातंत्र में अविश्वास अनेक घटनाओं और अनेक दिनों से होता है और जहां तक मैंने समझा है यह एक खतरनाक बात इस देश में हो रही है। अधिष्ठाता महोदय, आज देश के नागरिकों के अन्दर जिक्र है देश के मालिकों

के अन्दर जिक्र है कि इस प्रकार का विश्वास पैदा करने का प्रयत्न हो रहा है कि प्रजातंत्रात्मक ढंग से देश की बुराइयां दूर नहीं हो सकतीं लिहाजा कानून शिकनी करके देश की बुराइयां दूर करने के रास्ते निकाले जा रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, यहां पर हमारे साथी शायद यह कहें जब कि वे खड़े हों कि आखिर इसी रास्ते को तो उस पार्टी ने भी जिसकी कि आज हुकूमत है, अख्तियार किया था ? मैं कहता हूं कि किया था जब कि एक विदेशी हुकूमत थी, जब कि अंग्रेज थे और जिनका इन चीजों में विश्वास नहीं रहा कि प्रजातंत्रात्मक प्रणाली से अनडेमोक्रेटिक इंसान का मुकाबिला किया जा सकता है। इंगलैन्ड में अंग्रेज डेमोक्रेटिक थे लेकिन हिन्दोस्तान में वे अन्डेमोक्रेटिक थे और हिन्दोस्तान को उन इंसानों से मुकाबिला करना था जो प्रजातंत्र को कुचले हुये थे। इसलिये हमारा अधिकार था कि हम इस तरह की अहिंसात्मक लड़ाई लड़ें और जैसा कि मैं शुरू में कह चुका हूं कि आजादी पाने के लिये हमें उनसे मुकाबिला करना था। तो देश की उस जनता से जो जनता कि प्रजातंत्रात्मक प्रणाली को मानती है यह भी कहना कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं रखता, अगर कोई सज्जन यह कहें कि यह सरकार प्रजातंत्रात्मक प्रणाली में विश्वास नहीं कर रही है। मैं मान लूं थोड़ी देर के लिये कि मौजूदा सरकार डेमोक्रेटिक ढंग में विश्वास नहीं करती है तो मौजूदा सरकार हो या कोई भी सरकार हो अगर जनता डेमोक्रेटिक ढंग में विश्वास करती है तो वह अगले निर्वाचन में ठहर नहीं सकती है। इसलिये मैं बड़े अदब से और जोर देकर कहूंगा कि जो मुकाबिला पिछले दिनों में हुआ है वह एक विशेष परिस्थिति में हुआ है और जो मुकाबिला हुआ है वह इस उद्देश्य से हुआ है कि प्रजातंत्र के लक्ष्य को हम मान चुके हैं, प्रजातंत्र के उद्देश्य को हम मान चुके हैं, प्रजातंत्र के रास्ते को हम सही रास्ता मान चुके हैं। जो पार्टी इस समय शासन कर रही है अगर निष्पक्ष भाव से देखा जाय तो मालूम होगा कि वह सहयोग के ढंग से काम कर रही है और उसे प्रजातंत्र के ढंग में विश्वास है। उस पार्टी को इस ढंग से किसी प्रकार का भय व डर नहीं है। अगर उसे किसी प्रकार का डर व भय रहता तो जाहिर है कि इस देश की या संसार की कोई भी शक्ति उनको अपने मन मुताबिक फैसला करने से नहीं रोक सकती थी क्योंकि यह जो संविधान बनाया हुआ है वह उसी पार्टी के द्वारा बनाया गया है जो कि आज इस देश का शासन संचालन कर रही है। तो मैं आपके द्वारा इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातों को लेकर अगर इस बात की पुष्टि की जाय कि शासन के विरुद्ध किसी भी तरीके का आन्दोलन किया जा सकता है तो प्रजातंत्रात्मक प्रणाली में यह एक खतरनाक रास्ता होगा। यह संभव हो सकता है कि हमारे मित्र जो उधर बैठे हुए हैं उन्हें भी इस प्रकार की परिस्थितियों का मुकाबिला करना पड़े महीने दो महीने बाद ऐसी परिस्थिति और प्रांतों में भी बदल सकती है जिससे उन्हें भी इस खतरनाक रास्ते का मुकाबिला करना पड़ सकता है जहां तक माननीय झारखंडे राय जी का संबंध है मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने हमारे रास्ते पर कभी विश्वास नहीं किया लेकिन अगर पिछला इतिहास उठा कर देखा जाय तो पिछले २५, २० बरस से उनका रास्ता हमेशा गलत साबित हुआ है और हमारा रास्ता हर समय सही साबित हुआ। अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने सन् ३०,३२,३६,४० और ४२ में हमारे रास्ते से मुकाबला किया और हर समय पर हमारा रास्ता कामयाब रहा। उनकी धारणा यह थी कि इस रास्ते से लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी।

श्री राजनारायण--किस रास्ते से ?

श्री रामनरेश शुक्ल--जो रास्ता हमारा और आपका था।

श्री राजनारायण--उनका भी तो वही था।

श्री रामनरेश शुक्ल---उनका नहीं था ।

अधिष्ठाता---माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रक्खें । एक दूसरे से इस तरह से बातचीत करने की कोशिश न करें ।

श्री रामनरेश शुक्ल---अब वह समय आया है जब पिछली बातों के देखने के बाद इस नये युग के परिवर्तन में हम अपने विचारों में परिवर्तन करें। जहां तक राजनैतिक बंदियों के लिये उनकी मांग का संबंध है मैंने उस उद्देश्य को पढ़ा है । उसमें यह है "मानसिक, शारीरिक और नैतिक उत्थान के लिये वह इस विधेयक को लायें ।" मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूं कि माननीय गृह मंत्री के हाथ ही में जेल का भी काम है और जहां तक मैंने उनके जेल विभाग के किये सुधारों को पढ़ा है उनका प्रयत्न और इस सरकार का प्रयत्न है राजनैतिक बंदियों की कौन कहे, साधारण कैदियों के लिये भी मानसिक, शारीरिक और नैतिक उन्नति का लक्ष्य इस सरकार का रहा है और जेलों में जो कार्यवाहियां आज हो रही हैं यानी कैदियों को बाहर बंधियों पर ले जाकर काम करवाना उन पर कोई पहरा न रखना, उनको घर जाने के लिये छुट्टी देना, यह नैतिक उत्थान नहीं है तो क्या है? शारीरिक उत्थान के लिये उनके खेलने का इंतजाम करना, ड्रामा खेलना चाहें तो उसके लिये इंतजाम करना और किताबें पढ़ना चाहें तो किताबें देना, इन सब बातों से क्या यह सिद्ध नहीं होता कि यह हुकूमत और इस हुकूमत की जो पार्टी है वह उनकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिये प्रयत्नशील है? हां, जहां तक इस विधेयक का संबंध है तो वह तो एक फिर्केवाराना बात करते हैं । जिस हुकूमत का इतना ऊंचा लक्ष्य हो कि समाज में जो शख्स गिरा हो, चोरी करता हो, कत्ल करता हो, डकैती डालता हो उसकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिये वह प्रयत्नशील हो वहां इस तरह का विधेयक लाकर यह बात सिद्ध होती है कि वह केवल फिर्केवाराना बात करने के लिये खड़े हुये हैं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा उनको निमंत्रण देना चाहता हूं कि जेलों की कार्यवाहियों में जो सुधार हुये हैं, जो जेलों के निरीक्षक हैं वे स्वयं उसे जानते हैं और इस संबंध में उनसे पूछा जा सकता है । मैं तो अधिष्ठाता महोदय आप के द्वारा विरोधी दल को निमंत्रण देना चाहता हूं कि विरोधी दल के जो भाई अगर कोई और विचार रखते हैं और वह जेलों के निरीक्षक हों, वह जाकर देखने, समझने और अध्ययन करने का प्रयत्न करें । क्या इस सरकार का यह मन्शा नहीं है कि जो निम्नस्तर के कैदी हैं उनका मानसिक, शारीरिक और नैतिक उत्थान किया जाये । जैसा कि मैंने शुरू में कहा, उससे यह बात सिद्ध हो जाती है। जब मानसिक, शारीरिक और नैतिक उत्थान जेलों के अन्दर हो तब यह विधेयक क्यों आया है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब यह बात पूरी हो जाती है, जैसा कि मैंने आपके द्वारा बताया है, तब यह विधेयक क्यों आया । तब यह विधेयक इसलिये आया, जहां तक मैंने समझा है, इसलिये उसको कहना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मेरे कुछ मित्र और साथी इस देश की जनता को समझाने में अपने आप को कमजोर पा रहे हैं। वे अपने में कुछ कमी पा रहे हैं । इस देश की जनता को अपने पक्ष में ले जाने के लिये वह नहीं समझ पा रहे हैं । कि उनका यह रास्ता इस सरकार को बदलने के लिये सब से अच्छा है। मैं तो, अधिष्ठाता महोदय इन मजबूरियों और परेशानियों को एक प्रलोभन समझता हूं जहां तक इस पार्टी का जो कि शासन को चला रही है, ताल्लुक है वह कोई भी कानूनशिकनी नहीं कर सकते हैं । और न ही जरूरत है क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे काम चल रहा है । इसलिये प्रलोभन की जरूरत कार्यकर्ताओं को पड़ी। एक बात मुझे याद पड़ती है। जैसा कि खोंचे की दुकान लगती है और खोंचे वाले लाल मिर्च लगाते हैं। लाल मिर्च कोई अच्छी चीज नहीं है और कोई भी नहीं खाता है लेकिन वह इसलिये लगाते हैं कि लोगों की एटेन्शन उधर झुक जाये। इस प्रकार से यह विधेयक लाल मिर्चों के तरीके से आया है।

श्री राजनारायण—आपकी आंखों में तो नहीं लग रही हैं ?

श्री रामनरेश शुक्ल—न मेरी आंख में लाली है और न मेरे सिर पर लाली है तो मेरी आंखों में क्यों लगेंगी। तो इस विधेयक की केवल यही मन्शा हो सकती है। इसलिये अधिष्ठाता महोदय अगर इसको सिद्धांत की कसौटी पर कसा जाये, अगर इसको न्याय की कसौटी पर कसा जाये तो किसी भी स्वतंत्र देश में, किसी भी ऐसे देश में जो कि प्रजातंत्र की प्रणाली पर विश्वास रखती हो, किसी भी ऐसे देश में जिसमें वही हुकूमत हो जो कि प्रजातंत्र की प्रणाली के आधीन होती है इस प्रकार की मांग करना अनुचित ही नहीं बल्कि अहितकर है। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा अपने मित्र से यह प्रार्थना करूंगा और जोरदार शब्दों में करूंगा कि इसको वापिस ले लें और वापिस ले करके उन रास्तों को अख्तियार करें जिन रास्तों से देश का निर्माण हो सकता है। देश का निर्माण रचनात्मक कार्यों से होता है, देश का निर्माण रचनात्मक सुझाव देने से होता है। इसलिये इस रचनात्मक प्रणाली में इस देश की जनता के अन्दर जाकर काम करें। उनको प्रजातंत्र के रास्तों को समझायें। यदि कोई मतभेद भी हो तो उस मतभेद को दूर करें, हालांकि पाकिस्तान से भारत का मुकाबिला करने में हम अपनी तौहीन समझते हैं लेकिन मुकाबिले के लिये कहा जा सकता है कि यदि गौर से देखा जाय तो जितने भी डेमोक्रेटिक वेज़ हैं वह सब इस देश ने इतनी जल्दी अपना लिये हैं कि इतनी जल्दी किसी ने उनको लागू नहीं किया है। पाकिस्तान में आज भी कोई संविधान नहीं है और कोई कानून नहीं है। और वहां आज भी जनता के अधिकारों का अपहरण होता है। (एक अवाज—बर्मा भी पड़ौस में है।) मैं बर्मा के बारे में नहीं कहूंगा आप ही कहें तो अच्छा है। मैं कुछ कहूंगा तो आप नाराज हो जायेंगे। अधिष्ठाता महोदय, मेरे दोस्त ने बर्मा की बात कही। मेरे दोस्त को····

अधिष्ठाता—आप बर्मा न जाइये बल्कि बिल के नजदीक ही रहने की कोशिश कीजिये।

श्री रामनरेश शुक्ल—बर्मा में भी जेलें हैं। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि जितनी स्वतंत्रता इस देश में है और जिस तरह से हमारे यहां की जेलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उतनी स्वतंत्रता बाहर के संसार के किसी देश में नहीं है। मैंने आरम्भ ही में कहा था कि फौरन ही स्वतंत्रता आने के बाद कोई भी देश अपने यहां प्रजातंत्र प्रणाली को इतनी जल्दी लागू नहीं कर सका और मैं अधिष्ठाता महोदय कभी-कभी सोचता हूं और जब मैं गौर से सोचता हूं और जब स्वतंत्रता का दुरुपयोग होते हुये देखता हूं अपनी आंखों के सामने और उसका कारण सोचता हूं तो मैं यह सोचने पर मजबूर होता हूं कि हमें शायद यह स्वतंत्रता जल्दी दी गई है। हमारा इतिहास अभी कहता था कि थोड़ा समय और लगना चाहिये था और अभी दस पांच वर्ष और यह अधिकार न दिये गये होते और बाद में यह रास्ता अपनाया गया होता जब देश की सारी समस्याओं को हल कर लिया गया होता। परन्तु हम अपने देश के नेताओं के आभारी हैं कि जो जानते थे कि अभी देश प्रजातंत्र के लिये तैयार नहीं है और तूफान उठ सकते हैं और उन्होंने यह समझते हुये भी कि उसका दुरुपयोग हो सकता है लेकिन फिर भी उन्होंने इस ढंग को देश में लागू किया और अधिष्ठाता महोदय यह भी संतोष का विषय है कि उन को आज भलीभांति सफलता भी मिल रही है बावजूद तमाम बाधाओं के और कठिनाइयों के कांग्रेस हुकूमतें सारे देश में बनती जा रही हैं और मैं समझता हूं कि इस देश में इस तरह की विशेष सुविधायें मांगकर वह पार्टियां अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कर रही हैं और मैं समझता हूं कि यह तो एक तरह से प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास न करना है और उससे घबराना है और उसकी जगह और किसी चीज की इच्छा रखना है। इसलिये मैं इस विधेयक को उचित नहीं समझता और मैं, माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा, उसका समर्थन करता हूं और इसका विरोध करता हूं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं साथी झारखंडे राय जी को इसलिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को सदन में पेश करके माननीय सदस्यों को यह अवसर प्रदान किया कि पिछला जो राजनैतिक आंदोलन था इस देश का और आज के राजनैतिक आंदोलन पर विचार विनिमय करते हुये इस विधेयक के संबंध में कोई विचारधारा स्थिर की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने माननीय गृह मंत्री तथा और कांग्रेसी माननीय सदस्यों के भाषण सुने और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पुरानी कांग्रेस द्वारा जितने भी आंदोलन चलाये गये थे वह अंग्रेजी राज्य के खिलाफ थे और वह सभी आंदोलन उस समय के अंग्रेजी शासन द्वारा, मैं समझता हूं, बनाये गये सभी नियमों का करीब-करीब उल्लंघन करना था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपनी आंखों देखा है और स्वयं उस पर कुछ दिन चलने की कोशिश भी की है। हमने यह देखा है कि आज भी सरकार द्वारा दफा १४४ लगा करके सभाओं, जलसों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सरकार भी समझती है कि उचित है। लेकिन दफा १४४ तोड़ने वाले जो भी दल हैं उसको राजनीतिक नहीं कहा जा सकता, आज यह सरकार की मंशा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस का जो आंदोलन था, जिस अभिप्राय से, जिस उद्देश्य से कांग्रेस का आंदोलन था, कांग्रेस के शासन से उन उद्देश्यों की पूर्ति हो गयी है तब तो मैं समझता हूं कि अगर कोई हठवादिता से आंदोलन चलाता है तो अवश्य गैरकानूनी होना चाहिये और उस आंदोलन में सजा पाये हुये लोगों को राजबन्दी करार नहीं देना चाहिये। लेकिन मेरा जहां तक खयाल है और हमारे इस सुझाव से अधिकतर माननीय सदस्य सहानुभूति रखेंगे और माननीय गृह मंत्री भी हमारे सुझाव से सहानुभूति रखेंगे कि हमारा जो उद्देश्य था इस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता लाने की। उस उद्देश्य की पूर्ति कांग्रेस के शासन द्वारा अब तक नहीं हुई और मैं समझता हूं कि उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाला अगर कोई भी दल इस देश में ऐसा हो जो प्रजातान्त्रिक रास्ते पर, उस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता हो, तो मैं समझता हूं कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जो भी दल, जो भी मनुष्य, जो भी संस्था आगे बढ़ती है, उस आंदोलनकारी या उस संस्था को गैर-कानूनी और अप्रजातान्त्रिक कहना मैं समझता हूं कि उनके प्रति अपराध एवं अन्याय होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में आवश्यकता इस चीज की है और महात्मा गांधी का जब हम जीवनचरित्र देखते हैं, उन्होंने जब जब इस देश में अंग्रेजी राज्य के खिलाफ बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया, उन आंदोलनों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो महात्मा गांधी ने कई मर्तबा कहा है कि देश में घर में और अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर सत्याग्रह करने का अधिकार होता है। उसी आधार पर मैं कहने के लिये तैयार हूं कि यह घर और देश को मजबूत बनाने वाला सत्याग्रह और आंदोलन होगा। प्रजातंत्र में इसका स्थान रहना चाहिये। यदि नहीं रहेगा तो देश में विध्वंसात्मक शक्तियों का उदय होगा। मैं आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय अपने मित्र और साथी माननीय झारखंडे राय जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस विधेयक को वापस ले लें और वापस इस माने में ले लें कि जितनी स्वतंत्रता हमारे यहां है क्या वह कह सकते हैं कि जो देश ऐसे हैं जिनके रास्ते में वह विश्वास करते हैं या जिस राष्ट्र की तरह से वह इस देश को ले जाना चाहते हैं क्या उस राष्ट्र में इतनी स्वतंत्रता है जितनी इस देश में है। अगर उतनी ही स्वतंत्रता ज्यादा नहीं, इस देश में है इसको कहने के लिये माननीय झारखंडे राय जी सदन में तैयार हो जायं तो मैं एक मिनट के लिये मजबूर

हो जाऊंगा इस बिल का समर्थन करने के लिये। उनके सिवा शायद एक भी आदमी इस सदन में विश्वास करने के लिये तैयार नहीं होगा कि किसी भी देश में जो उनकी प्रणाली पर शासन कर रहे हैं जितनी स्वतंत्रता इस देश के इस राज्य में है उससे ५० फीसदी भी स्वतंत्रता और देशों में है जो उनके रास्ते पर चलते हैं अगर यह मालूम हो जाय तो शायद इस विधेयक का समर्थन हो सकता है। जहां तक हमने पढ़ा और समझा है जबान खोलना तो गुनाह हो सकता है किसी भी देश में लेकिन जबान बन्द करके सोचते रहने पर भी उसको पता नहीं है कि वह दुनिया के किस कोने में पहुंच जायगा जहां इतनी भी स्वतंत्रता न हो और जो हमारे यहां के जेलों से जहां के जेलों की दशा हजारों गुना नर्कमय है और जहां जिन्दा रहने का अधिकार व्यक्तियों को न हो क्या उन देशों का समर्थन करने वाले कह सकते हैं कि इस विधेयक का समर्थन करने के लिये एक मिनट भी सोचा जा सकता है। अगर वह इस बात को कह सकते हों कि संसार का कोई भी स्वतंत्र प्रतिनिधि जाकर वहां देख सकता है वहां की जेलों को देख सकता है अगर वह इसका आश्वासन दे सकते हों तो मैं समझता हूं कि किसी भी विचार के लिये चाहे जैसा भी खतरनाक विचार उनका क्यों न हो जेलों में सुविधा देनी चाहिये, और मुझे भी मजबूर होना पड़ेगा कि मैं फिर से विधेयक पर विचार करूं। उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया के अध्ययन ने, तजुर्बे ने यह बता दिया है कि दूसरे देशों के मुकाबिले में इस देश की शासन प्रणाली और यहां की जेलें बहुत उत्तम हैं। एक स्वर से संसार ने कहा है कि बावजूद इसके कि भारत को अभी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है लेकिन इतनी शीघ्रता के साथ प्रजातांत्रिक प्रणाली किसी भी देश में लागू नहीं हुई। इतनी जल्दी कहीं भी विकेन्द्रीयकरण सत्ता का नहीं हुआ और उपाध्यक्ष महोदय, सबूत के लिये दूर जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान यहां पर आपके बाईं तरफ मौजूद है। और मैं समझता हूं कि हर एक प्रजातांत्रिक प्रणाली को मानने वाली सरकार के लिये यह आवश्यक है कि यदि सत्याग्रह देश को मजबूत करने के लिये देश में कोई संस्था करती है तो सरकार को उस आंदोलन के प्रति सद्भावना प्रगट करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानने के लिये भी तैयार हूं कि अगर देश पर कोई विपत्ति आती है या बाहर से हमला होता है उस वक्त यदि कोई भी दल, जो राजनीतिक दल हो वह यदि सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है या कोई भी गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करता है तो उस आंदोलन को मैं राष्ट्रद्रोही के शब्दों में कहने के लिये तैयार हो सकता हूं। लेकिन जहां तक देश को मजबूत करने का सवाल है, जहां तक देश में जो आर्थिक विषमता है उसको दूर करने का सवाल है, अगर आर्थिक और राजनीतिक विषमता को दूर करने के लिए और राजनीतिक स्वतंत्रता को दिलाने के लिये कोई संस्था प्रयत्न करती है और कोई संस्था इस प्रकार की है जो आंदोलन चला करके सरकार को भी मजबूत करती है और उसे सही रास्ते पर ले जाने के लिये आंदोलन करती है तो इस प्रकार की सभी राजनीतिक पार्टियां और दल जो भी उन कानूनों को तोड़ती हैं उन सभी आदमियों को राजबन्दी करार देना मैं समझता हूं कोई अवहेलना नहीं होगी माननीय गृह मंत्री के पुराने बचनों की और कांग्रेस के पुराने उपदेशों और प्रस्तावों को।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के आंदोलन में हम सभी लोगों ने कांग्रेस के एक छोटे से सिपाही होने के नाते जेलखाने में बार-बार उपवास और अनशन किया कि हम कांग्रेस के स्वयंसेवकों को राजनीतिक बन्दी करार दिया जाना चाहिये। और उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय राम नरेश शुक्ल जी, जो इस सदन में उपस्थित नहीं हैं उन्होंने कहा कि आज तो जेल में सामाजिक. शारीरिक और नैतिक उत्थान के लिये रुकावट नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी ४, ५ दिन पहले आजमगढ़ जेल में मुझे जाने का मौका मिला था। हमने देखा कि सरकार तो जरूर प्रजातंत्र को मानती है लेकिन प्रजातंत्र के रास्ते को नहीं मानती है। जिलों में जो सरकार की ओर से अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त हैं वह स्वयं सरकार द्वारा बने हुये कानूनों की अवहेलना करते हैं।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में इसकी शिकायत भी की थी कि यदि आज कोई राजनीतिक दल या कोई आदमी खेती को कटवाता है तो उसको राजनीतिक कैसे माना जायगा। बात सही है। राजनीतिक उसे नहीं मानना चाहिये, जो आदमी कानून के रहते हुये कानून की शरण न लेकर के गैरकानूनी ढंग से खेतों को कटवाता है लेकिन सरकारी कानून गृह मंत्री के लिये भी होना चाहिये और यदि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उस कानून की अवहेलना करते हैं तो सरकार का फर्ज होता है कि प्रजातंत्र के रास्ते पर, कानून के रास्ते पर, उस अधिकारी और कर्मचारी को रोकें, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं रोजाना देखता हूं कि आज सदन में और बाहर हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य और सरकार की ओर से बहुत शोर मचाया जाता है कि हम तो प्रजातंत्र को मानने वाले हैं और इसके खिलाफ जो भी आंदोलन होगा वह अप्रजातांत्रिक होगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय काटजू साहब ने कहा कि स्वराज्य हो जाने के बाद कानूनों को तोड़ना तो प्रजातंत्र के खिलाफ है। क्या वे बता सकते हैं कि प्रजातंत्र पर होने वाले हमले जो सरकार द्वारा होते हैं उसकी रक्षा किस प्रकार की जा सकती है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं काटजू साहब से पूछना चाहता हूं कि तब इसके माने यह हुये कि सरकार जो भी कानून बनाये, सरकार के अधिकारी कानूनों की पाबंदी या अवहेलना जिस प्रकार हो करें। लेकिन सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज कसना मैं समझता हूं कि काटजू साहब के शब्दों में प्रजातांत्रिक नहीं होगा। जिस देश में जिस सरकार में जनता की राय की उपेक्षा की जाती है, जनता की ओर से अपनी मांगों के संबंध में जो प्रदर्शन किये जाते हैं, उन पर गोलियां चलाई जाती हैं, उनको जेल में बन्द कर दिया जाता है तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार वह कौन सा रास्ता होगा इस देश में या किसी देश में जो कानून को ठीक तरह से मनवाने के लिये अख्तियार किया जाय। सरकार और सरकारी अधिकारियों के गलत कामों का विरोध करने के लिये आवश्यकता यह होती है कि प्रदर्शन किया जाय या सत्याग्रह किया जाय जिसे हमारे देश में दुनिया के सब से बड़े मसीहा महात्मा गांधी ने दिया है। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी द्वारा बताया हुआ जो रास्ता सत्याग्रह का है, उसके ऊपर चल करके, अहिंसा के तरीके पर चल करके, जो भी राजनीतिक दल या जो भी आदमी सरकार के कानूनों की मुखालिफत करता है, वह राजनीतिक बन्दी करार दिया जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के साथी झारखंडेराय जी की ओर से यह संकल्प उपस्थित किया गया है। चूंकि झारखंडे राय जी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं इसलिये जो भी प्रस्ताव या संकल्प उनकी ओर से उपस्थित किया जायगा वह देश में विद्रोह पैदा करने वाला होगा, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हर एक विचारशील आदमी, जिसका दिमाग स्वतंत्र होगा और किसी बंधन में बंधा नहीं होगा, इस प्रस्ताव की अहमियत पर विचार करेगा। हो सकता है कि झारखंडे राय जी जिस पार्टी से संबंधित हैं वह पार्टी उस जनतंत्रवादी प्रणाली को मानने वाली न हो जिसकी दुहाई आज तक माननीय गृह मंत्री जी देते रहे हैं और आज भी देते हैं। यदि इस देश में ऐसा कोई दल है जो जनतंत्रवादी प्रणाली को मानते हुये देश में ऐसा राज्य, जिसमें आर्थिक विषमता मिटाई जा सके, चलाने वाला हो, जनता की तकलीफों को सरकार के सामने सत्याग्रह करके पहुंचाने वाला हो, तो मैं समझता हूं कि उस दल क हर एक आदमी को राजनैतिक बन्दी करार देना मानवता के लिये और देश के लिये कल्याण की बात होगी।

माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने कहा कि इस प्रदेश में प्रजातांत्रिक प्रणाली है और जातंत्र प्रणाली के विरुद्ध जो भी आंदोलन होगा, वह फिरकावाराना कहा जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ताज्जुब में पड़ता हूं कि आखिरकार जनता की मांग को कैसे सरकार के सामने उपस्थित किया जा सकता है। जब मजदूर अपनी मजदूरी के लिये आंदोलन करते हैं, किसान अपने खेतों के लिये आंदोलन करते हैं, अध्यापक अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिये आंदोलन करते हैं, तो वे उसी रास्ते पर करते हैं जिस रास्ते पर माननीय गृह मंत्री जी स्वयं चल चुके हैं, उसी रास्ते पर चल करके आज यह सरकार में विद्यमान हैं, उसी रास्ते पर चल करके हमारे देश का दुनिया में नाम है, मैं समझता हूं कि उस आंदोलन के प्रति यह बहुत खराब विचारधारा है जिसके जरिये हमने देश की आजादी ली है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय साथी नेता विरोधी दल राजनारायण सिंह जी ने एक संशोधन रखते हुये माननीय गृह मंत्री जी से यह निवेदन किया है कि यह एक इस प्रांत के लिये बहुत लाभकारी होगा और इसे स्वीकार किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि हर वह आदमी जो देश नें स्फूर्ति लाना चाहता है, जो देश में सड़ान नहीं चाहता है और चाहता है कि यहां प्रजातंत्र का असली मानी में उत्थान हो और हरेक आदमी को नागरिक के अधिकार मिलें और नागरिकता पर आघात होने के खिलाफ चाहे किसी भी पार्टी के लोग आंदोलन करते हों उन सब के लिये एक ही रास्ता हो सकता है कि जो लोग इस तरह के अन्दोलनों को चलाते हैं उन सबको राजबंदी का स्थान दिया जाय। जलखानों की बात कही गई, लेकिन मैं समझता हूं कि जेलखानों में अभी वह जीवन नहीं आया है जो आना चाहिये था मैं समझता हूं कि हममें से बहुत से सम्मानित सदस्य ऐसे होंगे जिन्ह उनक ऊपर सन् ४२ में १०९, ३९५, ३७९ और ४३६ दफायें लगाकर जेलखाने भेजा गया था और अंग्रेजों द्वारा राजबंदी का सा व्यवहार किया जाता था, और इन सैक्शनों के कैदी राजनैतिक बंदी माने जाते थे जो कि देश की आजादी की लड़ाई में शामिल होते थे। लेकिन आज तो उलटी ही रीति है। आज माननीय गृह मंत्री जी के और सरकार के वे सब वादे खत्म हो जाते हैं जो उन्होंने आजादी मिलने के पहले किये थे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना करना चहता हूं कि शब्दावली में कुछ हेर फेर करने के बाद जो माननीय झारखंडराय जी का ऐक्ट है उसे स्वीकार करें।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष जी महोदय, जब राजबंदियों का प्रश्न हमारे सामने आता है तो सहसा हमें यह बात ध्यान में लानी पड़ती ह कि आखिर कार जेलखानों का कैसा प्रबंध है। कई बार इसी सदन में हम लोगों न यह चर्चा की है कि आजकल के अपने सूबे के जेलखानों में पुराने जमाने के जेलखानों के मुकाबले में जमीन आसमान का अन्तर है। यहां तक कि माडर्न जेल भी हमें देखने को मिलते हैं। इसमें शक नहीं कि जिस प्रकार के राजबंदी पहले हममें से बहुत से भाई थे अगर आज भी वैसे ही राजबंदी दिखाई पड़त तो कोई वजह नहीं थी कि उनक साथ भी वैसा ही व्यवहार न किया जाता जिसकी मांग हम पहल किया करते थे। आज सौभाग्य से हमारा देश स्वतंत्र है। मेरे मित्र कहते हैं कि राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के वास्ते जो कोई दल आवाज उठाता ह, अगर उसके रास्ते में कहीं रोड़ा पड़े और जो रोकथाम करे, उसका अगर विरोध किया जाय और उसके लिये अगर सजा हो और उसे भुगतने के सिलसिले में जेल जाना पड़े तो वह राजनैतिक बन्दी करार किये जावें। इसमें दो मत नहीं हो सकते। मेरे से पूर्ववक्ता हमें बतावें कि ऐसे लोगों को हम राजनैतिक बंदी कैसे करार दे सकते हैं। मेरे जिले में डुमरियागंज तहसील म दो कांग्रेसी जमींदार थे जो बहुत एनलाइटन्ड थे। उन्ह बहुत बुर तरीक से पीटा गया और यहां तक कि कत्ल कर दिया गया।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

इसके एक नेता श्री राम मुहम्मद सिंह थे। वह अपने आप को फारवर्ड ब्लाकिस्ट कहा करते थे। उन के साथ जितने भी लोग पकड़े गये थे वह जेलखाने से जब बेड़ी हथकड़ियों में आते थे तो वह वही नारे लगाते थे जिससे मालूम हो कि वह राजनैतिक आंदोलन के नारे हैं। लेकिन असल वाक़या यह था कि उन लोगों के ऊपर ३०२ में मुक़दमा चल रहा था। उन्होंने जेलखाने में जाकर अपनी बचत के वास्ते एक संगठन कायम किया और अपने आपको राजनैतिक बंदी क़रार दिलाना चाहा। ऐसे बहुत से वाकआत हमारे जिले में हुये हैं। एक किसान का खेत है या एक जमींदार का खेत है या एक खेतिहर का खेत है और १०,५ आदमियों ने इकट्ठा होकर संगठन करना शुरू किया। उनमें आपस में कहीं अदालती झगड़े भी थे। कुछ लोग मिल गये और उन्होंने कहा कि अगर हम अपना संगठन कर लें और लाल पताका के नीचे कुछ लोगों को जमा कर लें तो हमको हर प्रकार की सुविधा होगी अगर जेलखाने भी गये तो वहां भी तरह तरह की सुविधायें होंगी और फिर हम मौज करेंगे। इस प्रकार के लोगों को राजनैतिक बंदी क़रार देना तो मैं पसन्द नहीं करूंगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--आपका क्या प्रकार होगा?

श्री रामकुमार शास्त्री--मेरा प्रकार यह होगा कि अगर कोई राजनैतिक संस्था है और वह अहिंसात्मक ढंग से अपने स्वत्वों और अधिकारों की रक्षा करना चाहती है तो उसके लिये तो ठीक है लेकिन अगर कुछ लोग दूसरे के अधिकारों को हनन करके अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरे के अधिकारों को खत्म करके, लोगों को क़त्ल करवा कर, मार-पीट कराकर अपने आपको राजनैतिक बंदी करार दिलाना चाहते हैं तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे लोग राजनैतिक बंदी क़रार दिये जायं।

मेरे मित्र श्री रामसुन्दर पांडेय ने जिसका जिक्र किया है और यह शिकायतें आयी हैं कि आज कुछ लोगों ने गिरोह बनाकर लोगों का चलना फिरना बन्द कर दिया है तो इस तरह से तो यह राजनैतिक बन्दी करार नहीं दिये जा सकते हैं। यह सरकार इसको कभी मंजूर नहीं कर सकती है कि वह राजनैतिक बंदी करार दिये जायं। जिस प्रकार से रामसुन्दर पांडेय ने जेलखाने में अपनी जिन्दगी गुजारी है और बहुत सम्भव है कि उनके बहुत से साथी हमारे साथ भी रहे हों तो हम उनको तो राजनैतिक बन्दी क़रार दे सकते हैं। लेकिन आज सौभाग्य से जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और नाना प्रकार की सुविधायें मौजूद हैं तो फिर एक गिरोह बनाया जाना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा और इससे देश का कल्याण भी नहीं होगा बल्कि हमारा रास्ता रुकेगा। अगर उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूं तो मुझे माफ किया जाय कि डकैतों, मरडरर्स और प्लंडरर्स का गिरोह बनाकर उनको राजनैतिक बन्दी क़रार देने से तो हमारी भलाई नहीं हो सकती है। बहुत संभव है मेरी राय से यह सरकार इत्तिफ़ाक़ करे और माननीय गृह मंत्री जी भी करें कि एक किसान या एक खेतिहर के खेत को अगर कायदे के अनुसार नहीं दिलाया गया और कहा गया कि इसका दूसरा हक़दार है तो कुछ ऐसे लोग वहां पहुंच जाते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार नहीं है लेकिन ग़लत तरीके से हम तुमको दिलाना चाहते हैं और ग़लत तरीके से मुक़दमा चलाते हैं। एक डंडे में झंडा लगाकर चारों तरफ नारे लगाकर राजनैतिक बन्दी क़रार दिये जा सकें। इस प्रकार की व्यवस्था, कम से कम यह सरकार तो मंजूर नहीं कर सकती है हां, अगर उनके जमाने की कोई सरकार ऐसी हो तो वह करे। इन शब्दों के साथ और इस भावना के साथ मैं इस बिल का घोर विरोध करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं भी सुल्तान आलम खां को काल कर चुका हूं।

श्री सुलतान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल इस वक्त भवन के सामने है उस पर बहुत सी तक़रीरें हुईं और मैंने उनको बहुत गौर से सुना। मुझे यह भी याद है कि मेरे दोस्त श्री झारखंडे राय जी ने इस बिल को पेश करते वक्त जो तक़रीर की थी, वह क्या थी और इस बिल के साथ जो एम्स ऐंड आबजेक्ट्स दिये हुये हैं, वह भी मैंने पढ़े। मेरा अपना ख्याल यह है कि झारखंडे राय जी की नियत बख़ैर है और वह अपनी तौर पर एक ऐसा बिल लाना चाहते हैं कि जिसके मातहत वह राजबन्दियों को या क़ैदियों को कुछ रिआयतें देना चाहते हैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि बाज़ चीज़ों के मुताल्लिक़ कुछ ग़लतफ़हमी है और अगर बिल जिस सूरत में कि इस वक्त भवन के सामने पेश है अगर उसी सूरत में पास हो गया तो इसका नतीजा यह होगा कि जिन बातों को वह खुद ख्वाहिश करते हैं और जो फ़ैसिलिटीज़ वह क़ैदियों के लिये चाहते हैं शायद उससे वह असर पैदा न हो बल्कि उससे एक ग़लत और दूसरा ही असर पैदा होगा। यह एक हक़ीक़त है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि पेनल हिस्ट्री के मातहत एक क़ैदी को इसलिये भेजा जाता है कि उसका सुधार किया जाय और उसके अलावा वह जेल में रहने की मुद्दत तक सोसायटी के लिये फिर दोबारा खतरनाक़ साबित न हो। ये दो उसूल हैं जिनके मातहत किसी क़ैदी को जेल भेजा जाता है। अगर हम यह तवक्क़ो करें कि जेल जाने के बाद क़ैदी को तमाम उस क़िस्म की आसायश और आसानियां फ़राहम हों जो उसको अपने घर की जिन्दगी में हुई हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसा ख्याल करना फिर उस उसूल के बिलकुल खिलाफ़ जाता है कि उसको जेल भेजा जाय। अगर एक क़ैदी को वह तमाम चीजें मयस्सर हों जो उसको अपने घर में मिलती हैं तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि उसको सजा किस लिये दी जाय। जेल की सज़ा तो उस को इसलिये ही दी जाती है ताकि वह उस क़िस्म का आफ़ेंस या क्राइम न कर सके और सोसाइटी उसके उस आफ़ेंस से आगे के लिये महफ़ूज़ हो सके। मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में क़ैदियों की वैसे ही बहुत सी क़िस्में हैं। अगर जेलों का मुआइना करने के लिये हम जायं तो हम देखेंगे कि वहां बहुत सी क़िस्मों के क़ैदी हैं, जुविनाइल प्रिजिनर्स हैं, हैबिचुअल्स हैं, कैजुअल्स हैं, बहुत सी क़िस्म के क़ैदी होते हैं। इनके अलावा क़ैदियों में एक नये क़िस्म की शाख का पैदा करना कि फलां राजनैतिक क़ैदी हों यह मैं समझता हूं कि आजकल के मुल्क के हालत को देखते हुये मुनासिब और सही नहीं होगा।

इस बिल के अन्दर जो दफ़ा ४ रखी गयी है जिसमें कि मुख्तलिफ़ क़िस्म की एक्टिविटीज़ दी गयी हैं कि जिस क़िस्म के आन्दोलन चलाने के लिये जिन शख्सों को क़ैद किया जाय उन लोगों के साथ झारखंडेराय जी इस क़िस्म का बर्ताव चाहते हैं। उसमें जहां और चीजें दी गयी हैं वहां यह भी दिया गया है कि मजदूरों, किसानों और विद्यार्थियों और इसके अलावा और दूसरे इसी क़िस्म के जो मूवमेंट्स हों उनके क़ैदी भी शामिल कर लिये जायं। तो मुझे यह अन्देशा होता है कि दूसरे इसी क़िस्म के जो क़ैदी हों, ये लफ्ज तो बड़े ही कम्प्रीहेंसिव हैं और इसके माने और असर बहुत दूर तक जायंगे जैसा कि अभी मुझसे पहले शास्त्री जी तक़रीर फ़रमा रहे थे और उन्होंने यह फरमाया कि फ़र्ज़ कीजिये कि क्लासिफ़िकेशन का सवाल पैदा हो जाय तो बहुत से मर्डरर्स, राबर्स, डकैत अपने-अपने गिरोह को मिलाकर बजाय एक इंडिविजुअल के एक कलेक्टिव हैसियत बना लें और इस तरीक़े से कहलाना शुरू करें कि वह राजनैतिक हैं तो यह बड़ी दिक्क़त पैदा हो जायगी हमेशा के लिये और मैं समझता हूं कि मुझे पूरा यक़ीन है कि मूवर साहब का भी हर्गिज़ इससे यह मकसद और मतलब नहीं होगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि आजकल के जमाने में जब मुल्क आजाद हो गया है वाक़ई इस चीज के सोचने की जरूरत है कि मुल्क के अन्दर जो तहरीकें चलायी जायं वे किस क़िस्म की हों। मैं जानता हूं कि आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है जो बरसरेइक्तदार है लेकिन डेमोक्रेसी में कौन इस बात को यक़ीन के साथ कह सकता है कि हमेशा कांग्रेस ही की गवर्नमेंट रहेगी। हो सकता है कि सफ़ेद टोपी वाले एक जमाना ऐसा आये कि उधर चले जायं और लाल टोपीवाले इधर आ जायं और हो सकता है कि उसके बाद एक ऐसा रेजीम आये कि जिसमें हमारे दोस्त झारखंडे राय जी भी हों। कोई इस बात को यक़ीन के साथ नहीं कह सकता कि सूबे में

[श्री सुल्तान आलम खां]

या मुल्क में कब और किस क़िस्म की हुकूमत क़ायम होगी। लेकिन बुनियादी हैसियत से जो क़ानून पास किया जाता है तो वह क़ानून तमाम हुकूमतों के लिये उसी तरीक़े से लागू होगा जैसे कि आज है। फ़र्ज़ कीजिये कि आज कांग्रेस की हुकूमत है और उसके ख़िलाफ़ मूवमेंट इस क़िस्म के चलाये जाते हैं जिनमें खूंरेज़ी हो, लूटमार हो और अगर इस क़िस्म की भावना यहां पैदा हो गयी और दूसरी गवर्नमेंट आयी या तीसरी गवर्नमेंट आयी तो उस के ख़िलाफ़ भी इसी तरह के मूवमेंट चलाये जाते रहेंगे। इसलिये यहां किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट या किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल तो सिर्फ़ यह है कि कोई भी हुकूमत हो वह डेमोक्रेसी में किस तरह से अपने फरायज़ अन्जाम दे सकती है और कोई पार्टी उसमें किस तरह से मूवमेंट चला सकती है। अगर इसी कसौटी पर इसको रखकर देखा जाय और इस पर इस पहलू से ग़ौर किया जाय तो मैं समझता हूं कि सिर्फ उसी क़िस्म का कानून बनाया जाय, सिर्फ उतने ही मराआत तलब किये जायं जो जरूरी हैं। यह नहीं होना चाहिये कि हर क़िस्म के ऐक्ट को, हर क़िस्म के ओमीशन और कमीशन को राजनैतिक मामलों में से ताल्लुक़ कर दिया जाय। इसलिये झारखंडे राय जी से यह अर्ज़ करूंगा कि वे इस मसले पर फिर से ग़ौर करें और इस सिलसिले में वे यह विचार न करें कि उनका जो आज आन्दोलन चल रहा है, उसमें इससे मदद मिलेगी, बल्कि वे इस नुक्तेनज़र से इसको देखेंगे कि एक डेमोक्रेसी में जिस क़िस्म के कानून की जरूरत है वह बनाया जाय और इस पर फिर से ग़ौर किया जाकर जनरलाइज़ करके एक माकूल सूरत उसको दी जाय। कोई भी गवर्नमेंट हो कानून को किसी के हाथ में देना वह पसंद नहीं करेगी। मैं एक बार फिर अपने दोस्त श्री झारखंडेराय जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस मसले की अहमियत पर ग़ौर करें और अगर मुनासिब समझें तो उसको वापिस ले लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---श्रीमन्, मेरा क्लोजर का प्रस्ताव अब ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अभी और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। क्योंकि क्लोजर का प्रस्ताव आ चुका है इसलिये मैं इस पर राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि अब बहस बंद की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन के सामने आया है और जो उद्गार इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रकट किये हैं और उसके सिलसिले में हमारे विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण जी ने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बदक़िस्मती इस बात की है कि इस प्रस्ताव को हमारे माननीय झारखंडे राय जी ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक मेम्बर हैं, प्रस्तुत किया है। अगर इसी प्रस्ताव को कोई और पार्टी का मेम्बर लाया होता तो इस प्रस्ताव पर आज जिस तरह से इस सदन में विचार हुआ है वैसा न हुआ होता।

आज प्रत्येक पार्टी के सदस्यों को अपने-अपने विचार प्रकट करने का मौक़ा मिला लेकिन बजाय इसके कि पोलीटिकल प्रिजिनर्स की कटैगरी बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाता, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोग्राम, तथा और दूसरी पार्टियों के प्रोग्राम के बारे में काफ़ी सदन में कहा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो निश्चय सी बात है कि हिन्दुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी पनप नहीं सकती। और उसका कारण यह है कि हमारी कम्युनिस्ट पार्टी बदक़िस्मती से हिन्दुस्तान में जब जब आजादी का आन्दोलन चला, जब जब देश की आजादी की लड़ाई हुई, यह उनकी बदक़िस्मती रही कि यह हमेशा उसके ख़िलाफ़ रही। इसी वजह से हिन्दुस्तान की जनता

आज तक इनके साथ न जा सकी। कम्युनिस्ट पार्टी का हिन्दुस्तान में शायद आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता अगर इसके पड़ोसी इलाक़े चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की विजय न हुई होती। वहां की कुछ हालत ऐसी थी जिससे कम्युनिस्ट पार्टी वहां कामयाब हुयी। वहां आपस में सिविल वार होने की वजह से, वहां सड़कें न होने की वजह से, वहां यातायात के साधन न होने की वजह से, दूर के इलाके में जो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस का उन तक न पहुंच सकने की वजह से और जो वहां की हालत थी उसको सामने रखते हुये शायद कम्युनिस्ट पार्टी वहां कामयाब हुई। अगर हिन्दुस्तान की राजनीति में भी, हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता के आन्दोलन में भी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान की जनता के साथ रही होती तो शायद आज कम्युनिस्ट पार्टी का वह हाल नहीं होता जो कि आज है। इसलिये मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो चन्द दिनों के बाद हमारे माननीय श्री झारखंडे राय जी उस पार्टी को छोड़कर किसी ऐसी पार्टी में शरीक होंगे जो हिन्दुस्तान में जनतांत्रिक तरीक़े से समाजवाद स्थापित करने की कोशिश कर सकती है। तो यह कहकर कि चूंकि श्री झारखंडे राय जी ने इस को रखा है और कम्युनिस्ट पार्टी में डकैत हैं या चोर है, यह कहकर इस प्रश्न को ठुकराने में मैं समझता हूं कि कोई शोभा की बात नहीं है। हमारे सामने एक प्रश्न है कि आया किसी को भी हम इस प्रान्त में राजनैतिक क़ैदी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। अगर हम किसी भी आन्दोलन के चलाने वाले लोगों को राजनैतिक कह सकते हैं तो फिर आवश्यकीय हो जाता है कि हमारे जेल के अन्दर ऐसा एक क्लास जरूर हो जिसमें पोलिटिकल क़ैदी रखे जा सकें। क्योंकि हमारे सामने अभी अध्यापकों का ही प्रश्न आता है। हमारे अध्यापकों का एक प्रान्तव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह चल रहा है। और मैं समझता हूं कि इस प्रान्त के क़रीब-क़रीब सभी लोगों की हमदर्दी अध्यापकों के साथ है। हमारे इसी सदन के सम्मानित सदस्यों की हमदर्दी भी अध्यापक वर्ग के साथ है। अगर आन्दोलन के साथ नहीं है तो उनकी मांगों के साथ तो अवश्य ही है। आज का अध्यापक वर्ग इस प्रान्त में एक आन्दोलन चला रहा है और अहिंसात्मक तरीक़े से चला रहा है। वे किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, कोई डकैती की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि वे केवल अपनी मांगों के लिये प्रान्तव्यापी सत्याग्रह कर रहे हैं और हमारे यहां की जेलों को भर रहे हैं। उनके साथ सबकी हमदर्दी है। उन्हें हम भी गुरू कहते हैं और यहां हमने उनको गुरु कह कर पुकारा है। आज जब कि वे जेलों में जा रहे हैं और उनके साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें राजनैतिक क़ैदी मानना सही होगा या नहीं? अध्यापक जनतांत्रिक तरीक़े से आन्दोलन कर रहे हैं, इस तरह की और भी पोलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं। हो सकता है कि कांग्रेस को अब ऐसा आन्दोलन चलाने की आवश्यकता न पड़े क्योंकि वह सत्ता में है लेकिन हिन्दुस्तान की आर्थिक समस्या को दूर करने के लिये, हिन्दुस्तान की जो व्यवस्था है उसे बदलने के लिये अगर कोई हिन्दुस्तान के अन्दर प्रजातांत्रिक ढंग से आन्दोलन चले, हमारे प्रान्त के अन्दर आन्दोलन चले और उसमें जो लोग पकड़े जायं वे किसी राजनैतिक क़ैदी के क्लास में रखे जा सकते हैं या नहीं रखे जा सकते? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का फैसला करना होगा। खुशक़िस्मती कहिये या बदक़िस्मती कहिये मैं भी जेल में गया हूं और जेल विजिटर भी रहा हूं लेकिन मैं तो अब उधर जाता ही नहीं, देखने के लिये भी नहीं जाता हूं और इसलिये मैं सोचता हूं कि न जाना पड़े तो बहुत अच्छा है लेकिन जिस तरह से इस देश के अन्दर आन्दोलन चल रहे हैं और जिस तरह से इस देश के अन्दर हमारी सरकार अपनी बातों पर डटी हुई है कोई भी बात विरोधी दल की तरफ से आये उसको सरकार मानने के लिये तैयार नहीं होती लिहाजा मजबूर होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिये आन्दोलन करना पड़ता है। यह कह कर कि कम्युनिस्ट पार्टी में डकैत हैं, जैसा रामकुमार जी शास्त्री ने कहा कि डकैतों के लिये भला ऐसा किया जा सकता है। तो कौन कहता है डकैतों को पोलिटिकल क़ैदी मानिये, कौन कहता है कि आप उनको जो रेल उखाड़ देते हैं, पटरी उखाड़ देते हैं, हिंसात्मक कार्य करते हैं उनको आप पोलिटिकल क़ैदी मानिये। ऐसा हम नहीं कहते जैसा माननीय राजनारायण जी ने कहा कि उन लोगों को जो प्रजातांत्रिक तरीक़े से अपना आन्दोलन चलाते हैं उन्हें आपको राजनैतिक क़ैदी मानना चाहिये और जब हम कुछ संशोधनों के साथ इस सदन में आयेंगे तो

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री उन पर अवश्य विचार करेंगे। यह नहीं समझना चाहिये कि हमको तो कोई आन्दोलन अब चलाना है नहीं, अब हमें जेलखाने जाने की बात नहीं करनी है इसलिये हम इन बातों की तरफ से अपनी आंखें बन्द कर लें, यह किसी हुकूमत के लिये शोभनीय नहीं मालूम होता। इस पर विचार करना होगा। हो सकता है कि कल उधर के लोगों की विचार धारा बदले और वे इधर आयें। रामनरेश शुक्ल जी ने कहा, गो उपाध्यक्ष महोदय उनकी बातों को सुनकर अब मुझे शंका होने लगी है कि वह सच कह रहे हैं या गलत, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि प्रतापगढ़ जिले में किसी अध्यापक को कोई शिकायत नहीं है लेकिन अखबारों में पढ़ा कि प्रतापगढ़ से ही सब से ज्यादा अध्यापक जेलखाने गये हैं। रामनरेश शुक्ल जी ने यह भी कहा था कि प्रतापगढ़ में इतनी अच्छी पुलिस है·····

श्री सुल्तान आलम खां--यह नहीं पता चल सका कि आप ताईद कर रहे हैं या मुखालिफत कर रहे हैं?

श्री मदनमोहन उपाध्याय--इधर-उधर ध्यान न देकर आप कुछ समझने की कोशिश कीजिये तो पता चल जायगा। इसके अलावा माननीय रामनरेश जी ने कहा कि पोलिटिकल कैदी ऐसे होने चाहिये। उन्होंने कश्मीर, बर्मा न जाने कहां-कहां की बातें कहीं। उनकी भावनाओं से मालूम हुआ कि अब आन्दोलन की आवश्यकता नहीं है। देश के अन्दर स्वराज्य हो गया इसलिये अब कोई बात नहीं है। हिन्दुस्तान में अब खुशहाली हो गई है। अब तो हम सत्ताधारी रहेंगे इसलिये आंदोलन का डर नहीं। उन्होंने यह भी तारीफ की कि हमारी जेलों में तो क्रिमिनल के साथ कितना अच्छा व्यवहार होता है, क्रिमिनिल के साथ कड़ा व्यवहार किया जाय तो जनता को शायद इससे हमदर्दी हो होगी, लेकिन अध्यापक वर्ग जो है जिनके प्रति सबको सहानुभूति है जिनको हम गुरु कह कर पूजते हैं उनके प्रति सरकार का क्या रुख है इस पर उसका इम्तिहान है। उनको यह कह कर नहीं टाला जा सकता कि ये लोग डकैत हैं या चोर हैं। यह कहा जा सकता है कि ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हम कहते हैं कि आंदोलन छोड़ दो इसलिये हम उनको पोलिटिकल कैदी न मान कर चोर डकैतों के साथ रक्खेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी देर के लिये इस सदन के माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि वे भूल जायं कि यह प्रस्ताव माननीय झारखंडे राय जी ने रक्खा बल्कि वह यह समझें कि माननीय राम नरेश जी शुक्ल ने इसको रक्खा है, इस भावना को लेकर तब वह इस पर विचार करें। अगर वह इधर होते तो आज उनकी भी यही भावनायें होतीं। शायद उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यह सरकार नहीं मानेगी तो हम बैठने वाले नहीं हैं। अगर यह सरकार हमारा प्रोग्राम नहीं मानेगी, जो प्रोग्राम हमारे नेताओं ने रक्खा है और उसके बाद जो और प्रोग्राम है उस सबको यह सरकार नहीं मानेगी तो शायद हमारी पार्टी भी कोई सत्याग्रह करे। माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि जब कोई बड़ा मसला आ जाता है तो उस पर विचार किया जाता है लेकिन आज हमारे सामने एक अध्यापकों का मसला आ गया है और हमें फैसला करना है कि पोलिटिकल कैदी नाम का कोई कैदी जेल के अन्दर होगा या नहीं होगा और अगर होगा तो उसकी आप व्याख्या कर सकते हैं कि किस किस को आप पोलिटिकल कैदी मानेंगे।

(इस समय ३ बजकर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

हमारा कभी यह मकसद नहीं है। हम कभी यह नहीं चाहते हैं। हम कभी, जैसा श्री शुक्ल जी ने कहा है कहने के लिये तैयार नहीं है कि हम इसलिये प्रलोभन देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में आ जाओ तो हम तुम्हें जेलखाने में ले जायेंगे और वहाँ आराम से रक्खेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा शोशल स्टेटस ईक्वल हो। अगर एक अखलाकी कैदी होता है तो उसे हैसियत के मुताबिक अपर क्लास की सहूलियतें दी जाती हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसा रखा है

कि अगर इतनी आमदनी होगी तो हम उसको अपर क्लास में रखेंगे। फिर क्या बात है कि आज हमारी सरकार इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं कि वह लोग जो प्रजातंत्रात्मक ढंग से किसी आंदोलन में भाग लें उन्हें राजनैतिक कैदी हमारी सरकार नहीं मानती है। मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारी सरकार ऐसा क्यों करती है। इसलिये में माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करें और सोचें कि जिस तरह से यह बिल सदन के सामने आया है उसको न लेकर जिस प्रकार हमारे विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन रखा है उन्हें स्वीकार करें। आपको फैसला करना है कि हमारे प्रांत के अन्दर कोई पोलिटिकल कैदी होगा या नहीं। इन चन्द शब्दों के साथ मुझे गृह मंत्री जी से यही प्रार्थना करनी है कि वह इस पर अच्छी तरह से विचार करेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे इस प्रस्ताव के साथ माननीय झारखंडे राय जी का नाम देखकर आश्चर्य हुआ। इसलिये कि जिस विचारधारा के वह हैं उस विचारधारा में खींचतान करके भी किसी प्रकार और किसी रूप में भी राजनैतिक बंदी नाम की कोई वस्तु नहीं होती। राजनैतिक बन्दी तो वहीं पर उत्पन्न होगा जहां किसी प्रकार की राजनैतिक स्वाधीनता होगी। किन्तु यह तो सब पर विदित है और प्रकट है और माननीय उपाध्याय जी ने सम्भवतः इस बात को गोलमोल शब्दों में स्पष्ट भी कर दिया है कि कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ स्वाधीनता का समावेश नहीं हो सकता। आज बहुत कुछ छिपाने पर भी शायद कोई इन बातों को नहीं छिपा सकता कि कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ अनेक देश के लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार के साथ इतने रंगे हुये हैं कि उस को कोई अधिकार नहीं है कि वह राजनैतिक स्वाधीनता की बात कह सके। आज संसार में महायुद्ध के बाद चीन को मिलाकर १ करोड़ २५ लाख वर्ग भूमि पर सोविट रूस का शासन है और उस शासन में करीब ५६ करोड़ और ३५ लाख आदमी रहते हैं और निवास करते हैं। एक बड़ी सीधी सी बात है। जो लोग राजनैतिक स्वाधीनता का कम्युनिज्म से किसी प्रकार का सामन्जस्य कर सकते हैं मैं उनसे केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर जितना सस्ता, हलका और छोटे मोटे दामों पर सब्सीडाइज्ड कम्युनिस्ट लिट्रेचर बिका करता है, क्या कोई ऐसा कम्युनिस्ट देश है कि जहां हमारा अच्छे से अच्छा लिट्रेचर भी बिक सके। थोड़े दिन हुये हमारे भारत वर्ष में श्री एनविन आये थे वह एक बहुत बड़े प्रकाशक हैं। उन्होंने एक हिसाब बताया कि ७८ करोड़ आदमी ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार से कम्युनिस्ट विचारधारा के आधीन रहने के लिये विवश हैं। उन्होंने कहा कि इन देशों को ऐसी कोई पुस्तक पढ़ने को नहीं मिल सकती रूस की सरकार इजाजत नहीं देती है। उस देश के विचारों से संबंध रखने वाले लोग यदि राजनैतिक कैदी की बात करें तो आश्चर्य होता है।

बहुत छोटी सी बात है। आज हमारे देश में साम्प्रदायिकता को बहुत जोर दिया जा रहा है और इस सदन के सम्मुख इस बात को प्रभावित किया जा सकता है कि साम्प्रदायिकता के कार्य में बहुत कुछ उन लोगों का हाथ है जो लोग इस देश की सरकार को उलट देना चाहते हैं और वह लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं उनको यह कहने का अधिकार नहीं है कि बहुत ही गैर साम्प्रदायिक हैं और वे दूसरों के साथ समान्यता का व्यवहार करते हैं। दो मिसालें मैं सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। आज वोल्गा के जर्मनों के साथ क्या हुआ है और क्रीमिया के तार्तारों के साथ रूस में क्या हुआ। १३ लाख नर-नारियों का रक्त शोषण हो रहा है, उनकी सांसें उखड़ रही हैं, उन्हें कुचला जा रहा है और चेष्टा की जा रही है कि किसी तरह से इनके देश को और इनकी जाति को नेस्तनाबूद कर दिया जाय और श्रीमन् और एक बात मैं बताऊं इसके संबंध में कि अक्तूबर, सन १९५१ में रायल इंडस्ट्री आफ इंस्टीट्यूट आफ इंटरनेशनल एफेयर्स से एक प्रकाशन हुआ था जिसमें उन्होंने एक संवाद दिया था और जिसका खंडन आज तक नहीं हुआ। उसमें उन्होंने बतलाया है कि जिस समय यूगोस्लेविया के टीटो ने रूस से संबंध विच्छेद किया

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

था उस समय कितना भयंकर आतंक का साम्राज्य छा गया था योरोप और एशिया के उन राज्यों में जहां कम्युनिस्ट रूस का प्रभुत्व था और लोगों पर उस समय जो जुल्म हुये उनकी कहानी यदि इस सभा भवन में घंटों तक सुनायी जाय तो भी समाप्त नहीं होगी। सवा लाख आदमियों को गिरफ्तार किया गया था। टीटो के संबंध विच्छेद के समय १० लाख आदमियों को मौत के घाट उतार दिया गया उन स्थानों में जहां रूस की सरकार को शुबहा था कि वे भी यूगोस्लेविया के समान कोई बखेड़ा न खड़ा कर दें। जो ऐसे देश के लोगों से सहानुभूति रखते हों वे हमारे सामने क्या राजनीतिक स्वाधीनता की बातें करते हैं। एक बात सुनकर माननीय झारखंडे राय जी को दुख होगा यदि उनमें आत्माभिमान है जो मैं समझता हूं कि उनमें अवश्य होगा। क्या उन्हें पता है कि आज रशियन स्लेव कैम्प्स में क्या हो रहा है? क्या उन्हें मालूम है कि रशियन स्लेव कैम्प्स की आबादी अगर बहुत आसान ढंग से कूती जाय तो लगभग सवा करोड़ के है? उनके दायरे बने हुये हैं। और उनसे काम लिया जा रहा है। हम आज अपनी पंचवर्षीय योजना को इस सदन के सम्मुख रखते हैं और उसे भारत में लागू करके भारत के लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो आज स्वाधीनता के नाम पर और विचार स्वातंत्र्य के नाम पर हर प्रकार से चेष्टा की जाती है कि हमारी पंचवर्षीय योजना सफल न हो। जैसी कम्युनिस्ट टैकटिक्स है कि छोटे-छोटे स्थानों में कंसेंट्रेट करें, रेलवे और इंडस्ट्रीज वगैरह में देहातों में जाने की जरुरत नहीं है और बस उनको पैरेलाइज कर दो, समाप्त कर दो और ऐसा करो जिससे डिसकंटेंट बना रहें, असंतोष रहे, और असंतोष की आग भड़कती रहे और जब तक असंतोष की आग नहीं भड़कती है तब तक कम्युनिस्टों को प्रश्रय नहीं मिल सकता और इस प्रश्रय को देने के लिये यह आवश्यक होता है कि उत्पात मचे, यह आवश्यक होता है कि पंचवर्षीय योजना जैसी योजनायें असफल हों और ऐसी योजनाओं की सफलता के लिये बहुत बड़ी चीज होती है अधिनायकत्व। रूस ने अपनी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये जो-जो कठोर नियम बनाये थे यदि उनमें से एक भी नियम यहां पर लागू हो जायं तो न जाने क्या-क्या संघर्ष इसी उत्तर प्रदेश में शुरू हो जायगा। १० मिनट के लिये या आधे घंटे के लिये ट्रेन लेट हो जाती है तो रशियन गार्ड को २ वर्ष की सख्त कैद की सजा दी जाती है। अगर हमारे यहां इस तरह का कोई कठोर नियम बनाया जाय तो न जाने क्या-क्या उत्पात व्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पर होंगे और न जाने क्या-क्या कहा जायगा। यह सत्य है कि उससे प्रोपेगेंडा वैल्यू तो हो जाती है लेकिन जो लोग इस विषय की तह को समझते हैं और विशेष कर हमारे समाजवादी मित्र, मैं विशेष कर अपने मित्र माननीय राजनारायण जी से कहूंगा कि वह तो समाजवादी हैं और आज संसार में प्रजातंत्र का सबसे बड़ा हिमायती वही होगा जो वास्तव में समाजवादी हो और समाजवादी में विश्वास करता है। जिसको समाजवाद में विश्वास है वही वास्तव में कम्युनिज्म का सबसे कठोर शत्रु होगा। श्रीमन, बहुत पुराना झगड़ा है कि राजनीतिक स्वाधीनता क्या है और राजनीतिक बन्दी किसको माना जाय। राजनीतिक बंदी की बात तो बाद में होगी लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपराधों का वर्गीकरण कैसे हो।

लेकिन माननीय गृह मंत्री जी जेलों का सुधार करना चाहते हैं और सुनते हैं कि जेलों में बहुत से सुधार होने वाले है किन्तु सब से बड़े सुधार की बात अपराधियों के वर्गीकरण की क्या हो सकती है। १६वीं शताब्दी में जब सब से पहले जेलों का संगठन प्रारंभ हुआ, इसलिये कि एक अंग्रेज नरेश ने अपने रहने वाले मकान को उन लोगों के रखने के लिये जो गुन्डे थे और सड़क पर घूमते फिरते थे तब १६वीं शताब्दी का प्रारम्भ था और उस समय से आजतक यह भी निश्चय नहीं हो पाया है कि कौन-कौन अपराध किस-किस वर्गीकरण के योग्य है और अधिकतर माना यह जाता है कि आंख से जिस अपराध को देख लिया वही बड़ा अपराध है और उसी को अपराध मान लेना चाहिये। हमारे यहां आज कानून ऐसा है दोषपूर्ण है कि हम आंखों देखे गवाह को ही महत्व देते

हैं परन्तु आज के विज्ञान में इसको अधिक महत्व नहीं दिया जाता कि बिना साक्षी के अपराध सिद्ध नहीं हो सकता। मैं यहां पर आपके सामने साक्षी के विषय में एक घटना निवेदन करना चाहता हूं। स्विटजरलैन्ड में एक कांफ्रेंस हुई यानी अपराध शास्त्रियों और विशारदों का एक सम्मेलन हो रहा था और इसी तरह से जैसे यहां सभा भवन में माननीय सदस्य बैठे हैं वहां भी बहुत से लोग बैठे हुये थे। यकायक वहां एक चीख मची, हुल्लड़ हुआ और लोग इधर-उधर भागने लगे। भगदड़ सा मच गया। इसके बाद ही वहां पुलिस आई और उसने वहां गवाही लेना शुरू कर दिया कि किस तरह से वह सब शोरगुल हुआ। एक आदमी की उसने गवाही लेनी शुरू की तो उसने कहा कि एक आदमी बाहर से आया छुरी लिये हुये और एक डेलीगेट के, जो क्रिमिनालाजिस्ट थे, उनकी छाती में चुभा दिया और वह मर गये। दूसरे गवाह ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से उनके सीने से खून निकलत देखा। तीसरे ने कहा अपराधी ने "बी केयरफुल" उसने कहा और उसके बाद आघात किया। यह सब गवाही लेने के बाद पुलिस ने फैसला किया कि गिरफ्तारी कल होगी, लेकिन दूसरे दिन जब गिरफ्तारी का मौका आया तो सभापति ने, जो स्वयं बहुत ही अच्छे अपराध शास्त्र के पंडित थे, सुनाया कि न तो कल सभा भवन में कोई छुरा लेकर आया, न किसी का खून हुआ और न किसी ने "बी केयरफुल" कहा। हुआ यह कि जब यहां अपराध शास्त्र के पंडित विवेचना कर रहे थे तो वहां एक छोटा सा नाटक किया गया था और उसमें हुआ केवल इतना था कि एक आदमी फाउन्टेन पेन घुमाते हुये आया और एक ने चीख मचायी थी और बाकी सब ने जितनी चीखें सुनीं और देखीं वह सब गलत थीं। आज आंख के देखे अपराध की व्याख्या नहीं हो सकती और उससे नहीं कहा जा सकता है कि अपराध किसका है। चाहे वर्गीकरण हो या न हो, लेकिन प्रश्न यह है कि कैदियों को किस प्रकार रखा जाय कि वह आसानी से वहां रह कर पुनः अपने मनुष्यत्व को प्राप्त कर लें जिसको वह खो बैठे हैं। इंगलैन्ड में यह किया गया है कि वहां के जितने भी कैदी हैं, राजनैतिक या किसी प्रकार के कैदी हैं उन सबको स्मोकिंग की इजाजत दे दी गई है, वह डेली इन्टरव्यू कर सकते हैं और पति-पत्नी भी वहां मिल सकते हैं। जब यह देखा गया कि इस बात का फैसला हो सकता है कि किस आदमी को कौन सी सुविधा देने से लाभ होता है तो हमें यह निश्चय हुआ कि जेलों के सुधार में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि कोई वर्गीकरण न हो और जितने भी किसी भी अपराध के या किसी भी तरह के कैदी हैं सबको बराबर सहूलियत मिलें और इस बात का प्रयत्न किया जाय कि जेल जेल न हो बल्कि एक उनका सुधारगृह हो और उनके दिमाग को ठीक करने के लिये जेल एक हास्पिटल हो जिसमें जैसे बुखार का रोगी दवा से ठीक किया जाता है उसी प्रकार वह भी जल में सुधर सके। मैं अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि जहां तक राजबंदियों का प्रश्न है, आज इस मसले पर काफी विचार उन देशों में हो चुका है जो प्रजातंत्र शासन प्रणाली में विश्वास करते हैं और पोलिटिकल प्रिजनर टर्म ही हमने इंगलैन्ड से सीखी है और वह आज भी ऐसा देश है जो इसके बारे में बहुत भयभीत है। पोलिटिकल प्रिजनर की एक जोरदार मिसाल जो कि हमको मिलती हैं, जिसने इस प्रकार का राजनीतिक अपराध किया हो, वह लड़ाई के जमाने में इंगलैन्ड में सर आसवल्ड मॉसले की है। यह इसलिये अधिक महत्वपूर्ण है कि देश के सामने सबसे बड़ी चीज यह थी कि उनके विषय में देश के प्रति देशद्रोह का संशय होता था जहां राजद्रोह है वहां पर एक दायरा बिलकुल विभिन्न हो जाता है। लेकिन इस प्रकार के वर्गीकरण में कि आंदोलन करने वालों में, राजनीतिक मतभेद करने वालों में और उनमें अन्तर हो। माननीय राजनारायण जी या माननीय उपाध्याय जी ने यदि सोचा होगा तो उनको मालूम होगा कि बहुत दिनों से यह झगड़ा चला आ रहा है कि आखिर कौन सी शासन प्रणाली सबसे अच्छी है। मैं इस समय उसका विवेचन नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। पहले एक प्रथा यह चली कि बिलकुल एक ही आदमी के हाथ में शासन हो। इसके

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

बाद १७वीं शताब्दी में हूकर का भी स्कूल बना। उसके बाद जब इस विचारधारा में एक प्रकार का परिवर्तन होने लगा तब फिर वह समस्या आयी जिसको हम मार्क्सवाद कहते हैं। सोशलिज्म भी आया। आखिर कौन सा अधिक व्यावहारिक है। हमारे समाजवादी मित्रों और कम्युनिस्ट मित्रों में जो सबसे बड़ा अन्तर और मतभेद है वह यह है कि एक विश्वास करता है एकोनामिक पावर इन दि मासेज में। वह इसमें विश्वास रखते हैं कि उस पावर को बनाकर शक्ति का विकेन्द्रीकरण करें। लेकिन हमारे समाजवादी भाई इकोनामिक पावर इन दि मासेज के साथ-साथ यह भी विश्वास करते हैं कि वह एकोनामिक पावर मासेज के द्वारा ही, उन्हीं में से एवाल्व करें और उन्हीं के द्वारा विकसित हो। इस सिद्धांत के साथ ही, शायद मुझे गृह मंत्री महोदय क्षमा करेंगे इसलिये कि वह बहुत ही विज्ञ हैं और वे सम्भवतः यह कह सकते हैं कि मेरी विचारधारा कुछ दकियानूसी है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बड़े-बड़े सिद्धांत प्रतिपादित हुये। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है १८ सौ में मेजनी, जिनका नाम लोग अब कम लेते हैं, उनकी एक पुस्तक है "ड्यूटीज आफ मैन" उस पुस्तक में उन्होंने यह प्रतिपादन किया था कि राइट की बात तो ठीक है। मार्क्सवाद अधिकारोंकी बात करताहै। लेकिन राइट्स के साथ ड्यूटीज बड़ी भारी चीज होती है। तो जिसका प्रतिपादन मेजनी ने किया, और बड़े सुन्दर शब्दों में किया उसके प्रतिपादन की प्रतिक्रिया आगे चलकर हुई और वह प्रतिक्रिया दुर्भाग्यवश समाजवाद के साथ शायद रह गयी है। जहां-जहां समाजवादी प्रथा कायम है। भारतवर्ष में सम्भवतः कोई नयी समाजवादी प्रथा हो, लेकिन जहां जहां समाजवादी शासन है, हर जगह प्रायः असफल रहा। इस असफलता का बहुत बड़ा कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह एकोनामिक पावर आफ दि मासेज की बात को मानते हैं, उस सिद्धांत को अपनाने के लिये, उस सिद्धांत को कार्यान्वित करने के लिये अभी तक वह कोई रास्ता नहीं बना सके। बड़े-बड़े सिद्धांतवादी आये। आखिर में चलकर इटली का भी सिद्धांत आया जिसने संसार में बड़ा उत्पात किया और उसी ने पालिटिकल प्रिजनर की बात को दफनाने की चेष्टा की। हमारे मित्र जानते होंगे, गियावनी गिन्तले............।

श्री अध्यक्ष---आप विधेयक से दूर हो रहे हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---मैं केवल यह निवेदन करना चाहता था कि राजनैतिक बंदी का जब प्रश्न उठता है तो सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर एक पार्टी रूल की बात जबकि फासिस्ट इटली से पैदा हुई तो उसके पैदा होने के साथ-साथ यह भी एक उसूल आखिर हमारे सामने आया कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक ही पार्टी होती हो उस पार्टी के सामने किसी प्रकार की राजनैतिक पार्टियां भी बहुत हो सकती हैं अथवा नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रश्न रूस के सामाने आया, इसलिये नहीं आया कि रूस ने कभी किसी राजनैतिक पार्टी की सत्ता स्वीकार की। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। आप रूस में ही देख लीजिये कि २० करोड़ या १९ करोड़ की आबादी में केवल ८० लाख व्यक्ति ऐसे हैं, पहले ६० लाख कहे जाते थे, अब बढ़ करके ८० लाख हो गये हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं और रूस में ऐसी कोई पार्टी नहीं है, भले ही सपने में, हवा में हम कह सकें जिसको हम राजनीतिक पार्टी कह सकें। मार्क्स ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसको स्टालिन ने बदल दिया वह था कल्चरल नेशनलिज्म। कितना बड़ा उत्पात रूस में हुआ और हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो काम हुआ और अब भी होता जा रहा है। जैसी हत्यायें और जैसे विघटन होते हैं उनकी ओर अगर माननीय मित्र ध्यान दें तो उन्हें मालूम होगा कि वहां केवल जोर इस बात पर है कि न तो कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी जायज है और न जायज मानी जायगी और न अन्य किसी प्रकार की विचारधारा को वे प्रश्रय देंगे। अब जो लोग समाजवादी विचारधारा

में विश्वास करते हैं वह कहते हैं कि कांग्रेस प्रजातांत्रिक उसूलों को नहीं मानती, लेकिन प्रजातंत्र की जिस प्रकार की भी व्याख्या होती होगी, बहुमत, अल्पमत, फ्रेंचाइज़ जिस प्रकार की होती होगी। उसमें एक चीज स्पष्ट है और वह यह कि स्वाधीनता विचारों की होनी चाहिये। जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी की एग्ज़िक्यूटिव कमेटी ने बम्बई में फैसला किया कि शान्तिमय आंदोलन होना चाहिये। तो अगर शांतिमय आंदोलन होगा तो ऐसी कौन सी सरकार होगी जो उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। न उनको बन्द करेगी और न सजा ही करेगी चाहे वह समाजवादी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो। लेकिन जिस समय कि यह प्रयत्न होगा कि राजनीतिक के मूल में कुठाराघात हो, राजनीतिक स्वाधीनता के नाम पर राज्य को छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न हो, जिस समय यह प्रयत्न किया जायगा कि असंतोष की आग पैदा करके देश को बरबाद कर दिया जाय कम्युनिज्म के प्रचार के लिये, उस समय ऐसे राजनीतिक दल को मानना, उसकी सत्ता को प्रश्रय देना देश के लिये घातक होगा।

यदि मैं अपने मित्रों से पूछूं कि यदि रूस में या किसी देश में किसी प्रकार के पोलिटिकल प्रिजनर की कल्पना है भी और वहां पोलिटिकल प्रिजनर होते भी है, चीन के बारे में कई बार उदाहरण दे चुका और माननीय मित्र नाराज़ होते हैं। लेकिन स्वाधीनता का सबसे बड़ा अपहरण विशेषकर विद्यार्थी वर्ग और अध्यापक वर्ग में अगर कहीं होता है तो चीन में होता है। मैंने आंकड़े पेश किये थे और उन्हें गलत साबित करने की चेतावनी दी थी, कि इतने आदमी गोली से उड़ा दिये गये इसलिये कि वे अध्यापक थे और विद्यार्थी थे और वह राजनीतिक में भाग लिया करते थे। इस प्रकार की स्वाधीनता तो हमने दे रखी है और अपने स्वाधीनता के शैशवकाल में, अपने स्वराज्य के बचपन में हमने जो अधिकार दे रखे हैं उसके लिये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी यह फैसला करेगी कि वह कहां तक देश के लिये उचित है।

मैं देखता हूं कि राजनीतिक बंदियों की स्वाधीनता कम्युनिस्टों के दिमाग में आती है। मैंने भी जेल में जाकर कम्युनिस्ट राजबंदियों का मुकाबिला किया है और उनके झगड़ों का भी निपटारा करने में भी थोड़ा बहुत हाथ बटाया है और मैं देखता कि प्रोलेटेरिएट प्रिजनर्स ऐसे हैं जो इस पर खास तौर से जोर देते हैं कि हम फलां टूथ पाउडर ही लेंगे या फलां ब्रुश ही काम में लायेंगे। इस प्रकार के राजनीतिक बंदियों को विशेषाधिकार देकर न तो प्रजातंत्रवादी देश में काम चल सका है और न चल सकेगा।

फ्रांस ने इस संबंध में कुछ प्रयोग करने की चेष्टा की थी और आज माननीय झारखंडे राय जी की जानकारी के लिये मैं उनको सूचना देना चाहता हूं कि फ्रांस में राजनीतिक बंदियों की जो भी प्रथा रही हो उसको उस सरकार ने जिसका नाम कम्युनिस्ट सरकार था और जो महायुद्ध के बाद फ्रांस में बनी थी उसने खत्म कर दिया। उनको इस चीज़ का अध्ययन अवश्य करना चाहिये। यह तो हमेशा से कम्युनिस्ट पार्टी की चेष्टा रहती है कि स्वधीनता प्राप्ति के पूर्व जिन अधिकारों के लिये आंदोलन करना उनको अपने शासन काल में हड़प लिया जाना। आज एक बदकिस्मती की बात है कि दुनिया में जहां पर कम्युनिस्ट आंदोलन हुआ है वहां उसकी सफलता के बाद न जाने क्यों उस आंदोलन के करने वालों का विशेषकर हनन होता है। एक श्रीमन् विचित्र बात है, इतिहास उठा कर देख लें, जहां कम्युनिस्ट राज्य बने, आज उनमें से कितने प्रधान मंत्री जीवित हैं, वर्तमान हैं। एक उसूल समझा जाता है कि जो आदमी अपने देश में रहकर अपने देश के प्रति विद्रोह कर सकता है, उस आदमी के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं कर सकता, यह कम्युनिस्ट संस्था का भीतरी मंतव्य है और इसको वे धीरे-धीरे पूरा करते हैं। मैं माननीय झारखंडे राय जी को इस खतरे के प्रति आगाह कर देना चाहता हूं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)——मान्यवर, जो इस समय सदन के सम्मुख उत्तरप्रदेश राजबन्दी विधेयक प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में मेरे बहुत से सम्मानित मित्रों द्वारा साम्यवाद की व्याख्या, समाजवाद की व्याख्या तथा और कई एक प्रकार की व्याख्याएं सुनने को मिलीं। मुझे उन व्याख्याओं की तरफ नहीं जाना है, किन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक है यह बिल्कुल निरर्थक है और अनावश्यक है। कहा यह भी गया कि चूंकि यह विधेयक एक कम्युनिस्ट सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इस वास्ते इसका घोर विरोध हो रहा है, यदि और किसी सम्मानित सदस्य के द्वारा प्रस्तावित होता तो इसका विरोध नहीं होता। मुझे तो इस बात को सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ, एक कम्युनिस्ट सदस्य के द्वारा ही नहीं बल्कि किसी भी सदस्य के द्वारा यदि कोई ऐसा अनावश्यक विधेयक आता है, तो मैं समझता हूं कि सदैव ही सदन उसका विरोध करेगा। मैं नहीं समझ पाता कि आज राजबन्दी शब्द की गुंजायश हमारे इस स्वतंत्र देश के अन्दर कहां पर मिलती है। अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार राजबन्दी शब्द का जहां तक मैं अर्थ लगा पाता हूं तो मेरे यही समझ में आता है कि यदि सामन्तशाही या साम्राज्यशाही देश के अन्दर विद्यमान हो और उसका इतना अत्याचार प्रजा पर बढ़ गया हो कि प्रजा उसको बरदाश्त न कर सके, तब प्रजा की आवाज किसी राजनैतिक पार्टी के रूप में उस सामन्तशाही या साम्राज्यशाही को उखाड़ने के लिये उठती है, और उस समय उन लोगों का जो आवाज उठाते हैं दमन किया जाता है, तो उनको हम राजबन्दी कह सकते हैं। जहां तक इसका अर्थ अपनी बुद्धि के अनुसार मैं समझ पाता हूं यही होना चाहिये।

जब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका और हमारे त्यागी, तपस्वी, मंजे हुये, प्रखर बुद्धि नेताओं द्वारा हमारे संविधान का निर्माण भी हो चुका और उसी संविधान में विश्वास रखते हुये कार्य करने की शपथ ले करके ही हम लोग इस सदन के अन्दर शासन को चलाने के लिये अधिकार पाये हैं, तो मैं उसी संविधान के द्वारा जब विचार करता हूं तो मेरी समझ में यह आता है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र रामनरेश शुक्ल जी ने भी कहा, कि आन्दोलन की आवश्यकता ही नहीं रहती। यह बात सत्य है और मैं इसकी पुष्टीकरण करता हूं कि कोई भी राजनैतिक पार्टी यदि यह समझती है कि शासन अच्छा नहीं चल रहा है, सुव्यवस्थित नहीं है और हमें इसको उखाड़ना है तो फिर उसके लिये पूरा का पूरा बल जनता के हाथ में है। उन राजनैतिक पार्टियों को चाहिये कि वह अपने उद्देश्य और सिद्धान्तों को प्रजा के अन्दर पूर्ण परिश्रम करके फैलायें और उनको समझायें, यदि प्रजा उनसे सहमत हो जाती है तो हर पांचवें साल एलेक्शन होता है और एलेक्शन के द्वारा हम लोग यहां आते हैं, जो भी दल बहुमत में आयेगा वही शासन के लिये अपनी मिनिस्ट्री बनायेगा। ऐसी स्थिति में कोई राजनैतिक आन्दोलन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। राजनैतिक आन्दोलन की आवश्यकता तो तभी रहती है जब कि हमें मौका ही न मिले। जैसे किसी पार्टी अथवा व्यक्ति के हाथ में शासन शक्ति एक बार आ जाय और फिर उसके हटाने की कोई गुंजायश न रहे तब इसकी आवश्यकता पड़ती है कि हम ऐसा करें।

अब हम इस बात पर आते हैं कि इस जगह पर राजनैतिक आन्दोलन की व्याख्या क्या की गयी है? उसमें हमारे माननीय उपाध्याय जी ने अधिक जोर अध्यापक वर्ग के सम्बन्ध में दिया, जैसा कि परिभाषा के अन्दर हमारे माननीय झारखंडे राय जी ने कहा भी है——"राजनीतिक पार्टी का सदस्य रहा हो और प्रदेश के किसी मजदूर, किसान, विद्यार्थी अथवा अन्य किसी सामूहिक आन्दोलन के सिलसिले में तो अन्य किसी सामूहिक आन्दोलन का जहां प्रश्न उठता है, यह एक बड़ा विस्तृत और अहम प्रश्न है। इस पर हमारे मित्र रामकुमार जी शास्त्री और सुल्तान आलम खां साहब ने भी समझाया है और यह बात सही भी है कि जब हम अध्यापकों, पटवारियों और मजदूरों को लें तो वह राजनैतिक आन्दोलन नहीं हो सकता। इसे अगर कर्मचारी आन्दोलन कहा जाय तो

अच्छा होगा। इस तरीके के आन्दोलन को राजनैतिक आन्दोलन की व्याख्या देना, जो अपने पेट के प्रश्न को लेकर किया जाय, कहां तक सही है? यह तो राजनैतिक आन्दोलन समझ में आता नहीं।

जेलों में सुविधाओं के सम्बन्ध में माननीय झारखंडे राय जी ने बेत, हथकड़ी, चक्की और कोल्हू वग़ैरह के सम्बन्ध में जोर दिया। हमारी सरकार के सामने यह प्रश्न पहले से ही मौजूद है और जेलों के सुधार के लिये बहुत ही उचित क़दम उठाये जा चुके हैं और उनकी ओर हम दिन पर दिन अग्रसर भी होते जा रहे हैं। अगर कोई नयी बात कही गई होती तो वह मानने के लायक भी होती।

हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने तो यहां तक कह डाला कि हिंसा का एकमात्र प्रतिरूप कांग्रेस ही रह गई है और यह उन्होंने बड़े गर्वित शब्दों में कहा है। मुझे तो इस बात को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस हिंसक है। यदि ऐसा होता तो आज सूबे में जहां ६ १/२ करोड़ की आबादी है और जिसका १/४ हिस्सा जमींदारी प्रथा से सम्बन्धित था उन्हें मुआविज़ा न दिया होता। लेकिन अहिंसा का पालन करने के लिये ही उन्हें मुआविज़ा देकर जीवित रक्खा जा रहा है। तो ऐसा कौन सा क़दम कांग्रेस ने उठाया जिसके कारण बड़े जोर से छाती पकड़ कर उन्हें यह कहना पड़ा कि कांग्रेस हिंसक है?

जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस विधेयक के पास करने में कोई लाभ नहीं है। जैसा कि और माननीय सदस्यों ने भी बताया, वास्तव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अन्य सामूहिक आन्दोलन की आड़ में, जैसे डाकू, चोर और बदमाश, इन्हें मौका मिलेगा कि वे अपना काम आजादी से कर सकें। वे लोग सारे सूबे में फैले हैं और वे एक संगठन बना लेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमारा जेल जाना भी राजनैतिक आन्दोलन है। मेरे ही जिले में ऐसा एक केस है। माननीय झारखंडेराय जी यदि चाहें तो मैं उस व्यक्ति का नाम भी बता सकता हूं क्योंकि यहां नाम लेना उचित नहीं है। आर० एस० पी० के अन्दर एक फर्स्ट क्लास हिस्ट्रीशीटर सम्मिलित कर लिया गया। जब वह जेल में भेजे गये तो बाद में मेरे पास आये और बोले कि आप मेरी हिस्ट्री-शीट कटवा दीजिये तो मैं कांग्रेस में आ जाऊं। इसलिये इस बिल से गुंडागर्दी को निस्सन्देह प्रोत्साहन मिलेगा। अतएव मैं आशा करता हूं कि भवन इस बिल को पास नहीं करेगा।

श्री शिवराम राय (जिला आज़मगढ़)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय झारखंडे राय जी के अधिनियम का विरोध करता हूं। अभी सदन के अन्दर बहुत से व्याख्यान हुये हैं। हमारे विद्वान् साथी माननीय परिपूर्णानन्द जी ने अपने व्याख्यान द्वारा हमारे विरोधी पक्ष के सभी साथियों के दिमाग़ पर छाये हुये कोहरे को साफ़ करने में काफ़ी काम किया है। परन्तु जैसी कि उन लोगों की आदत है कि वह समझें कुछ भी, मन में कुछ रखते हों, लेकिन मुंह से कुछ कहते हैं। वह अपनी बात से बाज नहीं आयेंगे और कुछ न कुछ कहते रहेंगे।

मैं आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि अपने देश के अन्दर जब से स्वराज्य मिला है तभी से राजनैतिक आजादी के बाद सामाजिक और आर्थिक आजादी की तरफ हमने अपना कदम उठाया है। इसके तर्क में मैं यह बतला सकता हूं कि जितनी सरकारी योजनायें चालू की गई हैं वह इसकी प्रतीक हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक आधार लेकर यहां पर बड़े-बड़े बिजली के कारखाने, हवाई जहाज, समुद्री जहाज और बड़े-बड़े बांध बांधे गये हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कि हम सामाजिक और आर्थिक आजादी की तरफ नहीं बढ़े हैं, सर्वथा निर्मूल है। लेकिन जब हम विरोधी पार्टी के लोगों की बातों को सुनते हैं तब हमें आश्चर्य होता है, क्योंकि उनकी गतिविधि दूसरी तरह की है।

[श्री शिवराम राय]

एक तरफ तो वह यह कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जेलों के अन्दर राजनैतिक बंदियों के लिये एक अलग क्लास रखा जाय। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। एक तरफ राजनैतिक बंदियों के लिये अलग क्लास का मांगना और दूसरी तरफ वर्गहीन समाज की स्थापना की बात कहना कुछ जंचता नहीं है। उनका कहना क्या है और करना क्या है।

यह ज़रूर है कि हम वर्गहीन समाज की स्थापना करेंगे। जो कुछ भी हमने किया है जैसे ज़मींदारी ख़त्म की, राजा महाराजाओं को समाप्त किया और भी बहुत से हमारे काम हैं जिनके बल पर हम कह सकते हैं कि हम वर्गहीन समाज की स्थापना कर रहे हैं और महात्मा जी की सारी बातों का हम अक्षरशः पालन करेंगे। हमारे यहां जो असमानता है उसको हम दूर करके शान्ति और अहिंसा के संदेश को कार्यरूप में परिणत करेंगे। हमारे यहां जितने काम हुये हैं वह सब ऐसे ही हैं।

अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जो हमारे जिले के ही रहने वाले हैं, वह प्रजा पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने श्री झारखंडे राय जी के कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश की है। उन्होंने उनका अनुमोदन किया है। समाजवादी पार्टी के काम में और उनके और तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिये वह झारखंडे राय जी के नजदीक हुये क्योंकि अभी उनका (झारखंडे राय) इब्तदाई इश्क है। इससे पहले वह आर० एस० पी० में थे और उस वक्त उन्होंने कम्युनिज्म का प्रयोग किया था, कहने के लिये तो ये (माननीय रामसुन्दर पाण्डेय) प्रजा पार्टी में हैं और उनके एक दो साथी भी। उनके बारे में मैं कहा करता था कि इनको तो कम्युनिस्ट पार्टी में होना चाहिये क्योंकि इनकी सब कार्यवाही कम्युनिस्ट पार्टी जैसी है। फिर समाजवादी पार्टी का नाम लेना मैं समझता हूं कि ग़लत है, लोगों को धोखा देना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन को बतलाना चाहता हूं कि जो ग़लत कार्यवाही माननीय सदस्य की ओर से जिला आजमगढ़ में की जा रही है, यदि मुझे अवसर दिया जाय तो मैं एक-एक करके बतलाने को तैयार हूं। वह उनका पेशा होगया है कि कहने के लिये कुछ कहेंगे और करने के लिये कुछ करेंगे। यदि कोई अधिकारी उनकी बात नहीं माने तो वह उसके खिलाफ बगावत करते हैं। यही नहीं मंत्री महोदय के नाम का भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे मंत्री महोदय समझते हैं कि यह अल्पमत में हैं और इनकी पार्टी नगण्य है, इसलिये इनकी बात सुनकर सामंजस्य स्थापित करें। वह समझते हैं कि इस तरह से विरोधियों को संतुष्ट कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य विधेयक पर आ जायं। वह क्या समझते हैं इस पर विशेष जोर न दें।

श्री शिवराम राय-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर बिल्कुल आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--ज़रा विषयान्तर हो गया था।

श्री शिवराम राय--तो अभी जैसा कि मैं कह रहा था कि इस तरह की कार्यवाही करना, ग़लत आदमियों को पार्टी में शामिल करना, लोगों में ग़लत धारणायें फैलाना, जैसे लोगों से यह कहना कि श्री विनोबा जी ने कहा है कि ज़मीन का बटवारा होगा और ज़मीन का बटवारा करने के लिये तुम खेतों पर क़ब्ज़ा कर सकते हो, जो मौक़े के खेत हों उन पर क़ब्ज़ा कर लो........

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य से मैं फिर एक दफा बता देना चाहता हूं कि इससे कोई सम्बन्ध बिल का नहीं है।

श्री शिवराम राय--जी अच्छा, तो ऐसे ही लोगों को जो इस तरह की कार्यवाही करते हैं, जिन्होंने क़त्ल किया, ग़लत रास्ता अख्तियार किया, जिनका पेशा है खूनखराबी करना, हमारे संविधान के विपरीत चलना, हमारे देश में महात्मा जी ने सन् २१ से लेकर जब तक वह जिन्दा रहे जिस तरह से राजनीति में उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करके यह साबित करके दिखला दिया कि हमारा देश कम्युनिज्म के बिलकुल विरुद्ध है या और तरीकों के विरुद्ध है, उन्होंने एक रास्ता हमको दिखा दिया जिस पर हम लगातार चलते हैं, उस रास्ते के विरुद्ध चलने के लिये देहात के लोगों को जो लोग भड़काते हैं ऐसे लोगों को वह चाहते हैं कि राजनीतिक बंदी बनाया जाय। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ग़लत बात होगी। फिर मैं अपने विरोधी पार्टी के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने जो रास्ता आपको दिखाया है वह बहुत काफी अच्छा है और उससे आपको बहुत काफी सबक मिलेगा, आपको उसको सीखना चाहिये, यहां रहकर ऐसा न हो कि आप कहीं के कहीं चले जायं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोज़र मूव करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह (ज़िला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, क़ैदी लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाय इस सम्बन्ध में यह विधेयक है और इसी सम्बन्ध में मैं अपनी राय रखना चाहता हूं। गृह मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे कि जो लोग जेलों में जाते हैं उनके साथ सरकार की कोई यह ख्वाहिश नहीं रहती है कि बदला लिया जाय और यदि यह बात स्वीकार है कि उनके साथ बदला नहीं लिया जाता है तो चाहे वे राजबन्दी हों, चाहे वे साधारण क़ैदी हों उनके लिये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि वे जेलखाने से बाहर निकलने के बाद अपने को इस लायक़ बना सकें कि साधारण नागरिक के जो कर्तव्य हैं देश में उस प्रकार से अपनी जिन्दगी को वे चला सकें। अब एक प्रश्न यह अवश्य उठता है कि क़ैदी किस उद्देश्य से जेलखाने में जाता है, क्या अपराध उसके ऊपर है। अपराध दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो अपराध वह है जो साधारण तौर पर आदमी मजबूर होकर करता है या कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो अपनी आदत से मजबूर हैं वे कुछ ऐसी कार्यवाही करते हैं जो समाज विरोधी कही जा सकती है और उनको चाहे हम अख़लाकी क़ैदी कहें, चाहे क्रिमिनल कहें, चाहे साधारण अपराधी कहें, जो भी नाम दें उनको हम इस श्रेणी में गिनेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो समाज की व्यवस्था को ऐसा समझते हैं कि उससे अपराध करने की प्रवृत्ति जगती है और अपराधी अधिक संख्या में उससे पैदा हो सकते हैं। उसका कारण यह हो सकता है कि हमारे देश की जो आर्थिक अवस्था है उसमें ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं जिन्हें सभ्य संसार अपराधी समझता है और इसलिये उसको दूर करने के लिये वे उसी तरह के कार्य करें। वे वह समझते हैं कि उनकी यह मांग न्यायोचित होगी और अगर वे ऐसा करेंगे तो समाज में ऐसी अवस्था आ सकती है जब कि अपराधी लोगों की संख्या न बढ़े।

इसके लिये दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि वे शान्तिपूर्वक आन्दोलन करें, लेख लिखें, भाषण दें, चुनाव लड़ें। लेकिन दूसरा तरीका भी हो सकता है। श्रीमन्, यह बात तो संसार में सर्वमान्य है कि संसार में दो तरह की विचारधारायें हैं

[श्री गेंदा सिंह]

एक प्रकार के लोग तो महात्मा गांधी के विचारों से ओत-प्रोत हैं। वे कहते हैं कि हम मिट जायंगे लेकिन किसी के ऊपर अपना हाथ न उठायेंगे। लेकिन संसार में इस तरह के विचार वालों की भी कमी नहीं है जो महात्मा जी के विचारों से मतभेद रखते हों, जो महात्मा जी, बुद्ध और ईसा के सिद्धान्तों को आधे रूप में तो मानते हों कि देश में समता होनी चाहिये लेकिन वे यह भी कहते हैं कि देश के हित के लिये अगर मारकाट की जरूरत पड़े तो मारकाट भी करो। लोगों को दुःख है, वे पाप करने के लिये मजबूर होते हैं। तो उन लोगों की आर्थिक स्थिति को बदलने के लिये वे दो एक को मिटा देना अच्छा समझते हैं। वे यह सोचने लगें कि शान्तिपूर्वक बदलने की कार्यवाही नहीं हो सकती और उस स्थिति को बदलने के लिये वे स्वयं मरने मिटने को तैयार हों। लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरों को भी मारने और मिटाने के लिये तैयार हों। तो उनके साथ भी सरकार को बदला लेना उचित नहीं है क्यों नहीं उनके साथ साधारण कैदी का सा व्यवहार होता? आखिर वे भी तो कैदी हैं। क्यों नहीं सरकार उनको मनोवैज्ञानिक रूप से यह समझाने की कोशिश करती जिससे वे अपने उन विचारों को बदल सकें कि देश की बुरी स्थिति को सुधारने के लिये कुछ लोगों को मारना ही होगा चाहे खुद ही क्यों न मर जाना पड़े। सरकार को मनोवैज्ञानिक रूप से उनको समझा कर और परिस्थिति को दूर करके उनके इन विचारों में परिवर्तन लाना चाहिये। बजाय इस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप से काम करने के सरकार उनके साथ साधारण कैदियों सरीखा बरताव भी नहीं करती है, मेरी समझ में नहीं आता कि यह कहां तक उचित है। और खास तौर से हिन्दुस्तान की सरकार के लिये तो यह बिल्कुल ही उचित नहीं है।

माननीय परिपूर्णानन्द जी उस सरकार को बहुत नीचे घसीट लाये और उन्होंने हिन्दुस्तान की सरकार की तुलना रशिया की सरकार से कर दी। चूंकि यह प्रस्ताव झारखंडेराय जी की तरफ से आया था इसलिये उन्होंने कहा कि तुम अपनी रशिया की तरफ क्यों नहीं देखते हो, वहां की सरकार अपने से विरुद्ध के विचार वालों को टिकने नहीं देती। वहां कोई राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की सरकार रशिया की सरकार का अनुकरण करे और मैं समझता हूं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी इससे इनकार करेंगे और हिन्दुस्तान की सरकार को उस श्रेणी में नहीं रखेंगे। हिन्दुस्तान की सरकार तो विरोधियों को हर तरह की स्वतंत्रता देना चाहती है, भाषण आदि के स्वतंत्रता के अतिरिक्त वह उसका जो सबसे बड़ा आदमी है उसको भी अपदस्थ करने का अवसर देना चाहती है। और उसके लिये कोई इस प्रकार की चेष्टा करता है कि कोई राजनैतिक प्रतिद्वन्दी हमारी सरकार का हो तो वह उसके साथ बदला ले, इस बात के लिये माननीय परिपूर्णानन्द जी का सरकार को उकसाना कुछ उचित नहीं है। हिन्दुस्तान की सरकार की मनोवृत्ति क्या ऐसी हो गयी है कि वह अपने राजनैतिक विरोधियों का दमन करने में रूस का अनुकरण करती है? आर्थिक व्यवस्था के बारे में अध्यक्ष महोदय मैं कतई नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इस विधेयक से उसका कोई संबंध नहीं है, दूर का संबंध हो सकता है और उस पर बहुत लम्बे-लम्बे भाषण हो सकते हैं और उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिये घंटों समय चाहिये। मैं केवल इसी प्रश्न तक अपने को सीमित रखता हूं और मैं समझता हूं कि हमारे देश में महात्मा गांधी जी ने जो एक ऊंचा स्थान रखा था, महात्मा गांधी की तपस्या से इस सिंहासन पर बैठने वाली सरकार को भी उस ऊंचे स्थान को अपने ध्यान में रखना है। मैंने यह निवेदन किया अध्यक्ष महोदय कि यह तो राजनैतिक बंदियों की बात हुई लेकिन आज ही सुबह माननीय गृह मंत्री जी ने जो अपने भाषण में कहा था कि इस प्रकार का एक वर्ग बना देना यह उचित नहीं होगा तो यदि मुझे ठीक स्मरण है तो इसी साल के बजट में जो हमारे सामने पेश हुआ था उसमें राजबंदियों को सहायता देने के लिये राजबंदियों के नाम पर कुछ रकम रखी गयी है। तो हमारी सरकार को कम से कम अपने कहने और करने में अन्तर तो न होना चाहिये। तो

उन्होंने एक राजबंदियों की श्रेणी रखी है। मैं नहीं जानता, माननीय गृह मंत्री जी ही बतला सकते हैं वह राजबन्दियों की जो श्रेणी रखी गई है या उनके नाम पर जो कुछ रकम रखी गयी है वह किस प्रकार के लोगों के लिये रखी गयी है और इसको किस तरह से व्यय करने की इच्छा सरकार की है।

जेलखानों की आज जो व्यवस्था है, उसके संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे यह फख्र हासिल है और मैं यह अपना गौरव मानता हूं कि हम आपके पीछे चलने वाले, जब कि कांग्रेस आन्दोलन चलता रहा उस समय भी मैं था। कुछ ऐसी बातें आयीं जिसके कारण हमें यह मालूम हुआ कि लाखों आदमियों के ऊपर एक बड़ा भारी अन्याय हो रहा है और कुछ लोगों ने उसके लिये पहले आवाज लगायी और आवाज लगाने के बाद कुछ ऐसा मालूम हुआ कि जो कुछ भी कहा जा सकता हो, दरख्वास्त दी जा सकती हो, सारी बातें करके सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ और कुरबानी करो। सरकार के नाम पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये अगर अपना विचार प्रकट किया जाय तो उसमें शासन यंत्र को उलटने की कोई बात नहीं होती। अगर शासन यंत्र को उलटना ही होगा तो वह तो ५ वर्ष के बाद मौका आयेगा जब कि चुनाव लड़ कर शासन यंत्र को उलटने की बात की जा सकती है। लेकिन जिस वक्त हम मजबूर हों कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ कुरबानी करें और यह भी हो सकता है कि जेलखाने जाने की नौबत आये तो यहां कुछ चर्चा जेलखानों की की जाय तो संभव है कि इस सरकार का ध्यान जल्द आकर्षित हो। इसलिये हमें यह करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय इस सरकार के शासनारूढ़ होने पर मुझे कुछ दिनों तक जेलखाने में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसका यह असर है, इस बात की छाप मेरे ऊपर है कि मेरे साथ जो तीन चार सौ और आदमी थे उनके साथ कुछ बदला लेने की मनोवृत्ति सरकार की थी। चाहे मंत्रिमंडल इसके लिए कुछ भी कहे लेकिन मैं निर्दोष हूं इस मामले में। मैंने उस समय के माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को कई पत्र लिखे और उन पत्रों में जेलखाने की चर्चा की कि जेलखाने में हमारे साथ क्या व्यवहार होता है लेकिन उस पर कोई रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मुझे कहने में बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय जब-जब मैं जेलखाने भेजा गया, अपनी बात हो जाती है और उसके कहने में कुछ संकोच भी लगता है लेकिन यह उदाहरण सबसे अच्छा है कि मैं अपनी भुगती हुई बात कहूं। आपके साथ रहने और इस प्रान्त के सबसे ऊंचे लोगों के साथ रहने का अवसर अंग्रेजी हुकूमत ने दिया। लेकिन इस हुकूमत ने यही मुनासिब समझा कि हमको सी श्रेणी में रक्खा जाय। यह जरूर किया गया कि जब गुप्ता जी देवरिया गये तो उन्होंने जिलाधीश से पूछा कि तुमने किस श्रेणी में रक्खा है तो वहां जो जिलाधीश श्री दुबे थे मालूम नहीं उन्होंने क्या जवाब दिया। लेकिन ४,६ दिन के बाद यह आर्डर आया कि मेरे साथ सुपीरियर क्लास का ट्रीटमेंट किया जाय। मैं १५, २० दिन तक जेलखाने में रह चुका था और अपने साथियों के साथ था और ऐसे साथी थे जिनका सोशयल स्टेटस मुझसे कहीं अधिक था और जिस तरह लोगों को जेलखाने में रखने के लिये क्लासिफिकेशन होता है उस हिसाब से वह मुझसे पहले सुपीरियर क्लास में रक्खे जाने चाहिये थे। मैं चाहता कि मुझे किसी तरह से नहीं जाना चाहिये उदाहरणस्वरूप अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको आपके सम्मुख रक्खा कि इसमें बदला लेने की मनोवृत्ति नहीं थी तो क्या थी। झारखंडेराय जी जेल गये थे और असेम्बली के मेम्बर चुने जाने के बाद उनको सजा हुई और उनको सी क्लास में रक्खा गया। सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई कि माननीय झारखंडेराय जी के साथ न्याय होना चाहिये लेकिन मुझे स्मरण पूरे तौर से नहीं है, माननीय झारखंडेराय जी स्वयं बतलायेंगे कि उनके साथ क्या सलूक हुआ। मैं यह समझता हूं कि मेरा और झारखंडेराय जी का ही अकेला केस नहीं है। समूचे देश में जब कैदी कैद होकर जाता है तो बाहर उसके क्या विचार रहे इस बात को सरकार को भूल जाना चाहिये और उसके साथ कि वह जेलखाने का कैदी है उस कैदी की अवस्था को देखकर व्यवहार होना चाहिये। सरकार अगर जेलखाने में डाल कर बदला

[श्री गेंदा सिंह]

लेने की मनोवृत्ति रक्खे तो यह बड़ा भारी पाप है और मैं समझता हूं कि इस पाप से उस कैदी के मन में बदला लेने की भावना उत्पन्न हो सकती है। सरकार को सुदृढ़ बनाने के लिए, शासन यंत्र ठीक तरह से चलाने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि कैदियों के साथ अनाचार न हो। कैदियों के मन में यह भावना उत्पन्न न हो कि जब हम जेलखाने में जाते हैं तो हमें इस चहारदीवारी के भीतर रख कर सरकार हमारे जज्बात को कुचलना चाहती है। यह भावना अगर उसकी होती है तो हमेशा तो वह चहारदीवारी के भीतर रहता नहीं, चहारदिवारी के बाहर भी आयेगा और कितने ही कैदी बदला लेने की मनोवृत्ति से बाहर आये हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने इससे सबक सीखा कि जो लोग जेलखाने गये वह बदल कर नहीं आये। इस सदन में, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग जो बैठे हैं उनमें से अधिकांश वही हैं। तो मैं समझता हूं कि बदला लेने की भावना से आदमी का सुधार नहीं हो सकता, आदमी का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं किसी हद तक हृदय परिवर्तन का कायल हूं। हृदय परिवर्तन तभी हो सकता है जब कैदी जो जेलखाने में जाय वहां सरकार को उसका हृदय परिवर्तन करने का एक अच्छा अवसर मिलता है। वहां उसके मन पर यह असर न पड़े क्योंकि हमने सरकार का विरोध किया है इसलिये सरकार हम पर यह जुल्म करती है। अगर यह विचार उसके मन में आयेंगे तो बुरा होगा। इस समय मैं आपसे निवेदन करूं कि अर्जुन सिंह को कौन नहीं जानता। अर्जुन सिंह की श्रीमती सरला देवी को माननीय गृह मंत्री जानते होंगे। मेहतरों की हड़ताल के सिलसिले में वह पकड़ लिये गये और पकड़े जाने के बाद ७, ८ दिन उन्होंने भूख हड़ताल की और इसके बाद उनको इटावा जेल से सफर करने के लिये मजबूर किया गया इलाहाबाद या नैनीजेल में उनको रखने के लिये। यह ठीक है कि सरकार जिस कैदी को जिस तरह से चाहे रक्खे लेकिन हिन्दुस्तान की इस सरकार और यू० पी० की इस सरकार से जिसके गृह मंत्री माननीय सम्पूर्णानन्द जी हैं उनसे मैं यह निवेदन करता हूं कि उनको अपनी पिछली बातों को भूल नहीं जाना चाहिये। जब हमारे एक नेता जेलखाने में रहे और उस समय जो हमारी मनोभावना थी उसको कभी कभी याद कर लेना चाहिए। मेरी जो सही फीलिंग्ज़ और सही भावनायें हैं मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं चाहे वह प्रस्ताव माननीय झारखंडेराय जी की तरफ से आये चाहे किसी दूसरे की तरफ से। हमारे देश का कोई आदमी अगर एकसही बात कह देता है तो उस सही बातको जज करने की आदत हमारी नहीं है बल्कि उस आदमीको हम जज करने लगते हैं। वह कोई आदमी भी हो सकता है। हमें उस आदमी को जज नहीं करना चाहिये बल्कि जो बात वह आदमी करे उस बात को जज करना चाहिये और इस बात पर विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो लोग जेलखाने में जाते हैं वे सब एक ही क्लास में जायें। अगर ऐसी बात नहीं हो सकती तो श्रेणी विभाजन हो जाना चाहिये। उस में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो दूसरी तरह के लोग हों जो कि देश में आर्थिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हैं और उनका जेलखाने में आ जाने की नौबत पड़ जाती है तो उनको इतनी सहूलियत अवश्य दी जाये कि वह अपने विचारों को परिपक्व कर सकें। मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को अपने विचारों को परिपक्व करने का पूरा-पूरा अधिकार मिलना चाहिये ताकि वह बाहर निकल कर सामाजिक विरोध की भावना को दबा सकें और तभी हम ठीक तरह से अपने शासन को चला सकेंगे और अपने शासन को उलटने से बचा सकेंगे।

श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय झारखंडेराय जी की तरफ से जो विधेयक आज उपस्थित हुआ है उस पर बहस हो रही है। बहस काफी देर से चल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसी बहस में दोनों तरफ से जो वाद विवाद हुआ और उस पर जिस गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये उस गम्भीरता के साथ मैंने विचार किया। मैं थोड़ा समय लेता हुआ एक वकील की हैसियत से २,३ बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

पहली बात तो कानून है। मैं गवर्नमेंट को यह बता देना चाहता हूं कि यह मुमकिन है कि झारखंडेराय ने जो विधेयक रखा है वह शुद्ध नीयत से रखा हो।

लेकिन हम उसे इस नीयत से नहीं ले सकते। आज कल देश में हर जगह स्ट्राइक चल रहे हैं हर जगह सत्याग्रह हो रहे हैं, ला एन्ड आर्डर को मैनटेन करना जो कि गवर्नमेंट का परम कर्त्तव्य है, उस के विरोध में काफी हल चल मची हुई है। हमें डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस विधेयक के पीछे कोई षडयंत्र छिपा हुआ हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस विधेयक को पेश कर के गवर्नमेंट के ऊपर हमला शुरू कर दिया जावे। सरकार की ओर से इन सत्याग्रहों और हड़तालों को खत्म करने के लिए हर मुमकिन तरीके से जो कोशिश की जा रही है उस में बाधा पहुंचायी जाय। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह उस बाधा का एक प्रिपेरेशन है। आज हमारे प्रान्त में एक गड़बड़ी मची हुई है और सरकार मुसीबत में है इसलिये यह विधेयक इस समय पर बिलकुल अनुचित है और एक सत्याग्रह आफेंसिव का प्रतीक है। यह तो एक काशन था जिसे मैंने सर्वप्रथम आपको दिया।

अब एक बात और है। जिस वक्त हम इस विधेयक पर बहस करते हैं हम यह भूल जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं हम तुलना करते हैं आज के सत्याग्रहों की कांग्रेस के सत्याग्रहों से। हम उस वक्त की तुलना आज से करने लग जाते हैं। मैं आपसे बताता हूं कि हमारे बहुत से मित्र ऐसे हैं और उन्हें मैं जानता हूं जिन्होंने उस समय भी यह मत दिया कि जेलों में वर्गीकरण नहीं होना चाहिये। वह कहा करते थे कि इस तरह का क्लासीफिकेशन ए० बी० सी० वगैरह बहुत खराब बात है और सी क्लास वाले तो विशेषकर नाराज थे कि इस तरह का विभाजन नहीं होना चाहिये। उस वक्त बहुत से लोग इसे बुरा कहते थे। तो जिस वक्त आज हम तुलना करते हैं उस वक्त हम यह भूल जाते हैं कि उस वक्त क्या स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है। उस वक्त हम एक विदेशी शासन के नीचे दबे हुये थे। उस वक्त हमारे ऊपर कोई भी संविधान हमारा बनाया हुआ नहीं था। उस वक्त हमने कोई शपथ नहीं ली थी कि हम इस संविधान को मानेंगे और हम संविधान के अन्तर्गत अपने देश की उन्नति करेंगे। उस वक्त हम स्वतंत्र नहीं थे। ब्रिटिश सरकार से हमारा कहना था कि हम तुम्हारे संविधान को नहीं मानते, तुम्हारे कांस्टीट्यूशन को नहीं मानते, तुम्हारे लाज को नहीं मानते। इसलिये तुम जो चाहो करो। हमने कोई शपथ कानून मानने के लिये नहीं ली थी और जो विद्रोह हमें कहता था वही हमारा कानून था और वही हमारा संविधान था। लेकिन आज वह बात नहीं है। आज हमने एक संविधान अपना बना लिया है, हमारा एक कांस्टीट्यूशन है और उस संविधान के प्रति वफादार रहने के लिये हमने, आपने और सब माननीय सदस्यों ने शपथ ली है। तब, जब हमने संविधान के प्रति सौगन्ध ली है उस संविधान को कैसे उलट सकते हैं? और संविधान के अनुसार बनाये गये कानून को कैसे तोड़ सकते हैं, और सत्याग्रह कर सकते हैं और आदमी आदमी में भेद कर सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आता है। सहानुभूति रखते हुये मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे संविधान को कैसे उलट देंगे। संविधान के नियमों को हम उलट नहीं सकते। अगर हम उलटते हैं तो उसके विरोध में जाते हैं जो हमने शपथ ली है। उस संविधान का नियम यह है कि हम अपने देश के अन्दर रूल आफ ला स्थापित करेंगे। आदमी और आदमी के अन्दर कोई फर्क नहीं करें और किसी प्रकार का विभेद नहीं आने दें। और अगर हमने यह डिवीजन बना दिया पोलिटिकल और नान-पोलिटिकल प्रिजनर्स का तो हमने अपने संविधान का उल्लंघन किया और उसे तोड़ मरोड़ कर रद्दी में फेंक दिया। यहां पर हम लेक्चर दे सकते हैं कि इस तरह से संविधान पर हमला नहीं है। लेकिन मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा करना हमारा प्रथम और प्रधान कर्त्तव्य है। एक ही कानून तोड़ने पर जब किसी को सजा दी जाती संविधान इस बात को कहता है कि इन दोनों के लिये जो सजा हो जो पिनालिटी हो उसमें कोई भी अन्तर नहीं होना चाहिये। और अगर उन दोनों की सजा में फर्क होता है और अगर इस तरह से कोई भेद किया जाता है तो वह अपने कांस्टीट्यूशन के खिलाफ जाता है। अस्तु पहली बात जो हमें देखनी है वह यह है कि हम इस विधेयक को इस वजह से पास नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारे संविधान के खिलाफ है। और चूंकि संविधान के खिलाफ जो भी ला जाता है वह पास नहीं हो सकता इसलिये कांस्टीट्यूशनली इस ला को हम इस सदन से पास नहीं कर सकते। यह तो पहला प्वाइन्ट है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है।

[श्री नौरंगलाल]

दूसरी बात जो हम भूल नहीं सकते हैं वह यह है कि जहां तक इस क्लासीफिकेशन का ताल्लुक है यह जूरिसप्रूडेंस के कानून के भी विरुद्ध है। मैंने जो जूरिसप्रूडेंस का नाम लिया तो उसका मतलब यह है कि जो भी कानून होता है वह समान रूप से होता है। कोई भी गवर्नमेंट हो हमेशा उसका यह उसूल होना चाहिये और सारे लेजिस्लेटर्स का यह उसूल होना चाहिये, और सारे मनुष्यों का जो यह चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चले उनका उद्देश्य होना चाहिये कि जो ला तोड़ा जाता है उसमें किसी तरह से कोई रियायत न मिल पावे। अगर आप इस तरह का डिवीजन करना चाहते हैं कि एक तरफ पोलिटिकल प्रिजनर्स की कैटेगरी हो और दूसरी तरफ नानपोलिटिकल प्रिजनर्स की कैटेगरी हो, और अगर आप पोलिटिकल प्रिजनर्स को कुछ अधिक सुविधायें देंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि हर एक आदमी कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से अगर उस को कोई क्राइम करना है या कोई कानून तोड़ना है तो वह यह कोशिश करेगा कि पहले वह किसी पोलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाय और उस दल का सदस्य बन जाय और उस के बाद कानून तोड़े ताकि उसे पोलिटिकल प्रिजनर बनने की सहूलियत मिल जाय। इसका बहुत ही खराब नतीजा यह होगा कि हर पोलिटिकल दल में गुन्डों और बदमाशों की इफ़रात हो जायगी और उन लोगों को पोलिटिकल दलों में आने से रोकने की किसी की हिम्मत भी न होगी और हो सकता है कि वह माननीय सदस्यों को ही निकाल दें क्योंकि माननीय सदस्य तो डेमोक्रेटिक उसूलों पर अपने कांस्टीट्यूशन के हिसाब से चलेंगे और वह लोग देश के लोग हैं आप की जगह ले लेंगे और इस तरह से सारी पोलिटिकल पारटीज़ ही खतरे में पड़ जायंगी और तमाम ला ऐन्ड आर्डर ही शायद इससे खतरे में पड़ सकता है। इस के अलावा अगर इस तरह का डिवीजन किया जायगा तो इसके कवर में बहुत से ऐसे लोग आ जायेंगे जो बहुत ही बुरे हैं और जिन को कोई भी पसन्द नहीं करता। उन को भी आप को वही सहूलियतें देना होंगी।

एक बात और है और वह यह कि आप जो यह क्लासीफिकेशन कर रहे हैं इस का फैसला किस तरह से होगा और किस तरह से आप पोलिटिकल और नान पोलिटिकल प्रिजनर्स को डिसटिंगुइश करेंगे, यह भी बहुत मुश्किल होगा। इस मामले में जो आप ने रखा है वह बिलकुल भ्रामक है। आप यह कह रहे हैं कि जो कोई किसी पोलिटिकल जमाअत का मेम्बर है और जिस के उसूल अहिंसात्मक हों और संविधान के अन्दर हों वही पोलिटिकल होंगे और बाकी नानपोलिटिकल होंगे। परन्तु इस तरह की कोई चीज नहीं है कि हम जिस पर डिवीजन कर सकें। कौन पार्टीज पोलीटिकल हैं यह कैसे तै होगा? दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक मुल्क हैं जिन के पैरों पर आप चलते हैं जिन को आप अपना रहबर मानते हैं वहां पर कहीं भी कोई इस तरह का डिवीजन नहीं है। जितनी भी प्रजातंत्र स्टेट हैं कहीं भी पोलिटिकल और नानपोलिटिकल का ऐसा भेद नहीं है। यदि इस में से पोलिटिकल लफ्ज उड़ा दिया जाय तो मैं बड़ी खुशी के साथ इस का समर्थन करूंगा लेकिन चाहे जैसा कोई प्रिजनर हो हम तो चाहते हैं कि उस के साथ मनुषत्व और इनसानियत का बरताव किया जाय। लेकिन इस तरह का भेद करना मुनासिब नहीं है। और हमारे यहां तो वैसे ही साम्प्रदायिकता बहुत बढ़ रही है और हर तरह के क्लासेज जाति में जाति और पांति में पांति पैदा हो रहे हैं और यह चीज आज देश की परिस्थिति में अच्छी भी नहीं है और न कोई इस तरह के भेदों के साथ सहानुभूति ही कर सकता है। यह चीज आज गलत है और मैं यकीन दिलाता हूं कि इससे देश की जनता में गलतफहमी फैल सकती है और लोग कहेंगे कि नेता लोग अपने लिये एक क्लास अलग बनाना चाहते हैं और जनता को अलग जेलों में भी दूसरे तरीके से रखना चाहते हैं, चाहे हम कांग्रेस वाले हों, चाहे कम्युनिस्ट हों या प्रजा सोशलिस्ट ग्रूप के हों या किसी भी पार्टी के हों, यह आदेश सब पर आ जायेगा। हम जेल जायं या आप जेल जायं तो दूध, मलाई, मक्खन मिले और जब गरीब जनता जेल जाय तो उसके साथ वही साधारण व्यवहार हो, जनता इसको कैसे बरदाश्त कर सकती है। मुझे तो सब से बड़ा आश्चर्य यह होता है कि कम्युनिस्ट

और समाजवादी नेताओं की तरफ से यह बात आयी, जो कि समानता के बिलकुल खिलाफ है। और उस पर इतनी गरम गरम बहसें हों और उसका इतने जोरदार शब्दों में समर्थन हो। इसलिये मैंने जो बात कही वह यह कही कि जहां तक जनमत का ताल्लुक है अगर यह विधेयक जनमत के लिये भेजा जाय तो यह विधेयक जनमत के बिलकुल खिलाफ निकलेगा। इसलिये इसको कभी भी पास नहीं होना चाहिये।

एक आखिरी बात मैं सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है उन्होंने पोलिटिकल और नानपोलिटिकल की तरफ जो इशारा किया है, उसका एक हल हो सकता है, वह एक जुडीशल मैटर है। हम कोई कानून इसके लिये बना सकते हैं। उसमें नयी दफाएं जोड़ सकते हैं कि इस विशेष तरह का सत्याग्रह या हड़ताल अगर होगी और उसमें अगर कोई सजा होती है तो इस तरह से सजा मिलेगी। इस प्रकार का विधेयक बना कर हम जज पर छोड़ दें कि वह इस बात का निर्णय करे कि उसमें वह आता है या नहीं। तब एक विशेष तरह की सजा दी जाय। ऐसा नहीं हो सकता है कि चन्द आदमियों के लिये, अगर कोई जुर्म करें तो उनके लिये खास तरह की सजा दी जाय। सजा तो एक ही सबके लिये। लेकिन अगर कोई खास तरह का जुर्म हो तो खास तरह की सजा हो सकती है। जब हम आजाद हैं तो गरीब अमीर में कोई फर्क नहीं होना चाहिये। कोई इनफीरियर और सुपीरियर क्लास न हो। देश में इनफीरियर और सुपीरियर क्लास का होना देश के लिए एक बेइज्जती है। जिसने हमको वोट दिया है जो हमको यहां पर भेजता है उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वह बदमाश ही क्यों न हो। इसलिये मेरा तो सुझाव यह है कि सुपीरियर और इनफीरियर क्लास को भी तोड़ दिया जावे। लेकिन आप इस तरह का एक कानून बना सकते हैं कि कोई शख्स चाहे वह गुंडा हो या बदमाश हो, अगर वह स्ट्राइक या सत्याग्रह करता है तो उसको यह सजा हम देंगे। इस तरह का विधेयक हम बना सकते हैं। इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है और इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य ऐसे होंगे जिनको आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप तो यह चाहते हैं कि अगर हम जेल जायं तो हमको एक विशेष प्रकार का व्यवहार मिले और अगर गरीब जनता जाय तो उसको साधारण व्यवहार मिले। वास्तव में यह विधेयक जो लाया गया है वह इसलिये नहीं लाया गया है कि उनके दिल में बड़ी परेशानी उठ रही है, उन पोलिटिकल प्रिजनर्स के लिये जो जेल में गये हैं। बल्कि इसका मंशा साफ तौर पर यह है कि नेता लोग तैयार हो जाओ आन्दोलन करने के लिए इसलिये कि हम तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया विधेयक बनवा रहे हैं। दूसरे उन लोगों की सहानुभूति प्राप्त करनी है जो हड़ताल कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए यह कानून लाये लेकिन चूंकि कांग्रेस वालों का बहुमत है इसलिए उन्होंने उसको नहीं माना। हम तो आपको सुपीरियर क्लास का ट्रीटमेंट दिलवा रहे थे। तो अगर विधेयक पास हो जाता है तब भी फायदा और फेल होता है तब भी फायदा। कुछ भी हो। इसलिये हो जाय तो हमारा नाम हो जाय और न पास हो तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो इन तमाम विचारों से हम काफी वाकिफ हैं। इसलिये मैंने जो बातें सदन में रखीं, जैसा मैंने अभी इशारा किया कि हड़तालों और इस प्रकार के कामों के लिये अगर विशेष रूप से कोई दंड व्यवस्था करनी हो तो वह कर दें लेकिन इस विधेयक को हम स्वीकार नहीं कर सकते।

इसलिये मैं आखरी मरतबा अध्यक्ष महोदय आपके जरिये से सदन से प्रार्थना करूंगा कि मैंने जो बातें कही हैं वह इस वजह से नहीं कहीं कि चूंकि वह माननीय झारखंडे राय जी ने विधेयक रखा। कोई भी उसे रखता चाहे गांधीवादी कोई रखता तब भी मैं उसका विरोध जरूर करता। हमें अपने प्रजातांत्रिक देश को आगे ले जाना है तो यह तय करना होगा कि हमें डेमोक्रेसी को अपनाना है या फासिस्ट मेथड्स को अपनाना है।

एक वार्निंग मैं अपोजीशन लीडर्स को भी देना चाहता हूं कि देखो इस तरह का वर्गीकरण जो पोलिटिकल और नानपोलिटिकल प्रिजनर्स का कर रहे हो अगर

[श्री नौरंग लाल]

हम उसको मान लेते हैं तो मुमकिन है कि इनको थोड़ा सा आराम मिल जाय। लेकिन यह भी हो सकता है कि हमारे बाद यहां पर कम्युनिस्ट या फासिस्टवादी आ जायें तो यह जो डिवीज़न हमने कर रखा है यह हमको कंसेंट्रेशन कैम्प्स में भेज दे और वहां पता भी न चलेगा कि सूरज कहां से निकलता है और रात कहां होती है।

इसलिये हम इस विधेयक को नहीं मान सकते।

श्री राधामोहन सिंह (ज़िला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राजबन्दी विधेयक इस समय विचार के लिये उपस्थित है उसके सम्बन्ध में मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। यूं तो हमने पिछले २५ वर्षों में राजनीतिक लड़ाई लड़ी और राजनीतिक बन्दियों का नाम सुनते ही हमारा दिल तो उस तरफ़ हो जाता है लेकिन जो लड़ाई आज राजनीतिक बन्दियों के नाम पर चल रही है और जो लड़ाई राजनीति के नाम पर चल रही है उसके कार्यों को देख कर हमारा दिल क्षुब्ध हो जाता है और हम एक तरह से घृणा से उससे मुंह मोड़ लेते हैं।

मुझे सदन के सन्मुख दो तीन बातों को इस सम्बन्ध में रखना था और हमें विचारना है कि अगर आज की राजनीतिक लड़ाई के लिये यही विचार-धारा है, इसी प्रकार लड़ाई लड़ना है तो हमें तो देखना पड़ेगा कि हम उनको राजनैतिक बन्दी भी कहें या न कहें।

जहां तक सवाल बन्दियों के रहन सहन का है, बन्दियों के साथ व्यवहार का है वह तो हमने साधारण कायदों के साथ उनके रहन-सहन के तरीके में, उनके साथ व्यवहार में इतना अधिक परिवर्तन कर दिया है कि जो पिछले साल किसी भी हमारे राजनीतिक बन्दी को मयस्सर नहीं था। वैसे तो कोई प्रश्न उठता नहीं है, लेकिन फिर भी "राजनीतिक" नाम को आज भी एक्सप्लायट करना चाहते हैं। हमें आज यह देखना है कि आज की राजनीतिक लड़ाई का क्या रूप है और किस तरह से उसको चलाया जा रहा है। मैं बलिया जिले की ही एक घटना का आपके सामने वर्णन करना चाहता हूं। बलिया जिले में एक छिछोर गांव है। वहां दो साल पहले एक काण्ड हुआ था कि एक कांग्रेसी भाई के घर पर २०० आदमी चढ़ गये और उन्होंने पहले तो उस कांग्रेसी भाई की तलाश की। भगवान की ऐसी इच्छा थी कि उस समय वह वहां पर मौजूद नहीं थे। उन लोगों ने जबरदस्ती उनके घर के अन्दर किवाड़ को तोड़ करके प्रवेश किया और उनकी बीवी और बच्चों को निकाल लाये। उनकी बीवी को बच्चा होने वाला था, लेकिन उन मनुष्य कहे जाने वाले आदमियों के दिल में उसके लिये जरा भी रहम नहीं आया। वह हाथ जोड़कर चिल्ला रही थी कि भाई मेरी जान छोड़ दो, मैं तो बच्चा देने वाली हूं, लेकिन उन्होंने इस कथन के बाद भाले को सीधा उसके पेट में डाला और एक छोटा बच्चा जो तीन साल का था उसके पैर को चीर करके उसको दहकती हुई आग में फेंक दिया। दो सौ का मजमा था और तलवार, बन्दूक और भाले से सब लैस होकर आये थे। उनका नारा यह था कि कांग्रेसी भाई को हमारे सामने पेश करो। घर वाले क्या करते, क्योंकि वह तो कई सौ मील दूर थे।

तो यह राजनीतिक लड़ाई चल रही है। वह जो कांड हुआ वह बरसों तक राजनीतिक कहे जाने वाले भाइयों की करतूत थी। वहाँ कोई भी व्यक्ति उस मामले में गवाही करने के लिए भी तैयार नहीं था, इतना आतंक पैदा हो गया था। यह जुलूस रात को १२ बजे जब नारे लगाता हुआ उस जगह पहुंचा था, तो उस लड़के और उस औरत के अलावा पांच और आदमियों को जो उस घर में मिले दहकती हुई आग में फेंक दिया। उनकी दूसरे दिन अधजली हुई लाशें मिलीं। यह एक घटना है। इसके अलावा वहां पर संघठन किया गया और एक आदमी जो पुलिस की तरफ से गवाही करने

गया था उसको और दो आदमियों का कत्ल किया। ये दोनों घटनाएं दो तीन महीनों के अन्दर हुई और दो तीन मील के क्षेत्र में हुई। गाजीपुर और आजमगढ़ का सटा हुआ जो क्षेत्र है वहां पर जमींदार कहे जाने वाले लोगों के विरुद्ध काफी प्रचार किया गया था। गाजीपुर जिले में एक जमींदार साहब हाथी पर चढ़कर के दोपहर में कहीं जा रहे थे। उनको नीचे उतारा गया और उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, ग्राम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। जब उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर हूं तब उनके मुंह पर थूका गया, उनके कपड़े छीन लिये गये और फिर उनको रवाना किया गया। जब वे चलते हैं तब फिर उनको रोक करके उनको पीटा जाता है। ये सब काम राजनीति के नाम पर हो रहे हैं, गवर्नमेंट को बदलने के नाम पर हो रहे हैं, क्रान्ति के नाम पर हो रहे हैं। हमको सोचना है कि जब हमने स्वराज्य प्राप्त कर लिया है, जब हमने एक संविधान बना लिया है और उसके अन्दर शासन चल रहा है, तब राजनीति के नाम पर ऐसे काम करना कहां तक उचित है। इस भवन में जहां जनता के प्रतिनिधि इतनी संख्या में उपस्थित हैं मुझे यह स्पष्ट पूछना है कि जो राजबन्दी विधेयक रखा गया है, क्या वह ऐसे ही लोगों की सुविधा के लिये रखा गया है। यदि आप उस क्षेत्र में जायें तो आप देखेंगे कि वहां राजनीति के नाम पर खुल्लमखुल्ला क्या किया जा रहा है। आज उसका रूप दूसरा बदला जा रहा है ऐसी दशा में हमें यह सोचना चाहिये कि क्या हम ऐसा विधेयक ला सकते हैं या नहीं। मेरा सदन से यह निवेदन है कि हमें इस विधेयक पर विचार नहीं करना है। हमें यह सोचना चाहिये कि आज चाहे कोई भी दल हो उसको यह अधिकार है कि वह गरीबों के अन्दर अपने आन्दोलन को चलाये और इस गवर्नमेंट को बदल दें, इसमें कोई भी हमें एतराज नहीं हो सकता है और इसके लिये रास्ता खुला हुआ है बुलेट से नहीं बैलट से और यह संविधान का आदेश है। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि आज हम इस बात को भूल जाते हैं कि कौन सा रास्ता सही है। दुनिया ने इसको देख लिया कि अहिंसा से हम बड़े से बड़े आन्दोलन को चला सकते हैं और बड़ी से बड़ी हस्ती को मिटा सकते हैं।

इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा यह आपसे निवेदन है कि हमें ऐसे विधेयक पर विचार नहीं करना है। जैसा मैंने आरम्भ में निवेदन किया कि हर बन्दी के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा है, हम हर तरह की सुविधा उसको देना चाहते हैं और हम यह चाहते हैं कि उसको हर कार्य करने का मौका दिया जाय, इससे अधिक सुविधा आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं।

श्री शिवनारायण--अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री झारखण्डे राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। साथ ही साथ मैं उन सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया और अपनी एक प्रकार की मनोवृत्ति को इस सदन के सामने स्पष्ट कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब इस सदन में सारे भाषणों को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि इस विधेयक के गुणावगुण पर विचार नहीं हो रहा है बल्कि माननीय सदस्य अपनी-अपनी कम्युनिस्ट विरोधी भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मेरे इस विधेयक में "उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक" शीर्षक की जगह "उत्तर प्रदेश कम्युनिस्ट राजबन्दी विधेयक" शीर्षक होता तब ऐसे भाषण हुये होते तो उचित होता।

[श्री झारखंडे राय]

इसमें मैं समझता हूं कि श्रीगणेश माननीय गृह मंत्री जी ने ही किया गृह मंत्री जी ने अपने भाषण के शुरू में ही अपनी कम्युनिस्ट विरोधी भावनाओं का जो प्रदर्शन किया और जिस तरह से पूरे भाषण और डिबेट को एक विशेष दिशा में कैनालाइज़ किया उसी में सारा सदन आज दिन भर बहता रहा। अगर इस विधेयक के गुणावगुण पर विचार हुआ होता तो मैं समझता हूं कि हम क़रीब-क़रीब सही नतीजे पर एक जगह पहुंच सकते थे। प्रश्न यह नहीं है कि कम्युनिस्टों को राजबन्दी माना जाय, या न माना जाय प्रश्न यह नहीं है कि कम्युनिस्टों द्वारा संचालित आन्दोलन को राजनीतिक आन्दोलन माना जाय या न माना जाय, प्रश्न यह नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेम्बर हैं वे किसी प्रकार अगर जेल में जायं, चाहे वह ऊंचे से ऊंचा उस पार्टी का सदस्य क्यों न हो और ऊंचे आदर्श से प्रेरित कार्य किया हो उसको राजनीतिक बन्दी माना जाय, बल्कि प्रश्न यह है कि आज जो लोग हिन्दुस्तान की वर्तमान स्थिति से असन्तुष्ट हैं, जो यह महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान में सही माने में सामाजिक और आर्थिक आजादी नहीं है, अगर आजादी है तो केवल राजनीतिक आजादी ही है, जो महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी अधूरी है वे अगर उस आजादी को पूरी करने के लिये, उसके अपूर्ण अंगों को पूर्ण करने के लिये कोई आन्दोलन चलाते हैं, कोई संघर्ष करते हैं, उसमें जनता का कोई भी हिस्सा जो पीड़ित, पददलित और शोषित है हिस्सा लेता है तो उसको क्या कहा जाय। उदाहरण स्वयं अध्यापकों का लीजिये, सबसे ताजी और सब से बड़ी मिसाल अध्यापकों की है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से इस बात को साफ़-साफ़ पूछना चाहता हूं कि उनके उत्तर प्रदेश की जेलों में बहुत से क्रिमिनल कैदी बन्द हैं। उनके साथ वह एक प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। माननीय रामनरेश जी शुक्ल के शब्दों में उनके नैतिक, शारीरिक और मानसिक उत्थान के लिये वह सब कुछ कर रहे हैं, वह अलग बहस की बात है कि कर रहे हैं अथवा नहीं। लेकिन उन अध्यापकों के साथ जो अपनी जायज मांग के लिये आज जेल में गये हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या जैसे और कैदी हैं वैसे ही कैदी वे भी हैं। आज चोरी में, डकैती में, क़त्ल में या दूसरी तमाम आई० पी० सी० और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराओं में जो लोग जेल में गये हैं उनमें और इन अध्यापकों में कोई अन्तर नहीं है ? मैं समझता हूं कि यह कहना कि उनमें कोई अन्तर नहीं है यह हृदयहीनता और कठोर निर्ममता का परिचायक होगा। मैं पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी से कि जब वे भी आजादी की लड़ाई के सिपाही थे और अमर शहीद सरदार भगत सिंह, जिनको ३०२ में फांसी हुई उनके लिये कोई आई० पी० सी० की दफा अलग बनायी गयी थी ? वह भी ३०२ में पकड़े गये और फांसी की सजा उन्हें हुई। उनको राजबन्दी कैसे माना गया ? देश के कोने-कोने में, हिन्दुस्तान के हर आबाल, वृद्ध नर-नारी ने उनको माना कि वह राजबन्दी थे। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री से कि नेता जी सुभाषचन्द्र बोस जिन्होंने हिन्दुस्तान के बाहर मलाया-सिंगापुर-बरमा में आजाद हिन्द फौज का संगठन किया और कोहिमा इम्फहाल आदि जगहों में आज़ाद हिन्द फौज ने हिन्दुस्तान के इतिहास में एक नया सुनहला अध्याय जोड़ा वह तो अहिंसा के मानने वाले नहीं थे, वह तो महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति पर उस प्रकार से चलने वाले नहीं थे। उनके लिये अहिंसा का एक साधन एक नीति का विषय था और उस समय जो उन्होंने उचित रास्ता समझा वह ईमानदारी से समझा कि अहिंसा से युद्ध काल में देश का उद्धार नहीं हो सकता। अगर वे पकड़े गये होते और अंग्रेजों ने उनका ट्राइल किया होता तो यह सरकार उनके लिये क्या कहती ? क्या वह उनके खिलाफ कुछ इसलिये कहती कि वह गृहमंत्री की परिभाषा की अहिंसा के मानने वाले नहीं थे। अहिंसा की परिभाषा तो मैं बाद को बताने की कोशिश करूंगा। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि खुदीराम बोस और

यतीन्द्रनाथ दास आदि शहीदों से हमारा यह देश आज भी अनुप्राणित होता है। तो केवल इसलिये कि कोई शख्श आई० पी० सी० की चोरी या डकैती की दफाओं में पकड़ा गया उसको राजनैतिक बंदी न कहा जाय, यह सर्वथा अनुचित है। फिर अगर मैंने अपनी मोटी अक्ल से राजनैतिक बंदी की परिभाषा गलत कर दी थी तो माननीय सदस्यगण उसमें संशोधन लाते और उसके लिये कड़े से कड़े नियम बनाते। कसौटी का ऐसा पत्थर लाते जिस पर चांदी सोना सब खरा उतरता, लेकिन यह कहना कि पोलीटिकल प्रिजिनर्स का बिल ही नहीं आना चाहिये, यह बिलकुल गलत और निरर्थक चीज है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने और दूसरे सदस्यों ने यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रश्न उठाया अतः मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का जिम्मेदार मेम्बर हूं, इतना ही नहीं मैं कम्युनिस्ट पार्टी का सूबा कमेटी का भी एक मेम्बर हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिंसा और अहिंसा के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी के विचार बहुत ही साफ हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान का कोई भी कम्युनिस्ट, इतना ही नहीं दुनिया का कोई भी कम्युनिस्ट हिंसा में हरगिज भी विश्वास नहीं करता। हम यह मानते हैं कि जो ताकतें बढ़ती हुई शक्तियों के जन्म में, नई समाज व्यवस्था के जन्म में रुकावट डालती हैं, कहने पर नहीं मानतीं, समझाने पर नहीं मानतीं तो उनको मिटा ही देना होगा। इस प्रश्न को हम इस रूप में देखते हैं कि एक मां के पेट से एक बच्चा जन्म लेना चाहता है लेकिन कोई आदमी प्रसव के समय उसको बाहर निकलने से रोकता है, कहने पर नहीं मानता तो हम उसका हाथ पकड़ कर तोड़ देंगे। हम समझते हैं कि उसका हाथ तोड़ देना यह अहिंसा है और जो रोकता है वह सबसे बड़ा हिंसक है क्योंकि वह नई सृष्टि के पथ में एक रोड़ा है, समाज के रथ के पहिये को पीछे ढकेलना चाहता है, उसकी प्रगति को रोक कर उसको गाड़ ही देना चाहता है, तो वह हमारा शत्रु है। अगर वह समझाने से नहीं मानता, विनय से नहीं मानता, सत्याग्रह से भी नहीं मानता, तो फिर मैं आपसे ही पूछता हूं कि उसके लिये क्या रास्ता है ?

अध्यापकों ने ६ साल से प्रार्थनायें कीं, अपीलें कीं, उनके डेप्यूटेशन्स माननीय मंत्रियों से मिले, सरकार के हर एक उच्च शिक्षा अधिकारियों से मिले तो अब वे क्या करें, जब किसी प्रकार से भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर वे क्या करें ? उसी दृष्टि से माननीय अध्यक्ष महोदय, हर एक व्यक्ति को और हर एक पार्टी को यह मौका होना चाहिये कि वह यह निर्णय कर सके कि उसको ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं देखता हूं कि अहिंसा के सवाल को उठाकर मुख्य विषय को पीछे फेंकने की भद्दी कोशिश की गयी है और मुख्य प्रश्न के ऊपर धूल डालने की कोशिश की गयी है, उसको छिपाने की कोशिश की गयी है।

मैं तो यह कहता हूं कि माननीय राम नरेश जी और दूसरे लोग जो इस विधेयक पर बोले उनको एक ऐसा अमेंडमेंट पेश कर देना चाहिये था कि जो अहिंसात्मक आन्दोलन में भाग लेंगे उन्हीं को राजबन्दी माना जायगा, फिर यह मेरा विषय था कि मैं उस पर अपने विचार प्रकट करता लेकिन इस बिल का पूरा विरोध अंग्रेजों की तरह से उनके तर्कों से किया गया। १९४२ में हिन्दुस्तान अपनी राजनैतिक आजादी के जीवन-मरण आन्दोलन में लगा हुआ था अंग्रेजों द्वारा बजाय पश्चिमी यूरूप में दूसरा मोर्चा खोलने के हमारे देश में हमारी कौमियत पर हमला किया गया। जब हमारे सामने यह स्थिति आयी कि हम अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार करें और उनके सामने घुटने टेक दें या अपने सिद्धांत पर : टल रहें तो जनता की अक्ल में जो पथ आया वह उचित आया और ऐसे समय में जनता के जो रास्ते हुआ करते हैं उसने उसे अपनाया। २५, ३० वर्ष तक जो अहिंसात्मक नीति थी वह हवा में उड़ गयी। जनता ने उस समय उस परिस्थिति में उस नीति को ठुकरा दिया। तोड़-फोड़ का आन्दोलन शुरू कर दिया और अंग्रेजी हुकूमत को उसके चिन्हों पर हमला करके उसे हटाने की कोशिश की। अब क्या कहा जाय इसे ? तमाम दफात के अन्दर देशभक्त लोग

[श्री झारखंडे राय]

ज़ेलखाने में बन्द रहे। करीब-क़रीब ७ वर्ष तक मैं भी जेलखाने में रहा और करीब-करीब यू०पी० के बहुत सी जेलों में रहने का मौका मिला। कोई पोलिटिकल क्लास नहीं था लेकिन सभी पोलिटिकल कैदी होने का दावा करते थे और अंग्रेज भी उनको मानते थे। चाहे कानून की किताब में वह न हो लेकिन व्यवहार में वे उसे मानते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय आप भी जेल में रहे हैं और वे सम्मानित सदस्य जो स्वतंत्रता के सिलसिले में ज़ेलखाने में रहे उसको भी ये बातें मालूम हैं। तो हिंसा अहिंसा के आधार पर इस सवाल की अहमियत को छिपाना और छिपाने की कोशिश करना मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री के लिये और किसी भी माननीय सदस्य के लिये उचित नहीं है। एक बात माननीय गृहमंत्री जी ने आज भी कही और इसके पहले भी कई मर्तबा कही कि लोग खेत काट लेते हैं, लोग डकैती, खून व कत्ल करते हैं और वे इसे समझ लेते हैं कि यह मास कंसेसनेस किया जा रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह बात साफ कह देना चाहता हूं कि उनका मतलब अगर कम्युनिस्ट पार्टी से है तो कम्युनिस्ट पार्टी इस बात की पूरी सफाई उनके सामने दे चुकी है और आज भी देना चाहती है कि ऐसे किसी आन्दोलन से इस समय उसका कोई ताल्लुक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के कई माननीय सदस्यों ने आजमगढ़ के संबंध में कुछ बातें कहीं और उनमें खासकर श्री पद्मनाथ सिंह को तो आजकल चारों तरफ तैलंगाना ही दिखलाई पड़ता है। तैलंगाना की आजकल एक हवा बह गयी है। गलत-सही झूठ-सच जो कुछ भी बात हो उसके लिए तैलंगाना का भूत ही दिखलाई पड़ता है। इस सिलसिले में मैं एक ही मिसाल आपके सामने देना चाहता हूं जो कि मैं खुद देखकर आया हूं। गोरखपुर के फरेंदा तहसील में बलुआ क्षेत्र में रामकोला एक गांव है। यह गांव एक टापू के समान है जिसके तीन तरफ राप्ती नदी है और जिसमें मल्लाह, काछी और चाई जाति के गरीब किसान लोग रहते हैं। बलुआ गांव के सब से बड़े जमींदार श्री पुरुषोत्तम मणि त्रिपाठी हैं। अब जमींदारों का नाम चाहे जो कुछ भी हो गया हो लेकिन वे भूतपूर्व जमींदार हैं। उन्होंने २८ जनवरी को पूरे रामकोला गांव पर खूनी हमला किया और वह भी तीन सौ आदमियों के साथ हमला किया। पूरे गांव को लूटा। सिगारी नाम की एक औरत के साथ उनके दो गुन्डों ने बलात्कार किया और उनका एक एक सामान लूट कर ले गये। यहां तक कि मामूली लोटिया तक भी नहीं छोड़ी, सब लूट ले गये। तो ऐसी घटनायें माननीय गृह मंत्री जी के पास पहुंच ही नहीं पाती हैं। वे फाइल में ही दबा दी जाती हैं मेरा ६ साल का प्रकाश्य (ओपेन) राजनैतिक जीवन है। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि यह मोटी सी बात है कि अगर कहीं कोई किसान किसी के जरिये उभारे जाने पर या खुद बखुद किसी के खेत पर कब्जा कर लिया तो वह बात बहुत जल्द अधिकारियों के पास पहुंच जाती है और वहां पी० ए० सी० भी पहुंच जाती है। लेकिन भूतपूर्व जमींदार जो समाज के ऊपर हावी हैं और आर्थिक तथा साधन रूप से समाज में प्रबल हैं, उनके अत्याचार की गाथायें उन तक देर में भी नहीं पहुंचती हैं। क्यों? आजमगढ़ जिले के श्री शिवराम राय जी, श्री पद्मनाथ सिंह, बस्ती के श्री राम कुमार शास्त्री जी ने भी पूर्वी जिलों की बातें कीं। हमारे आजमगढ़ के जिस क्षेत्र में पी० ए० सी० रहती है। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि वह क्षेत्र सोशलिस्ट प्रभावित क्षेत्र है। उसमें कम्युनिस्टों का प्रभाव बिलकुल नगण्य है या बिलकुल नहीं सा है। मैं उस जिले की घोसी तहसील के पश्चिमी क्षेत्र से चुनकर आया हूं और श्री राम सुन्दर पांडेय जी पूर्वी क्षेत्र से चुनकर आये हैं और उन्हीं के क्षेत्र में पी० ए० सी० नियुक्त की गयी है। यह कहना कि कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से वहां गड़बड़ी हुई है, सही नहीं है। जो गलत इन्दराज हुए हैं और भूतपूर्व जमींदार जो पुलिस की मदद से किसानों के खेतों पर कब्जा कर रहे हैं उसी की वजह से यह गड़बड़ी हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हिंसा अहिंसा के सवाल को उठाकर इस विधेयक की अहमियत पर परदा डालना यह किसी तरह से भी उचित नहीं है। राजबन्दी "ाने

जाने की कोई भी कसौटी रखिये और जो आपकी समझ में हो उसके मुताबिक रखिये लेकिन इस बिल को मानने से क्यों इंकार है? सोशलिस्ट पार्टी तो हिंसा की बात नहीं करती, हम तो मानो हिंसा के अवतार ही हैं लेकिन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित जो आंदोलन हैं उनके लिये आप क्या करेंगे? जो सत्याग्रह करके जेल जायेंगे उनके लिये आप क्या करेंगे? जो महसूस करते हैं कि आज भी हिन्दुस्तान आजाद नहीं है, हत्यारे अंग्रेजों को जो पेंशन दी जाती है वह बन्द होनी चाहिये भारत का संबंध कामनवेल्थ से नहीं रहना चाहिये जो लोग उसके खिलाफ आन्दोलन चलायेंगे उनके लिये माननीय गृह मंत्री क्या कहते हैं। जो लोग यह मानते हैं कि हिन्दुस्तान में विदेशी पूंजी जब्त होनी चाहिये और अंग्रेज-अमरीकी पूंजी का आयात नहीं होना चाहिये इस तरह का आन्दोलन चलायें उनके लिये माननीय मंत्री क्या कहेंगे? जो राजा, महाराजा, नवाब, अंग्रेजों के वाच डाग की तरह काम करते रहे, उनके प्रिवी पर्सेज बन्द किये जायं इस पर आन्दोलन चलाया जाय तो उसके लिये माननीय मंत्री क्या करेंगे? बहुत से व्यापक राष्ट्रीय प्रश्न हैं उन पर चलाये गये आन्दोलनों के ऊपर क्या कहा जायगा यह मेरा प्रश्न है। माननीय गृह मंत्री जानते हैं कि हमारे देश के चुनाव कमीशन ने चार पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी माना है, कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और जन संघ को। इसके अलावा स्टेट में बहुत सी पार्टीज हैं जिनको मान्यता प्रदान की गई है। वे पार्टियां अगर किसी आन्दोलन को चलाती हैं और वे कहती हैं कि फलां आदमी हमारी पार्टी का है और अमुक आन्दोलन उसके द्वारा संचालित किया गया है तो उसको राजनैतिक बन्दी मानने में क्या दिक्कत है?

रूस की बात भी यहां उठाई गई। बात हिन्दुस्तान की हो रही थी, बल्कि उत्तर प्रदेश की। उसमें रूस भी आ गया, चीन भी आ गया। रूस में क्या हो रहा है मैं इस बात को साफ कहना चाहता हूं कि मैं यह महसूस करता हूं, हमारी पार्टी महसूस करती है कि हिन्दुस्तान में कम्युनिज्म का रास्ता वह हरजिग नहीं है जो रूस में रहा है। चीन में कम्युनिज्म का रास्ता वह नहीं है, जो रूस में था। पूर्वी योरोप में भी कम्युनिज्म का रास्ता वह नहीं रहा जो रूस में रहा है। हर देश की परिस्थिति, हर देश की राष्ट्रीय विशिष्टताओं के अनुसार और उससे प्रभावित होकर हर देश में कम्युनिज्म आयेगा। उस देश विशेष की भौगोलिक स्थिति, उस देश के निवासियों का मानसिक झुकाव और उनकी ऐतिहासिक परम्परा उस देश का चारित्रिक संतुलन जो हो, जो उस देश विशेष की तहजीब तमद्दुन हो, सबका उस पर कम्युनिज्म की स्थापना के मार्ग और प्रकार पर असर पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री बड़े विद्वान हैं, माननीय परिपूर्णानन्द ने बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ी हैं और बड़ी विद्वता उनमें है और बड़े-बड़े आंकड़े वे पेश करते हैं। मैं उनसे पूछ सकता हूं क्या कम्युनिज्म इस देश में उसी तरह से आयेगा जैसे रूस में आया? रूस में सन् १६१७ की समाजवादी क्रांति के बाद १४ राष्ट्रों ने हमला किया, लेकिन चीन पर तो नये राज्य की स्थापना के बाद एक ने भी अब तक नहीं किया। रूस में कुलक लोग जो थे उन्होंने कलेक्टेवाइजेशन का जो रास्ता सरकार ने अपनाया उसका प्रबल विरोध किया तब वह कुचल दिया गया लेकिन चीन ने कुलकों को अपनाया है और धीरे-धीरे वे उसे सुधार के द्वारा अपने राष्ट्रीय जीवन का अंग बनाते जा रहे हैं। माओ त्से तुंग ने जो रास्ता अपनाया है वह दुनिया के लिये एक चुनौती है। एशिया की सभ्यता और संस्कृति के सामने एक ऐसी चुनौती है कि अगर यह प्रयोग सफल हो गया जिसमें अब कोई संदेह नहीं है, तो हमको और आपको मानना पड़ेगा कि वह रास्ता ही सही है। इसलिये चीन की बात को लाना असंगत और अप्रासांगिक है। रूस में श्रमजीवी हैं लेकिन चीन में पीपुल डेमोक्रेसी है। वहां चीन में निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं। वहां कम्प्रेडोर बुर्जुआ, जो साम्राज्यवादियों के टुकड़े खोर, गुलाम थे, जो बड़े बड़े लैंडलार्ड और वार-लार्डस थे उनको उन्होंने पीपुल्स डेमोक्रेसी में कोई राइट नहीं दिया है। डेमोक्रेसी का भी हमारा कान्सेपशन है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में जो शोषक हैं जिन की मनोवृत्ति भी शोषक बन गई है। जो विदेशियों से मिलकर आजादी के राजनैतिक आन्दोलन

[श्री झारखंडे राय]

को कुचलते रहे, जो राष्ट्रीय गद्दार हैं, [ऐसे आदमियों को वोटाधिकार देना मेरी समझ में, मेरी पार्टी की समझ में गलत है। हमारी डेमोक्रेसी का यह मतलब है कि हम टाटा, बिरला वगैरह को वोटाधिकार न देंगे। हम उनको वोटाधिकार देंगे जो जनता के अंग हैं। आचार्य नरेंद्रदेव जी ने भी चीन से लौटने के बाद कहा कि "जनता" की परिभाषा चीन में मजदूर, किसान और निम्न मध्यम वर्ग तथा राष्ट्रीय पूंजीपतियों से है। पीपुल्ज डेमोक्रेसी का यह मतलब है कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग नहीं लिया है बल्कि राष्ट्रद्रोही थे और जो शोषक हैं, जिनकी मनोवृत्ति भी शोषक बन गई है जब तक उनका सुधार न हो जाय, जब तक वह अच्छी तरह से इंसान न बन जायें तब तक उन को वोटाधिकार नहीं मिलना चाहिये। रूस में पुराने शोषकों को सन् १९३६ में ही वोटाधिकार मिला। चीन में भी आज वह वर्ग वोट देने से वंचित है। लेकिन चीन में बहुत ऐसों को वोटाधिकार दिया गया है जिनको रूस में नहीं दिया गया था राज्य की पुरानी मैशीनरी को पुराने राजयंत्र को तोड़ना क्रांति का पहला और विध्वंसात्मक काम है। पूर्वी योरोप में भी लड़ाई के दौरान में, हिटलर की फौजों का पीछा करते हुये लाल फौजें उन मुल्कों में घुस गयीं। जो काम क्रांति का था उसको सोवियट रेड आरमी ने किया। सोवियट रूस में सन् १७ की ७ नवम्बर को कुछ घंटों के अन्दर सारे राज्ययंत्र पर कब्जा कर लिया गया था। चीन में लाखों आदमी मर गये। और २० साल गृह युद्ध चला। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर मुल्क में क्रांति करने का राज्य-सत्ता पर कब्जा करने का अलग अलग तरीका होता है। हमारे मुल्क में क्या होगा इसकी भविष्य वाणी ठीक-ठीक आज कोई नहीं कर सकता। जीवन के संघर्ष के नये २ अनुभवों से ही वह क्रांति-पथ आलोकित होगा।

अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि एक विशेष तरीके से मेरी विधेयक लाने की नीयत के संबंध में जिक्र किया गया। मैंने किस नीयत से इस प्रस्ताव को रखा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पास अनेक पत्र आये जो कि कम्युनिस्ट बंदियों से संबंध रखते हैं। उनकी दशा देखकर मैंने अहसास किया और चूंकि मैं खुद भी जेल में रह चुका हूं तो मुझे अनुभव भी था कि इस चीज को मूव करना चाहिये। और चूंकि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के नेताओं ने राजबन्दी श्रेणी के वादे भी किये थे इसलिये मैं ने उसको मूव किया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---५ बजने वाले हैं। इसलिये मैं प्रस्ताव करूंगा कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब श्री झारखंडेराय जी अपना भाषण कल जारी रखेंगे। मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

श्रम समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष---मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि श्री झारखंडेराय जी ने श्रम समिति से अपना इस्तीफा दे दिया है और उनकी रिक्त जगह का चुनाव होगा। इसलिये उसके लिये नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि कल २७ मार्च को १ बजे दिन तक और नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा २७ मार्च को ३ बजे दिन तक होगी। नाम वापस लेने की तिथि और समय ३० मार्च को ३ बजे तक और अगर निर्वाचन की आवश्यकता पड़ी तो बाद में निर्वाचन का समय और तिथि तथा स्थान आदि घोषित कर दिया जायगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२६ मार्च, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ व ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७० पर)

तालिका

	नाम जिला	स्थिति	नाम कुटीर उद्योग	विद्यार्थी	औसत वार्षिक व्यय
					रु०
१	मिर्जापुर	ग्राम मेहरकला पो० गहरवार	खादी बुनाई	३	४४३२
२	आजमगढ़	ग्राम व पो० दोहरीघाट	खादी बुनाई	१८	४४३२
३	"	"	लोहारगीरी	८	६०००
४	"	"	चमड़ा कमाई	४	६०००
५	"	ग्राम डीहा, पो० किशुनपुर	खादी बुनाई	१५	४४३२
६	बनारस	ग्राम व पो० सेवापुरी	खादी बुनाई	१२	४४३२
७	"	"	बढ़ईगीरी	१६	६०००
८	"	"	साबुन बनाना	१०	६०००
९	कानपुर	ग्राम व पो० पुखरायां	खादी बुनाई	४	४४३२
१०	"	ग्राम व पो० पुखरायां	चमड़ा कमाई	१४	६०००
११	बहराइच	श्रावस्ती आश्रम, पो० इकौना	खादी बुनाई	१२	४४३२
१२	बलिया	ग्राम म्योरी, पो० हलधरपुर	खादी बुनाई	१२	४४३२
१३	गोरखपुर	कुष्ठ आश्रम, गोरखपुर	खादी बुनाई	क्लास चलाने का आयोजन हो रहा है।	

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८८ पर)

उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२

भाग १

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रसार।

१—इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश राजबन्दी अधिनियम, १९५२ होगा।

२—राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात् यह अधिनियम तत्काल प्रचलित होगा।

३—यह अधिनियम समस्त उत्तर प्रदेश में लागू होगा।

भाग २

परिभाषा।

४—राजबन्दी का अभिप्राय उस बन्दी से है, जो—चाहे अभियुक्त हो, दंडित हो या नजरबन्द हो—जेल के बाहर किसी सर्वमान्य राजनीतिक पार्टी का सदस्य रहा हो और प्रदेश के किसी मजदूर, किसान, विद्यार्थी अथवा अन्य किसी सामूहिक आन्दोलन के सिलसिले में या राजनीतिक उद्देश्य से किये गये अपराध में जेल भेजा गया हो।

भाग ३

राजबन्दी की सुविधायें।

५—प्रदेश के जेल में राजबन्दी को वही सुविधायें दी जायंगी, जो वर्तमान जेल मैनुअल में सुपीरियर क्लास के बन्दी के लिए निश्चित हैं।

६—इसके अतिरिक्त—

(क) राजबन्दी को बेत, हथकड़ी, बेड़ी, चक्की, अथवा कोल्हू की सजायें नहीं दी जा सकेंगी।

(ख) उन्हें वे सभी पुस्तकें, पत्रिकायें, समाचार-पत्र तथा साहित्य पढ़ने की सुविधा दी जायेगी, जो बाहर जब्त न हो।

(ग) सभी राजबंदियों को एकत्र एक जेल में रक्खा जायगा।

भाग ४

नियम बनाने का अधिकार।

७—इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

उद्देश्य तथा कारण

इस विधेयक का उद्देश्य है राजबंदियों को उन सभी सुविधाओं का प्रदान करना, जो उनके शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नति के लिये आवश्यक हैं। इसके बिना जेलों में प्रायः राजबंदियों और जेल अधिकारियों में संघर्ष हुआ करता है। हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में सदा इसकी मांग उठी है। इसके लिये अंडमान से लेकर देश के जेलों में अनेकानेक बलिदान हुए हैं। अतः इस चिर-अभिलषित भावना की प्राप्ति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

झारखंडे राय,
सदस्य,
उत्तर प्रदेश, विधान सभा।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ४ एल० ए०-१९५३—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २७ मार्च, १९५३

—:०:—

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:०:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६३)

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उलफ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरणसिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री

बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल श्री,

मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार, तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राजभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री

रामराज शुक्ल श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री

सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख़यालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

एन० सी० सी० में शिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के पुलिस सब-इन्स्पेक्टर्स के चुनाव के लिए प्रार्थना-पत्र

*१—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स के चुनाव में कितनी दरख्वास्तें एन० सी० सी० के बी० एण्ड सी० सार्टिफिकेट प्राप्त उम्मीदवारों की आयीं ?

*२—क्या सरकार बतायेगी कि इस वर्ष कितने लड़के ऊपर के चुनाव में लिये गये, इनमें से कितने एन० सी० सी० के बी० एण्ड सी० सार्टिफिकेट प्राप्त उम्मीदवार हैं और कितने दूसरे ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—सरकार को खेद है कि वह यह बतलाने में असमर्थ है कि कुल कितनी दरख्वास्तें एन० सी०सी० में ट्रेनिंग पाये हुये उम्मीदवारों की आई थीं। परन्तु चुने गये १२४ उम्मीदवारों में से ३८ ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने एन० सी० सी० में ट्रेनिंग पाई थी।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि थानेदारों का चुनाव करते समय एन० सी० सी० की योग्यता के आधार पर कोई विशेष योग्यता का स्थान उनको देती है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, पिछले साल यह सर्कुलर भेज दिया गया था कि चुनाव करते समय इसको विशेष क्वालीफिकेशन माना जाय।

*३—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—[१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

जेलों में चालू कपड़े बुनने के कारखाने

*४—श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़,)—क्या यह सही है कि यू० पी० ज़ेलों में चालू सभी कपड़े बुनने के कारखाने बन्द पड़े हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुज़फ्फ़र हसन)--जी हां।

*५--श्री झारखण्डे राय--क्या यह भी सही है कि सरकार जेल में खपत होने वाले कपड़े अब गांधी आश्रम से १ रु० १० आना गज के हिसाब से खरीद रही है?

श्री मुज़फ्फ़र हसन--जी हां, सरकार जेल में खपत होने वाले कपड़े श्री गांधी आश्रम, मेरठ से खरीद रही है लेकिन कपड़े की दर भिन्न-भिन्न है।

श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में कपड़े के कारखाने हैं?

श्री मुज़फ्फ़र हसन--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले ६ वर्षों से जेलों में बनने वाले कपड़ों में बढ़ती हुई है या घटती हुई है?

श्री मुज़फ्फ़र हसन--कमी हुई है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या आश्रम के कपड़े मिलों के कपड़ों से महंगे पड़ते हैं?

श्री मुज़फ्फ़र हसन--जी हां।

श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० की जेलों में कुल कितना कपड़ा पहले बनता था?

श्री मुजफ्फ़र हसन--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

गन्ना फैक्टरियों के दुर्गन्धित जल के निकास का प्रबंध

*६--श्री श्रीचन्द (जिला मुज़फ्फरनगर)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने १९४९ में एक जांच समिति गन्ना फैक्टरियों के दुर्गन्धित तथा विषैले पानी से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम के सम्बन्ध में बनायी थी? उसने क्या रिपोर्ट दी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--(क) जी हां।

(ख) इस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी हाल में ही सरकार को प्रेषित की है जिसमें फैक्टरियों से इस पानी को बाहर निकालने की विधि और उसको रासायनिक पदार्थों और मशीनों से काफी दरजे तक साफ करने तथा उसको सिंचाई के लिये काम में लाने के प्रश्नों पर अपनी सिफारिशें की हैं।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को सरकार कब तक अमल में ला सकेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी चार पांच रोज हुये मैंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि करीब आठ दस रोज हुये जब जवाब आया है। अब गवर्नमेंट को उस पर विचार करना होगा, लेबर कमिश्नर से रिपोर्ट लेनी होगी कि हमारी मिलों में इस रिपोर्ट पर कितनी जल्दी और कहां तक अमल हो सकता है। इन सब का फैसला कितनी जल्दी हो सकेगा अभी मैं नहीं कह सकता।

*७—श्री श्रीचन्द—यदि रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गयी, तो इतना अधिक समय लग जाने के क्या विशेष कारण हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह कमेटी ४६ में बनी थी तो इसको अपनी रिपोर्ट देने में ४ वर्ष किन कारणों से लग गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न का उत्तर तो मैंने दे दिया था। पूछा गया था कि यदि रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो रिपोर्ट तो आ गई है इसलिये इसका सवाल नहीं उठता था। फिर यह सवाल पूछा गया कि रिपोर्ट इतनी देर में क्यों सबमिट हुई तो मैं नहीं कह सकता कि कमेटी ने इतनी देर क्यों लगाई ।

*८—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कोई योजना बना रही है कि यह पानी खेतों की सिंचाई में प्रयोग किया जा सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय पर कमेटी की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

पीलीभीत के शहर कोतवाल द्वारा एक आदमी का जिन्दा जलाया जाना

*९—श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत के शहर कोतवाल ने एक आदमी को पेट्रोल डाल कर जला दिया था जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस मामले में अभी जांच हो रही है ।

*१०—श्री हरिप्रसाद—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि शहर कोतवाल को जनता के तीन दिन हड़ताल करने पर जेल भेजा गया और दूसरे ही दिन जमानत पर उसको छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शहर कोतवाल को घटना के दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया और उसके तीन दिन बाद सेशन्स जज, पीलीभीत की आज्ञानुसार जमानत पर छोड़ दिया गया ?

श्री हरिप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह जांच कब शुरू हुई और कब तक खत्म हो जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह एक संगीन मामले की जांच है, जितनी जल्दी हो सकेगी खत्म होगी ठीक समय तो नहीं बताया जा सकता ।

श्री हरिप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि क्या वह कोतवाल साहब अब भी थाने के क्वार्टर में रह रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह जमानत पर छटने के बाद कहां रहते हैं इसकी इत्तला नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि जो आदमी आग से जला है उस पर पेट्रोल थाने के अन्दर ही लगाया गया था ?

श्री अध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि इसकी अभी जांच हो रही है, अभी आप डिटेल नहीं मालूम कर सकते ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आज़मगढ़)---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इसकी जांच किसके द्वारा कराई जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मैं जानता हूं एस० पी० जांच कर रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि पीलीभीत के लोगों ने कोतवाली पर कब्जा कर लिया था और वहां के एम० एल० ए० साहब पर भी जनता ने मारपीट शुरू की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी मेरे पास कोई इत्तला नहीं है कि कोतवाली पर किसी का एक मिनट के लिये भी कब्जा हुआ हो।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि क्या वह इन्क्वायरी किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा करायेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैजिस्ट्रेट द्वारा तो इन्क्वायरी होती ही है।

श्री गेंदासिंह---इस समय जो इन्क्वायरी हो रही है, वह क्या किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा हो रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इन्क्वायरी पुलिस अलग कर रही है, मैजिस्ट्रेट अलग कर रहे हैं।

रुड़की में सब-जेल का निर्माण

*११---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---क्या यह सच है कि रुड़की की सब-जेल का निर्माण बीच में ही रोक दिया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री मुज़फ्फ़र हसन---रुड़की सबसीडियरी जेल का निर्माण बीच में नहीं रोका गया है।

*१२---श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार बतलायेगी कि इस सब-जेल का निर्माण कब तक पूरा हो जावेगा और इसमें कुल क्या व्यय होगा?

श्री मुज़फ्फ़र हसन---आशा है कि इस जेल का निर्माण वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में समाप्त हो जायेगा। इसमें कुल खर्चा ३,७६,७०० रुपये का होगा।

मड़ियाहू थाना, जिला जौनपुर के अन्तर्गत डाके तथा चोरियां

*१३---श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के मड़ियाहू थाने के अन्तर्गत जून, सन् १९५२ से जनवरी, सन् १९५३ तक कितने डाके पड़े और कितनी चोरियां हुईं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कोई डाका नहीं पड़ा, ३७ चोरियाँ हुई।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन चोरियों में कितनी में चोरों और घर के मालिकों में लठबाजी हुई और कितने एक महीने तक अस्पताल में रहे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इतने ब्योरे की बात इस वक्त नहीं बताई जा सकती।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि १२ दिसम्बर को रामपुर नदी गांव में मालिक और लोदी बढ़ई के यहां डाका पड़ा था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस वक्त नहीं कह सकता।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करग कि इधर मार्च में भी इस थाने में कोई डकैती हुई है जिसमें एक डाकू गिरफ्तार किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सवाल तो जनवरी तक का था। उसके बाद की बाबत मैं नहीं कह सकता।

*१४--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे की मड़ियाहू थाने के अन्तर्गत पड़ी डकैतियों में डाकुओं द्वारा कितने लोगों को चोट पहुंचायी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न नहीं उठता।

*१५-१६--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)-- [१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

शरणार्थी छात्रों को शिक्षा शुल्क से मुक्त करने का आदेश

*१७--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या राज्य के शरणार्थी छात्रों को शिक्षा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--जी हां, एक निश्चित प्रतिशत तक ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क से मुक्त किया गया है जिनके संरक्षकों की आय ८वीं कक्षा तक १०० रुपये और कक्षा ९-१० में १५० रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं हैं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि छात्रों के अभिभावकों की आय का तखमीना लगाने की जिम्मेदारी किस पर है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--जांच इसकी की जाती है।

*१८--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में उसने कोई आदेश अधिकारियों के पास भेजे हैं ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

*१९-२०--श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)--[१० अप्रैल, १९५३ क लिये स्थगित किये गये।]

नैनीताल बैंक की रामनगर शाखा में डाका पड़ने के कारण गिरफ्तारियां

*२१--श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ११ जून, १९५१ को नैनीताल बैंक की रामनगर शाखा में जो डाका पड़ा था क्या कुछ कम्युनिस्ट इस संबंध में गिरफ्तार किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यदि कम्युनिस्ट से कम्युनिस्ट पार्टी आफ़ इंडिया की सदस्यता का तात्पर्य हो तो इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है।

*२२--श्री शिवकुमार शर्मा--यदि हां, तो कितने तथा उनक क्या-क्या नाम हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि भारत के सभी कम्युनिस्ट भारत की आल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी की बाबत इतनी जानकारी का दावा नहीं रखता, लेकिन यह लोग जिनका इस डकैती से संबंध है वह कोई रेड कम्युनिस्ट पार्टी पंजाब की है उसके सदस्य हैं, जहां तक मालूम हुआ है।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस डकैती के डालने का उद्देश्य कम्युनिस्ट पार्टी को सहायता देना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, जहां तक मालूम हुआ है रेड कम्युनिस्ट पार्टी के काम में मदद करने के लिये डाका डाला गया। कम-से-कम वह लोग ऐसा ही कहते हैं कि हमारा पोलिटिकल उद्देश्य यही था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस डकैती में जो कुछ माल ले गये थे उसमें से कुछ रुपया या माल मिला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस प्रश्न के उत्तर की सामग्री मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इस डकैती के संबंध में कुछ अभियुक्त फरार हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, जहां तक मालूम है कुछ लोग फ़रार हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि अब तक कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे पास तो इस वक्त १६ आदमियों की लिस्ट है जो गिरफ्तार हैं।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभियुक्तों में से किसी ने मैजिस्ट्रेट के सामने यह बयान दिया है और कबूल किया है कि कम्युनिस्ट पार्टी की मदद के लिये यह डाका डाला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो जब अदालती कार्यवाही होगी तब इन बातों को बतलाया जा सकता है।

श्री झारखण्डे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर उनको यह ख़बर मिली कि वह लोग लाल कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जब हम गवर्नमेंट चलाते हैं तो हमारे पास बहुत से आधार हैं जिनसे हम जान सकें कि किस शख्स का किस पोलिटिकल पार्टी से संबंध है, खास कर जब लोग डकैती वग़ैरह डालने की कोशिश करते हैं।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गिरफ्तार हुये आदमी हैं वह कुछ जमानत पर भी छूट गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरा ख़याल है कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं इस वक्त निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

श्री झारखण्डे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन लोग हैं जिनका संबंध उनकी समझ में लाल कम्युनिस्ट पार्टी से है और उनके नाम क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं नाम बतला सकता हूं, लेकिन चूंकि जांच का मामला है यह उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—तो आप यह कह सकते हैं। आपका यही उत्तर पर्याप्त है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या फरार आदमियों के लिये सरकार ने कोई इनाम भी घोषित किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे मेरा ख़याल है कि हुआ है, लेकिन मैं ठीक निश्चित रूप से नहीं बतला सकता, क्योंकि इन सब बातों का इन प्रश्नों से कोई संबंध नहीं।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन डकैती डालने वालों का संबंध किसी विदेशी कम्युनिस्ट पार्टी से भी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका तो अभी तक हमको कोई पता लगा नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या यह सही है कि इस डकैती के तमाम अभियुक्त यू० पी० के बाहर के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसमें कई आदमी यू० पी० के बाहर के हैं।

*२३—श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ठ २५६ पर]

*२४-२६—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—[१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७—श्री लालबहादुरसिंह (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ठ २५६ पर]

*२८—श्री लालबहादुरसिंह (अनूपस्थित)—[१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*२९-३०—श्री रामकृष्ण जैसवार—[१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये किये।]

गोरखपुर रीजनल कन्सिलिएशन आफ़िस के सरकारी माली स निजी काम लेना

*३१—श्री गेंदासिंह—क्या यह सच है कि प्रान्तीय सरकार ने प्रान्त के सभी रीजनल कन्सिलिएशन अफ़सरों को रीजनल कन्सिलिएशन आफ़िस के हाते को ठीक रखने तथा अन्य इसी प्रकार के काम के लिये एक एक माली प्रत्येक रीजनल आफिस में रखा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कानपुर रीजनल आफिस को (जो अभी तक श्रमायुक्त क दफ्तर की ही इमारत में था) छोड़ कर सभी ऐसे दफ्तरों में एक सरकारी माली रखा गया है।

*३२—श्री गेंदासिंह—क्या गवर्नमेंट ने एक सरकुलर प्रान्त के सभी अफ़सरों को इस आशय का भेजा है कि वे सरकारी कर्मचारियों से निजी काम न लें ? यदि हां, तो क्या इस सरकुलर के उल्लंघन की शिकायत गोरखपुर आदि जगहों से सरकार को प्राप्त हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--(क) ऐसा कोई सर्क्युलर तो नहीं है पर यह आशा की जाती है कि सभी अफसर इस बात को ध्यान में रक्खेंगे कि सरकारी कर्मचारियों से सरकारी काम ही लेना चाहिये।

(ख) गोरखपुर व इलाहाबाद के रीजनल कन्सीलियेशन आफिसों से शिकायतें आयी हैं कि सरकारी माली से निजी काम भी लिया जाता है। इलाहाबाद वाली शिकायत निराधार सिद्ध हुई। गोरखपुर की शिकायत पर जांच हो रही है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के माली की शिकायत कब आयी और उसकी जांच कौन साहब कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कब आई, इसके लिये तो काफी तलाश करना होगा। मैं इस वक्त ठीक नहीं बतला सकता कि कब आयी थी।

श्री गेंदासिंह--क्या इसकी भी शिकायत माननीय गृह मंत्री जी के पास पहुंची है कि गोरखपुर के माली के ऊपर वहां के कन्सिलिएशन आफ़िसर साहब दबाव डाल रहे हैं कि वह अपनी शिकायत वापस ले लें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

श्री गेंदासिंह--तो इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्रमायुक्त को इस बात की ख़बर कर दी गयी है कि वह इस बात पर ध्यान रखेंगे।

गृहविहीन और खानाबदोशों की संख्या

*३३--श्री श्रीनाथराम (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बतान की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितनी ऐसी जनसंख्या है जिनके पास स्थायी निवास क लिये मकान नहीं हैं और जीवनोपार्जन का उचित साधन न होने के कारण अपने डेरे लेकर खानाबदोशों की भांति इधर उधर घूमते रहते हैं ?

डाक्टर सीताराम--जनसंख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री श्रीनाथराम--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन गृह-विहीन और खानाबदोशों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--कभी यह आंकड़े एकत्र नहीं किये गये।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इन खानाबदोशों के आंकड़ों को एकत्र करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--इस वक्त तो इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन खानाबदोशों को अब तक कौन कौन सी सहूलियतें दी गयी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--यह तो उत्तर में ही स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि इन खानाबदोशों में जो लोग अनुसूचित जातियों के हैं उनकी संख्या सरकार के पास है ?

डाक्टर सीताराम—इसकी भी सूचना नहीं है।

श्री श्रीनाथराम—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इस नीति स जो भी गिरी हुई नट, कटरिया, बहेरिया, कंजड़ और बरबार आदि जातियां हैं वे अपनी असमर्थताओं और विवशताओं के कारण सरकारी सहायता प्राप्त करने में बिलकुल असमर्थ हैं और इसका फायदा नहीं उठा पातीं?

श्री हरगोविन्दसिंह—जहां तक सरकार का खयाल है उनको यह सुविधायें उपलब्ध हैं।

*३४—श्री श्रीनाथराम—इतनी जनसंख्या में कितनी जातियां सम्मिलित हैं और वे कौन कौन सी हैं?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नहीं उठता।

*३५—श्री श्रीनाथराम—इनको बसा कर और व्यवसाय का साधन उपलब्ध कराके इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने का सरकार क्या प्रयास कर रही है और उसमें उसे कितनी सफलता प्राप्त हो सकी है?

डाक्टर सीताराम—जो भी गृहहीन जातियां परिगणित जातीय अनुसूची के अन्तर्गत आती हैं, उनको बसाने, व्यवसाय का साधन उपलब्ध करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये वे सारी सुविधायें उनको लभ्य हैं जो अन्य शेष परिगणित जातियों अथवा पिछड़े वर्गों को प्रदान की जाती हैं।

वस्तुतः सरकार ने न तो गृहहीन व्यक्तियों का सब स अलग वर्गीकरण ही किया है और न उनके लिये सर्वथा पृथक् सुविधायें ही नियत की हैं।

*३६-३७—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—[१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

कर्णप्रयाग, जिला गढ़वाल में पुलिस की ज्यादती

*३८—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाल में जिला गढ़वाल के तहसील चमोली के कर्णप्रयाग में मोटर स्टैण्ड के पास एक सिख दूकानदार को मारने की कोशिश करने वालों को पकड़ने के लिये वहां की पुलिस मौके पर गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कर्णप्रयाग के शिल्पकार डिकालीदास के घर के पास सरदार प्रकाशसिंह को मारने का प्रयत्न करने वालों को पकड़ने के लिये पुलिस मौके पर गई थी।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरदार प्रकाशसिंह की यह घटना कहां पर हुई है, शिल्पकार बस्ती में या उसकी दूकान पर?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह मामला चमोली के सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है, इसलिये मैं इसकी बाबत ज्यादा नहीं कह सकता।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह डिकालीदास उस वक्त से इस वक्त तक कहां हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी तक तो मैं समझता हूं कि अपने ही घर पर होंगे, अगर और कहीं होंगे तो मैं नहीं जानता।

श्री खुशीराम--कहने का मतलब यह है कि डिकालीदास इस वक्त हवालात में है या अपने घर पर है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने निवेदन किया कि मेरी समझ में तो अपने घर पर है, मुमकिन है कि हवालात में हो।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जो शिकायतें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास आयीं, उनके विषय में क्या स्टेप लिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद काफी इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि शिकायतों में कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें खुद उनको कुछ तथ्य मालूम होता है।

श्री खुशीराम--क्या मान्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह घटना जो हुई यह मोटर स्टैण्ड पर हुई या कहां पर हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं कैसे बतलाऊं कि कहां पर हुई लेकिन सरदार प्रकाश-सिंह डिकालीदास के घर के पास घायल पाये गये।

*३९--श्री खुशीराम--क्या सरकार के पास पुलिस द्वारा ज्यादती करने की शिकायतें आयी हैं ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिलाधीश के पास कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं। वे पुलिस के खिलाफ घूसखोरी, मारपीट और बलात्कार के बारे में हैं।

हेड कान्सटेबिलों की तरक्की के नियम

*४०--श्री देवमूर्तिराम (जिला बनारस)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस रेगुलेशन पैराग्राफ नम्बर ४४६ द्वारा प्रत्येक जिले में हेड कान्सटेबिलों को तरक्की देने का अधिकार जिला के पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट को है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पैराग्राफ ४४६ पुलिस रेगुलेशन से निकाल दिया गया है और सब-इंस्पेक्टरों की नियुक्ति अब पैरा ४०६ में दिये हुये नियमों के अनुसार होती है।

*४१--श्री देवमूर्तिराम--क्या सरकार को पता है कि लखनऊ रेंज के डी० आई० जी० ने उपर्युक्त रेगुलेशन के पैराग्राफ ४४६ का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पैरा ४०६ के अन्तर्गत सब-इंस्पेक्टर के पद के लिये अस्थायी नियुक्तियां सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस के द्वारा होती हैं परन्तु सेंट्रल रेंज में यह नियुक्तियां अब उन हेड कान्सटेबिलों में से होती हैं जो केन्द्रीय परीक्षा पास कर लेते हैं और जिनका नाम रेञ्ज डी० आई० जी० के आदेशानुसार ऐसे पास किये हुये हेड कांसटेबिलों की सूची में दर्ज हो जाता है।

श्री देवमूर्तिराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेंट्रल रेंज में ही क्यों डी० आई० जी द्वारा तरक्की देने की व्यवस्था की गयी है, और रेंजों में क्यों नहीं की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो प्रयोगात्मक चीज है और अगर प्रयोग सफल हुआ तो सभी रेञ्जों में यह चीज हो जायगी ।

श्री देवमूर्तिराम—सेंट्रल रेञ्ज के डी० आई० जी० ने किस कैटेगेरी के हेड कान्सटेबिलों को परीक्षा में शामिल किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसका कायदा यह है कि हर जिले से मांगा जाता है कि आप अपने यहां से लिस्ट भेज दीजिये उन हेड कांसटेबिलों की जिनको आप इसके योग्य समझते हों और फिर एक बोर्ड बैठता है जिसमें डी० आई० जी० होते हैं और दो सुपरिण्टेण्डेण्ट होते हैं। वह बोर्ड सेलेक्ट करता है हेड कान्सटेबुलों को ।

*४२—श्री बलदेवसिंह (जिला बनारस)—[१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया ।]

अपराध अन्वेषण के लिये स्काटलैण्डयार्ड के कुत्तों की आवश्यकता

*४३—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या प्रदेशीय सरकार ने अपराध अन्वेषण के लिये स्काटलैण्डयार्ड से कुछ कुत्तों को मंगाने का आर्डर दिया था ? यह कुत्ते कब तक आवेंगे और इन पर क्या खर्च होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रकार का कोई आर्डर नहीं दिया गया है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या वे यहां इस प्रदेश में अन्वेषण करने के लिये ऐसे कुत्तों को शिक्षित करने का विचार रखते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न में तो स्काटलैण्ड के कुत्तों का जिक्र है। तो इस प्रदेश में तो स्काटलैण्डयार्ड नाम की कोई जगह जहां तक मैं समझता हूं है नहीं। इसलिये ऐसे कुत्ते यहां मिलते नहीं ।

सम्पूर्णानन्द शिविर में बन्दियों का कार्य

*४४—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द शिविर में कितने कैदियों ने कितने दिन किस प्रकार का काम किया और उसमें कितना खर्च हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—सम्पूर्णानन्द शिविर में अक्तूबर, १९५२ से कैदी काम कर रहे हैं। इन कैदियों की दैनिक औसत संख्या १५३० रही है । इनका मुख्य काम मिट्टी खोद कर बांध पर डालना है। फरवरी, १९५३ तक कैदियों पर ४,३८,९३४ रुपये व्यय हुआ है।

*४५—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या गृह मंत्री ने इस वर्ष कैदियों द्वारा विस्तृत रूप से उत्पादन कार्य करने के लिये कोई योजना बनायी है? यदि हां, तो उसमें कितने कैदी कहां कहां काम करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---अभी इस विषय पर विचार हो रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि वहां जो काम हुआ है उसकी क्या वैल्यू है?

श्री मुजफ्फर हसन---यह तो सिंचाई डिपार्टमेंट बता सकता है, कई लाख रुपये का काम हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि सम्पूर्णानन्द शिविर में जो कैदी अच्छा काम कर रहे हैं उनको जल्दी छोड़ने की भी कोई योजना है?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी---ऐसे कितने अच्छा काम करने वाले कैदियों को छोड़ने का विचार सरकार कर रही है?

श्री मुजफ्फर हसन---जितने अच्छा काम करेंगे वे छोड़े जायेंगे।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर भी इन कैदियों से कोई काम लेने की योजना सरकार सोच रही है?

श्री मुजफ्फर हसन---इसका कुछ जिक्र बजट की तकरीर में माननीय गृह मंत्री ने किया था, उसको आप देखलें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रत्यक कैदी को कितनी मजदूरी प्रति दिन दी जाती है?

श्री मुजफ्फर हसन---वह तो काम क हिसाब से दी जाती है।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अच्छा काम करने वाले कैदियों को कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतान की कृपा करेंगे कि शिविर में किन किन जिलों से कैदी भेजे गये?

श्री मुजफ्फर हसन---करीब करीब हर जिले से।

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, बनारस क प्रिंसिपल की नियुक्ति

*४६---श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे की राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, बनारस में सन् १९४८ से प्रिंसिपल पद के लिये नियमानुसार विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और क्या उक्त पद पर किसी व्यक्ति की स्थायी नियुक्ति की गयी है?

डाक्टर सीताराम---(क) जी नहीं,

(ख) जी नहीं।

श्री गंगाधर शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत महाविद्यालय के प्रिंसिपल पद की नियुक्ति के लिये कोई नियम हैं या नहीं ?

डाक्टर सीताराम--नियम तो जरूर हैं।

श्री गंगाधर शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञापन क्यों नहीं निकाला गया ?

डाक्टर सीताराम--क्योंकि अभी यह अस्थायी अरेंजमेंट है लेकिन जब स्थायी अरेंजमेंट किया जायगा तब नियम के अनुसार विज्ञापन निकाला जायगा।

*४७--**श्री गंगाधर शर्मा**--[१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

थाना अलापुर, जिला बदायूं के अन्तर्गत डकैतियां

*४८--**श्री नरोत्तम सिंह** (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि थाना अलापुर, जिला बदायूं में पिछले दिसम्बर व जनवरी में कितनी डकैतियां हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--दिसम्बर में कोई डकैती नहीं हुई। जनवरी में एक डकैती हुई।

श्री नरोत्तमसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डकैती कौन से ग्राम में की गई और उसमें क्या हो रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ग्राम का नाम तो नहीं बता सकता लेकिन डकैती के मामले में कुछ हथियार भी बरामद हुये हैं, कई आदमी गिरफ्तार भी हो गये हैं और मामला अभी अदालत में जाने वाला है।

झांसी जिला बोर्ड के विद्यार्थियों पर वार्षिक टैक्स

*४९--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--क्या सरकार को पता है कि झांसी जिला बोर्ड ने स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के होते हुये भी नवम्बर, ५२ से सभी के साथ शैड्यूल जातियों व छात्र-वृत्ति पाने वाले बालक बालिकाओं पर भी डेढ़ रुपया वार्षिक टैक्स लगाया है। और उक्त रकम के एक मुश्त वसूल करने के कारण कितने ही विद्यार्थियों को पढ़ना छोड़ देना पड़ा है ?

डाक्टर सीताराम--इस फ़ीस के संबंध में शासन के पास शिकायत आई है। यह संभव है इस कारण कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ना छोड़ दिया हो।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह आदेश देगी कि वह इस अवैधानिक कर को वापस करदे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, यह आदेश दिया गया है।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)--क्या झांसी जिला बोर्ड ने सरकार के पास इस प्रकार की सूचना भेजी है कि यह टैक्स शिड्यूल्ड कास्ट और बालिकाओं पर नहीं लगाया जायगा ?

डाक्टर सीताराम--यह टैक्स नहीं है बल्कि एक प्रकार का चंदा है जो कि शिड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थियों से १ रुपया और अन्य विद्यार्थियों से डेढ़ रुपया फ़ी माह लिया जायगा। यह चन्दा परिगणित जातियों के नेता श्री जाजू राम तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकारियों ने ही मिल कर तय किया था।

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह चन्दा किसके लिये इकट्ठा किया गया है?

डाक्टर सीताराम--इस संबंध में तो कोई विशेष सूचना नहीं है।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--क्या सरकार को यह मालूम है कि झांसी जिला बोर्ड पिछले चार वर्षों से निःशुल्क शिक्षा दे रहा है?

डाक्टर सीताराम--इसकी तो सूचना नहीं है।

*५०--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार को पता है कि उक्त कर न दे सकने के कारण बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों को तथा संख्या कम हो जाने पर अध्यापकों को भी निकाल दिये जाने की धमकी दी गयी है?

डाक्टर सीताराम--इस संबंध में शासन के पास कोई सूचना नहीं आई।

*५१--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या उक्त बोर्ड ने टैक्स लगाने से पहले सरकार से स्वीकृति ले ली थी?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

हल्दी थाना, जिला बलिया के निर्माण के लिये जमीन

*५२--श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हल्दी थाना, जिला बलिया के बनवाने के लिये जमीन ली गयी है? यदि हां, तो इमारत बनवाने का कार्य कब तक शुरू होगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--थाना हल्दी के भवन के लिए भूमि प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। निर्माण का काम इसके बाद शीघ्र ही शुरू कर दिया जायगा।

श्री मान्धाता सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही कब शुरू की गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह तो मैं नहीं बतला सकता लेकिन यह बतला सकता हूं कि उसकी नोटिस निकल चुकी है, नोटिफाई कर दिया गया है ताकि मुआविजे की बात तय हो जाय।

श्री मान्धाता सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि गत वर्ष इसी प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया था कि भूमि प्राप्ति की कार्यवाही शुरू है, तो आखिर में विलम्ब होने का क्या कारण है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुआविजे के तय होने में देर हुई होगी लेकिन गत वर्ष से इतनी तरक्की इस साल हुई कि बजट में मकान बनवाने के लिये कुछ रुपया रख दिया गया है जिसे सदन ने स्वीकार किया है।

*५३--५४--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--[१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

गवर्नमेंट जे० टी० सी० कालेज, फैज़ाबाद के लिए परिगणित जाति के उम्मीदवार

*५५--श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट जे० टी० सी० कालेज, फ़ैजाबाद में इस वर्ष कुल कितने उम्मीदवार लिये गये हैं और उनमें से कितने परिगणित जाति के हैं?

डाक्टर सीताराम--६६ छात्राध्यापक लिये गये हैं और उनमें १ परिगणित जाति का है।

श्री रामदास रविदास--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रीजन भर से कुल कितने हरिजनों की अप्लीकेशंस आयी थीं?

डाक्टर सीताराम--इसकी सूचना सरकार के पास कोई नहीं है।

श्री रामदास रविदास--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले से कोई हरिजन लिया गया है?

डाक्टर सीताराम--इसकी भी तो कोई सूची नहीं है। फैजाबाद डिवीजन से एक परिगणित जाति का विद्यार्थी आया है। हो सकता है कि वह फैजाबाद जिले का ही हो।

देहरादून के चाय बागानों के मज़दूरों का स्मरण-पत्र

*५६--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार को देहरादून के चाय बागानों के मजदूरों की ओर से कोई मेमोरेन्डम दिया गया है? यदि हां, तो सरकार की ओर से उस पर क्या कार्रवाई हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--(क) जी हां।

(ख) इस संबंध में जांच हो रही है। उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मेमोरेंडम उनको प्राप्त हुआ है उस में मजदूरों ने क्या शिकायतें की हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुख्य शिकायत यह है कि जो चाय बागान के मालिक हैं वे अपने बागान को उजाड़ कर उस में बस्ती बसाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह मेमोरेंडम मज़दूरों की ओर से सामूहिक दस्तख़त से आया है या किसी यूनियन की तरफ से आया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यूनियन की तरफ से आया है।

श्री झारखंडे राय--कब तक उचित कार्यवाही की आशा की जाती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह बहुत ही पेचीदा और कानूनी सवाल है। जिन लोगों के पास प्राइवेट बागान हैं तो उनको कैसे मजबूर किया जा सकता है कि वे उनमें चाय की खेती करावें। कहां तक उन को मजबूर किया जा सकता है, यह एक कानूनी सवाल है। उस पर काफी विचार करने की आवश्यकता है और उस मसले पर विचार हो रहा है।

पुलिस कर्मचारियों पर चलाये गए अभियोग

*५७---श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रान्त में कितने पुलिस कर्मचारियों पर सन् १९५२-५३ ई० (वित्तीय वर्ष) में मुक़दमे चलाये गये और उनमें से कितने अपराधी सिद्ध हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१९५२-५३ ई० (वित्तीय वर्ष) में कुल ६६३ पुलिस कर्मचारियों पर मुक़दमें चलाये गये और उनमें से १०७ व्यक्ति अभी तक अपराधी सिद्ध हो चुके हैं।

श्री शुकदेव प्रसाद---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें से कितने ऐसे अपराधी हैं जो घूसखोरी के मामले में पकड़े गये हैं और कितने ऐसे हैं जो बलात्कार के मामले में पकड़े गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---चूंकि माननीय सदस्य ने इतने ब्योरे से पूछा नहीं था, इसलिये ब्योरे की सामग्री मेरे पास है नहीं।

जिला बुलन्दशहर के अन्डर ट्रायल क़ैदी

*५८---श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में ऐसे कितने क़ैदी हैं जो अन्डर ट्रायल हैं और वे किस किस दफ़ा के और कितने समय से चले आ रहे हैं ?

श्री मुज़फ्फ़र हसन---इस समय जिला जेल बुलन्दशहर में १४९ अन्डर ट्रायल क़ैदी हैं। और उनके संबंध का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है। अन्डरट्रायल क़ैदियों के मामले कितने समय से चले आ रहे हैं इसका विवरण इस प्रकार हैं---

अक्तूबर १९५२	नवम्बर १९५२	दिसम्बर १९५२	जनवरी १९५३	फ़रवरी १९५३	मार्च १९५३
क़ैदी	क़ैदी	कैदी	क़ैदी	क़ैदी	क़ैदी
७	१५	२२	१८	६१	२६

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०४ पर)

श्री धर्मसिंह---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जेल में कितने क़ैदियों तथा हवालातियों के रहने का स्थान है ?

श्री मुज़फ्फ़र हसन---हवालातियों का अलग स्थान नहीं होता।

जाति के नाम पर चलने वाली शिक्षा संस्थायें

*५९---श्री धर्मसिंह---क्या शिक्षा मंत्री उन शिक्षा संस्थाओं के नामों को बदलने का विचार रखते हैं जो किसी जाति के नाम पर चली आ रही हैं ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

श्री धर्मसिंह--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जो शिक्षा संस्थायें विशेष जाति के नाम पर चलती हैं उनमें विशेष जातियों के अध्यापक और विशेष जाति के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ?

डाक्टर सीताराम--कांस्टिट्यूशन आफ़ इंडिया की धारा २८, २९ और ३० के अनुसार ऐसा कर सकते हैं।

* ६०-६१--**श्री पुत्तूलाल** (जिला आगरा)--[१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

बदायूं नगरपालिका द्वारा दी गयी हरिजन छात्रवृत्ति के वितरण से असंतोष

*६२--**श्री चुन्नीलाल सगर** (जिला बदायूं)--क्या यह सच है कि नगरपालिका बदायूं को सरकार द्वारा दी गयी हरिजन छात्रवृत्ति सहायता, हरिजन छात्रों को जुलाई, १९५२ से अब तक नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

*६३--**श्री चुन्नीलाल सगर**--क्या यह सच है कि गत वर्ष, १९५१-५२ में हरिजन छात्रों को नगरपालिका बदायूं से आठ मास की छात्रवृत्ति नहीं मिली थी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

श्री चुन्नीलाल सगर--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई, सन् ५२ से फरवरी, सन् ५३ को छात्रवृत्तियां किस मास में वितरित की गईं ?

डाक्टर सीताराम--यह छात्रवृत्तियां मार्च, सन् ५२ की, फरवरी ५३ के महीने में दी गईं।

श्री चुन्नीलाल सगर--क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई, सन् ५२ से फरवरी सन् ५३ तक की छात्रवृत्तियां फरवरी, सन् ५३ में क्यों दी गईं ?

डाक्टर सीताराम--इसका खास कारण यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड बदायूं का निरीक्षण आडिटर्स कर रहे थे। इसलिये वहां पर देरी हो गई। जितने क्लर्क थे वे उस काम में बिजी थे। इसलिये हरिजन छात्रों की छात्रवृत्तियां वक्त से नहीं मिल सकीं।

*६४--**श्री चिरंजीलाल पालीवाल** (जिला फर्रुखाबाद)-- [१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*६५--६६--**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ २५६ पर।]

सुल्तानपुर व प्रतापगढ़ जिलों में संस्कृत पाठशालाओं को वार्षिक सहायता

*६७--**श्री रणंजय सिंह** (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों में किस संस्कृत पाठशाला को सरकार से कितनी वार्षिक सहायता मिलती है ?

डाक्टर सीताराम--इस संबंध में संलग्न तालिका मेज पर रखी जाती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३०५ पर।)

श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतलावेगी कि इनमें से आदर्श पाठशाला कौन कौन हैं?

डाक्टर सीताराम--आदर्श पाठशाला के संबंध में अभी डायरेक्टर आफ़ एजूकेशन ने लिस्ट बनाना शुरू की है जिसकी अभी पूरी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि साधारण पाठशाला और आदर्श पाठशाला में क्या अन्तर है?

डाक्टर सीताराम--अन्तर तो ज़रूर रखा गया है लेकिन अभी उस की सूचना हमारे पास नहीं है इसलिये अभी यह बताना कठिन है।

*६८-६९--श्री रणंजय सिंह--[१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

बलिया जिले के छिछोरकाण्ड में मारे गये व्यक्ति

*७०--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया ज़िला के सन् ५० वाले छिछोरकान्ड में कितने आदमी मारे गये और वे कौन थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बलिया जिले के सन् १९५० वाले छिछोरकान्ड में श्री श्रीरामकुंवर सिंह के परिवार के निम्नलिखित ५ व्यक्ति मारे गये--

(१) श्री सीताराम सिंह
(२) श्री जयनारायन सिंह
(३) श्री रामचन्द्र सिंह
(४) श्री रविप्रताप सिंह
(५) श्रीमती श्रीपतीदेवी

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि इस कणड के कौन से प्रमुख कारण थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मालूम होता है वहां कुछ कम्युनिस्ट लोगों पर मुक़दमे चल रहे थे और उसी सिलसिले में जो उनके खिलाफ गवाही देने वाले थे जिनसे नाराजगी थी उनमें से एक तो राधामोहन सिंह को उन के घर पर जाकर २३ तारीख़ को मारा और राम प्रताप सिंह को ३० तारीख़ को घर पर जा कर मारा और जो लोग बचाने आये उनको भी मारा और कारण यही था कि उस वक्त कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ मुक़दमा चल रहा था।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या यह सही है कि कुंड़वा मानिकपुर कांड के अनुसार जैसे मरे हुये व्यक्ति की स्त्री को पेंशन मिलती है उसी तरह से छिछोरकांड वाले परिवार को भी सहायता करने पर सरकार विचार करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विचार तो हुआ था, एक तो जहां तक मालूम हुआ है इस परिवार की हालत कुछ ऐसी है कि दाल रोटी का काम चल जाता है। दूसरे जिस पार्टी के हाथों यह काम हुआ है अगर वह ज़िन्दा रही तो न मालूम कितने लोग उस के शिकार होंगे चाहे सरकार कितनी ही मदद करे।

*७१--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या यह सच है कि इस कान्ड का संबंध किसी राजनैतिक पार्टी से था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सच है कि इस कांड में भाग लेने वालों का संबंध एक राजनीतिक पार्टी से था।

*७२--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया उन तमाम सुविधाओं को जो राजनैतिक उत्पीड़ित परिवारों को दी जाती हैं, इस काण्ड में मरे हुये व्यक्तियों के परिवारों को भी देने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

*७३-७४--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--[१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

जाति विशेष के नाम पर चलने वाली शिक्षा संस्थायें

*७५--श्री केवलसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार किसी जाति विशेष के नाम पर चलने वाले कालेज तथा स्कूलों को दी जाने वाली इम्दाद को बन्द करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, ऐसा करने में वैधानिक रुकावटें हैं।

श्री नेकराम शर्मा--क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वह वैधानिक आपत्ति क्या है ?

डाक्टर सीताराम--कांस्टीट्यूशन आफ़ इंडिया, आर्टिकिल नम्बर २८, सब-सेक्शन २ में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं अगर उनमें से चेरिटेबिल एन्डाउमेंट हैं उनको सरकार सहायता देती है। अतः यह कहना कि उनको बन्द कर दिया जाय अवैधानिक है।

पाठ्यक्रम में गांधी साहित्य का स्थान

*७६--श्री केवलसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त की शिक्षा पद्धति में पूज्य गांधी जी द्वारा लिखित साहित्य को स्थान देने पर विचार किया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, क्योंकि गांधी जी की जीवनी, आदेश, सिद्धान्त, इत्यादि पर काफी सामग्री पाठ्यपुस्तकों में प्रायः रहती है।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गांधी जी ने स्वास्थ्य रक्षा और नीति धर्म पर जो पुस्तकें लिखी हैं उनको वह पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम--इस पर सुझाव तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रश्न सरकार के सामने अभी विचाराधीन नहीं है जिसको मैं अभी आप के सामने उपस्थित कर सकूं।

चन्द्रप्रभा बांध पर काम करने वाले क़ैदियों पर व्यय

*७७--श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चन्द्रप्रभा बांध पर कुल कितने क़ैदी काम करते हैं ?

श्री मुजफ्फ़र हसन--चन्द्रप्रभा बांध पर काम करने वाले क़ैदियों की दैनिक औसत संख्या १,५३० रही है।

श्री जवाहरलाल--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सेंट्रल जेल जिन जिलों में स्थित है वहां के कैदियों से भी किसी तरह का काम लेने की कोई व्यवस्था सरकार करेगी?

श्री मुजफ्फ़र हसन--जी हां, वह तो कार्य किया जा रहा है कि कहां-कहां यह काम चलाया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बांध में काम करने वाले क़ैदियों को जब छांटा गया तो उसके छांटने की भित्ति यानी क्राइटेरियन क्या था?

श्री मुजफ्फ़र हसन--यह सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

*७८--**श्री जवाहरलाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक क़ैदी पर प्रति दिन जो व्यय होता है उसका उस क्षेत्र की प्रचलित मजदूरी की दर से क्या अनुपात है?

श्री मुजफ्फ़र हसन--चन्द्रप्रभा बांध में एक क़ैदी पर जो दैनिक व्यय होता है उसका और क़ैदी की दैनिक आय का अनुपात १५:१४ है।

लीलावती पन्त राजकीय, माध्यमिक विद्यालय भीमताल (जिला नैनीताल) में स्थानाभाव

*७९--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार को मालूम है कि लीलावती पन्त राजकीय माध्यमिक विद्यालय भीमताल (जिला नैनीताल) को स्कूल के कमरे न होने के कारण अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

*८०--**श्री नारायण दत्त तिवारी**--अगर हां, तो सरकार इस कमी को दूर करने के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

डाक्टर सीताराम--८ नये कमरों के निर्माण की योजना विभाग के विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन दे सकते हैं कि इन आठ कमरों के निर्माण की व्यवस्था इसी वर्ष में हो जायगी?

डाक्टर सीताराम--नहीं, इस वर्ष में नहीं हो पायेगी, लेकिन ५४ और ५५ के लिये इस पर विचार किया जा रहा है।

*८१--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या यह सही है कि लीलावती पन्त राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भीमताल को अभी अस्थायी रूप से ही राजकीय विद्यालय माना गया है? अगर हां, तो उसे स्थायी कब तक घोषित किया जायगा?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि इस विद्यालय के अध्यापक अभी तक स्थायी निश्चित नहीं किये गये हैं?

डाक्टर सीताराम--चाहे अध्यापक स्थायी हों या अस्थायी, सब गवर्नमेंट सर्विस के अन्तर्गत आते हैं। उनकी जब सीनियारिटी काउण्ट होगी तो वे स्थायी कर दिये जायेंगे।

हरिजनों को मकान बनवाने के लिए सहायता

*८२--श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष कितना रुपया हरिजनों के मकान बनाने के लिये जिला नियोजन अधिकारियों को दिया गया था?

डाक्टर सीताराम--७०,००० रुपया दिया गया था।

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ७० हजार रुपया किन-किन जिलों के नियोजन अधिकारियों को कहां-कहां दिया गया?

डाक्टर सीताराम--यह १४ जिले हैं, जैसे सहारनपुर ८,५५०, आजमगढ़ ४,०००, आगरा ४,०००, बलिया १२,०००, इटावा ३,३००, फैजाबाद ६,०००, गढ़वाल २,२००, गाजीपुर ७,०००, जौनपुर १५००, लखनऊ ५,०००, नैनीताल ५,०००, गोरखपुर २,०००, मथुरा २,०००, बिजनौर, ७,४५०।

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मकान के लिये जो ये रुपये दिये गये हैं उनसे हरिजनों के कितने मकान बनाये गये?

डाक्टर सीताराम--इसकी तो कोई सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो रुपया जिला नियोजन अधिकारियों को इस प्रकार दिया गया उसमें से कितना रुपया उपयुक्त हुआ?

डाक्टर सीताराम--इसकी सूचना नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर्स को आदेश दिये गये हैं कि अगर उस साल के अन्दर मकान न बन पायें तो वह रुपया दूसरे साल के लिये रख दिया जाय। वह दूसरे साल यूटिलाइज कर लिया जायगा क्योंकि मकानों का ऐसा मामला होता है कि वह उसी साल नहीं बन सकते।

*८३--श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नियोजन अधिकारी अलीगढ़ को कितना रुपया गत वर्ष हरिजनों के मकान बनाने को दिया था?

डाक्टर सीताराम--कोई रुपया नहीं दिया गया था।

*८४--श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह रुपया जिला अलीगढ़ के किस भाग में कितना कितना किस प्रकार व्यय किया गया?

डाक्टर सीताराम--प्रश्न नहीं उठता।

बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को शिक्षा के लिये सहायता

*८५--श्री धर्मसिंह--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सरकार द्वारा कितना धन शिक्षा संबंधी कार्य के लिये वार्षिक अनुदान के रूप में दिया जाता है?

डाक्टर सीताराम---विभिन्न राजाज्ञाओं के अन्तर्गत परिषद् के प्राप्यक की गणना करने पर जो धनराशि आती है वही अनुदान शिक्षा के हेतु दिया जाता है। इस वर्ष जिला परिषद्, बुलन्दशहर को शिक्षा के लिये कुल ५,०८,३९४ रु० का अनुदान दिया गया है।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बुलन्दहशहर की शिक्षा पर कितना रुपया व्यय होता है ?

डाक्टर सीताराम---६ लाख ५२ हजार ४३४ रुपया सालाना व्यय होता है।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिये शिक्षा के संबंध में अनुदान देने की क्या नीति है ?

डाक्टर सीताराम---डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में शिक्षा पर जितनी रकम खर्च होती है उसका दो तिहाई सरकार देने की कोशिश करती है। जो फीगर्स आते हैं उन पर कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह से बुलन्दशहर को ७७.९ प्रतिशत कंट्रीब्यूशन यू० पी० सरकार ने दिया है जब कि यू० पी० का औसत सिर्फ ७७.५ प्रतिशत है।

मुहल्ला कुतुबपुर, थाना हसनगंज के सिपाहियों द्वारा वाल्मीकियों पर अत्याचार

*८६---श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख २२ सितम्बर को ९ बजे रात्रि को मु० कुतुबपुर, थाना हसनगंज के सिपाहियों ने कुछ वाल्मीकियों को बुरी तरह से पीटा जिसकी डाक्टरी जांच भी उसी रात को हुई और उस घटना की शिकायत लिखित रूप से समस्त अधिकारी तथा मंत्री महोदय को दी जा चुकी है? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, इस संबंध में कुछ शिकायतें जिला अधिकारियों व सरकार को दी गई, लेकिन जांच करने पर उनकी पुष्टि न हो सकी।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में जांच किन अधिकारियों द्वारा करायी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कुछ जांच सर्किल इंस्पेक्टर ने की और कुछ जांच सिटी-मैजिस्ट्रेट ने की।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुष्टि न होने का कारण उक्त शिकायत ही गलत थी अथवा सबूत ही प्राप्त न हो सका ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---चूंकि शिकायत गलत थी, इसलिये सबूत प्राप्त नहीं हो सका।

रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के आफिस के कर्मचारी

*८७---श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के आफिस में कितने कर्मचारी किस-किस पद पर हैं?

*८८—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के आफिस के कर्मचारियों का मासिक वेतन क्या है और उनकी नियुक्ति कब से हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन के दफ्तर में २० कर्मचारी और ५ चपरासी हैं। उनके पद व मासिक वेतन और उनकी नियुक्ति की तिथि संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३०६ पर।)

*८९—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के आफिस के कर्मचारियों के कार्य का विभाजन हुआ है? अगर हां, तो यह बटवारा कब हुआ और किस प्रकार?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, कार्य विभाजन अधिकारियों की नियुक्ति के समय ही यथानुकूल किया गया था।

*९०—श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—[१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

बिसवां का माडल थाना

*९१—श्री सुरेश प्रकाश सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिसवां थाना कब से और क्यों माडल थाना (Model thana) बनाया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस समय पर प्रचलित योजना के अनुसार बिसवां थाना १५ फरवरी, १९५३ ई० से माडल थाना बनाया गया।

बनारस क्वीन्स कालेज के हाते का शिलास्तम्भ

*९२—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (ज़िला बनारस)—क्या सरकार को यह विदित है कि बनारस के क्वीन्स कालेज के हाते का शिलास्तम्भ उसी जिले के परगना महाइच, गांव प्रहलादपुर से यहां लाया गया है?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां।

*९३—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी—यदि यह बात सही है, तो उस मूल स्थान (जहां से यह शिलास्तम्भ लाया गया है।) की ऐतिहासिक महत्ता बनाये रखने के लिये कोई स्मृति-चिन्ह बनवाने का सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसा कोई प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ज़िला मुजफ्फ़रनगर में डकैतियां

*९४—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में (१) गांव में, (२) नगरों में, १ जनवरी, सन् ५२ से ३१ दिसम्बर, ५३ तक कहां-कहां और कब डकैतियां हुईं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नगरों में कोई डकैती नहीं हुई । गांवों में हुई डकैतियों के संबंध में सूचना साथ में नत्थी नकशे में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३०७ पर)

*९५--श्री श्रीचन्द--इनमें से कौन-कौन डकैतियां ऐसी हैं जिनका पता अभी तक नहीं लग सका है और इनके संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बसी खुर्द, शुक्रतारी और काजीपुरा में पड़ी डकैतियों का पता नहीं चला । उनके संबंध में तहकीकात बंद कर दी गई है ।

* * * *

राज्य में क़त्ल व डकैतियां

*२३--श्री लालबहादुर सिंह (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ ई० में प्रांत में कुल कितने कत्ल तथा डकैतियां हुई ? पिछले वर्षों से इनमें वृद्धि हुई है या कमी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१५५२ कत्ल व ६६१ डकैतियां हुई । इनमें पिछले वर्षों से कमी हुई है ।

* * * *

ज्ञानपुर, रामपुर, नैनीताल सरकारी डिग्री कालेजों पर व्यय

*२७--श्री लालबहादुर सिंह (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानपुर, रामपुर, नैनीताल सरकारी डिग्री कालेजों में गत वर्ष कितना व्यय हुआ ?

श्री हरगोविंद सिंह--४,३३,३२८ रु० ९ आ० ७ पा० ।

* * * *

मुरादाबाद राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल को डिग्री कालेज बनाने का एकत्रित चन्दा

*६५--श्री महीलाल (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद नगरवासियों द्वारा राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल को डिग्री कालेज बनाने के लिये सन् १९२१-२२ ई० का चन्दे का २३,४५,६७८ रु० जमा है ? यदि हां, तो यह अब तक व्यय क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरगोविंद सिंह--ऐसा कोई चन्दे का रुपया जमा नहीं हुआ था ।

मुरादाबाद जिले में हरिजनों को कुयें बनवाने के लिये स्वीकृत धन

*६६--श्री महीलाल--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन सहायक विभाग की ओर से सन् १९५२-५३ ई० में मुरादाबाद जिले को हरिजनों के कुयें बनाने के लिये जो रुपया दिया गया था वह व्यय हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक व्यय हो जायगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह--सन् १९५२-५३ ई० में मुरादाबाद जिले को हरिजन सहायक विभाग की ओर से कुयें बनाने के लिये ५,००० रु० मंजूर हुआ । वह अभी व्यय नहीं हुआ है, परन्तु यथा समय व्यय हो जावेगा ।

अतारांकित प्रश्न

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों और इण्टर कालेजों को सहायता

१---श्री राम सहाय शर्मा (जिला झांसी)---क्या शिक्षा मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि सन् १९५२-५३ में गैर सरकारी मान्यता प्राप्त इन्टर कालेजों और हायर सेकेन्डरी स्कूलों को कुल कितनी आर्थिक सहायता (Grant-in-aid) दी गयी है ?

श्री हरगोविंद सिंह--सदस्य महोदय, सहायक विद्यालयों की, वर्ष १९५२-५३ की, सूची शिक्षा मंत्री जी के कमरे में देख सकते हैं।

२---श्री राम सहाय शर्मा--- [१७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला बुलंदशहर में राजनीतिक पीड़ित परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

३---श्री धर्मसिंह---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में पिछले दो वर्ष में कितने राजनैतिक पीड़ित परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गयीं, उनके नाम और पते क्या-क्या हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह---सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३०८ पर)

चीनी मिल के कर्मचारियों का बैठकी भत्ता

४---श्री गेंदासिंह---क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की किस चीनी मिल ने अब तक सरकार की विज्ञप्ति नं० १४२५ (एस० टी०) (२) /१८---१३-(एस०टी०)-५०, ता० ५ जुलाई, १९५० के अनुसार कर्मचारियों की बैठकी का भत्ता नहीं दिया है और यदि नहीं दिया है, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---४६ चीनी मिलों ने। वे हाईकोर्ट में पेश हुई रिट दरख्वास्तों पर निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

५---श्री गेंदासिंह---इस विज्ञप्ति के विरुद्ध प्रदेश की किस चीनी मिल ने हाई कोर्ट में रिट दरख्वास्त पेश की है और कब तक इस प्रकार की दरख्वास्तों का निर्णय हो जाने की आशा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--४६ चीनी मिलों ने। कुछ नहीं कहा जा सकता।

कसिया, जिला देवरिया में बंदीगृह बनने का आयोजन

६---श्री राम सुभग वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया, तहसील पड़रौना के अन्तर्गत कसिया में बंदीगृह (जेलखाना) बनने का आयोजन था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

७---श्री रामसुभग वर्मा---क्या सरकार उसको बनवाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वहां पर जेल रखना कहां तक उपयोगी होगा यह विचारणीय है।

संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक

८---श्री गंगाधर मैठाणी---क्या यह सत्य है कि सरकार प्रत्येक जिले में संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षण के लिये एक निरीक्षक नियुक्त करने का विचार कर रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं।

आज़मगढ़, गाज़ीपुर, बलिया, जौनपुर आदि जिलों में खेतिहर मज़दूरों अथवा किसानों में असन्तोष के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक 'कामरोको' प्रस्ताव मेरे पास श्री रामसुन्दर पान्डेय जी की तरफ से आया है। वह इस प्रकार है:

"आज़मगढ़, गाज़ीपुर, बलिया, जौनपुर आदि जिलों में गलत इन्दराज दुरुस्त करने के कानून बन जाने के बावजूद भी जिलाधिकारियों एवं सरकार द्वारा की गयी उपेक्षा एवं पक्षपातपूर्ण जांच से खेतिहर मजदूरों एवं किसानों में असंतोष व्याप्त हो गया है जिसके फलस्वरूप क़त्ल और मुक़दमों की भरमार है। आज़मगढ़ जिले के अधिकारी पी० ए० सी० बटालियन की टुकड़ी और पुलिस द्वारा किसानों के काश्तकारी खेतों को भी कटवा रहे हैं। प्रान्तीय सरकार के मुख्य मंत्री, गृह मंत्री और माल मंत्री के यहां बार-बार लिखते रहने पर भी ध्यान न देने के कारण अराजकता की सी दशा उपस्थित हो गयी है।

अतः मैं चाहता हूं कि उक्त विषय पर विचार करने के लिये आज का सदन स्थगित किया जाय।"

इसमें अगर कोई बातें सही हैं तो महत्व की चीज हो जाती है, लेकिन निश्चितता के बारे में इसमें कुछ स्पष्ट लिखा नहीं है। मैं माननीय रामसुन्दर पान्डेय जी से यह कहूंगा कि इसको अवैध करार देने के पेश्तर---अभी नियम ६८ के अनुसार मैं इसे अवैध क़रार नहीं दे रहा हूं--- सिर्फ वें यह बतावें कि वे किस तरह से समझते हैं कि एक तो यह बहुत अर्जेन्ट है और दूसरे यह निश्चित है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आज़मगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस 'कामरोको' प्रस्ताव पर राय जाहिर करने का मौक़ा प्रदान किया है।

श्री अध्यक्ष---प्रस्ताव पर राय जाहिर करने का नहीं, उसकी निश्चितता व अर्जेन्सी पर।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---अध्यक्ष महोदय, इस 'कामरोको' प्रस्ताव के संबंध में सब से जरूरी जो विषय है वह यह है कि सरकार और माननीय सदस्यों द्वारा जो ग़लत इन्दराज के संबंध में बनाया हुआ कानून है........

श्री अध्यक्ष---आप इसके बारे में मत कहिये। आप यह बतलाइये कि इसके निश्चित होने के संबंध में क्या बातें हुईं। यह आप सदन को बतायें और मुझे बतायें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि आज़मगढ़ में जो इस तरह की घटनायें हुयी हैं और उनके संबंध में वहां की जनता की ओर से जो दरख्वास्तें आयी हैं, उन पर सरकार की ओर से जो पक्षपातपूर्ण नीति रही है, उसके कारण वहां जनता में असंतोष व्याप्त है। मैं थोड़े समय में आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेमरी जमालपुर गांव के ज़मींदार सीताराम राय बलिया जिले के रहने वाले हैं। उस गांव में उनका एक न मकान है और न एक बैल है, फिर भी किसानों की जोत की जमीन भूतपूर्व जमींदारों को ही दी जा रही है। मैंने खुद माननीय माल मंत्री और माननीय गृह मंत्री के पास लिख कर भेजा लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, सेमरी जमालपुर के किसान जो हरिजन हैं उनकी फ़सल ज़मींदारों ने खलिहान से उठा लिया है। खैरा मुहम्मदपुर गांव में रामधन भर और बल्ली चमार, जिन के पक्ष में मैजिस्ट्रेट का फैसला था, उनकी फसल घोसी के थानेदार पी० ए० सी० बटालियन के साथ कटवाकर उठा ले गये। भोजीपुर बेलवली के गांव में दुखी अहीर है। दफा १४५ में उसकी डिग्री हो गयी थी, दो नम्बर का झगड़ा था, एक नम्बर ४ और दूसरा नम्बर ५। नम्बर ५ में किसान के पक्ष में डिग्री हुई थी।

श्री अध्यक्ष--इसके बारे में भी सरकार के पास भेजा।

श्री रामसुरन्दर पांडेय--जी हां, मैंने भेजा है। जिसमें किसान की डिग्री है वह नम्बर ५ है और रक़बा ९१० कड़ी है। उस को पुलिस के लोगों ने दिन दहाड़े कटवा दिया। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त ढ़डवल पटयांव के राम केवल अहीर के खेत को पुलिस के द्वारा कटवाया गया।

श्री अध्यक्ष--अगर २०, २५ केसेज़ हैं, तो आप केसेज़ का नाम एकदम दे दीजिये, तफसील नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--अध्यक्ष महोदय, वही दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--तफसील में तो जब आप को सदन से इजाज़त मिल जाय तब कहियेगा। अभी तो मुख़्तसिर में कहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--इसी तरह से फ़तेहपुर बरोही के सुन्दर चमार की फ़सल खलिहान से उठा ली गयी। जस्टिस इक़बाल के भाई ने जो बहुत बड़े ज़मींदार हैं पुलिस से मिल कर फतेहपुर चौबे के कई हरिजनों की फसल बन्दूकों के बल से खेत से कटवा ली। माननीय उमाशंकर मिश्र एम० एल० ए० की रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनकी बन्दूक़ का लाइसेंस जब्त कर लिया, लेकिन मुक़दमा चलाने की कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की गई। मितहरा ग्राम के चमारों की फ़सल ज़मींदारों ने बन्दूक़ लेकर कटवा ली। मिसिपुर के राजदेव मिश्र की फसल दरवाज़े पर से पुलिस उठवा ले गयी। भटनी गांव के कालू अहीर की फ़सल ज़मींदार ने कटवा ली। मलेरी कोट के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता इन्द्रदेव चौहान को सब पुलिस इंसपेक्टर थाना घोसी ने परगना हाकिम घोसी के आदेश से मारा गया और १०७/११७ में बन्द कर दिया गया। इसके अलावा मोहीउद्दीनपुर और गौहारपुर के ६७ किसानों पर ३७९ का मुक़दमा चलाया गया और वह इसलिये चलाया गया कि वे किसान खेत को जोतते थे और पहले उन्होंने ग़लत इन्दराज़ की जांच की दरख्वास्त दी थी। इसी प्रकार इन्दारा ग्राम के घुर- मारी और लखन भर के खेतों को १४५ में पुलिस द्वारा कुर्क करा लिया गया और मारा गया। हथिनी ग्राम के रामटहल वग़ैरह ३५ आदमियों पर १०७ का मुक़दमा चलाया गया। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, मेनडाड़ ग्राम के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता साथी असगर का क़त्ल जिलाधिकारियों की उदासीनता और भूतपूर्व ज़मींदारों के संगठित दल से हुआ।

श्री अध्यक्ष--ये आप भेज चुके हैं सरकार के पास ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो आप के उदाहरण काफ़ी हो गये। अब आप मुझसे आज्ञा मांगने का निश्चित कारण कहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--तो अध्यक्ष महोदय, इस तरह से यह सारी फ़ाइल मेरे पास मौजूद है और सब की प्रतिलिपि मेरे पास है और माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री, और माननीय माल मंत्री जी को इस संबंध में बाइस चिट्ठियां लिखी गयीं, लेकिन उन चिट्ठियों का कोई असर अब तक नहीं हुआ और न सम्भावना ही है। क्योंकि सरकार ज़िलाधिकारियों के ही रिपोर्ट सच मानती है पुनः जांच नहीं करना चाहती है। मैं आप के द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि यदि इसका जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो जो लोग लाठी वाले हैं, और जिनका सम्पर्क कांग्रेस के नेताओं और बड़े-बड़े अधिकारियों से है वे खेतिहर मज़दूरों और किसानों का ज़िन्दा रहना दूभर कर देंगे, ऐसी असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। इसलिये मैं आप के द्वारा इस आदरणीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार करने के लिये अनुमति प्रदान करें।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रामसुन्दर पांडेय की बात सुनने के बाद भी मेरी यही राय है कि जो प्रस्ताव वह लाये हैं वह बिल्कुल ही अनिश्चित है और साथ ही निराधार भी है। यह सही है कि वह समय-समय पर मेरे पास बहुत सी शिकायतें लाते रहे हैं। उनकी शिकायतें यह रही हैं कि वहां के सरकारी अधिकारी और कांग्रेस वाले मिल कर वहां के ग़रीबों और किसानों को लूटते रहे हैं। साथ ही इसके इस सदन के कई माननीय सदस्यों की तरफ़ से भी एक दरख़्वास्त आयी है जिसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जो कि श्री पांडेय जी को अपना नेता मानते हैं उन्होंने आजमगढ़ के एक हिस्से में एक अजीब आफ़त मचा रखी है। पुलिस ने वहां आफ़त मचा रखी है और लोगों को लूटती मारती है, यह कहना गलत होगा और इसका कहीं रामसुन्दर जी ने भी प्रमाण नहीं दिया कि पी० ए० सी० ने ज्यादती की। जहां तक ग़लत इन्दराजों का मामला है उस के लिये मैजिस्ट्रेटस् को आज्ञा दे दी गयी है कि वे ऐसे मामलों की जांच कर के उचित कार्यवाही करें। वैसे यहां तो जो शिकायतें हमारे पास आती रहती हैं उन को तो हम जांचते ही रहते हैं। जितनी शिकायतों का उन्होंने ज़िक्र किया उन सबका जवाब देना मेरे लिये तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार की शिकायतों पर सदन का काम रोकने के लिये कोई आधार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैंने यह बात पहले ही कह दी थी कि जहां तक महत्व का सवाल है, बहुत से मामले हैं और वह महत्व रखते हैं, लेकिन निश्चितता के बारे में, अरजेंसी के बारे में जो नियम है उसका एक हिस्सा मैं आप को पढ़ कर बता देना चाहता हूं क्योंकि इस प्रकार के कामरोको प्रस्ताव इस सदन में माननीय सदस्यों की ओर से आते रहते हैं। इसलिये उससे माननीय सदस्यों को आगे के लिये सहूलियत हो जायेगी और वे आयन्दा उसका ख्याल रख सकेंगे।

"Not more than one matter shall be discussed on the same motion."

[एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं हो सकेगी।]

निश्चितता में यह भी होना चाहिये कि कोई एक ही निश्चित बात हो जो महत्व की हो। जो बातें कही गयी हैं उनमें १५, २० प्रश्न रखे गये हैं लेकिन जो मेरे पास प्रस्ताव आया था उसमें गोल लिखा हुआ है उस में किसी एक निश्चित बात का ज़िक्र नहीं किया गया है। ऐसी हालत में मैं इसको निश्चित क़रार नहीं दे सकता और इसलिये मैं यह भी इजाजत देना मुनासिब नहीं समझता कि यह सदन की अनुमति के लिये पेश किया जाय।

लेखा समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष--लेखा समिति के निर्वाचन के संबंध में मुझे यह सूचना देना है कि श्री रामबली मिश्र, श्री त्रिलोकी नाथ कौल और श्री कुंवर कृष्ण वर्मा ने अपने नामों को वापस ले लिया है। उस दिन मैंने २३ नाम सुनाये थे। इस प्रकार उनमें से शेष २० नाम रह जाते हैं। इन्हीं को मैं चुना गया घोषित करता हूं।

वित्त समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष--उस दिन इसमें भी १७ नाम थे उनमें से श्री पुत्तू लाल जी, श्री हरखयाल सिंह पिपल तथा श्री उल्फत सिंह चौहान ने अपने नाम वापस ले लिये हैं। इसलिये बाक़ी १४ सदस्य चुने गये।

घूस निवारक विधेयक के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--घूस निवारक विधेयक के संबंध में कानूनी राय यह है कि यह पेश नहीं हो सकता इसका कारण यह है कि इसमें जो कर्मचारी आते हैं उन पर अगर इसके प्रतिबन्ध लागू हों तो उस में वे कर्मचारी भी आ जाते हैं जो केन्द्रीय सरकार से संबंध रखते हैं। ऐसी अवस्था में संविधान अनुसूची मद ७० के अनुसार सूची (१) में यह संघीय विषय भी है इससे यह राज्य विधान सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। इस कारण मैंने इसकी इजाजत नहीं दी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--यह तभी होना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष--मैंने इसकी सूचना दे दी है कि मैंने इसको ऐजेंडा में शामिल क्यों नहीं किया है जिससे इसका निर्णय भी न करना पड़े कि इसको लिया जाय या न लिया जाय क्योंकि अन्यथा उस में सदन का समय व्यर्थ नष्ट होता।

श्री राजनारायण, श्री रामनारायण त्रिपाठी तथा श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री हरगोविन्द पन्त (उपाध्यक्ष)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से ....

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--श्रीमान् जी, व्यवस्था का प्रश्न।

श्री अध्यक्ष--अभी उन्होंने कोई चीज नहीं कही है।

श्री हरगोविन्द पन्त--आपकी आज्ञा से श्री राजनारायण और श्री राम नारायण त्रिपाठी..............

श्री रामनारायण त्रिपाठी--श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न..............

श्री अध्यक्ष--अभी आप बैठ जाइये, उन्हें अपनी पूरी बात कह लेने दीजिये।

श्री हरगोविन्द पन्त--श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से श्री राजनारायण, श्री रामनारायण त्रिपाठी एवं श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेशीय विधान सभा विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन इस सदन के समक्ष उपस्थित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३०९ पर)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में दो प्रश्न उठते हैं पहले तो यह कि यह एक ग़ैर सरकारी प्रस्तावों का दिन है । इसलिये यह आज उपस्थित नहीं किया जा सकता । दूसरे इसलिये कि पूरी रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है ।

श्री अध्यक्ष--क्या आप नियम बता सकते हैं कि यह आप कौन से नियम के अनुसार कह रहे हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--नियम तो इस समय याद नहीं है । नियम अभी बतला दूंगा ।

दूसरे नियम ५२ में लिखा हुआ है "विशेषाधिकार समिति अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी जो सदन की मेजों पर रखा जायगा ।"

तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन के बारे में जो कि सदन की मेजों पर रखा गया है मेरा यह निवेदन है कि यह प्रतिवेदन है ही नहीं । इस माने में कि इसमें तमाम बातें सम्मिलित नहीं हैं । और इसी सदन में पिछली वर्षों में ब्लीट्ज केस के उदाहरण हैं और माननीय चन्द्रभानु गुप्त के खिलाफ जो प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट थी उसके भी उदाहरण है । उन रिपोर्ट्स में जितनी कार्यवाही हुई आदि से अन्त तक अभियुक्तों के खिलाफ जितने पत्र लिखे गये और अभियुक्तों के जितने बयान हुये वे सब तमाम छपवाकर रखे गये थे लेकिन यह जो प्रतिवेदन है इसमें सिर्फ विशेषाधिकार समिति के बहुमत और माइनारिटी की रिपोर्ट ही सम्मिलित है । माननीय सदस्यों से क्या पत्र व्यवहार हुआ, उन्होंने क्या-क्या दरख्वास्तें दीं और उस पर क्या कार्यवाही हुई इस मसले पर कोई जिक्र नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--मैं आप की बात समझ गया । आप का मतलब है कि जो जांच हुई है उसकी रिपोर्ट में पूरे काग़जात नहीं हैं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--नियम ५२ के मुताबिक़ यह रिपोर्ट नहीं कही जा सकती है । नियम ५२ में लिखा हुआ है "विशेषाधिकार समिति अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी जो सदन की मेजों पर रक्खा जायगा ।" प्रतिवेदन में तमाम बातें होती हैं जैसा कि मैंने ब्लीट्ज और माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त के केस की मिसाल दी थी कि केस की तमाम बातें डिटेल में सामने रखी गयी थीं और तब उस पर विचार हुआ था ।

श्री हरगोविन्द पन्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन का अर्थ तो बिलकुल स्पष्ट है । जो प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सामने विचार के लिये भेजा गया था उस की जांच के बाद जो राय उसने अपनी क़ायम की उसका ही प्रतिवेदन भवन के सामने रखा गया है । परन्तु मैं भवन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन से संबंध रखने वाले जितने भी काग़-जात हैं वे सब छपने को दिये गये हैं और उनकी प्रतियां छप जाने के बाद भवन के सदस्यों में शीघ्र से शीघ्र वितरित कर दी जायंगी । मैं यह प्रार्थना करता हूं कि·······

श्री अध्यक्ष--पहले मैं वैधानिक आपत्ति के ऊपर अपना निर्णय दे दूं । उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मेरी जो पहली आपत्ति है उसके लिये मैं नियम १८ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--वह नियम तो बतला दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, आपने पूछा था कि कौन सा नियम है।

"18. Unless the House decides otherwise in public interest, on the second and fourth Friday of each month, Private Members' business shall have precedence over Official business."

[१८--जब तक सदन जनहितार्थ अन्यथा विनिश्चय न करे, प्रत्येक मास के द्वितीय और चतुर्थ शुक्रवार को असरकारी सदस्यों के कार्य को सरकारी कार्य की अपेक्षा पूर्वता मिलेगी।]

"67. Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may refer any question of privilege to the Committee of Privileges for examination, investigation of report."

[६७--इन नियमों में किसी बात के रहते हुये भी अध्यक्ष विशेषाधिकार का कोई प्रश्न परीक्षा जांच प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकता है।]

नियम ६७ के अनुसार आपने उस दिन इन तीन माननीय सदस्यों का मामला ब्रिच आफ प्रिविलेज कमेटी के पास एक्जामिनेशन, इनवेस्टिगेशन और रिपोर्ट के लिये भेजा था। तो ब्रिच आफ प्रिविलेज कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वह केवल इनवेस्टिगेशन के संबंध में है और वह रिपोर्ट छपी नहीं है जैसा कि स्वयं माननीय उपाध्यक्ष जी ने माना है कि वह रिपोर्ट छपी नहीं है। वह शीघ्र से शीघ्र छप कर आ जायगी। चूंकि रिपोर्ट छपी नहीं है इसलिये मैं उसे एक्जामिनेशन व इनवेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं मानता हूं। चूंकि रिपोर्ट अधूरी रहती है इसलिये उस पर सदन विचार नहीं कर सकता है। इस लिये आप ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करें जिससे जब पूरी रिपोर्ट सदन के सामने आवे तभी उसे मेज पर रखा जाय। दूसरी बात यह कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया कि मैं रिपोर्ट उपस्थित करता हूं तो नियम ५२ के अनुसार वे उसे मेज पर रख सकते हैं, उपस्थित नहीं कर सकते। तो मेज पर रखने की आज्ञा न मांग कर उन्होंने उसे उपस्थित करने की आज्ञा मांगी है इसलिये इसे मेज पर रखना नहीं माना जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--पहली आपत्ति यह उठायी गयी है कि जिस रोज प्राइवेट मेम्बर्स का बिजनेस हो उस रोज और कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। उसका यह नियम है--

"Unless the House decides otherwise in public interest, on the second and fourth Friday of each month, Private Members' business shall have precedence over Official business."

इसका अर्थ यह है कि जो आफिशियल बिजनेस है उसके ऊपर प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस को प्रिसिडेंस होगा। जो सरकारी काम है वह काम आज नहीं लिया जायगा। लेकिन यह प्रिविलेज का सवाल सदन का सवाल है, यह सरकार का सवाल नहीं है और सदन का जो प्रश्न है प्रिविलेज का वह हर जगह विधान सभाओं में और पार्लियामेंट में भी उसका तरीक़ा यह है कि उसको प्रायरिटी हर कार्य के ऊपर रहती है। सदन चाहे तो आज इसके ऊपर विचार कर सकता है और उसको प्रायरिटी होगी। यह बात दूसरी है कि सदन यह समझे कि इस वक्त वह अन्य गैर सरकारी कार्य करे, यह सदन के ऊपर है लेकिन विशेषाधिकार के प्रश्न को प्रायरिटी है। तो यह आपत्ति वैध आपत्ति नहीं है क्योंकि यह सदन का कार्य है।

[श्री अध्यक्ष]

दूसरी आपत्ति नियम ५२ के बारे में उठायी गयी है कि रिपोर्ट ही नहीं है। दफा ६७ के अनुसार मैंने यह प्रश्न विशेषाधिकार कमेटी के पास भेजा था। उसमें यह शब्द हैं-फार एक्जामिनेशन, इंवेस्टिगेशन और रिपोर्ट है। इंवेस्टिगेशन दूसरी चीज है और एक्जामिनेशन दूसरी चीज है। उस मामले के बारे में जांच करना और उसके बाद रिपोर्ट करना। तो जांच करने के बाद कार्यवाही हो गई और उसके बारे में तहकीकात भी हो गयी और जो रिपोर्ट कमेटी ने उचित समझी, दी। तो किसी माननीय सदस्य को जिस वक्त वह पेश हो यह आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं है कि जिसको प्रिविलेज कमेटी अपनी रिपोर्ट कहती है उसको वह यह कहे कि रिपोर्ट ही नहीं है। इस विषय में अगर कोई आपत्ति हो सकती है कि यह रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है तो जिस वक्त कोई माननीय सदस्य उस रिपोर्ट को विचार के लिये कहें उस वक्त यह आपत्ति उठायी जा सकती है। रिपोर्ट केवल पेश करते वक्त तो इस विषय में कोई आपत्ति इस क़िस्म की उठा नहीं सकते, विचार करने के वक्त में ही उस पर आपत्ति उठ सकती है कि मुकम्मल कागजात हमारे पास नहीं आये।

यानी दूसरी चीज साफ यह है कि यह कहना कि यह रिपोर्ट नहीं है गलत है। इस विषय में जो रिपोर्ट देते हैं उन्हीं को यह अधिकार है कि वे कहें कि रिपोर्ट है या नहीं। उसमें कोई त्रुटि रह गयी है तो वह विचार के वक्त माननीय सदस्य बतला सकते हैं कि रिपोर्ट मुकम्मल है या नहीं। एक बात यह भी है कि माननीय उपाध्यक्ष ने यह कह दिया है कि विचार करने के वक्त के पहले ही वे माननीय सदस्यों के सम्मुख वे कागजात भी जो छपने गये हैं उपलब्ध कर देंगे। इसलिये भी मैं समझता हूं कि मेरिट्स की दृष्टि से भी उस में यह आपत्ति उठाने की आवश्यकता नहीं रहती।

तीसरा प्रश्न माननीय नारायणदत्त जी ने जो उठाया उस संबंध में मैं उन्हें एक दफ़ा थोड़ा सा और मौक़ा देना चाहता हूं कि उस को वह स्पष्ट करें क्योंकि समझ में बात कुछ आयी नहीं जिसके ऊपर मैं कुछ फैसला दूं। नियम यह दिया हुआ है रिपोर्ट के विषय में :--

"After the report of the Privilege Committee has been placed on the table of the House, the Chairman of the Committee or any member of the Committee or any member of the House may move that the report of the Committee be taken into consideration."

[विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के सदन में मेज पर रखे जाने के उपरान्त समिति का सभापति अथवा समिति का कोई सदस्य अथवा सदन का कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।]

इसमें शब्द है उपस्थित करेंगे। टेबिल पर रखना और उपस्थित करना। अगर उनका मतलब यही है कि टेबिल पर रखना तो मैं समझता हूं कि उनको थोड़े से शब्द बदल देने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

क्योंकि उपस्थित करने का यह मतलब नहीं है कि जैसे बिल वगैरः इंट्रोड्यूज (पुरःस्थापित) होता है उस तरह की कोई चीज है मगर हिन्दी के आधार पर इस शब्द के अर्थ का विपर्यास हो सकता है। अगर उपस्थित करने के बजाय टेबिल पर रखता हूं कह देते तो नारायणदत्त जी को आपत्ति नहीं होती। मैं समझता हूं कि यही नारायणदत्त जी को आपत्ति थी। श्री उपाध्यक्ष कृपया उसे ऐसे शब्दों में स्पष्ट कर दें जिससे आपत्ति उनकी दूर हो जाय।

श्री हरगोविन्द पन्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में उपस्थित शब्द का अर्थ तो मैं यही समझता हूं कि इसको भवन के समक्ष रखा जाय। अब चाहे मेज पर रख दिया जाय या सामने उपस्थित कर दिया जाय। तो मेरा अभिप्राय वही है जो आप चाहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा मालूम होता है कि सदन के कुछ सदस्यों को इस पर

तुरन्त ही विचार करने में कुछ आपत्ति है। इसलिये मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि आगामी सोमवार, दिनांक ३० मार्च, को इस प्रतिवेदन पर विचार करने की व्यवस्था कर दी जाय और उस समय तक जितने संबंधित आवश्यक कागजात हैं उनके छपने पर मैं चाहूंगा कि सब सदस्यों को दे दिये जायं। और वे दे दिये जायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपने यह नहीं कहा कि मैं मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब इस तरह से बाल की खाल निकालने की मैं इजाजत नहीं देता। उनका वही मतलब है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई रिपोर्ट २ हिस्सों में भवन में रखी जाये?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये तो मैंने पहले ही अपना निर्णय दे दिया है कि इसको आप रिपोर्ट न कहें यह बात गलत है। उससे संबंधित जो कागजात हैं जो आप चाहते हैं वे बाद में उपाध्यक्ष जी पेश कर देंगे और उनसे रिपोर्ट के होने न होने से कोई संबंध नहीं है।

तो अब ३० तारीख को इसके ऊपर विचार होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—३० तारीख पर मुझे एतराज है।

श्री अध्यक्ष—इसमें एतराज का प्रश्न नहीं है क्योंकि वह तो जिस वक्त मूव करेंगे उस वक्त आप कुछ कह सकते हैं। उन्होंने तो सिर्फ आपको नोटिस दी है।

*उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२-(क्रमागत)

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्,

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज प्रत्येक संकल्प के लिये समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अभी वह बोल रहे हैं। उनके भाषण समाप्त होने के पहले यह बात नहीं आ सकती।

श्री झारखंडे राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल आपके सामने यह निवेदन कर रहा था कि किस परिस्थिति से मजबूर हो कर और किन कारणों से प्रेरित हो कर मैंने यह विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया था। आगरा सेंट्रल जेल में आगरा जिला कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी डाक्टर बी० डी० शुक्ल आज नजरबंद हैं। उनके ऊपर कोई निश्चित आरोप नहीं लगाया गया है। एक ऐसी फैक्टरी में हड़ताल कराने का चार्ज उनके ऊपर लगाया गया है जिसका नाम साबरी ग्लास फैक्टरी है। यह फैक्टरी खुद गत चार सालों से बन्द रही है और उसमें हड़ताल कराने का चार्ज लगाया गया था। ऐसे ही सीताराम जाटव के मकान पर गुप्त मीटिंग करने का चार्ज उन पर लगाया गया है। इस नाम का कोई व्यक्ति वहां पर नहीं है। ऐसे अनिश्चित आरोप के आधार पर एक आदमी को पिछले ८ महीनों से गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है और उनकी नजरबंदी की मियाद भी जहां तक मैं जान पाया हूं, अनिश्चित है। जब कि वे अपने परिवार के एक मात्र भरण-पोषण करने वाले थे और उनकी आमदनी से ही उनके परिवार का पेट भरता था। उनके परिवार को कोई भत्ता नहीं दिया गया। अब जो

*२६ मार्च, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री झारखंडे राय]

उनको भत्ता दिया जा रहा है वह उनके परिवार की हालत को देखते हुये नगण्य है। उसी आगरा सेंट्रल जेल में मुगल बेग नाम के एक दूसरे मजदूर कार्यकर्त्ता हैं जो फिरोजाबाद मज़दूर सभा के मंत्री हैं और मज़दूर सभा की ओर से ६० रुपये मासिक उनके परिवार के लिये मिलता था। आज उन्हें एक पैसा भी भत्ता नहीं दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगरा सेंट्रल जेल में ही कुछ ऐसे कैदी हैं जिनको मैं राजबंदी समझता हूं और मेरी परिभाषा के मुताबिक वे राजबंदी हैं, उनको वहां और बंदियों से ही अलग नहीं रखा गया है बल्कि उनको आपस में भी एक दूसरे से अलग रखा गया है और उनको कोई किताब, नोटबुक, कलम या वह सामान जो कानूनी है या जो लिखने पढ़ने के लिये एक पढ़े लिखे आदमी के प्रयोग के लिये आवश्यक हैं वह नहीं दिये जाते हैं और न कोई दैनिक अखबार ही उनको दिये जाते हैं। श्री संत कुमार.........

श्री अध्यक्ष--इस समय भाषण हो रहा है और उसको सुनने के लिये सदन में शांति कायम रहनी चाहिये।

श्री झारखंडे राय--एक राजबंदी श्री संतकुमार हैं उनको जेल में चक्की की मशक्कत दी गई है और उनको प्रार्थना पर मजबूर करके खड़ा किया जाता है जब कि वह खड़ा होना नहीं चाहते हैं और उनको जबर्दस्ती जोड़े-जोड़े बिठाया जाता है जैसे कि जो माननीय सदस्य जेल में रहे हैं वह जानते होंगे कि सी० क्लास के कैदियों के साथ किया जाता है और यह प्रक्रिया पूरी कराई जाती है और उनको जबर्दस्ती सुबह शाम परेड पर खड़ा किया जाता है। उनको जबर्दस्ती नंगा करके उनकी तलाशी ली जाती है। एक और राजबंदी बस्ती के श्री केशरी हैं। उनकी बीमारी में कोई दवा का प्रबंध नहीं किया गया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनको तनहाई कोठरी में डाल दिया गया और उनको ४० डंडे गिन कर रसीद किये गये। श्री प्रकाश चन्द्र पांडे ने जो बस्ती कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता हैं २ जून सन् ५२ को गृहमंत्री से लिखित प्रार्थना की थी लेकिन उस पर कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हुई जिससे उन बंदियों को संतोष होता। इसी तरह से बस्ती जेल में कामरेड नीबर, जो एक किसान बन्दी हैं उनको लगातार ३ हफ्ते तक इस लिये मारा गया कि वह रोज सुबह शाम लाल झंडे का गाना गाते थे। उन्होंने जोड़े-जोड़े बैठने से इन्कार किया और इस सबकी शिकायत भी माननीय मंत्री जी के पास भेजी गई थी लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। सीतापुर जेल में प्रकाशचन्द्र पांडेय राजबन्दी रूप में बंद थे। उनकी रातदिन अड़गड़ा--खटखटाने के जरिये नींद हराम कर दी गई थी। इस चीज का उनकी ओर से पूरा विरोध किया गया तब भी वह चीज बंद नहीं की गई और बन्द उस वक्त हुई जब उन्होंने भूख हड़ताल और वस्त्र हड़ताल भी शुरू कर दी। इन श्री प्रकाश चन्द्र जी की रिहाई दस मई को होनी चाहिये थी लेकिन उनकी रिहाई १२ मई को दो दिन बाद की गई और वह भी बार-बार विरोध प्रदर्शन के बाद जब भूख हड़ताल की गई और कपड़े पहनना छोड़ा गया तब उनकी रिहाई की गई बनारस सेंट्रल जेल में कुल २२ कम्युनिस्ट राजबंदी हैं, और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है। वहां एक १६ साल का लड़का शिव लोचन प्रसाद है जिस को अन्य लोगों के साथ चक्की की मशक्कत दी गई है। सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल जो चाहे सो अपने यहां करते हैं, हालांकि सरकार का एक ही कानून है लेकिन होता यह है कि एक जगह एक कानून है और दूसरी जगह दूसरा कानून। जेल मैनुअल तो सब जगह एक ही होना चाहिये और वही लागू होना चाहिये। जोड़े-जोड़े बिठाया जाता है और बैरकों में इस तरह के बंदियों को बन्द किया जाता है। इस तरह से सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल ज्यादती कर रहे हैं। और कैदियों को उनके जो हक हैं उनसे वंचित कर रहे हैं और जिनका संबंध विरोधी पार्टियों के साथ है उनकी वहां बुरी हालत की जाती है। बस्ती जिले के धवाय-धामपुर केस का जिक्र माननीय रामकुमार शास्त्री ने कल भवन में किया था

मैं इसके बारे में आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि धवाय-धामपुर के बंदियों को हम राजबंदी समझते हैं इसलिये कि आज संघर्ष का स्वरूप वही नहीं है जो १९४७ के पहले था। आज कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय पैमाने के ऊपर कोई जबर्दस्त उथल-पुथल होजाय, ऐसा भी संभव है कि राष्ट्रीय पैमाने पर किसी विषय को ले कर सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हो यह भी संभव हो सकता है। सब कुछ फेल हो जाने के बाद जनता न बरदाश्त करे तो उबल पड़े और एक भयानक विद्रोह हो जाय। लेकिन उसके पहिले लोकल और पार्शल स्ट्रगिल ही चलेगें और वे संघर्ष चलेंगे जिन का संबंध जनता की दैनिक कठिनाइयों से होगा, नित्यप्रति की परेशानियों से होगा। उन्हीं को ले कर तो आज देहातों में संघर्ष चल रहे हैं। वह उन वर्गों के बीच में है जो वर्ग कल तक समाज पर हावी था और उस वर्ग के साथ है जो आज हावी होना चाहता है। तो देहातों में राजनैतिक संघर्ष का स्वरूप वर्ग संघर्ष के रूप में है। वह वर्ग संघर्ष जो भूतपूर्व जमींदार थे, या भूस्वामी या सम्पत्ति स्वामी वर्ग है उसके और उन लोगों के बीच में, जो भूमि स्वामी या सम्पत्ति के साधनों से वंचित हैं उनके बीच में हो रहा है। तो धवाय-धामपुर का जो संघर्ष है वह निश्चित रूप से एक सामन्त और किसान संघर्ष है। वहां जो दो जमींदार जान से मारे गये वह बहुत ही अत्याचारी थे। उनसे उस देहात की जनता त्रस्त थी। वह दिल से चाहते थे कि अगर यह उठ जायं तो अच्छा होता। वह भगवान से मनायेंगे, मंदिर में जाकर पूजा करेंगे मन में बद्दुआ देंगे लेकिन स्वतः अपने आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन धीरे-धीरे चेतनता आती गयी। और वह मौका आया जब कि एक खेत के ऊपर संघर्ष हुआ और वह दो आदमी मारे गये। ऐसी हालत में जो उनके नेता थे जो वहां पर नहीं थे, आज उन को सजा हो चुकी है हाईकोर्ट से उनकी फांसी की सजा कालेपानी में बदल दी गयी है। लेकिन मैं साफ कहता हूं कि उनके नेता श्री राम मुहम्मद सिंह आजाद, जो आजाद हिन्द फौज में कैप्टेन रह चुके थे उनका उस केस से कोई संबंध नहीं था, वहां पर वह मौजूद भी नहीं थे। लेकिन चूंकि वह नेता थे..........

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट के किसी फैसले के ऊपर आप आक्षेप न करें।

श्री झारखंडे राय——तो मैं समझता हूं कि वे मुलजिम निर्दोष रहे हैं। लेकिन आज वे भी राजबंदी नहीं माने गये उनके पुराने राजनैतिक जीवन को देखते हुये, आजाद हिन्द फौज में उनकी सेवाओं को देखते हुये उनके साथ उत्तम व्यवहार नहीं हो रहा है बल्कि वैसा ही व्यवहार हो रहा है जैसा कि किसी हीनियस क्राइम करने वाले कैदी के साथ होता है।

बस्ती जिले में छतहरा एक स्थान है, शोहरतगढ़ के पास जहां के कामरेड छब्बू जेल में बन्द हैं। वहीं के शीतल प्रसाद त्रिपाठी जी हैं। मैं समझता हूं कि बस्ती जिले से आये हुये माननीय सदस्य उनके नाम से परिचित हैं। वह कांग्रेस में जब थे तो जिला कांग्रेस कमेटी में भी सम्मानित पदों पर रह चुके हैं। लेकिन ४२ के बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया और टी०बी० के मरीज हो कर जब वह फरार जिन्दगी बिता रहे थे तो उनके प्रति वारन्ट हटा लेने के लिये ११८ माननीय सदस्यों के दस्तखतों से एक मेमोरेंडम भी माननीय गृहमंत्री की सेवा में दिया गया था। उन को टी०बी० है या नहीं वह आज बहस का विषय नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो साफ है कि उनके भूतपूर्व जीवन को देखते हुये और आज उन के वर्तमान जीवन को देखते हुये और इस बात को देखते हुये कि उन्होंने क्या सेवायें की हैं, सवा सौ के लगभग माननीय सदस्यों ने अपने दस्तखत से मेमोरेंडम दिया था। वह राजबंदी हैं। उन का एक निश्चित विचार धारा और जीवन दर्शन को लेकर चलने वाली पार्टी के साथ संबंध है। कम से कम वह तो राजबंदी हैं। लेकिन वह भी अन्य बंदियों के साथ उन्हीं की नाई जीवन बिता रहे हैं। दुक्खहरन नाम के एक बंदी सुल्तानपुर जेल में बन्द हैं। वह टी०बी०

[श्री झारखंडेय राय]

के मरीज हैं और मेरा खयाल है कि बहुत जल्द ही खत्म हो जायेंगे । मैं तो इस विषय में माननीय गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि कम से कम टी० बी० के मर्ज को देखते हुये उनको छोड़ दें, नहीं तो एक कलंक का टीका कम्युनिस्ट नेता श्री आर०डी० भारद्वाज के मरने से लगा था, दूसरा यह भी लग जायगा । बलिया जिले के कुड़वा, मनियर सुल्तानपुर और छिछोर केसेज का जिक्र मैं विस्तार से नहीं करना चाहता । लेकिन इन केसेज से जो राजबंदी सजा पाकर जेलखाने में गये वे राजबंदी निश्चित रूप से थे । देश की ४ बड़ी राजनीतिक पार्टियों में कम्युनिस्ट पार्टी जिनको अपना सदस्य मानती है अपनी पार्टी से संबंधित व्यक्ति मानती है कम से कम उनको तो इस सरकार को राजबंदी मानने में एतराज नहीं होना चाहिये ।

गाजीपुर जिले के महुआरी केस के भगवान सिंह भी जेल में बन्द हैं.........

श्री अध्यक्ष--आप उदाहरण थोड़े से दे लें लेकिन विधेयक पर आ जायं।

श्री झारखंडे राय--मैं एक बात और कह करके इस विषय को खत्म करूंगा कि गाजीपुर जिले के हुसपुर कोन्हिया गांव के किसान बंदियों के अलावा भगवान जिनके विषय में एक सवाल भी आ चुका है वह जब बनारस से बरेली सेंट्रल जेल ले जाये जा रहे थे तो उन्होंने जेल गेट पर इक्के की मांग की कि बेड़ी पड़ी हुई है, मैं इतनी दूर पैदल नहीं चल सकता हूं इसलिये इक्का मिलना चाहिये तो इस पर उनको जेलखाने के जेलर ए०पी० मुकुन्द जी ने पिटवाया और उसका नतीजा यह हुआ कि उनके सारे बदन में चोट लगी और दो दांत उनके हमेशा के लिये टूट गये ।

अध्यक्ष महोदय, इस तरीके के जो राजबंदी जेलखाने में हैं, और जो सोशलिस्ट पार्टी के सत्याग्रही राजबंदी हैं उनको भी वह बर्ताव नहीं मिलना चाहिये जो आज मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने कल कम्युनिस्ट पार्टी के १९३०-३२ के आंदोलन के प्रति व्यवहार पर बोलते हुये कहा था कि कम्युनिस्टों ने देश के साथ विश्वासघात किया और आजादी की लड़ाई को आघात पहुंचाया। मैं मानता हूं कि ३० और ३२ के आंदोलनों में कम्युनिस्ट पार्टी की नीति गलत थी और प्रैक्टिकल मिस्टेक उन्होंने की, लेकिन मैं नहीं समझता माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय गृह मंत्री जी सन् १९४२ के आंदोलन का जिक्र करना सिर्फ भूल गये या जान बूझ कर छोड़ दिया।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी नहीं, मैंने उसका नाम लिया था ।

श्री झारखंडे राय--तो सन् १९३०, ३२ और ४२ में कम्युनिस्ट पार्टी की जो गलती थी वह प्रैक्टिकल मिस्टेक थी और भटकाव था । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या राजनीतिक पार्टियों के जीवन में गलतियां नहीं हुआ करतीं? क्या राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं की रण नीति, स्ट्रेटेजी और टैक्टिस हमेशा सही रहा करती है ? मैं पूछना चाहता हूं सन् ४५-४६ में युद्धोत्तर क्रांति की लपटें सारे देश में जब उठ रही थीं जब हिमालय से कन्याकुमारी तक देश मचला पड़ा था कि ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिशपूंजी को अंग्रेज नेशनल्स को यहां से मिटा देंगे, जब मजदूरों की बड़ी-बड़ी जंगी हड़तालें हो रही थीं, जब किसानों के संगठित विद्रोह फूट रहे थे, जबकि विद्रोह चरम सीमा पर पहुंच चुका था तो हिन्दोस्तान के जहाजी मल्लाहों ने उसमें भाग लिया और बम्बई, कराची, मद्रास में नाविक विद्रोह हो गया । अंग्रेजी हुकूमत चरचराने लगी। उस समय मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से कि क्या वे और उनके

साथी अंग्रेजी हुकूमत के साथ समझौता करने के लिये हाथ नहीं बढ़ा रहे थे और उस मौके पर जब कि एक कड़ा धक्का ब्रिटिश सरकार को देने की जरूरत थी, जब रावी के किनारे कांग्रेस के सत्र में जवाहरलाल जी के नेतृत्व में जो प्रतिज्ञा की गयी थी कि देश में अंग्रेजी हुकूमत को जड़मूल से निकाल कर बाहर करेंगे उस प्रतिज्ञा को अच्छी तरह से पूरा करने का मौका था, उस समय क्या कम्प्रोमाइज करने की जरूरत थी ? क्या उनसे यह समझौता करने की जरूरत थी कि अंग्रेजों की पूंजी देश में प्रचलित रहे ? और उनकी पेंशन इत्यादि की शर्तों को मान लेना, देश के बटवारे को मान लेना क्या जरूरी था ? तो मैं समझता हूं कि अगर विश्वासघात की बात न भी कही जाय तो कम से कम राजनीतिक भूल कहना तो उचित होगा । राजनीतिक भूल तो लोग जानते ही हैं कि हर राजनीतिक पार्टी और उसके बड़े-बड़े नेताओं के जीवन में हुआ करती हैं । राष्ट्रपिता महात्मा जी भी अगर हिमालियन ब्लंडर कर सकते थे और अनेक भूलें कर सकते थे, जो उन्होंने अपनी जीवन गाथा में स्वीकार की हैं, तो यदि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने जीवन में कोई व्यावहारिक मिस्टेक की और किसी आंदोलन के विरोध में कुछ कर डाला हो तो ऐसा तो हुआ ही करता है । मैं समझता हूं कि ऐसे मौके हर राजनीतिक आंदोलन और हर एक पार्टी के इतिहास में आया करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि हिन्दोस्तान के कम्युनिस्ट हिन्दोस्तान के हाथ पैर बांध कर किसी विदेशी ताकत के पैरों पर डालना चाहते हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिलकुल गलत बात है। हिन्दोस्तान के कम्युनिस्ट अगर रूस की या चीन की प्रसंशा करते हैं तो इस लिये नहीं कि रूस और चीन से उनको इस नाते मुहब्बत है कि रूस और चीन में कोई विशेष बात है सिवाय इसके कि रूस और चीन में वह स्वप्न पूरा हो रहा है और पूरे होने के रास्ते पर वह लोग बहुत दूर तक बढ़ चुके हैं, और हिन्दोस्तान के कम्युनिस्ट उस स्वप्न को चरितार्थ करना चाहते हैं। जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था, जिस तरह की आर्थिक प्रणाली हम हिन्दोस्तान में कायम करना चाहते हैं वह वहां कायम हो चुकी है। यह हमारे मुल्क का दुर्भाग्य कहा जा सकता है या दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि रूस का सौभाग्य है कि पहली समाजवादी क्रांति वहीं पर हुई सन् १९१७ में, और हिन्दोस्तान में नहीं हुई। तो जिस रास्ते पर वे लोग बढ़ चुके हैं उस रास्ते पर हम बढ़ना चाहते हैं और उसी कम्युनिज्म के उसूल को हम अपने यहां अपने देश की परिस्थिति के अनुसार लागू करना चाहते हैं। एक उसूल जो हमें प्यारा है वह वहां लागू हो रहा है, इस लिये हम उनकी प्रशंसा करते हैं। हम ज़ार के रूस की प्रसंशा नहीं करते, हम च्यांगकाई शेक के चीन की प्रशंसा नहीं करते हम स्टालिन के रूस और माओत्से तुंग के चीन की ही प्रशंसा करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राधामोहन सिंह ने, जो बलिया से आये हैं, छिछोर केस का जिक्र किया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि छिछोर केस का जो फैसला हुआ है, उसने साफ-साफ बतला दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है । जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित थे वे सब छोड़ दिये गये । जिन लोगों ने पारिवारिक कटुता के कारण उस मामले में हिस्सा लिया था उनको सजायें हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय राधामोहन सिंह जी सर्यू पांडेय को कह सकते हैं कि वे क्रिमिनल हैं । सर्यू पांडेय गाजीपुर के जाने माने कार्यकर्ता हैं। उन्होंने सन् ३० से लेकर ४२ तक हर राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। सन् ४२ में उनको काले पानी की सजा हुई । करीब-करीब चार साल तक जेलखाने में रहे और सन् ४६ में कांग्रेसी मिनिस्ट्री के बनने पर रिहा किये गये। कामरेड जय बहादुर सिंह जो आजमगढ़ जिले के एक जाने माने नौजवान बहादुर कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय आंदोलनों में जबरदस्त हिस्सा ले चुके हैं उनको कैसे कहें कि वह क्रिमिनल हैं। यदि वे किसी ऐसे साधन के जरिये काम करते हैं जिस साधन से माननीय गृह मंत्री उनकी सरकार

[श्री झारखंडे राय]

या उनके ऐसा विचार रखने वाले सहमत नहीं हैं, इस कारण उनको क्रिमिनल मानना मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत चीज है और ऐसी सरकार के लिये जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों पर चलने का दावा करती है, जो अहिंसावादी है, उसके लिये और भी गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज मलाया में जो स्वातन्त्र्य संग्राम चल रहा है, जो वहां के नौजवान पिछले चार वर्षों से जूझ रहे हैं, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की मिली जुली बर्बरता के खिलाफ, क्या उनको राजबंदी नहीं माना जायगा? रास्ता अपनी-अपनी समझ का होता है और देश की परिस्थिति के अनुसार बदलता है। इस देश में सन् ५७ में जो विद्रोह हुआ, उसका रास्ता क्या अलग नहीं था। एक समय था जब कांग्रेस में इस देश के अंग्रेज वाइसराय की बीमारी से स्वस्थ होने के प्रस्ताव पास होते थे और उसी समय बहुत से हिन्दोस्तान के नौजवान कालेपानी में अपनी नौजवानी बिताया करते थे और अपने आजाद देश का स्वप्न देखा करते थे। उस समय वह रास्ता नहीं था, जो महात्मा गांधी का दिखलाया हुआ था। सन् १९४२ में जो रास्ता अपनाया गया वह नहीं था जो महात्मा गांधी ने दिखलाया था। इस लिये मैं समझता हूं साधन में मतभेद है, रास्ते में मतभेद है, परन्तु स्वार्थ एक है, मैं समझता हूं कि साधन में अन्तर होने के कारण किसी आदमी को क्रिमिनल मानना सर्वथा अनुचित है। वियतनामी डाक्टर होची मिन्ह के नेतृत्व में फ्रांस के साम्राज्यवाद को चुनौती दे रहे हैं और करीब-करीब तीन चौथाई पर कब्जा कर चुके हैं, क्या वे राजबंदी नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पठानिस्तान हमारे ही देश का पहले हिस्सा था जो अब दूसरे मुल्क का हिस्सा हो गया है। वहां के बहादुर कबायली पाकिस्तान के खिलाफ़ लड़कर अपने को आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वे क्या राजबन्दी नहीं हैं? परन्तु आज पाकिस्तान की बर्बरता और जुल्मों के कारण फ्रंटीयर गांधी और खुदाई खिदमतगार तक राजबंदी नहीं माने जाते हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान के इतिहास में चार चांद जोड़ दिये थे। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे इस प्रस्ताव को मान लें, जो एक जमाने में समाजवादी नेता रहे हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में रहे हैं और 'समाज' ऐसी महान् पुस्तकों के लेखक रहे हैं। वह इस बात को सोचें कि यह प्रस्ताव कहां तक सही है। इस प्रस्ताव को मैंने पेश किया है और मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव का दुर्भाग्य भी है और एक प्रकार से सौभाग्य भी है क्योंकि माननीय मंत्री जी और बहुत से सदस्यों की असली शकल क़लई उतर जाने के बाद हमारे सामने दिखलाई पड़ने लगी है। लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा कि वे सोचें और गौर करें इस प्रस्ताव की बुनियाद पर, और इसकी इंट्रिन्सिक वैल्यू को सोचें कि आया वह बिल उन को मान लेना चाहिये या नहीं। जैसा माननीय राजनारायण जी ने मेरे प्रस्ताव में संशोधन दिया है कि "सर्व-मान्य" के बाद "ग़ैरसाम्प्रदायिक तथा जनतंत्रवादी" शब्द जोड़ दिये जावें, तो मैं कहता हूं कि गृह मंत्री जी यह जोड़ दें कि "ग़ैरकम्युनिस्ट" और मैं मानने के लिये तैयार हूं। मेरी चुनौती है कि वह इसे स्वीकार कर लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि 'समाजवाद' के लेखक माननीय सम्पूर्णानन्द जी इस बात को जानते हैं कि मार्क्स ने लिखा है कि जो राज्य तथा समाज व्यवस्था पशुबल पर आधारित होता है उसका परिवर्तन भी उसी प्रकार के पशुबल से सम्भव होता है। माननीय मंत्री जी ने 'व्यक्ति और राज्य' में दिखलाया है, उसमें मैंने देखा कि वह मार्क्सवाद के पूरे दर्शन को मानते हैं। इस पुस्तिका को पढ़ने का सौभाग्य मुझे आगरा जेल में सन् ४० में हुआ था। जहां तक डायलेक्टिकल प्रोसेस का प्रश्न है उसे वे मानते हैं लेकिन एक तत्व जिसे मार्क्सवादी मैटर कहते हैं वह इस मूल सत्ता को चेतन मानते हैं और कहते हैं, वह अचेतन नहीं है। सिवाय इसके वह पूरा मार्क्सवाद सब मानते हैं। मुझे तो उस समय ऐसा लगा था कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी मेरे मन की बात उस में लिख रहे हैं क्योंकि मैं भी उस समय आस्तिक था। अब तो नास्तिक

हो गया है। वह इस बात को मानते हैं कि जो राजसत्ता पुलिस, फौज, जेल और कचहरी पर आधारित है उसे बदलने के लिये संगठित फ़ोर्स की जरूरत मार्क्स ने लिखी है और वह भी इसलिये कि एक आखरी स्टेज पर जाकर शक्ति प्रयोग अनिवार्य हो जाता है और मार्क्स उसे उस रूप में मानते थे। मैं भी केवल उसी रूप में मानता हूं और हमारी पार्टी भी मानती है और हर वह व्यक्ति जो समाजवाद और साम्यवाद में विश्वास करता है, वह मानता है। समाजवाद और साम्यवाद में कोई फ़र्क नहीं है। एक पहली सीढ़ी है। और दूसरी दूसरी सीढ़ी है। माननीय परिपूर्णानन्द जी की इन दोनों को अलग अलग करने की चेष्टा कुचेष्टा है।

माननीय अध्यक्ष, जनता और जनतंत्र का भी प्रश्न उठाया गया कि वे क्या हैं। मैंने कल भी बतलाने की कोशिश की और मैं उसे फिर कहना चाहता हूं कि जनता हमारे देश में टाटा और बिरला नहीं है। वे लोग जिन्होंने राजनैतिक आन्दोलन में गद्दारी की है उनको हम जनता नहीं कह सकते। जिन लोगों ने अंग्रेजों से मिल कर हिन्दुस्तान की जनता का शोषण किया है और उनको यहां बनाये रखने में हर तरह की कोशिश की है, उन को हम जनता नहीं मान सकते। हम साफ़ कहना चाहते हैं कि हमारी समझ में जितना हिन्दुस्तान के मजदूर किसान और मध्यम वर्ग वाले हैं। चाहे वह खेतिहर मजदूर हों, चाहे शहरी मजदूर हों, चाहे किसान हों......

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर के दोहरायें नहीं क्योंकि इसमें बेकार समय जायेगा।

श्री झारखंडे राय--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, कल एक नैतिकता का प्रश्न भी उठाया गया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान के हत्यारों को पेंशन देना नैतिकता है। वह माउंट बेटेन जिसने मलाया में अनेक आजाद हिन्द फौज वालों को गोली से उड़वा दिया जिसका कोई रेकार्ड नहीं। वह माउन्ट बेटेन जिसने सुभाष बोस के द्वारा बनाये गये शहीद स्टेचू को सिंगापुर में डायनामाइट से उड़वा दिया, वही माउंट बेटेन जो अन्तिम समय हिन्दुस्तान को बांटकर गया और जाते जाते साजिश कर के अंग्रेजों के जरिये हजारों हथियार पंजाब में बांटे जिसके कारण हिन्दुओं ने मुसलमानों का और मुसलमानों ने हिन्दुओं का क़त्ले आम किया था और खून की नदियां बही थीं। वही माउन्ट बेटेन जिसके कारण हिन्दुस्तान के माथे पर अमिट कलंक लग गया है। ऐसे हत्यारे की माननीय मंत्री जी भले ही विदाई में आंसू बहायें लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसकी केवल कल्पना करके हमारी आंखों में तो खून उतर आता है। मैं समझता हूं कि १९४२ के बलिया और गाजीपुर के हत्यारे जिनमें हार्डी वुड, वैरेट, निदरसोल और हैलट वगैरह हैं उनको आप पेंशन दे सकते हैं। अगर हमारी सरकार होती तो वह तो ऐसा नहीं कर सकती थी। हम तो आप से आशा करते थे कि आप उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करेंगे तो हमारी छाती ठंडी होती और उस जनता की छाती ठंडी होती जिन्होंने अपने दुधमुंहे बच्चों को संगीनों की नोक के सामने कर दिया था ऐसे लोग शायद सदन में बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष--विषयांतर हो रहा है। यह विषय नहीं है। आप कृपया विधेयक पर आ जायं।

श्री झारखंडे राय--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह नैतिकता का कोई प्रश्न नहीं है। यह तो राजनैतिक अपौरच्यूनिज्म, पोलिटिकल अपौरच्यूनिज्म का सवाल है जो किया जाता है। हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने जैसा कहा है कि कांग्रेस ने अहिंसा के सिद्धांत को कभी भी सिद्धांत के रूप में, धार्मिकरूप में नहीं माना है। इसकी शिकायत राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी को भी हमेशा रही है। फिर ऐसे लोग कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई हिंसा करता है इसलिये वह राजबंदी नहीं है।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार हिन्सा पर आधारित है, क़दम क़दम पर वह लाठी चार्ज करवाती है, शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले लोगों पर झांसी में गोली चलवाती है, रोटी मांगने वाले निहत्थों को गोली से भून देती है, अध्यापकों को शान्ति से मरने भी नहीं देती है, गोरखपुर में मजदूरों पर गोलियां चलवाती है। यह गोलियां

[श्री झारखंडे राय]

हिन्सा की हैं या अहिन्सा की हैं । यह बात हिन्सा और अहिन्सा के नाम पर गृह मंत्री नहीं कह सकते हैं । हां, पूज्य गांधी जी कह सकते हैं । जो सरकार हिन्सा के ऊपर ही आधारित है और पुलिस, फौज, जेल और अदालत के जोर पर ही चल रही है और जो इस सदन में निहत्थे अध्यापकों की आवाज को भी दबा देती है वह हमसे यह नहीं कह सकती है, हां, गांधी जी कह सकते हैं। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, यही कहना चाहता हूं कि अध्यापकों के साथ न्याय होना चाहिये। रास्ता आप निकालेंगे या मैं निकालूंगा कि रुपया कहां से लायें। हमारे विरोधी पक्ष के नेता माननीय राजनारायण जी ने कहा था कि जो ३६ लाख रुपया अंग्रेजों को पेंशन के रूप में देते हैं, अगर उनको बन्द कर दिया जाय तो उसी से अध्यापकों की समस्या इस समय हल हो जायगी। अब रास्ता आप निकालिये, हम कहां से निकालें कि रुपया कहां से आएगा, उनकी तनख्वाह और भत्ता वगैरह बढ़ाने के लिये। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार शान्ति के साथ अध्यापकों को मरने भी नहीं देना चाहती है, सदन के सामने तो वह सरकार हमसे नहीं कह सकती है कि हम हिन्सक हैं। हां, महात्मा जी कह सकते हैं लेकिन आप नहीं कह सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा सदन का समय और लेना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---आप आपस में बातें न करें। आप मेरी तरफ मुखातिब हों।

श्री झारखंडे राय---माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने जो उस तरफ बैठते हैं यह भी सवाल उठाया और खासकर के माननीय रामनरेश जी शुक्ल ने, उन्होंने हमसे एक आश्वासन भी चाहा कि सोवियट रूस की जेलों में बन्दियों के साथ क्या व्यवहार होता है। मैं कहना चाहता हूं कि सोवियट यूनियन में आज कोई राजबन्दी नहीं है जो वहां की सरकार को उलटने में जेल गया हो। जितने लोग थे सन् १९३६ तक, वे गोली से ठंढे कर दिये गये। लेकिन आज जहां तक मैं जानता हूं सोवियट यूनियन की किसी जेल में कोई राजबन्दी, जो दावा करता हो कि हम राजबन्दी हैं, जो वहां की आज की सरकार के खिलाफ़ काम कर के एक नये प्रकार की सरकार क़ायम करना चाहता हो, ऐसा कोई राजबंदी नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अभी माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि सोवियट रूस में कोई भी क़ैदी राजबन्दी नाम का नहीं है तो क्या रूस में कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति जा कर इन बातों को देख सकता है ?

श्री झारखंडे राय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि मेरी जानकारी में और मेरी समझ में सोवियट रूस की जेलों में कोई ऐसा आदमी नहीं है और माननीय रामनरेश जी शुक्ल को मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनको सोवियट यूनियन का विज़ा दिला दूंगा और वह वहां जा कर खुद देख सकते हैं कि वहां कोई राजबंदी है या नहीं और उसके साथ वहां क्या व्यवहार हो रहा है। मैं जहां तक जान पाया हूं वहां की पुस्तकें पढ़ने के बाद कि सोवियट यूनियन में जेलों में वहां के साधारण नागरिकों को जो बाहर अधिकार हैं उससे अधिक आराम दिया जाता है। सोवियट यूनियन और सोशलिस्ट सोवियट प्रणाली के अन्दर यदा-कदा लोग अपराध करते हैं जो एक बहुत बड़ा प्रश्न वहां की सरकार के लिये होता है। यहां चोरी लोग इसलिये करते हैं कि पेट पलता है, डकैती इसलिये करते हैं कि उनको वे साधन प्राप्त नहीं हैं जो अनेक लोगों को प्राप्त हैं। यहां तो बहुत से अपराध इसलिये होते हैं कि साम्पत्तिक संबंध इतना गड़बड़ है कि उसमें संघर्ष होना जरूरी है। अगर साम्पत्तिक संबंध बदल जायंगे और एक सोवियट सोशलिस्ट प्रणाली क़ायम हो जायगी तो ९९ फ़ीसदी अपराध तो अपने आप खत्म हो जायंगे। कुछ ऐसे लोग जिनकी आदत हो गयी है या कुछ ऐसे बिगड़े मस्तिष्क के लोग अपराध कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिये वहां साइकालोजिकल ट्रीटमेंट की पूरी रेफ़ारमेटरी खुली हुई है जहां उनको रखा जाता है, और कोई मियाद नहीं, जब तक एक्सपर्ट्स का बोर्ड यह न कह दे कि अब फलां आदमी समाज में रहने लायक़ है तब तक उस को नहीं छोड़ते चाहे वह मामूली अपराध हो, चाहे बड़ा अपराध हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां हमारे एक बहुत प्रभावशाली वक्ता माननीय चन्द्रसिंह जी रावत ने भी दो बातें कहीं। एक तो उन्होंने साधन और साध्य की बात उठाई और दूसरे एक ऐसी बात कही जो मैं समझता हूं कि माननीय जवाहर लाल जी के पूरे सिद्धांत और आज की नीति के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि बुरे साधन से एक अच्छे साध्य की प्राप्ति उचित नहीं है। मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूं कि यह प्रश्न बहुत दार्शनिक और बहुत विवादास्पद है। एक ऊंचे आदर्श और ऊंचे साध्य की प्राप्ति के लिये साधन कौन सा अपनाया जाता है वह एक बहसतलब विषय है कि जिस पर हमेशा दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने बहुत जोर दिया साधन के ऊपर, और इस बात को बारबार कहा कि अगर बुरे तरीक़े से अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति होती है तो हमें वह ग्राह्य नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि महात्मागांधी या यदा कदा बड़े महात्मा या ऋषि, मुनि ही ऐसा कह सकते हैं लेकिन हम साधारण प्राणी जो इस पृथ्वी पर रहते हैं वे इस नियम का हमेशा पालन नहीं कर सकते। दूसरी बात माननीय रावत ने सोवियट यूनियन के बारे में कही कि वहां पर इंसानियत को जलील किया गया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब महामानव मार्शल स्टालिन की मौत हुई तो हिन्दुस्तान के कोने कोने से प्रत्येक संस्था और पार्टी की ओर से शोक संवेदना के प्रस्ताव पास किये गये और वहां भेजे गये, उसमें से जितने मैंने पढ़े, कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी श्री अजय घोष के बयान को छोड़ कर, सब से सुन्दर और हृदय विदारक बयान पंडित जवाहर लाल नेहरू का था। लेकिन आज उसी शख्स के बारे में यहां कहा जाता है कि उसने इंसानियत को जलील किया।

मैं रूस के बारे में क़रीब-क़रीब एक साल से बराबर सुन रहा हूं लेकिन माननीय परिपूर्णानन्द जैसे विद्वान के मुंह से मैंने कभी भी, एक बार भी यह नहीं सुना कि अमेरिका में क्या हो रहा है। जब हमला किया गया सोवियट रूस और चीन पर किया गया। इसमें कभी भी दो रायें नहीं हो सकतीं कि अमेरिका की नीति से सोवियट रूस की नीति प्रगतिशील है हां, कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता लेकिन हमेशा दोनों की तुलना करना और एक के बारे में हमेशा कहते रहना तथा दूसरे के बारे में कभी कुछ न कहना यह किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता।

अगर आप जे० सी० कुमारप्पा और सुन्दर लाल जैसे गांधीवादियों के बयानों को देखें, पं० सुन्दरलाल के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने पोलिटिक्स से सन्यास ले लिया है और वे जो जी चाहे कुछ कह सकते हैं लेकिन जे०सी० कुमारप्पा तो बड़े भारी गांधीवादी माने जाते हैं, जहां तक मैंने उनकी बातों को सुना, पुस्तकों और लेखों में पढ़ा, उनके साथ बातें करके मैंने तो यही नतीजा निकाला कि इस प्रकार सोवियट रूस पर हमला करना और उसके बारे में ऐसी बातें करना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता।

रामगढ़ की डकैती का जिक्र भी किया गया। उसका जवाब तो माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं ही दे दिया कि जो लोग पकड़े गये हैं उनका कम्युनिस्ट पार्टी से कोई संबंध नहीं है।

इसके अतिरिक्त एक बहुत ही सैद्धांतिक प्रश्न उठाया गया कि जो वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उसके बानी मुबानी हैं, तरफदार हैं, वे जेलखाने में क्यों वर्ग नीति की बुनियाद रखना चाहते हैं। यही तो विरोधाभास है। आज की जो असलियत है, जो वास्तविकता है उसको कैसे भुलाया जा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बातें कही जाती हैं। लोग यह भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बातें कहने से पूर्व राष्ट्रों की सीमाओं को तोड़ दो, हिमालय पहाड़ को ढाह दो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता? जो राष्ट्र की सभ्यता है, राष्ट्र की संस्कृति है, राष्ट्र की सीमाएं हैं, जो वस्तुस्थिति है, जो वास्तविकता है उसको तो मानना ही होगा। सोवियट यूनियन में आज तक एक राष्ट्र नहीं बन पाया। वहां पर १६ राष्ट्र अभी तक अलहदा अलहदा हैं और उनके अधिकार भी अलग अलग हैं। वहां तुर्कमान और कज्जाकिस्थान हैं, जिनकी भाषा, वेशभूषा तथा अपना निजी तौर तरीक़ा है। क्या कोई कह सकता है कि साइबेरिया और

[श्री झारखंडे राय]

मंगोलिया के जो नागरिक हैं वे उसी प्रकार से रहते हैं जिस प्रकार से एशिया में कम्युनिस्ट रहते हैं। इसलिये आज वहां की जो राष्ट्रीयता है, सीमायें हैं, संस्कृति है उनको मान कर हमको चलना होगा। हम सरकार को उलटना चाहते हैं लेकिन आज जो स्थिति है उसमें हमें राज्य-ढांचे में ही रह कर काम करना पड़ रहा है। अतः जो बहस की गयी है उसमें यथार्थवाद से आंखें मूंदने की कोशिश है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी प्रश्न उठाया गया और उसके सिलसिले में जो कुछ कहा गया उससे यह मालूम हो रहा था कि जो कुछ स्थिति हिन्दुस्तान में आयी, आज जो आजादी चाहे वह असली हो या नकली हो, वह केवल कांग्रेसवालों के प्रयत्नों से आयी। परन्तु मैं यह बात ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गलत समझता हूं। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई शुरू हुई उस दिन से जिस दिन से हिन्दुस्तान गुलाम हुआ। मीर कासिम, सिराजुद्दौला और नंदकुमार ने भी उसमें आरम्भ में भाग लिया। सन् ५७ की क्रांति हुई, उसके बाद और भी प्रयत्न किये गये, महात्मा गांधी ने भी इसमें अपना आन्दोलन चलाया और सन् २१,३०,३२,४१,४२ इन तमाम वर्षों में तरह तरह के आन्दोलन हुए, पोस्ट वार रेवोल्यूशन हुआ आजाद हिन्द फौज आन्दोलन हुआ इन तमाम पार्टियों ने जो आन्दोलन किया उसका नतीजा हुआ, वह आजादी जो यहां मिली हुई है। आज कांग्रेस की वह शकल नहीं रह गयी जो पिछले थी और मैं श्री राजनारायण जी से इस मामले में पूरी तरह से सहमत हूं कि उस वक्त जब कांग्रेस ने साम्राज्य विरोधी संयुक्त मोर्चा बनाया था तो उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे, सोशलिस्ट भी शामिल थे और वे तमाम लोग शामिल थे जो कि आज कांग्रेस से अलग हैं।

एक सदस्य--कम्युनिस्ट नहीं शामिल थे।

श्री झारखंडे राय--सन् ३६ के बाद वे भी शामिल हो गये थे। वे सब शामिल थे जब कि आज कांग्रेस से अलग हैं। लेकिन आज कांग्रेस से सोशलिस्ट अलग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी अलग है, रेडिकल पार्टी भी अलग है और यहां तक कि आचार्य कृपलानी जैसे महान् गांधीवादी भी उससे अलग हो गये। आज कांग्रेस एक स्वार्थ-विशेष वर्ग की पार्टी है। जो कांग्रेस पहले संयुक्त साम्राज्य विरोधी संस्था थी वह आज नहीं है। आज हिन्दुस्तान के जो थोड़े बहुत अधकचरे, भोंडे और स्वार्थी हैं वे ही उसमें हैं। यह आजादी सुभाष चन्द्र बोस की आई० एन० ए० की करामातों के फलस्वरूप भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, १८.......

श्री अध्यक्ष--आप अलग जा रहे हैं। आप कांग्रेस का इतिहास बतला रहे हैं। आप अपने को विधेयक तक ही सीमित रखें।

श्री झारखंडे राय--माननीय राम नरेश शुक्ल जी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या सोवियट यूनियन में स्वतंत्रता है? सोवियट यूनियन में मरने की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता की अपनी अपनी विचार धारायें हैं। यहां स्वतंत्रता है कि लोग भूखों मरते रहें, यहां स्वतंत्रता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता रहे, यहां स्वतंत्रता है कि एक तो बहुत ऐश की जिन्दगी बितावे और एक बहुत ही दरिद्र नारायण की तरह से रहे तो ऐसी आजादी सोवियट यूनियन में नहीं है। ऐसी आजादी जहां भोजन, वस्त्र और पढ़ाई लिखाई के लिये भी ठोकरें खाते फिरें ऐसी आजादी सोवियट यूनियन में नहीं है। यहां आजादी की बात एक और कही जाती है बोलने की। हमारे मुल्क में प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक के लोगों में यह मर्ज घर कर गया है। मार्शल स्टालिन और माओत्से तुंग तो यदाकदा कहीं एक बार बोलते हैं। लेकिन हमारे यहां एक ऐसी परिपाटी सी चल पड़ी है जिसके हम सभी मरीज हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं कि एक आदमी ईमानदारी से सुबह से बराबर श्रम करता है और उसका उसे फल मिले और उससे वह अपनी जरूरियात की चीजों को पूरा करता रहे? तो उसे बोलने की क्या जरूरत

है अधिकांश लोग कहते हैं कि वहां बोलने की आजादी नहीं है लेकिन जो लोग भी सोवियट यूनियन से लौटकर आये हैं, और ऐसे व्यक्ति लौट कर आये हैं जो कम्युनिस्ट नहीं हैं बल्कि कम्युनिस्ट नाम से भी दूर भागते हैं,उनके बयानात और लेखों को मैंने पढ़ा है और उनसे मिल कर भी उनकी बातें समझी हैं उनसे मालूम हुआ है कि ये सारी बातें भ्रामक हैं, सारी धारायें गलत हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वहां के संबंध में कोई गलत धारणा न रखें।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य अभी कुछ देर और बोलेंगे ?

श्री झारखंडे राय---मैं ५ मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष---सवा दो बज रहे हैं। अच्छा हो कि आप दो तीन मिनट में खत्म कर दें।

श्री झारखंडे राय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बतला रहा था कि इन तमाम बातों को आप के समक्ष रखने का मेरा मतलब इतना ही था कि यह विधेयक कम्युनिस्ट विधेयक नहीं है। यह विधेयक इसलिये नहीं लाया गया है कि कुछ कम्युनिस्ट जो जेलखाने में हैं उनको कुछ सहूलियतें मिलें बल्कि तमाम राजबंदियों के लिये पेश किया गया था अगर कभी यह सरकार बदल जाय और उन सरकारी सीट्स पर बैठने वाले जेलखाने जायं तो उनके लिये भी यह लागू होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री और तमाम माननीय सदस्य जो इस प्रस्ताव के विरोधी हैं, उनसे मेरी अपील है कि इस पर वे फिर से विचार करें और मेरी उस चुनौती को ध्यान में रख कर अर्थात् "गैर कम्युनिस्ट" शब्द जोड़ कर, इस प्रस्ताव को मान लें तो उसे मैं भी मान लूंगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के संबंध में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता यों नहीं है कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं उनसे माननीय झारखंडे राय जी के तर्कों का पर्याप्त रूप से खंडन हो जाता है। फिर भी दो चार बातें मैं निवेदन करना चाहता हूं। झारखंडे राय जी को इस बात की शिकायत है कि अक्सर माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव की मैरिट्स पर, इसके गुण-दोष पर विचार न करके व्यर्थ में कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में विचार करना शुरू कर दिया और उन्होंने मेरी बाबत भी यह शिकायत की है कि मैंने इस वादविवाद को एक विशेष दिशा की ओर कैनेलाइज कर दिया। यह उन्हीं का शब्द है। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में विचार किया उनका विचार करना सर्वथा उचित ही था। कोई भी कानून हो वह वैकुअम में, हवा नहीं बना करता। जो भी कानून बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं उनको तो यह सोचना ही होगा कि देश, काल और पात्र कौन सा है। किसके लिये कानून बन रहा है। यह कानून किसके ऊपर लागू होगा। इस कानून से किसको अधिक फायदा पहुंचने की संभावना है और उसको यह तो सोचना ही होगा कि जिसको इससे फायदा पहुंचने वाला है उसको फायदा पहुंचना उचित है या अनुचित है। जो भी समाजसेवी रहा है उसको यह तो सोचना ही होगा। ऐसी दशा में माननीय सदस्यों ने जो विचार किया और जिन माननीय सदस्यों की समझ में यह बात आयी कि इस कानून से अधिकतर कम्युनिस्ट लोगों को ही फायदा पहुंचने की सम्भावना है और जिन लोगों की समझ में यह बात आयी कि इस समय जो कम्युनिस्टों का रवैया है उसको देखते हुए उस पार्टी को कोई खास प्रीमियम नहीं देना है तो उन लोगों ने जो किया वह उचित ही किया। और मैंने जो इस विवाद को कैनेलाइज किया तो मैंने भी उचित ही किया और माननीय सदस्यों ने भी मुनासिब बात की। यहां पर वायलेंस और नान-वायलेंस, हिंसा और अहिंसा के जितने सब रिफ्रेंस हुए वह अप्रासंगिक नहीं है। मैं इतना अवश्य यहां

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कहना चाहता हूं कि यह तो राज्य शासन राजनीतिक फिलासिफी, पोलिटिकल फिलासिफी का एक बहुत बड़े महत्व का प्रश्न है। इस फिलासिफी को बहुत विस्तार के साथ विचार नहीं किया जा सकता परन्तु साथ ही मैं बहुत ही आवश्यक बात कह दूं कि आज से कई वर्ष पहले जब सम्पूर्णानन्द ने किन्हीं पुस्तकों को लिखा था और किन्हीं लेखों को लिखा था उस समय उनके जो विचार थे वही विचार आज भी उनके हैं और जहां तक मैं जानता हूं वही विचार उत्तर प्रदेश के गृहमंत्री के भी हैं। किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को जो गुलामी की अवस्था में पलाता है, जो अपने को शोषित पाता है इस बात का पूरा अधिकार है कि प्रत्येक साधन से जिससे सफलतापूर्वक अपने को छुड़ा सके उस गुलामी से छुड़ाने का यत्न करे। किसी दूसरे को डिक्टेट करने का यह कहने का अधिकार नहीं है कि तुम फलां साधन लो और फलां साधन से काम न लो। जिस समय अंग्रेजी सरकार से हमारी लड़ाई की बात थी हमें पूरा अख्तियार था कि वह अगर तलवार के जोर से भी काम लेकर अपने को बंधन से मुक्त करता तो वह उचित था, लेकिन यह महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व का असर समझिये, या हमारी परिस्थितियों का असर समझा जाय इस देश के बहुत बड़े शक्तिशाली जो राजनीति के पंडित रहे उन्होंने मुनासिब समझा कि अहिंसा से काम लो। यह हमारे चुनने की बात थी। जो हमारे विरोधी थे उनको कहने का हक नहीं था कि फलां तरीके से काम लो और फलां तरीके से काम न लो। यह बिलकुल स्पष्ट बात है कि और इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं और चूंकि हममें से बहुत से लोगों का यह ख्याल था इसलिये यही वजह थी कि जिस जमाने में हम कांग्रेस की अपनी अहिंसा वाली लड़ाई लड़ रहे थे उस जमाने में भी ऐसे लोग भी थे जो उसके विरुद्ध हिंसा वाले रास्ते को चाहते थे और उस पर चल रहे थे। लेकिन उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई बल्कि यों कहिये कि उनके साथ हमारा सहानुभूति का बर्ताव था। तो अपने रास्ते पर चलते हुए और यह जानते हुए कि वह लोग हिंसा के रास्ते पर चलते हैं जहां तक बन पड़ा हम से हमने उन लोगों की सेवा भी की। अब झारखंडे राय जी का जिस पार्टी से संबंध है उस पार्टी के बड़े नेता उनको बतला सकेंगे कि बनारस ही में मेरे जैसे तुच्छ आदमी तक को मौका मिला है कि हम ने अपने को खतरे में डाल कर भी उनके साथियों से मिलने का मौका उन को दिया है और हम समझते हैं कि हम ने इस में कोई अहसान नहीं किया और न यह कोई हमारा कम्युनिस्ट पार्टी पर अहसान था और हम इस को अपना कर्त्तव्य समझते थे और हम ने कभी कोशिश नहीं की कि जो पार्टी या जो लोग अपने किसी रास्ते पर चलते हैं उनको उस से हटा कर अपने रास्ते पर चलाया जाय हम इतने बड़े महात्मा कोई नहीं थे। हम अहिंसा द्वारा अपने को आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन जो कोई दूसरे रास्ते को अपनाते थे उन से भी हमारी कोई शिकायत नहीं थी, न हम ने कभी किसी की निन्दा की और न किसी को एक्सपोज ही किया। यह तरीका तो कम्युनिस्ट पार्टी ने सन् ४२ में अपने हाथ में लिया कि देश भक्तों को और मुल्क का काम करने वालों को बदनाम करना शुरू किया। लेकिन हम ने वही तरीका इस्तेमाल किया कि जिस से हम अपने शोषित देश को गुलामी से मुक्त कर सकें और उसी तरीके से हम ने काम लिया। यह तो एक बात हुई।

इस के साथ ही एक दूसरी बात आती है कि देश के स्वाधीन होने के बाद क्या होना चाहिये। जो बात एक राज्य के लिये है वही एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के लिये भी है। इस संबंध में कि जन साधारण का सुधार हो और अन्याय और शोषण का विरोध हो, इसके लिये जो अधिकार एक व्यक्ति के हैं वही व्यक्तिसमूह या राज्य के भी हैं कि अन्याय शोषण और जुल्म का मुकाबिला अहिंसा से करें और अगर नहीं हो सकता है तो हिंसा से करें और जैसा कि महात्मा जी से भी कहा है कि कायरता से तो हिंसा लाख दर्जे अच्छी है परन्तु एक बहुत बड़ा "परन्तु" यहां पर आता है और वह यह है कि जिन देशों में लोकतंत्र शासन होता है या लोकतंत्र प्रणाली चलती है वहां पर यह बात

मान ली गई है, और बिना इसके वहां का काम भी नहीं चल सकता कि यद्यपि सिद्धांत रूप से, थ्योरी में व्यक्ति या व्यक्तिसमूह को इस बात का अधिकार है कि किस चीज को वह अन्याय समझता है और उस को ठीक करने का अगर कोई उपाय समझ में नहीं आता है तो हिंसा से काम लिया जा सकता है लेकिन व्योहार में उससे काम नहीं लिया जाता और यह अधिकार केवल लेटेन्ट या प्रसुप्त ही रहता है, कोई इस का प्रयोग नहीं करता क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था में गवर्नमेंट को बदलने का तरीका मौजूद है वैसे भी और समझाकर बुझाकर भी हम राज्य को उसकी नीति में बदल सकते हैं और अगर उस से भी काम न चले तो ४-५ साल में तो हर जगह गवर्नमेंट बदलती ही है और लोगों को समझाकर अल्पमत से बहुमत बनाया जा सकता है और लोग भी समझ सकते हैं कि अल्पमत वाले ठीक हैं और फिर वही बहुमत में आ सकते हैं, यह भी हो सकता है कि सारी दुनियां गलत हो और एक आदमी ठीक हो ऐसे भी उदाहरण हुए हैं। इसलिये ठीक तरीका यही है कि अल्पमत को बहुमत को मिलाने की कोशिश करना चाहिये और अगर वह इस में भी समर्थ न हों तो उन को समझ लेना चाहिये कि उन की बात लोग अभी ठीक नहीं समझ रहे हैं और यह अच्छा है बनिस्वत इस के कि समाज में उथलपुथल की जाय क्योंकि हम स्वयं नहीं समझ सकते कि हम जो निर्णय कर रहे हैं वह ठीक हैं या नहीं, हर बात के निर्णायक हम स्वयं ही नहीं हो सकते और प्रत्येक आदमी इस का निर्णय करने लगे तब तो समाज विच्छिन्न हो जायगा। इसलिये यह ऐसे अधिकार हैं कि जो केवल थ्योरी में ही हैं और जो प्रसुप्त रहते हैं, लेटेन्ट रहते हैं उनको अमल में नहीं लाया जाता है। आप रूस की ही शासन प्रणाली को ले लें और वही नहीं बल्कि दुनियां में हर जगह मजदूरों को यह जन्मसिद्ध अधिकार दिया गया है कि "राइट टु स्ट्राइक" उस को हासिल है और रूस के मजदूरों को भी हड़ताल करने का हक़ है लेकिन वहां भी मजदूरों के इस अधिकार को व्यवहार में प्रसुप्त या लेटेन्ट ही रखा गया है। वैसे वह मजदूर का हक़ है और उस को सब जगह मिला हुआ है तब लेकिन समाज का हित इसी में है कि वह उस का अधिकार रहे लेकिन उस का प्रयोग न हो और वह अधिकार प्रसुप्त केवल थ्योरी ही में रहे तो जहां लोकतंत्र होता है वहां यही बात होती है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को नहीं मानती है।

एक बात कल ही माननीय झारखंडे राय जी ने कही उसके लिये हम बहुत ही कृतज्ञ हैं। और वह यह कि उन्होंने कहा कि सन् १९४२ के आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी से गलती हो गयी। ठीक है यद्यपि वह गलती देश को बड़ी महंगी पड़ी। सन् १९३२ से लेकर जब से कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, तब से १९४२ तक एक दो तीन चार बार इतने दिन तक नहीं समझे और फिर भी भूल हो तो फिर कोई भूल नहीं कह सकता।

झारखंडे राय जी ने एक बात बहुत सुन्दर कही, उनकी बात से मैं यह समझा, यदि मैं उसे ठीक समझा हूं कि कम्युनिस्टों ने उस गलती का प्रायश्चित करने का निश्चय किया है। अगर मैं ठीक समझा हूं तो कम्युनिस्ट पार्टी आदर की पात्र हो जायगी। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया है कि जिन लोगों ने विदेशी शासन को मदद किया उनको आगे चलकर वोट नहीं मिलेंगे। तो १९४२ में जितनी मदद कम्युनिस्टों ने की उतनी मदद किसी ने नहीं की। सन् १९३२ से लेकर १९४२ तक किसी ने उतनी मदद नहीं की। १९४२ में पूंजीपतियों ने अरबों रुपया कमाया। उनके घर में सोना बरसा। कांग्रेस वाले और सोशलिस्ट जेल में थे। कम्युनिस्ट पार्टी बाहर थी। लेकिन उन्होंने कहीं भी किसी जगह मजदूरों को हड़ताल करने नहीं दिया, क्योंकि पिपुल्स वार थी। इससे बढ़ कर एक्सलायटर्स की क्या मदद हो सकती है। अगर मैं झारखंडे राय जी का ठीक मतलब समझा हूं तो देश में कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य आया तो कम्युनिस्ट लोगों को एक भी वोट नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने विदेशियों और एक्सप्लायटर्स की मदद की है। अगर मैं ठीक समझा हूं तो यह बहुत सुन्दर प्रायश्चित है और जरूर कम्युनिस्ट पार्टी एक आदर का पात्र हो जाती है।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

तो जैसा कि मैंने कहा थ्योरिटिकल तरीके पर तो हर समुदाय को अधिकार है कि अन्याय के विरुद्ध लड़े। लेकिन जहां डेमोक्रेसी हो वहां इस अधिकार को काम में नहीं लाना चाहिये, ऐसा माना जाता है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इसको नहीं मानती। कम्युनिस्ट पार्टी का सिद्धांत यह है कि जल्दी से जल्दी वायलेंस से काम लेना चाहिये। इसलिये उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं। वह इस बात को समझते हैं और मैं भी इस बात को मानता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी कदापि इस बात का भरोसा कर ही नहीं सकती कि इस देश में कभी वह बहुमत में आयेगी, इस देश के लोगों को कभी समझा सकेगी, अपनी बात मनवा सकेगी। इतना आत्मविश्वास उनको है ही नहीं। वह कभी विश्वास नहीं करते कि वह अल्पमत से बहुमत में आयेंगे। इसलिये वह समझते हैं कि हमारा कोई दूसरा रास्ता रह ही नहीं जाता है सिवाय इसके कि वायलेंस से काम लें।

कल श्री रामकुमार शास्त्री ने बस्ती के एक केस का जिक्र किया था। शायद उनका नाम राम मुहम्मद सिंह और अब मसीही हो गये हैं। तो उनका नाम राम मुहम्मद सिंह मसीही हो गया है। हमारे झारखंडेराय जी उसको पोलिटिकल मानते हैं। दो काश्तकारों में कोई बात हो जाय। एक काश्तकार समझे कि मेरी बात अदालत में कोई सुनता नहीं और दूसरे काश्तकार को मार दे। एक जमींदार और एक काश्तकार में झगड़ा हो सकता है, भाई भाई के अन्दर झगड़ा हो सकता है। तो अगर यह रास्ता खुल जाय कि वह समझे कि मेरे लिये यह बात असह्य हो गयी है इसलिये वायलेंस से काम लेना चाहिये, अगर यह बात चल जायेगी तो यह देश और समाज को छिन्न करके छोड़ देगी। हमारा और कम्युनिस्ट पार्टी का यही झगड़ा है। उनके लिये वायलेंस के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। थ्योरी में जो कुछ भी हो। हम भी जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी भी पसंद करेगी कि बिना वायलेंस के काम चल जाय। लेकिन वह यह विश्वास ही नहीं करती है कि वह कभी बहुमत में आ सकेगी, इसलिये जितनी जल्दी हो सके सैबोटेज किया जाय, वायलेंस किया जाय, हर तरह से मजबूर करके, तंग करके, जबरदस्ती लोगों को दबा दिया जाय। यही उनके लिये रास्ता है इस रास्ते को हम कदापि पसंद नहीं कर सकते। देश स्वाधीन हुआ, इस स्वाधीनता के बाद हमारे पास मौका है कि हम अपने समाज को अपने ढंग से चलायें, हम उस स्वाधीनता को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, जब तक इस देश के अन्दर इस समाज के अन्दर शक्ति है तबतक समाज ऐसे लोगों को कदापि प्रश्रय देने को तैयार नहीं होगा।

बाज़ी बातें कुछ विलक्षण ढंग की गयीं, जो ठीक ठीक समझ में नहीं आई। उदाहरण के लिये कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आज कांग्रेस ने वायलेंस को अपना लिया। मैं नहीं समझा कि इसका क्या मतलब है। महाभारत में कहीं कहीं कूट श्लोक आये हैं और शुकोक्त सागर में कूट छंद आते हैं जिनका मतलब नहीं समझा जा सकता तो इसी प्रकार उनका मतलब भी समझ में नहीं आया और खास करके जो पार्टी पावर में हो, इस पार्टी को वायलेंस करने की क्या जरूरत है यह समझ में नहीं आया। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट से मतलब है तो हम वायलेंस से काम लेते हैं, यह छिपाते नहीं और यह समझा जा सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि "व्हेन दि स्टेट विल विदर अवे।" जब ऐसा दिन आ जायेगा तो क्या कहना है। लेकिन जब तक ऐसा दिन नहीं आता है तब तक तो स्टेट रहेगी और गवर्नमेंट भी रहेगी जैसा कि रूस में है। स्टेट रहेगी तो गवर्नमेंट भी रहेगी और गवर्नमेंट के मानी कोई खास होते हैं। एक तो यह है कि स्टेट में जो सारी शक्ति है वह सब गवर्नमेंट में केन्द्रीभूत होती है, चाहे इसको कोई माने या न माने और जब शक्ति सब उसमें रहती है तो एक प्रकार से गवर्नमेंट "मोनोपोली आफ वायलेंस" रखती है। यह छिपी हुई बात नहीं है। अगर समाज में कोने कोने में, नगर नगर में, गली गली में, घर घर में वायलेंस रोकना हो तो उसका तरीका यह है कि गवर्नमेंट के पास शक्ति केन्द्रित होनी चाहिये। फौज गवर्नमेंट के पास हो, पुलिस गवर्नमेंट के पास हो,

बंदूक चलाना बुरा भले ही हो लेकिन वह सब गवर्नमेंट के पास रहे और हिन्दुस्तान में स्टेट तो विदर अव नहीं करेगी तो स्टेट रहेगी तो गवर्नमेंट रहेगी तो फिर उसके लिये मोनोपोली आफ वायलेंस ठीक है। हम जब गवर्नमेंट में हैं, तो हमारी इच्छा हो या न हो लेकिन हमें बंदूक चलाने और लाठी चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है और जेलखाने भेजने की जरूरत भी पड़ सकती है। कांग्रेस की गवर्नमेंट या किसी पार्टी की गवर्नमेंट हो यह चीज जरूर रहेगी। लेकिन एक बात मैं अवश्य बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस वायलेंस से उतनी ही दूर है जितनी कि पहले थी जबकि कांग्रेस कांग्रेस थी और कांग्रेस पार्टी नहीं हुई थी। उस वक्त जितनी दूर वह वायलेंस से थी, उतनी ही दूर है। लेकिन जहां कांग्रेस गवर्नमेंट का प्रश्न आता है तो हम जरूर वायलेंस की बात करते हैं।

एक बात का जिक्र किया गया कि यह बिलकुल गलत बात है, समझने की भूल है कि कांग्रेस ने स्वाधीनता दिलाई। श्री झारखंडे राय ने कहा है कि यह तो एक हिस्टोरिकल प्रोसेस था और वह प्रोसेस तभी शुरू हुआ जबकि हिन्दोस्तान गुलाम हुआ। तो यह ठीक है थीसिस के साथ एंटी थीसिस हो गयी होगी और कहीं कहीं उसके बीज आ गये होंगे। लेकिन कांग्रेस हिन्दुस्तान को स्वाधीनता दिलायी यह उतना ही सही है जितना कि यह कहना सही है कि रूस में जब जारशाही के विरुद्ध क्रांति हुई तो उसका श्रेय लेनिन और बोलशेविक पार्टी को था। यह हो सकता है कि जारशाही के जमाने में ही रेवोल्यूशन का बीज पैदा हो गया हो लेकिन उसका फाइनल प्रोसेस जो है वह बोलशेविक पार्टी और लेनिन के हाथ से हुआ और उसका श्रेय उन्हीं को है जो उन्होंने वहां एक नया आर्डर कायम किया। इसी तरह से हिन्दुस्तान को स्वाधीनता दिलाने का श्रेय कांग्रेस को है, इसमें रत्ती भर संदेह की बात नहीं है।

बार बार यहां पर अध्यापकों के आंदोलन का जिक्र हुआ। वह अच्छा है या बुरा है उसके सिलसिले में कुछ नहीं कहता, हां एक सिनिस्टर बात जरूर कहता हूं कि अपने भाषण में श्री झारखंडे राय ने जब वह इस प्रकार की मिसाल दे रहे थे कि जब लोगों के लिये चीज असह्य हो जाती है, तो क्या करें जब कोई और तरीका न हो? तो ऐसी कई मिसालें दीं। उन्होंने ज्यादतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के एक केस में जमींदारों ने जाकर गांव लूट लिया, कुछ औरतों की बेइज्जती की और जब उस वाकये की रिपोर्ट की गयी तो सुनवाई नहीं की गई। मेरे पास उन्होंने खत भेजा था और उस खत से यह मतलब निकलता था कि श्री झारखंडे राय जी ने ये बातें प्रत्यक्ष देखी हैं, जैसे उन्हीं के सामने गांव लूटा गया और स्त्रियों की बेइज्जती की गयी। लेकिन यह वाकया नहीं था। वह तो उसके बाद पहुंचे। मैं ज्यादा आजादी के साथ तो उस मामले के बारे में यहां नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जहां तक औरतों की बेइज्जती की बात है, मुझे जमींदारों की वकालत करने की जरूरत नहीं और न मैं यह कहता हूं कि सभी जमींदार अच्छे होते हैं या खराब होते हैं, लेकिन उस मामले की जांच हुई और उन औरतों की शिकायत न होते हुए भी मेडिकल जांच कराई गयी और वह शिकायत झूंठी पायी गयी। अगर कोई बुरा काम करे तो उसकी बुराई होनी चाहिये। लेकिन उसको इस तरह एग्जेरेट करके पेश करने से किसी का फायदा नहीं होता और जब तक पूरी जांच ऐसे मामलों की न हो, इस तरह से कोई चीज कह देना उससे किसी को कोई फायदा नहीं हो सकता। तो मैं यह कह रहा था कि श्री झारखंडे राय जी ने इस बात का जिक्र किया था कि जब असह्य हो जाता है तो लोग क्या करें, उसी में उन्होंने अध्यापकों का जिक्र किया कि अध्यापक हैं उन्होंने दरख्वास्त मिनिस्टर के पास भेजी, मिनिस्टर से मिले, अब सत्याग्रह कर रहे हैं,

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

उसके बाद वे चुप रह गये । इसका मतलब यह है कि वे अध्यापकों को उपदेश देते हैं कि तुम वाइलेंस करो और उनके इस बात के कोई माने नहीं होते जहां पर वे रुके। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि चाहे कोई भी हो, जो गलत काम करेगा जो वाइलेंस से काम लेगा, उसको वाइलेंस के लिये तैयार रहना चाहिये । कोई गवर्नमेंट इसको बरदाश्त नहीं कर सकती कि कोई ग्रूप या कोई व्यक्ति गवर्नमेंट को तोड़ने की और समाज को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश करे ।

एक बात मैं और कहता हूं । बार-बार यह कहा गया कि चार आल इंडिया पार्टीज हैं, जिनमें जन संघ भी शामिल है, और जिनका एलेक्शन कमीशन ने जिक्र किया है। इनके अतिरिक्त हिन्दू महासभा है, रामराज्य परिषद् है, जो एलेक्शन कमीशन के हिसाब से स्टेट पार्टीज हैं। आज जन संघ की तरफ से जम्मू कश्मीर का आन्दोलन चल रहा है उसमें हिन्दू महासभा और राम राज्य परिषद् के लोग भी शरीक हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की उस आंदोलन के बाबत क्या नीति है मैं नहीं जानता । कम्युनिस्ट पार्टी का अवसरवादिता का व्यवहार होता है। अभी हाल में यहां किसी गांव के लोग आये थे जिनको गौ चराने की तकलीफ थी। मैंने सुना कि उनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग शरीक थे और हंसिया और हथौड़ा के साथ गौ माता भी विराजमान हो गयी थीं। कोई आंदोलन हो वे अवसर देख कर शरीक हो सकते हैं। जो कश्मीर का आंदोलन चल रहा है उसकी बाबत कम्युनिस्ट पार्टी की क्या नीति है और आगे क्या रहेगी। यह नहीं मालूम है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वाले यह नहीं चाहते हैं कि यह आंदोलन हो और उन्होंने इस तरह का न कोई प्रस्ताव पास किया है । एक चीज यह भी है कि हिन्दुस्तान में कम्युनिज्म के नाम पर, सोशलिज्म के नाम पर जो खड़े किये जा सकते हैं, उनकी संख्या कम है, लेकिन कम्युनलिज्म के भाव बड़ी आसानी से इस देश में जगाये जा सकते हैं। यदि इस प्रकार का कानून पास कर दिया जायगा तब तो फिर लोग और आसामी से ऐसे आंदोलनों में शरीक होंगे क्योंकि फिर न तो बाहर कोई दिक्कत होगी और न भीतर कोई दिक्कत होगी। अध्यापकों का आंदोलन तो शायद पोलिटिकल नहीं है, लेकिन जो कश्मीर का आंदोलन है वह तो पोलिटिकल ही कहा जायगा क्योंकि वे कुछ ऐसी ही बातें कह रहे हैं कि कश्मीर का मर्जर होना चाहिये और क्या-क्या होना चाहिये। जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं वे कहां जा करके रुकेंगे मैं नहीं कह सकता । इन सब बातों को सोच करके मैं मजबूर हूं कि अपनी राय नहीं बदल सकता । हमारे मित्र माननीय उपाध्याय जी ने कहा था कि रेजोल्यूशन की मेरिट्स को देखना चाहिये और इस बात को भूल जाना चाहिये कि इसको झारखंडेराय जी ने मूव किया है और यह समझ लेना चाहिये कि इसको श्री रामनरेश शुक्ल जी ने मूव किया है। पहले तो मेरा यह विश्वास है कि रामनरेश जी ऐसा रेजोल्यूशन मूव नहीं करेंगे दूसरे वे मनुष्य हैं कुसंगत में पड़ करके मूव करते, तो मुझे मजबूर हो करके उनका विरोध करना पड़ता । मैं फिर इस प्रस्ताव का जिसको श्री झारखंडे राय जी ने रखा है, विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजबंदी विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१४

विपक्ष में— ९८।)

कार्यक्रम में परिवर्तन करने का सुझाव

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य क्या सुझाव पेश करना चाहते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं चाहता हूं कि आज यह तीन प्रस्ताव पहला, दूसरा और तीसरा, यह ले लिये जायं। उनकी इजाजत दे दी जाय और वह आज पेश हो जायं और बाक़ी दूसरे दिन के लिये रख दिये जायं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मैं इसका विरोध करता हूं। जैसा है वैसे ही रहना चाहिये।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि जो प्रस्ताव सदन में उपस्थित हो रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर अधिक सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। इसलिये टाइम का बंधन विरोधी दल की ओर से आना, आश्चर्य की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह प्रक्रिया नियमावली के नियम ७४ में कुछ समय दिया है। इसलिये आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती कि समय नियुक्त किया जाय और साथ ही यह भी है कि यह तो असरकारी कार्यवाही चल रही है और इसमें बहुत से लोग बोलना चाहते हैं इसलिये इसके अनुसार ही मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि श्री राम नरेश जी शुक्ल इस बात को मान लेंगे कि आज गैर सरकारी दिन है और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं.........

श्री नेकराम शर्मा—प्वाइंट आफ आर्डर सर, उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने किसी सदस्य का नाम पुकार लिया कि अपना भाषण आरम्भ करें तो यह डिस्कशन कैसे लागू हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—यह सही है कि मैंने प्रस्ताव के पेश करने की इजाजत दी थी लेकिन क्योंकि एक सुझाव आया था इसलिये सदन की सहूलियत के लिये ले लेना मुनासिब समझा। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। जहां तक बोलने की बात है तो वह तो हर प्रस्ताव पर आदमी बोल सकता है। दूसरे और तीसरे नम्बर के प्रस्ताव इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जिसके बारे में हमारे माननीय सदस्य ने प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया था, उन्होंने स्पीकर महोदय से संशोधन रखने की आज्ञा मांगी थी। शायद वह मोटी पोथी पढ़ कर अपने को परिपक्व अवस्था में ले आये होंगे। इसलिये हर प्रस्ताव के लिये एक घंटा या डेढ़ घंटा रख दिया जाय। इसमें मैं समझता हूं कि माननीय रामनरेश जी की सद्भावना की पूर्ति हो जायगी और लोगों को भी बोलने का मौक़ा मिल जायगा और अन्य जो महत्वपूर्ण विषय हैं वह भी समावेश हो जायंगे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)—श्रीमन्, बाद में देख लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस समय कार्यवाही जारी रहे। अगर आवश्यकता होगी तो बाद में देखा जायगा।

करघा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प

श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करघा वालों की बदकिस्मती तो इस हाउस की इस बात से साबित हो रही है कि.........

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव उपस्थित कर दें।

श्री बशीर अहमद हकीम--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि-इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में कर्घा उद्योग की उपयोगिता एवं महत्व को दृष्टि में रखते हुये यह आवश्यक है कि इस उद्योग को समुचित रक्षा प्रदान की जाय और प्रोत्साहन दिया जाये और इस हेतु एक कर्घा उद्योग संरक्षण समिति बनायी जाय, जो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करे और जिसके निम्नलिखित सदस्य हों :

समिति

(१) कुटीर उद्योग मन्त्री (चेयरमैन)

(२) कुटीर उद्योग विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर (कर्घा उद्योग इंचार्ज) (सेक्रेटरी)

(३) चार सदस्य विधान सभा, एक सदस्य विधान परिषद् के उन, सदस्यों में से जिनको कर्घा उद्योग से पूर्ण स्नेह हो,

(४) दो सदस्य कर्घा संचालकों के प्रतिनिधि जो कर्घा उद्योग के अच्छे अनुभवी हों।

माननीय उपाध्यक्ष, यह कर्घा उद्योग वालों की बदक़िस्मती है कि यह विभाग जिनके हाथों में इस वक्त है वह इस सदन में मौजूद नहीं हैं। मैं इसके साथ-साथ यह भी अर्ज करूं कि ऐसा है फ़िर भी कुदरत इनका साथ दे रही है और वह इस तरह से कि जब ग़ैरसरकारी प्रस्तावों के लिये कि कौन पहले आये, कौन बाद में, कौन लिया जाय, कौन न लिया जाय, उसके लिये जब कार्यवाही की गयी तब यह कर्घा उद्योग का मसला पहले नम्बर पर आया। मुझे इन्तिहाई अफ़सोस के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारी सरकार, चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो, चाहे वह सूबों की सरकार हो, सबकी सब यह चाहती तो हैं कि कर्घा उद्योग की उन्नति हो, उसकी तरक्क़ी हो। लेकिन यह विभाग जिन लोगों के हाथों में दिया जाता है वह ग़ालिबन इस चीज को महसूस नहीं करते और न महसूस करने का कारण है। बरतानियां के ज़माने से हिन्दुस्तान के दिमाग़ को इस उद्योग के खिलाफ़ किया गया, इसकी ज़हनियत बिगाड़ी गयी न सिर्फ इसलिये बल्कि और उद्योगों के लिये भी ऐसा किया गया। कर्घा उद्योग के करने वालों को ज़लील समझा गया, चमड़ा बनाने वालों को ज़लील समझा गया, इसका प्रचार किया गया और हम लोगों पर उसका असर इतना पड़ा कि हमारे दिमाग़ यह सोचने लगे कि कर्घा उद्योग ज़लील काम है, चमड़ा बनाना, चमड़ा पकाना, चमड़ा निकालना ज़लील काम है। उसी दिमाग़ से हमने काम लिया और ऐसे लोगों को जो कर्घा लगाये हुए थे उनको ज़लील समझने लगे। आज वह हम सब का दिमाग़ इतनी जल्दी, सात साल के अन्दर बदल जायगा ऐसा नामुमकिन है। यह हो सकता है कि अब भी कुछ लोगों के दिमाग़ों में इस क़िस्म की बात हो। मैं अर्ज करूंगा कि यह कर्घा उद्योग इस यू० पी० का सब से बड़ा उद्योग है। एक ज़माना था जब कि हिन्दुस्तान की यह सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, इसका कपड़ा दूसरे मुमालिक में बड़े शौक़ से और बड़ी ख़्वाहिश से इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यहां अंग्रेज आया उसने जिस तरह हमको गुलाम बनाया, जिस तरह हमारे मुल्क पर क़ब्ज़ा किया वैसे ही यहां की सनअतों पर भी उसने क़ब्ज़ा करने की कोशिश की। उन्होंने इस क़िस्म की कहानियां मशहूर की और इस तरह से हमारा दिमाग़ गन्दा किया गया कि हम यह समझने लगे, और हम ही नहीं करघा का काम करने वाले भी यह समझने लगे कि कपड़ा बनाना ज़लील काम है, कपड़ा बनाने वालों से ताल्लुक़ रखना ज़लालत है। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों ने क़ानून का भी सहारा लिया, कानून बनाये। कर्घा वालों को सजायें दीं। आज भी इस क़िस्म की चीजें हो रही हैं लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सन् ४५ में जब कि कंट्रोल का बड़ा ज़ोरशोर था हम लोगों ने मुख़ालिफत की थी और बावजूद इसके कि यहां सन् ४६ में एक कमेटी माननीय मुख्य मंत्री जी ने गुप्ता जी की चेयरमैनशिप में बनायी थी, उस वक्त गुप्ता जी यहां के पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री थे। उनकी

जो रिपोर्ट आयी उसको हम लोगों ने मंजूर किया और उस पर अमलदरामद करने की कोशिश की। उस रिपोर्ट में यह था कि करघा वालों का संगठन कोआपरेटिव बेसिस पर किया जाय, ट्रेड यूनियन बेसिस पर न हो। उस वक्त हम कोआपरेटिव से नालां थे और ट्रेड यूनियन का सहारा ले रखा था। यह सन् ४५ –४६ की बात है। जब समिति ने यह फैसला किया तो हमने उसको मंजूर किया और कोआपरेटिव बेसिस पर अपना संगठन किया। कोआपरेटिव बेसिस पर अपनी तंज़ीम की मगर तंज़ीम करने के बाद हस्र यह हुआ कि सिर्फ ६ जिले को जहां कोआपरेटिव बेसिस पर तंज़ीम की गयी सूत का कोटा दिया गया और बाक़ी तमाम सोसाइटीज़ को नजरअन्दाज़ कर दिया गया। न हमारी हुकूमत ने तवज्जह की, न इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और न कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने। इसके साथ ही साथ यह भी हुआ कि कोआपरेटिव रजिस्ट्रार की तरफ से एक सरक्यूलर जारी हुआ कि करघे वालों की कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को रजिस्टर न किया जाय। इसका नतीजा यह हुआ कि वीवर्स की सोसाइटीज़ बनना बंद हो गयीं। उन्हें न कोटा दिया गया और न सूत ही दिया गया और तरह तरह की पाबंदियां लगायी गयीं। हम दौड़े-दौड़े फिरे कि इस तरह की पाबंदियां न लगायी जायं, और जो लगायी गयीं हैं उनको हटा लिया जाय, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और वे पाबंदियां आज तक हैं। इसी बीच हैण्डलूम का शोबा कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में चला गया। उनकी भी बाहम लागडाट हुई। यह भी चीज़ कुछ दिन चली कि इसको कोआपरेटिव में रखा जाय या इंडस्ट्री के मुहकमे में रखा जाय। जब बहुत ज़ोर लगाया गया तब कहीं जाकर वीवर्स की कोआपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर होने लगीं। अगर हुकूमत ने कुछ भी ध्यान इसकी ओर दिया होता तो आज उसका एक बड़ा भारी संगठन होता।

आप यह भी ध्यान में रखें कि अगर इस सूबे का करघा उद्योग तरक्क़ी करता है तो आज यह मसला जो यह लाल टोपी वाले भी रखते हैं, सरमायादारी को खत्म करने का या बड़ी-बड़ी मिलों को क़ौमियाने का, वह अपने आप ही खत्म हो सकता है। जहां तक उसका ताल्लुक़ टैक्स्टाइल के शोबे से है, यह एक बहुत बड़ा क़दम हो सकता है क्यों कि यहां हमारे सूबे में कम से कम पौने तीन लाख हैंडलूम जो सन् ४६–४७ और ४८ में चालू थे लेकिन जब बे रोज़गारी बढ़ी कोई उसका पूछने वाला न रहा। अब तो मिल मालिकों को प्रोत्साहन मिल रहा है। आप यक़ीन कीजिये कि अगर ये ढाई पौने तीन लाख करघे चालू कर दिये जायं और उनको सूत उन दामों पर मिलने लगे जिन दामों पर मिलों को मिल जाता है तो यक़ीनन कपड़ा ज्यादा तैयार होने लगे और करघे भी बढ़ जायं। कितने अफ़सोस की बात है कि करघा उद्योग कैसे तरक्क़ी करे। १५ फीसदी दाम तो मिलों से करघे वालों को ज्यादा अदा करने पड़ते हैं। करघे वालों को सेल्स टैक्स देना पड़ता है, मिलों में जो सूत स्पिनिंग डिपार्टमेंट से वीविंग डिपार्टमेंट को ट्रान्सफर होता है उस पर मिलों में सेल्स टैक्स लगाना चाहिये और उन पर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज़ लगाने चाहिये बजाय इसके करघे वालों पर लगाया जाय। सेल्स टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज़ भी कर्घे वालों पर ही लगाये गये, रिटेलर और इम्पोर्टर को जो प्राफिट मिलता है उसका भार भी करघे वालों पर पड़ता है। नतीजा यह है कि १५ फीसदी दाम उनको मिलों के मुकाबले में सूत पर ज्यादा अदा करने पड़ते हैं। आप बताइये कि कर्घे वाले बाजार में कैसे मिल के बने कपड़े से मुकाबला कर सकते हैं और उस पर फिर सोने में सुहागा ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट आज भी चल रहा है। मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे इससे तकलीफ भी होती है कि कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ थोड़ी सी यह बात जाती है। लेकिन इस सबका कारण हमारा डिपाटमेंट है। हम अपने डिपार्टमेंट से कहते हैं, डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज़ से कहते हैं, लेकिन हमको सूत नहीं मिलता। बाजार में हमें लेना पड़ता है तो हमसे ज्यादा दाम मांगे जाते हैं, मिल मालिक मांगते हैं, उनके एजेंट मांगते हैं। मेरे साथ खुद इस क़िस्म का सलूक हुआ है। तीस, चालीस रुपये का एक गांठ पर ज्यादा मांगे गये हैं। हां, उस सूत पर चोरबाजारी नहीं है जो सूत खराब है, जिसका इस्तेमाल करघे वाले नहीं करना चाहते। वह सूत बाजार में उन दामों से कम मिलता है जो दाम गवर्नमेंट ने मुक़र्रर कर रक्खे हैं। इस तरह की बातें हैं। कर्घा उद्योग की तरक्क़ी के लिये आपको कुछ थोड़ा सा जब्र करना पड़ेगा।

[श्री बशीर अहमद हकीम]

मिलमालिकों की नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। कर्घे उद्योग पर जितने टैक्सेज हैं, सेल्स टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज उनको हटाना पड़ेगा। बीच एजेंट जो मुनाफ़ा लेते हैं उनको नाराज करना पड़ेगा, उन का प्राफिट बन्द करना पड़ेगा, कर्घा वालों को सूत उसी दाम पर मिलना चाहिये जिन दामों पर मिलों को मिलता है। तब कहीं जाकर कर्घा उद्योग बढ़ सकता है। मैं आपसे यह भी अर्ज करूंगा कि सन् ३४ में यहां हैंडलूम एम्पोरियम क़ायम हुआ था। हम कर्घे वालों ने यह समझा कि इससे हमको अगर कोई फायदा न होगा तो कमसे कम मजदूरी ही मिलेगी। हम लोगों ने उसका सहारा लिया। उसके जो मैनेजर थे वह अब इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में हैं। उनसे इस क़िस्म की बातें होती थीं। हमने निहायत कोशिश की, लेकिन कारीगर तैयार नहीं होते थे। वे जानते थे कि हम मजदूर बनाये जा रहे हैं। कहा जाता था कि जहां तुमको २ पैसा गज मजदूरी पड़ती है १ आना गज मजदूरी मिलेगी। वह अनजामकार मुस्तक़िल हुआ जो हैंडीक्राफ्ट के नाम से आज मशहूर है। इसको लाखों रुपये का फायदा उस जमाने में जब कि कंट्रोल था हो सकता था, लेकिन वह फायदा नहीं उठाया गया और जनता को भी कम दाम में वह कपड़ा नहीं मिला जो उस हैंडीक्राफ्ट के जरिये तैयार कराया जाता था। जंग के जमाने में वह भी ब्लैक में बिकता था। उस का प्राफिट कहां जाता था। जो एजेंट थे वे प्राफिट उठाते थे और दूसरे दरमियानी लोग प्राफिट उठाते थे कर्घे वालों को तो मजदूरी ही मिलती थी, और कोई फ़ायदा उनको नहीं था। उस जमाने में काम करने के लिये बहुत कम लोग तैयार होते थे। इसलिये कि अगर उनको सूत मिलता और वह काम करते अपने घर में तो उन्हें ज्यादा फ़ायदा होता। इस हैंडीक्राफ्ट से कोई फायदा नहीं है हालांकि गवर्नमेंट का लाखों रुपया इस पर ख़र्च हुआ है। मैंने बजट की बहस में भी बताया था कि साढ़े अठारह लाख रुपया इस पर ख़र्च होगा, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा इसी तरह जो मऊ में फैक्टरी बनी है उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जो एक हैंडलूम बोर्ड बना है उससे भी हमारी उम्मीदें मुन-कता होती जा रही हैं। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक करोड़ या इससे भी ज्यादा जो रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाला है करघा उद्योग की उन्नति के लिये उस रुपये से एक मिल खोली जायगी। एक स्कीम आ गयी है उस बोर्ड में और उसे मंजूर भी कर लिया गया है और क्यों न मंजूर किया जाता जब कि उसमें डाइरेक्टर आफ काटेज इंडस्ट्रीज और सूबे भर के जो टेक्स्टाइल इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने बैठ कर मशविरा किया कि कौन हम लोगों के मुख़ालिफ़ है और कौन हमारे मुआफिक है और हां में हां मिलाने वाला है। उनकी लिस्ट बन गई और उसी के आधार पर उनके नाम हैंडलूम बोर्ड में रखे गये हैं। इस सदन में एक सदस्य बैठे हुए हैं उनकी भी मुख़ालिफत की गयी। वह तो हमारे मुख्य मंत्री जी नहीं माने और उनका नाम लाना ही पड़ा और वर्ना उनकी भी मुख़ालिफ़त थी। उनमें उन लोगों को नहीं रखा गया जो सही राय देने वाले हैं और आखिरकार यह तय हो ही गया मिल खोली जायगी। कुछ लोग उसमें मुलाज़िम हो जायंगे, कोई मैनेजर हो जायगा, कुछ सुपरवाइजर हो जायंगे चाहे करघे वालों को कोई फायदा पहुंचे या न पहुंचे। इसलिये हम लोगों की तो उम्मीद इस बोर्ड से मनक़ता होती चली जा रही है कि शायद उससे भी कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। मैं जानता हूं कि हमारी कांग्रेस सरकार चाहती है कि हैंडलूम की तरक्क़ी हो, लेकिन वह ऐसे फंदे में फंसी है कि कुछ भी नहीं कर पाती।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त सदन में कोई माननीय मंत्री नहीं हैं। तो क्या हम लोग इस पर बहस कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—वह तो कैबिनेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष—पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की रिस्पांसिबिलिटी उस ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी में आती है जो कैबिनेट की है ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं तो समझता हूं कि जब माननीय मंत्री किसी को डिप्यूट कर देते हैं एक काम के लिये तो फिर वह मिनिस्टर की तरफ से काम कर सकता है।

श्री राजनारायण—तो क्या श्रीमन्, आप के पास कोई सूचना है कि मिनिस्टर ने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को डिप्यूट किया है ? क्योंकि श्रीमन् कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में डिप्टी मिनिस्टर भी नहीं जोड़े गये हैं और इसलिये मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जब ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है और कैबिनेट सिस्टम है तो कोई मिनिस्टर ही उस को रिप्रेजेंट कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने जैसा अभी कहा था कि वे किसी को भी डिप्यूट कर सकते हैं। रूल्स में अगर माननीय सदस्य "मिनिस्टर" की परिभाषा को देख लें तो मालूम हो जायगा :

"Minister means a member of the Council of Ministers and includes any member of the Assembly to whom such Minister may delegate any function assigned to him under these Rules."

['मंत्री' का तात्पर्य मन्त्रिमंडल के किसी सदस्य से है और इसमें विधान सभा का ऐसा सदस्य भी सम्मिलित होगा जिसको ऐसा मन्त्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रयोजन करे ।]

तो ऐसी हालत में जब कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी उनकी तरफ से मौजूद हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि मिनिस्टर मौजूद नहीं है।

श्री बशीर अहमद हकीम—तो मैं अपनी सरकार से यह अर्ज करूंगा कि वह इस तरफ खास तौर से तवज्जह दें और यह देखें कि यह तमाम रुपया जो करघा उन्नति के नाम पर खर्च हो रहा है और उससे फायदा नहीं पहुंचता है ऐसा क्यों है वह उस को बन्द करें। इसी बजट में आप देखिये जहां तक मुझे याद पड़ता है करीब पौने पांच लाख करघा उन्नति के लिये रखे गये हैं, लेकिन वह रुपया इधर उधर खर्च कर दिया जाता है और करघा उन्नति के लिये क्या सूरत अख्तियार की जा रही है मैं नहीं कह सकता। बहरहाल, लालबत्ती आ गयी है, जो लालटोपी वालों के लिये होनी चाहिये थी हमें दिखाई गयी है इसलिये हमें पालन करना चाहिये और मैं उसका पालन करूंगा। इस वक्त मुझे मौका नहीं मिला है मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं। जवाब के वक्त मौका मिलेगा तो कहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को सदन के सम्मुख रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि सदन इसे मंजूर करेगा।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव में संशोधन देने वालों का नाम पुकारने पर।)

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अभी तो जेनरल डिस्कशन होना है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव पेश हो गया है। पहले संशोधन के लिये मौका दिया जायगा और उसके बाद जनरल डिस्कशन हो जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय बशीर अहमद हकीम के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित अनुच्छेद (पैराग्राफ) बढ़ा दिया जाय :

"साथ ही इस बात के महत्व को अनुभव करते हुए कि कर्घा उद्योग की उन्नति के लिये सूती मिल उद्योग की प्रतिद्वन्दिता से उसकी रक्षा करना आवश्यक है, यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि सूती मिल उद्योग के समाजीकरण के लिये शीघ्र क़दम उठाया जाय, साथ ही कुछ विशेष प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन केवल कर्घा व्यवसाय के लिये सुरक्षित रखा जाय।"

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने उपस्थित किया है उसके दो अंश हैं। पहला अंश तो इस बात पर जोर देता है कि सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, समाजीकरण होना चाहिये और दूसरे अंश में इस बात पर जोर दिया गया है कि कुछ प्रकार के कपड़ों पर सूती मिलों में प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि वह वहां न बन सकें। इस प्रश्न पर तो मैं इस निश्चित मत का हूं कि अगरचे हमारी सरकार बराबर घरेलू उद्योग धंधों की बात करती है, छोटी इंडस्ट्रीज की बात करती है लेकिन उस के पास कोई इस संबंध की निश्चित योजना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप को याद है और इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों को भी याद है कि जब हमारे देश में राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा था तो उस वक्त एक कार्य यह भी था कि हम विदेशी मिलों के बने कपड़ों को बायकाट करते थे और वह हमारे आन्दोलन का एक रूप हो गया था लेकिन उस बात को हमारी सरकार बिलकुल भूल गयी और आज करघे के उद्योग को, स्माल इंडस्ट्रीज को कोई संरक्षण नहीं प्राप्त होता। सरकार का उस की तरफ कोई सहानुभूति प्रदर्शित करना व्यर्थ सा ही है। पिछले सात सालों से सरकार कार्य कर रही है तो इस संबंध में सरकार की कोई निश्चित पालिसी होनी चाहिये। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमारी सरकार केवल जबानी जमा-खर्च करना चाहती है। उस के पास कोई निश्चित योजना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस सरकार पावर में आई थी तो उस को पहला कदम यही उठाना चाहिये था कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बनाकर तमाम इंडस्ट्रीज को दो जगह अलग कर देना चाहिये था। सूती मिलें, शक्कर, लोहा, स्टील, कोयला आदि का उद्योग पब्लिक सेक्टर में आना चाहिये था और इन सब का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। अगर यह भी नहीं हुआ तो कम से कम कर्घा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण बहुत ही जरूरी था। इसलिये कि एक तरफ तो आप कर्घा उद्योग को संरक्षण देते हैं और सूती मिलों को भी आप स्वेच्छापूर्वक चलने देना चाहते हैं तो यह तो दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं। सूती मिल तो केवल अपने मुनाफे के लिये चलती हैं और वह तो कोशिश करती है कि यहां कर्घा उद्योग न पनपे। अगर सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जायगा तो वह सरकार के हाथ में होगी और सरकार उन पर चाहे जो पाबन्दी लगा सकेगी और जैसे चाहे वह उनका संचालन कर सकती है। यह भी सदस्य जानते हैं कि कर्घा में जो सूत इस्तेमाल होता है वह सूती मिलें ही तैयार करती हैं और वह मिलें इस तरह की कोशिश करती हैं कि वह सूत कर्घा उद्योग के लोगों को जितना महंगा मिले उतना ही अच्छा है और जैसा कि श्री बशीर अहमद साहब ने कहा कि वह मिलें अपने यहां से ही उस सूत के दाम बढ़ा देती हैं और वह सूत फैक्टरी के मुकाबिले में इन्डिविजुअल वीवर को १५ प्रतिशत अधिक दामों पर दिया जाता है और इसी कारण से करघे वाले मिल के माल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और मिलों का कपड़ा लोगों को सस्ता पड़ता है और दूसरी तरफ करघे के कपड़े के दाम बढ़ जाते हैं और उस को कोई नहीं पूछता। आजकल ऐसी हालत है। मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि फैजाबाद जिला करघे के कपड़े के लिये मशहूर है और वहां पर तीन चार कपड़े के बड़े बाजार हैं जैसे टांडा, जलालपुर और अकबरपुर तथा मदरसा और किसी वक्त तो वहां की जामदानी ३०० रुपये गज तक बिकती थी और वहां का गमछा आज भी दुनिया में भेजा जाता है। लेकिन सरकार इस उद्योग की ओर ध्यान नहीं देती है। बार-बार कहा गया कि कोई सहायता दी जाय और जिस तरह से किसानों को मुख्तलिफ किस्म की तकावी वगैरा दी जाती है, परन्तु ध्यान नहीं दिया गया। मैं टांडा की ही मिसाल आप को बतला दूं कि वहां से नैपाल में एक खास इस्तेमाल होने वाली छींट होती है वह करीब १ करोड़ रुपये की भेजी जाती थी लेकिन सरकार ने उसका नैपाल भेजा जाना बन्द कर दिया है और इस से टांडा के जुलाहों पर बहुत कुठाराघात हुआ है। अगर राष्ट्रीयकरण न भी किया जाय और केवल कुछ प्रकार के कपड़ों के बनाने पर जैसे मोटे कपड़े हैं, मिलों पर प्रतिबन्ध ही लगा दिया जाय, जैसे गाढ़ा, मोटे धोती जोड़े, टेबिल क्लाथ, गमछे वगैरा हैं जो आम इस्तेमाल की

चीजें हैं उन को मिल न बना सकें, ऐसा प्रतिबन्ध लगा दिया जाय तो नतीजा यह होगा कि कर्घा उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा जैसा कि श्री बशीर अहमद साहब ने बताया और कर्घा उद्योग की जानकारी कराई। जो कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई भी गई थीं उन की भी उपेक्षा की गई और हालत यह है कि इंडिविजुअल को तो सहूलियत दी जाती है और सूत कोआपरेटिव को न देकर अलग लोगों को दिया जाता है और इसलिये मैं कहूंगा कि इस का काम इस मौखिक सहानुभूति से न चल सकेगा। बड़ी लज्जा की बात है कि जिस देश में ऐसा कपड़ा बनता था, ढाके में और फैजाबाद में ऐसा कपड़ा बनता था कि जो इंगलैण्ड में जाता था और वहां की औरतें उस को काफी पसन्द करती थीं और बाद में वह कपड़ा इंगलैण्ड की सरकार ने कानूनन वहां जाना बन्द कर दिया, लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार को ७ साल आये हो गये आजतक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि हमारे यहां विलायती कपड़ा न आ सकेगा और वह आज भी यहां आता है। तो करघे और उद्योग धंधों का कैसे संरक्षण हो सकता है ? उसका एक ही तरीका है कि बाहर का कपड़ा बन्द किया जाय और यहां के जो मिल मालिक हैं उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कल या परसों इस सदन में इस बात का जिक्र हुआ कि क्या वजह है कि बरेली की गवर्नमेंट फैक्टरी का ही फरनीचर मंगाया जाता है और चूंकि वह सरकारी हैं इसलिये ज्यादा दाम होने पर भी उनका ही फरनीचर मंगाते हैं। तो इसी प्रकार से करघे के लिये भी बहुत से काम किये जा सकते हैं। एक तो यह कि मिलों के ऊपर इतनी हैवी ड्यूटी लगा देनी चाहिये, इस किस्म का टैक्सेशन लगा देना चाहिये कि जो आम इस्तेमाल में आने वाला कपड़ा बाजार में आता है उससे करघे से बना हुआ कपड़ा सस्ता पड़े। यह एक मूलभूत सिद्धांत है लेकिन हमारी सरकार तो सेंट्रलाइजेशन की स्कीम के मुताबिक चलती है। उसका ख्याल यह है कि बड़े-बड़े उद्योग धंधे बड़े-बड़े व्यक्तियों के हाथ में रहने चाहिये। यह कहना कि १० साल बाद तो राष्ट्रीयकरण होने वाला है १० साल किसने देखें हैं, राष्ट्रीयकरण हो या न हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां निवेदन कर दूं कि हमारी सरकार उद्योगों के संगठन में वही रास्ता अपनाती है जो रूस या इंगलैण्ड या अमरीका अपनाता है। अमरीका में जो इण्डस्ट्रीज में लागत लगी हुई है वह फी आदमी, अगर आबादी से बांट दिया जाय, तो साढे छः हजार हो जाती है, योरोप में साढे तीन हजार, रूस में साढे चार हजार और हमारे देश में इंडस्ट्रीज में जितना रुपया लगा हुआ है वह अगर आबादी से बांट दिया जाय तो पर कैपिटा इनवेस्टमेंट १५० रुपया होता है। ऐसी स्थिति में रूस अमेरिका की नकल करना उचित नहीं है।

तो इंडस्ट्रीज में जहां तक उद्योग धंधे की बात है हम गांधी जी का नाम जरूर लेते हैं इस बात पर फख्र करते हैं कि चरखा हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन उसके प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, यह भी एक अजीब चीज है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि शुगर इंडस्ट्रीज के लिये सरकार प्रोटेक्शन देती है। उस प्रोटेक्शन से तो आप अवगत ही हैं। किन्तु जहां तक करघे के उद्योग का सवाल है उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। शुगर इंडस्ट्री को दिया गया और हर तरह से चीनी की कीमत बढ़ाई गयी। आज भी ३५ रुपया मन चीनी की कीमत है, मगर किसानों, के गन्ने की कीमत एक रुपया बारह आने से एक रुपया पांच आने और तीन आने कर दी गयी।

तो जब जूट की मिलों को, चीनी की मिलों को, स्पात की मिलों को और कोयले की खानों को संरक्षण दिया जा सकता है, उसी प्रकार जब करघे, और चरखे को सरकार संरक्षण देने की बात करतीं है तो इस संबंध में सख्त से सख्त कानून बना कर ही व्यवस्था हो सकती है कि घरेलू उद्योग धंधे पनप सकें।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन को माननीय बशीर अहमद मान ही लेंगे और साथ ही सरकार की भी एक मौखिक सहानुभूति वाली अपनी नीति छोड़ेगी और सही मानों में सूती मिलों के राष्ट्रीयकरण की ओर कदम उठायेगी। अगर वह संभव न हो तो सूती मिलों पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दिया जाय जिस से वे महीन कपड़ा ही बना सकें और

[श्री रामनरायण त्रिपाठी]

आम इस्तेमाल का बनने वाला कपड़ा चरखे और करघे से बने, तभी सरकार की नीति कामयाब हो सकती है।

श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बशीर अहमद हकीम के संकल्प के अन्त में निम्न संशोधन पेश करता हूं, "साथ ही करघा उद्योग की उन्नति के लिये मद्रास सरकार की भांति मिलों में बनाये जाने वाले प्रतियोगी कपड़ों पर उचित प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्न और वस्त्र, ये मानव समाज के लिये बुनियादी आवश्याकतायें हैं और जब से हमारी सरकार कायम हुई है तब से हम ने यह प्रतिज्ञा की है कि अपने देश में किसी को हम भूखा नहीं मरने देंगे, किसी को हम नंगा नहीं रहने देंगे और इसका हमने जहां तक हो सका प्रतिपालन किया। आज हमारे विरोधी पक्ष के भाई भी इस चीज को कबूल करते हैं कि हमने इसमें सफलता पाई है।

आज हमारे सामने करघा उद्योग की बात है। इसमें चरखा उद्योग और करघा दोनों होने चाहिये। क्योंकि यह चर्खा करघा उद्योग जो है वह हमारे इतिहास और संस्कृति से बहुत बड़ा ताल्लुक रखता है, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एक जमाना था उस तरफ चलिये जब कि मानव समाज नंगा पशुओं के बीच में, पक्षियों के बीच में रहता था। मानव प्राणी के दिमाग में बुद्धिबल था। उसने ताड़ व नारियल की जटाओं की पवित्र "पाश" या "फंदा" या रस्सी बनाकर भयंकर पशुओं पर विजय प्राप्त की। आगे चल कर उसने "पाश" "बउर" या जाल बनाया। उसने इससे जलचर, नभचर, और थलचर के प्राणियों पर विजय प्राप्त की। आगे बढ़ कर उसने, पूरे नर नारी समाज ने, एक चरखा काता और दूसरा ने करघे से बुना। इस प्रकार उसने जाड़ा, गरमी और बरसात पर विजय प्राप्त की, सब को चमड़ा, ऊन और सूत का कपड़ा दिया और यह उद्योग इतना फैला कि चलते-चलते जिस वक्त औरंगजेब का जमाना आया उस समय की एक मिसाल देता हूं कि हिन्दुस्तान के एक कारीगर ने एक बांस के चोंगे में चालीस गज का थान भेंट किया। उस बादशाह ने कपड़े के थान को अपनी लड़की जेबुन्निसां को दे दिया। लड़की उसको पहनती है तो सात परत करके पहनती है और जब अपने बाप के सामने आती है तो बाप कहता है कि बेटी जान, इतना बारीक कपड़ा मत पहना करो। इसमें तुम्हारा तन दिखायी पड़ता है। वह लड़की कहती है। पिता जान में क्या करूं सात परत यह कपड़ा है।

सोचिये इस से अच्छा कपड़ा क्या आप की मिलें संसार में बना सकती हैं। आज कोई मिल इससे अच्छा कपड़ा नहीं बना सकती है। जैसा कि इस देश के हाथ के कारीगर बनाया करते थे और वह भी हाथ के कते हुए सूत का। तो वह समय हमारे उद्योग का एक दम निकल गया। एक समय था उस समय हिन्दुस्तान में जो कपड़ा बनता था वह हमारे लिये तो काफी था ही बल्कि उसे हम सारे संसार में भेजा करते थे। जब नार्मन कौम ताकत में आयी तो उसने सबसे पहला काम यह किया कि हिन्दुस्तान का कपड़ा यूरोप के अन्दर नहीं आना चाहिये। उसने एक कानून बना दिया कि अगर हिन्दुस्तान का कपड़ा कोई यूरोप में मंगायेगा तो उसको फांसी दे दी जायगी। इत्तिफाक से विलायत में एक लड़की के पास हिन्दुस्तान का बना हुआ रूमाल निकल आया। उसको फांसी दे दी गयी। इस तरह से हमारे हिन्दुस्तान के कपड़े का बाईकाट हुआ। यही नहीं जब वही हिन्दुस्तान में आये तो उन्होंने सब से पहला काम यह किया कि यहां के कारीगर जो लाखों की तादाद में कपड़े की चीजें बनाते थे, और हिन्दुस्तान के गांव-गांव में यह उद्योग फैला हुआ था, उन कारीगरों के हाथ कटवा लिये और हमारे हिन्दुस्तान को वस्त्र से विहीन कर दिया और अपने देश के कपड़े को ला कर पाट दिया। उस जमाने में इस तरह से हमारे इस उद्योग को कुचला गया, और मिलों का कपड़ा

हमारे ऊपर ठूंसा गया और अंग्रेज हमारे देश के धन को कपड़ा बेंच कर लेते रहे, हम गरीब और कंगाल होते रहे, उसके बाद एक समय और भी आया। हमारे पूज्य बापू का समय। १९३० में मैं तो केशवराम काटन मिल्स, मटिहाबुर्ज में ताने या बारीपन का एक मजदूर था। एक दिन की बात है कि एक घंटे की छुट्टी बिड़ला जी ने दी कि हम लोग खिदरपुर के मैदान में जायं जहां हमारे पूज्य बापू जी आने वाले थे। इतने बड़े जनसमूह को या तो मैंने कांग्रेस के अधिवेशनों में देखा या खिदरपुर के मैदान में देखा जहां पर बापू ने कहा था कि तुम विदेशी कपड़े की होली जला दो और हरिजन सेवा के लिये अपने जेवर को उतार कर दे दो। हमारी माता बहनों से कहा, फल क्या हुआ, मैं अपनी देखी हुई बात बतलाता हूं कि लाखों नर नारियों ने विलायती कपड़े का अम्बार लगा दिया, और उसमें आग लगा दी गयी। उसके बाद जो लाठी, डंडा और बन्दूक चली और जो दुर्दशा हुई उसको भी हम अपनी आंख से देख चुके हैं। बापू ने यह कहा था कि अगर तुम ने इतना त्याग कर दिखाया तो हम तुम्हें सब से कीमती चीज आजादी देंगे। हमने देखा कि जब कपड़े का बाईकाट हुआ तो हिन्दुस्तान भर के जितने नर-नारी थे, उन्होंने उसका बाइकाट खूबी से किया। उसका फल यह हुआ कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट झुक गयी और डर गयी कि कहीं ऐसा न हो कि यह लोग हमें बरबाद कर डालें। हमारे जो राष्ट्र के आज कर्णधार हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके स्वर्गीय पिता पंडित मोतीलाल नेहरू का कपड़ा धुलकर फ्रांस से आता था। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि हम बिलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। उसका फल यह हुआ कि एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे देश में उत्पन्न हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इस कपड़े ने हमारे देश में ऐसी क्रांति करदी कि हमारे अन्दर असीम देश भक्ति व आत्मबल आया। क्योंकि चरखे और करघे में अहिंसा की एक बड़ी भारी शक्ति है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिसाल देता हूं। जिस वक्त एक जुलाहा महासंत कबीर आता है, तो एक दिन उसके पास हिंसा में विश्वास करने वाले गोरख जी अपना त्रिशूल लेकर आते हैं और उस जुलाहे से कहते हैं कि तुम हमसे शास्त्रार्थ करो। क्योंकि हमने सुना है कि तुम एक बड़े भारी भक्त हो वे त्रिशूल पर बैठ जाते हैं आप उस समय को सोचिये कि कितना बड़ा अध्यात्मिक बल उस जुलाहे में था। वह उनसे शास्त्रार्थ करता है और इस प्रकार हिंसा का अहंकार दब जाता है। आप सोचिये कि दूसरा जुलाहा हमारा पूज्य बापू आता है, जो अपने हाथ से चर्खा चलाता है और अपना कपड़ा भी बुन लेता है। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को वह समय याद है कि अहंकारी नार्मन चर्चिल ने गांधी जी को कहा था कि उस अध नंगे फकीर को तबाह कर डालेंगे, बरबाद कर डालेंगे। उसकी आवाज बापू के चरखे की आवाज से टकराई और शांत हो गयी। आज चर्चिल का दम खत्म हो गया है। अभी हमारे भाई श्री झारखंडेराय जी ने बतलाया कि हमारे यहां कम्युनिज्म जो है वह हिंसा पर आधारित है, अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है तो उसको हम मिटा देते हैं। मैं आप से कहता हूं कि इस चरखे में इतनी बड़ी शक्ति है, अहिंसा में इतनी बड़ी शक्ति है कि वह हिंसा जिसका विकृत स्वरूप अहंकार है उसको वह अपने में जज्ब कर लेता है और अपने तेज से आदमी के हृदय को परिवर्तित कर लेता है। यह हमारे अहिंसा की विजय है, चर्खा और कर्घा की शक्ति की विजय है। हम उसी शक्ति के बल पर आजाद हुए। आजाद होने के बाद जो हमारा करघे और चरखे का रोजगार था, जो सारे देश में फैला हुआ था, उसको इधर-उधर करके हमने थोड़ा पनपाया लेकिन आज हालत यह है कि मिलें हमारे उस रोजगार को दबा देती ह। इसका कारण यह है कि हमारे जो इस वक्त पढ़े लिखे भाई हैं, जो सरकारी नौकर हैं, जो यहां के रहने वाले हैं, वे अपनी उच्चता इस बात में समझते हैं कि हम दूसरे देश की भेष भूषा और भाषा की नकल करें, तब हमारी उच्चता है। लेकिन हमारे देश की अपनी संस्कृति अकेली ही रही है और वह इतनी ऊंची थी कि दुनिया ने उसे माना है। हाल ही में पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये हमारे राष्ट्र के नेता ने आवाहन किया देशवासियों से कि १ हफ्ते का न करो। हमने देखा कि जिन लोगों ने जिन्दगी में कभी फड़वा या मिट्टी नहीं उठाई थी उन लोगों ने इतनी तेजी से काम करके दिखाया जो कि हमारी रिपोर्टों में दर्ज है। हमारे देश में आत्मविश्वास है लेकिन हमारे दिमाग के अन्दर थोड़ी सी बात हल नहीं हो पाई कि अगर हम अपनी राष्ट्रीयभाषा, अपनी

[श्री नारायण दास]

वेषभूषा और अपने हुनर को सारी दुनिया में फैलाना चाहते हैं तो पहले अपने घर को ठीक करना चाहिये। मेरा निजी विचार है कि अगर हम अपने निजी बने कपड़े को अपना लें तो ९९ फीसदी भृष्टाचार दूर हो जायगा। मैं मिल का कारीगर रह चुका हूं और १ नहीं कम से कम १० बरस मैं उसके अन्दर रहा हूं और वहां के कपड़े की जो तड़क-भड़क है हमारा करघे का कपड़ा उसे नहीं पहुंच सकता। बाजार में उसकी बिक्री नहीं होती और हमारे कारीगर भूखों मरने लगते हैं। इसलिये जरूरत इस बात की है कि चरखे व करघे के कपड़े को संरक्षण दिया जाय। मद्रास में हमने देखा कि वहां अभाव से कुछ लोगों ने आदमियों को आतंकित किया, उन्हें बरगलाया और उसके बाद थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की। लेकिन केवल करघा उद्योग को संरक्षण देने से वे हिंसा की चीजें अपने आप खत्म हो गईं। हमारे प्रदेश में लाखों जुलाहे और कोरी हैं, अगर उन्हें मिल के कपड़े से थोड़ा भी संरक्षण दे दें जिससे वे प्रतियोगिता करते हैं, कुछ क्वालिटियों को बनाने की मनाही कर दें, तो मैं समझता हूं कि करघा उद्योग अपनी उन्नत अवस्था पर पहुंच जायगा और सुन्दर तरीके से काम करने से उन लोगों की बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जायगी। उनकी माली हालत में बहुत बड़ा सुधार हो जायगा क्योंकि हम यह जानते हैं कि चाहे सहकारी संस्था हों चाहें निजी संस्था हों, जब तक सरकारी संरक्षण उनको नहीं मिलता, उनका कपड़ा सरकार नहीं लेती है, तब तक उनकी कोई भी उन्नति होना कठिन है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैसे मद्रास गवर्नमेंट ने संरक्षण दिया है करघा उद्योग को, वैसे ही हमारी सरकार भी दे करके हमारे नरनारी समाज को उन्नतिशील बनाने में मदद दे। इस प्रकार अपनी सर्वोच्च संस्कृति और इतिहास के ऊपर जो हमने प्रतिज्ञा की है उसे हम बापू का नाम लेकर पूरा करें।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री बशीर अहमद हकीम साहेब के संकल्प में यह संशोधन पेश करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह उसके साथ में जोड़ दिया जाय। "और कर्घा उद्योग को सूती मिलों की प्रतिद्वन्दिता से बचाने के लिये यह निश्चय किया जाता है कि प्रदेश के अन्दर केवल कर्घा उद्योग का बना कपड़ा ही इस्तेमाल में लाया जाय और सूती मिलों का बना कपड़ा बाहर के देशों को भेजा जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके सामने श्री बशीर अहमद हकीम और श्री नारायणदास जी ने अपने प्रदेश में और देश के अन्दर कपड़े के व्यवसाय के सम्बन्ध का एक बहुत बड़ा इतिहास बतलाया और यह बतलाया कि हमारे देश के अन्दर किस प्रकार से कपड़े का व्यवसाय बढ़ा-चढ़ा था और इससे कितने लोगों का उपकार होता था और देश की उन्नति का बहुत कुछ आधार कपड़े का व्यवसाय ही था।

मैं इस कपड़े के व्यवसाय और विशेषतया इस उद्योग को दूसरी दृष्टि से लेता हूं। आज कल हमारे देश की समस्या एक ऐसी विचित्र हो चली है कि यदि हमारी सरकार और देशवासियों ने इस पर विचार नहीं किया तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की हालत बहुत अच्छी नहीं रहेगी।

इस समय कृषि की ही उन्नति की जा रही है। कृषि की उन्नति करने के लिये तरह-तरह के साधन काम में लाये जा रहे हैं किन्तु इसके साथ में जितने देश के और दूसरे व्यवसाय हैं उनके ऊपर इस तेजी के साथ विचार नहीं किया जा रहा है जैसा कि कृषि के ऊपर विचार किया जा रहा है। इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि कृषि पर विचार न किया जाय और कृषि को उन्नतिशील न किया जाय मगर इसके साथ ही साथ मेरा यह भी सुझाव है कि जितनी कृषि की उन्नति करने के लिये हम कोशिश कर रहे हैं, वहां हमारे देश को यह चाहिये कि अपने देश को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिये, अपने देश के अंदर उद्योगों को बढ़ाने के लिये भी पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाय। वरना इसका बड़ा नुक्सान यह होगा कि सब लोगों की तवज्जुह भूमि की तरफ चली जायगी और हर एक इंसान का ख्याल होगा कि भूमि जिस पर खेती होती है,

उसी से जीविका उपार्जन हो सकती है। इसलिये हर एक आदमी जैसा कि आज कल सदन में या सदन के बाहर जो लोगों के विचारों को समझते हैं वह जानते हैं कि जो भी उठते हैं वह इस बात के लिये आवाज़ लगाते हैं कि भूमि का वितरण किया जाय और मैं समझता हूं कि यह आवाज़ लगाना ठीक है क्योंकि इस देश के अन्दर जीविका उपार्जन भूमि से ही रह जाता है। हर आदमी चाहेगा कि मुझे भी भूमि दी जाय जिससे मैं अपनी जीविका उपार्जन कर सकूं और देश की हालत यह है और जो हमारे यहां भूमि की व्यवस्था है, उससे हर एक इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि आज हमारी भूमि की इतनी शक्ति नहीं रही कि वह मौजूदा आबादी के बोझ संभाल सके और जो देश की हालत है उसको संभाल सके और हर एक इंसान को चाहे वह पहले कोई काम करता हो, अब केवल भूमि ही उसके रोजी दे सके।

इसलिये यह अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न आ जाता है कि हमें और क्या करना चाहिये। आया हम अपने देश को केवल कृषि प्रधान ही देश रखें? मैं गवर्नमेंट के सामने और अपने देश के सब भाइयों के सामने यह सुझाव रखता हूं कि भूमि को ही एकमात्र जीवन का साधन न बनाकर और केवल कृषि के ही उन्नति न करके जितने दूसरे व्यवसाय हैं उनकी तरफ भी हमें अपनी तवज्जह करनी चाहिये।

अब आपके सामने मैं दूसरे देश जो गिरी हुई हालत से ऊपर उभरे हैं, उनकी मिसाल रखता हूं उनमें रूस और चीन की मिसाल हमारे सामने है। जिस समय रूस साम्राज्यशाही सरकार से आज़ाद हुआ तो उन्होंने केवल कृषि ही कृषि की उन्नति नहीं की बल्कि इस बात का भी प्रयत्न किया कि जितने वहां के और दूसरे व्यवसाय थे उनको भी तरक्की दी। इसी तरह से चीन ने भी इन्हीं दो तीन वर्षों के अन्दर-अन्दर जब वह आज़ाद हुआ अपने देश में जहां कृषि को उन्नति दी वहां पर दूसरे व्यवसायों की भी उन्नति की। यही मार्ग मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिये भी श्रेयकर होगा कि जहां हम कृषि को उन्नति देते हैं वहां हमें जितने हमारे यहां के व्यवसाय हैं उनकी भी उन्नति करनी चाहिये जिससे सब मनुष्यों को दूसरे प्रकार के भी जीविका के साधन मिल जायं और हर इन्सान कृषि की तरफ ही न लगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अन्दर लोग अब आहिस्ता-आहिस्ता दूसरे व्यवसाय छोड़ कर खेती की तरफ आ रहे हैं और भूमि अब इतनी रही नहीं है कि वह हर एक इन्सान को दी जा सके। कौन नहीं जानता कि हमारे प्रदेश में ही खाते इतने छोटे-छोटे हो गये हैं और दिन ब दिन होते जा रहे हैं कि उनसे इन्सान का गुज़ारा होना भी मुश्किल होता जा रहा है। अब सवाल यह रह जाता है कि ऐसे कौन-कौन से व्यवसाय हमारे देश के अन्दर हैं जिनमें हमारे लोग उन्नति कर सकते हैं, जिनसे उनका जीविकोपार्जन हो सके। मैं समझता हूं और हर एक कोई इस बात को मानेगा कि यह कपड़े का व्यवसाय एक मात्र ऐसा व्यवसाय है कि जो खेती के बाद दूसरे नम्बर पर आता है। इसकी अहमियत कई प्रकार से है। एक तो कपड़े के लिये जो कच्चा माल है, जिससे वह तैयार होता है वह उसी भूमि से पैदा होता है जहां पर बनाने वाला रहता है और दूसरी चीज जो इसके लिये सबसे आवश्यक है वह बाज़ार है, यानी जहां कपड़ा तैयार होता है वहीं उसको इस्तेमाल करने वाले भी मिल जाते हैं और तीसरी बात यह है कि इसके अन्दर उन बारीकियों की जरूरत नहीं पड़ती जिनकी आमतौर पर अक्सर व्यवसायों में पड़ती है, मामूली अक्ल रखने वाला भी कपड़े को बुनकर तैयार कर सकता है। तो ये तीन बातें हैं जिनकी वजह से कपड़े का व्यवसाय सदैव ही हमारे देश के लिये एक बहुत बड़ी चीज़ रही है और अब भी वह बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। मगर क्या आप समझते हैं कि इस मौजूदा दशा में जिस दशा में कपड़े का व्यवसाय इस समय चलाया जा रहा है यह उन्नति कर सकता है

[श्री बलवन्त सिंह]

है और क्या यह हमारे देश के लोगों के लिये जीवन का साधन बन सकता है? मैं यह कहूंगा कि इसकी तरफ जैसी तवज्जह हमने शुरू में दी जब कि हमारे देश की राजनीति की बागडोर हमारे बापू जी ने सम्हाली वैसी तवज्जह मुल्क की हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में आ जाने पर हमने नहीं दी और उसका कारण यह है कि हम दूसरे कामों में फंस गये और इस बड़े व्यवसाय को, जो कि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा साधन था हम छोड़ बैठे और उसे छोड़ बैठने का नुक़सान हमको हुआ और उसका नुक़सान यह हुआ कि वे चीजें जो कि इस व्यवसाय में नहीं बढ़नी चाहिये थीं वे उन्नति करती जा रही हैं और यह कपड़े का व्यवसाय जो कि हमारे देहात और कस्बों में हो सकता था और हो रहा था वह गिरने लगा और इस गिरने का नतीजा यह हुआ कि अब हजारों, लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको कोई व्यवसाय नहीं मिल रहा है और लोग अपने कर्घे खड्डी बेचकर शहरों में आकर रिक्शा ड्राइवर की शक्ल में जीवनोपार्जन कर रहे हैं। अगर हमारे देश की गवर्नमेंट कोशिश करे तो मैं समझता हूं कि फिर से यह हमारा व्यवसाय अच्छे प्रकार से चलाया जा सकता है और करोड़ों आदमियों को जैसे कि पहले रोजी दिया करता था उसी प्रकार से रोजी दे सकता है। मगर अब पहले जैसी गतिविधि नहीं रही क्योंकि साइन्स जहां पर तरक्की करती है वहां पर ऐसे साधन मौजूद हो जाते हैं जो कि इन्सान के अपने हाथ से काम करने के साधनों को नष्टप्राय कर दें और इस व्यवसाय में भी ऐसा ही हुआ जहां साइन्स बढ़ी, कपड़े का उद्योग बढ़ा, मिलें उसके स्थान पर आ गयीं उनके जरिये से कपड़ा उत्पन्न होने लगा तो हाथ से काम करने वालों का काम समाप्त हो गया। जैसा कि अभी नारायणदास जी ने बताया हमारे देश में बहुत बढ़िया किस्म का कपड़ा करघे से बनाया जाता था। ऐसा भी कपड़ा होता था जो सात बार जिस्म पर लपेटने पर भी जिस्म नंगा ही मालूम होता हो। इतिहास में ऐसी मिसालें भी हैं जब कि बढ़िया तरीके की मलमल हमारे देश में हुआ करती थी मगर अब हमारे देश में उसको कुछ भी प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है।

अभी दो तीन बातें माननीय सदस्यों ने सदन के सामने रखीं और इस बात का प्रयत्न किया गया कि किस प्रकार से करघा उद्योग को सुरक्षित किया जा सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि जितने सुझाव भी इस सदन के सामने रखे गये, यद्यपि मैं यह मानता हूं कि उनसे कुछ हद तक कामयाबी जरूर होगी, मगर यह सुझाव ऐसे नहीं हैं जिनसे मिलों के मुकाबले में करघा उद्योग को पूर्णतया संरक्षण मिल सके। हमें तो उसी प्रकार का संरक्षण इसको देना चाहिये जैसा कि दूसरे देशों ने इसको दिया है। मैं यह मानता हूं कि यदि हमारे अन्दर अपने कपड़े के व्यवसाय, करघा उद्योग और खादी के प्रति ऐसी मुहब्बत पैदा हो जाय जैसी कि कुछ अर्से पहले थी विलायती कपड़ा चाहे जितना अच्छा होता था, लेकिन हम खादी को ही पहनना पसन्द करते थे तो फिर मैं समझता हूं कि इसके लिये किसी भी संरक्षण की जरूरत नहीं है। मगर अब वह बातें नहीं रहीं। उस समय हमारी भावनायें दूसरी थीं लेकिन, स्वराज्य के बाद वह दूसरी हो गयी हैं। हमारे विरोधी दल के भाई बतला रहे हैं कि वह भावनायें नहीं रहीं। इसमें किंचित मात्र भी सन्देह नहीं है कि वह भावनायें हमारे अन्दर नहीं रहीं, लेकिन उनके अन्दर तो बिल्कुल ही नहीं रहीं, मुझे बताना यह है कि जापान ने मिलों के मुकाबले में करघा उद्योग को किस प्रकार से संरक्षण दिया। उन्होंने अपनी एक नीति बनाई और अगर हमें अपने करघा उद्योग को प्रोत्साहन देना है, खादी को प्रोत्साहन देना है, तो हमें भी उसी नीति को अपनाना होगा, वहां की नीति हमें माननी होगी। वह नीति यह है कि जो भी सामान मिलें बनाती हैं वह विदेश को भेजा जाय और अपने देश के अन्दर वह सामान काम में लाया जाये

जो छोटे-छोटे उद्योग धंधों के द्वारा बनाया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि करघा उद्योग को प्रोत्साहन मिले, करघा उद्योग कामयाब हो तो जितने भी सुझाव सोशलिस्ट भाइयों या और लोगों की ओर से मिले हैं उनसे काम नहीं चलेगा। जो संशोधन मैंने रक्खा है वह बशीर अहमद हकीम साहब के प्रस्ताव में जोड़ दिया जाय। मैं सदन के सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अगर वाकई उनके दिल के अन्दर करघा उद्योग के लिये मुहब्बत है, प्रेम है और वे यदि यह चाहते हैं कि अपने हाथ से बने हुये कपड़े की इस देश के अन्दर तरक्की हो तो उन्हें इसी प्रकार का साधन अपनाना होगा कि जो करघा कपड़ा बनाते हैं उसकी हमारे देश में खपत हो क्योंकि अभी वह इतना अच्छा नहीं होता कि बाहर उसकी मांग हो, और मिलों का कपड़ा बाहर भेजा जाय, अपने देश में इस्तेमाल न किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं भी रामदास आर्य को यह बता देना चाहता हूं कि उनके नाम में सबसे पहले एक संशोधन है। मैंने उनको यथा समय सम्बोधित किया था लेकिन वह यहां उपस्थित नहीं थे। मैं समझता हूं कि यह कुछ उचित बात नहीं हुई। तो भी क्योंकि उन्होंने अमेंडमेंट की सूचना दी है इसलिये मैं उनको अपना अमेंडमेंट मूव करने का मौका देता हूं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—मुझे खेद है। मैं एक आवश्यक कार्य के कारण उपस्थित नहीं रह सका।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत संकल्प १ की पंक्ति ३ के शब्द "और" के बाद और शब्द "प्रोत्साहन" के पहिले नीचे लिखे शब्द जोड़ दिये जायं :

"सहकारी समितियों द्वारा उन्नति की जाय, तथा"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब यह देखता हूं कि हमारे देश में गरीबों की संख्या अधिक है और इसका क्या कारण है उस सिलसिले में जो माननीय सदस्य मुझसे पहले बोले हैं उन्होंने अपने कुछ सुझाव दिये हैं उसमें मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अभी देश में अपने हाथ से काम करने की बहुत ही भारी कमी है। हमने अपने हाथ से बनी हुई चीजों की कद्र अभी तक नहीं की है। जब हम अपने हाथ से बनी हुई चीजों की कद्र करेंगे और उनका प्रयोग करेंगे तभी हमारे देश के उद्योग-धंधे की उन्नति होगी। संसार में जब शुरू में कोई मशीनें नहीं थीं उस समय हमारे देशवासी पत्ते और पेड़ों की छालों से अपने बदन को ढकते थे। फिर किसी तरह से उन्होंने उन्नति की और कपास पैदा की और फिर कपास से उन्नति करते-करते हम इस नतीजे पर आये कि हमने अपने हाथ से कपड़ा बुनना शुरू किया और उसके बुनने में हमने इतनी तरक्की की। जैसा कि अन्य सदस्यों ने बतलाया है मैं भी एक उदाहरण आप के सामने रखता हूं। ढाके में इतनी बेहतरीन मलमल बुनी जाती थी, वह इतनी बारीक होती थी कि एक इंच नली में इतनी मलमल आ जाती थी कि हाथी मय अम्बार के ढंक जाता था। आज हम अपने हाथ से बनी हुई चीजों को भूल गये हैं। उनकी कद्र हमारे हृदय में नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश के छोटे-छोटे उद्योग धंधे और कर्घा उद्योग नीचे पहुंच गये हैं। उसी की बिना पर लाखों जुलाहे आज बेकार हैं। कारण यह है कि जो कपड़ा वह बुनते हैं उसकी निकासी ठीक तौर पर नहीं होती है क्योंकि हम उस कपड़े की कद्र नहीं करते हैं।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हम मिलों के कपड़े को पहिनना अच्छा समझते हैं क्योंकि इसकी कीमत सस्ती होती है। सस्ता होने के अलावा वह मुलायम भी होता है, लेकिन उसका ध्यान हमें नहीं

[श्री रामदास आर्य]

है कि कर्घे से छोटे-छोटे रोजगार करने वालों को रोजी भी मिलेगी। यदि आज हमारा दृष्टिकोण यह हो जाय कि हम कर्घे के उद्योग को उन्नति देना चाहते हैं तो हाथ के बने हुए कपड़े को हमें अपनाना होगा, उसकी निकासी करनी होगी, इतना ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को हाथ का बना हुआ कपड़ा भेजना होगा। तभी वह ऊंचा उठ सकता है। इसके लिये मैं सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे वास्तविक रूप में कर्घा उद्योग की उन्नति चाहते हैं तो उन्हें प्रण करना होगा कि हम विदेशी कपड़ा नहीं पहिनेंगे। आज हमारे घरों में विदेशी कपड़ा पहिना जाता है और हम कर्घे के बने कपड़े को प्राथमिकता नहीं देते हैं। यदि विदेशी कपड़ा हम न पहिनें और अपने हाथ से बने हुए कपड़े का हम प्रयोग करना शुरू कर दें तो यह उद्योग धन्धा उन्नति कर सकेगा। हम आज देश में देखते हैं कि हमारे देश में गरीबी अधिक है। लोगों के पास धन नहीं है। जो कर्घे का काम करते हैं उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वे सूत इकट्ठा कर सकें और बुनाई में काफी उन्नति कर सकें। इसीलिये मैंने आपके सामने यह संशोधन पेश किया है कि इसके लिये सहकारी समितियां बनाई जांय। गांव-गांव में सहकारी समितियां बनाई जांय। जिनके पास चर्खे नहीं हैं उनको चर्खे दिये जांय और उन सहकारी समितियों के द्वारा कपड़ा बेचा भी जाय। उसके द्वारा मैं समझता हूं कि कपास भी ली जाय और कपास से रुई तैयार की जाय और फिर कपड़ा बुनवाया जाय। सहकारी समितियों के द्वारा कर्घे का काम हो और उन्हीं के जरिये हमारे कर्घों का बना हुआ कपड़ा विदेशों में भेजा जाय ताकि हमारे इस उद्योग धंधे की उन्नति हो सके और हमारे देश के उन गरीबों को रोजगार मिले। जैसा कि हमने निश्चय किया है कि मिलों में कुछ कपड़ा न बनने के लिये पाबन्दी लगा दी जायगी कि उस किस्म का पकड़ा तैयार न होगा और वह कर्घे के जरिये से तैयार होगा वह अच्छी चीज है और उससे मैं सहमत हूं। इससे कर्घे उद्योग की उन्नति होगी। हमारे सामने जो गरीबी का मसला है, हमारे देश के उत्थान का मसला है और इससे जो हमारे छोटे-छोटे भाइयों को रोजगार देने का मसला है वह भी हल हो सकता है। चर्खे ने हमारे सामने सत्य, अहिंसा और प्रेम तीनों पाठ रखे हैं। यह तीनों चीजें हमें चर्खे ही में मिलती हैं, चाहे आदमी कितना ही गुस्से से भरा हो और अगर वह बार-बार सूत जो टूट जाता है उसको जोड़ता है तो उसका गुस्सा भी छिन्न-भिन्न हो जाता है जिस वक्त वह टूटे हुये धागे को जोड़ता है। तो हमें चर्खे से यह सबक मिलता है, यह सबूत मिलता है कि अगर हम एक दूसरे से अलग भी हो जांय तो हम सूत की तरह फिर मिल सकते हैं और इसी तरह से सत्यता का प्रमाण भी उसमें मिलता है। उसमें हमें साधारण समानता का भी प्रमाण मिलता है और कर्घे का कपड़ा हम बड़ी-बड़ी सोसाइटियों में पहन कर जा सकते हैं जो हमारी सब की गरीब और अमीर की समानता को प्रकट करता है और सबको समानता के अधिकार देता है। इसलिये मैं समझता हूं कि कर्घे के उद्योग को जितनी भी सहूलियत दी जाय उतनी ही कम है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार इस ओर ध्यान देगी मैं चाहूंगा कि इस काम क लिये सहकारी समितियां बनाई जांय और उनको पूरा सहयोग दिया जाय। जब यह काम चल निकलेगा तो बड़ी बड़ी मिलें फेल हो जायंगी और हमारा यह उद्योग बहुत अच्छा चल सकेगा और हमारे गरीब लोग भी देश में उन्नति कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री रामदास आर्य और श्री नारायण दास पासी के संशोधनों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय हकीम जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन का और इस प्रदेश की सरकार का ध्यान इस अत्यन्त महत्वपूर्ण

समस्या की ओर आकर्षित किया। वास्तव में शताब्दियों से जिस प्रकार हमारे गृह-उद्योगों में कर्घा उद्योग का स्थान रहा है उसको जीवित रखने के लिये यह आवश्यक है कि हम इस कर्घे की समस्या के महत्व को समझें। यह ठीक है कि इसके लिये सरकार ने एक हैंडलूम बोर्ड बनाया है और शायद मंत्री जी कहें कि उस बोर्ड के बनने के बाद इस प्रस्ताव की कोई महत्ता नहीं रह जाती, लेकिन मेरे विचार में इस प्रस्ताव की महत्ता इसलिये है चूंकि मैं समझता हूं कि बजट में ६–१० लाख रुपये के प्रबन्ध से या हैंडलूम बोर्ड बनाने से इस समस्या का कोई सुलझाव नहीं हो सकता। इससे ८ लाख बुनकरों को रोटी और रोजगार मिल रहा है और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का बाजार में क्रय-विक्रय हो रहा है। यह १ लाख ३७ हजार रुपये का जो प्राविजन कर्घा बुनकरों के कार्य के लिये किया गया है इससे क्या काम चल सकता है कहां तो ८ लाख बुनकर परिवार और कहां यह छोटी सी रकम, क्या उन लोगों का भला होने वाला है यह समझ में नहीं आता। संरक्षण के बारे में ४० प्रतिशत मिलों को संरक्षण दिया गया है, लेकिन उस संरक्षण के सम्बन्ध में इस सरकारी रिपोर्ट में लिखा है कि "धोती के ४० प्रतिशत संरक्षण के हेतु की गई हाल की घोषणा ने इस प्रान्त में इस उद्योग को किसी प्रकार की सुविधा नहीं पहुंचाई। इसके अलावा मिलों ने ४५ इंच अर्ज वाला कपड़ा, जो धोती के उपयुक्त था उत्पादन करके इस छूट से प्राप्त क्षति की पूर्ति की।" यानी हमारी मिलों ने इस प्रतिबन्ध से बचने के लिये ४५ इंच वाला कपड़ा धोती के रूप में बेचना शुरू कर दिया। इसलिये जब हमारी सरकार मानती है कि मिलें सूत देने में आनाकानी करती हैं और बुनकरों का दुर्भाग्य है कि उनका कम्पीटीशन भी उन्हीं मिलों से है जो इस समय उनकी प्रतिद्वन्दी भी हैं। क्योंकि बुनकरों की प्रतिद्वन्दिता मिलों से है। लेकिन बुनकरों को अपना कपड़ा बनाने के लिये उसी सूत पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि मिलें देती हैं। मिलें कई प्रकार से बुनकरों को दबाती हैं। एक तो सूत देने में आनाकानी करती है, दूसरे सूत ऊंचे दामों पर देती हैं और तीसरे मिलों और करघे में, जो संघर्ष होता है, उसमें वह अपने तिकड़म से करघे के कपड़े का कम विक्रय होने देती हैं। इसलिये मिल के समाजीकरण का प्रश्न उठता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि वह अपने उस प्रस्ताव के अंश को देखें, जिसको सदन ने पारित किया है कि हम पूंजीवाद के सभी साधनों का समाजीकरण करेंगे और फिर हाल ही में उसको दोहराया भी जा चुका है। तो कम से कम अगर हम इस बात को मानते हैं कि उद्योग धंधों का समाजीकरण करेंगे और इस बात को भी मानते हैं कि करघों के बुनकरों को संरक्षित करेंगे तो यह आवश्यक है कि सूत की मिलों का समाजीकरण किया जाय ताकि बुनकरों को सस्ता सूत मिल सके। और जो इस प्रकार के तिकड़म मिलें किया करती हैं कि ४५ इंच का कपड़ा बाजार में भेज दिया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने उनके लिये क्या किया जिन्होंने ४५ इंच के अर्ज का कपड़ा बाजार में भेजा और संरक्षण वाले क्लाज को खत्म किया। उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह संरक्षण के बारे में है। केवल बुनी हुई धोती के संरक्षण की बात नहीं होती। एक प्रस्ताव का जिक्र सरकारी रिपोर्ट में किया गया है। यह प्रस्ताव है कि (१) १६ नम्बर के सूत तथा उससे निम्नकोटि के सूत वाले वस्त्रों, (२) सभी सजावट के वस्त्रों, (३) सब प्रकार के तौलिए और तौलियों के कपड़े, (४) गोरखपुर में रेशम तथा स्टेपिल से बने वस्त्रों के उत्पादन भी संरक्षित वस्त्रों के सूत में सम्मिलित किये जांय।

तो इन चार श्रेणियों के बारे में जिनका जिक्र सरकारी रिपोर्ट में किया गया है माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह क्यों नहीं इन चार वस्तुओं के संरक्षण के बारे में कोई नियम या कानून बनाते।

इसके बाद माननीय रामदास आर्य जी ने बड़ा उचित संशोधन रखा कि एक बड़े पैमाने पर कोआपरेटिव सोसाइटियों के जरिये करघे के माल का उत्पादन होना चाहिये। मैं इस संबंध

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

में माननीय मंत्री जी का ध्यान स्कैंडिनेवियन प्रणाली की ओर ले जाना चाहता हूं। शायद हम लोग कुछ गलतफहमी में रहते हैं कि यूरोप में जो कि औद्योगिक देश हैं, जो कि हैवी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कहे जा सकते हैं, वहां काटेज इंडस्ट्रीज का स्थान नहीं है। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। यूरोप में और खासकर स्वीटजरलैंड, नार्वे और डेनमार्क में करघे का बहुत बड़ा स्थान है। वहां पर हर जिले में करघे की सोसाइटियां हैं जिनको हन्सहाज्ड कहते हैं जिनकी दूकानें और उत्पादन केन्द्र हैं और अच्छे से अच्छा कपड़ा वह बनाती है। वहां जो बुनने का उद्योग है वह सरकारी संरक्षण में कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा जिनको हंसहाज्ड कहते हैं, होता है। एक राष्ट्रीय पैमाने पर वहां तीन प्रकार की सोसाइटियां काम करती हैं, स्वेडिश क्वालिटी सोसाइटी, दि नैशनल अलायंस आफ होम इंडस्ट्री सोसाइटी और दि सोसाइटी फार स्वैडिश होम क्राफ्ट, तो क्या स्वैडन की तरह इस मामले में हम व्यवस्था नहीं कर सकते, क्या कम से कम एक अन्तरप्रान्तीय संगठन नहीं बनाया जा सकता, जो कि करघों द्वारा बनाये गये सामान का विक्रय उत्पादन और रिसर्च वर्क को मिला सके। ब्रिटेन में करघा उद्योग आज एक नयी करवट ले रहा है। वहां पर भी इस वक्त तरक्की हो रही है और अगर वहां पर मैनचेष्टर और लंकाशायर के कारखाने काम कर रहे हैं तो ५ साल में वेल्स और स्काटलैंड के पुराने उद्योग चालू हो रहे हैं और वहां एक कोआपरेटिव्स आफ हाईलैंड होम इंडस्ट्रीज के नाम से सारा करघा उद्योग दोबारा चालू हो रहा है।

फ्रांस में आज भी कपड़ों के मसले में श्रेणी में, सब से अच्छा कपड़ा बुनने वाला करघा उद्योग ही है और वहां पर एक अन्तर्राष्ट्रीय रूप से एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रेणी की एक मशहूर यूजिन रोडियर फार्म है, जो पिकारडी में सन् १८५३ से काम कर रही है और यह इंस्टीट्यूट करघे और हाथ का बुना हुआ कपड़ा बुनता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और फ्रांस के कपड़ा उद्योग में कम्पीटीशन, प्रतिद्वन्द्विता होते हुए भी कितना कार्य किया है और उन्नति की है, इसको जानने की क्या कभी हमारी सरकार और उद्योग विभाग ने चेष्टा की है और हमारे जो अन्वेषक हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने स्वीडन की कोआपरेटिव्स के अनुकरण से लाभ उठाने की चेष्टा की है? मैं समझता हूं कि ऐसा कम हुआ है।

इसलिये मैं रामदास जी आर्य के संशोधन की ताईद करता हूं और इस बात की आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी जितने भी यहां जिले हैं या ग्रामीण, जो केन्द्र हैं वहां इस प्रकार की सहयोगी समितियां बनवाकर, उनका संगठन कर करघा उद्योग को एक सुनिश्चित श्रेणी में रखेंगे और बनायेंगे। श्रीमन्, यह प्रश्न केवल आर्थिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि यहां के नियोजन के दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारा देश और प्रदेश एक ऐसी श्रेणी में आता है कि हमारे यहां जनसंख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन उत्पादन के साधन और कच्चे माल की यहां पर कमी है। इसलिये हम विस्तृत पैमाने पर उद्योग धंधों की बात सोच ही नहीं सकते हैं। चाहे गांधीवाद हो, सर्वोदयवाद हो या समाजवाद हो, कहीं हमारे प्रदेश के नियोजन में उद्योग धंधों को स्थान, करघे को स्थान और बुनकरों के ८ लाख परिवारों के बेकार न होने का स्थान कहां तक है, यह विचारने की चीज है। क्या मैं आशा करूं कि हमारी सरकार केवल बोर्ड के बनाने की ओर ही ध्यान नही देगी, बल्कि अति शीघ्र सरकार कदम उठायेगी ताकि ये बुनकर बेकार न हो सकें और हमारे प्रदेश का सब से प्राचीन उद्योग धंधा तरक्की करे और बेकारी का प्रश्न सामने न आये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)——माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सदन के सामने प्रस्ताव है उसमें हमने चार माननीय सदस्यों को बोलते हुए सुना, लेकिन उसमें मैंने स्वयं ही देखा कि कमेटी की डिमांड है। आज देश में, आज प्रान्त में कोने-कोने में, जिस गली में निकलिये और जहां भी जाइये गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म चलता है कि गवर्नमेंट स्कीम तो हमेशा बनाती है, लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं होती। अंग्रेजी की छोटी सी कहावत है कि "वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल

यू प्ले, दैट इज़ टु बी हैपी एंड गे" । आज मुल्क को काम करना है । महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि हम भारत में मैनचेस्टर नहीं बनाना चाहते । हम विदेशी कपड़ा पहिनेंगे लेकिन मिल अपने यहां नहीं खड़ा करना चाहते । हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार, हमारे देश के अनुसार, हमारे नेताओं के विचारों के अनुसार हम यहां कोई मिल नहीं चाहते । लेकिन, "कहता बहुते मिले कर्त्ता मिले न कोय" । कमेटियां बनाने से काम चलेगा नहीं । करघे और चरखे का प्रचार हो और चक्र सुदर्शन की तरह से वह काम करेगा ।

लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वार के जमाने में जिन भाव पर करघे का कपड़ा बिका है वह सबको मालूम है, छिपा नहीं है । अगर आज वाकई समाज में समता लाना है, देश की गरीबी दूर करना है, तो उसका प्रचार करना चाहिये । हमने हिसाब लगाया है कि २० या २५ रुपया से बेशी किसी करघे पर नहीं लग रहा है । हमारी सरकार ने लगभग एक करोड़ रुपया अपने बजट में रखा है इस उद्योग के लिये । हैन्डलूम कमेटी बनी हुई है । अगर उस कमेटी के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, तो हम यह समझेंगे कि सरकार पर हमारे माननीय सदस्य का विश्वास नहीं है, क्योंकि इसी सरकार ने इस कमेटी को बनाया है । होना यह चाहिये कि इस कमेटी से काम लिया जाय, इस कमेटी में जितने लोग हैं उनसे काम लिया जाय । हमारी यह कमजोरी है कि हम उससे काम नहीं लेते हैं । हम देखते हैं कि हमारे माननीय सदस्य लोग पीछे रह जाते हैं और शिकायत आ करके यहां करते हैं । जिले में प्रान्त में जहां भी आफिसेज हैं, जहां हमारा काम है, वहां हमें डट करके काम लेना चाहिये । हमको धीरे-धीरे गांवों में भी प्रचार करना है कि सब कुछ सरकार ही नहीं करेगी । हमको भी हाथ पैर मारना है, तभी देश का कल्याण होगा । यहां इतिहास की बात कही गयी । सन् १८५७ में या प्लासी की लड़ाई के बाद हमारे देश में कारीगरों के हाथ काटे गये, यह गलत बात नहीं है । जब हमारे करघे फूंके गये थे तब वे चन्द जुलाहों के ही घर रह गये थे ।

मैं हरिजन बन्धुओं से भी कुछ कहना चाहता हूं । हमने लोगों से पूछा कि तुम्हारा गुजारा क्यों नहीं होता है, तो वे कहते हैं कि तीन पैसे पर हमसे हल जोताया जाता है, फिर गुजारा कैसे हो । जब मैंने इसकी अनालेसिस की तो मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि हम लोग कपड़ा बुनते थे, लेकिन हमने इस व्यवसाय को त्याग दिया और केवल खेतों पर रह गये । रोज़ लाल टोपी वाले नारा लगाते हैं कि ज़मीन का डिस्ट्रिब्यूशन कर दिया जाय, लेकिन अगर ३५ करोड़ आदमी खेती ही करने लगेंगे तो इससे देश का कल्याण नहीं होगा । आज आवश्यकता यह है कि जो टीचर है वह टीचर का काम करे । जो वकील है वह वकील का काम करे, जो कपड़ा बुनता है वह कपड़े का काम करे । सिर्फ गाल बजाने से काम नहीं चलेगा । आज दोपहर में एक सज्जन ने इसी कपड़े की बातचीत के सिलसिले में कहा कि इतनी मंहगी क्यों है । मैंने उनसे कहा कि मोटे कपड़े को पहनने की कोशिश कीजिये । एक समय था जब अंग्रेजों के लिये मांस, शराब और सिग्रेट विलायत से आती थी, लेकिन मैं आज हिन्दोस्तानियों को भी देखता हूं कि वे टाई बांधे और सूट पहने घूम रहे हैं । क्या इसके लिये भी गवर्नमेंट किसी से कहती है कि इसे पहनो । आखिर क्या-क्या गवर्नमेंट करे ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । अभी हमारे शिवनारायण जी ने यह कहा कि सब अपना-अपना कार्य करें । मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि उनकी बिरादरी के जो रैदास लोग हैं वे अपना चमड़े का काम क्यों बन्द कर रहे हैं ?

श्री शिवनारायण—चमार हमारी जो बिरादरी है वह चमड़े का काम नहीं बन्द कर रही है बल्कि बड़े-बड़े ठाकुर, राजा और रानी लोग इस रोजगार को करने लगे हैं । वे हमसे इस रोजगार को छीन रहे हैं । दिल पर हाथ रखकर सोचिये । मखोल करने से काम नहीं चलेगा । आज कानपुर या आगरा में चलिये वहां बड़े-बड़े मुसलमान और दूसरे लोग इस रोजगार को कर रहे हैं । बड़े-बड़े लोग दो चार चमारों और

[श्री शिवनारायण]

खटिकों को रख लेते हैं और जो तत्व हैं उसको छीन लेते हैं और इसी की बदौलत लोग मोटे होकर घूम रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि हमें उस रोजगार को दे दिया जाय। हम ३५ रुपये की मास्टरी नहीं करना चाहते हैं। मुझे आपकी इस बात से शिकायत नहीं है बल्कि मैं इसका स्वागत करता हूं। हर आदमी आज एक दूसरे की चीज छीन लेना चाहता है। मैं ठाकुर साहब से कहना चाहता हूं कि आप हमें विश्वामित्र जैसे पंडित दीजिये जिनकी धोती आकाश में सूखती थी। हम तो पंडित जवाहर लाल नेहरू और पंडित गोविन्द बल्लभ पंत के पीछे चल रहे हैं। कहां हम उनको छोड़े हुये हैं ? हम उन ठाकुरों को मानते हैं जिन्होंने राणाप्रताप की तरह मुसीबत उठाई हो। ठाकुर हुकुम सिंह के एलेक्शन में ठाकुर बिजेन्द्र सिंह जन संघ की तरफ से खड़े थे। (इंट्रप्शन) जो देश के सच्चे सिपाही हैं, जो देश के सच्चे नागरिक हैं, उनके साथ हम हैं।

श्री अध्यक्ष--आप व्यक्तियों के नाम मत लीजिये।

श्री शिवनारायण--बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कि कर्घा गांव-गांव और घर-घर में फैल जाय। सरकार की एजेंसीज हर जगह फैली हुई हैं। हमारे कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अध्यापक और प्लानिंग डिपार्टमेंट हैं। यह इसमें काफी सहायता कर सकते हैं। लेकिन आज हो तो यह रहा है कि लोग कुवां बनवाने के नाम से सीमेंट लेकर, आधा बाजार में बेचकर खा जाते हैं। हमनें प्लानिंग आफिसर से कहा तो उन्होंने कहा कि लिखकर हमको दो हम तहकीकात करेंगे। हमारे एक भाई ने अमेंडमेंट दिया कि मिल का सामान बाहर भेज दिया जाय। अरे, कोई उसे खरीदने वाला भी तो हो या ऐसे ही आप भेज देंगे। यदि उन्होंने कह दिया कि भारतीय मिलों का बायकाट करो, तब आप क्या करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव हमारे सामने है कि कमेटी बनायी जाय तो मैं समझता हूं कि कमेटी की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन सरकार से मैं जरूर कहूंगा कि इसे संरक्षण दिया जाय और इसकी बढ़ोत्तरी की जाय, १ करोड़ के बजाय २ करोड़ सरकार करे। तो मैं गवर्नमेंट का वेलकम करूंगा और इसका प्रचार किया जाय। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि हम लोग गांधी जी की स्कीम को सफल बनावें।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हकीम साहब को इस प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के लिये हार्दिक बधाई देता हूं। यह एक ऐसा प्रस्ताव आज हमारे सामने है कि इस सदन में अनेकों प्रस्ताव आते हैं, अनेकों नियम बनते हैं और उनके विरोध एवं समर्थन में काफी वादाविवाद हो जाता है, लेकिन आज बड़ी खुशी है कि इस प्रस्ताव का सभी ने हृदय से स्वागत किया है। हम सभी ने सदैव करघे से प्रेम रखा है, क्योंकि हम लोग शुद्ध खद्दर पहनने वाले हैं, जो कि करघे से ही तैयार होता है। किन्तु केवल हम लोगों के ही खद्दर पहनने से तो करघे को पूरा प्रोत्साहन नहीं मिल जाता। हम लोग अपने तक ही सीमित रह जाते हैं, हमारे घरों में जितना कपड़ा व्यय होता है लगभग वह सब मिल का ही बना होता है। हमारी सरकार का यह ध्येय है कि हम भुखमरी को मिटावेंगे और गरीबी को दूर करेंगे। इस समस्या को हल करने में कर्घा काफी सहायक हो सकता है। करघे से जितना भी कपड़ा तैयार होता है, वह मैं समझता हूं कि तमाम बाधाओं के सामने होते हुये भी आज मिल के कपड़े के मुकाबले में बाजार में सस्ता ही मिलता है और हर तरीके से उपलब्ध है। इस करघे की ही बदौलत कंट्रोल के जमाने में हमारे देश की जनता को तन ढकने का सहारा मिल सका है वरना नहीं मालूम कितनों की किस तरीके से बेइज्जती होती बिना कपड़े के। मिल के बने हुये कपड़े की तरफ चित्त आकर्षित होता है और उसको अच्छा देखकर उसे मनुष्य पसंद करता है, करघे के द्वारा भी जितना कपड़ा बनता है अगर करघे को अच्छी तरह से सूत मिलता रहे और सूत मिलने में उसको कोई बाधा न हो तो उससे एक से एक अच्छा कपड़ा बुना जा

सकता है। प्राचीन कपड़ों के संबंध में हमारे सामने मिसालें आईं, ढाका की मलमल की मिसाल हमारे सामने आई। मैं यह कहता हूं कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारे यहां करघे से ऐसी ऐसी चीजें बनती हैं जिनका मुकाबला मिलें कभी नहीं कर सकतीं। मदुरा की साड़ियां और बनारस की साड़ियां करघे द्वारा ही तैयार होती हैं। उनकी कीमत के मुकाबले में मिलों की चीजें ठहर नहीं पातीं।

इस करघे से संबंध रखने वाले बहुत से व्यक्ति हमारे प्रदेश में हैं। हमारे देश में इसके लिये विशेष रूप से जातियां मुकर्रर हैं। कोरी और जुलाहों का तो जीवन इसी पर निर्भर करता है। लेकिन उनको सूत नहीं मिलता और उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता जिसके कारण वह बहुत बेकार हो रहे हैं और उन में काफी गरीबी छाई हुई है। उनके करघे कामयाब नहीं हो पाते हैं और वह अपने इस काम से आज ऊब रहे हैं और उसे छोड़कर दो चार पैसे की मजदूरी के लिये इधर-उधर दौड़ते हैं। ऐसी हालत में अगर करघे संभाल लिये जाते हैं तो देश की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है।

मैं समझता हूं कि यदि सरकार अपनी पूरी चेष्टा के साथ ध्यान दे तो यह एक ऐसा प्रश्न है--कुटीर उद्योग के संबंध में--कि भूमि व्यवस्था के बाद सबसे पहले इधर ही ध्यान जाना चाहिये क्योंकि जैसा कि माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा कि अगर हम उद्योग की तरफ चेष्टा नहीं करते हैं तो सबकी मांग केवल जमीन की ही रह जायगी और जमीन के द्वारा ही सबका जीविकोपार्जन किया जा सकना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में करघों को प्रोत्साहन देने के ठोस कदम उठाने के लिये सरकार से हमारा निवेदन है। करघों को कुचलने के लिये जो मिल मालिक षडयंत्रकारी नीति से काम करते हैं उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका इस बात के लिये सतत प्रयत्न रहता है कि करघा कामयाब न हो पाये और उनको सूत न मिलने पाये और अगर मिले भी तो इतना महंगा मिले कि वह हमारे कपड़े से सस्ता कपड़ा न दे सकें। जब हम सोचते हैं तो हमारे सामने विकट समस्या उत्पन्न होती है जिसको हमें हल करना पड़ेगा। यदि करघों के उद्योग में हम सफल हो जाते हैं तो हमारे उद्देश्यों की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसको प्रोत्साहन देने में काफी ठोस कदम उठाये और काफी प्रयोग के साथ-साथ इसमें संलग्न हो।

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने है उससे सरकार पूरी-पूरी हमदर्दी रखती है और उससे हमदर्दी होनी भी चाहिये क्योंकि हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी की गुजर बसर इस उद्योग पर है। करीब ८ लाख आदमियों की गुजर-बसर इससे होती है। इसलिए जो कोई बात करघे के सिलसिले में की जाय, जाहिर है कि पूरी तवज्जूह के साथ और हमदर्दी के साथ सरकार उसको सुनेगी। लेकिन बावजूद इस हमदर्दी के मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस रिजोल्यूशन को मंजूर नहीं करती है। इसकी वजह यह नहीं है कि कोई ऐसी चीज इसके अन्दर है जिसकी मुखालिफत करनी है बल्कि उसकी वजह यह है कि यह जो प्रस्ताव है उसकी जरूरत नहीं है।

जो काम इस प्रस्ताव के जरिये चाहा जा रहा है, वह हो रहा है। इस प्रस्ताव के दो हिस्से हैं। एक तो यह कहा गया कि करघों को प्रोटेक्शन दिया जाय तो इस सिलसिले में कार्रवाई हो रही है। यहां से सरकार की तरफ से केन्द्रीय सरकार को यह लिखा गया है कि १६ और २० नम्बर सूत के लिये ऐसा किया जाय कि मिलें कपड़ा न बना सकें और सिर्फ करघे के काम में २० नम्बर का सूत आये।

माननीय तिवारी जी ने जैसा कहा कि यहां जो रिजर्वेशन दिया गया है उससे हमारे कर्घा उद्योग को कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा है यह बात सही है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहां ज्यादातर मारकीन और गाढ़ा बनता है और यही चीजें मिल में बनती हैं, धोतियां यहां कम बनती हैं। इस वजह से कर्घे को कुछ बहुत फायदा

[श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री]

नहीं पहुंच रहा है। लिहाजा सरकार की तरफ से केन्द्रीय सरकार को यह कहा जा रहा है कि गाढ़ा और मारकीन जिसमें २० नम्बर का सूत इस्तेमाल होता हो उसको करघे के लिये सुरक्षित कर दिया जाय। तो जहां तक इसका ताल्लुक है उसके लिये कोई समिति बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह काम किया जा रहा है। दूसरे जहां तक कर्घा उद्योग को तरक्की देने का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में एक मुस्तकिल स्कीम सरकार चालू करना चाहती है। इसके अलावा यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि हकीम बशीर साहब ने कहा कि जो हैंडलूम बोर्ड बना है उससे उनको कोई उम्मीद नहीं रही, जो और कमेटी बनी है उससे भी उनको कोई उम्मीद नहीं रही तो अगर उनसे उनको कोई उम्मीद नहीं रही तो उस कमेटी से जिसको बनाने के लिये उन्होंने प्रस्ताव रखा है वह कैसे कोई उम्मीद कर सकते हैं। उस कमेटी से भी वह नाउम्मीद हो सकते हैं इसलिये कि अगर वह उनके मेम्बरों को देखें तो १७ गैर सरकारी मेम्बर हैं हैंडलूम बोर्ड में और उनमें से हर एक का कर्घा उद्योग से ताल्लुक है या उससे बहुत ज्यादा हमदर्दी रखता है। जहां तक अफसरों का सवाल है वह खुद भी तजवीज रखते हैं कि डायरेक्टर आफ काटेज इंडस्ट्रीज उस कमेटी के मेम्बर हों। तो इसलिये कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जिसकी वजह से एक जायद कमेटी कायम कर दी जाय जब कि हैंडलूम बोर्ड इसी गरज से कायम हुआ है। अभी उसकी एक ही मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कुछ तजवीजें आयीं हैं। अभी से उससे नाउम्मीद होने की कोई वजह नहीं मालूम होती। अगर कुछ दिनों के बाद जब यह हैंडलूम बोर्ड काम कर चुका होता तब यह प्रस्ताव आता तो कुछ बात समझ में आ सकती थी कि वह अपने मक़सद में कामयाब नहीं हुआ जिसकी वजह से वह समझते हैं कि एक और कमेटी बनायी जाय। मगर इस वक्त उनकी यह तजवीज कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं मालूम होती। मैं बशीर अहमद साहब से आपके जरिये, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि जो बहुत ज्यादा नाउम्मीदी उनके ऊपर छाई हुई है उसको वह कुछ दूर करें। पहले उनको इस बात पर ग़ौर करना चाहिये कि आख़िर कर्घा उद्योग की दिक्कतें क्या हैं और वह किस सूरत से दूर की जा सकती हैं। अगर वे दिक्कतें महज एक समिति बनाने से दूर हो सकें तो एक नहीं बल्कि दो समितियां बनाने के लिये सरकार तैयार हो जायगी लेकिन समिति से कुछ नहीं होता। असल में दिक्कत यह है, जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि सूत मिलें बनाती हैं और वे कपड़ा भी बुनती हैं। तो इसलिये जिस ज़माने में कपड़े की मांग ज्यादा होती है तो कर्घे वालों को सूत कम मिलता है और जिस ज़माने में कपड़े का बाजार मंदा हो जाता है उस ज़माने में कर्घों को सूत मिलता है। दूसरी दिक्कत यह है कि उन मिलों से मुकाबिला करना है खास कर कम्पोजिट मिलों से जिनके यहां से सूत आता है उनको सस्ता मिल जाता है और कर्घे वालों को जैसा कहा गया १५, २० फीसदी मंहगा मिलता है। तो एक दिक्कत तो प्राइस कम्पटीशन की है और दूसरे कच्चा माल मिलने की और तीसरी दिक्कत फाइनेन्स की होती है। जैसा कि अभी कहा गया और वैसे भी हमारे सदन के जितने सदस्य हैं वे जानते हैं कि कर्घा रोजगार जिन लोगों का है वे बहुत अमीर नहीं हैं, वे गरीब हैं। इसलिये उनको फाइनेन्स की दिक्कत होती है। ये तीन सवाल कर्घा उद्योग के सामने हैं और इन तीन सवालों का हल होने पर कर्घा उद्योग की तरक्की या तनज्जुली का इनहिसार है।

जहां तक उनको सूत देने का सवाल है जैसा कि पहले किसी ज़माने में यह हो जाता था कि सूत किसी वक्त नहीं मिलता था, जैसी कि शिकायत बशीर अहमद साहब ने की उसके बाद कभी ऐसा भी ज़माना आता था ज़ब कि सूत इतना होता था कि

उसका लेने वाला कोई नहीं होता था, जैसा कि आज कल है इसलिये यह जरूरी समझा गया कि ऐसी सूरत अख्तियार की जाय कि सूत का जो बाजार है, जो उत्पादन है, उसके ऊपर अगर हम असर न डाल सकें तो कम से कम यह तो कर सकें कि उसकी कीमत पर असर डालें। इस नयी स्कीम में यह तय किया गया है कि एक स्पिनिंग मिल कायम की जाय जिसमें गवर्नमेंट, कोआपरेटिव व प्राईवेट लोगों के शेअर्स हों। उसके जरिये यह तो नहीं होगा कि करघा वालों को सूत पूरा-पूरा दिया जा सके, लेकिन यह जरूर हो जायगा कि उसकी वजह से हम दामों पर कंट्रोल रख सकेंगे। इस मिल के अलावा हम चार रीजनल यूनिट्स और कायम कर रहे हैं जिनके जरिये से कुछ थोड़ी हद तक सूत करघों को दिया जा सकता है और बाजार पर असर डाला जा सकता है।

इसके अलावा इस स्कीम में यह भी रखा गया है कि हम सूबे में काफी तादाद में सोसाइटीज बनायें और जल्दी ही कम से कम १२५ सोसाइटीज कायम कर दें जिनके जरिये से सूत इकट्ठा लिया जाकर तकसीम किया जा सके। इस तरीके से मिल मैन का प्राफिट कम हो सकता है।

अब सवाल रहा फाईनेंस का। इस सिलसिले में कोआपरेटिव आर्गेनाईजेशन तवज्जह दे रहा है और अपेक्स आर्गेनाइजेशन कायम किया जा रहा है और उनके जरिये से करघा वालों को फाईनेंस किया जायगा और अब जैसा कि कहा जाता है कि करघे वालों को मजदूर बनाया जा रहा है, इसके जरिये से यह कोशिश की जायगी कि कोआपरेटिव सोसाइटीज ही सूत को तकसीम करें, माल को तैयार कराकर उसकी निकासी का बन्दोबस्त करें।

मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस सूरत से अपनी चीज को बाजार में बेचा जाय। जहां तक एडवर्टिजमेंट का सवाल है, करघे वाले बहुत ग़रीब होते हैं इसलिये वे ग़रीबी की वजह से एडवर्टाइज नहीं कर पाते। उसके लिये भी इन्तजाम हो रहा है कि उनका एडवर्टिजमेंट काफी हो। हमारी कलकत्ता और बम्बई में इस किस्म की दूकानें हैं जहां पर बाहर के लोगों को अपने यहां के सामान को बता सकते हैं, उनके हाथ उस सामान को बेंच सकते हैं। यह भी तजवीज है कि बाहर के मुल्कों में यहां से आदमी भेजे जायं जो वहां जाकर आर्डर्स हासिल करें। जो आर्डर्स वे लायेंगे उसी पर उनको कमीशन दिया जायगा। ताकि महज तनख्वाह बनाने के ख्याल से लोग बाहर न जायं।

मेरा कहने का मतलब यह है कि करघे बढ़ाने के सिलसिले में जो हमारी १ करोड़ रुपये की स्कीम है बशीर अहमद साहब उसको पढ़ें और अगर उसमें कोई सुझाव हो तो उसको हैंडलूम बोर्ड के सामने रखें। मक़सद यह है कि जो भी स्कीम आये उसको वह देखें और वक्तन फवक्तन सुझाव दें जिससे किसी तरह से भी करघों की उन्नति हो। जो चीजें उन्होंने अपने मक़सद को हासिल करने के लिये की है वही सरकार की ओर से भी की जा रही है। जब दोनों का मक़सद एक ही है तो फिर एक दूसरी नयी कमेटी बना कर ख्वामख्वाह काम बढ़ाने और दिक्कत मोल लेने की जरूरत मालूम नहीं देती। उनका जो भी मक़सद हो सकता है उसको तो हम कर ही रहे हैं और हम कोआपरेटिव के जरिये उनके लिये सूत बांटने का इन्तजाम, कपड़ा बेंचने का इन्तजाम, कर्जा देने का इन्तजाम यह सब कुछ कर ही रहे हैं। और उनके रिजर्वेशन का जहां तक सवाल है उसमें भी सरकार की तरफ से कार्यवाही हो रही है। तो उसके बाद इस कमेटी की जरूरत बाकी नहीं रहती। सरकार को हमदर्दी है, लेकिन वह इस तजवीज को इसलिये कबूल नहीं कर सकती और इसलिये मैं बशीर अहमद साहब से दरख्वास्त करता कि अपने प्रस्ताव को वे वापस ले लें।

[श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी]

जो रिकमेन्डेशन पेश हुये हैं वे भी अगर प्रस्ताव वापस हो जाता है तो अव्वल तो वे वापस भी हो जायेंगे लेकिन उनमें भी बातें ऐसी हैं जिनको मंजूर नहीं किया जा सकता। जब ऐसी तजवीज की जावे तो यह ख्याल रखना चाहिये कि क्या चीज ऐसी है जिसको प्रादेशिक सरकार कर सकती है और क्या चीज है जिसको यह नहीं कर सकती और जिसका ताल्लुक केन्द्रीय सरकार से है। एक माननीय सदस्य ने जैसे यह कहा कि सूती मिलें नेशनलाइज कर ली जायें तो इस गवर्नमेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उसने एक पंचसाला प्लान दिया है और उसमें प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स को अलहदा अलहदा कर दिया है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इस सरकार की कोई फिक्स्ड पालिसी नहीं है और वह यह नहीं करती कि क्या-क्या बातें प्राइवेट सेक्टर्स की हैं और क्या-क्या पब्लिक सेक्टर्स में आनी चाहिये। वह बातें तो हो चुकीं और अब जो कहा जाता है कर दिया जाय उसका मतलब क्या हो सकता है। वह तो हो चुकीं।

इसके बाद मैं बशीर अहमद साहब से कहूंगा कि जो काम उन्होंने बतलाया है वह तो हो रहा है और तेजी से होगा और उनके जो सुझाव हों वे हैंडलूम बोर्ड को भेज दें और वह उन पर पूरा ध्यान देगा। इसके बाद मैं उनसे फिर अपील करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन मिलों ने ४५ इंच अर्ज का कपड़ा बनाने में धोती वाले प्रोटेक्शन क्लाज को वायलेट किया है क्या उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जा रहा है।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---उन्होंने उस कायदे को वायलेट नहीं किया है सिर्फ उसको ट्विस्ट किया है। जैसे धोती के लिये रिजर्वेशन था अब उसका उन्होंने थान बना दिया। तो कायदे की कोई खिलाफवर्जी नहीं हुई और इसलिये कार्यवाही भी नहीं की जा सकती।

श्री बशीर अहमद हकीम---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव रखा था वह बहुत लम्बा चौड़ा था लेकिन उसका मकसद सिर्फ यह था कि मैं हुकूमत की तवज्जह इस तरफ मबजूल करा सकूं कि वह करघा उद्योग के लिये कुछ करे। मैं यह भी अर्ज करूंगा कि जिन कर्मचारियों पर जो नुक्ताचीनी की है उधर जरूर ध्यान दिया जाय। एक बात मैं कह चुका हूं और फिर कहता हूं कि यह जो फैक्टरों पर लाखों रुपया खर्च किया जायगा इससे कर्घा उद्योग को कोई फायदा नहीं होगा; उसके लिये कोई ऐसी स्कीम और बनानी पड़ेगी कि जिससे कर्घा उद्योग को और ज्यादा फायदा पहुंचे। बहरहाल, अब मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा अभी बतलाया गया है कि गवर्नमेंट इसके लिये तैयार है। वह कुछ कर रही है। करना चाहती है। यह सदा तो बहुत दिनों से सुनने में आ रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इस तरफ तवज्जह होगी। इसलिये अब मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं और जैसा कि मैंने पहले कहा था इस प्रस्ताव का मंशा भी यही था कि मैं हुकूमत की थोड़ी सी तवज्जह दिला दूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि क्या सदन इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में--- १२२

विपक्ष में---१४।)

गांवों में दगड़े बनाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं—

इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के एक गांव से दूसरे गांव का सम्बन्ध रास्तों तथा दगड़ों जिनके द्वारा बैलगाड़ी तथा मोटर एक साथ आ जा सकें, हो जाना आवश्यक है। अतः ऐसे पुराने दगड़े जिन्हें अगल-बगल के खेत वालों ने काट-छांट कर तंग या टेढ़ा कर दिया है नपवाकर दगड़ों (खोरों) की शक्ल में तुरन्त कर दिया जाय और यदि कहीं ऐसे खोरें (दगड़े) न हों तो पहाड़ी स्थानों को छोड़कर सम्पूर्ण प्रदेश में यथासम्भव एक गांव से दूसरे गांव के बीच दगड़े तुरन्त निकलवा दिये जांय जिनकी चौड़ाई कम से कम ४ गज हो।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण अगले असरकारी दिन को जारी रखेंगे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता था कि इतना निर्विवाद यह प्रस्ताव है कि अगर १५ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय तो उसी में इसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप प्रस्ताव पेश करें समय बढ़ाने का।

श्री गेंदा सिंह—जी हां, मैं समय बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर सोमवार, ३० मार्च, १९५३ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२७ मार्च, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४८ पर)

कैदी संख्या	अपराध धारा		
४	धारा	१०७/११७	सी० आर० पी० सी०
४१	"	१०९	"
२	"	११०	"
१७	"	३०२	आई० पी० सी०
२०	"	४५८	"
४	"	३७९/४११	"
२	"	३७९	"
४	"	३७३/३०२/ २२५	"
६	"	३९७/३९५	"
४	"	४५७	"
२	"	३८०	"
१३	"	३९९/४०२	"
१	"	४५२/३०७	"
११	"	३०४	"
२	"	४५४	"
२	"	३९६	"
१	"	३७६	"
४	"	१४७/३२३	"
२	गैम्बलिंग ऐक्ट		
१	ल्यूनेसी ऐक्ट		
१	ओपियम ऐक्ट		
२	आर्म्स ऐक्ट		

कुल . . १४९

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर)

सन् १९५२-५३ के वर्ष में उत्तर प्रदेश के राजस्व से सुल्तानपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों के अनुदान प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं की तालिका—

सुल्तानपुर	रु०
१—शिव सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला, बिलवाई	१,२००
२—कमलाकर विद्यालय, लेहरामऊ	१,२२४
३—हनुमत संस्कृत पाठशाला, विजैयुग्रा, महावीर पो० ग्रा० पीकरपुर	७३२
४—श्रीमत परहंस संस्कृत विद्यालय, जिकोरमई, पो० ग्रा० भादर	९४८
५—हिन्दू संस्कृत विद्यालय, भारतीपुर पो० ग्रा० भईया	६३६
६—राजकीय संस्कृत पाठशाला, कुन्दवार	६९६
७—राजकीय संस्कृत पाठशाला, पो० ग्रा० दियरा	३४८
८—देवी पाटन संस्कृत पाठशाला, अमेठी	५१६
९—गौरीशंकर संस्कृत पाठशाला, सिगरी, त्रिसुंडी, सुल्तानपुर	३३६
१०—बलदेवदास हनुमत संस्कृत पाठशाला, उतुरखाकुटी, हमीदपुर, सुल्तानपुर	३१२
११—संस्कृत मंच विद्यालय, कौहारमल, शाहगढ़, सुल्तानपुर	३९६

प्रतापगढ़	
१—रघुराज संस्कृत पाठशाला, बेटी	१,२९०
२—अजित सोमवंशीय संस्कृत पाठशाला, सुखपालनगर	४८०
३—वाराही संस्कृत पाठशाला, रानीगंज	७३२
४—मुनेश्वर संस्कृत पाठशाला, गौरी, माफी	८७६
५—श्रीकृष्ण रामानुज संस्कृत विद्यालय, पूरे ब्रह्मचारी हम्डोर, पो० सगरा	४२०
६—राधाकृष्ण गौरीशंकर संकीर्तन संस्कृत विद्यालय, कूराडीह, रानीगंज	६८४
७—बी० एन० मेहता संस्कृत विद्यालय	८१६
८—रामाधार स्मारक श्री विष्णु संस्कृत पाठशाला, पूरेकण्डी, पो० लक्ष्मीकान्त	६००
९—संस्कृत पाठशाला, लक्ष्मीकान्त गंज	६७२
१०—जाह्नवी संस्कृत पाठशाला, कालाकांकर	३६०

नत्थी 'म'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८७ व ८८ के उत्तर पीछे पृष्ठ २५५ पर)

पद	वेतन की दर	प्रथम नियुक्ति की तारीख
१—असिस्टेंट रजिस्ट्रार आफ ट्रेड यूनियन	३००+२५—६००	११—१—४७
२—ट्रेडयूनियन इन्स्पेक्टर	२५०—८५०+३५ सी० ए०	२६—७—४७
३—असिस्टेंट ट्रेडयूनियंस इन्स्पेक्टर	२००—३५०+२५—सी० ए०	१४—११—५०
४— „ „	„ „	१४—११—५२
५—रिटर्न असिस्टेंट	१२०—३००	२०—११—५२
६—हेड क्लर्क	८०—२४०+३० विशेष वेतन	१७—९—४६
७—स्पेशल क्लर्क	८०—२४०	२६—५—४८
८—सीनियर असिस्टेंट	८०—२४०	१८—१२—५२
९— „ „	„ „	१८—१२—५२
१०— „ „	„ „	१८—१२—५२
११—रिटर्न्स असिस्टेंट	८०—१४०	१—४—४६
१२—ट्रेड यूनियन असिस्टेंट	८०—१४०	१—७—४७
१३—स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार	१००—२४०	१—८—४७
१४—स्टेनोग्राफर ट्रेड यूनियन इन्स्पेक्टर	७५—१५०	१०—१२—५२
१५—रिफरेंस क्लर्क	६०—१००	२०—८—४७
१६—कम्पाइलेशन असिस्टेंट	८०—१४०	१८—१२—५२
१७—टाईपिस्ट	६०—१००	२३—७—५१
१८— „	६०—१००	२०—१२—५२
१९— „	६०—१००	२३—१२—५२
२०—डिस्पैचर	६०—१००	३१—३—५२
	चपरासी	
१—आरडरली, असिस्टेंट रजिस्ट्रार	२५—३०	१६—५—४७
२—आरडरली ट्रेड यूनियन्स इन्स्पेक्टर	२५—३०	२८—८—४७
३—आडरली ट्रेड यूनियन्स इन्स्पेक्टर	२५—३०	२९—१२—४७
४—पियून	२५—३०	१६—९—४७
५—पियून	२५—३०	१०—१०—४७

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५६ पर)

जिला मुजफ्फरनगर में १-१-५२ से ३१-१२-५२ तक होने वाली डकैतियों का विवरण

क्रम संख्या	स्थान जहां डकैती हुई	डकैती की तिथि
१	मोघपुर	२१/२२-१-५२
२	बाजीदपुर	२८/२६-१-५२
३	यारपुर	८/६-२-५२
४	बसी खुर्द	४/५-३-५२
५	परासोली	७/८-३-५२
६	खिलावड़ा	२५/२६-३-५२
७	बनेड़ा जट	१२/१३-४-५२
८	शुकतारी	२१/२२-४-५२
९	तूली	३०-४-५२
१०	खिलावड़ा	१०/११-७-५२
११	मटना बली	२२/२३-७-५२
१२	लांक	२३-६-५२
१३	अलीपुर अटेरना	१-१०-५२
१४	चन्देना	५-१०-५२
१५	मंसानी	२०-१०-५२
१६	काजीपुरा	३०-१०-५२
१७	नगला राय	१/२-१०-५२

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५७ पर)

सन् १९५०-५१ में बुलन्दशहर जिले के जिन विद्यार्थियों को राजनैतिक पीड़ितों वाली छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों के लिए अनावर्त्तक अनुदान स्वीकृति की गई थी उनकी सूची-

क्रमांक	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	संस्था का नाम	द्रव्य प्रतिमास
१	विरेन्द्रनाथ	१०	डी० ए० वी० कालेज, बुलन्दशहर	१२ रु० प्रतिमास
२	शकुन्तला	६	बी० राजकीय बालिका विद्यालय (ए० मा०) बुलन्दशहर	८ रु० „
३	ओमप्रकाश	८	हाई स्कूल सयाना, बुलन्दशहर	८ रु० „
४	अमरनाथ	८	राजकीय उ० मा० विद्यालय बुलन्द-शहर	८ रु० „
५	अवधेश	६	„ „ „	८ रु० „
६	महाबीर सिंह	१	प्राइमरी स्कूल, खजौर, बुलन्दशहर ग्राम तथा प्रचालय सलार	५ रु० पुस्तकों के लिये
७	राजबीर सिंह	३	„ „ „	५ रु० „
८	धर्मपाल सिंह	३	प्राइमरी स्कूल, शाहाबाद, बुलन्दशहर	५ रु० „
९	रमेशचन्द्र त्यागी	३	बी० एल० जूहा, स्कूल डंकन, बुलन्दशहर	५ रु० पुस्तकों के लिये
१०	एस० अली० कौसर	१२ विज्ञान	डी० ए० वी इंटरकालेज, बुलन्दशहर	४० रु० पुस्तकों के लिये
११	दया सागर	११	एन० आर० ई० सी० कालेज, खुरजा बुलन्दशहर	२० रु० प्रतिमास

सन् १९५१-५२ में बुलन्दशहर जिले के जिन विद्यार्थियों को राजनैतिक पीड़ितों वाली छात्रवृति स्वीकृत की गई थी उनकी सूची-

क्रमांक	विद्यार्थियों का नाम	कक्षा	संस्था का नाम	द्रव्य प्रतिमास
१	विरेन्द्र नाथ	११	डी० ए० वी० कालेज, बुलन्दशहर	२० रु० प्रतिमास
२	दया सागर	१२	एन० आर० ई० सी० कालेज, खुरजा, बुलन्दशहर	२० रु० „
३	अवधेश नाथ	७	राजकीय उ० मा० विद्यालय बुलन्दशहर	८ रु० „
४	बहोरीलाल गुप्ता	१२	विज्ञान एन० आर० ई० सी० कालेज खुरजा, बुलन्दशहर	२० रु० „

जिन विद्यार्थियों ने अपने प्रार्थना-पत्रों में स्थानीय पता नहीं दिखलाया था उनके स्कूल का पता सूची में दिखलाया गया है।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ २६२ पर)

४ मार्च १६५३ को उत्तर प्रदेश विधान सभा में सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी तथा जगन्नाथ मल्ल के व्यवहार व आचरण पर आधारित विशेषाधिकार प्रश्न से संबंधित विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन।

अध्याय १

घटना जिसके फलस्वरूप विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठा

४ मार्च, १६५३ को प्रश्नों का समय समाप्त होने के बाद विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण ने श्री अध्यक्ष से इस बात की अनुज्ञा मांगी कि अध्यापक सत्याग्रहियों को विधान भवन के सामने से पुलिस द्वारा हटाये जाने के विषय में वे एक काम रोको प्रस्ताव उपस्थित कर सकें। श्री अध्यक्ष ने प्रस्ताव को नियमानुकूल बताया और वांछित अनुज्ञा नियम ६८ के अनुसार देकर श्री राजनारायण से कहा कि वे नियम ७१ (१) के अन्तर्गत सदन से अनुज्ञा मांगें। श्री राजनारायण ने अपने प्रस्ताव को पढ़ा और सदन से अनुज्ञा मांगते हुए उसके पक्ष में बोले। तब गृह मंत्री ने खड़े होकर अनुज्ञा देने में आपत्ति की। तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने कहा कि जो सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हों वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें, ताकि वे यह मालूम कर सकें कि अनुज्ञा देने के लिए ३६ सदस्यों का समर्थन प्राप्त है या नहीं। इस पर श्री नारायण दत्त तिवारी ने श्री अध्यक्ष से प्रार्थना की कि उनको नियम ७१ स्थगित करने के लिए नियम २२१ के अन्तर्गत प्रस्ताव लाने की अनुमति दी जाय। नियम ७१ के अनुसार यह आवश्यक है कि ऐसे प्रस्ताव की अनुमति देने के लिये कम से कम ३६ सदस्य खड़े हों।

श्री नारायण दत्त के इस प्रस्ताव को श्री अध्यक्ष ने उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि नियम १५३(३) के अन्तर्गत बजट के दिन, प्रश्न पूछने तथा उनके उत्तर देने के अतिरिक्त और कोई अन्य कार्य श्री अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। तथापि श्री अध्यक्ष ने यह कहा कि पांच बजे के बाद अनुदानों की मांगों पर मतदान समाप्त हो जाने पर यह प्रस्ताव लिया जा सकता है। परन्तु श्री राजनारायण ने इस बात पर हठ किया कि श्री नारायणदत्त तिवारी के प्रस्ताव पर तत्काल विचार होना चाहिये। क्योंकि उनके दल के लिये यह संभव न था कि काम रोको प्रस्ताव के पक्ष में ३६ सदस्यों को खड़ा कर सकें। श्री अध्यक्ष ने पुनः श्री राजनारायण का ध्यान आकर्षित किया कि इस समय श्री तिवारी जी के प्रस्ताव का लिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि यह दिन मांगों पर मतदान के लिये निश्चित है और श्री राज-नारायण जी को तीन बार बतलाया कि वे सदन के कार्य में इस प्रकार बाधा न डालें। श्री अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जब श्री राजनारायण जी अपने काम रोको प्रस्ताव के पक्ष में ३६ वोट भी नहीं पा सकते तो वे सदन में बहुमत कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिये लगभग १५० सदस्यों के वोट की आवश्यकता है। श्री अध्यक्ष ने श्री राजनारायण से बैठ जाने के लिये चार बार कहा, परन्तु वे नहीं बैठे। जब श्री नेकराम शर्मा ने वैधानिक आपत्ति उठायी तब भी वे न बैठे। तब श्री अध्यक्ष ने उनको सदन से बाहर चले जाने की आज्ञा दी। श्री राजनारायण ने उस का पालन नहीं किया। श्री अध्यक्ष ने अपनी आज्ञा को दो बार दुहराया किन्तु श्री राजनारायण खड़े रहे और बोलते ही रहे। तब श्री अध्यक्ष ने श्री राजनारायण के इस दुराग्रहयुक्त बर्ताव की ओर सदन का ध्यान दिलाया और आदेश दिया कि उनको न्यूनतम बल का प्रयोग करके सदन से बाहर निकाल दिया जाये। तदनुसार पुलिस को बुलाया गया किन्तु श्री राजनारायण सदन में पालथी मार कर बैठ गये और पुलिस को उन्हें उठा कर बाहर ले जाना पड़ा।

२—श्री राम नारायण त्रिपाठी ने भी लगभग इसी प्रकार का व्यवहार किया। उन्होंने श्री राजनारायण द्वारा की गयी प्रार्थना को दुहराना आरम्भ किया। उनसे भी पहले तो बैठने

के लिए कहा गया, परन्तु उन्होंने न माना और बोलते रहे। श्री अध्यक्ष ने पूछा कि क्या उसी प्रकार आप भी सदन को छोड़ देना चाहते हैं और श्री त्रिपाठी ने उत्तर दिया कि मैं भी सदन छोड़ने के लिए मजबूर हूं। इसलिए उनको भी श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन से बलपूर्वक हटा दिया गया।

३---श्री जगन्नाथ मल्ल खड़े हुये और उन्होंने भी इसी प्रकार दुहराया। उन्होंने भी आरम्भ में श्री राजनारायण वाली प्रार्थना को बार-बार दुहराया और श्री अध्यक्ष के यह आदेश देने पर भी कि आप बैठ जाइए और भाषण बन्द कीजिए उन्होंने न माना। उनको भी सदन से हटा दिया गया। श्री जगन्नाथ मल्ल ने ऐसी भाषा का भी प्रयोग किया जिससे सदन में श्री अध्यक्ष के आचरण पर पक्षपात का आरोप लगता था।

अध्याय २

विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट प्रश्न

४---श्री राजनारायण और श्री रामनारायण त्रिपाठी के हटाये जाने के बाद ही श्री अध्यक्ष ने उन दोनों के अवज्ञापूर्ण व्यवहार का हवाला दिया और कहा कि उनके आचरण से स्पष्ट रूप से सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना होती थी। इसलिये श्री अध्यक्ष ने उनके मामले जांच पड़ताल तथा रिपोर्ट के वास्ते उत्तर प्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम ६७ के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को सौंप दिये। अगले दिन ५ मार्च को श्री अध्यक्ष ने उन सदस्यों के उच्छृंखल बर्ताव के लिए उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के विषय में प्रस्तावित श्री रामप्रसाद देशमुख के संकल्प का हवाला सदन में दिया। उन्होंने यह आज्ञा दी कि श्री राजनारायण तथा श्री रामनारायण त्रिपाठी के साथ-साथ श्री जगन्नाथ मल्ल के ४ मार्च के आचरण की भी जांच पड़ताल कर विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट दे।

५---विशेषाधिकार समिति की पहली बैठक ७ मार्च, १९५३ को दिन के ११ बजे हुई। सभापति श्री हर गोबिन्द पंत के अतिरिक्त सर्वश्री चरण सिंह, राधामोहन सिंह, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, जुगुल किशोर, गेंदा सिंह और महाराजकुमार बालेन्दुशाह उपस्थित थे। श्री फूल सिंह, श्री अब्दुल मुईज खां और श्री लीलाधर अष्ठाना अनुपस्थित रहे। समिति ने मामले की प्रारम्भिक बातों की चर्चा की और इस विषय पर भी विचार किया कि किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय। कई सदस्यों ने यह पूछा कि जो बातें समिति को सौंपी गयी हैं उनसे वास्तव में विशेषाधिकार की अवहेलना होती है या नहीं। सदस्यों ने इस प्रश्न पर अपने व्यक्तिगत मत दिये और अन्त में यह निर्णय हुआ कि जिन सदस्यों के विरुद्ध शिकायत हुई है उनके बयान लेने के बाद ही इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। तब बैठक १७ मार्च, १९५३ तक के लिए स्थगित की गयी।

६---विशेषाधिकार समिति की दूसरी बैठक १७ मार्च, १९५३ को सायंकाल सवा पांच बजे हुई। श्री उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में श्री चरण सिंह उस दिन के लिये सभापति चुने गये।

श्री हर गोबिन्द पंत और श्री लीलाधर अष्ठाना को छोड़कर सब सदस्य उपस्थित थे। जिन तीन सदस्यों के विरुद्ध शिकायत की गई थी, अर्थात् श्री राजनारायण, श्री रामनारायण त्रिपाठी और श्री जगन्नाथ मल्ल ने पत्र भेज कर यह प्रार्थना की कि उन्हें समिति के सामने अपने वकील द्वारा पैरवी करने की आज्ञा दी जाय। समिति ने यह निर्णय किया कि पहले सदस्यों के बयान सुने जायं। इसलिये उन्हें बुलाया गया और समिति के सदस्यों ने घटना के संबंध में उनसे प्रश्न पूछे तीनों सदस्यों से सीधे यह पूछा गया कि वे ४ मार्च, १९५३ के अपने आचरण को विशेषाधिकार की अवहेलना या उसे किसी दूसरी तरह से आपत्तिजनक समझते हैं या नहीं।

इस प्रश्न पर तीनों सदस्यों के उत्तर कुछ ज्यादा स्पष्ट और निश्चित नहीं थे। इस के उपरान्त समिति ने बहुमत से यह निर्णय किया कि तीनों सदस्यों की वकील द्वारा पैरवी करने की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी जाय। किन्तु उनसे कहा गया कि वे अपने लिखित स्पष्टीकरण पेश करें। उस के बाद बैठक २४ मार्च, १९५३ तक के लिये स्थगित हो गयी। समिति सदस्यों की ओर से प्रायः यह प्रार्थना की गयी कि विधान सभा सचिवालय इसी प्रकार की उन घटनाओं और प्रथा के संबंध में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट और दूसरे विधान मंडलों में हुये हों एक नोट तैयार करे। ऐसा किया गया और इस विषय पर एक नोट २१ मार्च को समिति के सदस्यों को दे दिया गया था। तीनों सदस्यों ने अपने स्पष्टीकरण लिखकर भेजे और उनकी प्रतियां २१ मार्च, १९५३ को समिति के सदस्यों को भेज दी गयीं।

७—विशेषाधिकार समिति की बैठक जो २४ मार्च के लिये रखी गयी थी अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गयी और २५ मार्च, १९५३ को शाम के ५ बजकर १५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में समिति की बैठक हुई। श्री जुगलकिशोर को छोड़ कर शेष सब सदस्य उपस्थित थे। जिन तीन सदस्यों के विरुद्ध शिकायत की गयी थी उनकी ओर से पुनः एक और प्रार्थना की गयी कि उन्हें अपने वकील द्वारा पैरवी करने की अनुमति दी जाय। समिति ने इस विषय पर पुनः विचार किया और उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। कुछ सदस्यों ने यह कहा कि तीनों सदस्यों का बलपूर्वक हटाया जाना ही काफी दंड है और यदि उन्हें और सजा दी गयी तो इसका मतलब यह होगा कि उन्हें एक ही अपराध के लिये दो बार दंड दिया जा रहा है। उन्होंने बतलाया कि संविधान के अनुच्छेद २०(२) के अन्तर्गत दो बार दंड की मनाही है। इस बात पर विस्तारपूर्वक बहस हुई और एक या दो सदस्यों को छोड़कर समिति इस परिणाम पर पहुंची कि सदस्यों का हटाया जाना तो नियम १८९ (१) के अन्तर्गत व्यवस्था स्थापित करने के लिये, केवल एक निरोधात्मक कार्यवाही है जब कि समिति यदि तीनों सदस्यों को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के लिये दोषी पाये तो उसका कर्त्तव्य यह है कि वह दंडात्मक कार्यवाही तजवीज करे। इस संबंध में दीवानी और फौजदारी के मामलों से इसी प्रकार के कुछ उदाहरण भी दिये गये। यह भी बतलाया गया कि ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में एक इसी प्रकार के मामले में २ जुलाई, १९३१ को उच्छृंखल सदस्य को सदन से हटाया गया था और उसके कुछ समय बाद स्पीकर ने सदन को सूचित किया कि सदस्य को हटाने के लिये चूंकि बल का प्रयोग आवश्यक था इसलिये उस सदस्य को शेष सत्र के लिए सदन की सेवा से निलम्बित किया जाता है। (मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस, १५वां संस्करण—पृष्ठ ४५२)। इसी प्रकार की एक घटना ९ मार्च, १९५३ को हमारी लोक सभा में भी हुई थी जब कि एक सदस्य के बैठने से इनकार करने पर मार्शल को बुलाया गया और उस सदस्य को बैठना पड़ा और उसने क्षमा याचना की, किन्तु श्री उपाध्यक्ष ने उस सदस्य को दिन के शेष भाग के लिए सदन से हट जाने का आदेश दिया। इस संबंध में यह भी बात है कि १९०९ से ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में यह प्रथा रही है कि शिकायत के विषय को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है और समिति की रिपोर्ट आने तक सदन अपना निर्णय स्थगित रखता है। वाद-विवाद के बीच में यह भी कहा गया कि विधान सभा के नियम ५४ के अन्तर्गत जो उपचार आवश्यक हैं वे सब के सब श्री जगन्नाथ मल्ल के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने में पूरे नहीं होते। समिति का यह मत रहा कि श्री जगन्नाथ मल्ल का मामला नियम ९७ के अन्तर्गत सौंपा गया है। समिति की आम तौर से यह राय थी कि तीनों सदस्यों ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है और उन्हें दंड दिया जाना चाहिये। इसके बाद बैठक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिये अगले दिन चार बजे अपराह्न तक के लिये स्थगित हो गयी।

८—रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिये समिति की अंतिम बैठक २६ मार्च, १९५३ को हुई। श्री गेंदा सिंह ने रिपोर्ट पर एक विमति टिप्पणी दी।

अध्याय ३

शिकायत किये जानेवाले सदस्यों के विरुद्ध आरोप

९---श्री राजनारायण के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप हैं---

(क) नियमों का उल्लंघन---

(१) नियम १८४ के अनुसार अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य को, यदि वह असंगत बातें करे या व्यर्थ पुनरावृत्ति करता रहे, तो उसको अपना भाषण बन्द कर देने का निदेश दे सकता है। श्री राजनारायण बार-बार नियम को निलम्बन करने के लिये अपनी प्रार्थना की पुनरावृत्ति कर रहे थे। श्री अध्यक्ष ने उन्हें चार बार अपना भाषण बन्द कर देने के लिये तथा अपना स्थान पुनः ग्रहण करने के लिये कहा परन्तु वे खड़े ही रहे। अतः उन्होंने इस नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया।

(२) नियम १८६ (१) के अधीन जब अध्यक्ष खड़े हों, तो उस समय जो सदस्य बोल रहा हो अथवा बोलने की प्रार्थना कर रहा हो, तुरन्त बैठ जाय। श्री अध्यक्ष कई बार खड़े हुये, परन्तु श्री राजनारायण ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया। अतः उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया।

(३) नियम १९३ (२) के अधीन, जब व्यवस्था का प्रश्न (Point of order) उठाया जाय, तो उस समय, जो सदस्य सदन में भाषण करते हों, तुरन्त ही अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। श्री नेकराम शर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, परन्तु श्री राजनारायण ने माननीय अध्यक्ष के आदेश देने पर भी पुनः अपना स्थान नहीं ग्रहण किया। अतः उन्होंने इस नियम के उपबन्धों का भी उल्लंघन किया।

(४) नियम १८९ (१) के अधीन अध्यक्ष को अधिकार है कि वह उच्छृंखल सदस्य को सदन से बाहर जाने की आज्ञा दे और यह विशेष नियम सदस्य को अनिवार्य कर देता है कि वह उसी समय सदन के बाहर चला जाय। परन्तु श्री राजनारायण ने श्री अध्यक्ष द्वारा दिये गये तीन बार आदेश पर भी सदन नहीं छोड़ा। अतः उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया।

(ख) सदन की कार्यवाही निष्पादन करने में बाधा---

श्री राजनारायण सदन के फ़र्श पर बैठ गये और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया और श्री अध्यक्ष के आदेशों की अवज्ञा की और इस प्रकार सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचायी।

१०---श्री रामनारायण त्रिपाठी के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप हैं---

(क) नियमों का उल्लंघन---

(१) नियम १८० उपबन्ध करता है कि जब सदस्य बोलने के लिए खड़ा हो तो उसका नाम अध्यक्ष द्वारा पुकारा जायगा। श्री रामनारायण त्रिपाठी खड़े हो गये और भाषण देना आरम्भ कर दिया यद्यपि माननीय अध्यक्ष ने उनका नाम नहीं पुकारा था। यह इस नियम का उल्लंघन था।

(२) नियम १८४ यह प्रतिषेध करता है कि कोई भी सदस्य अपने ही तर्कों की या वाद-विवाद में दूसरे सदस्यों द्वारा दिये गये तर्कों की पुनरावृत्ति न करे। श्री रामनारायण त्रिपाठी ने श्री राजनारायण के तर्कों की पुनरावृत्ति की और सम्बन्धित नियम का निलम्बन करने के लिए आग्रह किया। श्री अध्यक्ष ने उन्हें अपना स्थान ग्रहण करने तथा भाषण बन्द करने के लिए कहा परन्तु श्री त्रिपाठी ने ऐसा नहीं किया। अतः उन्होंने इस नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया।

(३) नियम १८६ (१) के अधीन जब अध्यक्ष खड़े हों तो उस समय जो सदस्य बोल रहा हो अथवा बोलने की प्रार्थना कर रहा हो, तुरन्त बैठ जायगा। श्री अध्यक्ष के खड़े होने पर भी श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पुनः अपना स्थान नहीं ग्रहण किया। अतः उन्होंने नियम १८६ के उपबन्धों का उल्लंघन किया।

(४) नियम १८९ (१) के अधीन अध्यक्ष को अधिकार है कि वह उच्छृंखल सदस्य को सदन से बाहर जाने की आज्ञा दे सकता है। श्री अध्यक्ष ने श्री रामनारायण त्रिपाठी को स्पष्ट रूप से तो सदन से बाहर जाने का आदेश नहीं दिया, परन्तु उनके कथन का यही अभिप्राय था। यह भी नियम का उल्लंघन है।

(ख) सदन की कार्यवाही निष्पादन करने में बाधा—

श्री रामनारायण त्रिपाठी ने अपने आचरण द्वारा सदन की कार्यवाही निष्पादित होने में बाधा उत्पन्न की।

११—श्री जगन्नाथ मल्ल के विरुद्ध आरोप—

(क) नियमों का उल्लंघन—

(१) नियम १८० के अधीन यह अधिकार है कि यदि सदस्य बोलने के लिए खड़ा हो तो उसका नाम अध्यक्ष द्वारा पुकारा जायगा। श्री जगन्नाथ मल्ल खड़े हो गये और भाषण देना प्रारम्भ कर दिया यद्यपि माननीय अध्यक्ष द्वारा उनका नाम नहीं पुकारा गया था।

(२) नियम १८४ के अधीन अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सदस्य को अपना भाषण बन्द कर देने का निदेश करे यदि वह असंगत बातें करे या अपने ही तर्कों को या अन्य सदस्यों द्वारा किये गये तर्कों की पुनरावृत्ति करे। श्री जगन्नाथ मल्ल ने श्री राजनारायण और श्री रामनारायण त्रिपाठी की प्रार्थनाओं की पुनरावृत्ति की और श्री अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश पर भी न तो अपना भाषण ही बन्द किया और न अपने स्थान पर बैठे ही। अतः उन्होंने इस नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया।

(३) नियम १८६ (१) के अधीन जब अध्यक्ष खड़े हों, तो उस समय जो सदस्य बोल रहा हो, तुरन्त बैठ जायगा। श्री जगन्नाथ मल्ल ने श्री अध्यक्ष के खड़े होने और उनके द्वारा बैठ जाने के आदेश दिये जाने पर भी अपना स्थान नहीं ग्रहण किया। अतः उन्होंने इस नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया।

(४) नियम १८९ (१) के अधीन अध्यक्ष को अधिकार है कि वह उच्छृंखल सदस्य को सदन से बाहर जाने की आज्ञा दे सकता है। श्री जगन्नाथ मल्ल के सम्बन्ध में यद्यपि यह आदेश बहुत स्पष्ट नहीं था तथापि माननीय अध्यक्ष के कथन से यह स्पष्ट था कि यह उनके लिए भी लागू था। यह भी नियम का उल्लंघन करना है।

(ख) सदन की कार्यवाही निष्पादित करने में बाधा--

श्री जगन्नाथ मल्ल ने अपने आचरण द्वारा सदन की कार्यवाही निष्पादित होने में बाधा उत्पन्न की।

श्री जगन्नाथ मल्ल ने अपने भाषण के बीच श्री अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए यह कहा--

"जब यह गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है और आप भी उसका पक्ष ले रहे हैं" अतः उन्होंने श्री अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाया।

अध्याय ४

विशेषाधिकारों की अवहेलना और सदन का अवमान

१२--भारत के संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) के अन्तर्गत राज्य के विधान मण्डल के एक सदन तथा सदस्यों और ऐसे सदन की समितियों के अधिकार, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (जब तक कि विधान मण्डल के अधिनियमों द्वारा पारिभाषित न किये जायं) वही हैं, जो कि संविधान के आरम्भ में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स तथा उसके सदस्यों और समितियों के हैं। यह विधान मंडलों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के सम्बन्ध में तात्विक विधि से सम्बन्धित है, किन्तु उत्तर प्रदेश विधान सभा को इन विशेषाधिकारों को क्रियान्वित करने के लिये संविधान के अनुच्छेद २०८ के अन्तर्गत अधिकार है। ब्रिटिश संसदीय प्रक्रिया पर पुस्तकों से निम्नलिखित उद्धरणों से हाउस आफ़ कामन्स के विशेषाधिकारों के विषय में तात्विक विधि का अनुमान लगाया जा सकता है--

(*a*) "Members persistently and wilfully obstructing public business without just and reasonable cause are guilty of the contempt of the House of Commons". (May, P. 105).

(*b*) "Disobedience to the orders of either House, whether such orders are of general application or require a particular individual to do or abstain from doing a particular act, or contravention of any rules of either House, is a contempt of that House". (May, P. 111).

(*c*) "Reflection on the character of the Speaker and accusation of partiality in the discharge of his duties have been held as constituting breach of privilege of the House of Commons". (May, P. 126).

(*d*) "If the matter of complaint is not disposed of at the time by the House in which it was raised, it is ususally referred in each House to the Committee of Privileges". (May, P. 135).

(*e*) "The House of Commons exercises powers of suspension of Members on grounds of privileges". (Campion., P. 70).

(*f*) "Disrespect to the House collectively, whether committed by a member or any other; Disobedience to orders of the House, or interference with its procedure, with its officers in the execution of their duty" is a breach of privilege. (Campion, P. 71).

(*g*) "It may be stated generally that any act or omission which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duties or which has a tendency directly or indirectly as a contempt even though there is no precedent of the offence". (May, P. 109).

१३—इसलिए यह निश्चित है कि नियमों का उल्लंघन, सदन की कार्यवाही के निष्पादन में बाधा और अध्यक्ष के व्यवहार को पक्षपातपूर्ण बतलाना हाउस आफ कामन्स में प्रत्यक्ष रूप से विशेषाधिकार की अवहेलनायें समझी जाती हैं। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि नियमों का उल्लंघन सदन के अवमान का द्योतक है। विशेषाधिकार की अवहेलना में प्रायः सदन का अवमान सम्मिलित है। यह 'मे' की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, १५वें संस्करण के पृष्ठ ४१ और ८६ से प्रत्यक्ष है।

१४—इन उदाहरणों के तथ्य सम्भवतः किसी के भी द्वारा विवादग्रस्त न समझे गये हों, और ऊपर उद्धृत विधि इस विषय पर पूर्ण रूप से स्पष्ट है। ९ मार्च, १९५३ को संसद् में लगभग एक समान घटना हुई जब श्री वी० जी० देशपाण्डे ने अपने एक भाषण के अन्तर्गत आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। श्री उपाध्यक्ष ने, जो उस समय सभापति थे, उन्हें व्यवस्था रखने के लिए संबोधित किया। श्री देशपाण्डे ने बोलना जारी रखा। तब श्री उपाध्यक्ष ने फिर उन्हें व्यवस्था रखने के लिए सम्बोधित किया और उनसे अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। श्री देशपाण्डे ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया, किन्तु बोलना जारी रखा। तब श्री उपाध्यक्ष ने फिर उन्हें व्यवस्था रखने के लिये सम्बोधित किया, परन्तु श्री देशपान्डे ने बहुत ऊंची आवाज में बोलना जारी रखा। श्री उपाध्यक्ष ने मार्शल को आज्ञा दी जो कि माननीय सदस्य की ओर बढ़ा। श्री देशपाण्डे ने तब श्री उपाध्यक्ष से क्षमा मांगी और अपना स्थान ग्रहण किया। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि यह एक गम्भीर स्थिति थी और सदस्यगण उनकी सिधाई का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी बहाना सहन न किया जायगा और श्री देशपाण्डे को सदन छोड़ देने और शेष दिन के लिए बाहर रहने की आज्ञा दी। इस पर श्री देशपाण्डे ने सदन छोड़ दिया। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि सदस्य की मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यह दण्ड भी पर्याप्त न था, परन्तु चूंकि यह पहला ही अवसर था उन्होंने इस विषय में अधिक कठोर कार्यवाही करना उपयुक्त नहीं समझा। इस अवसर पर मार्शल के प्रयोग के ऊपर कई सदस्यों ने आपत्ति उठायी। परन्तु श्री उपाध्यक्ष ने निर्णय दिया कि वही एक मात्र मार्ग था जिससे ऐसे विषय में उनकी आज्ञाओं के पालन के लिए उचित कार्यवाही की जा सकती है। इस निर्णय के विरोध में कुछ सदस्य उठकर बाहर चले गये।

१५—यह मामला बहुत स्पष्ट है कि तीन सदस्यों ने बहुत उच्छृंखल रीति से व्यवहार किया। उन्होंने श्री अध्यक्ष के बार-बार निदेश देने पर भी न अपना स्थान ग्रहण किया और न सदन छोड़ा और जब वैधानिक आपत्ति उठायी गयी तो उसको सुनने के लिए भी तैयार न हुए। श्री अध्यक्ष को नियम १८९ (१) के अन्तर्गत कार्य निष्पादन के लिए शांति स्थापित करनी थी और यह तभी सम्भव था जब कि उच्छृंखल सदस्य बाहर निकाल दिये जाते। अतः उन्होंने नियम १८९ (३) के अन्तर्गत कार्य किया और सदस्यों को सदन से बल का प्रयोग करके निकलवा दिया। यह केवल व्यवस्था स्थापित करने के दृष्टिकोण से किया गया था जैसा कि लोकसभा में श्री देशपाण्डे के मामले में हुआ था। वस्तुतः यह सम्बद्ध सदस्यों के दोषों के प्रति कोई दण्ड न था। सदन में व्यवस्था स्थापित करने के उपरान्त उन्होंने इन मामलों की परीक्षा, जांच तथा प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया ताकि जहां-जहां पूरे प्रश्न पर शांत वातावरण में विचार किया जा सके और उन सदस्यों को जिनके विरुद्ध शिकायत की गयी है अपना मामला उपस्थित करने में अधिक सुविधा हो सके।

अध्याय ५

समिति की अवाप्तियां

१६——अतः समिति की राय है कि सर्व श्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी तथा जगन्नाथ मल्ल ने विशेषाधिकार की अवहेलना की और उन्होंने अपने लिए संविधान तथा प्रक्रिया नियमावली द्वारा सदन को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत दण्ड का पात्र बना लिया है। अतः समिति सदन से यह सिफ़ारिश करती है कि श्री राजनारायण और श्री रामनारायण त्रिपाठी को सदन की वर्तमान बैठक की समाप्ति तक सदन की सेवा से निलम्बित कर दिया जाय। श्री जगन्नाथ मल्ल के बारे में, चूंकि उन्होंने श्री अध्यक्ष के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाकर अधिक गम्भीर अपराध किया है, समिति यह सिफारिश करती है कि उनको सभा के वर्तमान सत्र के अवसान तक सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाय।

हरगोविन्द पन्त।
चरण सिंह।
राधामोहन सिंह।
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव।
अब्दुल मुईज खां।
फूल सिंह।
महाराजकुमार बालेन्दु शाह।
*गेंदा सिंह।
जुगल किशोर।

सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी तथा जगन्नाथ मल्ल के विरुद्ध ४ मार्च, १९५३ को विधान सभा में होने वाली घटना के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न——

उक्त घटना के सम्बन्ध में तब तक हम ठीक फैसला नहीं दे सकते जब तक कि हम उस दिन के श्री राजनारायण जी के अध्यापक मंडल, उत्तर प्रदेश के अनशनकारियों के प्रति बर्बरतापूर्ण सरकारी कार्य के सम्बन्ध में कार्यस्थगन के प्रस्ताव तथा श्री नारायण दत्त तिवारी के प्रक्रिया नियमावली के नियम १७ के निलम्बित करने के प्रस्तावों के महत्व पर विचार न कर लें।

४ मार्च को प्रातःकाल ३ बजे के लगभग विधान भवन के सामने वाली ज़मीन से अपने बक़ाया वेतन, भत्ते तथा अन्य प्रान्तों के स्केल के समान वेतन की मांग के सम्बन्ध में अध्यापक मण्डल, उत्तर प्रदेश के चार अनशनकारियों को पुलिस द्वारा बल प्रयोग से हटाया गया तथा उनका कैम्प उखाड़कर जब्त कर लिया गया और उसके स्थान पर पुलिस का कैम्प डाल दिया गया। यह एक ऐसी घटना है जिससे किसी भी प्रजातान्त्रिक सरकार का सर शर्म से झुक जाना चाहिए।

इसी घटना पर सदन में वाद-विवाद के लिए माननीय राजनारायण जी ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव रखा; चूंकि कार्यस्थगन के प्रस्ताव के लिए माननीय अध्यक्ष की अनुमति के बाद सदन की अनुमति के लिए उसके पक्ष में ३६ सदस्यों का खड़ा होना आवश्यक है, इसीलिए माननीय नारायणदत्त तिवारी ने एक प्रस्ताव की सूचना दी थी कि राजनारायण जी के उपरोक्त

*असहमति टिप्पणी के अधीन हस्ताक्षर किये।

स्थगन के प्रस्ताव के लिए प्रक्रिया नियमावली का नियम ७१ निलम्बित कर दिया जाय, ताकि ३६ सदस्यों को खड़ा होने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में केवल २४ सदस्य होने के कारण कोई इस प्रकार सदन की अनुज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता। माननीय अध्यक्ष ने कार्यस्थगन के प्रस्ताव को अनुमति दे दी, परन्तु श्री नारायणदत्त तिवारी के प्रस्ताव को पेश करने की अनुज्ञा नहीं दी। मेरी राय में माननीय अध्यक्ष यदि उक्त प्रस्ताव की अनुज्ञा दे देते तो उस दिन जो घटना हुई है वह न होती। यह निश्चित था कि कार्यस्थगन के प्रस्ताव की अनुज्ञा के लिए सदन में ३६ सदस्य नहीं उठ सकेंगे। अतः यदि माननीय अध्यक्ष श्री नारायणदत्त तिवारी के प्रस्ताव के लिए अनुज्ञा दे देते तो अन्त में इस बात की सम्भावना के अतिरिक्त कि वह प्रस्ताव भी गिर जाता, प्रस्ताव पर वाद-विवाद के सिलसिले में विरोधी दल के सदस्य पुलिस द्वारा अनशनकारियों के साथ ज्यादती के सम्बन्ध में सरकारी की काफ़ी टीका-टिप्पणी कर सकते और यह भी सम्भव था कि नारायणदत्त जी के प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों की वांछित संख्या प्राप्त हो सकती थी, क्योंकि काम रोको प्रस्ताव, जैसा तीव्र आलोचना का भाव नारायणदत्त जी का प्रस्ताव नहीं रखता था। इसलिए सरकारी पक्ष के सदस्यों से इस अहम प्रश्न पर सहानुभूति की आशा करना अनुचित न होगा।

यह सही है कि विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १५३ के अनुसार अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना प्रश्नों के अलावा अन्य विषय बजट अनुदानों के दिनों में नहीं लाये जा सकते। परन्तु माननीय अध्यक्ष को श्री नारायणदत्त तिवारी के प्रस्ताव के लिए अनुज्ञा देने में कोई बाधा नहीं थी। जहां तक कार्यस्थगन तथा नियम ७१ के निलम्बित करने के प्रस्ताव का महत्व था माननीय अध्यक्ष इससे स्वयं सहमत थे। इसीलिए उन्होंने माननीय नारायणदत्त जी के प्रस्ताव के लिए ५ बजे के बाद समय देने के लिए कहा था। परन्तु ५ बजे के बाद श्री नारायणदत्त तिवारी के प्रस्ताव के लिये अनुज्ञा देने का कोई महत्व नहीं था क्योंकि उसको तो कार्यस्थगन के प्रस्ताव के लिये प्राथमिकता मिलना चाहिये थी। यदि श्री नारायणदत्त जी के प्रस्ताव पर एक आध घंटा समय भी लग जाता तो उतना समय उस दिन के अनुदान के लिए ५ बजे के बाद बढ़ाया जा सकता था। इस बार बजट सेशन में कई बार विभिन्न अनुदानों के लिए समय बढ़ाया गया।

श्री राजनारायण जी ने सदन में आने के पहले श्री नारायणदत्त जी के साथ जाकर माननीय अध्यक्ष से उपरोक्त दोनों प्रस्तावों को ले आने की अनुज्ञा देने के लिए निवेदन भी कर दिया था।

माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय श्री नारायणदत्त जी तिवारी के प्रस्ताव की अनुज्ञा न देने पर श्री राजनारायण जी ने बार-बार माननीय अध्यक्ष से उसके लिए अनुज्ञा देने के लिए प्रार्थना ही की। माननीय रामनारायण त्रिपाठी और जगन्नाथ मल्ल ने भी प्रस्ताव के लिये अनुज्ञा देने की ही प्रार्थना की थी। और इस प्रकार की प्रार्थना करने के सिलसिले में इच्छा न रहते हुए भी इन लोगों से अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। इस बात को मैं केवल एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विशेष रूप से प्रोटेस्ट करना ही मानता हूं। प्रोटेस्ट का भी संसदीय प्रणाली में एक विशेष स्थान है। विशेष परिस्थिति में यह तीनों सदस्य उद्वेग में आ गये थे। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए हम इस वस्तु स्थिति को भी आंखों से ओझल नहीं कर सकते।

माननीय राजनारायण जी द्वारा श्री नारायणदत्त तिवारी के प्रस्ताव की अनुज्ञा के लिये की गयी बार-बार प्रार्थना ठुकराये जाने के अतिरिक्त मेरी समझ में माननीय अध्यक्ष का पुलिस द्वारा उनको बाहर निकलवाने की धमकी देने के कार्य का औचित्य भी विवादग्रस्त है। इस कारण भी तीनों माननीय सदस्यों के उद्वेग में वृद्धि हुई।

अन्य देशों में ऐसी परिस्थिति के लिए सार्जन्ट एट आर्म तथा उनके मेसेन्जर रखे जाते हैं। दिल्ली तथा पंजाब में मार्शल नियुक्त हैं। जब कि हमारे यहां इस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं थी, तो ऐसी दशा में साधारण पुलिस द्वारा बलप्रयोग से बेहतर तो थोड़े देर के लिए सभा को स्थगित कर देना था। उस थोड़े काल में यह मामला स्वयं शान्त हो गया होता।

यदि तीनों माननीय सदस्य सदन के स्थगन के बाद भी उसी प्रकार कार्य करते तो पुलिस के प्रयोग का औचित्य सिद्ध किया जा सकता था। यहां यह भी वर्णन कर देना अनुपयुक्त न होगा कि यूनाइटेड किंगडम के हाउस आफ़ कामन्स में माननीय सदस्य को अध्यक्ष द्वारा इंगित करने के बाद नेता सदन के प्रस्ताव पर निलम्बित हो जाने के उपरान्त बलप्रयोग द्वारा सदन से बाहर किया जाता है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया नियमावली के नियम १८९ के उपनियम १ और ३ के अनुसार जो दण्ड माननीय सदस्यों को पुलिस द्वारा बल प्रयोग से सदन से हटवाकर तथा उस दिन शेष समय के लिए माननीय सदस्यों को उनके सदन में बैठने के अधिकार से वंचित करके दिया है उसके बाद विशेषाधिकार समिति की यह रिपोर्ट कि माननीय सदस्यों को सदन के इस सेशन के शेष दिनों के लिए निलम्बित करना एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दण्ड देना है जो भारतीय संविधान की धारा २० (२) के विरुद्ध है। यहां यह भी निवेदन कर दूं कि उस घटना के बाद उक्त तीनों माननीय सदस्यों ने श्री महाराजकुमार बालेन्दु शाह, सदस्य विशेषाधिकार समिति द्वारा सचिव, विधान सभा-सदन में दुबारा जाने के सम्बन्ध में पुछवाया था जिसके उत्तर में श्री सचिव ने यह कहा था कि वे लोग नियमावली के नियम १८९ (१) के अनुसार उस दिन शेष समय के लिए सदन में नहीं आ सकते।

इस प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में मिस्टर मे की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के पन्द्रहवें संस्करण में पृष्ठ ४४८, तीसरा पैरा के आधे के शेषांश में तथा पृष्ठ ४४९ में दूसरे पैरा में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि माननीय अध्यक्ष सम्बन्धित सदस्य को बल प्रयोग द्वारा सदन से निकलवा सकते हैं या उसे इंगित कर सदन से सजा दिलवा सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं।

बहुत कुछ प्रयत्न करने के बाद भी विशेषाधिकार समिति के माननीय सदस्यों को और विधान सभा के सचिव को कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिली जिसमें इस प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में सदन में तत्काल कार्यवाही हो जाने के उपरान्त किसी का मामला विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया गया हो। माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने अपने बयान में ६ नजीरें पेश की हैं जो इसी बात को पुष्ट करती हैं।

विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट में लोक सभा दिल्ली में ९ मार्च, १९५३ को घटित श्री बी०जी० देशपाण्डे की घटना का जो जिक्र किया गया है वह तो समिति की रिपोर्ट के विरुद्ध जाती है; क्योंकि उसमें तो स्पष्टतः माननीय अध्यक्ष ने माननीय देशपाण्डे जी को उस दिन शेष समय के लिए उनके सदन में बैठने के अधिकार से वंचित करने की सजा को ही काफी समझा है। कमेटी ने मिस्टर मे की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के पृष्ठ १०५, १११, १२६, १०९ तथा १३५ और कैम्पियन की पुस्तक के पृष्ठ ७०, ७१ की जो नजीरें दी हैं, उनमें जो मेम्बरों से सम्बन्ध रखती हैं उन सभी में सदन में तुरन्त कार्यवाही हुई है। किसी का भी मामला विशेषाधिकार समिति में नहीं भेजा गया और मे के पृष्ठ १३५ का मामला तो सदन के सदस्यों से सम्बन्ध ही नहीं रखता और भी जो मामले जो सदन के सदस्यों से सम्बन्ध नहीं रखते उनकी नज़ीर देना तो बिल्कुल बेकार है।

हाउस आफ कामन्स यूनाइटेड किंगडम के स्टैंडिंग आर्डर, २१,२२ के आधार ही पर विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली का नियम १८९ बनाया गया है।

इतना अन्तर अवश्य है कि ब्रिटेन में स्टैंडिंग आर्डर २२ (६) के अनुसार सदन में तत्काल कार्यवाही हो जाने के बाद भी यह अधिकार सुरक्षित रखा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर प्राचीन प्रथाओं के अनुसार ऐसी परिस्थिति में अन्य भी कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु हमारे यहां के नियम १८९ में इस प्रकार का कोई अधिकार सुरक्षित नहीं रखा गया है। अतः इस प्रकार का कोई प्रश्न ब्रिटेन की हाउस आफ कामन्स के लिए यदि विशेषाधिकार के प्रश्न हों भी तो वे इस विधान सभा के लिये विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं हो सकते और चूंकि हमारा नियम १८९ बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए भारतीय संविधान की धारा १९४ (३) के अनुसार यहां ब्रिटेन की लोक सभा की परम्पराओं के अनुसार कार्य नहीं किया जा सकता।

अब मैं कुछ लीगल टेक्निकलिटीज़ के बारे में अपनी राय ज़ाहिर करना चाहता हूं।

मेरा यह निश्चित मत है कि प्रक्रिया नियमावली के नियम ६७ में वाक्यांश "इन नियमों का" मतलब विशेषाधिकार सम्बन्धी अध्याय ८ के नियम ४४ से ६६ तक ही है। नियम १८९ बिलकुल स्पष्ट है। अतः उस सम्बन्ध में नियम ६७ के अनुसार रिफ़रेंस नहीं हो सकता।

मैं इस मत का भी हूं कि माननीय अध्यक्ष ने वास्तव में इस मामले को विशेषाधिकार समिति को रिफ़रेंस किया ही नहीं। अगर्चे उन्होंने इस आशय की घोषणा सदन में अवश्य की थी। रिफ़रेंस के लिए आवश्यक था कि प्रत्येक सदस्य के नाम अभियोग लगाते हुए माननीय अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर से विशेषाधिकार समिति के नाम पत्र भेजते। इस टेक्निकलिटी के पूरा न होने के कारण विशेषाधिकार समिति को इस मसले पर विचार ही नहीं करना चाहिए था।

माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का मामला सचिव विधान सभा के प्रतिवेदन पर भेजा गया। उसके लिए आवश्यक था कि नियमावली के नियम ५४ के अनुसार वह रिपोर्ट सदन के सामने आती। इस कार्यवाही के अभाव में उनके मामले पर विचार करना भी विशेषाधिकार समिति के अधिकार में नहीं था।

श्री जगन्नाथ मल्ल के ख़िलाफ अध्यक्ष के ऊपर पक्षपात का अरोप मिस्टर मे की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पन्द्रहवें संस्करण के पृष्ठ ३६५ के अनुसार एट दि अर्लियस्ट अपार्चुनिटी (सर्व प्रथम प्राप्त अवसर) पर आना चाहिए था। ऐसा न होने के कारण उस प्रश्न पर तो विचार ही नहीं किया जा सकता। मिस्टर मे के पृष्ठ ३६४ और ३६५ के वर्णनों से स्पष्ट है कि विशेषाधिकार के बड़े से बड़े प्रश्न भी इस टेक्निकलिटी के अभाव में अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये हैं।

मैं इस मत का हूं कि माननीय अध्यक्ष को माननीय रामनारायण त्रिपाठी तथा जगन्नाथ मल्ल को न केवल बाहर जाने की निश्चित आज्ञा ही देनी चाहिए थी, बल्कि उसे कई बार दोहराना भी चाहिए था। इस बात के अभाव में इन लोगों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

माननीय राजनारायण के ख़िलाफ़ यह भी अभियोग लगाया गया है कि वे माननीय नेकराम शर्मा के प्वाइण्ट आफ आर्डर पर नहीं बैठे। यह कोई अभियोग नहीं है उसी सदन में हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री पं० गोविन्द बल्लभ पन्त भी माननीय श्री रामनारायण त्रिपाठी के प्वाइण्ट आफ़ आर्डर पर नहीं बैठे थे और इस घटना के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने स्पष्ट व्यवस्था दी थी कि प्वाइण्ट आफ आर्डर पर बैठना आवश्यक नहीं है। यहां पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि जब माननीय राजनारायण जी को बाहर निकालने के लिए माननीय अध्यक्ष पुलिस बुलवा ही चुके थे, तो उन पर न बैठने का नया चार्ज कैसे लग सकता है ?

उपरोक्त कारणों से मेरा यह निर्णय है कि इन तीन माननीय सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता ; और उक्त घटना के सम्बन्ध में जो दण्ड इनको मिल गया, वह उपयुक्त है। अतः मैं कमेटी के बहुमत द्वारा इन सदस्यों के लिए प्रस्तावित दण्ड से अपनी असहमति प्रकट करता हूं। मुझे यह लिखते हुए दुःख होता है कि माननीय विशेषाधिकार समिति ने ऐसी रिपोर्ट देकर देश में उदीयमान प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए कोई उत्तम उदाहरण नहीं पेश किया।

गेंदा सिंह,
सदस्य, विशेषाधिकार समिति।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ७ एल० ए०—१९५३—८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

को

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड १०२

अ

अत्याचार—

प्र० वि०—मुहल्ला कुतुबपुर, थाना हसनगंज के सिपाहियों द्वारा वाल्मीकियों पर—। खं० १२२, पृ० २५४।

अधिष्ठाता—

उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० १९४, १९५।

अध्यक्ष, श्री—

आगामी शनिवार को सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में सुझाव। खं० १२२, पृ० १६४।

आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आदि जिलों में खेतिहर मजदूरों अथवा किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १२२, पृ० २५८, २५९, २६०।

उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १५८, १५९, १६०, १६१।

उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० १८०, १८३, १८४, १८५, २१२, २१३, २२१, २६५, २६६, २६७, २६८, २७१, २७२, २७४, २७५।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, (ऐप्रोप्रिएशन बिल) १९५३। खं० १२२, पृ० ६८, ६९, ७०, ७१, १०५, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११४, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १३०, १३१, १३२।

कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा। खं० १२२, पृ० १६२-१६३

कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २९८, ३०२।

गावों में दगड़े बनाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० ३०३।

घूस निवारक विधेयक के सम्बन्ध में सूचना। खं० १२२, पृ० २६१।

श्री राजनारायण, श्री रामनारयाण त्रिपाठी तथा श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति

अनुक्रमणिका

[अध्यक्ष श्री--]

का प्रतिवेदन। खं० १२२, पृ० २६१, २६२, २६३, २६४, २६५।

लेखा समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा। खं० १२२, पृ० २६१।

वित्त समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा। खं० १२२, पृ० २६१।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ७--लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक ४७--विविध (वाहन) विभाग और ४४--उड्डयन। खं० १२२, पृ० ३२, ३६, ३९,।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४२--सहकारिता। खं० १२२, पृ० ६५-६६।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ४९--लेखा शीर्षक ८२--कृषि इंजीनियरिंग सरकारी बस-सर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत। खं० १२२, पृ० ६८।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन। खं० १२२, पृ० २५।

विधान सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्याक्ष सम्बन्धी संकल्प को स्थगित करने का सुझाव। खं० १२२, पृ० १८०।

श्रम समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम। खं० १२२, पृ० २२६।

१९५३-५४ की वित्त समिति के निर्वाचन के सम्बन्त में सूचना। खं० १२२, पृ० १६१।

१९५३-५४ की सार्वजनिक लेखा समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना। खं० १२२, पृ० १६१-१६२।

अध्यक्ष, जिला बोर्ड--

प्र० वि०--जिलाधीश को---से मिलने के सम्बन्ध में आज्ञा। खं० १२२, पृ० १७८।

अनुदान संख्या ७--

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--लेखा शीर्षक १२-मोटर गाड़ियों के एक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१-लेखा शीर्षक ४७-विविध (वाहन) विभाग और ४४-उड्डयन। खं० १२२, पृ० २६-५३।

अनुदान संख्या २८--

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान --लेखा शीर्षक ४२-सहकारिता। खं० १२२, पृ० ५४-६६।

अनुदान संख्या ३१--

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान --अनुदान संख्या ७--लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों एक्टों के कारण व्यय तथा--लेखा शीर्षक ४७--विविध (वाहन) विभाग और ४४- उड्डयन। खं० १२२ पृ० २६-५३।

अनुदान संख्या ४९--

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--लेखा शीर्षक ८२--

कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस-सर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत। खं० १२२, पृ० ६६–६८।

अनुदानों—

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में————के लिये मांगों पर मतदान। खं० १२२, पृ० २६–६८।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में————के लिये समय विभाजन। खं० १२२, पृ० २५।

अन्डर ट्रायल—

प्र० वि०–जिला बुलन्दशहर के———कैदी। खं० १२२, पृ० २४८

अपराध अन्वेषण—

प्र० वि०——————के लिये स्काटलैंडयार्ड के कुत्तों की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० २४३।

अभियोग—

प्र० वि०–पुलिस कर्मचारियों पर चलाये गये—————। खं० १२२–पृ० २४८।

अवधेश प्रताप सिंह, श्री—

उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १५७-१५९।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल), १९५३। खं० १२२, पृ० ११६।

कार्यक्रम में परिवर्तन करने का सुझाव। खं० १२२, पृ० २८१।

कार्यसूची के क्रम में परिवर्तन। खं० १२२, पृ० १३६।

अस्पताल—

प्र० वि०–अल्मोड़ा जिले में पिथौरागढ़————का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० ९९–१००।

आ

आज़मगढ़—

————गाज़ीपुर, बलिया, जौनपुर आदि जिलों में खेतिहर मज़दूरों अथवा किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १२२, पृ० २५८–२६०।

आज्ञा—

प्र० वि०–ज़िलाधीश को अध्यक्ष, जिला बोर्ड से मिलने के सम्बन्ध में———। खं० १२२, पृ० १७८।

आतंक—

प्र० वि०–दुद्धी तहसील, जिला मिर्ज़ापुर में भूलुड़ का———। खं० १२२, पृ० १७२–१७३।

आदेश—

प्र० वि०–सरकारी कार्यालयों के लिये बरेली से फर्नीचर खरीदने का———। खं० १२२, पृ० १७६–१७७।

आफ़िस—

प्र० वि०–रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के ———के कर्मचारी। खं० १२२, पृ० २५४–२५५।

आम चुनाव—

प्र० वि०———में प्रदेशीय सरकार का कुल व्यय। खं० १२२, पृ० १२।

आय-व्ययक—

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के————में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान। खं० १२२, पृ० २६–६८।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के————में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या

अनुक्रमणिका

[आयव्ययक—]
३१—लेखा शीर्षक ४७—विविध (वाहन) विभाग और ४४—उड्डयन। खं० १२२, पृ० २६—५३
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के————में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता। खं० १२२, पृ० ५४–६६।
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के————में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८२—कृषि इंजीनियरिंग सरकारी बस-सर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत। खं० १२२, पृ० ६६–६८।
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के————में अनुदानों के लिये समय विभाजन। खं० १२२, पृ० २५।

आरफनेजेज—
प्र० वि०–१९४९ की यू० पी०————ऐंड विडोज कमेटी की रिपोर्ट। खं० १२२, पृ० १००–१०१

आरोप—
प्र० वि०–म्युनिसिपल बोर्ड कोंच के नव निर्वाचित चेयरमैन पर————। खं० १२२, पृ० १०२।

इ

इंटर कालेजों—
प्र० वि०–गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों और————को सहायता। खं० १२२, पृ० २५७।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट—
प्र० वि०–आगरा————की स्थापना तथा उस पर व्यय। खं० १२२, पृ० १०२–१०४।

:लाज—
प्र० वि०–प्रान्त के कुष्ट रोग के मरीजों के————का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० ९६–९८।

उ

उड्डयन—
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ७— लेखा शीर्षक १२—मोटरगाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ४७—विविध (वाहन) विभाग और ४४—खं० १२२, पृ० २६–५३।

उद्योग—
प्र० वि०–उत्तर प्रदेश में कुटीर————विकास। खं० १२२, पृ० १७०–१७१।

उप-कुलपति—
प्र० वि०–रुड़की विश्वविद्यालय के————का त्याग-पत्र। खं० १२२, पृ० २०।

उपाध्यक्ष, श्री—
उत्तर प्रदेश कृषिआयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १३७, १३८।
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० २०२, २८०।
कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २८२, २८४, २८५, २९३।
कार्यक्रम में परिवर्तन करने का सुझाव, खं० १२२, पृ० २८१।
कार्यसूची के क्रम में परिवर्तन। खं० १२२, पृ० १३५–१३६।
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ के नियम ३९ में प्रस्तावित संशोधन पर विचार। खं० १२२, पृ० १३२–१३३, १३४–१३५।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ४७—विविध (वाहन) विभाग और ४४—उड्डयन। खं० १२२, पृ० ५०, ५२, ५३।

विधान सभा के अध्यक्ष अथवा——सम्बन्धी संकल्प को स्थगित करने का सुझाव। खं० १२२, पृ० १८०।

उमाशंकर, श्री—
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८२—कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस-सर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत। खं० १२२, पृ० ६६–६७।

उम्मीदवारों—
प्र० वि०–एन० सी० सी० में शिक्षण प्राप्त————के पुलिस सब-इन्स्पेक्टर्स के चुनाव के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० १२२, पृ० २३३।

ए

एन० सी० सी०—
प्र० वि० ————में शिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के पुलिस सब-इन्स्पेक्टर्स के चुनाव के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० १२२, पृ० २३३।

ऐ

ऐप्रोप्रिएशन बिल—
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, ————१९५३।
खं० १२२, पृ० ६८–७१।

औ

औषधालय—
प्र० वि०–जौनपुर ज़िले में सुजानगंज ———के लिये डाक्टर की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० ९८–९९।

औषधालयों—
प्र० वि०–जौनपुर ज़िले में नवीन ———की आवश्यकता। खं० १२२, पृ ९८।

क

कत्ल—
प्र० वि०–राज्य में——— व डकैतियां। खं० १२२, पृ० २५६।

कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

कपड़े—
प्र० वि०–जेलों में चालू———बुनने के कारखाने। खं० १२२, पृ० २३३–२३४।

कपड़ों—
प्र० वि०–हैंडलूम के बने हुये, छपे तथा रंगीन———पर सेल्स टैक्स। खं० १२२, पृ० २०।

कमेटी—
प्र० वि०–१९४९ की यू० पी० आरफ़नेज ऐन्ड विडोज़———की रिपोर्ट। खं० १२२, पृ० १००–१०१।

कर्घा उद्योग—
———की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २८१—३०२।

कर्मचारियों—
प्र० वि०–चीनी मिल के———का बैठकी भत्ता। खं० १२२, पृ० २५७।

[कर्मचारियों—
प्र० वि०—पंचायत राज विभाग के—— को स्थायी करने का प्रस्ताव। खं० १२२, पृ० ९५।
प्र० वि०—सरकारी——के कार्यकाल में वृद्धि के नियम। खं० १२२, पृ० १७३—१७४।

कर्मचारी—
प्र० वि०—रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के आफिस के—— खं० १२२, पृ० २५४—२५५।

कलाकारों—
प्र० वि०—जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् ललित——का भविष्य। खं० १२२, पृ० ५।

कलेक्टर—
प्र० वि०—जिला——के टी० ए० पर प्रतिबन्ध। खं० १२२, पृ० १७९—१८०।

कमताप्रसाद विद्यार्थी, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

कारखाने—
प्र० वि०—जेलों में चालू कपड़े बुनने के——। खं० १२२, पृ० २३३—२३४।

कार्यकाल—
प्र० वि०—सरकारी कर्मचारियों के ——में वृद्धि के नियम। खं० १२२, पृ० १७३—१७४।

कार्यक्रम—
——में परिवर्तन करने का सुझाव। खं० १२२, पृ० २८१।
श्रम समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन का——। खं० १२२, पृ० २२६।

कार्य-सूची—
——के क्रम में परिवर्तन। खं० १२२, पृ० १३५—१३६।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव—
आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आदि जिलों में खेतिहर मजदूरों अथवा किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में——की सूचना। खं० १२२, पृ० २५८—२६०।

कार्यालयों—
प्र० वि०—सरकारी—— के लिए बरेली से फ़र्नीचर खरीदने का आदेश। खं० १२२, पृ० १७६—१७७।

किसानों—
आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर आदि जिलों में खेतिहर मजदूरों अथवा—— में असन्तोष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १२२, पृ० २५८—२६०।
प्र० वि०—मुजफ्फरनगर जिले में भारसी पुल से नाला ग्राम तक मार्ग बन्द होने से——को कष्ट। खं० १२२, पृ० ६—७।

कुटीर उद्योग—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश में——विकास। खं० १२२, पृ० १७०—१७१।

कुत्तों—
प्र० वि०—अपराध अन्वेषण के लिए स्काटलैन्डयार्ड के——की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० २४३।

कुयें—
प्र० वि०—मुरादाबाद जिले में हरिजनों को——बनवाने के लिए स्वीकृत धन। खं० १२२, पृ० २५६।

कुष्ट रोग—
प्र० वि०—प्रान्त के——के मरीजों के इलाज का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० ९६—९८।

कृषिआयकर—
उत्तर प्रदेश——(संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १३६—१६१।
संयुक्त प्रान्तीय——नियम, १९४९ के नियम २८ में प्रस्तावित संशोधन से सम्बद्ध विज्ञप्ति की प्रतिलिपि का मेज पर रखा जाना। खं० १२२, पृ० १०५।

कृषि इंजीनियरिंग—
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८२— ——, सरकारी बस-सर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत। खं० १२२, पृ० ६६—६८।

कृष्ण शरण आर्य, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

केवल सिंह, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

केशव पाण्डेय, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

कैदियों—
प्र० वि०—चन्द्रप्रभा बांध पर काम करने वाले—— पर व्यय। खं० १२२, पृ० २५१-२५२।

कैदी—
प्र० वि०—जिला बुलन्दशहर के अन्डर ट्रायल——। खं० १२२, पृ० २४८।

कैलाश प्रकाश, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

कोसी नदी—
प्र० वि०—रामपुर जिले में——के लालपुर बांध का कार्य। खं० १२२, पृ० २१।

क्रम—
कार्यसूची के————में परिवर्तन। खं० १२२, पृ० १३५—१३६।

क्वीन्स कालेज—
प्र० वि०—बनारस——के हाते का शिलास्तम्भ। खं० १२२, पृ० २५५।

ख

ख़रीदने—
प्र० वि०—सरकारी कार्यालयों के लिए बरेली से फ़र्नीचर——का आदेश। खं० १२२, पृ० १७६-१७७।

खानाबदोशों—
प्र० वि०—गृहविहीन और——की संख्या खं० १२२, पृ० २४०-२४१।

खुशीराम, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

खेतिहर मजदूरों—
आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर आदि जिलों में——अथवा किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १२२, पृ० २५८—२६०।

ग

गंगाधर मैठाणी, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।
गंगाधर शर्मा, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।
गंगा प्रसाद सिंह, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

गन्ना—
प्र० वि०—तमकुही रोड चीनी मिल और भटनी केन यूनियन क्षेत्र में——पेरने का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० १७४-१७५।

[गन्ना—]
प्र० वि०—नैनीताल तराई-भावर के छोटे——उत्पादकों के गन्ने की बिक्री के लिए योजना। खं० १२२, पृ० १७१–१७२।

गन्ना फैक्टरियों—
प्र० वि०——के दुर्गन्धित जल के निकास का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० २३४–२३५।

गन्ने—
प्र० वि०—तराई-भावर में——को पेरने का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० १७७–१७८।

गवर्नमेंट जे० टी० सी० कालेज—
प्र० वि०——, फैजाबाद के लिए परिगणित जाति के उम्मीदवार। खं० १२२, पृ० २४७।

गांधी साहित्य—
प्र० वि०—पाठ्यक्रम में——का स्थान। खं० १२२, पृ० २५१।

गांवों—
——में दगड़े बनाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० ३०३।

गाजीपुर—
आजमगढ़,——, बलिया, जौनपुर आदि जिलों में खेतिहर मजदूरों अथवा किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १२२, पृ० २५८—२६०।

गिरफ्तारियां—
प्र० वि०—नैनीताल बैंक की रामनगर शाखा में डाका पड़ने के कारण ——। खं० १२२, पृ० २३७—२३९।

गुप्तार सिंह, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

गृहविहीन—
प्र० वि०——और खानाबदोशों की संख्या। खं० १२२, पृ० २४०–२४१।

गेंदा सिंह, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० २१३—२१६।
गांवों में दगड़े बनाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० ३०३।

गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री—
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० १८२–१८३।

ग्राम पंचायतों—
प्र० वि०——का चुनाव। खं० १२२, पृ० ९५–९६, १०५।

घ

घूस निवारक विधेयक—
————के सम्बन्ध में सूचना। खं० १२२, पृ० २६१।

घोषणा—
कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में——। खं० १२२, पृ० १६२–१६३।
लेखा समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में——। खं० १२२, पृ० २६१।
वित्त समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में——। खं० १२२, पृ० २६१।

च

चन्दा——
प्र० वि०—मुरादाबाद राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल को डिग्री कालेज बनाने का एकत्रित——। खं० १२२, पृ०२५६।

चन्द्र प्रभा बांध—
प्र० वि०———पर काम करने वाले कैदियों पर व्यय। खं० १२२, पृ० २५१–२५२।

चन्द्र सिंह रावत, श्री—
उत्तर प्रदेश कृषिआयकर (संशोधन) विधेयक, । खं० १२२, पृ० १५०–१५१।
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० १८८–१८९।

चम्बल—
प्र० वि०—नारंगीबाह घाट में जमुना के ऊपर तथा पिनाहट में———के ऊपर पुल की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० २०।

चरणसिंह, श्री—
आगामी शनिवार को सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में सुझाव। खं० १२२, पृ० १६३-१६४।
उत्तर प्रदेश कृषिआयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १३९-१४०।

चाय बागानों—
प्र० वि०—देहरादून के———के मजदूरों का स्मरण-पत्र। खं० १२२ पृ० २४७।

चित्तर सिंह निरंजन, श्री।
देखिये "प्रश्नोत्तर।"

चीनी मिल—
प्र० वि०———कै कर्मचारियों का बैठकी भत्ता। खं० १२२, पृ० २५७।

चीनी मिलों—
प्र० वि०—रामपुर की रजा तथा बुलन्द———से प्राप्त शकर महसूल। खं० १२२, पृ० १७८–१७९।

चुनाव—
प्र० वि०—एन० सी० सी० में शिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स के———के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० १२२, पृ० २३३।
प्र० वि०—ग्राम पंचायतों का———। खं० १२२, पृ० ९५–१०५।

चुन्नीलाल सगर, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर।"

चेयरमैन—
प्र० वि०—म्युनिसिपल बोर्ड कौंच के नव निर्वाचित———पर आरोप। खं० १२२, पृ० १०२।

चोरियां—
प्र० वि०—मड़ियाहूं थाना, जिला जौनपुर के अन्तर्गत डाके तथा———। खं० १२२, पृ० २३६–२३७।

छ

छात्रवृत्ति—
प्र० वि०—बदायूं नगरपालिका द्वारा दी गयी हरिजन———के वितरण में असंतोष। खं० १२२, पृ० २४९।

छात्रवृतियां—
प्र० वि०—जिला बुलन्दशहर में राजनीतिक पीड़ित परिवारों के विद्यार्थियों को———। खं० १२२, पृ० २५७।

छिछोराकांड—
प्र० वि०—बलिया जिले के———में मारे गये व्यक्ति। खं० १२२, पृ० २५०–२५१।

ज

जगदीश प्रसाद श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

जगन्नाथ मल्ल, श्री—
कार्यक्रम में परिवर्तन करने का सुझाव। खं० १२२, पृ० २८१।
श्री राजनारायण, श्री रामनारायण त्रिपाठी तथा———द्वारा विशेषा-

[जगन्नाथ मल्ल श्री-]
धिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन। खं० १२२, पृ० २६१-२६५।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन। खं० १२२, पृ० २५।

जमींदारी उन्मूलन—
प्र० वि०—के पश्चात् ललित कलाकारों का भविष्य। खं० १२२, पृ० ५।

जमीन—
प्र० वि०—हल्दी थाना, जिला बलिया के निर्माण के लिये———। खं० १२२, पृ० २४६।

जमुना——
प्र० वि०—नारंगीबाह घाट में———के ऊपर तथा पिनाहट में चम्बल के ऊपर पुल की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० २०।

जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

जाति—
प्र० वि०———के नाम पर चलने वाली शिक्षा संस्थायें। खं० १२२, पृ० २४८-२४९।

जाति विशेष—
प्र० वि०———के नाम पर चलने वाली शिक्षा संस्थायें। खं० १२२, पृ० २५१।

जिन्दा जलाया जाना—
प्र० वि०—पीलीभीत के शहर कोतवाल द्वारा एक आदमी का———। खं० १२२, पृ० २३५-२३६।

जिला बोर्ड—
प्र० वि०—झांसी———के विद्यार्थियों पर वार्षिक टैक्स। खं० १२२, पृ० २४५-२४६।

जिलाधीश—
प्र० वि०———को अध्यक्ष जिला बोर्ड से मिलने के सम्बन्ध में आज्ञा। खं० १२२, पृ० १७८।

जिलों—
प्र० वि०—पश्चिमी और पूर्वी———में ट्यूबवेल्स की लागत और सिंचाई की दर। खं० १२२, पृ० ८-१०।

जेलों—
प्र० वि०———में चालू कपड़े बुनने के कारखाने। खं० १२२, पृ० २३३-२३४।

जौनपुर—
आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया,——— आदि जिलों में खेतिहर मजदूरों अथवा किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १२२, पृ० २५८-२६०।

झ

झारखंडे राय, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० २२१-२२६, २६५-२६६, २६६-२६७, २६७-२६८, २६८-२७१, २७१-२७२, २७२-२७४, २७४-२७५।

ट

टाइपराइटरों—
प्र० वि०—सचिवालय में हिन्दी——का प्रयोग। खं० १२२, पृ० १७५-१७६।

टी० ए०—
प्र० वि० जिला कलेक्टर के——पर प्रतिबन्ध। खं० १२२, पृ० १७९-१८०।

टंडर—
प्र० वि०—दारुलशफा विधायक निवास के फरनीचर के लिये———। खं० १२२, पृ० ६।

टैक्स—
प्र० वि०——झांसी जिला बोर्ड के विद्यार्थियों पर वार्षिक———। खं० १२२ पृ० २४५—२४६।

टैक्सेशन रूल्स—
यू० पी० मोटर विहिकिल्स——— १९३५ के नियम ३९ में प्रस्तावित संशोधन पर विचार। खं० १२२, पृ० १३२–१३५।

ट्यूबवेल्स—
प्र० वि०—पश्चिमी और पूर्वी जिलों में ———की लागत और सिंचाई की दर। खं० १२२, पृ० ८–१०।

ड

डकैतियां—
प्र० वि०—जिला मुजफ्फरनगर में——— खं० १२२, पृ० २५५–२५६।
प्र० वि०—थाना अलापुर, जिला बदायूं के अन्तर्गत———। खं० १२२, पृ० २४५।
प्र० वि०—राज्य में कत्ल व———। खं० १२२, पृ० २५६।

डाका——
प्र० वि०—नैनीताल बैंक की रामनगर शाखा में——पड़ने के कारण गिरफ्तारियां। खं० १२२, पृ० २३७—२३९।

डाके—
प्र० वि०—मड़ियाहू थाना, जिला जौनपुर के अन्तर्गत———तथा चोरियां। खं० १२२, पृ० २३६–२३७।

डाक्टर—
प्र० वि०—जौनपुर ज़िले में सुजानगंज। औषधालय के लिये———की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० ९८–९९।

डिग्री कालेज—
प्र० वि०—मुरादाबाद राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल को———बनाने का एकत्रित चन्दा। खं० १२२, पृ० २५६।

डिग्री कालेजों—
प्र० वि०—ज्ञानपुर, रामपुर, नैनीताल सरकारी———पर व्यय। खं० १२२, पृ० २५६।

त

तमकुही रोड–चीनी मिल—
प्र० वि०———और भटनी केन यूनियन क्षेत्र में गन्ना पेरने का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० १७४–१७५।

तरक्की—
प्र०–वि०—हेड कान्सटेबिलों की—के नियम। खं० १२२, पृ० २४२–२४३।

त्यागपत्र—
प्र० वि०—रुड़की विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का—। खं० १२२, पृ० २०।

थ

थाना अलापुर—
प्र० वि०——जिला बदायूं के अन्तर्गत डकैतियां। खं० १२२, पृ० २४५।

थाना हसनगंज—
प्र० वि०—मुहल्ला कुतुबपुर, के सिपाहियों द्वारा वाल्मीकियों पर अत्याचार। खं० १२२, पृ० २५४।

द

दगड़े--
गांवों में -- बनाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० ३०३।
दर--
प्र० वि०--भाकरा नागल बांध से प्राप्त की गई बिजली की--। खं० १२२, पृ० २१-२२।
दारुलशफा विधायक निवास--
प्र० वि०-------के फरनीचर के लिये टेंडर। खं० १२२, पृ० ६।
दीनदयालु शास्त्री, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ७-- लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक ४७--विविध (वाहन) विभाग और ४४--उड्डयन खं० १२२, पृ० ३६--३७।
दुर्गन्धित जल--
प्र० वि०--गन्ना फैक्टरियों के-- के निकास का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० २३४--२३५।
देवकीनन्दन विभव, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
देवमूर्तिराम, श्री--
"देखिये प्रश्नोत्तर"
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री।--
उत्तर प्रदेश कृषिआयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १३६, १३७, १३७-१३८, १४८, १६१।
कार्यसूची के क्रम में परिवर्तन। खं० १२२, पृ० १३५।
संयुक्त प्रान्तीय कृषिआयकर नियम १९४९ के नियम २८ में प्रस्तावित संशोधन से सम्बद्ध विज्ञप्ति की प्रतिलिपि का मेज पर रखा जाना। खं० १२२, पृ० १०५।

ध

धर्मदत्त वैद्य, श्री--
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० १८९-१९१।
धर्म सिंह, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

न

नत्थियां--
----। खं० १२२, पृ० ७२-८९, ३०४--३१९।
नरोत्तम सिंह, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"
नलकूप योजना--
प्र० वि०--बलिया जिले में--- का प्रारम्भ। खं० १२२, पृ० २३।
नलकूपों--
प्र० वि०--आगरा जिले में-----के बनाने का निश्चय। खं० १२२, पृ० २३।
प्र० वि०--जिला फैजाबाद में-- का निर्माण। खं० १२२, पृ० १३।
प्र० वि०--पूर्वी जिलों में--की जिलेवार संख्या। खं० १२२, पृ० १६-१७।
प्र० वि०--बुलन्दशहर जिले में नलकूपों का निर्माण। खं० १२२, पृ० १२-१३।
नवल किशोर, श्री--
उत्तर प्रदेश कृषिआयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १५१-१५३।
नहरें--
प्र० वि०--कुमायूं सिंचाई योजना के अन्तर्गत बनाई गयी नहरें--। खं० १२२, पृ० १४-१५।

नहरों—
प्र० वि०—मैनपुरी जिले—से सिंचाई। खं० १२२, पृ० २४–२५।

नागेश्वर द्विवेदी, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

नारायणदत्त तिवारी, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
उत्तर प्रदेश कृषिआयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १३७–१३८।
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल) १९५३। खं० १२२, पृ० ६९–७०। ११३–११४, ११७–११८, ११८–११९, १२०, १२२, १२४, १२५, १३०,।
कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २९४–२९६, ३०२।
कार्यसूची के क्रम में परिवर्तन। खं० १२२, पृ० १३५-१३६।
घूस निवारक विधेयक के सम्बन्ध में सूचना। खं० १२२, पृ० २६१।
श्री राजनारायण, श्री रामनारायण त्रिपाठी तथा श्री जगन्नाथमल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन। खं० १२२ पृ० २६३-२६५।
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ४७—विविध (वाहन) विभाग और ४४—उड्डयन। खं० १२२, पृ० ४२–४३।

नारायणदास, श्री—
कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २८८–२९०।

निकास—
प्र० वि०—गन्ना फैक्टिरियों के दुर्गन्धित जल के—का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० २३४–२३५।

नियम—
संयुक्त प्रान्तीय कृषि आयकर—१९४९ के——२८ में प्रस्तावित संशोधन से सम्बद्ध विज्ञप्ति की प्रतिलिपि का मेज पर रखा जाना। खं० १२२, पृ० १०५।
प्र० वि०—सरकारी कर्मचारियों के कार्यक्रम में वृद्धि के——। खं० १२२, पृ० १७३–१७४।
प्र० वि० हेड कान्स्टेबिलों की तरक्की के—। खं० १२२, पृ० २४२–२४३।

नियुक्ति—
प्र० वि०—मद्य-निषेध प्रचारकों की—खं० १२२, पृ० २२।

निरीक्षक—
प्र० वि०—संस्कृत पाठशालाओं के—खं० १२२, पृ० २५८।

निर्माण कार्य—
प्र० वि०—मुजफ्फरनगर जिले के—पर सन् १९५१–५२ में व्यय। खं० १२२, पृ० १८।

निर्माण विभाग—
प्र० वि०—गोरखपुर में—द्वारा कार्य। खं० १२२, पृ० १९।

निर्वाचन—
कतिपय स्थाई समितियों के —के सम्बन्ध में घोषणा। खं० १२२, पृ० १६२–१६३।

[निर्वाचन—]
लेखा समिति के—के सम्बन्ध में घोषणा। खं० १२२, पृ० २६१।
वित्त समिति के— के सम्बन्ध में घोषणा। खं० १२२, पृ० २६१।
श्रम समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये —— का कार्यक्रम। खं० १२२, पृ० २२६।
१९५३-५४ की वित्त समिति के— के सम्बन्ध में सूचना। खं० १२२, पृ० १६१।
१९५३-५४ की सार्वजनिक लेखा समिति के — के सम्बन्ध में सूचना। खं० १२२, पृ० १६१-१६२।

नेकराम शर्मा, श्री—
कार्यक्रम में परिवर्तन करने का सुझाव खं० १२२ पृ० २८१।
विधान सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, सम्बन्धी संकल्प को स्थगित करने का सुझाव। खं० १२२, पृ० १८०।

नैनीताल बैंक—
प्र० वि०———की रामनगर शाखा में डाका पड़ने के कारण गिरफ्तारियां। खं० १२२, पृ० २३७-२३९।

नौरंग लाल, श्री—
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० २१६-२२०।

प

पंचवर्षीय योजना—
प्र० वि०—इलाहाबाद जिले की सड़कों को ———के अन्तर्गत पक्की करने का निश्चय । खं० १२२, पृ० १५-१६।
प्र० वि०———के अन्तर्गत कानपुर जिले में सिंचाई के नये साधन। खं० १२२, पृ० १७-१८।
प्र० वि०———के अन्तर्गत जौनपुर जिले की सड़कों का निर्माण। खं० १२२, पृ० २२-२३।

पंचायत राज—
प्र० वि०———विभाग के कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रस्ताव। खं० १२२, पृ० ९५।

पटरी दूकानदार संघ—
प्र० वि०——बलिया की म्युनिसिपेलिटी के खिलाफ शिकायत। खं० १२२, पृ० १००।

पद्मनाथ सिंह, श्री—
उत्तर देश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० १८६-१८८।

परिगणित जाति—
प्र० वि०—गवर्नमेंट जे० टी० सी० कालेज, फैजाबाद के लिये——के उम्मीदवार। खं० १२२, पृ० २४७।

परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री—
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० २०५-२०९।
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, (ऐप्रोप्रियेशन बिल), १९५३। खं० १२२, पृ० ११८, १२२, १२३, १२४, १३१।

परिवर्तन—
कार्यक्रम में——करने का सुझाव। खं० १२२ पृ० २८१।
कार्यसूची के क्रम में——खं० १२२, पृ० १३५-१३६।

पहलवान सिंह, श्री—
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल) १९५३, खं० १२२ पृ० १११।

पाठ्यक्रम—
प्र० वि०———में गांधी साहित्य का स्थान। खं० १२२, पृ० २५१।

पुत्तूलाल, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

पुनर्वासन—
प्र० वि०———शामली तथा कांधला, मुजफ्फरनगर में शरणार्थियों का ———।
खं० १२२, पृ० १६९–१७०।

पुनर्वासन की योजनाओं—
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८२—कृषि इंजीनियरिंग सरकारी बस-सर्विसों, ———आदि पर पूंजी की लागत। खं० १२२, पृ० ६६–६८।

पुल—
प्र० वि०—नारंगीबाह घाट में जमुना के ऊपर तथा पिनाहट में चम्बल के ऊपर ——की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० २०।

पुलिस—
प्र० वि०—एन० सी० सी० में शिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के———सब-इन्सपेक्टर्स के चुनाव के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० १२२, पृ० २३३।
प्र० वि० कर्णप्रयाग, जिला गढ़वाल में ———की ज्यादती। खं० १२२, पृ० २४१–२४२।

पुलिस कर्मचारियों—
प्र० वि०———पर चलाये गये अभियोग। खं० १२२, पृ० २४८।

पूंजी की लागत—
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८२— कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस-सर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर———खं० १२२, पृ० ६६—६८।

पूर्वी जिलों—
प्र० वि०———में नलकूपों की जिलेवार संख्या। खं० १२२, पृ० १६–१७।

प्रचारकों—
प्र० वि०—मद्य निषेध———की नियुक्ति खं० १२२, पृ० २२।

प्रतिबन्ध—
प्र० वि०——जिला कलेक्टर के टी० ए० पर—। खं० १२२, पृ० १७९—१८०।

प्रतिवेदन—
श्री राजनारायण, श्री रामनारायण त्रिपाठी तथा श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का ———। खं० १२२, पृ० २६१–२६५।

प्रदेशीय सरकार—
प्र० वि०—आम चुनाव में——— का कुल व्यय। खं० १२२, पृ० १२।

प्रश्नोत्तर
कन्हैयालाल वल्मीकि, श्री—
मुहल्ला कुतुबपुर, थाना हसनगंज के सिपाहियों द्वारा वाल्मीकियों पर अत्याचार। खं० १२२, पृ० २५४।

कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री—
बनारस क्वीन्स कालेज के हाते का

[प्रश्नोत्तर]

शिलास्तम्भ। खं० १२२, पृ० २५५।

कृष्ण शरण आर्य, श्री—

रामपुर की रजा तथा बुलन्द चीनी मिलों से प्राप्त शकर महसूल। खं० १२२, पृ० १७८–१७९।

रामपुर के राजकीय प्रेस की मशीनों का मूल्य। खं० १२२, पृ० १७९।

रामपुर जिले में कोसी नदी के लालपुर बांध का कार्य। खं० १२२, पृ० २१।

विलीन रामपुर राज्य में स्टैंडर्ड रेट्स लागू किये जाने का सुझाव। खं० १२२, पृ० १०४–१०५।

केवल सिंह, श्री—

जाति विशेष के नाम पर चलने वाली शिक्षा संस्थायें। खं० १२२, पृ० २५१।

पाठ्यक्रम में गांधी साहित्य का स्थान। खं० १२२, पृ० २५१।

केशव पांडेय, श्री

गोरखपुर में निर्माण विभाग द्वारा कार्य। खं० १२२, पृ० १९।

कैलाश प्रकाश श्री—

भाकरा नागल बांध से प्राप्त की गई बिजली की दर। खं० १२२, पृ० २१–२२।

खुशीराम, श्री—

अल्मोड़ा जिले में पिथौरागढ़ अस्पताल का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० ९९–१००।

कर्णप्रयाग, जिला गढ़वाल में पुलिस की ज्यादती। खं० १२२, पृ० २४१–२४२।

गंगाधर मैठाणी, श्री—

संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक। खं० १२२, पृ० २५८।

गंगाधर शर्मा, श्री—

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, बनारस के प्रिंसिपल की नियुक्ति। खं० १२२, पृ० २४४–२४५।

गंगा प्रसाद सिंह, श्री—

बलिया जिले के छिछोरकांड में मारे गये व्यक्ति। खं० १२२, पृ० २५०–२५१।

बलिया जिले में नलकूप योजना का प्रारम्भ। खं० १२२, पृ० २३।

गुप्तार सिंह, श्री—

सचिवालय में हिन्दी टाइपराइटरों का प्रयोग। खं० १२२, पृ० १७५–१७६।

गेंदा सिंह, श्री—

गोरखपुर रीजनल कन्सिलिएशन आफिस के सरकारी माली से निजी काम लेना। खं० १२२, पृ० २३९–२४०।

चीनी मिल के कर्मचारियों का बैठकी भत्ता। खं० १२२, पृ० २५७।

तमकुही रोड चीनी मिल और भटनी केन यूनियन क्षेत्र में गन्ना पेरने का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० १७४–१७५।

चित्तरसिंह, निरंजन, श्री—

म्युनिसिपल बोर्ड कोंच के नव निर्वाचित चैयरमैन पर आरोप। खं० १२२, पृ० १०२।

चुन्नीलाल सगर, श्री—

बदायूं नगरपालिका द्वारा दी गयी हरिजन छात्रवृत्ति के वितरण में असंतोष। खं० १२२, पृ० २४९।

जगदीश प्रसाद, श्री—

जिलाधीश को अध्यक्ष जिला बोर्ड से मिलने के सम्बन्ध में आज्ञा। खं० १२२, पृ० १७८।

जवाहरलाल, श्री—

चन्द्रप्रभा बांध पर काम करने वाले कैदियों पर व्यय। खं० १२२, पृ० २५१–२५२।

जवाहरलाल रोहतगी, डा०—

१९४९ की यू० पी० आरफनेज़ ऐंड विडोज़ कमेटी की रिपोर्ट। खं० १२२, पृ० १००–१०१।

झारखंडे राय, श्री—

जेलों में चालू कपड़े बुनने के कारखाने खं० १२२, पृ० २३३–२३४।

देहरादून के चाय बागानों के मजदूरों का स्मरण-पत्र। खं १२२, पृ० २४७।

पटरी दूकानदार संघ बलिया की म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ शिकायत। खं० १२२, पृ० १००।

दीनदयालु शास्त्री, श्री—

रुड़की में सब-जेल का निर्माण। खं० १२२, पृ० २३६।

रुड़की विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का त्यागपत्र। खं० १२२, पृ० २०।

रुड़की विश्वविद्यालय में प्रति मास प्रति विद्यार्थी का व्यय। खं० १२२, पृ० २०–२१।

हरिद्वार से लक्सर स्टेशन तक पक्की सड़क का निर्माण। खं० १२२, पृ० १२।

देवकीनन्दन विभव, श्री—

अपराध अन्वेषण के लिये स्काटलैंडयार्ड के कुत्तों की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० २४३।

आगरा ज़िले में सिंचाई के कार्यों के लिये स्वीकृत धन। खं० १२२, पृ० २४।

सम्पूर्णानन्द शिविर में बन्दियों का कार्य। खं० १२२, पृ० २४३–२४४।

देवमूर्तिराम, श्री—

हेड कान्सटेबिलों की तरक्की के नियम। खं० १२२ पृ० २४२–२४३।

धर्म सिंह, श्री—

गाज़ियाबाद से ओखला होती हुई नई देहली तक सड़क बनाने की योजना। खं० १२२, पृ० २४।

जाति के नाम पर चलने वाली शिक्षा संस्थायें। खं० १२२, पृ० २४८–२४९।

ज़िला बुलन्दशहर के अन्डर ट्रायल कैदी। खं० १२२, पृ० २४८।

ज़िला बुलन्दशहर में राजनीतिक पीड़ित परिवारों के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां। खं० १२२, पृ० २५७।

बुलन्द शहर ज़िले में नलकूपों का निर्माण। खं० १२२, पृ० १२–१३।

बुलन्द शहर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को शिक्षा के लिये सहायता। खं० १२२ पृ० २५३–२५४।

नरोत्तम सिंह, श्री—

थाना अलापुर, ज़िला बदायूं के अन्तर्गत डकैतियां। खं० १२२, पृ० २४५।

नागेश्वर द्विवेदी, श्री—

जौनपुर ज़िले में सुजानगंज औषधालय के लिये डाक्टर की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० ९८—९९।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जौनपुर ज़िले की सड़कों का निर्माण। खं० १२२, पृ० २२–२३।

शरणार्थी छात्रों को शिक्षा शुल्क से मुक्त करने का आदेश। खं० १२२, पृ० २३७।

[प्रश्नोत्तर]

नारायणदत्त तिवारी, श्री—

कुमायूं सिंचाई योजना के अन्तर्गत बनाई गयी नहरें। खं० १२२, पृ० १४–१५।

तराई-भावर में गन्ने को पेरने का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० १७७–१७८।

लीलावती पन्त राजकीय माध्यमिक विद्यालय भीमताल (जिला नैनीताल) में स्थानाभाव। खं० १२२, पृ० २५२।

पुत्तूलाल, श्री—

आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना तथा उस पर व्यय। खं० १२२, पृ० १०२–१०४।

आगरा जिले में नलकूपों के बनाने का निश्चय। खं० १२२, पृ० २३।

मद्य-निषेध प्रचारकों की नियुक्ति। खं० १२२, पृ० २२।

बद्री नारायण मिश्र, श्री—

नैनीताल तराई-भावर के छोटे गन्ना उत्पादकों के गन्ने की बिक्री के लिये योजना। खं० १२२, पृ० १७१–१७२।

बलवन्त सिंह, श्री—

जिला कलेक्टर के टी० ए० पर प्रतिबन्ध। खं० १२२ पृ० १७९–१८०।

बैजनाथ प्रसाद, सिंह श्री—

सिकन्दरपुर–बलिया सड़क को पक्की बनाने की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० १०२।

बलिया जिले की सिकन्दरपुर–खेती सड़क की मरम्मत की आवश्यकता। खं० १२२ प० १०१–१०२।

भगवान सहाय, श्री—

एन० सी० सी० में शिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के पुलिस सब-इन्स्पेक्टर्स के चुनाव के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० १२२, पृ० २३३।

दारुलशफा विधायक निवास के फरनीचर के लिये टेंडर। खं० १२२, पृ० ६।

महाराज सिंह, श्री—

मैनपुरी जिले में नहरों से सिंचाई। खं० १२२, पृ० २४–२५।

महीलाल, श्री—

मुरादाबाद जिले में हरिजनों को कुंयें बनवाने के लिये स्वीकृत धन। खं० १२२, पृ० २५६।

मुरादाबाद राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल को डिग्री कालेज बनाने का एकत्रित चन्दा। खं० १२२, पृ० २५६।

मान्धाता सिंह, श्री—

हल्दी थाना, जिला बलिया के निर्माण के लिये जमीन। खं० १२२, पृ० २४६।

मुरलीधर कुरील, श्री—

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में सिंचाई के नये साधन। खं० १२२, पृ० १७–१८।

रणंजय सिंह, श्री—

सुल्तानपुर व प्रतापगढ़ जिलों में संस्कृत पाठशालाओं को वार्षिक सहायता। खं० १२२, पृ० २४९–२५०।

रमेश चन्द्र शर्मा, श्री—

ग्राम पंचायतों का चुनाव। खं० १२२, पृ० १०५।

जौनपुर जिले की कुछ कच्ची सड़कों को पक्की करवाने का सुझाव। खं० १२२, पृ० ७–८।

जौनपुर जिले में नवीन औषधालयों की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० ९८।

रामकुमार शास्त्री, श्री—

पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रस्ताव। खं० १२२, पृ० ९५।

रामदास रविदास, श्री—

गवर्नमेंट जे० टी० सी० कालेज, फैजाबाद के लिये परिगणित जाति के उम्मीदवार। खं० १२२, पृ० २४७।

जिला फैजाबाद में नलकूपों का निर्माण खं० १२२, पृ० १३।

टांडा म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों के लिये सरकारी सहायता। खं० १२२, पृ० १०१।

रामनरेश शुक्ल, श्री—

परगना बिहार जिला प्रतापगढ़ में बकुलाही नदी को रोक कर सिंचाई का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० २३–२४।

राम सहाय शर्मा, श्री—

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों और इंटर कालेजों को सहायता। खं० १२२, पृ० २५७।

रामसुन्दर पांडेय, श्री—

पश्चिमी और पूर्वी जिलों में ट्यूबवेल्स की लागत और सिंचाई की दर। खं० १२२, पृ० ८–१०।

रामसुभग वर्मा, श्री—

कसिया, जिला देवरिया में बंदीगृह बनने का आयोजन। खं० १२२, पृ० २५७–२५८।

लक्ष्मणराव कदम,

ग्राम पंचायतों का चुनाव। खं० १२२, पृ० ९५–९६।

झांसी जिला बोर्ड के विद्यार्थियों पर वार्षिक टैक्स। खं० १२२, पृ० २४५–२४६।

माताटीला बांध के निर्माण में लगे हुये मजदूरों की मजदूरी। खं० १२२, पृ० ११।

सरकारी कर्मचारियों के कार्यकाल में वृद्धि के नियम। खं० १२२, पृ० १७३–१७४।

सरकारी कार्यालयों के लिये बरेली से फरनीचर खरीदने का आदेश। खं० १२२, पृ० १७६–१७७।

लालबहादुर सिंह, श्री—

आम चुनाव में प्रदेशीय सरकार का कुल व्यय। खं० १२२, पृ० १२।

ज्ञानपुर, रामपुर, नैनीताल सरकारी डिग्री कालेजों पर व्यय। खं० १२२, पृ० २५६।

राज्य में कत्ल व डकैतियां। खं० १२२, पृ० २५६।

[प्रश्नोत्तर]

व्रजभूषण मिश्र, श्री—

दुद्धी तहसील, जिला मिर्जापुर में भूसुड़ का आतंक। खं० १२२, पृ० १७२—१७३।

व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री—

उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग विकास। खं० १२२, पृ० १७०—१७१।

शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री—

नारंगीबाह घाट में जमुना के ऊपर तथा पिनाहट में चम्बल के ऊपर पुल की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० २०।

हैंडलूम के बने हुये, छपे तथा रंगीन कपड़ों पर सेल्स टैक्स। खं० १२२, पृ० २०।

शिवकुमार शर्मा, श्री—

नैनीताल बैंक की रामनगर शाखा में डाका पड़ने के कारण गिरफ्तारियां। खं० १२२, पृ० २३७—२३९।

प्रान्त के कुष्ट रोग के मरीजों के इलाज का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० ९६—९८।

शिवनारायण, श्री—

पूर्वी जिलों में नलकूपों की जिलेवार संख्या। खं० १२२, पृ० १६—१७।

शुकदेव प्रसाद, श्री—

पुलिस कर्मचारियों पर चलाये गये अभियोग। खं० १२२, पृ० २४८।

श्रीचन्द, श्री—

गन्ना फैक्टरियों के दुर्गन्धित जल के निकास का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० २३४, २३५।

जिला मुजफ्फरनगर में डकैतियां। खं० १२२, पृ० २५५—२५६।

मुजफ्फरनगर जिले के निर्माण कार्य पर सन् १९५१—५२ में व्यय। खं० १२२, पृ० १८।

मुजफ्फरनगर जिले में भारसी पुल से नाला ग्राम तक मार्ग बन्द होने से किसानों को कष्ट। खं० १२२, पृ० ६—७।

शामली तथा कांधला, मुजफ्फरनगर में शरणार्थियों का पुनर्वासन खं० १२२, पृ० १६९—१७०।

श्रीनाथराम, श्री—

गृहविहीन और खानाबदोशों की संख्या। खं० १२२, पृ० २४०—२४१।

सीताराम शुक्ल, श्री—

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् ललित कलाकारों का भविष्य। खं० १२२, पृ० ५।

सुरेश प्रकाश सिंह, श्री—

बिसवां का माडल थाना। खं० १२२, पृ० २५५।

सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री—

रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के आफिस के कर्मचारी। खं० १२२, पृ० २५४—२५५।

हरदयाल सिंह पिपल, श्री—

हरिजनों को मकान बनवाने के लिये सहायता। खं० १२२, पृ० २५३।

हरिप्रसाद, श्री—

पीलीभीत के शहर कोतवाल द्वारा एक आदमी का जिन्दा जलाया जाना। खं० १२२, पृ० २३५–२३६।

हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री—

इलाहाबाद जिले की सड़कों को पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत पक्की करने का निश्चय। खं० १२२, पृ० १५–१६।

प्रस्ताव—

प्र० वि०—पंचायत राज विभाग के कर्म-चारियों को स्थायी करने का———। खं० १२२, पृ० ९५।

प्रार्थना-पत्र—

प्र० वि०—एन० सी० सी० में शिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के पुलिस सब-इन्स्पेक्टर्स के चुनाव के लिये———। खं० १२२, पृ० २३३।

प्रिंसिपल—

प्र० वि०—राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, बनारस, के———की नियुक्ति। खं० १२२, पृ० २४४–२४५।

प्रेस—

प्र० वि०—रामपुर के राजकीय——— की मशीनों का मूल्य। खं० १२२, पृ० १७९।

प्रोत्साहन—

कर्घा उद्योग की रक्षा तथा——— के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २८१–३०२।

फ

फर्नीचर—

प्र० वि०—दारुलशफा विधायक निवास के ———के लिये टेंडर। खं० १२२, पृ० ६।

प्र० वि०—सरकारी कार्यालयों के लिये बरेली से——— खरीदने का आदेश। खं० १२२, पृ० १७६–१७७।

ब

बकुलाही नदी—

प्र० वि०—परगना बिहार, जिला प्रतापगढ़ में———को रोक कर सिंचाई का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० २३–२४।

बदायूं नगरपालिका—

प्र० वि०—द्वारा दी गयी हरिजन छात्रवृति के वितरण में असंतोष। खं० १२२, पृ० २४९।

बद्रीनारायण मिश्र, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

बन्दियों—

प्र० वि०—सम्पूर्णानन्द शिविर में——— का कार्य। खं० १२२, पृ० २४३–२४४।

बन्दीगृह—

प्र० वि०—कसिया, जिला देवरिया में———बनने का आयोजन। खं० १२२, पृ० २५७–२५८।

बलवन्त सिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २९०–२९३।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मत-दान—अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ४७—विविध (वाहन) विभाग और ४४-उड्डयन। खं० १२२, पृ० ४३–४५।

बलिया—
आजमगढ़, गाजीपुर,————जौनपुर आदि जिलों में खेतिहर मजदूरों अथवा किसानों में असंन्तोष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १२२, पृ० २५८–२६०।

बशीर अहमद हकीम, श्री—
कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २८१, २८३, –२८४, २८५, ३०२।

बसन्त लाल शर्मा, श्री—
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० २१०–२११।
कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २९८–२९९।

बस-सर्विसों—
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४९–लेखा शीर्षक ८२–कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी————पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत। खं० १२२, पृ० ६६–६८।

बिक्री—
प्र० वि०———नैनीताल तराई-भावर के छोटे गन्ना उत्पादकों के गन्ने की——— के लिये योजना। खं० १२२, पृ० १७१–१७२।

बिजली—
प्र० वि०—भाकरा नागल बांध से प्राप्त की गई———की दर। खं० १२२, पृ० २१–२२।

बिल—
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन———), १९५३। खं० १२२, पृ० १०५–१३२।

बुलन्दशहर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड—
प्र० वि०————को शिक्षा के लिये सहायता। खं० १२२, पृ० २५३–२५४।

बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

बैठक—
आगामी शनिवार को सदन की———करने के सम्बन्ध में सुझाव। खं० १२२, पृ० १६३,–१६४।

बैठकी भत्ता—
प्र० वि० चीनी मिल के कर्मचारियों का ———। खं० १२२, पृ० २५७।

भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)—
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, (एप्रोप्रियेशन बिल), १९५३। खं० १२२, पृ० ११४।
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता। खं० १२२, पृ० ६१–६२।

भगवान सहाय, श्री
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

भाकरा नागल बांध—
प्र० वि० ——— से प्राप्त की गई बिजली की दर। खं० १२२, पृ० २१–२२।

भारसी पुल—
प्र० वि०—मुजफ्फरनगर जिले में——— से नाला ग्राम तक मार्ग बन्द होने से किसानों को कष्ट। खं० १२२, पृ० ६–७।

भूपाल सिंह खाती, श्री—
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ७–लेखा शीर्षक २१–

मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ४७–विविध (वाहन) विभाग और ४४–उड्डयन। खं० १२२, पृ० ३९–४०, ५२।

भूसुड़—

प्र० वि०——दुद्धी तहसील, जिला मिर्जापुर में——का आतंक। खं० १२२, पृ० १७२–१७३।

म

मंगला प्रसाद, श्री—

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, (ऐप्रोप्रियेशन बिल), १९५३, खं० १२२ पृ० ११०।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या २८–लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता। खं० १२२, पृ० ५४–५७, ६२–६४, ६५–६६।

मकान—

प्र० वि०—हरिजनों को———बनवाने के लिये सहायता। खं० १२२, पृ० २५३।

मजदूरी—

प्र० वि०—माताटीला बांध के निर्माण में लगे हुये मजदूरों की—। खं० १२२, पृ० ११।

मजदूरों—

प्र० वि०—देहरादून के चाय बागानों के ——का स्मरण-पत्र। खं० १२२, पृ० २४७।

प्र० वि०—माताटीला बांध के निर्माण में लगे हुये———की मजदूरी। खं० १२२, पृ० ११।

मतदान—

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर——अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१–लेखा शीर्षक ४७–विविध (वाहन) विभाग और ४४–उड्डयन खं० १२२, पृ २६–५३।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर——अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४२–सहकारिता। खं० १२२, पृ० ५४–६६।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर——अनुदान संख्या ४९–लेखा शीर्षक ८२– कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस-सर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत। खं० १२२, पृ० ६६–६८।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर ———। खं० १२२, पृ० २६–६८।

मदन मोहन उपाध्याय, श्री—

उत्तर प्रदेश राज बन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० २०२–२०५, २१३, २२६।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, (ऐप्रोप्रियेशन बिल), १९५३। खं० १२२, पृ० ७१, १०५–१०७, १०७–१०८, १०८–१०९, १०९–११०, १११, १२३,।

कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २६४।

यू० पी० मोटर विहिकल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५, के नियम ३९ में प्रस्तावित

मदनमोहन उपाध्याय, श्री---
संशोधन पर विचार। खं० १२२, पृ० १३३, १३४।
वित्तीय वर्ष १९५३--५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मत-दान- अनुदान संख्या ७-- लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक ४७-- विविध (वाहन) विभाग और ४४-- उड्डयन। खं० १२२, पृ० ३२--३४, ४७, ५१--५२, ५२--५३।

मद्य निषेध---
प्र० वि०---प्रचारकों की नियुक्ति। खं० १२२, पृ० २२।

मरम्मत---
प्र० वि०---बलिया जिले की सिकन्दपुर-खेती सड़क की---की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० १०१--१०२।

मरीजों---
प्र० वि०---प्रान्त के कुष्ट रोग के --- के इलाज का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० ९६--९८।

मशीनों---
प्र० वि०-----रामपुर के राजकीय प्रेस की-----का मूल्य। खं० १२२, पृ० १७९।

महसूल---
प्र० वि०---रामपुर की रजा तथा बुलन्द चीनी मिलों से प्राप्त शकर-----। खं० १२२, पृ० १७८--१७९।

महाराज सिंह, श्री---
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

महीलाल, श्री---
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मांगों---
वित्तीय वर्ष १९५३--५४ के आय-व्यय में अनुदानों के लिये --- पर मत-दान। खं० १२२, पृ० २६--६८।

माडल थाना---
प्र० वि०---विसवां का -------। खं० १२२, पृ० २५५।

माताटीला बांध---
प्र० वि० ------ के निर्माण में लगे हुये मजदूरों की मजदूरी। खं० १२२, पृ० ११।

मान्धाता सिंह, श्री---
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मार्ग---
प्र० वि०---मुजफ्फरनगर जिले में भारसी पुल से नाला ग्राम तक---- बन्द होने से किसानों को कष्ट। खं० १२२, पृ० ६--७।

माली---
प्र० वि०---गोरखपुर रीजनल कन्सिलिएशन आफिस के सरकारी ---- से निजी काम लेना। खं० १२२, पृ० २३९--२४०।

मुरलीधर कुरील, श्री---
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज---
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल), १९५३। खं० १२२, पृ० ६८, ६९, ७०, ७१, १०५, ११४--११६, ११९, १२२, १२५, १३१ १३२।

मुहम्मद रऊफ़ जाफरी, श्री---
कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २९९--३०२।

मूल्य---
प्र० वि०---रामपुर के राजकीय प्रेस की मशीनों का-----। खं० १२२, पृ० १७९।

मेज पर रखा जाना—
संयुक्त प्रान्तीय कृषि आय-कर नियम १९४९ के नियम २८ में प्रस्तावित संशोधन से सम्बद्ध विज्ञप्ति की प्रतिलिपि का ———। खं० १२२, पृ० १०५।

मोटर गाड़ियों के ऐक्टों—
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ७–लेखा शीर्षक १२———के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१–लेखा शीर्षक ४७–विविध (वाहन) विभाग और ४४–उड्डयन। खं० १२२, पृ० २६–५३।

मोटर विहिकिल्स—
यू० पी० ———टैक्सेशन रूल्स, १९३५ के नियम ३९ में प्रस्तावित संशोधन पर विचार। खं० १२२, पृ० १३२–१३५।

म्युनिसिपल बोर्ड—
प्र० वि०—टांडा———की सड़कों के लिए सरकारी सहायता। खं० १२२, पृ० १०१।

म्युनिसिपैलिटी—
प्र० वि०—'पटरी दूकानदार संघ' बलिया की———के खिलाफ शिकायत। खं० १२२, पृ० १००।

र

रक्षा—
कर्घा उद्योग की———तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २८१–३०२।

रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन—
प्र० वि०———के आफिस के कर्मचारी। खं० १२२, पृ० २५४–२५५।

रणंजय सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १५३–१५४।

रतन लाल जैन, श्री—
उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १४३–१४४।

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० २६५।
गांवों में दगड़े बनाने के सम्बन्ध में संकल्प खं० १२२, पृ० ३०३।
मड़ियाहू थाना, जिला जौनपुर के अन्तर्गत डाके तथा चोरियां। खं० १२२, पृ० २३६–२३७।

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय—
प्र० वि०———बनारस के प्रिंसपल की नियुक्ति। खं० १२२, पृ० २४४–२४५।

राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल—
प्र० वि०—मुरादाबाद—को डिग्री कालेज बनाने का एकत्रित चन्दा। खं० १२२, पृ० २५६।

राजनारायण, श्री—
आगामी शनिवार को सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में सुझाव। खं० १२२, पृ० १६४।
उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १३७, १३८–१३९, १४०–१४३, १४५, १४७।
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० १८२–१८६।
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल), १९५३। खं०

[राजनारायण, श्री]
१२२, पृ० ७०,१२१, १३१–१३२।

कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २८५।

कार्यक्रम में परिवर्तन करने का सुझाव। खं० १२२, पृ० २८१।

कार्यसूची के क्रम में परिवर्तन। खं० १२२, पृ० १३५।

यू० पी० मोटर विहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ के नियम ३९ में प्रस्तावित संशोधन पर विचार। खं० १२२, पृ० १३३-१३४।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मत-दान- अनुदान संख्या २८–लेखा शीर्षक ४२–सहकारिता। खं० १२२, पृ० ५८–५९, ६४-६५।

——श्री रामनारायण त्रिपाठी तथा श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषा-धिकार समिति का प्रतिवेदन। खं० १२२, पृ० २६१–२६५।

राजनीतिक पीड़ित परिवारों—
प्र० वि०—जिला बुलन्दशहर में—— के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां। खं० १२२, पृ० २५७।

राजबन्दी—
उत्तर प्रदेश——विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० १८०–२२६, २६५–२८०।

राधामोहन सिंह, श्री
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० २२०–२२१।

रामकुमार शास्त्री, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
उत्तर प्रदेश राजबवदी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० १९९–२००।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मत-दान- अनुदान संख्या ७–लेखा शीर्षक १२–मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१–लेखा शीर्षक ४७–विविध (वाहन) विभाग और ४४–उड्डयन। खं० १२२ पृ० ४५–४६।

रामदास आर्य, श्री—।
कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २९३–२९४।

रामदास रविदास श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

रामनरेश शुक्ल, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० १९१–१९५, २७२।

कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २८५।

कार्यक्रम में परिवर्तन करने का सुझाव। खं० १२२, पृ० १८१।

रामनारायण त्रिपाठी, श्री—
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० २००-२०२।

कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २८५–२८८।

श्री राजनारायण, श्री — तथा श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन। खं० १२२, पृ० २६१–२६५।

रामभजन शर्मा, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

युद्धोत्तर निर्माण योजना के अन्तर्गत जिला खीरी में सड़कों का निर्माण। खं० १२२, पृ० १८–१९।

रामसहाय, शर्मा श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

रामसुन्दर पांडेय, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर आदि जिलों में खेतिहर मजदूरों अथवा किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १२२, पृ० २५८, २५९, २६०।
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० १९६–१९९।

रामसुभग वर्मा, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १५९–१६०।

रामस्वरूप गुप्त, श्री—
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या २८–लेखा शीर्षक ४२–सहकारिता। खं० १२२, पृ० ५९–६१।

रिपोर्ट—
प्र० वि०—१९४९ की यू० पी० आरफनेज एँड विडोज कमेटी की—। खं० १२२, पृ० १००–१०१।

रीजनल कन्सिलिएशन आफिस—
प्र० वि०—गोरखपुर—आफिस के सरकारी माली से निजी काम लेना। खं० १२२, पृ० २३९–२४०।

रुड़की विश्वविद्यालय—
प्र० वि० — के उपकुलपति का त्यागपत्र। खं० १२२, पृ० २०।
प्र० वि० — में प्रति मास प्रति विद्यार्थी का व्यय। खं० १२२, पृ० २०–२१।

रूल्स—
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टकक्सेशन —१९३५ के नियम ३९ में प्रस्तावित संशोधन पर विचार। खं० १२२, पृ० १३२–१३५।

ल

लक्ष्मणराव कदम, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री—
उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १५४–१५७।

लालपुर बांध—
प्र० वि०—रामपुर जिले में कोसी नदी के — का कार्य। खं० १२२, पृ० २१।

लालबहादुर सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

लीलावती पन्त राजकीय माध्यमिक विद्यालय—
प्र० वि०—भीमताल (जिला नैनीताल) में स्थानाभाव। खं० १२२, पृ० २५२।

व

विकास—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग———। खं० १२२, पृ० १७०–१७१।

विकास व नियोजन समिति—
कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा। खं० १२२, पृ० १६३।

विचित्र नारायण शर्मा, श्री—
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, (एप्रोप्रियेशन बिल), १९५३। खं० १२२, पृ० १३२।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ के नियम ३९ में प्रस्तावित संशोधन पर विचार। खं० १२२, पृ० १३३-१३४।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२—मोटर गड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ४७—विविध (वाहन) विभाग और ४४—उड्डयन। खं० १२२, पृ० २६–३२, ४७–५०, ५१।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८२—कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बससर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत। खं० १२२, पृ० ६६।

विज्ञप्ति—
संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर नियम १९४९ के नियम २८ में प्रस्तावित संशोधन से सम्बद्ध———की प्रतिलिपि का मेज पर रखा जाना। खं० १२२, पृ० १०५।

विडोज—
प्र० वि०—१९४९ की यू० पी० आरफनेज ऐंड—कमेटी की रिपोर्ट। खं० १२२, पृ० १००।

वित्त समिति—
—के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा। खं० १२२, पृ० २६१।

१९५३–५४ की — के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना। खं० १२२, पृ० १६१।

विद्यार्थियों—
प्र० वि०—जिला बुलन्दशहर में राजनीतिक पीड़ित परिवारों के — को छात्रवृत्तियां। खं० १२२, पृ० २५७।

प्र० वि०—झांसी जिला बोर्ड——पर वार्षिक टैक्स। खं० १२२, पृ० २४५–२४६।

विद्यार्थी—
प्र० वि०—रुड़की विश्वविद्यालय में प्रति मास प्रति — का व्यय। खं० १२२, पृ० २०–२१।

विधान सभा—
———के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष सम्बन्धी संकल्प को स्थगित करने का सुझाव। खं० १२२, पृ० १८०।

विधेयक—
उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) ———१९५३। खं० १२२, पृ० १३६–१६१।

उत्तर प्रदेश राजबन्दी———१९५२। खं० १२२, पृ० १८०–२२६, २६५–२८०।

उत्तर प्रदेश विनियोग —— (ऐप्रोप्रियेशन बिल), १९५३। खं० १२२, पृ० ६८–७१, १०५–१३२।

घूस निवारक———के सम्बन्ध में सूचना। खं० १२२, पृ० २६१।

विनियोग——

उत्तर प्रदेश —— विधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल), १९५३। खं० १२२, पृ० ६८–७१, १०५–१३२।

विशेषाधिकार की अवहेलना——

श्री राजनाराण, श्री रामनारायण त्रिपाठी तथा श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा—— के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन। खं० १२२, पृ,० २६१–२६५।

विशेषाधिकार समिति——

श्री राजनारायण, श्री रामनारायण त्रिपाठी तथा श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर ———का प्रतिवेदन। खं० १२२, पृ० २६१–२६५।

वीरेन्द्र शाह, राजा——

उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १४४–१४५।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल) १९५३। खं० १२२, पृ० १११–११३।

कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २९७।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या ७–लेखा शीर्षक १२–मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१——लेखा शीर्षक ४७——विविध (वाहन) विभाग और ४४–उड्डयन। खं० १२२, पृ० ३७–३८।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन। खं० १२२, पृ० २५।

व्यय——

प्र० वि०——आम चुनाव में प्रदेशीय सरकार का कुल——। खं० १२२, पृ० १२।

प्र० वि०——चन्द्रप्रभा बांध पर काम करने वाले कैदियों पर——। खं० १२२, पृ० २५१–२५२।

प्र० वि०——ज्ञानपुर, रामपुर, नैनीताल सरकारी डिग्री कालेजों पर व्यय। खं० १२२, पृ० २५६।

प्र० वि०–मुज़फ़्फ़रनगर जिले के निर्माण कार्य में सन् १९५२–५३ में——। खं० १२२, पृ० १८।

प्र० वि०——रुड़की विश्वविद्यालय में प्रति मास प्रति विद्यार्थी का——। खं० १२२, पृ० २०–२१।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या ७–लेखा शीर्षक १२ मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण——तथा अनुदान संख्या ३१–लेखा शीर्षक ४७–विविध (वाहन) विभाग और ४४–उड्डयन। खं० १२२, पृ० २६–५३।

व्रज भूषण मिश्र, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश कृषिआयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० ११२ पृ० १५९।

[ब्रज भूषण मिश्र, श्री—]
कार्य सूची के क्रम में परिवर्तन। खं० १२२, पृ० १३६।

ब्रज विहारी मेहरोत्रा, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

कार्य सूची के क्रम में परिवर्तन। खं० १२२, पृ० १३६।

वित्तीय वर्ष १९५३—५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मत-दान- अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता। खं० १२२, पृ० ६५।

श

शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री—
देखिये "प्रनोत्तर"।

वित्तीय वर्ष १९५३—५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मत-दान- अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१— लेखा शीर्षक ४७—विविध (वाहन) विभाग और ४४-उड्डयन। खं० १२२, पृ० ४०—४२।

शरणार्थियों—
प्र० वि०-शामली तथा कांधला, मुजफ्फर-नगर में——— का पुनर्वासन। खं० १२२, पृ० १६९—१७०।

शरणार्थी छात्रों—
प्र० वि०—शरणार्थी छात्रों को शिक्षा शुल्क से मुक्त करने का आदेश। खं० १२२, पृ० २३७।

शरणार्थी समिति—
कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा। खं० १२२, पृ० १६३।

शहर कोतवाल—
प्र० वि० पीलीभीत के ——— द्वारा एक आदमी का जिन्दा जलाया जाना। खं० १२२, पृ० २३५-२३६।

शिकायत—
प्र० वि०—"पटरी दूकानदार संघ" बलिया की म्युनिसिपेलिटी के खिलाफ————। खं० १२२, पृ० १००।

शिक्षा —
प्र० वि०—बुलन्दशहर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ——— के लिये सहायता। खं० १२२, पृ० २५३—२५४।

शिक्षा शुल्क—
प्र० वि०—शरणार्थी छात्रों को———— से मुक्त करने का आदेश। खं० पृ० २३७।

शिक्षा संस्थाएं—
प्र० वि०—जाति के नाम पर चलने वाली ———। खं० १२२, पृ० २४८—२४९।

प्र० वि०—जाति विशेष के नाम पर चलने वाली ———। खं० १२२, पृ० २५१।

शिलास्तम्भ—
प्र० वि०—बनारस क्वीन्स कालेज के हाते का ———। खं० १२२, पृ० २५५।

शिवकुमार शर्मा, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

शिवनाथ काटजू, श्री—
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० १८६।

शिवनारायण श्री—
देखिये 'प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश कृषिआयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १४५, १४५—१४७, १५८।

उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० २२१।

कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १२२, पृ० २९६–२९७, २९७–२९८।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मत-दान अनुदान संख्या ७–लेखा शीर्षक १२ –मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१–लेखा शीर्षक ४७–विविध (वाहन) विभाग और ४४ उड्डयन। खं० १२२, पृ० ४६–४७।

शिवराम राय, श्री—

उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० २११–२१३।

शुकदेव प्रसाद, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

श्रम समिति—

——के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम। खं० १२२, पृ० २२६।

श्रीचन्द, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

स

संकल्प—

कर्घा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में——। खं० १२२, पृ० २८१–३०२।

गांवों में दगड़े बनाने के सम्बन्ध में——। खं० १२२, पृ० ३०३।

विधान सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष सम्बन्धी —— को स्थगित करने का सुझाव। खं० १२२, पृ० १८०।

संख्या—

प्र० वि०—गृहविहीन और खानाबदोशों की——। खं० १२२, पृ० २४०–२४१।

प्र० वि०—पूर्वी ज़िलों में नलकूपों की ज़िलेवार ——। खं० १२२, पृ० १६–१७।

संस्कृत पाठशालाओं—

प्र० वि०—संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक। खं० १२२, पृ० २५८।

प्र० वि०—सुल्तानपुर व प्रतापगढ़ ज़िलों में —— को वार्षिक सहायता। खं० १२२, पृ० २४९–२५०।

सचिवालय—

प्र० वि०——में हिन्दी टाइपराइटरों का प्रयोग। खं० १२२, पृ० १७५–१७६।

सड़क—

प्र० वि०—गाज़ियाबाद से ओखला होती हुई नई देहली तक —— बनाने की योजना। खं० १२२, पृ० २४।

प्र० वि०—बलिया ज़िले की सिकन्दरपुर-खेती —— की मरम्मत की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० १०१–१०२।

प्र० वि०—सिकन्दरपुर बलिया —— को पक्की बनाने की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० १०२।

प्र० वि०—हरिद्वार से लक्सर स्टेशन तक पक्की —— का निर्माण। खं० १२२ पृ० १२।

सड़कों—

प्र० वि०—इलाहाबाद ज़िले की—— को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत

[सड़कों]
पक्की करने का निश्चय। खं० १२२, पृ० १५–१६।
प्र० वि०—जौनपुर ज़िले में कच्ची—— को पक्की करवाने का सुझाव। खं० १२२ पृ० ७–८।
प्र० वि०—टांडा म्युनिसिपल बोर्ड को ——के लिये सरकारी सहायता। खं० १२२, पृ० १०१।
प्र० वि०—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जौनपुर ज़िले की ——का निर्माण। खं० १२२, पृ० २२–२३।
प्र० वि०—युद्धोत्तर निर्माण योजना के अन्तर्गत जिला खीरी में——का निर्माण। खं० १२२, पृ० १८–१९।

सदन—
आगामी शनिवार को—की बैठक करने के सम्बन्ध में सुझाव। खं० १२२, पृ० १६३, १६४।

सब-इन्स्पेक्टर्स—
प्र० वि०—एन० सी० सी० में शिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के पुलिस—— के चुनाव के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० १२२, पृ० २३३।

सब-जेल—
प्र० वि०—रुड़की में——का निर्माण खं० १२२, पृ० २३६।

समय विभाजन—
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये——। खं० १२२, पृ० २५।

समिति—
१९५३–५४ की वित्त समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना। खं० १२२, पृ० १६१।
१९५३–५४ की सार्वजनिक लेखा —— के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना। खं० १२२, पृ० १६१–१६२।

समितियों—
कतिपय स्थायी —— के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा। खं० १२२, पृ० १६२–१६३।

सम्पूर्णानन्द, डाक्टर—
आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आदि जिलों में खेतिहर मजदूरों अथवा किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १२२, पृ० २६०।
उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० २६८, २७५–२८०।

सम्पूर्णानन्द शिविर—
प्र० वि० —— में बन्दियों का कार्य। खं० १२२, पृ० २४३–२४४।

सरकारी सहायता—
प्र० वि०—टांडा म्युनिसिपल बोर्ड को सड़कों के लिये ——। खं० १२२, पृ० १०१।

सहकारिता—
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों के पर मत-दान, अनुदान संख्या २८–लेखा शीर्षक ४२——, खं० १२२, पृ० ५४–६६।

सहायता—
प्र० वि०—गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों और इंटर कालेजों को ——। खं० १२२, पृ० २५७।
प्र० वि०—बुलन्दशहर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को शिक्षा के लिये——। खं० १२२, पृ० २५३–२५४।
प्र० वि०—सुल्तानपुर व प्रतापगढ़ जिलों में संस्कृत पाठशालाओं को वार्षिक—। खं० १२२, पृ० २४९–२५०।

प्र० वि०—हरिजनों को मकान बनवाने के लिये सहायता। खं० १२२, पृ० २५३।

सार्वजनिक लेखा समिति—

१९५३-५४ की——के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना। खं० १२२, पृ० १६१-१६२।

सिंचाई—

प्र० वि०—आगरा जिले में——के कार्यों के लिये स्वीकृत धन। खं० १२२, पृ० २४।

प्र० वि०—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में——के नये साधन। खं० १२२, पृ० १७-१८

प्र० वि०—परगना बिहार जिला प्रतापगढ़ में बकुलाही नदी को रोक कर——का प्रबन्ध। खं० १२२, २३-२४।

प्र० वि०—मैनपुरी जिले में नहरों से——। खं० १२२, पृ० २४-२५।

सिंचाई की दर—

प्र० वि०—पश्चिमी और पूर्वी जिलों में ट्यूबवेल्स की लागत और——। खं० १२२, पृ० ८-१०।

सिंचाई योजना—

प्र० वि०—कुमायूं——के अन्तर्गत बनाई गयी नहरें। खं० १२२, पृ १४-१५।

सिपाहियों—

प्र० वि०—मुहल्ला, कुतुबपुर, थाना हसनगंज के——द्वारा वाल्मीकियों पर अत्याचार। खं० १२२, पृ० २५४।

सीताराम शुक्ल, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

सुझाव—

कार्यक्रम में परिवर्तन करने का——। खं० १२२, पृ० २८१।

विधान सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष सम्बन्धी संकल्प को स्थगित करने का——। खं० १२२, पृ० १८०।

प्र० वि०—विलीन रामपुर राज्य में स्टैंडर्ड वेट्स लागू किये जाने का——। खं० १२२, पृ० १०४-१०५।

सुरेश प्रकाश सिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३। खं० १२२, पृ० १४७-१४८, १४८-१५०।

सुल्तान आलम खां, श्री—

उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२। खं० १२२, पृ० २०१-२०२, २०४।

सूचना—

१९५३-५४ की वित्त समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में——। खं० १२२, पृ० १६१।

१९५३-५४ की सार्वजनिक लेखा समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में——। खं० १२२, पृ० १६१-१६२।

घूस निवारक विधेयक के सम्बन्ध में——। खं० १२२, पृ० २६१।

सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

[सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री]
सेल्स टैक्स—
प्र० वि०—हैंडलूम के बने हुये छपे तथा रंगीन कपड़ों पर——। खं० १२२, पृ० २०।
स्काटलैंडयार्ड—
प्र० वि०—अपराध अन्वेषण के लिये ———के कुत्तों की आवयश्कता। खं० १२२, पृ० २४३।
स्कूलों—
प्र० वि०—गैर सरकारी मान्यता प्राप्त ——और इंटर कालेजों को सहायता। खं० १२२, पृ० २५७।
स्टैंडर्ड रेट्स—
प्र० वि०—विलीन राजपुर राज्य में ——लागू करने किये जाने का सुझाव। खं० १२२, पृ० १०४ १०५।
स्थानाभाव——
प्र० वि०—लीलावती पन्त राजकीय मध्यामिक विद्यालय भीमताल (जिला नैनीताल) में—। खं० १२२, पृ० २५२।

स्थानिक प्रश्न

अल्मोड़ा—
——— जिले में पिथौरागढ़ अस्पताल का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० ९९–१००।
आगरा—
———इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना तथा उस पर व्यय। खं० १२२, पृ० १०२–१०४।
———जिले में नलकूपों के बनाने का निश्चय। खं० १२२, पृ० २३।
———जिले में सिंचाई के कार्यों के लिये स्वीकृत धन। खं० १२२, पृ० २४।
इलाहाबाद—
इलाहाबाद जिले की सड़कों को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पक्की करने का निश्चय। खं० १२२, पृ० १५–१६।
कर्णप्रयाग—
————जिला गढ़वाल में पुलिस की ज्यादती। खं० १२२, पृ० २४१–२४२।
कसिया——
———जिला देवरिया में बंदीगृह बनने का आयोजन। खं० १२२, पृ० २५७–२५८।
कांधला—
शामली तथा———, मुज़फ्फ़नगर में शरणार्थियों का पुनर्वासन। खं० १२२, पृ० १६९–१७०।
कानपुर—
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत——— जिले में सिंचाई के नये साधन। खं० १२२, पृ० १७–१८।
कुतुबपुर—
मुहल्ला ————थाना हसनगंज के सिपाहियों द्वारा वालमीकियों पर अत्याचार। खं० १२२, पृ० २५४।
कुमायूं—
———सिंचाई योजना के अन्तर्गत बनाई गयी नहरें। खं० १२२, पृ० १४–१५।
कोंच—
म्युनिसिपल बोर्ड————के नव निर्वाचित चैयरमैन पर आरोप। खं० १२२, पृ० १०२।
खीरी—
युद्धोत्तर निर्माण योजना के अन्तर्गत जिला———में सड़कों का निर्माण। खं० १२२, पृ० १८–१९।

गढ़वाल—

कर्णप्रयाग, जिला———में पुलिस की ज्यादती। खं० १२२, पृ० १४१-२४२।

गाजियाबाद——

———से ओखला होती हुई नई देहली तक सड़क बनाने की योजना। खं० १२२, पृ० २४।

गोरखपुर—

———में निर्माण विभाग द्वारा कार्य। खं० १२२, पृ० १९।

———रीजनल कन्सिलिएशन आफ़िस के सरकारी माली से निजी काम लेना। खं० १२२, पृ० २३९-२४०।

जौनपुर—

——जिले की कुछ कच्ची सड़कों को पक्की करवाने का सुझाव। खं० १२२, पृ० ७-८।

————जिले में नवीन औषधालयों की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० ९८।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत———जिले की सड़कों का निर्माण। खं० १२२, पृ० २२-२३।

मड़ियाहू थाना,———के अन्तर्गत डाके तथा चोरियां। खं० १२२, पृ० २३६-२३७।

ज्ञानपुर—

———रामपुर, नैनीताल सरकारी डिग्री कालेजों पर व्यय। खं० १२२, पृ० २५६।

झांसी—

———जिला बोर्ड के विद्यार्थियों पर वार्षिक टैक्स। खं० १२२, पृ० २४५-२४६।

टांडा—

———म्युनिसिपल बोर्ड को सड़कों के लिये सरकारी सहायता। खं० १२२, पृ० १०१।

तराई-भावर—

नैनीताल——के छोटे गन्ना उत्पादकों के गन्ने की बिक्री के लिये योजना। खं० १२२, पृ० १७१-१७२।

——में गन्ने को पेरने का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० १७७-१७८।

दुद्धी—

——तहसील, जिला मिर्जापुर में भूसुड़ का आतंक। खं० १२२, पृ० १७२-१७३।

देवरिया—

कसिया, जिला———में बन्दीगृह बनाने का आयोजन। खं० १२२, पृ० २५७-२५८।

देहरादून—

———के चाय के बागानों के मजदूरों का स्मरण-पत्र। खं० १२२, पृ० २४७।

नई देहली—

गाजियाबाद से ओखला होती हुई——तक सड़क बनाने की योजना। खं० १२२, पृ० २४।

नारंगीबाह—

———घाट में जमुना के ऊपर तथा पिनाहट में चम्बल के ऊपर पुल की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० २०।

नाला—

मुजफ़्फ़रनगर जिले में भारसी पुल से ———ग्राम तक मार्ग बन्द होने से किसानों को कष्ट। खं० १२२, पृ० ६-७।

नैनीताल—

ज्ञानपुर, रामपुर,———सरकारी डिग्री

[स्थानिक प्रश्न]
कालेजों पर व्यय। खं० १२२, पृ० २५६।

——तराई-भावर के छोटे गन्ना उत्पादकों के गन्ने की बिक्री के लिये योजना। खं० १२२, पृ० १७१–१७२।

पिथौरागढ़—
अल्मोड़ा जिले में———
अस्पताल का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० ९९–१००।

पिनाहट—
नारंगीबाह घाट में जमुना के ऊपर तथा ———में चम्बल के ऊपर पुल की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० २०।

पीलीभीत—
———के शहर कोतवाल द्वारा एक आदमी का जिन्दा जलाया जाना। खं १२२, पृ० २३५–२३६।

प्रतापगढ़—
परगना बिहार जिला———में बकुलाही नदी को रोक कर सिंचाई का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० २३–२४।

सुल्तानपुर व———जिलों में संस्कृत पाठशालाओं को वार्षिक सहायता। खं० १२२, पृ० २४९–२५०।

फैज़ाबाद—
गवर्नमेंट जे० टी० सी० कालेज ———के लिये परिगणित जाति के उम्मीदवार। खं० १२२, पृ० २४७।

जिला———में नलकूपों का निर्माण। खं० १२२, पृ० १३।

बदायूं—
थाना अलापुर, जिला———के अन्तर्गत डकैतियां। खं० १२२, पृ० २४५।

बनारस—
———क्वीन्स कालेज के हाते का शिलास्तम्भ। खं० १२२, पृ० २५५।

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय——— के प्रिंसिपल की नियुक्ति। खं० १२२, पृ० २४४–२४५।

बरेली—
सरकारी कार्यालयों के लिये———से फर्नीचर खरीदने का आदेश। खं० १२२, पृ० १७६–१७७

बलिया—
———जिले के छिछोरकांड में मारे गये व्यक्ति। खं० १२२, पृ० २५०–२५१।

———जिले की सिकन्दरपुर–खेती सड़क की मरम्मत की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० १०१–१०२।

———जिले में नलकूप योजना का प्रारम्भ। खं० १२२, पृ० २३।

"पटरी दूकानदार संघ" की——— म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ शिकायत। खं० १२२, पृ० १००।

सिकन्दरपुर———सड़क को पक्की बनाने की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० १०२।

हल्दी थाना, जिला———के निर्माण के लिये जमीन। खं० १२२, पृ० २४६।

बिसवां—
———का माडल थाना। खं० १२२, पृ० २५५।

बिहार—
परगना———जिला प्रतापगढ़ में बकुलाही नदी को रोक कर सिंचाई का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० २३–२४।

बुलन्दशहर—

जिला————के अन्दर ट्रायल कैदी खं० १२२, पृ० २४८।

जिला————में राजनीतिक पीड़ित परिवारों के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां। खं० १२२, पृ० २५७।

————जिले में नलकूपों का निर्माण खं० १२२, पृ० १२–१३।

भटनी—

तमकुही रोड चीनी मिल और————केन यूनियन क्षेत्र में गन्ना पेरने का प्रबन्ध। खं० १२२, पृ० १७४–१७५।

भीमताल (जिला नैनीताल)—

लीलावती पन्त राजकीय माध्यामिक विद्यालय————में स्थानाभाव। खं० १२२, पृ० २५२।

मड़ियाहू—

————थाना, जिला जौनपुर के अन्तर्गत डाके तथा चोरियां। खं० १२२, पृ० २३६–२३७।

मुजफ्फरनगर—

जिला————में डकैतियां। खं० १२२, पृ० २५५–२५६।

————जिले के निर्माण कार्य पर सन् १९५१–५२ में व्यय। खं० १२२ पृ० १८।

————जिले में भारसी पुल से नाला ग्राम तक मार्ग बन्द होने से किसानों को कष्ट। खं० १२२, पृ० ६–७।

मुरादाबाद—

————जिले में हरिजनों को कुंयें बनवाने के लिये स्वीकृत धन। खं० १२२, पृ० २५६।

————राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल को डिग्री कालेज बनाने का एकत्रित चन्दा। खं० १२२, पृ० २५६।

मैनपुरी—

————जिले में नहरों से सिंचाई खं० १२२, पृ० २४–२५।

रामनगर—

नैनीताल बैंक की————शाखा में डाका पड़ने के कारण गिरफ्तारियां। खं० १२२, पृ० २३७–२३९।

रामपुर—

————की रजा तथा बुलन्द चीनी मिलों से प्राप्त शकर महसूल। खं० १२२, पृ० १७८–१७९।

————के राजकीय प्रेस की मशीनों का मूल्य। खं० १२२, पृ० १७९।

————जिले में कोसी नदी के लालपुर बांध का कार्य। खं० १२२, पृ० २१।

ज्ञानपुर,————नैनीताल सरकारी डिग्री कालेजों पर व्यय। खं० १२२, २५६।

विलीन————राज्य में स्टैंडर्ड वेट्स लागू किये जाने का सुझाव। खं० १२२, पृ० १०४–१०५।

रुड़की—

————में सब-जेल का निर्माण। खं० १२२, पृ० २३६।

लक्सर—

हरिद्वार से————स्टेशन तक पक्की सड़क का निर्माण। खं० १२२, पृ० १२।

शामली—

————तथा कांधला, मुजफ्फरनगर में शरणार्थियों का पुनर्वासन। खं० १२२, पृ० १६९–१७०।

सिकन्दरपुर—

————बलिया सड़क को पक्की बनाने की आवश्यकता। खं० १२२ पृ० २०२।

सुजानगंज—

जौनपुर जिले में———औषधालय के लिये डाक्टर की आवश्यकता। खं० १२२, पृ० ९८–९९।

सुल्तानपुर—

———व प्रतापगढ़ जिलों में संस्कृत पाठशालाओं को वार्षिक सहायता। खं० १२२, पृ० २४९–२५०।

हरिद्वार—

———से लक्सर स्टेशन तक पक्की सड़क का निर्माण। खं० १२२, पृ० १२।

स्थायी समितियों—

कतिपय———के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा। खं० १२२, पृ० १६२–१६३।

स्मरण-पत्र

प्र० वि०—देहरादून के चाय बागानों के मजदूरों का———। खं० १२२, पृ० २४७।

स्वीकृत-धन—

प्र० वि०—आगरा जिले में सिंचाई के कार्यों के लिये———। खं० १२२, पृ० २४।

ह

हरगोविन्द पन्त, श्री—

श्री राजनारायण, श्री रामनारायण त्रिपाठी तथा श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन। खं० १२२, पृ० २६१, २६२, २६४–२६५।

हरदयाल सिंह पिपल, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

हरिजन—

प्र० वि०—बदायूं नगरपालिका द्वारा दी गयी———छात्रवृत्ति के वितरण में असंतोष। खं० १२२, पृ० २४१।

हरिजनों—

प्र० वि०———को मकान बनवाने के लिये सहायता। खं० १२२, पृ० २५३।

प्र० वि०—मुरादाबाद जिले में——को कुयें बनवाने के लिये स्वीकृत धन। खं० १२२, पृ० २५६।

हरिप्रसाद, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

हल्दी थाना—

प्र० वि०———, जिला बलिया के निर्माण के लिये जमीन। खं० १२२, पृ० २४६।

हिन्दी—

प्र० वि०-सचिवालय में———टाइपराइटरों का प्रयोग। खं० १२२, पृ० १७५–१७६।

हेड कान्सटेबिलों—

प्र० वि०———की तरक्की के नियम। खं० १२२, पृ० २४२– २४३।

हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२–मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या ३१–लेखा शीर्षक ४७–विविध (वाहन) विभाग और ४४–उड्डयन। खं० १२२, पृ० ३४–३६।

हैंडलूम—

प्र० वि०———के बने हुये, छपे तथा रंगीन कपड़े पर सेल्स टैक्स। खं० १२२, पृ० २०।

PSUP L. 21 L. A.—8-9-53—850